Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 01

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 05/06

03. Referee Board 07

04. Spokesperson 09/10

(Science / विज्ञान)

05. Traditional Knowledge On Medicinal Plants Among The Bhil And Bhilala Tribe Of Western Malwa Special Reference To Fever Impact (Nutan Rajput) 11

06. Dyeing Of Textile Material With Peanut Pod (Urmila Rao) 15

07. Synthesis Of Some New 2 Styryl-3-Tolyl 4-Quinazolones As Compounds Of Antifungal Activities (Malti Dubey) 18

08. A Novel Flavonoid Glycoside From Impatiens Balsamina Linn. Flowers (Dr. Basanti Jain) 21

(Home Science / गृह विज्ञान)

09. Effect Of Gender And Age On Cognitiveability Of Elderly Population (Arti Soni, Dr. Meenakshi Mathur) 23

10. To Highlight The Government Support Systems Prevailing To Protect And Promote Women Entrepreneurs (Tripti Dadheech, Dr. Deepa Swami) 28

11. Type 1 Diabetes In India - Overall Insights (Prof. Raka Shrivastava, Divya Solanki) 31

12. Socialisation - A Process For Development Of Humans (Sangeeta Rachiyata) 34

13. अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की सामाजिक,आर्थिक शैक्षणिक स्थिति एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन (म.प्र. के अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. मनीषा सक्सेना, संगीता कनेश) 36

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

14. The Study Of Export Potential Agriculture And Food Processing SME's In Madhya Pradesh (Dr. Anoop Kumar Vyas, Urvashi Verma) 39

15. An Introduction OF GST (Dr. Vaishali Sharma, Dr. Rekha Lakhotia) 43

16. Registration Under GST-Requirment And Process (Dr. Nirmala Kushwah) 47

17. भारत की शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की संरचना का अध्ययन (मृदुलता सिकरवार) 49

18. जिनिंग एवं प्रेसिंग मिलों में उत्पादन प्रक्रिया, मशीनों एवं मशीनों की उपलब्धता का अध्ययन (डॉ. प्रगति गुप्ता) 52

19. आर्थिक सुधारों की एक नई पहल - वस्तु एवं सेवा कर (डॉ. राजू रैदास, डॉ. हर्षा चचाने) 56

20. भारत में ग्रामीण बेरोजगारी समस्या एवं समाधान (डॉ. सचिन शर्मा, हेमन्त गायकवाड) 59

21. मध्यप्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक सामाजिक उन्नयन में स्वरोजगार योजनाओं के योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन (डॉ. एन. एल. गुप्ता, रणजीत सिंह रावत) 62

22. बड़वानी जिले में कपास विपणन का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. विजय ग्रेवाल, रेखा पंवार) 64

23. रीवा में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं (डॉ. ज्ञानेन्द्र पाठक) 66

(Economics / अर्थशास्त्र)

24. Second Generation Reforms For Indian Banks (Dr. Leena Sharma) 68

25. नियोजन काल में रोजगार एवं संचालित कार्यक्रमों की भूमिका (डॉ. हरदयाल अहिवार) 70

26. बीमाधारकों के सामाजिक विकास में सहायक - भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा योजनाएं 74
(डॉ. सुनील कुमार तिवारी)

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

27. Dharma Orientated Education And Cultural Crisis (Mahesh Kumar Rachiyata) 77

28. नगरपालिका चुनाव 2018 - परिणाम व विश्लेषण (बड़वानी जिले के संदर्भ में) (डॉ. मीनाक्षी पँवार) 80

29. ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण माध्यम- स्व सहायता समूह (वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन) 84
(डॉ. शकुन शुक्ला, मनीषा मिश्रा)

30. महिलाएं और राजनीति - एक भारतीय परिदृश्य (विक्रान्त पंवार) 88

31. पण्डित नेहरू के विचारों का विश्लेषण (डॉ. प्रीति शर्मा) 92

(History / इतिहास)

32. The Discovery Of India As A Post Colonial Text (Dr. Mohini Chakranarayan, Shobha Sharma) 94

33. शहडोल जिले की प्रमुख धर्मशालाओं का ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. मो. स्वालकीन खान) 97

34. मनोरंजन एवं शिक्षण के पर्याय बने- बुन्देली लोक गीत (सुरेन्द्र प्रताम सिंह खरे) 100

35. कामकाजी महिलाऐ - सुरक्षा संबंधी प्रावधान (डॉ. कुन्ती वराठे) 102

36. महाजनपद काल में मध्यप्रदेश में राजतंत्र का विकास (जितेन्द्र महोबिया) 104

(Sociology / समाजशास्त्र)

37. A Sociological Study Of Income Patterns, Daily Basis Wasteful Expenditure, Education 106
And Job Level, Income And Education Level And Income And Job Level In A Slum Area Of Bhopal City (Mydhapredash) (Farooq Ahmad Ganiee)

38. Women Empowerment - Perspectives And Challenges (Dr. Deepti Puranik) 109

39. Enlighten A Way For Acquiescence Of Women -Challenging Task 112
(Dr. Paras Ram Teli, Dr. Jyoti Bharadwaj)

40. रूड़की (हरिद्वार) में विश्वकर्मा वंशी परिवारों में शिक्षा, व्यवसाय तथा सामाजिक परिवर्तन: एक अध्ययन 115
(डॉ. अलका रानी)

41. आयु वर्ग के अनुसार बैगा जनजाति में साक्षरता का स्वरूप शहडोल जिले के संदर्भ में (डॉ. लता सिंह) 125

42. जनजातीय सामाजिक - आर्थिक व्यवस्था पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव (प्रो. ईश्वर सिंह सस्त्या, डॉ. मनोज वानखेड़े) 128

43. पातालकोट की भारिया जनजाति की महिलाओं पर पड़ने वाले जनसंचार के प्रभावों का एक सामाजशास्त्रीय अध्ययन (सृष्टि जोन, डॉ. अर्चना गौर) 131

44. आजीवन सजायाफ्ताओं के परिवारों के सामाजिक समस्या का अध्ययन - अलीराजपुर जिले के विशेष के संदर्भ (डॉ. सुधीर सक्सेना, नर्मदा भिंडे) 133

(Geography / भूगोल)

45. Land Use And Cropping Pattern In Bhiwani District (Vinod Kumar) 135

46. सागर जिले में कृषि नवाचार अधिग्रहण का भूमि उपयोग प्रतिरूप पर प्रभाव (भावना पटेल) 139

47. बालाघाट जिला कृषि विकास में यंत्रीकरण व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एवं उसका कृषि उत्पादकता पर प्रभाव - एक भौगोलिक अध्ययन (श्वेता हिरकने) 142

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

48. 'छत्तीसगढ़ी दान-लीला' की व्याख्या व समालोचना (डॉ. रमेश टण्डन) 145

49. यशपाल के उपन्यासों में बौद्धकालीन सांस्कृतिक नारी (डॉ. पंकज बोहरा) 148

50. अनाामिका के कथा साहित्य में चित्रित समस्याएँ (डॉ. वन्दना अग्निहोत्री, आशा शरण) 151

51. चन्द्रकान्त देवताले की कविताओं में यथार्थ चित्रण (उमेश कुमार चरपे, डॉ. खेमराज मगरदे) 154

52. डॉ. श्यामसुन्दर दुबे के साहित्य में गद्यात्मक लालित्य (डॉ. आशाराम रहड़वे) 156

53. आज के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता (डॉ. मंजू तिवारी, रामबाबू मेहर) 158

54. अमृता प्रीतम की रचनाओं में नारी चरित्र की गरिमा (डॉ. कोयल विश्वास) 160

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

55. Poetic Literature - An Effective Medium For Language Learning (Arpana Shrivastava) 161

56. Thorough Study On Different Teaching Methods In English (Dr. Satkala) 164

(Law/ विधि)

57. Competition Law In India - Need To Go Slow And Steady (Aprajita Bhargava) 167

58. Environmental Jurisprudence In India (Anita Parmar) 170

59. Arbitration - Settlement Of Dispute Outside The Court (Deeksha Dubey) 173

(Education / शिक्षा)

60. Educational Messages In Bhagvad Gita (Prof. N.N.G. Mathur, Khel Shankar Vyas) 175

61. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण के कारणों का अध्ययन (प्रीति सिंह, पुष्पा यादव) 177

(Others / अन्य)

62. Takht-E-Akbari (Unrevealed Heritage) (Dr. Rupali Razdan) 180

63. कथक नृत्य में सूर साहित्य की प्रासंगिकता 'सहित्स्य भाव: साहित्यम्' (योगिता मण्डलिक) 183

64. मदन मोहन मालवीय जी के मूल्य सम्बन्धी विचार (डॉ. महेश कुमार मुछाल) 185

65. Green synthesis of Platinum nanoparticles from *Moringa oleifera* Lam. and its antimicrobial efficacy (Dheeraj Kumar, Kumud Kant Awasthi) 187

66. Importance of Phycoremediation in Waste Water Treatment in Present Perspective (Dr. Premlata Vikal) 192

67. A Study on Financial Planning Decisions under ULIP (Dr. Syed Saleem Aquil) 194

****

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. N.S. Rao - Director, Janardhanrai Nagar Raj. Vidhyapeeth University, Udiapur (Raj.) India
8. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
9. Prof. Dr. P.P. Pandey - HOD, Commerce(Dean), Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
10. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
11. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
12. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
13. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
14. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
16. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
17. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
18. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
19. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
20. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
21. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
22. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
23. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
24. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
25. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
26. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
27. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
28. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
29. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
31. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
32. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
33. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
34. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
35. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
36. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
37. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - Former Controller, Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management Deptt. Shri Atal Bihari Vajpai Hindi University, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls PG College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. PG College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.K. Jain - Professor, Commerce, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh PG College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. Tapan Chore - HOD,Economics, Vikram University, Ujjain (M.P.) India

****

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
			***** Commerce *****
Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
			***** Management *****
Management	-	(1)	Prof. Dr. Rameshwar Soni, HOD, Research Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
			***** Law *****
Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
			***** Arts *****
Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. PG College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
		(5)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls PG College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. PG College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls PG College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

****

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Krishna Education College, Javi, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls PG College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. PG College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. PG College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. PG College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. PG College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)
46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)

47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. PG College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. PG College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. PG College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. PG College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak PG College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. PG College, Dhar (M.P
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. PG College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. PG College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada PG College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus PG College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. PG College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. PG College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. PG College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. PG College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh PG College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh PG College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Traditional Knowledge On Medicinal Plants Among The Bhil And Bhilala Tribe Of Western Malwa Special Reference To Fever Impact

Nutan Rajput *

Abstract - The present paper deals with traditional knowledge of medicinal plants among tribal communities of Western district of Madhya Pradesh. The greatest advantage of an ethnobotanical study is that is adds to our knowledge of plants, A total of 21 medicinal plants belonging to 15 families were recorded during the intensive surveys and discussion held with the Bhil and Bhilal tribe.
Key Words - Traditional knowledge; Medicinal Plants; Fever Bhil and Bhilala tribes; Ethnomedicine; Western Malwa,

Introduction - Traditional medicine has been defined as the sum of the knowledge, skills and practices based on the theories, beliefs and experiences indigenous to different culture. The rich traditional knowledge of the community should be documented and preserved properly for better utilization of the plant sources; it is important otherwise, this knowledge may be lost in near future. In the present paper, 21 medicinal plants have been listed along with Traditional medicinal plants used for health care and different disease control. Traditional medicinal plants have been used by the tribal people in this area suffering from the very beginning of human civilization. Medicines from the plants are easily available in local area and rarely have side effects. Traditional knowledge on medicine since the time of great sage Charak has led to the discovery of many important drugs of modern age (Uniyal et al. 2002). Ancient tribal societies around the world have learnt to utilize their neighbourhood herbal wealth for curative as well as offensive purpose. Due to lack of literacy, their knowledge of plants developed often at the cost of their dear life, in their 'Human Laboratories'. The centuries old experience has not been documented perfectly and it had descended from one generation to the next by oral communication.

Study area - The study area Western district is the tribal district in Madhya Pradesh State.

It is divided into 3 tehsils- Western district. It encompasses a total area of 229 sq. km. According to the 2011 census Western district district has a total population of 728,677 and total rural population of 671,596. Western district is newly formed district on 17 May 2008. Major part of the district is covered by dense forest area in which various tribes, like Bhil and Bhilala are living in majority. Out of these tribes Bhil and Bhilala stand high in strength, scattered in most of the villages of the district. These tribal's live close to the forest and are largely dependent on the wild biological resources for their livelihood.

Material and Methods - The methodology adopted for the study was based on interviews of Bhil and Bhilala tribes having knowledge of medicinal plants of their area. The documentation was done based on interview, informal discussion and observation. Group discussion among tribes of different age groups was also taken into consideration for generation the information. The collected information was cross checked with the help of available literature. Detailed information regarding local name, part used and mode of administration was recorded in field note book. The specimens were collected from the field and identified with the help of local/regional floras and deposited in the Department of Botany, Govt. College, Manawar.

Observation

Table 1 - (See in the last page)

Fig.1 Ethnomedicinal plants used to treat fever.

Results and discussion - The survey includes various local plants of different families used by the local people to cure different fever problems. Information on 21 ethnomedicinal plant species belonging to 15 families has been enumerated along with their families and common name. (Table 1) Different plant parts such as root, leaves, bark, fruits etc. are used. Fabaceae family merges as the largest family, having 3 no. of plants used to fever treatment, (Table 2) Roots are used mostly on various fever treatment.(Table3)

The flora of Western Malwa was found to be rich in medicinal plants which are used in different fever. Most of these plants are seen to be growing in wild conditions and in order to keep their existence, it is essential to record important information regarding their uses as these plants could be on the way of extinction due to negligence. Literature search has shown that no such work on flora of Western Malwa which is useful in different fever has been done earlier. The ethno medicinal data may provide a base to start the search of new compound, Phytochemistry, pharmacology and pharmacognosy are needed to document and evaluate the efficacy and safety of the claims.

*Asst. Professor (Botany) Govt. College, Manawar (M.P.) INDIA

The indigenous plants of a particular area have to be analyzed to develop appropriate management measures (ex situ & in situ) conservation for best utilization of natural resources. Study will give very valuable information of conservation and maintenance of biodiversity and traditional knowledge of tribals.

Table 2 - Family wise analysis of plants.

S.N.	Name of Family	No. of plants used
1	Fabaceae	3
2	Lamiaceae	3
3	Asclepiadaceae	2
4	Asteraceae	2
5	Acanthaceae	1
6	Apocynaceae	1
7	Boraginaceae	1
8	Cucurbitaceae	1
9	Cyperaceae	1
10	Euphorbiaceae	1
11	Lecythidaceae	1
12	Meliaceae	1
13	Menispermaceae	1
14	Papaveraceae	1
15	Solanaceae	1

Table 3 - Plant parts used.

S. N.	Name of plant part	No. of uses
1	Root	7
2	Whole plant	5
3	Bark	4
4	Leaves	4
5	Flower	1
6	Fruit	1
7	Seeds	1

Fig - 2 (See)

Acknowledgement - The local people of Western Malwa are greatly acknowledged for their cooperation during fieldwork. The author would also like to acknowledge the Principal of Govt. College, Manawar, Dr. C.M. Solanki Ret. Prof. P.M.B. Gujarati Science College, Indore; Dr.Veena Satya Prof. S.B.N. Govt.P.G. College Barwani. Other Teaching and Technical staff of the college for their cooperation.

References :-

1. Jain, Ashok K., Wagh, Vijay V. & Kadel, Chitralekha 2011. Some ethnomedicinal plant species of Jhabua District, Madhya Pradesh. *Indian Journal of Traditional Knowledge. Vol,10(3):538-540.*
2. Kumar, Ramesh., Suman, Nand Ram & Dash, S.S. 2004. Traditional uses of plants by tribals of Amarakantak region, Madhya Pradesh. *Indian Journal of Traditional Knowledge. Vol.3(4):383-390.*
3. Maheshwari, J.K., Kalakoti, B.S. & Lal, Brij. 1986. Ethnomedicine of bhil tribe of Jhabua District, M.P. *Ancient Science of Life.Vol.No.V.No.4:255-261.*
4. Uniyal, S.K., Awasthi, A., & Rawat, G.S. 2002. Traditional and ethnobotanical uses of plants in Bhagirathi Valley, Western Himalaya, *Indian J Traditional Knowledge, 1(1): 7-19.*
5. Wagh, Vijay V. & Jain, Ashok K. 2010. Ethnomedicinal observation Among the *Bhil* and *Bhilal* tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh, India. *Ethnobotanical Leaflets 14:715-20*.
6. Wagh, Vijay V. & Jain, Ashok K. 2010. Traditional herbal remedies among *Bhil* & *Bhilala* tribes of Jhabua District Madhya Pradesh. *International Journal of Biological Technology 1(2):20-24.*
7. Yadav, R.N.S. & Agrawala, Munin. 2011. Phytochemical analysis of some medicinal plants. *Journal of Phytology, 3(12):10-14*.

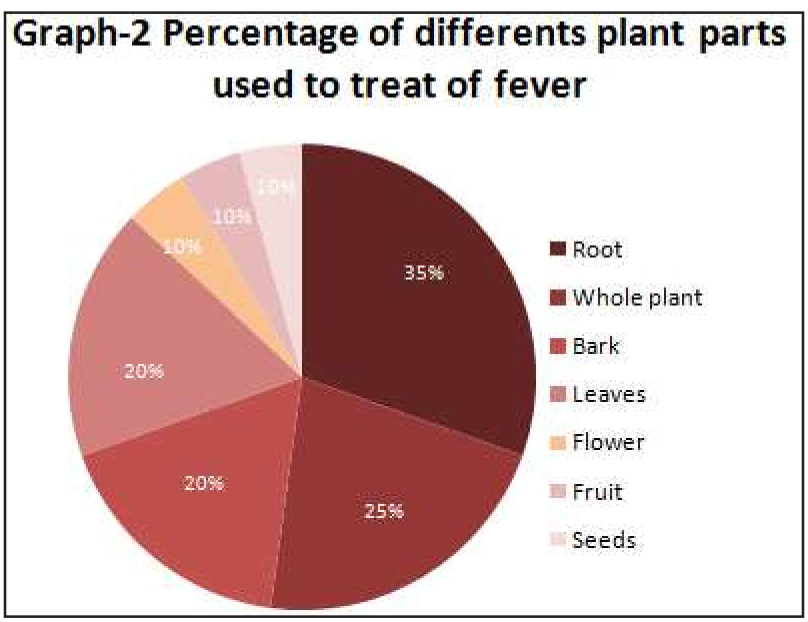

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Table 1 - List of Ethnomedicinal plant species used against various human ailments.

Name of plant species & family	Local Name	Plant part used	uses
Andrographis paniculata (Burm. F.) Wall. *Ex* Nees (Acanthaceae)	Kalmegh	Leaves	Used for the treatment of fever.
Blumea lacera (Burm. f.) D.C. (Asteraceae)	Kukrondha	Whole plant	Used for the treatment of fever & liver disorder.
Butea monosperma (Lam.) Taub. (Fabaceae)	Khakra	Bark & flower	Useful on fever, anemia, blood disorder & bleeding.
Careya arborea Roxb. (Lecythidaceae)	Kumbhi	Bark & fruits	Used for the treatment of fever & respiratory disorder.
Cyperus rotundus L. (Cyperaceae)	Nagarmotha	Root	Useful on fever & urinary problem.
Desmodium gangeticum (L.) DC. (Fabaceae)	Shalparni	Root	Used as tonic. Useful on diarrhoea & fever.
Fumaria indica (Hassk.) Pugsley (Papaveraceae)	Pitpaapada	Whole plant	Useful on jaundice & fever.
Marsdenia tenacissima (Roxb.) Moon. (Asclepiadaceae)	Chikati	Root	Useful on jaundice.
Melia azadarch L. (Meliaceae)	Bakayan	Bark	Used for the treatment of fever.
Ocimum canum Sims (Lamiaceae)	Mamari	Leaves	Useful on fever.
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. (Asclepiadaceae)	Doodhi bel	Root	Useful on fever & piles.
Phyllanthus amarus Schum. et Thonn., (Euphorbiaceae)	Bhui Aawla	Whole plant	Useful on liver disorders, blood disorders & fever.
Tinospora cordifolia (Thunb.) (Menispermaceae)	Giloy	Whole plant	Useful on fever.
Teramnus labialis (L. f.) Spreng. (Fabaceae)	Maasrohadi	Whole plant	Used for the treatment of fever & gynic disorders.
Trichodesma indicum (L.) R. Br. *ex* Lehm. (Boraginaceae)	Andhahuli	Root	Useful on eyes disorders, blood disorders & fever.
Trichosanthes bracteata (Lam.)Voigt. (Cucurbitaceae)	Lal indrayad	Root	Useful on fever, piles & bachache.
Vernonia anthelmintica (L.) Willd. (Asteraceae)	Kalajeera	Seeds	Useful on Malaria fever & worms.
Withania somnifera (L.) Dunal (Solanaceae)	Aswgandha	Root	Used for the treatment of cough, dropsy & rheumatism.
Wrightia tinctoria R. Br. (Apocynaceae)	Meethi indrajo	Bark	Used for the treatment of malaria fever & diarrhoea.

Fig.1 Ethnomedicinal plants used to treat fever.

Fig.1.1*Anisomeles indica*

Fig.1.2 *Butea monosperma*

Fig.1.3*Careyaarborea*

Fig.1.4 *Leucas urticifolia*

Fig.1.5*Ocimum canum*

Fig.1.6*Withania somnifera*

Fig.1.7*Phyllanthus amarus*

Fig.1.8*Tinospora cordifolia*

Fig.1.9*Wrightia tinctoria*

****

Dyeing Of Textile Material With Peanut Pod

Urmila Rao*

Abstract - Present study was planned to observe the effect of Peanut pod natural dye on Cotton, Wool and Cots wool fabric with different mordant's such as Alum, $CuSo_4$, $FeSo_4$. Dye extraction time, dyeing time, dyeing temperature, mordant concentration were optimized. Colorfastness, depth of shade and evenness of dyed samples were also assessed. The time for dye extraction was 30min, optimum dyeing time 75min. The temperature of dyeing is 80°C-100°C, the mordant concentration was used in dying process with following percent age was in 10%,15%,20%. Therefore the result found in the colorfastness properties of dye which showed a very good fastness results with in comparison to and Alum.

Introduction - The groundnut or peanut (Arachis hypogaea L.) originated in South America. The peanut or groundnut is a common name. The Peanut (Arachis hypogaea) is a dehiscent legume that is harvested from below the soil. After fertilization, the flower stalk of the peanut curves downward and the developing pod is forced into the ground by the proliferation and elongation of cells under the ovary. The pod typically contains two seed, each with a papery seed coat.

Dyeing with peanut pod is a new concept for dyeing fabric. Thus on the basis of above variables present study is planned entitled as "Dyeing with peanut pod on textile material"

Most natural dyes need a mordant to fix the color to the fiber and increase light fastness. Some common examples of mordant dyes include cochineal, madder, fustic, Osage, and logwood

Objective -

- To optimize the dye extraction process for peanut pods natural dyes.
- To dye cotton fabric with peanut pod natural dye.
- To assess the effect of various mordant's with combination of peanut pod natural dye on color depth and evenness of shade.

Delimitation -

- Only 3 mordants were selected for this study.
  - Copper sulphate, Ferrous sulphate, Tannic acid
- Only 1 fabric were selected for dyeing with natural dye.
  - Cotton

Methodology-

Collection of raw material - This selection includes the textile material, dye material, chemicals and mordants used in study.

- **Textile material -** cotton fabric used for the dye process
- **Dye material -** Only one natural source dye such asPeanut pod was selected for dyeing purpose. Which were collect or purchase from the market, The selection was based on the basis of colors obtained and easy availability. Then, peanut pods were dried in shade and grind for make a smooth powder form.
- **Chemicals & Mordents -** Two chemicals was selected Sodium carbonate, Detergent/Ezee, Two synthetic mordants were selected Copper sulphate (), ferrous sulphate () & One natural mordant Alum were selected
- **Equipment/Instruments used in the study**

S No.	Name of Equipment	Purpose
1	Alpines	For revel the fabric & attached the sample slip
2	Beakers	For extraction of dyes & for dyeing.
3	Bowl	For making dye paste
4	Glass rod	For mixing
5	Measuring Cylinder	For measuring chemical/ ezee
6	Sewing needles	For sewing the sample
7	Pencil	For marking on fabric
8	Ruler	For measuring fabric
9	Scissors	For cutting fabric
10	Spatula	For taking out dyes & chemicals
11	Steel Pan	For taking water & scouring the fabric
12	Digital Balance	For measuring dye & chemicals
13	Grey scale	To evaluate the fastness of dyed samples
14	Grinder	To grind the groundnut material

*Asst. Professor, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur (Raj.) INDIA

Pretreatment of fabrics - Firstly scouring treatment was given to cotton fabric. Then fabric was ready for dyeing after passed out from the scouring process..

a) Cotton fabric were scoured by using recipe given by TROTMAN (1970)

Sodium Carbonate	2g/l
Detergent	5g/l
Temperature	50-60°C
Time	45 min
MLR	1:30

Scouring bath was made up by adding detergent and sodium Carbonate and fabric was treated for 30min at 50-60°C temperature. After scouring material was removed, rinsed fabric thoroughly and squeezed gently. The scoured fabric was dried at room temperature

Determination of dye extraction time - Dye was extracted by boiling 10 gm, dye material in 300ml water for different times, i.e. 30min, 45min and 60min maintaining the liquor value constant. The liquors were then strained through two layers of scoured muslin fabric. The clear filtrates were explained for their colour. These filtrates were used as dye baths.

Three samples of cotton presoaked were taken and added to each dye liquor at boiling temperature for 1hour, samples were frequently and gently stirred and the volume of dye liquor was maintained constant. Then the samples were taken out and rinsed in tap water to remove extra amount of dye. The samples were examined according to their color value. The time for extraction, which was judged by the darkness and brightness of the colors of dyed samples, were selected as optimum extraction time.

Optimization of dyeing time & temperature - 10gm dye material in 300ml, water was boiled and then dyeing were carried out for three different duration.45min,60min and 75min. To find out optimum dyeing temperature 10gm of dye material was taken in 300ml of water and temperature of solution was raised up to 40°C, 60°C, 80°C.

Optimization of Mordanting Method - The optimum mordant concentrations were applied on fabric samples using pre mordanting, simultaneous mordanting and post mordanting methods.

- **Pre Mordanting-** For pre mordanting the optimum concentration of mordants was dissolved in 300 ml distilled water and the wet samples were added to it. The mordant treatment was carried out at 100°C for 30 min. After mordanting, the samples were allowed to cool at room temperature in the mordant solution, squeezed to remove extra mordant solution and the samples were immediately dyed.
- **Simultaneous Mordanting: -** In this method, the mordant and the dye was applied simultaneously in the same bath & boiled for 30 min.
- **Post Mordanting: -**The dyed samples were added to the mordant solution prepared by dissolving optimum mordant concentration in 300 ml distilled water. The mordant treatment was given for 30 min at 100°C. Samples were allowed to cool, rinsed and dried.

Result - The result shows that the dyeing is possible with natural product called as peanut pod in different varying temperature & use of different mordants to exhaust the dyeing process .

References :-

1. Anderson B. (1971) creating spinning, weaving and plant dyeing, Singapore: Angus and Robertson, pp 24-28
2. A.K. Prusty.et.al. “Colourimetric analysis and antimicrobial study of natural dyes and dyed silk”, Volume 18, Issues 16–17, November 2010, Pages 1750–1756
3. http://www.nutrition-and-you.com/peanuts.html
4. http://www.ehow.com/list_6364042_heath-benefits-eating-raw-peanuts.htm
5. http://www.handmadesea.com/shop/index.php?route=information/information &information_ id=8

Dyed Sample Result (10 gm Dye Shade)

Dyed Sample Result (20 gm Dye Shade)

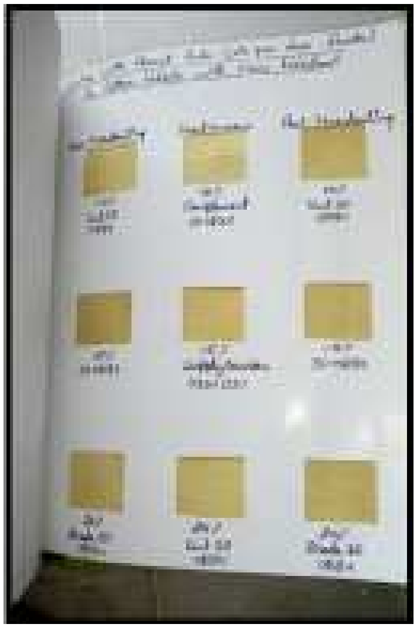

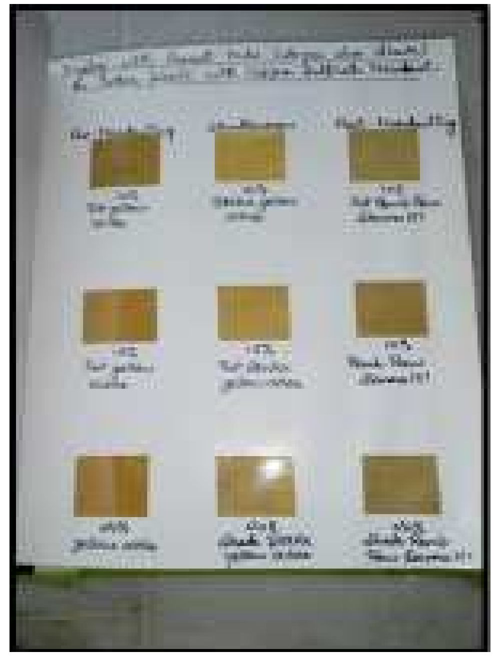

Dyed Sample Result (30 gm Dye Shade)

****

Synthesis Of Some New 2 Styryl-3-Tolyl 4-Quinazolones As Compounds Of Antifungal Activities

Malti Dubey*

Abstract - Few 2-styryl-3-tolyl-4- quinazolones have been synthesized using aromatic aldehydes. The chemical structures of these compounds were confirmed by elemental analysis. These compounds were tested against antifungal activity.
Key Words - 2-styryl-3-tolyl-4- quinazolones, Antifungal activity, IR.

Introduction - Quinazolone nucleus have been utilized in preparation of drug manufacture as starting materials for anticonvulsent[1], anticarcinogenic[2] and antibacterial activity[3] 2-styryl-4- quinazolones have found favour as antifungal activity[4].

Looking to the interesting properties and usefulness of quinazolones and their condensation products, I have therefore, synthesised 2-styryl-3-tolyl-4- quinazolones by the following sequence of the reaction.

Toludine is condensed with sodium salt of acetyl anthranilic acid in toluene with phosphorous trichloride, 2-methyl-3-tolyl-4- quinazolones (I) is formed in good yield (Bogert beal method) compounds (I) is condensed with substituted aldehyde in presence of acetic acid, acetic anhydride yielded title compound (II) **(See next page)**

IR Spectra – These compounds have been purified and characterised by their analytical IR Spectral data 2-styryl-4- quinazolones show intense bands at 1670 (-N-C=O), 1325, (-N<) 1608 (C=N) 1472 (CH_2 conjugated with ring)835 (– CH_2–CH_2 – CN) and 1420 cm^{-1} (N-CH_3)

Pmr Spectra – In Pmr Spectra of these substituted 4(3-H-Tolyl) quinazolones singlet due to methylene protons were observed around 2.30 for N-CH_2-H and multiplate at 6.0 – 8.30 for aromatic protons.

Antifungal Activity –

Compounds type (1, 2, 3, 4) were screened for their antifungle activity at different concentrations namely 250, 550 and 900 g ml-1. The fungi employed in the present investigation were curvulria lunata and fusarium–oxyporum, percentage of inhibition (fungitoxicity) were in the ranged of 22.5 to 56.3

Experimental – IR spectra were recorded on a Perkin Elmer spectrophotometer in nujol mull. Pmr spectra were recorded on a various EM– 36060 NH2 spectrophotometer using Tms as the internal reference. Elemental analysis was found range 2-methyl-3-tolyl-4- quinazolones.

(a) Preparation of 2-methyl-3-tolyl-4- quinazolone – Anthranilic acid (17.1) was dissolved in water (125ml) containing anhydrous sodium-corbonate (6.6g) the solution filtered and treated with stirring when the sodium salt of acetyle anthranilic acid precipitated out at once, the mixture was collect at 15^0c, the solid filtered off, washed with little ice water and dried in oven at 11^0c, yield 23 g. M.P. 285^0c to a mixture of sodium- salt (19g), toluene (125ml) and toludine (ortho) (9ml) and refluxed in an oil bath at 120-125^0c for two hours with frequent shaking after cooling, the precipitate was collected, washed with ether, treated with sodium hydroxide and filtered. The solid was washed thoroughly with water and crystallized twice from ethanol to give the quinazolones as colourless, prismatic needles, yield 20g. (69.9%), M.P. 148^0c .

Tolyl (m.p.) quinazolone were prepared similarly for preparation of 2-methyl-3-m tolyl-4- quinazolones and 2-methyl-3-p-tolyl-4- quinazolones using m and p toludine in place of o-toludine.

(b) Synthesis of 2-styryl-3-tolyl-4- quinazolone – A solution of the equimolecular amounts of foregoing 2-methyl-3-tolyl-4- quinazolone and substituted aromatic aldehyde in a mixture of glacial acetic acid (5ml), acetic acid (5ml) were refluxed for 16 hours most of the was distilled off and the residual liquid was poured into water when solid separated out it was filtered washed with water and crystalised from ethanol to afford the styryl derivative coloured needles were obtained.

Difficulties were encountered in the isolation and purification of styryl- quinazolone. Several solvents such as ethanol, acetine or acetic acid and mixture of these solvents in appropriate proportion had to be tried for obtaining pure solvents. The colour of the products barried from yellow to brown, orange and even red in the different cases.

By adopting similar procedure a few substitute 2-styryl-4- quinazolones (1, 2, 3, 4) have been synthesised. Their physical and biological data have presented in Tables 2 and 3.

*(Chemistry) Govt. Auto. Girls P.G. College of Excellence, Sagar (M.P) INDIA

Table – 1

M.P. and Yield 2-methyl-3-tolyl-4- quinazolone

S.No	Quinazolones	M.P.^{0}C	Yield	
			g.	%
1	2-methyl-3-o- tolyl	115	18	60.5
2	2-methyl-3-m- tolyl	119	17	56.1
3	2-methyl-3-p- tolyl	148	17.5	57.6

Table -2

Antifungal activity of 2-styryl-3-tolyl-4- quinazolone

Compound	Fungitoxicity		% inhibition	
	C	Lunata	F	Oxyporum
1	48.2	56.1	52.6	55.3
2	22.5	40.7	48.8	62.5
3	12.4	20.6	51.3	70.1
4	Nil		Nil	

Table -3(See in the next page)

Result & Discussion –

Among 4 compounds of series compound 1, 2, 3 were most active both the fungi employed on the other hand compound 4 was selective in their action C. Lunata was comparatively more resistant towards these compounds and it could not be inhibit even to 50% at highest concentration tried. The relative higher activity of compound (1) may be due to 3-methoxy-5-allyl- moiety where as the fungicidal activity of compounds (2) and (3) may be attributed to the presence of sulphonyloxy moieties respectively.

Acknowledgement –

Thanks are due to the Prof. S.K. Latta for constant help and to the Director C.D.R.I. Lucknow for providing spectra.

References :-

1. M.L. Gujral, P.N. Saxena and K.P. Kali, Ind. J. Med Res. 1957, 45, 207.
2. Wallace and Ticraman, British Patent 1963,916, Chem. Abs. 1963,59,1663.
3. N.B. Das and A.S. Mishra J. Ind. Chem. Soc. 1979, 56, 398.
4. A.P. Bhandari, N.M. Khanna and M.L. Dhar, J. Sci. Indian Res. 1962, 21, 387.
5. H.C. Lociero, D. Frear and H.J. Hiller, J.Bio. Chem. 1978, 172,682.
6. Bogert Beal and Amend J. Am. Chem. Soc., 1910, 32, 1954.

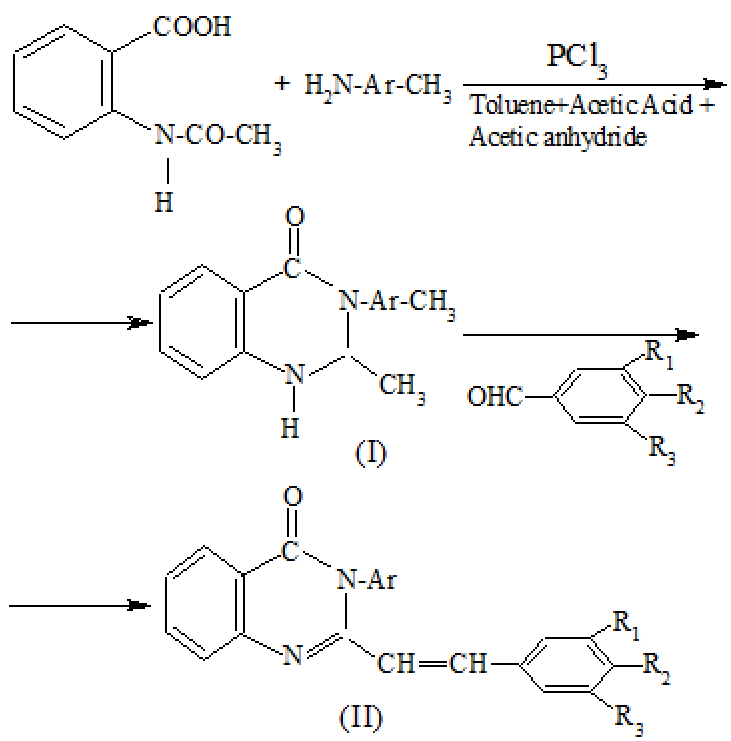

Ar = C_6H_4- CH_3(O) , C_6H_4 – CH_3 (m), C_6H_4 – CH_3 (P)

R_1 = (i) – OCH_3 (ii) – OCH_3 (iii) –OSO_2-CH_3 (iv) –OCH_3

R_2 = (i) –OH (ii) –O-SO_2– 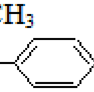 –CH_3 (iii) –OCH_3 (iv) –O–SO_2– 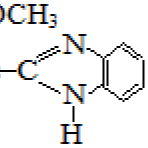

R_1 = (i) – CH_2–CH = CH_2 (ii) – CH_2–CH = CH_2 (iii) H (iv) H

Table -3

Physical and Analytical Data of 2-styryl-3-tolyl-4- quinazolone

Ar –CH3					ALDEHYDES	Yield % Condensing Agent		Colour	M.P .⁰C	Molecular Formula
S.No		**o-tolyl**	**m-tolyl**	**p-tolyl**		**Acetic Acid**	**$ZnCl_2$**			
1	a	CH_3	H	H	3-methoxy-4-hydroxy-5-allyl-phenyl	33.48	82.1 (b)	Brown	232	$C_{27}H_{14}N_2O_3$
	b	H	CH_3	H	3-methoxy-4-hydroxy-5-allyl-phenyl	29.35	42.2 (a)	Brown	178	
	C	H	H	CH_3	3-methoxy-4-hydroxy-5-allyl-phenyl	19.2	71.8 (b)	Brown	137	
2	a	CH_3	H	H	3-methoxy-4(p-toluene-Sulphonyloxy)-5-allyl-phenyl	51.42	62.6 (b)	Yellow	223	$C_{34}H_{30}N_2O_5S$
	b	H	CH_3	H		17.4	89.6 (a)	Red	247	
	C	H	H	CH_3		38.32	42.5 (b)	Orange	215	
3	a	CH_3	H	H	3-methane-sulphonyloxy -4-Methoxy- phenyl	36.71	81.4 (b)	Yellow	175	$C_{25}H_{23}N_2O_5$
	b	H	CH_3	H		38.1	53.6(b)	Orange	207	
	C	H	H	CH_3		28.42	68.3 (b)	Brown	218	
4	a	CH_3	H	H	3-methoxy-4-(2-benzamidazole Sulphonyloxy) phenyl	35.6(c)	62.5	Yellow	179	$C_{31}H_{27}N_2O_5S$
	b	H	CH_3	H		37.6 (C)	64.04	Red	115	
	C	H	H	CH_3		26.34	55.3(b)	Brown	244	

SOLVENT OF CRYSTALLIZATION – a= BENZENE, b=ACETONE c= ALCOHOL

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

A Novel Flavonoid Glycoside From Impatiens Balsamina Linn. Flowers

Dr. Basanti Jain*

Abstract - Phytochemical examination of Impatiens Balsamina Linn. flowers resulted in the isolation and identification of a novel flavonoid glycoside kaempferol 7-0-B-D- Glucopyranoside.

Introduction - The plant Impatiens Balsamina Linn[1, 3] (N.O. Balsaminaceae) is known Gulmendi in Hindi and is distributed throughout India. The flowers are cooling and tonic useful when applied to burns and scalds. Alcoholic extract of the flowers has been found to have adequate antibiotic activity[4] against scleroting, fructicola and other pathogenic fungi and bacteria. It is reported to be useful for pains in the joints.

Experimental - The methanolic extract of the water soluble part of the 95% concentra-ted ethanolic extract of dried and powdered flowers when worked up by C. C. gave crude glycoside (0.48%). Methanolic extract on TLC examina-tion showed two spots which was separated by column chromatography on Si-gel G. The compound eluted with ethylacetate : methanol (1:3) gave a brown amorphous compound molecular formula $C_{21}H_{20}O_{12}$, M^+464 ($R_f = 0.9$). It gave positive Molisch test and responded to all the colour tests for flavonoidal glycoside[5,6] [1], the study of another compound is in progress.

[1] On acid hydrolysis with 7% ethanolic H_2SO_4 gave an aglycone [2] and the sugar moiety, which was indentified as D-glucose (by Co-Pc and Co-TLC).

The aglycone $C_{15}H_{10}O_6$ m.pt. 277ºC, M+286 crystallised in yellow needle, UV, λ_{max}^{MeOH} 256, 270, 375 nm, $\lambda_{max}^{AlCl_3}$ 257, 272, 446 nm, $\lambda_{max}^{NaoAC+H_3Bo_3}$ 266, 395 nm, IR ν_{max}^{KBr} 3388, 2916, 1680, 1600, 1280, 1114, 810 cm^{-1}, ^{1}HNMR spectrum of tetra acetyl derivative of the aglycone showed signals at $\delta = 6.48$ (d, J = 2, C_6 - 1H), $\delta = 7.53$ (d, J = 2.5, C_2, -^{1}H), $\delta = 6.88$ (d, J = 8.5, C_5, -^{1}H), $\delta = 7.63$ (d, d, J = 2.5, 9, C_6, -^{1}H), $\delta = 2.34$ (S=3H, C_3 - OAC), $\delta = 2.48$ (S=3H, C_4 - OAC), $\delta = 2.45$ (S=3H, C_5 - OAC), $\delta = 2.41$ (S=3H, C_7 - OAC).

A peak at 3388 cm-1 in the IR spectrum of the [2] showed the presence of OH groups in it. The number of OH groups were estimated by the acetylation with AC2O/ pyridine yielded tetra acetyl derivative, thereby confirming the presence of four hydroxyl groups in it.

Formation of p-hydroxzy benzoic acid on alkaline degradation confirmed the presence of OH group at C-4' in the aglycone which was further confirmed by a bathochromic shift of 32 nm of band I in presence of NaOAC / H3Bo3 relative to band I in MeOH confirmed the presence of -OH group at C-4'[7].

Formation of phloroglucinol on alkaline degradation of the [2] showed the presence of two -OH groups at C-5 and C-7 respectively.

Spectral shift[8] with $AlCl_3$ (bathochromic shift 24 nm) and CH_3COOH (bathochromic shift 34 nm) indicated the presence of —OH groups at C-5 and C-7 respectively.

Yellow fluorescence of the [2] in UV light[9] and the spectral shift with $AICl_3$ in presence of HC1 relative to band (I) in MeOH indicating a free 3-OH group in the aglycone [2].

A characteristic colour reaction with Zn/Hg and zirconium oxychloride in citric acid further suggested the presence of —OH group at C-3.

Formation of above degradation products established the identify of aglycone as 3:5:7:4' - tetra hydroxy flavone (Kaempferol).

The aqueous hydrolysate on chromatographic study revealed the presence of only D-glucose (by CO-PC and CO-TLC). The sodium meta-periodate oxidation[10] of the [1] consumed 2.01 mole of periodate and liberated 1.07 mole of formic acid indicating the presence of a monosac-charide and also that it was in the pyranose form.

[1] on permethylatio[m] followed by hydrolysis yielded 2:3:4: 6- tetra-O-methyl-D-glucose (by CO-PC and CO-TLC) confirmed that the sugar was attached via its C_1OH to the C_7-OH of the aglycone [2].

[1]on hydrolysis with emulsion[12] indicated b-linkage between the sugar the aglycone thereby confirming that

*Professor (Chemistry) Govt. Girls M.L.B. (P.G.) Autonomous College, Bhopal (M.P.) INDIA

the glycoside was Kaempferol-7-O-β-D glucopyranoside which was further supported by its spectral analysis, UV λ^{McOH}_{max} 254, 272, 363 nm, $\lambda^{AlCl_3}_{max}$ 295, 364nm $\lambda^{H_3Bo_3}_{max}$ 224, 270, 362 nm, IR ν^{KBr}_{max} 3400, 2910, 1675, 1598, 1112, 1275, 815 cm^{-1}, ^1H NMR, δ = 6.46 (d, J = 2, C2, -1H), δ = 7.54 (d, J = 2.5, C2, -H). δ = 6.86 (d, J = 8.5, C5, -1H), δ = 7.61 (d, J = 2.59, C6, -1H), δ = 2.31 (s, 3H, C_3, -OAC), δ = 2.35 (s, 3H, C_4' -OAC), δ = 2.44 (S, 3H, C_5-OAC), δ = 5.7 (d, J=7, C_1'' - anomericproton), δ = 5.46 (m, 6-protons of sugar residue), d = 2.06 (S, 3H, $C_{2''}$, -OAC), δ = 2.10 (S, 3H, $C_{3''}$, -OAC), δ = 2.02 (s, 3H, $C_{4''}$ -OAC), δ = 3.92 (S, 3H, $C_{6''}$ -OAC).

References :-

1. Chopra R.N., Chopra I.C. and Nayar S.L., "Glossary of Indian Medicinal Plants" C.S.I.R. Publication, New Delhi, 140 (1980).
2. "The wealth of India", Raw material, C.S.I.R. Publication, New Delhi, 5, 168 (1959).
3. Kirtikar K.R. and Basu B.D., "Indian Medicinal Plants", Indian Press, Allahabad, IInd ed., 445 (1918)
4. Giri S., Nizamuddin and Mishra A.K., Acta. *Chim. Acad. Sci. Hung,* 110:117 (1982).
5. L.H. Brigga and R.H. Locker, *J. Chem. Soc.,* 3136 (1951).
6. L. Jurd in T.A. Geisman (Ed.) Chemistry of the Flavonoid Compounds, Pergamon Press, London, pp. 107-155 (1962).
7. A. Ulubelen, M. Miski, P. Neuman and T.J. Mabry, *J. Natural Products,* 42, 262 (1979).
8. S.F. El-Naggar and R.W. Doskotch, *J. Natural Products,* 42, 126(1979).
9. A. Uiubelen, T.J. Mabry and Y. Aynchchi, *J. Natural Products,* 42, 624 (1979).
10. E.L. Hirst and J.K.N. Jones, *J. Chem. Soc.,* 1959 (1949).
11. R. Khun, H. Trischmann and I. Low, *Angew Chem.* 67, 32 (1955).
12. F.G. Mann and B.C. Saunders, Practical Organic Chemistry, Longman, New York, 365 (1936).

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Effect Of Gender And Age On Cognitiveability Of Elderly Population

Arti Soni* Dr. Meenakshi Mathur**

Abstract - Population ageing is the most significant emerging demographic phenomenon in the world today. India is experiencing rapid demographic and epidemiologic transitions. Poor cognitive function is a risk factor for and may result from the chronic health conditions of elderly population, yet cognitive health among older developing populations is understudied, particularly in India. The present study was undertaken with the **Objective**: To assess the cognitive ability among elderly population of Jodhpur (Rajasthan) India. **Methods and materials**:ACross sectional community based study was conducted among the elderly of aged 61 years and above, residing in Jodhpur, India. 320elderly respondents were approached by home visits (from colonies), Geriatric Centers, Geriatric volunteer's groups,Old age home and temples. Equal number of elderly men (50%) and women (50%) were included in the study. Socio-demographic informationwere collected including Self-reported Memory and Learning new task through face to face interview method. For cognitive assessment Immediate and delayed verbal recall methods were used followed by category fluency test, administered by WHO in 'The study on Global Ageing and Adult Health'.**Result** indicated that,in the *Verbal recall test* with showing pictures the mean score was 27.21±6.45.In the*Categoryfluency test*, the mean words spoken were 17.91±5.27within a minute. The percentage was higher (64.69, 73.44) for self-rated very good memory and learning respectively.**Conclusions**: It can be concluded that the cognitive performance was significantly higher in the young elderly group than older elderly (>76 years).
Key words - Elderly, Cognitive ability,Memory, Learning.

Introduction - Population ageing is the most significant emerging demographic phenomenon in the world today. In the year 2002, the number of elderly people in the world was estimated to be 605 million, which is expectedto rise to more than 1.2 billion by the year 2025.[1]Both theshare and size of the elderly population is increasing overtime. The absolute number in India increased from 76 millionin 2001 to 100 million in 2011. According to the Census 2011,the elderly population aged older than 60 years account for7.5% of the total population and is projected to rise to 12.4%by the year 2026. In Rajasthan, India, 6.8% populationis aged older than 60 years. [2,3].

In developing countries like India, aging is also associated with poverty, reduction in family support, social isolation, inadequate housing, mental illnesses, widowhood, bereavement, impairment of cognitive functioning, and limited options for living arrangement and dependency toward the end of life.[4]

India is experiencing rapid demographic and epidemiologic transitions. The health concerns of these aging individuals are changing such that non-communicable chronic diseases in late life, such as dementia, are becoming increasingly prevalent. [5] Poor cognitive function is a risk factor for and may result from the chronic health conditions; yet cognitive health among older developing populations is understudied, particularly in India. [6]

With the expected ageing of populationsacross the globe over the next 25 years, countries will be faced with larger olderpopulations, many experiencing cognitive changes. The established associationbetween increasing age and dementia rates could therefore lead to increased mentalhealth disease burdens. Dementia, one possible outcome from cognitive change, willincreasingly occur in low and middle income countries as a result of population aging.[7] Mild cognitive impairment is often used to define those who might be at risk ofdeveloping dementia and may be a target for early interventions; consequently,measuring cognition to establish rates and trends would be useful.[8] The prevalence of dementia or cognitive impairment in local epidemiological studies using various screening instruments ranges from 2% to 14%[9][10], with age-related increases in prevalence of cognitive impairment from 0.8% in those aged between 60-64 years to 32.2% among those aged 85 years and older.[10] These prevalence rates are comparable with other populations in the world in evidence-based estimates generated by Delphi Consensus Study.[7]

Keeping the above background in mind, the present study was conducted among elderly population residing in Jodhpur(Raj.) India, with the following objective:

To assess the cognitive ability among elderly population

*Research Scholar (H.Sc.) Jai Narayan Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA
**Professor (H.Sc.) Jai Narayan Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

of Jodhpur (Rajasthan) India.

Methods and Material - Cross sectional study was conducted among 320elderly people ofaged61 years and above residing in Jodhpur(Raj.),India. Written informed consent was taken from each study respondent. For the Data collection, the area of Jodhpur was divided into 4 parts A, B, C and D. Equal number of subjects interviewed from each part by purposive sampling. Elderlyrespondents were approached by home visits (from colonies), Geriatric Centers, Geriatric volunteer's groups, Old age home and temples.

The data were collected with the help of two tools: 1.Self-structured questionnaire to assess socio-demography and 2.WHO performance test to assess cognitive ability. Interview technique was used with predesigned and pretested questionnaires. The inclusion criteria for respondents was, age above 60 years; who can see with or without spectacles with at least one eye and are conscious. Only willingly participating respondents were included in the study. The interview was carried out in Hindi and the local language. The detailed socio-demography information were taken along with Self-reported cognition through two questions, one about 'Concentration and Memory' and the another about 'Learning new task'. To test the questionnaire and for checking the feasibility, a pilot study was carried out. Care was also taken toensure privacy and confidentiality of the interview as part of the study.

Out of 6 domains of cognition in Neuropsychology, 2 domains were selected for cognition assessment i.e. Memory and Learning (using the word-list learning task); and, language or verbal fluency (using the category fluency test) administered by WHO in 'The study on Global Ageing and Adult Health'. Verbal recall, measured with a 10-word learning task with using pictures of the same word i.e. Arm, Bed, Ship, Dog, Clock, Car, Ear, Hammer, Chair and Cat (in Hindi).Four trials were taken,three immediate recall and one delayed by 10 to 15 minutes.Maximum 10 points can be scored for each trial. The final task, verbal fluency, was measured asthe sum of all admissible words regarding the category of animals (including all animals,birds, fishes etc.) named correctly in one minute.SPSS version 16.0 was used for all analyses.

Results and discussion - In the present study,320subjects, 160were women and the same numberof men were included. Overall mean age was 69.96±7.50years.The mean age of men was 71.08±7.49years and that of women was 68.85±7.36 years. Majority of the studysubjects (75.9%) were in the age group of 61–75 years. Among the educated subjects, 36.9% men were graduate, while only 9.4% women were graduate. In this study, 40% women had no formal education when compared with men (5.6%). In the present study, majority (93.8%) of the elderlies were Hindu by religion.

Cognitive function - The verbal recall word-list test involves short and long-term memory, plus learning a new task.[12,13] This verbal recall test, along with a verbal fluency test, rank among the best discriminating tests for cognitive impairment and the most sensitive for patients with Alzheimer's disease.[14,15,16,17,18] Verbal fluency tests both language and semantic memory. Cognitive Impairment impacts category fluency over letter fluency.[19] Among categories, animal fluency performs as a better marker for dementia than listing words beginning with a certain letter.[20] category fluency maintains as high as 100% sensitivity for dementia.[21]

Table-1 **(See in the last page)**

In the present study, the mean of the words recalled by men (5.24) and women (5.3) were same. But mean was higher for the younger elderly group5.51as compared to older elderly group4.49(Table-1). The difference was found highly significant ($p < 0.001$) between Younger elderly group and Older elderly group for the Word list recall test (out of 40 points).

The Longitudinal Aging Study in India (LASI,2011) found almost the same number of words recalled by men(5.26) as in the present study (5.24) but the women in present study recalled higher number of words (5.3) than the LASI study women(4.63). [5]

The mean of the delayed words recalled was 6.78for all elderly. The mean was higher for women (6.96) than in men (6.6). The mean was also higher for the younger elderly group (7.2) as compared to older elderly group (5.45)(Table-1).

In the controversy the Longitudinal Aging Study in India (LASI, 2011) [5], it was reported that, subjects scoredlower (men3.91 ±0.083; women 3.42 ±0.083) than the present study respondents (men6.6; women6.96)in the delayed verbal recall test. The delayed verbal recall ability found to be higher in this study, this may be due to the chart of pictures shown to the subjects while speaking the list of the words. That may be due to a combined audio and visual effect on their memory.

A study was conducted by WHO (SAGE,2012)[11] on global ageing, in 5 countries including India, reveals that the score (out of 40) of word recall test was 19.1 for men and 17. 5 for women in India; 21.2 for men and 20.2 for women in Ghana and 19.2 for men and 19.1 for women in Tanzania whereas the present study showed comparative higher scores (men 26.8, women 27.6). similarly in this study the score was higher for the young elderly group(28.5) as comparative to the older elderly group(23.0) as reported by the WHO study in India(17.6, 15.6 and 13.7); in Ghana (20.9, 19.1 and 15) and in Tanzania(19.1,19 and 16) for the age group 60-69 years, 70-79 years and 80+ years respectively. [11]

Another study conducted by Pauline E. J. Spaan et.al. reveals that normal controlled group scored 13.56±4.46 out of 30 as compared to cognitively impaired subjects (10.48±4.19) in 10-words list learning test used for short-term memory. The score of above study found lower than the present study (20.43±4.80).[14]

In the **Verbalfluency test**, the meanwords spoken

were17.91±5.27. The mean was almost same for men (18.35±5.54) and for women (17.46±4.96). The mean was also higher for the younger elderly group 18.74±5.07 as compared to older elderly group15.29±5.07. The difference was found highly significant between Younger elderly group and Older elderly group for the verbal fluency test ($p < 0.001$).

A study was conducted by WHO (SAGE,2012) on global ageing, in 5 countries including India,reveals that lower scores were associated with increasing age. In the above study the Indian elderlysubjects showed lowed score 11.3, 10.1and 9.5 words for Category fluency test in the 3 age groups 60-69, 70-79 and 80+years respectively as compared to the present study18.74±5.07 words for younger elderly group(61-75years) and 15.29±5.07 words for older elderly group(76+ years). The influence of sex was more pronounced in verbal fluency and less impacted by age. Men scored 12.6 and women 10.3 words in WHO study, similarly in this study men 18.35±5.54 scored slightly higher than women 17.46±4.96. [11]

A study done by Pauline E. J. Spaan et.al. shows 26.46±7.02score for normal controlled group in category fluency test, which is much higher than the present study subject (17.91±5.27).[14]

Self-reported Memory - The pattern of self-reported cognition, memory and learning, were significantly different by gender and age. Gender wise, Women and age wise older elderly reporting more difficulty with memory and learning.

Figure-1Age, Sex wise distribution according to **Self-reported memory**

("Overall in the last 30 days, how much difficulty did you have with concentrating or remembering things?") **(See in the last page)**

For the Question about "difficulty in concentrating and remembering" in last 30 days, majority (64.70%) of the subjects had no difficulty and only 0.60% had extreme difficulty. The percentage were higher for men (71.90%) than women (57.50%) for 'very good memory'. Whereas the older elderly group had higher 2.60 % 'extreme' difficulty in comparison to younger elderly group (0%). **(**Figure-1)

Self-reported Learning - Figure-2Age, Sex wise distribution according to **Self-reported Learning New Task** ("Overall in the last 30 days, how much difficulty did you have in learning a new task (for example, learning how to get to a new place, learning a new game, learning a new recipe)?"). **(See in the last page)**

Similarly, For the Question about "learning new task" in last 30 days, majority (73.40%) of the subjects had no difficulty while 3.40% had extreme difficulty. The percent was higher for men (78.10) than women (68.80%) for very good learning. There is significant effect of ageing seen on learning, the older elderly group had higher (9.10%) "extreme" difficulty than younger elderly group (1.60%). In both the groups women had higher difficulty in learning than men. **(**Figure-2)**.**

The results for self-reported memory and learning found similar to the study conducted by WHO (SAGE,2012). The pattern of self-reported cognition, memory and learning, were significantly different by sex and age ($p<0.05$), with women and older adults reporting more difficulty with memory and learning. [11]

Conclusion - In the present study, it can be concluded that there is significant difference of age was found for word list recall as well as the verbal fluency. The effect of age was more pronounced than sex for short term and long term memory and on language and semantic memory. For the self-reported concentration, memory and learning new task, percentage found much higher for Men as compared to women.

Acknowledgement - I would like to express my sincere gratitude to Dr. K.R. Haldiya,Medical Scientist, ACMERI, Jodhpur, for giving valuable suggestions to carry out this study.

References:-

1. S. Siva Raju(2011). Studies on Ageing in India: A Review, BKPAI Working Paper No.2, United Nations Population Fund (UNFPA), New Del.
2. Situation Analysis of the Elderly in India. Central Statistics Office Ministry of Statistics &Programme Implementation Government of India, June 2011.pg. 27-62.Available at: http://mospi.nic.in/mospinew/puload/elderlyinindia.pdf. (last accessed December 2014).
3. Census of India. Government of India. Chapter 2, Population Composition. Government of India, 2011. Available at: http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/srs/Chap_2_-_2010.pdf. (last accessed on December 2014).
4. Chandwani H, Jivarajani P, Jivarajani H. Health and social problems of geriatric population in an urban setting of Gujarat, India. Internet J Health 2009;9:2.
5. Lee, Jinkookand Shih, Regina A. and Feeney, Kevin andLanga, Kenneth, CognitiveHealthofOlder Indians: Individualand GeographicDeterminants of Female Disadvantage (October, 2011). RAND Working Paper No. WR-889. (LASI study)Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1970045 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1970045
6. Kalaria, R.N., Maestre, G.E., Arizaga, R., et al. (2008). Alzheimer's Disease and Vascular Dementia in Developing Countries: Prevalence, Management, and Risk Factors. Lancet Neurology, 7(9): 812-826.
7. Ferri CP, Prince M, Brayne C, Brodaty H, et al. Global prevalence of dementia: a Delphiconsensus study. Lancet.2005;366:2112–7.
8. Sosa AL, Albanese E, Stephan BCM, Dewey M, et al. Prevalence, distribution, and impact of mild cognitiveimpairment in Latin America, China and India: A 10/66 population-based study. PLoS Med. 2012:9(2):e1001170.
9. Lim HJ, Lim JP, Anthony P, Yeo DH, Sahadevan S. Prevalence of cognitive impairment amongst

Singapore's elderly Chinese: a community-based study using the ECAQ and the IQCODE. Int J Geriatr Psychiatry 2003; 18:142-8.
10. Chiam PC, Ng TP, Tan LL, Ong PS, Ang A, Kua EH. Prevalence of dementia in Singapore – Results of the National Mental Health Survey of the Elderly 2003.Ann Acad Med Singapore 2004; 33(5 Suppl): S14-5.
11. Carroll B. A., Kowal P., Naidoo N., Chatterji S.World Health Organization, measuring cognitive Status in older age in lower income countries: Results from a pilot of the study on global AGEing and Adult Health (SAGE). Working Paper No. 3. November 2012.
12. Spreen O, Strauss E. Memory. In: A Compendium of Neuropsychological Tests, 2nd ed.Oxford, England: Oxford University Press, 1998:260-422.
13. Pioggiosi PP, Berardi D, Ferrari B, Quartesan R, De Ronchi D. Occurrence of cognitive impairment after age 90: MCI and other broadly used concepts. Brain Res Bull. 2006;68(4):227- 32.
14. Spaan PE, Raaijmakers JG, Jonker C. Early assessment of dementia: the contribution of different memory components. Neuropsychology. 2005;19(5):629-40.
15. Palmer K, Backman L, Winblad B, Fratiglioni L. Detection of Alzheimer's disease and dementia in the preclinical phase: population based cohort study. BMJ 2003;326: 245.
16. Kalbe E, Kessler J, Calabrese P, et al. DemTect: a new, sensitive cognitive screening test to support the diagnosis of mild cognitive impairment and early dementia. Int J Geriatr Psychiatry. 2004;19(2):136-43.
17. Panza F, Capurso C, D'Introno A, Colacicco AM, et al. Heterogeneity of mild cognitive impairment and other predementia syndromes in progression to dementia. Neurobiol Aging. 2007;28:1631-2.
18. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Arch Neurol. 1999; 56(3): 303-8.
19. Cerhan JH, Ivnik RJ, Smith GE, Tangalos EC, Petersen RC, Boeve BF. Diagnostic utility of letter fluency, category fluency, and fluency difference scores in Alzheimer's disease. ClinNeuropsychol. 2002;16(1):35-42.
20. Canning SJ, Leach L, Stuss D, Ngo L, Black SF. Diagnostic utility of abbreviated fluency measures in Alzheimer disease and vascular dementia. Neurology. 2004;62(4):556-62.
21. Monsch AU, Bondi MW, Butters N, Salmon DP, Katzman R, Thal LJ. Comparisons of verbal fluency tasks in the detection of dementia of the Alzheimer type. Arch Neurol. 1992;49(12):1253-8.

Table-1 Mean Verbal recall and Verbal fluency by Gender and Age

Variables	Immediate recalled 1st trial(10)	(Sum of 1st 2nd & 3rd trial= 30)	Delayed recalled (10)	Total word recalled (Sum of all trial= 40)	Verbal Fluency
Gender					
Man	5.24±1.57	20.24±4.22	6.6±1.99	26.84±5.70	18.35±5.54
Woman	5.3±1.80	20.62±5.32	6.96±2.21	27.58±7.13	17.46±4.96
Age group					
61 -75	5.51±1.58	21.34±4.25	7.2±1.87	28.54±5.61*	18.74±5.07*
76 & above	4.49±1.80	17.56±5.29	5.45±2.30	23.01±7.14*	15.29±5.07*
Total	5.27±1.69	20.43±4.80	6.78±2.11	27.21±6.45	17.91±5.27

*The independent-samples T Test results for Word recall test and verbal fluency test across both age groups are significant (p<0.001).

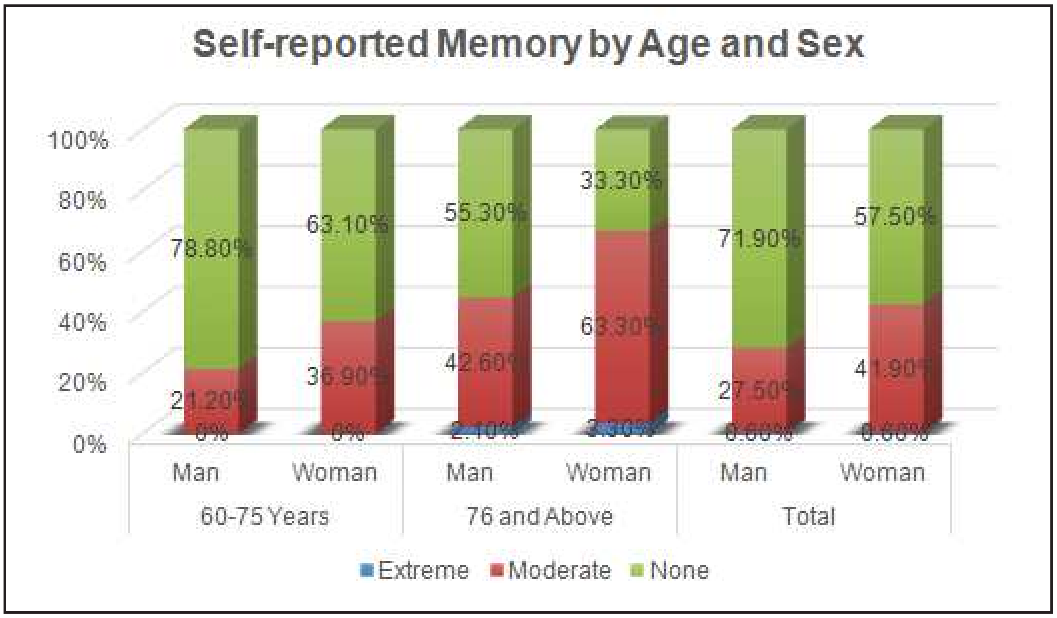
Self-reported Memory by Age and Sex
100%
80%
60%
40%
20%
0%
78.80%
21.20%
0%
63.10%
36.90%
0%
55.30%
42.60%
2.10%
33.30%
63.30%
71.90%
27.50%
57.50%
41.90%
Man
Woman
60-75 Years
76 and Above
Total
Extreme
Moderate
None

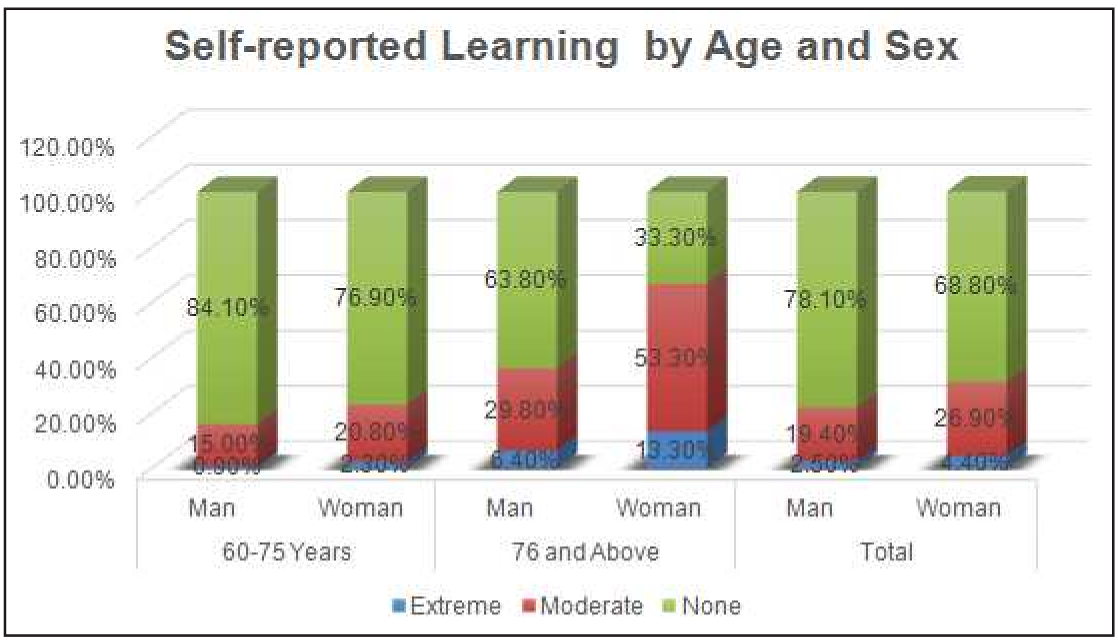
Self-reported Learning by Age and Sex
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
84.10%
15.00%
76.90%
20.80%
2.30%
63.80%
29.80%
6.40%
33.30%
53.30%
13.30%
78.10%
19.40%
2.50%
68.80%
26.90%
4.40%
Man
Woman
60-75 Years
76 and Above
Total
Extreme
Moderate
None

****

To Highlight The Government Support Systems Prevailing To Protect And Promote Women Entrepreneurs

Tripti Dadheech* Dr. Deepa Swami**

Abstract - The growth of the proportion of women entrepreneurs in developing countries has growth of the proportion of women entrepreneurs in developing countries has drawn the attention of both the academic and the development sector. Donors, international public institutions, national and local governments, NGOs, private companies, charities, knowledge institutes and business associations have initiated programs or policies to promote and develop women's entrepreneurship. They initiate programs for capacity-building of entrepreneurial skills, strengthening women's networks, provide finance and trainings, or design policies that enable more and stronger start-ups and business growth. They all claim that women entrepreneurship is essential for growth and development. Some even argue that women entrepreneurs' contribution tends to be higher than that resulting from entrepreneurial activity of men .However, despite this growing number of initiatives and resources made available to promote and develop women's entrepreneurship in developing countries, women still own and manage fewer businesses than men, they earn less money with their businesses that grow slower, are more likely to fail and women tend to be more necessity entrepreneurs.

Introduction - A survey was conducted to find out the government institutions in Kota city, which provide financial help to entrepreneurs and the special schemes for women entrepreneurs the result survey given below under following sub heads:

Government loans and schemes for women entrepreneurs

Annapurna Scheme -

- The scheme is meant for women entrepreneurs who want to set up food catering units.
- The maximum loan amount provided on this composite term loan is Rs. 50,000.
- The loan needs to be repaid in 36 monthly instalments.
- There is a one month 'EMI free' period after the loan is disbursed.
- This loan requires a guarantor and assets to be submitted as collateral.
- The interest rate applicable on this loan is as per market rates.
- The loan can be used to purchase kitchen essentials, gas connections, raw materials, etc. and has a repayment period of 3 years.

Stree shakthi package -

- This package is available for women entrepreneurs who have 50% ownership in a firm or business.
- Most State Bank branches offer this scheme.
- You are eligible for a 0.50% concession on the interest if the loan amount exceeds Rs. 2 lakhs.
- Only women entrepreneurs who have taken part in Entrepreneurship Development Programs organized by state level agencies are eligible to apply.
- Loans under this scheme can be availed by women entrepreneurs who have undergone EDP training.
- Loans up to Rs 50 lakh can be availed under this plan, with lower interest rates applicable for higher amounts.

Bhartiya mahila bank - Bhartiya Mahila Bank was started in 2013 and is spread all across the country. The main focus of the bank is to help women who are discriminated by the society, underprivileged, or economically helpless, yet have a dream of starting their own business. Some of the popular loans offered by Bhartiya Mahila Bank are:

- **BMB Annapurna -** It is a loan provided for starting business related to food. With zero collateral and a repayment term of up to three years, women can get a maximum of Rs.1 crore as loan. It falls under the category of CGTMSE Scheme (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) and is offered at an interest rate of 11.75% (Base rate + 1.5%)
- **BMB Shringaar -** This is also a subsidiary free loan that can be availed by women for setting up businesses such as beauty parlors, spas, or salons. The Shringaar loans also fall under the CGTMSE Scheme and can be availed at an interest rate of 12.25% (Base rate + 2%). Repayment period is seven years.

Dena Shakti scheme -

- This bank supports and encourages women entrepreneurs to start their new ventures. This bank offers loans for the retail sector, loan against property, MICRO

*Research Scholar (Home Science) Career Point University, Kota (Raj.) INDIA
**Supervisor (Home Science) J.D.B Girls Collage, Kota (Raj.) INDIA

loans, and SME loans.

- This scheme offered by Dena Bank and aims at providing financial assistance to women entrepreneurs.
- Women benefit from a 0.25% reduction on the interest rate.
- This loan is available for entrepreneurs engaged in agriculture, manufacturing, micro-credit, retail stores or small enterprises.
- Dena Bank offers an exclusive scheme to aid female entrepreneurs, providing them sufficient financial help to build an enterprise.
- Loans can be availed as per RBI directions, with the amount varying according to the sector in which a woman wishes to establish a venture. This loan can be used for agriculture, MSMEs, education, housing and retail trade.

Udyogini scheme -

- This scheme is promoted by Punjab and Sind Bank.
- This loan is available at lower interest rates and on flexible terms.
- This loan can be used for agricultural activities, retail, and small-business enterprises.

Cent Kaylani scheme -

- This scheme has been launched by Central Bank of India.
- It is available for women employed in village and cottage industries, micro, small and medium enterprises, self-employed women, agriculture and allied activities, retail trade and government sponsored programmers.
- The interest rate varies from one sector to another and is based on market rates.

Mahila Nidhi scheme -

- This scheme has been launched by Punjab National Bank.
- This scheme is mainly targeted towards the small-scale sector.
- You can get a loan up to Rs. 10 lakhs.
- This soft loan is repayable within 10 years.
- The interest rates are dependent on market rates and are revised from time-to-time.
- There are special loans catering to beauty parlours, day care centres, buying auto rickshaws, two wheelers and cars.
- The rate of interest varies for each of these loans.

Scheme for beauty parlor/ boutiques -

- This scheme aims to promote entrepreneurial spirit among women.
- Offers loans up to Rs 10 lakh to set up a saloon, boutique, tailoring center or beauty parlor.
- The loan amount can be used to meet any expenditure associated with setting up such a center and for daily expenses (oriental bank)

Scheme for self-employed women -

- This loan can be utilized to purchase fixed assets to enhance or start a business.
- The maximum loan amount is limited to Rs 5 lakh.
- Repayment period ranging between 5 and 7 years.

Akshaya mahila athik sahay yojna (AMASY) -

- Bank of Baroda offers one loan scheme for women entrepreneurs.
- The Akshaya Mahila Athik Sahay Yojna (AMASY), designed to help women reach their business dreams without having to worry about finances.
- This loan can be availed by women who are engaged in or wish to establish a business in retail trade, cottage industries and/or allied agricultural activities.

Tamilnad mercantile bank limited -

- TMB offers a loan designed for women entrepreneurs, the Mahalir Loan.
- This loan can be used to finance any business, with loans up to Rs 10 lakh available.
- The loan can be repaid within 7 years, with the interest rate depending on the quantum of loan.

Punjab national bank - PNB offers 5 different schemes for women entrepreneurs, each one targeting a specific population.

- **PNB Mahila Samridhi Yojana** – This scheme was launched to provide financial assistance to women who wish to set up boutiques, beauty parlours, cyber cafes, Xerox stores, telephone booths, etc.
- **PNB Mahila Udyam Nidhi Scheme** – This scheme aims to reduce the gap in equity, helping women set up new ventures in the small-scale sector or enhance their current undertakings.
- **PNB Scheme for financing crèches** – This scheme aims to provide financial assistance to women who are keen on setting up crèches. The loan can be used to purchase the necessary materials and to meet any recurring expenditure.
- **PNB Mahila Sashaktikaran Abhiyan –** This scheme provides credit to women who intend to establish small and micro enterprises in the non-farm sector, offering fee waiver and lower interest rate.
- **PNB Kalyani Card Scheme** – This scheme provides loans for women engaged in agricultural, farm or non-farm activities.

Mudra Bank Loan Yojana (PMMY) -

- Mudra loan of Pradhan Mantri Mudra Yojana is a Government of India undertaking designed to meet the financing needs of non-corporate small business units of the country. The idea is to provide financial support for small business which employ majority of the Indian working population.
- Under Mudra Loan Yojana, the government has come up with a 3-teir loan structure targeted towards different businesses depending on the size and stage of the business. The three tiers of this Yojana are:

a. SHISHU Loan offering financial support of up to INR 50,000.
b. KISHOR Loan offering financial support of amount ranging between INR 50,000 and INR 500,000.
c. TARUN Loan offering financial support of amount

ranging between INR 500,000 and INR 10, 00,000.

SHISHU loan is designed for startups while the KISHOR loan is designed for businesses who have already started up and require financial help for establishing themselves. The TARUN loan is designed for those business which are already established but require financial help for expansion of the business.

- All non-farming micro business that generate income and are in need of monetary aid below or up to INR 10 lakh can apply for this loan under the Pradhan Mantri Mudra Yojana that has been launched under Micro Units Development and Refinancing Agency scheme.
- The participating banks, i.e. banks that are willing to offer Mudra loan have strict eligibility criteria. Public Sector Banks, Public Sector Banks, State Co-operative Banks, Micro Finance Institutions, Non-Banking Financial Companies and Regional Rural Banks are allowed to participate and offer the Mudra loan. However, they all need to ensure.
- Mudra is also associated with a government scheme namely Pradhan Mantri Mudra Yojana, under which the applicants can apply for the loan for their small and micro enterprises.
- Mudra will provide financial supports to only those enterprises which are non-corporate small business segments. Under these segments there can be sole proprietors, partnership firms, manufacturers, machinery business and many more can be considered.
- **Mudra Yojana Scheme for Women,** The Mudra Yojana Scheme launched by the Government of India is trying its very best to improve the status of women by providing loans and encouraging them to start new ventures and thereby empowering them by providing a financial security of individual income.
- Beauty parlors, tailoring units, tuition centers and various other small ventures are being started by women with this scheme operating in full swing. Groups of women who get together to start joint ventures will also receive loans and funds under this scheme, provided they are eligible according to the predefined terms and conditions.
- **TREAD Subsidy Scheme for Women: -**TREAD stands for Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD), it is a scheme introduced under the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises. This scheme offers women 30% subsidy on the total cost of the project. The project cost is assessed by lending institutions who provide the remaining loan assistance. This scheme is mainly for women who are unable to get any help from banks as they are underprivileged, uneducated, or semi-literate. The subsidy is only approved if the loan request is directed through an NGO.
- **Mahila Udayam Nidhi** - Mahila Udayam Nidhi is a subsidy scheme introduced by the Puducherry Government. Women entrepreneurs who want to start a new SSI unit in Puducherry can apply for this scheme. A seed capital of almost 25% is provided for a project worth Rs.10 lakh. Out of the remaining amount, 65% is funded in the form of term loan and the rest of the 10% is considered to be promoter contribution. Repayment term of this loan is between six to eight years, which includes a 12 year moratorium period.

References :-

1. https://www.tomorrowmakers.com/articles/women/government-schemes-that-can-help-women-entrepreneurs-grow-their-small-businesses
2. https://www.news18.com/news/indiwo/work-and-career-9-schemes-for-women-entrepreneurs-in-india-1522125.html
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Bharatiya_Mahila_Bank
4. http://safecity.in/financial-schemes-available-for-indian-women/
5. http://www.dcmsme.gov.in/schemes/treadwomen.htm
6. http://pmjandhanyojana.co.in/pradhan-mantri-mudra-yojana-bank/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Type 1 Diabetes In India - Overall Insights

Prof. Raka Shrivastava* Divya Solanki**

Abstract - Type 1 diabetes is the classical form of diabetes and those subjects cannot survive without insulin treatment. Once diabetes is diagnosed, adequate treatment requires a significant amount of resources for patients i.e, access to glucometers, medications, regular access to health care and referral to specialists for management of complications. In this study, the researcher has used the self structured questionnaire in which personal information, food information, Insulin information, exercise information, behavioral information and Bio-chemical parameters were be taken from the patients. The results confirms that the combination of diet therapy and nutrition education is more beneficial.

Introduction - Diabetes Mellitus (DM) may be caused by insulin deficiency, insulin resistance, or by a combination of both. Insulin deficiency can be caused by pancreatectomy, pancreatitis, alcoholic, chronic pancreatitis, hemochromatosis, crystic fibrosis, mitochondrial DNA mutation, or by drugs/ toxins. Insulin deficiency, may lead to type 1 diabetes mellitus (T1DM) which may be autoimmune or idiopathic in nature and is present in 9% cases of insulin deficiency. Insulin resistance may also be caused by leprechaunism, autoimmune diseases, lipoatrophy, or endocrinopathies including glucagonoma, pheochromo cytoma, acromegaly, cushing's syndrome, and thyroid disease. In people with type 1 diabetes also be genetic predisposition. It results of forming faulty beta cells in the pancreas that normally produce insulin. A number of medical risks are associated with type 1 diabetes. Many of them stem from damage to the tiny blood vessels in eyes (called diabetes retinopathy), nerves (diabetic neuropathy), and kidneys (diabetic nephropathy). Even more serious is the increased risk of heart disease and stroke.

Diabetes is diagnosed by blood sugar (gluscose) testing and the level of severity in diabetes is both acute and chronic.

Acute compilcations - dangerously elevated blood sugar (hyperglycemia) or abnormally low blood sugar (hypoglycemia) due to diabetes medications.

Chronic complications - disease of the blood vessels (both small and large) that can damage the feet, eyes, kidneys , nerves and heart.

Diabetes treatment depends on the type and severity of the diabetes. Type 1 diabetes is treated with insulin, exercise and a diabetic diet.

Treatment for type 1 diabetes involves taking insulin, which needs to be injected through the skin into the fatty tissue below. Having type 1 diabetes does require significant lifestyle changes that include:

- Frequent testing of blood sugar levels
- Careful meal planning
- Daily exercise
- Taking insulin and other medication as needed

People with type 1 diabetes can lead long, active lives if they carefully monitor their glucose, make the needed lifestyle changes, and adhere to the treatment plan.

Role of Glucose - Glucose- a sugar- is a main source of energy for the cells that make up muscles and other tissues. (i) Glucose comes from two major sources: food and your liver (ii) Sugar is absorbed into the help of insulin. (iii) Your liver stores glucose as glycogen (iv)When your glucose levels are low, such as when you haven't eaten in a while, the liver breaks down the stored glycogen into glucose to keep your glucose.

Role of Insulin - Once a significant number of islet cells are destroyed, you'll produce little or no insulin. Insulin is a hormone that comes from a gland situated behind and below the stomach (pancreas). (i) The pancreas secretes insulin into the bloodstream. (ii) Insulin circulates, allowing sugar to enter your cells. (iii) Insulin lowers the amount of sugar in your bloodstream. (iv) As your blood sugar level drops, so does the secretion of insulin from your pancreas. The Indian Council of Medical Research (ICMR) funded Registry of people with diabetes in India with young age at onset youth dependency ratio was started in the year 2006 with 8 collaborating enters across India which subsequently increased to 10 centres. This registry is by the government in India and called the ICMR registry. This registry is not first focusing at T1DM; but giving an overview of diabetes in the young. The registry has collected data on age of onset of diabetes, presentation, treatment patterns, insulin regimens prescribed, complications (neuropathy,

*Retd. Asst. Professor (Home Science) Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA
**Research Scholar (Home Science) Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

retinopathy, nephropathy), infection and modes of mortality. From various epidemiological studies, it has been found that T1DM is encountered majority in the under-privileged children. The changing diabetes in children program has its reason of existence because of this affliction of people from low socio-economic strata, along with the higher socioeconomic strata, but the former is very important for this program. Future diabetes studies should evaluate the target for young children, the various diabetes regimens, risk of hypoglycemia and techniques to avoid it, developmental issues and education. Type 1 diabetes mellitus is the actual diabetes mellitus and is the virgin diabetes while other diabetes types are from mixed etiology. In a recent South East Asian meeting, it was concluded that insulin is a birth right for children, and citizen to make it available for all Type 1 daibetes patients.

Need of the Study - Diabetes is a devastating disease that affects more than millions of children worldwide. Government initiates programs to prevent people from Diabetes. There are several forms of diabetes. Type 1 diabetes, also known as Juvenile diabetes, which is increasing day by day in our country. Diabetes is clearly one of the most important medical problems of our time. Hence, we need to study it and aware the people about it.

Research Objectives - The research seeks to study the Type 1 diabetes patients. The specific objectives of the study were -

(i) To find the longevity of the disease and age group for the onset of type 1 diabetes.

(ii) To find out the level of severity in patients suffering from type 1 diabetes.

Methodology -

Criteria for selecting sample - Multiple factors may determine insulin resistance and the insulin resistance syndrome. Not only the contributions of heridity involves in the role of fasting insulin levels, there may be association of the other factors involved in the progression of type 1 diabetes. In keeping this view the study will be carried out with the objective of longevity of the disease and age group for the onset of type 1 diabetes with its correlation with BMI, cardiac and pancreatic disorders and with the aim of identifying the level of severity in patients suffering from type 1 diabetes.

The study will be carried out in the government hospital and private clinics of jodhpur city, Rajasthan. The subject belonging to different economic groups of both the sexes with different age groups will be taken into account. The person suffer from type 1 diabetes mellitus will be purposively selected for the study.

Sampling technique - A sample size of 100 subject will be taken through purposive sampling technique patients arriving at any stage will be studied and observed.

Proposed experimental design - A questionnaire will be developed for the collection of data for the study. The following information will be collected.

- General information
- Specific information

General Information - General information will include the information related to age, sex , occupation, economic status, level of physical activity**,** mobile number, address, email id and duration of the disease.

Specific Information - Te specific information pertaining to the study will be categorized into following categories:

1. **Body mass index -** The Anthropometric data will be checked on the basis of height and weight to find out the level of BMI.
2. **Biochemical parameters -** The Biochemical parameters taken into account will be VLDV (very low density lipoprotein), HDL (high density lipoprotein), LDL (low density lipoprotein) and enzyme test to analyze pancreatic and nephrotic disorder. Family history will also be taken into consideration.
3. **Level of severity and doses of insulin taken :** The subjects will be asked for complications, their daily routine diet, doses of insulin taken and their exercise pattern.

Statistical Analysis - Statistical tests will be performed on the observed values and the result will be discussed accordingly.

Phases Of The Study - The study will be completed in 4 phases -

1. The first phase of the study will be for the collection of the necessary review of literature from various books and journals (6 months)
2. During the second phase of the research the insulin dependent diabetic patient will be identified according to the age of the person and the longevity of carrying the disease (6 months)
3. In the third phase of the study a questionnaire will be given and clinical test will be done with the help of team of Doctors. (8 months)
4. Compilation and writing work will be started during forth phase. Interpretation will be drawn and statistical analysis will be performed on the basis of observed data. (6 months)

Conclusion - According to recent estimates the prevalence of diabetes mellitus is worldwide and that indicates 43 million persons are affected which will increase to 300 million by the year 2025. Of this, developing countries which share the diasease with the load of 77%, India is second in the list. The findings suggest that different factors including genetics, some viruses, ageing, obesity, unhealthy diet and a sedentary lifestyle, may contribute to type 1 diabetes. Although type1 diabetes usually appears during childhood or adolescence, it can develop in adults. Children, Adolescents and young adults with diabetes must be educated on the metabolic changes occurring during physical activity in order to acquire the ability to individually moderate their diet and insulin therapy before and after exercise. Physical activity has acute and chronic effects on glucose, lipid and protein metabolism. Type 1 diabetes requires lifelong treatment with exogenous insulin for

survival.

References :-

1. Ana Marice Laderia, Luis Adan, Ava Claudia, Angela Hittner, Arnevio C. Guimaraes (2007). Lipid profile correlation with Glycemic control in young patients with type 1 diabetes mellitus. Journal of the American society for preventive cardiology. Vol 9, issue 2, page 82-88.
2. Melisa A. Austin, Elizabeth J. Mayer, Beth Newman, Danya Zhang, Charlesp Quessenberry, Karen Edwards & Joseph V. Selby (1996). Genetic & Environmental influences on insulin level & the insulin resistance syndrome an analysis of women twins. American jounal of epidemiology. Vol. 143, issue 4, page 323- Dorothy j becker, Karen J Cruickshanks, Trevor J Drchard (1985). The ardiovascular risk profile of adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus. Diabetic journals, vol 8 No. 2 118-124.
3. Julie Edge, R. Neil Dalton, M.Lordana Marcovecchio, A. Toby Prevost, Carlo L. Acerinic, Timothy G. Barrett, Jason D. Cooper, Andrew Neil, Julian Shield, Barry Widener, John A. Todd & David B. Dungar (2009). Prevalence of Abnormal lipid profile & the relationship with the development of microalbuminuria in adolescents with type 1 diabetes. Diabetic care journal. Vol. 4 no. 658-663.
4. Mieke Aarson, Jan Lambert, Pik Pijpers, Frans J. Van Ittersum, Emile F.I. Comans, Erik J. Pieper, Abj. M. Danker, Coen D. Aa Stehouwer (1997). Sodium, Blood pressure & arterial distensibility in insulin dependent diabetes mellitus. American heart association Jounal. Page 1162-1168.
5. MonikaToeller, Sabita S. Soedamah, Mutthu, Nish Chaturvedi, Barry Ferriss, Paolo Reboldi, Georges Michel, Christos Manes, John H. Fuller (2004). Risk factors for the coronary heart disease in type 1 diabetic patients in Europe. Journal of diabetic care. Vol. 27, no. 2, page 520-537.
6. Ruth E. Lundstrom, Aldo A. Rossini (1999) Healing handbook for person with diabetes. . Vol 1, issue 2-3.

****

Socialisation - A Process For Development Of Humans

Sangeeta Rachiyata *

Introduction - Socialization refers to all learning regardless of age of an individual. In every group one has to learn the rules, expectations, and knowledge of that group, whether the group is a family, state or nation. Socialization is the process whereby people acquire social identity and learn the way of life within their society.

Humans are born into a social configuration of beliefs and values, at a certain time in history, in a specific geographic area. In addition to cultural and historical context, an individual has little control over attributes ascribed or assigned at birth : sex, age, family structure, socio-economic class and ethnicity.

There are areas where society allows individuals a free choice. There are some ideas about clothes which are influenced by fashion change and last beyond a lifetime. Certain dimensions of person's perception of self are culturally supplied. The self stands 'at the center' of a set of concentric circles, each representing a system of social control. Most of the time, people want to obey the rules or to 'dress the part' and socialization of the self contributes greatly to a person's preference to 'dress the part'.
Socialization is the process through which the individual becomes adjusted to the standards and values of the community and society. There are two kinds of Socialization : Primary and Secondary.

Primary socialization involves the process through which we initially form our conceptions of self i.e. during childhood and adolescence. Through primary socialization one knows oneself as one object or entity distinct from environment. On the other hand, secondary socialization process allows us to maintain or refine our self-concept. They allow us to experiment with new identities, to develop new appearances and to adapt to social changes.

A person cannot be separated from social interactions. just as identities are formulated in contexts, more global perceptions of self are intricately linked to social life. Mead (1934) indicates that one has a self when he/she can interact in a meaningful way with others. Symbolic interaction requires that the individual shares the meanings that other persons associate with social and physical objects. These meanings are learned as the individual develops a self-concept through play and game stage (Mead, 1934). Gregory Stone (1965) elaborates on Mead's conceptions and relates them to appearance and socialization; he adds another stage that precedes the play and game stage; the pre-play stage. As one completes these stages, one repeats some of them throughout the various phases of our lives, particularly as one faces new contexts requiring new forms of appearance management and identities.

However, primary socialization process linked to appearance begins with pre-play stage.

Pre-play Stage - The pre-play is associated with infancy and early childhood, and is characterized by investiture—meaning that one does not select his/her clothing. At this stage, an individual does not yet know how society expects him/her to dress. The most obvious identity at this stage is gender. Adults have control over infant's appearance and develop gender programs. From the moment of birth, adults respond differently towards boys and girls and have differential expectations. Then children at the age of 2 to 3 years are able to classify clothes and hair styles according to their sex (Thompson, 1975, Weinraub *et al.*, 1984).

Play Stage - The second stage of primary socialization of the self is the play stage. During this phase, the individual experiments with various identities and takes note of the reactions of others. Children discover who they are while learning what society is. In this process variety of appearances and manners are assumed and assigned by others. Stone (1965) indicates two types of appearance experimentations. Then, reflect two forms of socialization anticipatory and fantastic.

As children engage in play it involves assuming an identity they could realistically assume in later life, this play is characterized as anticipatory socialization. Pre-school girls tend to prefer feminine styles of clothing over more androgynous styles as they experiment with cultural meanings of being female (Kaiser, 1989). Fantastic socialization allows a child to engage in creative appearance management and assume an identity that is conductive to imaginative play. For example, children might dress and assume the role of a character or animal, while engaging in fantastic socialization. The tendency to fantasize may facilitate the normal evolution of self-concept, which begins to develop prior to adolescence. By trying out new identities, it is possible to expand the range of possible extension of self (Elliott, 1986).

*Asst. Professor (Home Science) Maharani Sudarshna Govt. Girls College, Bikaner (Raj.) INDIA

Game Stage - In the third stage in the socialization of self, individuals eventually learn that they can take on the attitude of the community as a whole, or generally understand the collective norms and values. The game stage is associated with late childhood or pre adolescence, when conformity with one's peers as a whole assumes great importance. Clothing becomes a very important symbol of belonging to a certain peer group. Gradually, adolescents become more abstract, flexible and general in their self-assessment.

Although, for most adolescents, clothes are more often a source of positive feeling towards the self than negative, for some these may be a source of embarrassment and social discomfort. The adolescents who dress for themselves tend to be more self-accepting, whereas those who dress to please others are less self-accepting. Less self-accepting adolescents feel that clothing is inadequate. Involvement in organized activities seems to be associated with reduced feeling of clothing deprivation (Drake and Ford, 1979). Such involvement is likely to require the ability to generate a sense of generalized others by taking the attitudes and perspectives of a variety of individuals into account. Thus, there may be a distinction between dressings for others because of lack of self-assurance.

Both males and females are likely to learn that there are multiple means of assessing the self through others. By middle to late adolescence, a person develops a subjective process level; sense of self. Such self-concept allows one to integrate personal traits and appearances that seemingly conflict with one another-in line with contextual consideration.

By young adulthood, values appear to be determined more by self-chosen principles, although set of generalized others still remain, important, especially in certain context. And once the self is set in motion, a person is increasingly capable of self-determination and is prepared to exert a mediating influence in social relations (Aboulafia, 1986).

In other words, self influences social arrangements just as these arrangements influence the self. Yet there is a continuing tendency to assess the self, drawing on diverse type of information. The young children make extensive use of appearance when forming impressions of others. As early as two years of age, children use clothing and hair style as cues to differentiate between males and females. Children develop mental male and female filing system, and appearance cues are most likely the earliest symbols to be included in such systems. Children at the stage of two are aware that adult men and women wear and use different artifacts, as indicated by their ability to differentiate between men's suits, shirts and hats, and women's dress, blouses, purses and makeup (Weinraub *et al.,* 1984). Young girls' clothes are further differentiated according to the kinds of behaviours with which they are associated.

Progressive socialization allows perceivers to become more adaptable or resilient in their interpretations of appearance. They recognize that specific trait information about a person is contingent on contextual information. Therefore, perceivers qualify trait descriptions with increased socialization (Leahy, 1976).

Hence, to conclude, socialization process is never totally complete; self and culture reciprocate their influence on one another.

References :-

1. Aboulafia, M. (1986) : *The Mediating Suf : Mead, Sartre, and Self Determination*, Yale University Press : New Haven.
2. Drake, M.F. & Ford I.M. (1979) : Adolescent Clothing and Adjustment. *Home Economics Research Journal*, 7, 283-291.
3. Leahy, R.L. (1976) : Development Trends in Qualified Inferences and Descriptions of Self and Others. *Developmental Psychology*.
4. Stone, G.P. (1965) : Appearance and the Self. In M.E. Roach and J.B. Eicher, eds. *Dress Adomment and the Social Eider*, John Wiley and Sons : New York.
5. Thompson, S.K. (1975) : *Gender Labels and Early Sex Role Development.* Chile Development.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक स्थिति एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन (म.प्र. के अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मनीषा सक्सेना * संगीता कनेश **

प्रस्तावना – भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे है, उसकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढाव आते रहे है, तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप बदलाव भी होते रहे है। वैदिक युग में स्त्रियों स्थिति की सुद्दढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान तथा शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक तथा सभा व समितियों में स्त्रियॉ स्वंतत्रता पूर्वक भाग लेती थी। महिला शिक्षा समाज का आधार है, समाज द्वारा पुरूषो को शिक्षित करने का लाभ केवल मात्र पुरूषों को होता है , जबकि महिला शिक्षा का लाभ परिवार , समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को होता हैं। महिला शिक्षा एवं संस्कृति को सभी क्षेत्रों में पर्याप्त समर्थन मिला हैं , यद्पि कुछ समय तक महिला शिक्षा को समर्थन कम मिला , किन्तु आज समय की मांग परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है। वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्दारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण स्त्रियों को अप्रेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मध्यप्रदेश की सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं , यहा अलीराजपुर में 89 प्रतिशत झाबुआ में 87 प्रतिशत एवं बड़वानी में 69 प्रतिशत हैं । मध्यप्रदेश समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है । मध्यप्रदेश में आदिवासी जनसंख्या में शिक्षा का स्तर काफी नीचे हैं । राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या का केवल 41.16 प्रतिशत ही शिक्षित हैं , जबकि देश में यह स्तर 47.1 प्रतिशत हैं । महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दशाओं पर निर्भर करती हैं। भारतीय समाज में महिला स्वाथ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक मापदण्ड विघमान हैं, विशेष कर महिला द्वारा सबको भोजन कराने के बाद भोजन करना, बालक-बालिका के खान -पान में अन्तर रखना ,परिवार में महिलाओं की उपेक्षित भूमिका के परम्परागत विघमान है प्रतिमान । भारत में ग्रामीण महिलाओं की हालत और भी ज्यादा खराब हैं, खुन की अल्पता और रक्त बहाव के कारण 40 प्रतिशत गर्भवति महिलाओं की मृत्यु हो जाती हैं। 2011 की जनगणनानुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है और मध्यप्रदेश में 60.02 प्रतिशत हैं। अलीराजपुर में महिलाओं की साक्षरता दर कुल 31.97 प्रतिशत हैं। ग्रामीण साक्षरता दर 24.4 प्रतिशत हैं और शहरी साक्षरता दर 74 प्रतिशत हैं , जो की चिन्ताजनक हैं। मध्यप्रदेश में लगभग 46 जनजातियॉ निवास करती हैं । अलीराजपुर कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 7,28,677 हैं। जिसमें लगभग 92.2 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या हैं। भील जनजाति मध्यप्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति हैं , जबकि भारत की तीसरी बड़ी जनजाति हैं। भारत में कुल 16.6 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती हैं। महिलाओं की शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो सुधार आंदोलन प्रारम्भ हुए , उससे समाज में नई जागरूकता उत्पन्न हुई हैं। शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ हैं। हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति हमेशा से ही एक गम्भीर विषय रहा है, मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना संचालित की गई, वर्ष 2016 तक 7.05 लाख गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा चुका हैं।

मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार -प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2015-16 में 221 रही है, जो भारत वर्ष की मातृत्व मृत्यु दर 167 से 23.33 प्रतिशत अधिक हैं। अत: स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक सुधार करने की आवश्यता हैं।

उद्देश्य –
1. सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन।
2. महिलाओं की शिक्षा का स्तर एवं वर्तमान स्थिति का अध्ययन।
3. जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धित जागरूकता।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक अनुसंधान विधि अपनाई गई है, चुकि शोध अध्ययन जनजातिय महिलाओं पर आधारित है । अत: मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले का चयन करते हुए तारा यामनी विधि कुल 200 जनजाति परिवारों को चयन किया गया हैं। अनुसुचित जनजाति की महिलाओं से साक्षात्कार, अनुसुचित सामुहिक परिचर्चा तथा अवलोकन के माध्यम से प्राथमिक आकडो का सकंलन कर शोध परिणाम की चर्चा से उद्देश्यो की पूर्ति की गई हैं।

परिणाम एवं परिचर्चा –

1. सामाजिक, आर्थिक स्थिति – अध्ययन से प्राप्त आकड़ों के आधार पर भील, भिलाला, बारेला , पटेलिया इन चारों प्रकार की जातियॉ अलीराजपुर जिले में निवासरत पाई गई हैं, जिसमें भील 20 प्रतिशत, भिलाला 47 प्रतिशत, बारेला 37 प्रतिशत तथा पटेलिया 15 प्रतिशत पाए गए हैं। अवलोकन के दौरान पाया गया की इनकी जीवन शैली वर्षो से जंगलो में रहने,एवं खेती-मजदूरी करना तथा खेतो में ही निवासरत रहना इनकी पहचान हैं, इन्ही कारणों से योजनाओं इन तक पहुँचाने का कार्य शासन द्वारा किया

* एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृह विज्ञान) अध्ययनशाला डॉ.बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) इन्दौर (म.प्र.) भारत

जा रहा है किन्तु जिसमें प्रमुख रूप से रोजगार के अवसर खेती में कृषि सम्बन्धित सुविधाएं मुख्य रूप से है, किन्तु भौगोलिक स्थिति तथा अपनी संस्कृति विरासत के चलते यह सामाजिक तौर पर अत्यंत निजी जीवन व्यतित करते रहे है, माना जाता है कि इनकी आवश्यकताएँ अधिक नहीं है।

तालिका क्र.1

परिवार की पारिवारिक स्थिति का विवरण

क्र.	परिवारिवारिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	एकांकी परिवार	135	67.5%
2.	संयुक्त परिवार	57	28.5%
3.	मिश्रित परिवार	8	4%
	कुल	200	100%

स्त्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

उपरोक्त तालिका के अनुसार 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 67.5 प्रतिशत एकल परिवार के है, 28.5 प्रतिशत संयुक्त परिवार में रहते है, इतने परिवर्तन के बावजूद पुरानी परम्परा आज भी मौजुद है। चयनित उत्तरदाताओं में 4 प्रतिशत मिश्रित परिवार के है।

तालिका क्र. 2

परिवार के सदस्य का मुख्य व्यवसाय का विवरण

क्र.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	170	85%
2.	खेती व मजदुरी	20	10%
3.	नौकरी	10	5%
	योग	200	100%

स्त्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

तालिका क्र. 2 से स्पष्ट होता है कि 85 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि करते है, 10 प्रतिशत परिवार खेती व मजदूरी करते है, अधिकांश परिवार अपने गाँव से दूर मजदूरी करने चले जाता है, 5 प्रतिशत नौकरी करते है, जो की बहुत ही कम है।

तालिका क्र.3

महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का विवरण

क्र.	शैक्षणिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	असाक्षरता	98	49%
2.	साक्षरता	28	14%
3.	प्राथमिक	33	16.5%
4.	माध्यमिक	17	8.5%
5.	हाईस्कूल	12	6%
6.	स्नातक	7	3.5%
7.	स्नातकोत्तर	5	2.5%
	योग	200	100%

स्त्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

तालिका क्र. 3 स्पष्ट होता है, कि 49 प्रतिशत महिलाएं असाक्षरता है, साक्षरता 14 प्रतिशत है, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत क्रमश: 16.5 प्रतिशत एवं 8.5 प्रतिशत है, हाई स्कूल तक शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 6 प्रतिशत है, स्नातक स्तर की महिलाओं का प्रतिशत 5 व स्नातकोत्तर स्तर की महिलाओं 3.5 प्रतिशत है। जिले में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जिले में महिलाओं में जागरूकता की कमी देखी गई है।

तालिका क्र. 4

महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण

क्र.	स्वास्थ्य स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	संस्थागत प्रसव	90	45%
2.	गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग	50	25%
3.	गर्भावस्था में टी टी इंजेक्शन	60	30%
	योग	200	100%

स्त्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

उपरोक्त तालिका क्र. 4 से स्पषट है कि 45 प्रतिशत महिलाएँ अपना प्रसव संस्थागत करवाती है योजनाओं का लाभ लेने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है 25 प्रतिशत महिलाएँ गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करती है। 30 प्रतिशत महिलाएँ गर्भावस्था में टी. टी. इंजेक्शन लगवाती हैं, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

निष्कर्ष – मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातिय महिलाओं की कई मूलभूत समस्याए क्षेत्र की भौगोलिक आर्थिक एवं सामाजिक परम्पराओं के कारण उत्पन्न होती हैं। जनजातीय समाज वर्षो से दुरूस्थ पहाडी आंचलो तथा सघन वन प्रान्तों में निवास कर रहा हैं तथा सभ्य समाज की पहुँच दूर होने के कारण जनजातीय लोग वर्तमान परिस्थितियों की समझा से वंचित हो रहे है।

शासन ने इनकी आर्थिक व शैक्षणिक दषा सुधारने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ चलाई हैं, किन्तु परिवार रोजगार की तलाश में गुजरात राज्य में पलायन कर जाते हैं। वैंसे तो वह अनेक जगहो पर पलायन कर जाते है। जिससे इन परिवारों के बच्चें बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सुविधाओ से वंचित हो जाते है। काम की वजह से मजदूर परिवार के छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण तक नहीं हो पाता है। गाँव में भयानक गरीबी है, इसी के चलते गरीब परिवार सन्तुलित आहार नहीं ले पाता है।

सरकार द्वारा शासकीय योजनाओं की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। मृत्यु दर कम करना और वंचित परिवेश से आने वाली महिलाओं के पोषण स्तर सुधार लाना, मॉ और बच्चे के विकास कार्यक्रमों में मजबूती लाना होगा। गाँवों में आज भी महिला का प्रसव वहाँ किसी प्रशिक्षित नर्स द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उम्रदराज महिला द्वारा किया जाता है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए जननी सुरक्षा योजनाओं का लाभ महिलाएँ ले रही है, किन्तु वहाँ की सुविधाओं में कमी देखी गई है।

सुझाव –

- सुरक्षित मातृत्व महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का वह स्तर है, जो प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद किए गए उपायों से सम्बंधित है, ताकि बच्चों का जन्म बगेर किसी जटिलता के हो और माता भी स्वस्थ रहे।
- महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- जननी सुरक्षा योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन भी लगभग ठीक ढंग से हो रहा है कहीं–कहीं खराब सड़के, संचार सम्बन्धी समस्याओं एवं वाहन की कमी के कारण समय पर नहीं पहुँच पा रही है
- समाजिक बदलाव से शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं को योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देना चाहिए, ताकि वह योजनाओं का लाभ ले सके।

- महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्धारा ऐसे आर्थिक उन्मुखी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
- आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार बीमार होने पर वह अपना इलाज भी नहीं करवा पाते एवं अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रख पाता है।
- गाँव-गाँव में शासन द्धारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभो को बताना चाहिए, एवं स्वास्थ्य शिविर लगवाने चाहिए जिससे गरीब परिवार और परिवार की महिलाए जागरूक हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश के प्रमुख आँकड़े 2011, आर्थिक एवं सांख्यकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
2. डॉ हरदेनिया, एन के, 'मध्यप्रदेश के आदिवासी जीवन में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास'।
3. स्वास्थ पत्रिका, लोक स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश 2011
4. सचदेव, डी आर , 'भारत में समाज कल्याण प्रशासन' , किताब महल, 2003 इलाहबाद
5. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15
6. शुक्ला, अखिलेश कुमार, 'महिलाओं पर शिक्षा एवं विधानों का प्रभाव', सीरियल्स पब्लिकेशन, 8430/24 प्रहलाद गली।
7. हसनैन, नदीम, 'जनजातीय भारत रवि मजुमदार', जवाहर पब्लिर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स,नई दिल्ली ,
8. जैन, नेनी चंद, 'भील भाषा साहित्य और संस्कृति'।
9. सिंह,करण बहादुर, 'महिला अधिकार व सशक्तिकरण', कुरुक्षेत्र, मार्च 2006
10. गुप्ता , कमलेश कुमार, 'महिला सशक्तिकरण', बुक एनक्लेव।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

The Study Of Export Potential Agriculture And Food Processing SME's In Madhya Pradesh

Dr. Anoop Kumar Vyas* Urvashi Verma**

Abstract - Madhya Pradesh as a favoured industrial destination because in India Madhya Pradesh (MP) is the leading state both in terms of area and population. The state has gained a significant position in the country based on investment and economic growth. This research paper analyses growth trend of export of agriculture and food processing SMEs in Madhya Pradesh. The secondary data is used for study and analyzed in general way which is obtained from the publication by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Ministry of Commerce has revealed.
Key Words - Export Promotion, small and medium enterprises (SMEs), Madhya Pradesh.

Introduction - Madhya Pradesh Small Scale Industries Organization was established in 1959-60. Madhya Pradesh Small Scale Industries Organization is an apex organization for micro, small & medium enterprises right from its establishment. The organization is working for development, protection & expansion of MSME sector in Madhya Pradesh. The organization is having representation in almost in all the advisory boards related to trade & industry in the state government as well as at central government. Small & Medium Enterprises (SMEs) is known as engine of economic growth and for promoting equitable development. To strengthen them Department of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) was formed on 5 April, 2016. The aim of MSME Department is to make such policies for MSMEs to make competent as well as develop them. MSME department help SMEs to promote socio-economic growth and employment opportunity in Madhya Pradesh.

The economy of Madhya Pradesh is based in agriculture, forest products, mineral resources and cottage industry sectors. The agriculture sector contributes around 46% to the state's economy. More than 80% people of the state depend for their livelihood on agriculture. In Madhya Pradesh various kinds of crops are grown like rice, pulses, wheat, oilseeds, grams, soybean and maize. In India, 20% to the total production of pulses contributes by Madhya Pradesh. This sector has given major boost to the economy in Madhya Pradesh. Agricultural sector has been, and will remain the focus of the government of Madhya Pradesh. Agriculture production has given an unprecedented boost to food processing sector in the central state. The government of Madhya Pradesh is proactively working to improve the infrastructure, to attract food processing unit in the state because food processing sector could bring prosperity by generating unemployment and providing livelihood to millions of youth.

Objective - To study about the trend of export trend regarding agriculture and food processing SMEs in Madhya Pradesh.

Research Methodology - The period was taken from 2007-08 to 2016-17 to know the trend of 10 years. Independent T-Test was applied to examine the difference pre 5years and post five years' trend and rate of growth in this sector. Pre five years period is started from 2007-08 to 2011-12 and post five years is from 2013-14 to 2016-17.

M.P Export Statistics - A trend of fluctuations in M.P.'s agricultural exports during the one decade from 2007-08 to 2016-17 is observed. To analyse the percentage of growth the year 2006-07 has taken as base year which has export 534.82 MT in terms of quantity and 4.46 crores in terms of value. Further a trend of decline in agricultural exports as percentage of total exports from M.P. during the corresponding period is indicated through the table and chart. The data obtained from the publication by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Ministry of Commerce has revealed these significant trends. The following table provides the details on M.P Export in Agriculture and Agro based Commodities.

Table: M.P's Exports of Agricultural Commodities (See in the last page)

Agricultural commodities exports from M.P have shown a trend of increase in absolute terms during the first decade in the post reform era. Exports of Agricultural commodities in quantity rose from 12,962.69 MT in 2007-08 to 32,632.03 MT in 2016-17 in a period of ten years. The data reveals that in 2012-13 it was increased from 41,260.86 MT to 75,007.18 MT in 2013-14 and again it was gone upto 85,931.57 MT in 2015-16. It was declined in 2016-17 in comparison for the three years to 32,632.03 MT in 2016-17. The rate of growth in quantity was satisfactory in the three years 2012-13 to 2015-16. It is observed from the

*Professor & H.O.D. (Commerce) S.A.B.V. Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA
** Research Scholar, S.A.B.V. Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

rate of growth in percentage, the data reveals that in 2007-08 it was highly satisfactory beyond the expectations but in 2008-09 it was not so much increased but again in 2011-11 the percentage was 161.92% and in 2012-13 it was 154.7%. But in later years it was declined and calculated in negative curve.

The rate of growth of agricultural commodities exports in quantity MT however has been quite sound compared to the growth of India exports during the corresponding period. The ten year period witnessed a trend of fluctuations except in the year 2012-13 to 2015-16.

In the same way the exports in Value (Rs. Crore) has been observed for the ten year started from 2007-08 to 2016-17. Agricultural exports in Rs. Crore during this period have indicated a trend of fluctuations. The next five years from 2007-08 to 2013-14 have witnessed a continuous and substantial increase in agricultural exports in M.P. The share of agricultural exports in value Rs. crore in total exports from India has increased proportionately despite a continuous decrease in agricultural exports in absolute terms during the corresponding period.

Graph - (See in the last page)

The above chart shows the curve which indicates the gradually fall in quantity and value as the curve line of quantity is fluctuated in a slow equation but the curve line of value indicates the rapidly decline to -61.2%. There has been a slowdown in the percentage of agricultural exports to M.P. exports during the ten years from 2007-08 to 2016-17.

To examine the growth rate (Value in million tonne)) in terms of M.P.'s Exports for Agriculture Commodities between pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17) the data has divided in two groups which are:

Table 5.7 (See in the last page)

The table talks about descriptive statistics which shows the values of mean & standard deviation. The agricultural M.P. exports have shown their agreement for quantity in million tonne towards pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17).

Table 5.8 (See in the last page)

To see the result of Independent Sample t test, first we have to look for the "Levene's Test for Equality of Variance" section. The p value for variance is .002 lower than .05, therefore for t test we have assumed unequal variance & we will look at the top row for t test result. The p values for t test is.002 which indicates that there is a significant difference in the rate of growth (Quantity in million tonne) between pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17).

To examine the rate of growth (Value in million tonne) in terms of M.P.'s Exports for Agriculture Commodities between pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17)) the data has divided in two groups which are:

Table 5.9 (See in the last page)

The table talks about descriptive statistics which shows the values of mean & standard deviation. The agricultural M.P. exports have shown their agreement for value in Rs. towards pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17).

Table - Independent Samples Test on M.P. Exports (Value) (See in the last page)

To see the result of Independent Sample t test, first we have to look for the "Levene's Test for Equality of Variance" section. The p value for variance is .012lower than .05, therefore for t test we have assumed equal variance & we will look at the top row for t test result. The p values for t test is.006 which indicates that there is a significant difference in the rate of growth (Value in Crore Rs.) between pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17).

Result - The rate of growth (Quantity in million tonne) in terms of M.P.'s Exports for Agriculture Commodities between pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17) found rejected at 5 per cent level of significance. The mean of pre & post five year period was difficult and significant at .009. Hence, it can be said that there is no significant difference in the rate of growth (Quantity in million tonne) in terms of M.P.'s Exports for Agriculture Commodities between pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17). the rate of growth (Value in Crores) in terms of M.P.'s Exports for Agriculture Commodities between pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17) found not rejected. It is concluded that the value of F is 10.536 at .019 significant level and the means of pre 5 year (2008-08 to 2011-12) was significantly different with the means of post 5 year (2012-13 to 2016-17). Therefore, the result disclosed that there is significant difference in the rate of growth (Value in Crores) in terms of M.P.'s Exports for Agriculture Commodities between pre five year period (2007-08 to 2011-12) and post five year period (2013-14 to 2016-17).

Regarding M.P Export of agricultural commodities, it has been observed from the statistics for the last ten years from 2007-08 to 2016-17, the highest satisfactory performance in terms of quantity was 161.92 per cent in 2010-11 and the value of exports was 298.82 per cent in 2012-13. The findings concluded that for the last three years the value of export was declined. Overall, it is concluded that the export performance is quite good compared to the other States.

Conclusion - The government of India has set up various export promotion s organization to assist Indian exporters in their marketing activities some of the important export promotion organizations include commodity boards, export promotion councils, chambers of commerce Indian institute of packaging Indian institute of foreign Trade etc to enhance export potentiality. Export marketing effort is of vital importance for the success of apart-promotion programme in any country. For undertaking international marketing operations" an exporter needs special guidance and

assistance in critical areas like packaging, market promotion and publicity, quality certification, risk coverage, market intelligence, finance and credit support etc. It is only with the support and services rendered by specialised institutions; exporter is able to successfully convert his 'production' into 'sales in international market. The task of export promotion, has to establish specialised institutions for strengthening export-marketing effort for the country as a whole. This along will have the way for creating an export environment and export- culture, on the foundation of which the export marketing effort at the corporate level can be effectively launched on an intensive and sustained basis.

The Government should concentrate on products and industries where medium-term competitiveness can be established and sustained, and where markets with significant growth potential can be identified. Given its inability to resort to competitive currency devaluations, exporters must emphasize production and export of products having high value and significant domestic value-added (i.e., products that are highly differentiated and that embody significant intellectual content).

There is a greater need to introduce sophisticated technologies in place of existing and outdated technologies to boost both quantum and quality of production, thereby, higher profits from the international market. The Government should encourage private sector agencies to take up contract farming in the state so as to diversify agricultural production, disseminating scientific technology, supply of quality inputs, proper technical guidance etc. for boosting the agricultural production and exports.

Export Promotion Organisations should be established in the state and they should be entrusted the responsibilities of collecting marketing information on international trade, production, prices, quality standards, seasonality, marketable surplus etc., for analysing and disseminating information among the producers and exporters. The export competitiveness of agricultural commodities should also be studied from time to time so as to encourage their exports which are having more comparative advantage in the international market.

References :-

1. MP Agro Industries Development Corporation – Brochure(Destination Madhya Pradesh: Global Investors Summit-II, 2010)
2. MP Agro Processing Policy 2006
3. MP State Agriculture Marketing Board; MP State Agro Industries Development Corporation Ltd.
4. Economic Survey of Madhya Pradesh 2009-10, Agri Statistics 2009 – Directorate of Economics & Statistics Madhya Pradesh
5. The Economic Survey of Madhya Pradesh for 2015-16, (www.data.worldbank.org)
6. SME Perceptions on Union Budget 2014-15 | A Firstbiz-Greyhound Knowledge Group Initiative
7. Measures for Promoting Exports in the Short and Medium Terms Saturday 27 March 2010, by Anshuman Gupta (www.mainstreamweekly.net/article1963.html)
8. www.dcmsme.gov.in/schemes/wenterpre.htm
9. www.mpmsme.gov.in/mpmsmecms%5CUploaded%20Document/Whats%20New/%5C01102016010426MP-MSME-%20Vision%20Doc-%20Final%20(English).pdf
10. www.msme.gov.in/Report_working_group_5yearplan-2012-17.
11. www.dcmsme.gov.in/ssiindia/MSME_OVERVIEW09.pdf
12. www.ibef.org/states/madhya-pradesh.aspx
13. www.103.28.141.76/indiafoodprocessing/Portals/0/pdf/state_profiles/Madhya%20Pradesh% 20State%20Profile.pdf
14. www.foodprocessingindia.co.in/status-of-madhya-pradesh-s-food-processing-industry-madhya-pradesh.html
15. www.mofpi.nic.in/ (Ministry of Food Processing Industries, Govt. of India)
16. www.mpkrishi.org/ (Department of Agriculture, Madhya Pradesh
17. Government Of Madhya Pradesh, Department Of Micro, Small & Medium Enterprises, (Directorate Of Industries, M.P.)
18. Madhya Pradesh Small Scale Industries Organisation, Bhopal

Table - M.P's Exports of Agricultural Commodities

YEAR	QTY (MT)	% OF GROWTH	VALUE (IN RS. CRORE)	% OF GROWTH
2007-08	12,962.69	2323.7%	141.67	3083%
2008-09	15,633.08	20.6%	167	17.8%
2009-10	7,158.88	-54.20%	79.71	-52.3%
2010-11	18,751.11	161.92%	153.11	92.08%
2011-12	16,194.99	-13.63%	90.04	-41.1%
2012-13	41,260.86	154.7%	359.1	298.8%
2013-14	75,007.18	81.7%	846.75	135.8%
2014-15	71,795.12	-4.3%	664.64	-21.50
2015-16	85,931.57	19.7%	596.97	-10.18%
2016-17	32,632.03	-62.02%	231.57	-61.20%

CAGR=10.8% (Value)
CAGR= 12.97% (Quantity)

Graph - M.P's Exports of Agricultural Commodities

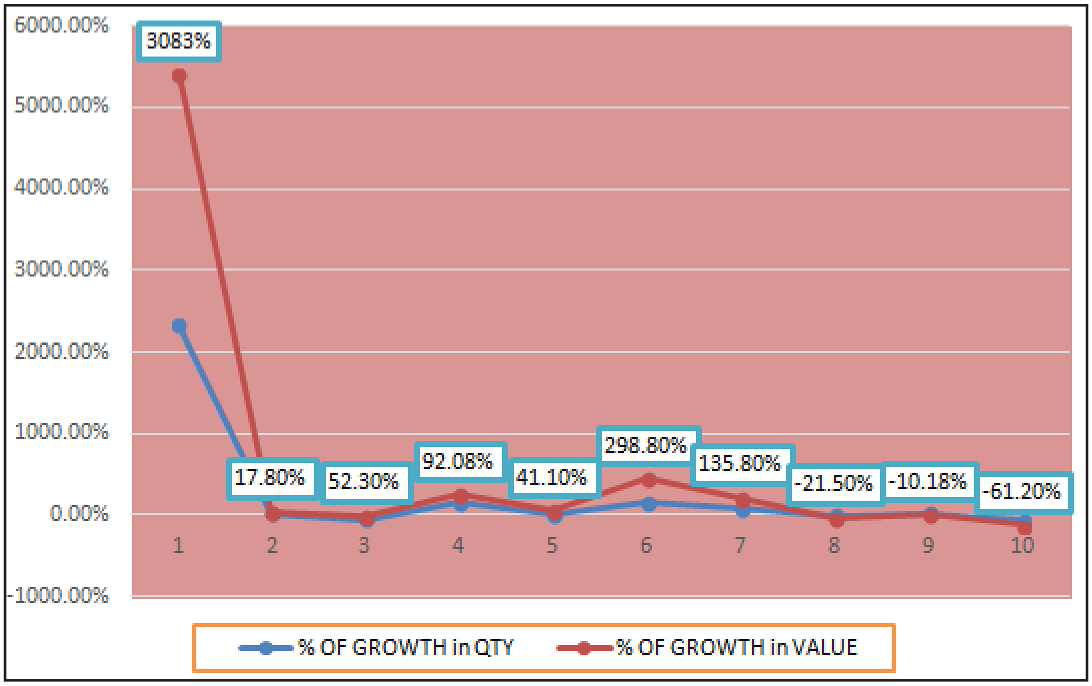

Table 5.7 - Group Statistics on M.P Exports (QTY)

	Year	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
QTY	Pre 5 Year	5	14140.1500	4411.25556	1972.77346
	PO 5 Year	5	61325.3520	23066.01933	10315.43744

Table 5.8 - Independent Samples Test on M.P. Exports (QTY)

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
QT	Equal variances assumed	21.023	.002	-4.493	8	.002	-47185. 20200	10502. 38471	-71403. 74457	-22966. 65943
	Equal variances not assumed			-4.493	4.292	.009	-47185. 20200	10502. 38471	-75578. 04761	-18792. 35639

Table 5.9 - Group Statistics on M.P. Exports (Value)

	Year	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Value	Pre 5 Year	5	126.3060	39.04138	17.45984
	PO 5 Year	5	539.8060	245.32120	109.71097

Table - Independent Samples Test on M.P. Exports (Value)

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Value	Equal variances assumed	10.536	.002	-3.722	8	.006	-413.500 00	111.09160	-669.67769	-157.32231
	Equal variances not assumed			-3.722	4.292	.019	-413.500 00	111.09160	716.16623	-110.83377

****

An Introduction OF GST

Dr. Vaishali Sharma* Dr. Rekha Lakhotia**

Abstract - Recently India biggest and awaited tax reform implemented that is the Goods and Services Tax (GST) on 1st of July 2017 under the leadership of Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi. Indian got freedom from complex multiple indirect tax structure due to dual Goods and Services Tax (GST). The main reason behind implementing GST is that Indian wants uniform tax laws across all the states spanning across diverse industries. It also provides effectiveness, capability and transparency of tax administration and management.

In this paper we study about GST. Our question is what GST is and why we need it. Actually Goods and Services Tax known as GST in India, is a new required, awaited and comprehensive tax to be levied on sales, manufacturing and consumption of services and goods across the nation. Referred to as one of the biggest tax reforms which will provide, to bring together state economies and improve overall economic growth of the nation.
Key Words - GST, CST and VAT.

Introduction - The GST implementation is expected to streamline the indirect tax regime. The concept of GST was visualized for the first time in 1999. On 8 August 2016, the Constitutional Amendment Bill for roll out of GST was passed by the Parliament, followed by ratification of the bill by more than 15 states and enactment of the bill in early September. Before GST, Indirect Tax in India was divided between Union and States in form of Excise, Service Tax, VAT, CST, Entry Tax etc.

Credit was not available for Taxes paid to different legislature Credit of Excise & Service Tax which was Levied by Central Govt. was not available again VAT liability which was levied by State Govt. Other hand every state has their own tax rates. This creates trade boundaries between states. That time businessmen were hesitated to order goods from other states both due to financial reasons and due to compliance burden.

GST intend to overcome this biggest drawback of Indirect Tax regime. One of the important objectives of GST is 'One Nation, One Market'. GST tries to give reform in our Country.

It covers all indirect taxes charged on goods and services, including central and state-level taxes. To create seamless national market we need an improvement on the VAT system and an uniform GST Through a tax credit mechanism, this tax is collected on value-added goods and services at each stage of sale or purchase in the supply chain. Not only it will replace Central Indirect taxes but will replace state levied indirect taxes too. Experts say that GST is likely to improve tax collections and boost India's economic development by breaking tax barriers between States and integrating India through a uniform tax rate.

Review Of Literature - GST implemented on 1st July 2017 in India. So many research papers are published in favor on it. India is 139th country who is charging it. We find so many studies in favour for it.

Nishitha Guptha (2014) in her study stated that implementation of GST in the Indian framework will lead to commercial benefits which were untouched by the VAT system and would essentially lead to economic development. Hence GST may user in the possibility of a collective gain for industry, trade, agriculture and common consumers as well as for the Central Government and the State Government.

Akansh khurana says in 2016 "It can be concluded from the above discussion that GST will provide relief to producers and consumers by providing wide and comprehensive coverage of input tax credit set-off, service tax set off and subsuming the several taxes. Efficient formulation of GST will lead to resource and revenue gain for both Centre and States majorly through widening of tax base and improvement in tax compliance. It can be further concluded that GST have a positive impact on various sectors and industry. Although implementation of GST requires concentrated efforts of all stake holders namely, Central and State Government, trade and industry. Thus, necessary steps should be taken."

Importance Of The Study - To know about the GST, GST is charge on the supply of goods and services right from the manufacturer to the consumer. The final consumer will

*Associate Professor, IPSA, Indore (M.P.) INDIA
**Associate Professor, IPSA, Indore (M.P.) INDIA

thus bear only the GST charged by the last dealer in the supply chain. This Research Paper tries to give information of GST, e.i.single tax system instead of multiple tax system.

Statement Of The Problem - People are not accepting the GST. They are against this single tax system. So through this research paper we are trying to support this.

Objectivies -

- To Know about New Tax system- 'Goods and Service Tax.'
- Comparison of GST and other old taxes.

Hypothesis -

- GST is benefiters for businessmen as well consumer also.

Research Methodology -

- Our research is based on secondary data only.
- Research is based on secondary data only.

Limitations - This research paper based on secondary data and after GST implementation its very soon to declare anything. So may be possible some thinking error is there.

Scope For Further Research - GST implemented on 1st July 2017, so further study like consumer effect on that, Effect on business trends etc. this type of all research area are open for .

Results & Discussion -

Gst Exemption - The Indian government has been exempted the near about 80 items in goods and services from GST. Means no GST would be applicable on it. These items are grains, non-mineral water, poha, Palmyra jaggery , Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed ,Salt- all types , Coloring books etc. Old and new concept of Indirect Taxes in India .In old era government charge central sales tax and value added tax on goods and service tax separately. We can see difference on them through following chart- **(see in the next page)**

We should understand that GST is not a tax concession scheme. Through GST all the goods and services would become cheaper.

Government was decided to fix a single Revenue Neutral Rate (RNR) on the goods and services so that the total tax revenue of the State and the Central Government remain unchanged. However, four GST slabs have been declared due to practical considerations and keeping in view the social conditions of India at 5%, 12%, 18% and 28% for different commodities and services. There is also a special rate for precious metals. The rate of 18% would however be applicable for most goods and services.

Findings - GST is combination of excise, service tax and VAT in the present time. So Government is trying to see that the new GST rates remain more or less similar to the old taxes. Result of this, the prices of most commodities would remain the same. However, the immediate impact of GST would be as following three stages -

1. Service sector- Become more expensive immediately since the present Service Tax rate is only 15% which is now raised to 18% in GST.
2. Commodities- Some goods would become cheaper due to lower rates levied on such items.(Like Salt, Kajal etc.)
3. Most goods would become more expensive since the GST rate of 18% or 24% is much more than the present VAT rates which are around 12-15 %.

Benefits Of Gst - Every coin has two faces, so if we see positive side of GST we find so many benefits on it.

Benefits of GST to the consumer and businesses are long term these are as under -

1. **Alliance/Incorporation of taxes -** Previously we paid a large number of taxes at central and state level. They shall all be merged and become one GST as shown in figures. **(See in the last page)**
2. **One nation One Tax -** Previously, we had multiple Tax system in our country. If you are trading your goods at all India level, you must know and follow all the different laws of India. It created barriers in Interstate sales that many people avoid trading goods in different states. GST is implemented, India would become one market and you can trade anywhere in India with single tax system.
3. **Increased Input Credit -** In past input credit is not available for inter-state sales of commodities. This would now be available under GST regime. Due to this next tax liability to businesses would be decreased.
4. **Increase Export Market -** An exporter didn't get the refund on mostly the central taxes. Now they shall be able to get the refunds of State taxes. This will boost export.
5. **GST Network -** Since all registration and return filing shall be done online, the scope of evasion shall be reduced considerably. This will boost the tax revenue and helpful in stop the black marketing. Thus the rapid economy growth of the country is possible.

Recommendations/Suggestions - India took a step for unified common national market, as form of GST. The simple aim for implementation of GST to increase business initiative to reduce tax formalities. Though being new tax system there are criteria changes required to full fill the aim.

Easy Process, tax rate should be reduced or can charge equal criteria , some relaxation , return rules, concept of input credit, capital goods rates , single cash concept and reverse charges and many more concept should be easy to very businessmen either they belongs to service sector or manufacturing sector.

Effect - Definitely in past there was a tax for every stage, like on raw materials, production, wholesalers or retailers everywhere there is some sort of tax. So for a product that has paid excise duty at the time of procuring raw materials is also liable to pay VAT at the time of retail that means tax is paid twice. And none of it can be claimed back from the government. Whereas in GST the taxes paid at earlier stages can be claimed by the taxpayers. So it motivate to the businessmen to use their credit input and do business easily. It helps to decrease the price of the product. Other

side some required things price goes high. Like clothes ,where we paid only 5-7% tax there we have to pay 15 – 18%.

Conclusion - It can be concluded that in all implementing GST is a move in favor of the consumer and businessmen yet many of them are worried too as their purchasing power reduces too especially among the middle class population. Every coin has two faces .GST, similarly has each of them. Yet when compared and analyzed in a proper manner, GST implementation increases the efficiency of the tax collection system in India and also aims at improving the GDP of the country. So to conclude, GST will definitely bring tax reforms, improve the efficiency of the system and bring more tax revenue to the government. This shall all add up to a better future for our country. Government is doing amendments in this tax system for improving it. So businessmen can easily adopt it and create new tax environment.

References :-

1. The times of India
2. Dainik Bhaskar
3. A Research Paper on an Impact of Goods and Service Tax (GST) on Indian Economy ; Published Date: November 20, 2016 Business and Economics Journal
4. First Discussion Paper On Goods and Services Tax In India, The Empowered Committee Of State Finance Manistee
5. Salient features of Discussion Paper on GST: Grant Thornton-IIFL
6. Goods and Service Tax (GST),Laxmi Book publication –Author,Venkatesh S. Katke,2016

CST & GST	Central Sales Tax is charged on sale of goods immediately up on preparation of Sale Invoice or immediately. when goods are moved for sale	GST is charged on goods and services at the end stage of distribution of goods.
VAT & GST	Central Sales Tax (CST), Central Excise Duty, Additional Customs Duty (CVD), Service Tax, Octroi of Local Self Governing Bodies (eg; Municipal Corporation), Luxury Tax, Entertainment Tax, etc were not included under the umbrella of the VAT system.	GST have a broader umbrella to cover all the above mentioned taxes. It can be called as second generation VAT system in India because both are based on input tax credit system. The second generation VAT system merged Luxury Tax, Entertainment Tax, etc with existing VAT (first generation VAT) and rename it as State Goods and Service Tax (SGST). Moreover that Central Sales Tax (CST), Central Excise Duty, Additional Customs Duty (CVD), Service Tax, etc are incorporated into the VAT system with a single name as Central Goods and Service Tax (CGST). The CGST remain same irrespective of intra-state or inter-state trade would be credited to the Central Govt Revenue.
Service tax & GST	Special tax for services . which is imposed on various business.	The input tax credits for a trader/manufacturer under the first generation VAT system includes only the VAT paid for raw materials. But the major advantage of the GST system is that a trader/manufacturer can claim the input tax credits (already paid for goods and services) like transportation, room rent, manufacturing etc, which was not possible in the first generation VAT system. This advantage arises due to bringing Service Taxes, Central Excise Duty, etc. under the VAT umbrella in GST system.

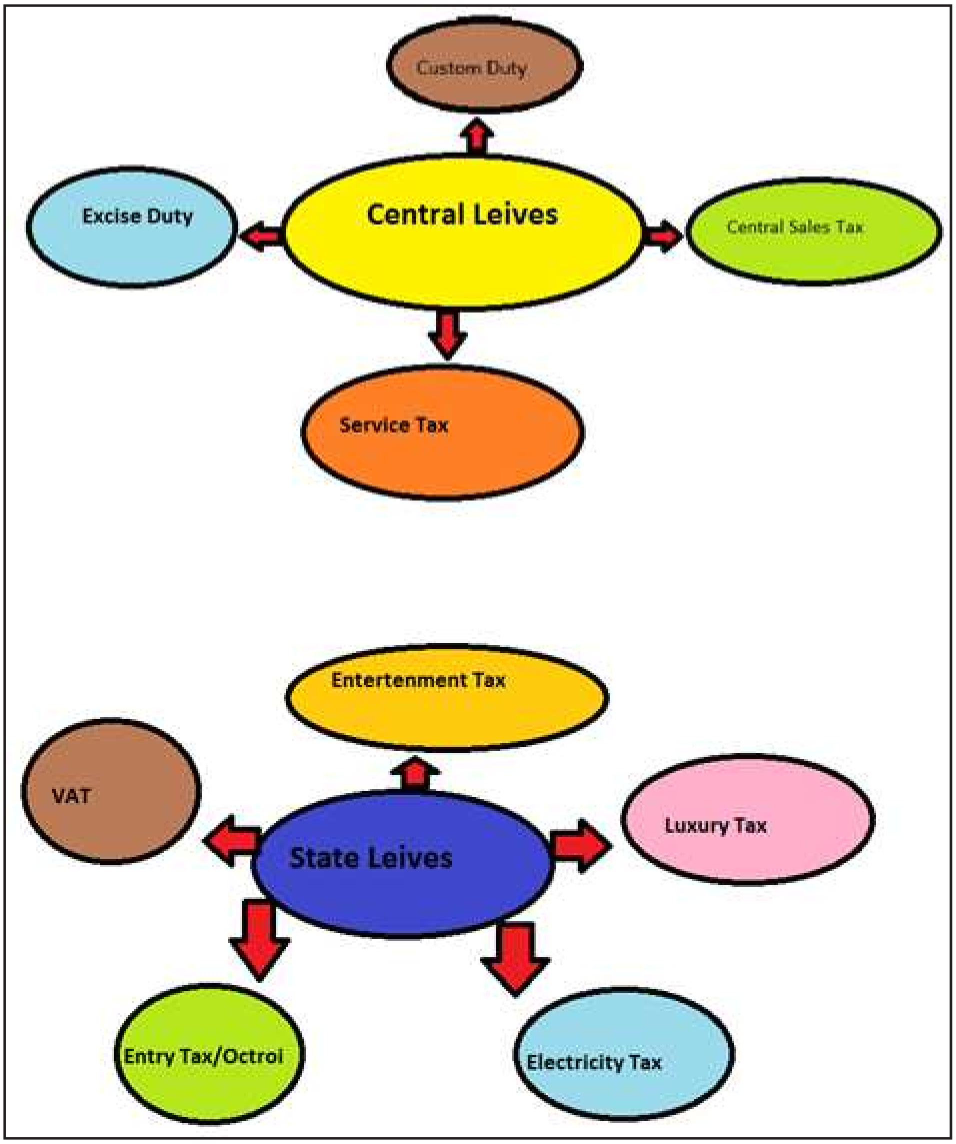
Custom Duty
Excise Duty
Central Leives
Central Sales Tax
Service Tax
Entertenment Tax
VAT
State Leives
Luxury Tax
Entry Tax/Octroi
Electricity Tax

****

Registration Under GST-Requirment And Process

Dr. Nirmala Kushwah*

Abstract - A majority of the present Indirect Tax (IDT) levies in India are expected to be subsumed by the Goods and Services Tax (GST). To register/enroll existing assesses into the GST regime, the government has started migrating the existing IDT registration numbers into the GST portal in a staggered manner. The process of GST migration for state VAT assesses began from November 2016 and was extended to cover Excise and Service Tax assesses from January 2017 onwards. The CBEC has recently issued a ticker on its website requesting assesses to whom provisional ID for migration to GST has been issued to complete the GST migration process by 31 March 2017. In view of this, this research paper summarizes some the relevant aspects and actions required to be known and undertaken by a assesses, under the GST migration process.

Introduction - Under GST every person whose aggregate turnover in respect of supplies of all goods and services made by him in a financial year exceeds the threshold limit of Rs.20 Lacs (Rs.10 Lacs in case of business activities in North East States and Hilly Areas), will be liable for the registration in each of the states and union territories (UT) in which he has some business activities.

There are some specific conditions where a person has to obtain registration even if his turnover does not exceed the limit of Rs. 20 Lacs which are as follows:

1. Any person making interstate supply.
2. Casual Taxable person making taxable supply, means a person who occasionally makes a supply in other state where he has no permanent place of business, e.g., exhibitions, trade fares.
3. Non-Resident taxable person making taxable supply, means a non resident person who does not have a permanent place of business in India.
4. Any person who is required to pay GST under reverse charges under any provision of the Act, means specific conditions where receiver is liable to pay GST instead of supplier.
5. An Input Service Distributor (ISD), means an office of a supplier of services who receives invoices from other suppliers and distributes the tax credit to its units or offices having same PAN.
6. E-Commerce Operator in respect of those services which are supplied by the actual service provider through that E-Commerce operator. E.g., OLA Cab, Uber Cab etc.
7. Every E-Commerce Operator who acts as a mediator between the buyer and the seller, e.g., Flipkart or Amazon.
8. Any person who is supplying goods and/or services on behalf of any other taxable person (whether registered) or not whether as an agent or otherwise.
9. Any person who is required to deduct Tax Deductin at Source (TDS) u/s 51. Generally, these persons are Government agencies/departments/local authorities which deduct TDS while making payment to supplier of goods and/or services if the value of that supply is more tha Rs. 2.5 Lacs.
10. Every person supplying online information e.g., Netflix, e-books sites, and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.
11. Every other notified person in this behalf by the government.

A person can also take voluntary registration under GST even if his turnover does not exceed the limit of Rs.20 Lacs and also he is otherwise not required to obtain registration.

Registration Process - GST registration process will be online through a portal maintained by Central Government of India (GSTN).

1. The applicant will need to submit his PAN (Permanent Account Number), mobile number and e-mail address in Part A of Form GST REG-01 on the GSTN portal or through Facilitation center.
2. The PAN will be verified on the GST Portal. Mobile number and E-mail address are verified with a one-time password (OTP). Once the verification is complete, applicant will receive an application reference number on the registered mobile number and via E-mail. An acknowledgement should be issued to the applicant in FROM GST REG-02 electronically.
3. Applicant needs to fill Part-B of Form GST REG-01 and specify the application reference number. Then

*Guest Faculty (Commerce) Govt. Nehru P.G. College, Agar Malwa (M.P.) INDIA

the form can be submitted after attaching required documents.

4. If additional information is required, Form GST-03 will be issued seeking uchinformation. Applicant needs to respond in Form GST REG-04 with required information within 7 working days from the date of receipt of Form GST REG-03.
5. If applicant has provided all required information via Form GST REG-01 or Form GST REG-04, the registration certificate in Form GST REG-06 for the principal place of business as well as for every additional place of business will be issued to the applicant. If the details submitted are not satisfactory, the registration application is rejected using Form GST REG-05. The applicant who is required to deduct TDS or collect TCS shall submit an application in Form GST REG-07 for registration.

Documents required for GST Registration -

- PAN card of the Company.
- Proof of constitution like Partnership Deed, Memorandum of Association (MOA) Articles of Association (AOA). Certificate of Incorporation.
- Details and proof of place of business like rent agreement or electricity bill.
- Cancelled cheque of applicant's bank account showing name of account holder, MICR code, IFSC code and bank branch details.
- Authorized signatory like List of partners with their identity and address proof in case of a partnership firm or List of directors with their identity and address proof in case of a company.

Gst Rates On Some Important Products -

Goods under Nil Rate - Meat, Eggs, Milk, Food grains, Fish, Natural Honey, Fresh and Unprocessed Vegetables, Educational Books etc.

Goods under 5% Rate - Shoes having MRP less tan Rs. 500, Apparels (Stitched Clothes) Costing Rs 1000 or less, condensed Milk preserved Vegetables.

Goods under 12% Rate - Apparels (Stitched Clothes) Costing Rs.1000, or more, Mobiles, Fruits juices and Vegetable juices but not unfermented, Marble and Granite Blocks, Fountain Pen, Coloring and Drawing Books.

Goods under 18% Rate - Computers and Laptops, Printers, Shoes having MRP exceeding Rs. 500, Carbon Paper. Note Books, Spectacles Glasses, Work Contract Services, Commercial Coaching Services.

Goods under 28% Rate - Chewing gum and Bubble gum, Chocolates, Pan Masala, Soft Drinks, Marble and Granite other than blocks, Paints and Varnish, Perfumes, Luxury Cars etc.

Conclusion - The government has commenced a drive for migration of existing indirect tax registrations (VAT, service tax, central excise) to the GST regime. The GST common portal has been made available to enable existing assesses to register to meet the GST compliance requirements from the date of GST implementation.

References :-

1. //economictimes.indiatimes.com
2. // iosrjournals.org
3. // gstindia.com
4. Goods And Service Tax SBPD Publications
5. //blog.10anbaba.com
6. Business Environment - Gupta and Swami
7. smallbusiness.chron.com › Running a Business › Operating a Business
8. uni-obuda.hu/journal/Maric_Radnovic_Vemic-Durkovic_Przulj_55
9. ageconsearch.umn.edu/record/200273/files/7.pdf
10. //businessalligators.com/gst-impact-rates-type-conclusion/

****

भारत की शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की संरचना का अध्ययन

मृदुलता सिकरवार *

शोध सारांश – भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूप रेखा में शिक्षा और उसकी भूमिका को ही सबसे आगे पाया गया है।समय बदल रहा है, शिक्षा भी बदल रही है साथ ही शिक्षण संस्थानों के ढांचे भी बदल रहे है। पहले शिक्षा एक सामाजिक मौलिक शिक्षा हुआ करती थी किन्तु अब तकनीकी शिक्षा का दौर आ गया है तो शिक्षण संस्थानों की संरचना भी तकनीकी होगी। प्राचीन काल में शिक्षण संस्थान व्यवस्था का निर्माण किया था। वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से सम्पन्न तथा श्रेष्ठ थी लेकिन धीरे- धीरे शिक्षण संस्थानों में ह्रास हुआ। इस प्रकार देश में शिक्षण संस्थानों का विकास उस प्रकार नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए।प्राचीन भारत में शिक्षा को कम नापा गया था फिर धीरे –धीरे विकास हुआ। भारत के राजा महाराजाओं ने शिक्षण संस्थानों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई तथा बहुत शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवाया भारत में राजाओं के समय गुरूकुल हुआ करते थे फिर विदेशियों का आक्रमण हुआ और उन्होंने अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों की संरचना की इस काल में शिक्षण संस्थानों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा परन्तु समय बीतता चला गया और चुनौतियां आज भी हमारे सामने आई हुई है।1850 तक भारत में गुरूकुल प्रथा चलती आ रही थी किन्तु अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अन्त होने लगा और भारत के गुरूकुल तोड़े गए और उनकी जगह अग्रेंजो के स्कूल खोले जाने लगे।जैसे –जैसे भारत पर जिन जिन शासकों का शासन हुआ, जिसने भी शासन किया उसने अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था की संरचना की यह शिक्षा व्यवस्था समय के हिसाब से बदलती आ रही है। मुस्लिम शासको ने मदरसा शिक्षा का निर्माण किया।अंग्रेजों ने अपने स्कूल खोले फिर धीरे–धीरे शिक्षण संस्थानों की नीव पड़ी।

प्रस्तावना– स्वतंत्रता से पहले शिक्षण संस्थानों की संरचना – स्वतंत्रता से पहले शिक्षण संस्थान धर्म तथा जाति के हिसाब से बनाई जाती थी यदि हिन्दू है तो गुरूकुल, मुस्लिम है तो मदरसा, जैनों के लिए मठ की व्यवस्था थी सभी को उनके धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी फिर धीरे–धीरे परिवर्तन आया। मुस्लिम शासकों ने मदरसा का निर्माण करवाया जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग पढाई के लिए जाया करते थे फिर अंग्रेजी शासन हो गया तथा शिक्षा भी उन्हीं के आधार पर चलने लगी सन्1854 में बुड, के शिक्षा संदेश पत्र को समिति के निर्णय कंपनी के पास भेज दिया उनके पत्र में संस्कृत,अरबी, और फारसी का ज्ञान,और औद्योगिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव रखा गया परन्तू 1857 में स्वतंत्रता युद्ध छिड़, जाने के कारण यह प्रस्ताव आगे नही बढ़ पाया।सन्1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित सुझाव दिए।सरकारी प्रयत्नों को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिस की। उनके नियम के अनुसार सरकारी माध्यमिक विद्यालय एक जिले में एक से अधिक नहीं होने चाहिए और शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी रहेगा।सन्1901 में लार्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया। इसमें 152 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे किन्तु किसी भी भारतीय को इसमें नहीं बुलाया गया था इसी कारण कर्जन के इस प्रस्ताव का किसी भारतिय ने सहयोग नही किया फिर कर्जन ने प्राथमिक शिक्षण संस्थानों को मात्र भाषा में ही रहने दिया तथा शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया।सन 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा करने का प्रयास किया किन्तु अंग्रेजी सरकार और उनके विरोधियों ने उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। इसके पश्चात सन् 1913 में सरकार ने शिक्षा में बहुत परिवर्तन करना चाहा लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध हो गया और यह संरचना वहीं पर रह गई। सन् 1937 में एक शिक्षा की संरचना बनाई गई जिसमे 7 से 11 वर्ष के बालक और बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य हो और यह शिक्षा मातृभाषा में हो इसमें शिक्षण संस्थानों कि संरचना हिन्दुस्तानी पढ़ाई पर आधारित हो परन्तु यह योजना सफल नहीं हो पाई और सन् 1945में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते ही एक योजना का निर्माण हुआ। वह योजना सार्जेंट के नाम से जानी गई।इस योजना में 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा हो। जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्य हाई स्कूल और व्यवसाहिक हाई स्कूल की पढाई 11 वर्ष की अवस्था से 17 वर्ष की अवस्था तक हो इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो और डिग्री का कार्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए और इन्टरमिडिट कक्षा समाप्त कर देना चाहिए और जो बच्चे पॉच वर्ष से कम के हो उनके लिए नर्सरी कक्षा अथवा नर्सरी स्कूल हो तथा उनकी पढाई उनकी मात्रभाषा में की जाए। तकनीकी, वाणिज्यिक एवं कला विषयक शिक्षा की व्यवस्था हो 20 वर्ष तक वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगो को शिक्षा दिए जाने पर भी जोर दिया।इस योजना के तहत 40 वर्षो में शिक्षा के पुनरनिर्माण का कार्य पूरा करना था तथा शिक्षा के स्तर को इंग्लैण्ड के समान बनाना था परन्तु सही कार्य योजना प्रस्तुत नही हो पाई थी साथ ही भारत के लिए इंग्लैड की शिक्षा को इजनी जल्दी प्राप्त कर पाना भी आसान काम नहीं था।

स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षण संस्थानों की संरचना – स्वतंत्रता के पश्चात सन् 1948 को राधा कृष्णन आयोग का गठन देश में शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के सम्बध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। इसमें निम्नलिखित प्रस्ताव थे।

1. विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए।

* शोधार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

2. जो उच्च शिक्षा है, उसके तीन उद्देश्य होने चाहिए।
अ. सामान्य शिक्षा
ब. सरकारी शिक्षा
स. व्यवसाहिक शिक्षा
2. प्रशासनिक कार्यो के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए।
3. उच्च शिक्षा संस्थानों से अग्रेंजी माध्यम को जल्दबाजी में नही हटाना चाहिए।
4. प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्र भाषा के आधार पर ही अध्ययन हो।
5. विश्वविद्यालयों में 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए यह 11-11 सप्ताहों के तीन सत्र में विभाजित होना चाहिए।

इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया तथा 1956 में ससंद द्वारा कानून बनाकर इसे पास कर दिया गया। सन् 1964 में डॉ.डी. एस कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय आयोग का गठन किया गया। इसके अन्तर्गत शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के सभी चरणो की रूपरेखा तैयार की तथा शिक्षा नीति इस प्रकार लचीली बनाई जाए जो समय के साथ -साथ चले तथा आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968में शिक्षा नीति की घोषणा हुई, जिसमें निम्न तत्थ बदले।

1. शिक्षण संस्थानों में 14वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
2. राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा और शिक्षण संस्थानों पर व्यय करना।
3. शिक्षा मात्र भाषा हिन्दी,अंग्रेजी और क्षेत्र भाषा में हो।
4. कृषि और औद्योगिक शिक्षण संस्थानों का विकास हो।
5. शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय की व्यवस्था हो।

शिक्षण संस्थानों की संरचना इस प्रकार से है -
शिक्षण संस्थानों की संरचना तीन प्रकार से की गई है
1.विद्यालय, 2. महाविद्यालय, 3. विश्वविद्यालय

1. विद्यालय - विद्यालय वह स्थान होता है, जहां बच्चा प्रथम बार शिक्षा प्राप्त करता है विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी।प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 5तक शिक्षा प्रदान की जाए,माध्यमिक में कक्षा 8 तक शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक में 9 से 12 तक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

1. विद्यालय के प्रकार - विद्यालय शासकीय और अशासकीय होगें।शासकीय जिन्हें केन्द्र सरकार ,राज्य सरकार चलाएगी और अशासकीय जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जाएगे। केंन्द्र द्वारा केंन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हो, जिन पर केंन्द्र का नियत्रंण हो। राज्य के विद्यालयों पर राज्य का नियत्रंण हो और जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जाएगे उन पर निजी व्यक्तियों का ही नियंत्रण होगा परन्तु नियम राज्य सरकार के ही मानने होगे।

2. महाविद्यालय - छात्र कक्षा 12वीं की पढाई करके महाविद्यालय में प्रवेश ले इसमें स्नातक के लिए 3 वर्ष का पाठ्यक्रम हो इसके बाद स्नात्तकोत्तर के लिए 2 वर्ष का पाठयक्रम हो। महाविद्यालय तीन प्रकार के हो शासकीय अर्दशासकीय अशासकीय।

शासकीय - शासकीय महाविद्यालय वे होते है, जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा।

अर्द्धशासकीय - जिन पर सरकार और निजी संस्था या निजी व्यक्ति का नियंत्रण हो।

अशासकीय - अशासकीय महाविद्यालयों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता यह निजी संस्था या निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जाए।

3. विश्वविद्यालय - विश्वविद्यालय तीन प्रकार के होते है
1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2. राज्य विश्वविद्याय
3. निजी विश्वविद्यालय
4. डीम्ड विश्वविद्यालय या तुल्य विश्वविद्यालय -

इनका वर्णन इस प्रकार है -

केन्द्रीय विश्वविद्यालय - केंन्द्रीय विश्वविद्यालय केंन्द के द्वारा चलाए जाएगे।

राज्य विश्वविद्यालय - राज्य सरकार द्वारा चलाए जाए

निजी विश्वविद्यालय - निजी व्यक्तियों द्वारा या निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाएगों

डीम्ड विश्वविद्यालय - डीम्ड विश्वविद्यालय इस प्रकार की शिक्षण संस्थान होती है, जिन्हें यूजीसी से सलाह करके डिम्ड विश्वविद्यालय बना दिया जाए परन्तु यह विश्वविद्यालय स्वयं के अधिकार पर हो। यह अपना सिलेबस स्वयम निर्धारित करे यह विश्वविद्यालय पढाई के प्रंबध में बहुत अच्छे होते है।

शिक्षण संस्थानों की संरचना में बदलाव - स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद शिक्षण संस्थानों में बहुत बदलाव आए है।

1. स्वतंत्रता से पहले शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम को विशेष पर रखा गया था परन्तु स्वतंत्रता के बाद में शिक्षण संस्थानों की संरचना में क्षेत्र के आधार पर शिक्षा का माध्यम पर पढ़ाई हो यह निर्धारित किया गया।
2. स्वतंत्रता से पहले शिक्षण संस्थानों में कई बार बदलाब किए परन्तु स्वतंत्रता के बाद शिक्षण संस्थानों की संरचना को सही किया गया।
3. स्वतंत्रता से पहले तकनीकी पढाई पर कोई विशेष बल नहीं दिया जाता था परन्तु अब प्रबंधकीय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।
4. पहले सभी शिक्षण संस्थानों पर अंग्रेजो का नियंत्रण था परन्तु अब शिक्षण संस्थानों पर सरकार और निजी शिक्षण संस्थानों का नियंत्रण हो गया।अब शिक्षण संस्थाए निजी और सरकारी हो गई है
5. स्वतंत्रता से पहले शिक्षण संस्थानों की संख्या बहुत कम थी परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षण संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी और शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों की संख्या बहुत है।
6. आजादी से पहले शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं का अभाव था परन्तु आज शिक्षण संस्थानों में सभी सुविधाऐं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. आज शिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार के कोर्स उपलब्ध है परन्तु स्वतंत्रता से पहले कुछ ही कोर्स हुआ करते थे।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित है।
1. शासकीय शिक्षण संस्थानों की संरचना का अध्ययन करना।
2. शिक्षण संस्थानों की संरचना में हुए बदलाब का अध्ययन करना।
3. शिक्षण संस्थानों में सभी सुविधाओं पर ध्यान देना।
4. शिक्षण सस्थानों में तकनीकी शिक्षा का विकास होना।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध प्रविधि में द्वितीय समकों का प्रयोग किया

गया है। द्वितीय समकों में वह सामग्री आती है, जो कहीं न कहीं प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में मिल जाती है।

द्वितीय समकेां के प्रमुख स्त्रोत निम्न है –

1. पुस्तकालय 2.संग्रहालय 3.सरकारी वार्षिक पत्रिका 4.समाचार पत्र ,पत्रिका 5.सर्वेक्षण पत्र 6.गूगल पुस्तक आदि ।

शोध का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध भारत की शिक्षण संस्थानों की संरचना पर आधारित है कि किस प्रकार से भारत में शिक्षण संस्थानों की संरचना हुई है तथा स्वतंत्रता थी। भारत में स्वतंत्रता से पहले और बाद में क्या बदलाब हुए इस पर आधारित है

निष्कर्ष – वर्तमान में समाज कई समस्याओं का सामना कर रहा है तथा कई बदलाव भी हो रहे है। यदि हम पुरानी शिक्षा पर ध्यान दे तो स्पष्ट होता है कि आज की शिक्षण संस्थानों और पहले की शिक्षण संस्थानों में कितना अन्तर है। पहले की शिक्षण संस्थानों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी परन्तु आज शिक्षण संस्थानों में प्रतिस्पर्धा बहुत होती जा रही है। स्वतंत्रता से पहले शिक्षा अग्रेंजो को नियम के अनुसार चलती थी परन्तु अब भारत सरकार के हिसाब से चल रही है तथा जो बदलाब आए है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए।

सदंर्भ ग्रंथ सूची :–

1. इंडियन एक्सप्रेस ।
2. समाचार पत्र।
3. कुदेशिया डॉ.उमेश चन्द्र 'शिक्षा प्रशासन' 2008 पृष्ठ 62,63।
4. मासिक पत्रिका।

****

जिनिंग एवं प्रेसिंग मिलों में उत्पादन प्रक्रिया, मशीनों एवं मशीनों की उपलब्धता का अध्ययन

डॉ. प्रगति गुप्ता *

प्रस्तावना – जिनिंग क्या है ?

कपास जिन एक मशीन है, यह प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। जिनिंग मिल कपास से कांकडे (कपास्या) एवं रूई (फायबर) को अलग करने के लिये उपयोग की जाती है। पहले यह कार्य हाथ से किया जाता था। जिसमें समय व श्रम दोनों अधिक लगते थे, जिनिंग को कपास ओटना भी कहा जाता है। कपास जिन का अविष्कार एली व्हिटनी ने सन् 1793-94 में किया।

इन बीजों का उपयोग या तो उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है या पशुओ को आहार के रूप में दे दिया जाता है।

इसका विकास 1980 के दशक के दौरान बड़ी तेजी से हुआ। यह अर्थव्यवस्था के महत्तवपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यह कपास प्रसंस्करण का एक आधार है।

प्रेसिंग क्या है – प्रेसिंग भी एक मशीन है, जो जिनिंग प्रक्रिया के बाद उपयोग की जाती है प्रेसिंग का अर्थ, दाब से लिया गया है। पहले कपास काकड़ा (कपास्या) निकालने के बाद जो रूई बचती थी, उसे रखने अर्थात संग्रहण करने तथा परिवहन में समस्या आती थी। अत: इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रेसिंग का अविष्कार हुआ। इसमें रूई को एक निश्चित दाब पर मशीन की सहायता से दबाया जाता है।

मिलों में प्रयुक्त होने वाली मशीने – आज के मशीनीकरण युग में बहुत से कार्य मशीनों की सहायता से किए जा सकते है। जिससे समय तथा श्रम की बचत होती है। वर्तमान में अधिकांश उद्योग में मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है।

मशीनों का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिए किया जाता है या जिनिंग व प्रेंसिंग में उपयोग होने वाली मशीने –

1. प्री (फ्री) क्लीनर, (कपास पूर्व क्लीनर)
2. (चरखा) डबल रोला या कपास ओटना
3. पोस्ट क्लीनर (जिनलिंट क्लीनर)
4. आटो फीडर
5. प्रेंसिग

1. प्री क्लीनर – इस मशीन के द्वारा कपास ऑटोमेटिक तरीके से मशीन में आता है तथा साफ होकर चरखों तक आ जाता है। कपास से कच्चा कपास व पूर्व परिपक्व कपास, पत्थर आदि सामग्री अलग हो जाती है। यह मशीन ओटाई से पहले कच्चे कपास की गुणवत्ता को किसी भी प्रकार से नुकसान नही पहुँचाती है। इससे जिन (ओटना) मशीन की रखरखाव की लागत में भी कमी आती है। इस मशीन की विशेषताएँ एवं लाभ निम्नानुसार है –

1. यह मशीन फॉयबर (रूई) की गुणवत्ता की रक्षा करता है।
2. इस मशीन के द्वारा धीरे तथा कुशलता से कार्य होता है।
3. यह मजबुत होती है तथा इसका जीवनकाल लम्बा होता है।
4. जिनिंग को अशुद्धियों से होने वाले नुकसान से बचाता है।
5. ओटाई मशीनों के रखरखाव को कम कर देता है।
6. ओटाई मशीन की उत्पादकता बढ़ जाती है तथा लोड भी कम हो जाता है।
7. यहाँ पर पीला कपास/पूर्व परिपक्व कपास ओटाई (जिनिंग) करने के पूर्व अलग हो जाता है। जिससे गुणवत्ता में सुधार होता है।
8. ऑटो फीडर (चरखा) के रखरखाव को न्यूनतम करने के लिए भी उपयोगी है।
9. श्रम लागत में काफी बचत होती है।
10. उच्च तकनीकी का प्रयोग करने से लाभ भी बढ़ जाता है।

तालिका क्रमांक – 1**(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अलग – अलग मॉडल होते है। सभी मॉडल आसानी से उपलब्ध होते है।

उपरोक्त गुणों को देखते हुए एक उद्यमी अपने अनुसार मशीन का चयन करता है।

2 कपास ओटना मशीन या चरखा – कपास ओटने की मशीन को ओटना मशीन डबल रोला तथा चरखे भी कहा जाता है। भारत में ये मशीने निर्यात भी की जाती है। इस मशीन के कुछ हिस्सों में घुर्णन के द्वारा निर्माण के लिए तकनीकी रूप से उन्नत मशीनों का प्रयोग उच्च सहिष्णुता और उच्च टिकाउपन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

चरखे में दो छुरियाँ होती है। एक छुरी स्थाई होती है तथा एक छुरी चरखे में घुमती है। इस प्रक्रिया में कांकड़ा अलग हो जाता है तथा उसमें एक चमड़े का रोल रहता है। उस पर रूई चिपक जाती है। विभिन्न उपयोगकर्ता के अनुसार अनुकुल सुविधाओं के साथ उपलब्ध मशीन का संचालन व ओटना मशीन के रखरखाव में भी आसानी होती है।

कपास ओटना मशीन के लाभ व गुण निम्नलिखित है –

1. इस मशीन में फायबर की गुणवत्ता की रक्षा होती है, स्वच्छ उत्पादन होता है। चमकदार काटन लिंट (रेशे) प्राप्त होते है।
2. कुशलता से काम करती है, लागत कम देती है और लाभ को बढ़ा देती है।
3. इस मशीन का सबसे कम परिचालन और रख रखाव लागत होने से अनुभवी इंजीनियरिंग व विशेषज्ञता की जरूरत भी नहीं होती है।
4. इस मशीन में बिजली की खपत भी कम होती है।
5. इस मशीन के सभी भाग उच्च नमनीय लोहे के बने होते है। जैसे –

* शोधार्थी (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

संकर्षण, सिर, डब्बा, झुले, लीवर आदि।

6. सभी घुर्णन भागो में अधिक क्षमता के लिए घर्षण को कम करने के लिए सटीक बेरिंग भी होते है।
7. चमड़ा रोलर साफ्ट विनिमेय है और रोल के एक तरफ बाहर पहना जाता है। यह कभी–कभी उल्टा हो जाता है।
8. उत्पादन रोलर्स की पूरी लंबाई एक समान होती है।
9. चलते हुए भागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके पाने व अन्य समान टूल बाक्स में रखे जाते है।
10. इस मशीन के उच्च गुणवत्ता वाले भागों को भी प्रतिस्थापना किया जा सकता है अर्थात खराबी आने पर पूर्जे बदले जा सकते है।

तालिका क्र. – 2 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

3. जिन लिंक क्लीनर या पोस्ट क्लीनर – मशीन का उपयोग बीज, पत्तेदार, कचरा, तथा कपास फायबर को साफ करने के लिए किया जाता है। उच्च गुणवत्ता ग्रिड और कुशल प्रणाली के साथ ही यह फायबर की गुणवत्ता की रक्षा करता है और कचरा कम कर देता है। इसे पोस्ट क्लीनर भी कहा जाता है। इस मशीन के लाभ व विशेषताएँ निम्नलिखित है –

1. इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ओटाई के बाद रूई में जो कचरा अर्थात बीजकोट आदि पत्तेदार कचरा बच जाता है। उसे आसानी से साफ कर देती है।
2. इस मशीन के द्वारा प्रभावी ढंग से सुक्ष्म धुल समाप्त हो जाती है।
3. इस मशीन का ग्रिड सिस्टम फायबर के गुणो की रक्षा करता है।
4. कम रखरखाव लागत तथा बेहतर गुणवत्ता भी इसकी विशेषता है।
5. श्रम लागत में भी काफी बचत होती है।

तालिका क्र. – 3 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका में मशीनों के मॉडलों का वर्णन किया गया है तथा प्रत्येक मशीन की तकनीकि विशिष्टताओं का वर्णन किया गया है। प्रत्येक उद्यमी अपनी आवश्यकता तथा व्यवस्था के अनुसार मशीन का चयन करता है।

4. आटोफीडर – आटोफीडर मशीन में 15% से 20% उत्पादन बढ जाता है। यह उन्नत प्रोद्योगिकी भागों में निर्मित है। यह मशीन अर्थात इलेक्ट्रिक ऑटो फीडर श्रम बचाने के लिए एकदम सही है। उच्च तकनीकी के कारण यह बिजली की कम खपत करती है। इलेक्ट्रिक ऑटो फीडर का संचालन आसानी से किया जा सकता है।

इसकी विशेषताऍ एवं लाभ निम्नलिखित है –

1. इसमें अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता नहीं होती है।
2. श्रम शक्ति व श्रम लागत में काफी बचत होती है।
3. इस मशीन में कम रखरखाव लागत आती है।
4. मशीन कच्चें कपास को उचित गुणवत्ता प्रदान करती है।
5. उत्पादकता 15% से 20% तक बढ़ जाती है। इस मशीन की तकनीकि विनिर्देश निम्नलिखित है –

तालिका क्रमांक – 4 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

विवरण मशीनों के बारे में दिया गया हैं। प्रत्येक उद्यमी अपनी क्षमता व आवश्यकता के अनुसार मशीनों का क्रय करता है।

5. कपास प्रेस – इस मशीन के द्वारा रूई की गठाने (बेलस) बनाई जाती है। जब कपास पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो इसे इसमें 20 फीट गहरे गड्ढे में भरी जाती है एवं मशीन के द्वारा उसे दबा कर एक गठान का आकार दिया जाता है, फिर इसे लटठे के कपड़े से लपेटकर लोहे की पत्तियों के द्वारा बांध दी जाती है। इस प्रकार इस मशीन से गठान का निर्माण हो जाता है। इन गठानों का वजन अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 170 कि.ग्रा. प्रति गठान होता है।

इस मशीन की विशेषताएँ एवं लाभ निम्नलिखित है –

1. यह दो प्रकार की होती है – उच्च क्षमता एवं मध्यम क्षमता वाली।
2. यह मशीन पूरी तरह से स्वचलित है।
3. इससे उच्च घनत्व वाली गांठे बनती है।
4. गठरी की प्रति लागत भी कम आती है।
5. प्रति गठरी बिजली की खपत भी कम आती है।
6. न्यूनतम जनशक्ति की आवश्यकता होती है।
7. पैंकिंग सामग्री की लागत भी कम आती है।
8. उच्चतम कार्य की सुरक्षा रहती है।
9. यह मशीन अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्देशों के आधार पर है।
10. यह उद्योग के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है।
11. यह मशीन फायबर की गुणवत्ता को कोई नुकसान नहीं पँहुचाती है अर्थात उसकी गुणवत्ता को बनाए रखता है।
12. इसमें नीचे भूमिगत गढ्ढे होते है, जहाँ पर रूई जाती है तथा उस मशीन के दबाव से गठान का निर्माण होता है।

तालिका क्रं. – 5 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका में मशीन की तकनीकी की जानकारी का है। उद्यमी उत्पादकता व सुविधाओं के आधार पर मशीनों का चयन करेगा।

जिनिंग एवं प्रेसिंग में रूई उत्पादन प्रक्रिया –

कपास उद्योग में कपास क्रय करने बाद रूई तथा गठान बनने तक का कार्य एक प्रक्रिया के रूप में चलता है। जिसमें उपोत्पाद भी प्राप्त होता है। जो तेल व खली है। उत्पादन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है।

कुछ कपास उद्योग पूर्णत: आटोमेटिक तरीके से उत्पादन करते है तथा कुछ आंशिक रूप से ही मशीनों का उपयोग करते है। यहाँ दोनों प्रकार के उद्योगों का वर्णन किया गया है।

सर्वप्रथम कपास को प्री क्लीनर मशीन के पास रखा जाता है, जो कपास को अपनी ओर खीचती है तथा वह मशीन के माध्यम से उसमें से कचरा अलग कर दिया जाता है, प्री क्लीनर में सफाई के बाद कपास चरखों में जाता है, जो चरखों के माध्यम से रूई तथा काकड़ा (कपास्या) दोनो अलग–अलग हो जाते है। आटोमेटिक मशीनों द्वारा काकड़ा एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है तथा रूई पोस्ट क्लीनर मशीन में चली जाती है।

पोस्ट क्लीनर मशीन में रूई की सफाई होती है तथा उसके बाद उसे गठान निर्माण के लिए भेज दिया जाता है। पोस्ट क्लीनर के बाद रूई ऑटोमेटिक तरीके से प्रेसिंग मशीन में 20 फीट गहरें गड्डे में भरी जाती है एवं उसी रूई को प्रेस करके व लोहे की पत्तियों एवं लटठे के कपड़ें द्वारा बांधकर 160–170 कि.ग्रा. वजन की गठान तैयार की जाती है। कपास की गठान का अन्तर्राष्ट्रीय मानक 170 कि.ग्रा. है।

कपास से जो कांकडा अलग किया जाता है। वह ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा एक स्थान पर अलग एकत्रित कर दिया जाता है। कुछ कपास उद्योग ऐसे भी है। जहाँ पर तेल मिल भी है, वहाँ पर कांकड़े से तेल व खली उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।

जो उद्योग पूर्णत: स्वचलित नहीं होते हैं वहाँ पर कपास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। जैसे – कपास को चरखो तक लाना तथा उससे प्राप्त उपोत्पाद को उठाकर एक जगह पर एकचित्र तथा रूई को प्रेसिंग मशीन तक ले जाना, मशीन से गठान

को गोदाम तक ले जाना आदि। इन सभी कार्यो में समय अधिक लगता है तथा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है।

मशीनों की उपलब्धता – बजाज स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र), बजाज इण्डस्ट्रीज समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओटना मशीनों (जिनिंग) के निर्माता एवं निर्यातक के रूप में 1961 में स्थापित की गई थी। श्री एम.के. शर्मा जो संगठन के अध्यक्ष थे, उनके ज्ञान अनुभव, ओटाई और दाब उपकरण के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त करने में सहायता की।

आज यह प्रेस आपूर्तिकर्ता में गिने जाते है। अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित, योग्य और अनुभवी टीम के साथ स्थापना की गई। जो मशीनों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा कपास ओटना और दबाव उपकरणों के आधुनीकिकरण पर काम करती है।

जाधव गियर प्रायवेट लिमिटेड कपास ओटना और दबाने वाले संयंत्र के निर्माता है, यह समूह भारत के महाराष्ट्र राज्य में अमरावती में स्थित है। इसकी स्थापना सन् 1985 में हुई। यह ईकाई जिनिंग व प्रेसिंग दोनों मशीनों का निर्माण करती है। जैसे डबल रोल, पूर्ण क्लीनर पोस्ट क्लीनर व प्रेसिंग मशीन।

एक डेम (बांध) इंजीनियर्स हाईड्रोलिक, ईलिंग प्रेस मशीन के अग्रणी निर्माता, आपूर्तिकर्ता में से एक है। ये हाइड्रोलिक बेलिंग मशीन व्यापारियों की आवश्यकतानुसार कपास बेल्स (गठान) तैयार करती है।

इसमें पूर्णत: स्वचलित व अर्धस्वचलित दोनों प्रकार की मशीनें बनाई जाती है। उद्यमी अपनी उत्पादन क्षमता तथा सुविधाओं के आधार पर मशीनों का चयन व उनकी स्थापना करता है। डेम निर्माता की ईलिंग ईकाई भारत के तमिलनाडू में कोयम्बदूर के Peelamedu में स्थित है।

जिनिंग व प्रेसिंग मिलों की मशीनों की उपलब्धता निम्नलिखित जगहों से हो सकती है।

1. Peelamedu कोयम्बटुर तमिलनाडु में ईलिंग हाइड्रोलिक प्रेस के निर्माता उपलब्ध है।
2. आर.आर. हाईड्रोलिक प्रायवेट लिमि सवेरा ग्रुप (आंधप्रदेश) Patancheru मेडक जिला आंधप्रदेश।
3. Oham इंजीनियर्स अहमदाबाद, गुजरात।
4. मेरिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोयम्बटुर, तमिलनाडु।
5. पावर टेक लिमिटेड इंडस्ट्रीज, कोयम्बटुर तमिलनाडु।
6. एसजेएस हाइड्रोलिक्स, कोयम्बटुर तमिलनाडु।
7. उर्मि इंजीनियरिंग, अहमदाबाद, गुजरात।
8. करूणानांद उद्धातिक प्रायवेट लिमिटेड नियंत्रण अम्बरनाश ठाणे, महाराष्ट्र
9. रायल एक्जिम के Kullappa सर्किल, बेंगलुर के पास कनार्टक।
10. श्रीवाणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, मंगलगिरी रोड, गुण्टुर, आंधप्रदेश।
11. श्रीगणेश इंजीनियरिंग और Fabri cators कलोल रोड, कड़ी गुजरात।
12. खालसा लुका टेक प्रायवेट लिमिटेड, मुक्तसर, फिरोजापुर, पंजाब।
13. बालाजी इंडस्ट्रीज, अमरावती, महाराष्ट्र।

उपयुक्त जिंनिग व प्रेसिंग मशीनों के निर्माता व विक्रेता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. www cotton word.
2. www cotton mdustries in india
3. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

तालिका क्रमांक – 1 मशीन के अलग – अलग मॉडलो का प्रस्तुतीकरण

क्र.	विवरण	1 मॉडल	2 मॉडल	3 मॉडल
1	सफाई सिलेंडरो की संख्या	4	5	6
2	चौड़ाई	1200/1500/1800 मि.मी.	1200/1500/1800 मि.मी.	1200/1500/1800 मि.मी.
3	कच्चे कपास की सफाई प्रति घंटे की क्षमता	3500/4500/6000 कि.ग्रा	3500/4500/6000 कि.ग्रा	3500/4500/6000 कि.ग्रा
4	ऑपरेटिंग स्पीड	355 आरपीएम	355 आरपीएम	355 आरपीएम
5	प्रणाली / सिस्टम	मेकेनिकल/वायवीय/मेनुअल	मेकेनिकल/वायवीय/मेनुअल	मेकेनिकल/वायवीय/मेनुअल

तालिका क्र. – 2

मशीनों की तकनीकि विशिष्टता

क्र.	मॉडल	जबो	लंबी अतिरिक्त	मानक /विशेष
1	फ्लेट की लंबाई	1361 मिमी	1191 मिमी	1061 मिमी
2	उत्पादन क्षमता	60–105 कि.ग्रा. प्रतिघण्टा	50–95 कि.ग्रा प्रतिघण्टा	40–70 कि.ग्रा. प्रतिघण्टा
3	प्रसंस्करण क्षमता (आर/सी)	200–265 कि.ग्रा. प्रतिघण्टा	160–225 कि.ग्रा प्रतिघण्टा	125–175 कि.ग्रा. प्रतिघण्टा
4	आपरेटिंग स्पीड	950/1000 आरपीएम	1000/1040 आरपीएम	1000/1040 आरपीएम
5	बैरिंग्स	21 नग	19 नग	19 नग
6	बीज निर्वहन	स्लाइड/कन्वेयर	स्लाइड/कन्वेयर	स्लाईड /कन्वेयर
7	ड्रायविंग चरखे के रोटेशन	किसी भी दिशा में	किसी भी दिशा में	किसी भी दिशा में

तालिका क्र. – 3

मिल में प्रयुक्त मशीनो का विवरण

क्र.	विवरण	1–मॉडल	2–मॉडल	3–मॉडल
1	सफाई सिलेंडरो की संख्या	6	3	4
2	चौड़ाई	1200/1500/1800 मि.मी.	1200/1500/1800 मि.मी.	1200/1500/1800 मि.मी.
3	टाइप (आकार)	झुका	झुका	झुका
4	सफाई क्षमता	1200/1500/ 2000 कि.ग्रा. प्रतिघंटा	1200/1500/2000 कि.ग्रा. प्रतिघंटा	1200/1500/ 2000 कि.ग्रा. प्रतिघंटा
5	पॉवर आवश्यकता	5 एचपी / 2 एचपी	5 एचपी / 2 एचपी	5 एचपी / 2 एचपी
6	प्रणाली	मैकेनिकल/वायवीय/ मेनुअल	मैकेनिकल/वायवीय/ मेनुअल	मैकेनिकल/वायवीय/ मेनुअल

तालिका क्रमांक – 4

मिलो में प्रयुक्त मशीनों की क्षमता का विवरण

क्र.	मॉडल	जंबो	लंबी अतिरिक्त	मानक
1	आरपीएम	35–40	35–40	35–40
2	क्षमता	10–12 टकसाल	10–12 टकसाल	10–12 टकसाल
3	सिस्टम	मैकेनिकल/वायवीय/मेनुअल	मैकेनिकल/वायवीय/मेनुअल	मैकेनिकल/वायवीय/मेनुअल

तालिका क्रं. – 5

जिनिंग व प्रेसिंग उद्योग में प्रयुक्त मशीनों की तकनीकी

क्र.	विवरण	उच्च क्षमता	मध्यम क्षमता
1	उत्पादन क्षमता	30–35 गांठे/घंटा	15–18 गांठे/घंटे
2	पावर आवश्यक	75 एचपी मुख्य दबाने 30 एचपी टेम्पर 5 एचपी तेल शीतलक/सफाई	50 एचपी मुख्य दबाने 20 एचपी टेम्पर 2 एचपी तेल शीतलक/सफाई
3	मशीन का साईज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई	 4800 मि.मी. 4200 मि.मी. 8000 मिमी	 4800 मि.मी. 4200 मि.मी. 8000 मिमी
4	बॉक्स का आकार	1016 मिमी एक्स 508 मिमी	1016 मिमी 508 मिमी
5	गढरी घनत्व	उच्च घनत्व या यूनिवर्सल घनत्व	उच्च घनत्व या यूनिवर्सल घनत्व
6	साईज शेड	16 एमएक्स 12 एमएक्स 11 मीटर ऊँचाई	12 एमएक्स 11 एमएक्स 11 मीटर ऊँचाई
7	परिचालन	पूरी तरह से स्वचलित पीएलसी पैनल द्वारा	पूरी तरह से स्वचलित पीएलसी पैनल द्वारा
8	टेम्पर	जलीय	जलीय
9	फायबर ढकेलने वाला	हाईड्रोलिक (हाई स्पीड)	जलीय

****

आर्थिक सुधारों की एक नई पहल - वस्तु एवं सेवा कर

डॉ. राजू रैदास * डॉ. हर्षा चचाने **

प्रस्तावना एवं शोध सारांश - भारत विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो किसी एक सेवा क्षेत्र पर आधारित नहीं है। यह अर्थव्यवस्था कृषि के साथ-साथ उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र का लगभग 22 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र से 21.8 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का 56.2 प्रतिशत योगदान। भारत में आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, उपहार कर, निगम कर, भू-राजस्व कर, सीमा शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पथकर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर एवं व्यवसायिक कर आदि लगभग 17 प्रकार के करों की व्यवस्था थी, जिनको केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी इच्छानुसार बसूल करती थी। केन्द्र सरकार ने संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में 3 अगस्त एवं लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को कर सुधार से संबंधित एक बिल पारित किया है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी. कहा जाता है।

देश में स्वतंत्रता से पूर्व एवं उपरान्त 17 अलग-अलग प्रकार के करों की व्यवस्था थी तथा किसी एक वस्तु एवं सेवा के लिए दो या दो से अधिक बार कर लगाया जाता था, जिससे वस्तुओं की कीमत तथा महँगाई में वृद्धि हो जाती थी। महँगाई को रोकने के लिए तथा करदाताओं के द्वारा ईमानदारी से कर देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू किया है, जिसे अर्थशास्त्री भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी एवं आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। इसकी अधिक से अधिक जानकारी करदाताओं को एवं समाज को हो इसके लिए इस क्षेत्र पर गहन अध्ययन एवं शोध किया जाना वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक है।

सामान्य परिचय- भारत सरकार की एक नई कर व्यवस्था का नाम है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। समाज में एवं व्यापारी वर्ग में इस नई कर व्यवस्था के प्रति काफी असंतोष व्याप्त है क्योंकि उन्हें इस कर के बारे में व्यापक जानकारी नहीं है या ऐसा समझा जाए कि पहले जो कम कर देते थे, अब उनको अधिक कर देना पड़ेगा। आज किसी छोटी सी दुकान पर भी ग्राहकों से कहा जा रहा है कि जी.एस.टी. लगने के कारण वस्तुओं की कीमत गढ़ गई है, जबकि पूर्व में ग्राहक इससे ज्यादा टेक्स देता था तो अब वस्तुओं की कीमत घटनी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। जीएसटी में घरेलू उपयोग की सामग्री एवं आम जनता की उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम कर दी है, परन्तु वस्तुओं की कीमत यथावत् बनी हुई है। यह गहन अध्ययन का विषय है?

संसद की राज्यसभा में तथा लोकसभा में पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरान्त केन्द्र सरकार ने इसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत 1211 वस्तुओं को शामिल किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर भारत की सबसे महत्वकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बांधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांधकर रखना है। यह संविधान की अनुच्छेद संख्या 279 के आधार पर जीएसटी परिषद का गठन किया गया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली रखा गया है। इस जी एस टी परिषद् ने ही वस्तु एवं सेवा कर का नया बिल तैयार किया जिसमें कर के चार चरण बनाए गए है। भारत में जीएसटी की दर संरचना 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत हैं, जो कि विभिन्न वस्तुओं एवं सेवा क्षेत्रों पर लगाई गई है।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्न है -

1. जी.एस.टी. के संबंध में समाज को जाग्रत करना।
2. इससे होने वाले आर्थिक लाभों का अध्ययन करना।
3. समाज एवं व्यापारी वर्ग में फैली अशांति एवं अफवाहों को दूर करना।
4. वस्तु एवं सेवा कर को कारगर बनाने के लिए प्रयास करना।
5. देश के विकास के लिए जीएसटी का प्रचार प्रसार करना।

शोध एवं विधि तंत्र - इस शोध पत्र में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पत्र, सर्वेक्षण के आंकड़े एवं निष्कर्ष, समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख, इंटरनेट तथा भारत के राजपत्रों आदि का प्रयोग किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर की कार्य प्रणाली - अप्रैल 2014 में जारी रिपोर्ट में वर्ष 2017 के विश्लेषण में विश्व बैंक ने क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया है। विश्व बैंक के इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम के 2011 के राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को स्थान दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो यहाँ 25 प्रतिशत गरीबी क्यों है? वर्तमान 2017-18 में भारत की जीडीपी 6.75 फीसदी के आस-पास है, जो कि जीएसटी लागू होने के बाद 7 फीसदी के उपर जाने की संभावना है। देश एवं दुनिया के अर्थशास्त्री यह जानते है कि भारत में आर्थिक सुधारों का दौर जारी है और यह आगे भी रहता है तो यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वन जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर एक ऐसा टैक्स है, जो पूरे देश में प्रत्येक वस्तु पर और प्रति एक सेवा पर एक बार लगता है। एक्साईड- ड्यूटी और सर्विस टैक्स के स्थान पर एक ही टैक्स लगता है। जीएसटी के मुख्य रूप से तीन भाग बनाये गये है- 1. सेन्ट्रल, 2. स्टेट और 3. इन्टीग्रेटेड टैक्स। अर्थात सेन्ट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और अर्न्तराज्यीय जीएसटी। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में सामान की विक्री पर या उसकी सप्लाई करने वालों को हर

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत
**सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

राज्य में तीन अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करने होंगे और अलग-अलग रिर्टन भरते हुए टैक्स का हिसाब रखना होगा। अगर कोई कम्पनी अलग-अलग तरह के व्यवसाय करती है तो उसे प्रत्येक व्यवसाय का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस कर व्यवस्था के अन्तर्गत कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है या कम कर भुगतान करता है, तो उसे देय कर राशि का 10 प्रतिशत (जिसमें 10.000/- न्यूनतम राशि है) जुर्माना देना होगा। जहाँ एक संकल्पित करवंचन देखा गया, वहाँ अपराधी को देय कर राशि का 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।

समीक्षा - जीएसटी को केन्द्र सरकार अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। वहीं दूसरी और जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व की वसूली में भयानक गिरावट आई है। जहाँ पहले महीने अगस्त 2017 को 80-90 करोड़, राजस्व की प्राप्ति का अनुमान व्यक्त किया गया था, परन्तु यह मात्र 42 हजार करोड़ पर ही सिमट गया, लेकिन यह होना स्वाभाविक था, क्योंकि नई कर व्यवस्था लागू होने के कारण व्यापारी , उद्यमियों के मन में संशय की स्थिति बनी हुए थी। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण भी राजस्व की कम प्राप्ति हो सकी। हालांकि सरकार आशान्वित थी कि जीएसटी से राजस्व प्राप्ति में अक्टूबर-नबम्बर तक सामान्य स्थिति आएगी तथा इसके बाद महीने दर महीने राजस्व की प्राप्ति में तीव्र गति से वृद्धि होगी तथा कालेधन पर रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि पूर्व समय में आधे से अधिक व्यापारी वर्ग कर अदायगी नहीं करते थे जिसके कारण सरकार को कम राजस्व प्राप्ति होती थी। राजस्व की कमी के कारण देश के विकास के लिए आवश्यक धन राशि उपलब्ध नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में सरकार विश्व बैंक या किसी दूसरे देशों से ब्याज पर उधार लेती थी। जीएसटी आने से सरकार को अनुमान है कि इससे 80 से 90 फीसदी व्यापारी वर्ग कर अदायगी करेगें जिससे आशातीत राजस्व में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि लाखों लोगों को गरीबी से निकालने के लिए देश को अगले तीन दशक तक 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी तथा भारत में कारोबार को सुगम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिक अभिन्न हिस्सा बनना होगा। रंगराजन समिति के अनुमानों के अनुसार 2009-10 में गरीबी 38.2 फीसदी तथा बाद में यह घटकर 29.5 प्रतिशत पर आ गई थी जो वर्तमान समय में लगभग 25 प्रतिशत है।

एक जुलाई 2017 से यह कर व्यवस्था को लागू करने के बाद ही इसमें काफी संशोधन करने पड़े तथा कुछ वस्तओं के कर दरों में संशोधन किया गया -

वस्तु एवं सेवा करों की दरों में परिवर्तन -

क्र.	वस्तु का नाम	पूर्व जीएसटी दरें प्रतिशत में	संशोधित दर प्रतिशत में
1.	स्कूल बैग	28	18
2.	एक्सरसाईज बुक	18	12
3.	कम्प्यूटर प्रिंटर	28	18
4.	अगरबत्ती	12	5
5.	काजू	12	5
6.	डेंटल वेक्स	28	18
7.	प्लास्टिक बेड्स	28	18
8.	कलरिंग बुक	12	0
9.	कंक्रीट पाइप	28	18
10.	टेक्टर कंपोनेंट	28	18
11.	इंसुलिन	12	5

इस प्रकार कुल 66 घरेलू विशेष उपयोगी सामाग्रियों पर जीएसटी की दर कम कर दी गई है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमत कम हो जानी चाहिए थी? परन्तु ऐसा नही हो रहा है, जो वस्तु जिस कीमत में बिक रही थी वह उसी कीमत में बेची जा रही है।

वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव - वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कुछ समय बाद से एवं इसके दूरगामी प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था एवं देश के विकास पर दिखाई देंगें, जो कि इस प्रकार हो सकते है -

1. पूरे भारत में वस्तु की कीमत एक सामान होगी।
2. बहुत सारे करों के स्थान पर एक ही कर लगेगा।
3. आम नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा।
4. वस्तुओं की कीमतों में अन्तर उत्पन्न होगा, क्योंकि वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम होने से सस्ती होगी, तथा कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर अधिक होने से महंगी होगी।
5. इससे कर की वसूली करते समय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर में हेरा-फेरी की संभावना कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी, उद्यमी एवं जो भी कर दाता होगें वे सही व उचित कर अदायगी करेंगे।
6. यदि व्यापारी, उद्यमी एवं कर दाता पूरी ईमानदारी से कर अदायगी करते है, तो इससे राजस्व में काफी वृद्धि होगी, जो देश के विकास के लिए जरूरी होगी।
7. समान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई नहीं होगी। क्योकि सीमा शुल्क खतम होने के कारण सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
8. इस कर व्यवस्था से व्यापारी, उद्यमी या कर दाता का खाता आधार कार्ड / पेन कार्ड नम्बर से लिंक रहेगा जिसके कारण वे अपनी आय को छिपा नहीं पाएंगे।
9. भारत में व्याप्त लगभग 25 प्रतिशत घटकर 15-18 प्रतिशत आने की संभावना है। देश से गरीबी मिटाने के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक कर सुधार कर रही है जिसका प्रभाव कुछ वर्षों में दिखाई देगा।

वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के 8 माह के बाद इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहें है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी नजर आ रहें है। आज बाजार में हम कोई भी वस्तु खरीदते है और उसका पक्का बिल लेते है, जो दुकानदार ग्राहक से कहता है। यदि आपको पक्का बिल चाहिए तो जीएसटी लगेगा तथा बिल में 5,12,18, या 28 प्रतिशत राशि अधिक लगेगी। इसका तात्पर्य यह है कि दुकानदार कच्चा और पक्का बिल का खेल - खेल रहें है, जिससे सरकार के राजस्व की वसूली या कर की चोरी की जा रही है। यह राशि दुकानदार क्यों बढ़ा रहें है? समझ से परे है, क्योंकि इसके पूर्व में भी वैट टैक्स लगता था, तब तो कोई दुकानदार नहीं कहता था कि वैट टैक्स के कारण मूल्य बढ़ गया है। जीएसटी लागू होने से वतुओं की अधिक कीमत ग्राहकों को चुकानी पड़ रही है।

निष्कर्ष - वस्तु एवं सेवा कर का उपरोक्त अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इससे कर वसूली में वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। केन्द्र सरकार की

विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं (प्रधानमंत्री आवास योजना, मैक इन इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया तथा डिजिडल इण्डिया) के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता बढ़ेगी। इस प्रकार यदि सब कुछ प्लानिंग के अनुसार होता गया तो इससे देश नई उंचाईयों को पार करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नव भारत पत्रिका वर्ष 2017
2. पत्रिका समाचार पत्र, जबलपुर संस्करण फरवरी 2018
3. नीति आयोग की रिपोर्ट।
4. www.google.com/wikipedia.com
5. www.google Search GDP Report - 2017-18

****

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी - समस्या एवं समाधान

डॉ. सचिन शर्मा * हेमन्त गायकवाड **

शोध सारांश – 'भारत में ग्रामीण बेरोजगारी समस्या व समाधान' भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थ व्यवस्था गांवों पर ही निर्भर करती है। एवं विकास की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, तो यह कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौती है। इसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है एवं द्वितीय कारण सरकार की उदासीनता मानी गई है। बेरोजगारी उस स्थिति का घोतक है। जिसमें मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने के योग्य होते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पाता। इस तरह उसकी जीविका का कोई साधन नहीं रह जाता। वह अपने आश्रितों हेतु कोई साधन नहीं जुटा पाता है। वह व्यक्ति बेरोजगार होता है। बेरोजगारी के ठीक विपरीत रोजगार है। रोजगार में लगे व्यक्ति किसी भी तरह रोजगार करके धन अर्जित करते है, लेकिन यह स्थिति अत्यंत ही भयावह होती है। दुर्भाग्य वश भारत में भी भीषण बेरोजगारी है। जो दिनानुदीन बढ़ती जा रही है। रोजगार के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ प्रारंभ की जा रही है। जिससे बेरोजगारी का समाधान किया जा सकें।

प्रस्तावना – भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, जहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि पर निर्भर करता है, हमारे देश में कृषि का राष्ट्रीय महत्व है एवं देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है, किन्तु कृषि से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, तो यहाँ कहा जा सकता है कि ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। इसमें प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है और दूसरा कारण सरकार की उदासीनता मानी जा सकती है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये, परन्तु वे अभी पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में सरकार से कॉफी कुछ करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है, जिसमें मनुष्य शारीरिक व मानसिक स्थिति ठीक होने के कुछ कार्य नहीं कर सकता है और उसकी जीविका का कोई साधन नहीं रह पाता। बेरोजगारी के ठीक विपरीत रोजगार को माना है, जो व्यक्ति रोजगार करके अधिक से अधिक धन कमा सकता है, लेकिन बेरोजगार व्यक्ति किसी भी प्रकार का साधन नहीं जुटा सकता एवं उस व्यक्ति की स्थिति कॉफी भयावह होती है। भारत में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

बेरोजगारी को पं. जवाहरलाल नेहरू ने 'आज का प्रमुखतम विष' माना है, एवं प्रो. एस.एन.अग्रवाल ने बेरोजगारी को 'प्रथम नम्बर दुश्मन' माना है बेरोजगारी एक सभ्य व शिक्षित समाज के माथे पर एक कलंक का टीका है, आर्थिक उच्चावचन के कारण भारत में 1929 की घोर मंदी के फलस्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न हुई, जिसमें देश में भारी विपत्तियाँ आई किन्तु 'केन्स' के उपचारों के फलस्वरूप चक्रिय बेरोजगारी से कम करना संभव है। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् युद्ध कालीन उद्योग बन्द कर दिए गए, तो इससे बेरोजगारी उत्पन्न हुई, किसी अर्थव्यवस्था की लोचशीलता का अनुमान उस बात से लगाया जा सकता है कि वह किस गति से संघर्षो बेरोजगारों से समाप्त करती है। किन्तु चक्रीय बेरोजगारी की अपेक्षा विकास शील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार या अदृश्य बेरोजगारी की विद्य मानता और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित वर्गो से बेरोजगारी की समस्या अति शोचनीय है। यहाँ यह उल्लेख करना युक्तियुक्त होगा कि अल्पविकसित देश में 'केन्स' के अनुसार बेरोजगारी समर्थ मांग के अभाव से उत्पन्न नहीं होती बल्कि यह पूंजी या अनुपूरक साधनों के अभाव में होती है।

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी का समाधान करने के लिए पूंजी वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाना आवश्यक है। छठी योजना 1980-85 में बेरोजगारी व रोजगार नीति के बारे में साफ तौर पर स्वीकार किया गया है। रोजगार के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही असंतोष जनक है पिछले दशक के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए लाभपूर्ण व्यक्तियों की वृद्धि दर को बढ़ाना डिमेलो के अनुसार बेरोजगारी वे है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन का काम प्राप्त नहीं कर सकता काम करने की इच्छा होते हुए भी व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता, तो वह बेरोजगारी मानी जाती है।

'फ्लोरेन्स' बेरोजगारी उस व्यक्ति की निष्क्रियता से सिद्ध की जाती है जो कार्य करने के योग्य रहता है और कार्य करने के इच्छुक भी रहता है। लेकिन काम न मिल पाने के कारण उसे निष्क्रियता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी कहलाती है। 'भूमंडली' से प्रभावित लोगों के लिए रोजगार विहिन आनंद विहिन विकास है, हमें इन समस्याओं का निदान करते हुए कृषि क्षेत्र में उपयोगी रोजगार उपलब्ध कराने होगें।

-एम.एस.स्वामी नाथन देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक अर्द्ध बेरोजगारी है, जिसे दूर करने के लिए रोजगारोंन्मुखी उपाय किए जा रहे है।

ग्रामीण बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की स्थिति – भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती है। परन्तु भारत में बेरोजगारी तथा अल्पबेरोजगारी की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। वर्ष 1929 में घोर मंदी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई। जिससे देश में भारी विपत्ति आई। जिसके परिणामस्वरूप भारत में बेकारी व अल्प रोजगार की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। लेकिन वर्ष 1951 के ऑकड़ों से पहले इस समस्या का पता नहीं था। फिर भी योजना आयोग का अनुमान था कि पिछले सौ वर्षो में बेरोजगारी की समस्या में अधिक

* प्राचार्य, संस्कार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) संस्कार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर (म.प्र.) भारत

वृद्धि हुई है।इसकी वृद्धि के लिए कई कारण जिम्मेदार है। जनसंख्या वृद्धि इनमें से एक कारण है, पिछले सौ वर्षो में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। प्राचीन उद्योग धंधों का विनाश हुआ है। इसके कारण जनसंख्या के बड़े हिस्से को काम मिलना बंद हो गया है। रोजगार की वृद्धि से औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ है। प्रथम पंचवर्षी योजना में योजना आयोग ने कहा है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जानने की ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज कल यह आँकड़े केवल रोजगार के दफ्तरों के रजिस्टर से ही प्राप्त किए जा सकते है। परन्तु इन आंकड़ों से सम्पूर्ण देश की बेरोजगारी का पता नहीं लगाया जा सकता है। सही मायनों में यह कहाँ जाए तो रोजगार के यह दफ्तर औद्योगिक क्षेत्रों में है और ग्रामीण बेरोजगारी का उनमें कोई विवरण नहीं दिया गया है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि बेरोजगारी के ऑकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1954 में योजना आयोग के सुझाव पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा शहरी बेरोजगारी का सर्वे किया गया जिससे प्राप्त जानकारी के अनुसार 22.40 लाख व्यक्ति बेरोजगार है। सर्वेक्षण ने बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या दुनिया के कुल बेरोजगारों का दो–तिहाई भाग बताया। मई 1990 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक पं. बंगाल में भी, उस समय कुल बेरोजगारों में से कुल आधे बेरोजगार 49.3 प्रतिशत भारत के पं. बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में है। जहाँ तक ग्रामीण बेरोजगारी में मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश अधिक है। प्रथम पंचवर्षी योजना 1951 में गाँवों में बेरोजगारी के बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सका था। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग द्वारा कुछ सर्वे कराए गए परन्तु उसका कोई नतीजा नहीं निकला इससे यह कहॉ जा सकता है कि ऑकड़े अपर्याप्त है। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको दूर करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रयत्न किए जा रहे है।

ग्रामीण बेरोजगारी समाधान – वर्ष 1973 में भगवती समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए। इसमें ऐसी परियोजनाओं को भी शामिल किया गया, जिसमें ग्रामीण जन को रोजगार प्राप्त हो सके। इन परियोजनाओं में कृषि श्रमिकों को राहत देने का लक्ष्य रखा गया छोटे वर्ग के किसान वित्त की सहायता से कृषि कर सके। इसके लिए कमजोर वर्ग के किसानों के लिए विकास ऐजेसियों द्वारा सहायता की गई। ग्रामीण कृषकों को विपणन, संदाहरण का कार्य कराया जाता है एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित निदानात्मक कार्य जिससे समाधान किया जा रहा है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न किए जाना चाहिए। इससे शहरों की ओर पलायन कम होगा।
2. बेरोजगारी बीमा व्यवस्था की जाना चाहिये। इस बीमा के द्वारा श्रमिकों को संकट काल में आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जिससे उसका जीवन स्तर बना रहे। अगर उनका जीवन स्तर बना रहेगा तो उनकी कार्य क्षमता भी बनी रहेगी।
3. ग्रामीण कृषकों को उचित वेतन देकर भी बेरोजगारी दूर की जा सकती है।इससे वह अपने जीवन स्तर को सक्षम बनाए रखने में सहायक हो सकेगें। सरकार द्वारा जितनी मजदूरी तय है, उन्हें उतनी मजदूरी दी जाए।
4. भारत की युवा एवं जन शक्ति को रोजगार व प्रशिक्षण देकर काम पर लगाया जाये इससे उसमें एक तरफ तो बेरोजगारी दूर होगी और देश का विकास होगा।
5. लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं उसके विकास के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इनके विकास में बहुत से लोगों को व्यवसाय मिल सकता है। इस प्रकार उद्योग धंधों से बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो सकती है।
6. भू–सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जाए तथा गरीब तथा बेरोजगार व्यक्तियों के बीच भूमि का विवरण किया जाए। इसके लिए भू–दान कार्यक्रम हो।
7. अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुरूप रोजगार की व्यवस्था की जाना चाहिए।
8. जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी जिसका सीधा संबंध है, जिन अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ रहे है। इसलिए आवश्यक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जायें।
9. वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि की समुचित व्यवस्था की जाना चाहिए।
10. सार्वजनिक निर्माण को बढ़ावा दिया जाये क्योंकि जो छोटा मौसमी बेरोजगारी का सामना करते है, उन्हें इन कार्यो से बचा कर बेरोजगारी दूर की जा सकती है।
11. भारत में सामाजिक ढाँचे के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। प्राचीन व रूढ़िवादी प्रथा को दूर करके रोजगार प्रारंभ किया जा सकता है।
12. उद्योग धंधों का विकास करना मिश्रित बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना, अशिक्षित व्यक्ति को उनकी योग्यता अनुसार रोजगदार देना, इससे बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों को लागू करके बेरोजगारी को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि बेरोजगारी की समस्या अधिक भयावह है । जिसको दूर करने के लिए योजना वद्ध बनाकर उसे सही ढंग से लागू करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारत में ग्रामीण बेरोजगारी व समाधान का अध्ययन करना है। इसके मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक उद्देश्य निम्न है –

1. ग्रामीण बेरोजगारी का अध्ययन करना।
2. बेरोजगारी में देश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपायों का अध्ययन करना।

परिकल्पना – प्रस्तुत शोध पत्र निम्न परिकल्पना पर आधारित है।

1. आर्थिक विकास में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना महत्वपूर्ण माना है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि कम होने से रोजगार में वृद्धि हुई है।

अध्ययन की शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से भारत में ग्रामीण बेरोजगारी व समाधान के अन्तर्गत हमने भारत की ग्रामीण बेरोजगारी पर अध्ययन किया है। हम शोध के अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि संबंधी रूप रेखा, पत्र पत्रिका, लेख में प्राप्त वित्तीय समंक का प्रयोग किया है।

निष्कर्ष – इस अध्ययन में व्याप्त ग्रामीण बेरोजगारी समस्या एवं समाधान पर प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण बेरोजगारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व समाज के लिए एक अभिशाप है। जिसका दुष्परिणाम जहाँ एक तरफ बेरोजगार व्यक्ति व उसके परिवार से भुगतना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ समाज भी इससे प्रभावित होता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खण्ड ईकाईयों में बेरोजगारी सबसे अधिक है। कृषि कार्य में व्यक्तियों के तहत लाभ नहीं मिल पाता जिससे आहत होकर ग्रामीण कृषक अपराध करने लगते है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए है। लेकिन इस दिशा में कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल सत्येन्द्र 'ग्रामीण भारत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2012 पेज 10-11 एवं पेज 28-30
2. पटेल राजेश ग्रामीण विकास की रूपरेखा वर्ष 2014 रावत प्रकाशन, नई दिल्ली पेज 1-5 एवं 59-60
3. 'भारतीय अर्थव्यवस्था' दत्त एवं सुन्दरम् पेज 385-387 वर्ष 2012
4. जोशी ओम प्रकाश डॉ. ग्रामीण एवं नगरीय समाज शास्त्र वर्ष 2011 पेज 1-3
5. अग्रवाल उमेश चन्द्र डॉ. कुरू क्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित वर्ष 1999 पेज 20-25
6. शर्मा गोयल, श्याम डॉ. एवं जैन रवि के. डॉ. सांख्यकीय विश्लेषण वर्ष 2004 रमेश बुक डिपो, नई दिल्ली पेज 2.1-2017
7. हजेला, टी.एन. आर्थिक विचारों का इतिहास वर्ष 2009 पेज 623-694
8. उपाध्याय शर्मा दयाल- यव्यवसायिक वातावरण वर्ष 2009 रमेश बुक डिपो जयपुर पेज 18.1-18

वेबसाईट –

1. yojana.gov.in
2. www.karu.hindi.in

****

मध्यप्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक सामाजिक उन्नयन में स्वरोजगार योजनाओं के योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ. एन. एल. गुप्ता* रणजीत सिंह रावत**

प्रस्तावना – भारत गाँवों का देश है। देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी गाँवो में निवास करती है। वस्तुत: गाँवों को मानवीय सभ्यता का प्रथम सोपान कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय गाँवों की दशा आज भी चिंतनीय है। आर्थिक रूप से कमजोर या निर्धन व्यक्ति या परिवार गाँव में निवास करते है और उनमें प्रमुख है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति।

भारतवर्ष में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एवं जाति वर्ग का संकेन्द्रण मध्यवर्ती व पूर्वी क्षेत्रों मे हुआ है। देश के मध्यवर्ती क्षेत्र मध्यप्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एवं जाति पाए जाते है और विशेषकर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा अनुसूचित जनजाति एवं जाति बाहुल्य कहलाया जाता है। मध्यप्रदेश वास्तव में भारत के हृदय-स्थल की तरह है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है और इसकी कुल आबादी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का अनुपात 12.61 प्रतिशत एवं 16.85 प्रतिशत है। लगभग इसके 23 प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। दूर और दुर्गम स्थानों में अनुसूचित जनजाति एवं जाति निवास करती है। जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े एवं निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है। दुर्गम स्थानो पर निवास करने के कारण उनके पास पहुँच मार्ग, संचार साधनों का पूर्णत: अभाव रहा है। सभ्य समाज के सम्पर्क में न आने के कारण विकास की किरणें उन तक नहीं पहुँच पाई है और वे अपनी संस्कृति के आरम्भिक धरातल पर जीवनयापन कर रहें है। इस वजह से वे समाज के प्रशासक, ठेकेदारों, महाजनों, व्यापारियों के शोषण जाल में फँसे हुए है और अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में है। इसलिए सामान्यत: इन्हे 'पिछड़े हुए मानव समूह' भी कहा जाता है। खाद्यान्न, आवास, ऋणग्रस्तता, झूम कृषि का अभाव, जंगल सम्बन्धित समस्याओं से ग्रसित ये सभ्य समाज की नजरों में अपना स्थान नहीं बना पाए है और इस वजह से इन्हें सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा।

मध्यप्रदेश में निमाड़ की पहचान अनुसूचित जनजाति एवं जाति बहुल और पिछड़े क्षेत्र के रूप में की गयी है। निमाड़ के खरगोन एवं बड़वानी जिले अनुसूचित जनजाति एवं जाति के बहुल जिले के रूप में माने जाते है। इसलिये केन्द्रीय विकास नीति के अनुरूप इसके विकास के लिए नियोजित ढंग से औद्योगिक विकास केन्द्र जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के रूप में किया है। वर्तमान समय में खरगोन एवं बड़वानी जिले के अधिकांश युवक ऐसे है, जो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार है तथा उन्हें रोजगार की नितांत आवश्यकता है ऐसे में म.प्र. शासन के द्वारा कई स्वरोजगार योजनाएँ जैसे दीनदयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, अनुसूचित जनजाति एवं जाति स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना आदि संचालित की जाती है। इन योजनाओं के द्वारा खरगोन एवं बड़वानी जिले के अनुसूचित जनजाति एवं जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।

परिकल्पना – किसी भी विषय पर शोध कार्य करने के लिए विषय के सम्बन्ध में परिकल्पना आवश्यक बिन्दु है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है 'पूर्व चिन्तन' यह अनुसंधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या का विश्लेषण और परिभाषिकरण के पश्चात् उसके कारणों तथा कार्य करण के सम्बन्ध में पूर्व चिन्तन कर लिया गया है। यह निश्चय करने के पश्चात् उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमने निम्न परिकल्पना की है –

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। परन्तु प्रशासन द्वारा उन योजनाओं का सही रूप में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शासन की ओर से वित्तीय संसाधन राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु शासन प्रशासन द्वारा अधिक प्रयत्न नहीं किए जाने के कारण यह योजना उन तक नहीं पहुंच पाती है।
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पिछड़ेपन का मुख्य कारण अशिक्षा है।
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्ग के लिए शासन की ओर से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, किन्तु उनकी अशिक्षा के कारण वे उक्त संसाधनों का लाभ नहीं ले पाते हैं और सेठ, साहूकारों से वित्तीय संसाधन प्राप्त करते हैं

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र – सामाजिक अनुसंधान एवं शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है और न ही काल्पनिक घोड़ा दौड़ा कर अथवा दार्शनिक विचारों का सहारा लेकर किसी यथार्थ और प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी शोध कार्य के लिए सांख्यिकीय आंकड़े आवश्यक है। इन आंकड़ों को विभिन्न पद्धतियों जैसे पुस्तकालय पद्धति, अवलोकन पद्धति और सर्वेक्षण पद्धति आदि से एकत्र किए जा सकते हैं। जिससे शोध कार्य सरलतापूर्वक और विश्वसनीय होता है।

शोध अध्ययन मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में स्वरोजगार योजनाओं से

*प्राध्यापक (वाणिज्य)शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी जिला -बड़वानी (म.प्र) भारत
**शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र) भारत

आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में किया गया है। इसलिए अध्ययन का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को जानने और विशेषकर निमाड़ में अनुसूचित जाति/जनजाति के आर्थिक अध्ययन तक सीमित है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का विश्लेषण द्वितीयक सामग्री या शासकीय प्रकाशित सूचनाओं और समंकों पर आधारित है, जबकि पश्चिम निमाड़ में स्वरोजगार योजनाओं से आर्थिक विकास का अध्ययन प्राथमिक सूचनाओं और जानकारियों पर आधारित है।

शोध के उद्देश्य –

1. स्वरोजगार योजनाओं के शोध से प्राप्त ज्ञान अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है।
2. स्वरोजगार योजनाओं के शोध से प्राप्त ज्ञान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं के तनाव को दूर करने में मदद करता है।
3. स्वरोजगार योजनाओं के शोध से प्राप्त ज्ञान नवीन योजनाओं को बनाने में मदद कर सकता है।
4. स्वरोजगार योजनाओं के शोध से प्राप्त ज्ञान योजना के सुचारूप से संचालन, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है।

शोध विलेषण–'मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक सामाजिक उन्नयन में स्वरोजगार योजनाओं के योगदान का आलोचनात्मक' अध्ययन के लिए निम्न योजनाओं का चयन किया गया है –

अन्त्योदय स्वरोजगार योजना – प्रदेश में अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों का प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के माध्यम से कृषि, लघु कुटीर उद्योग, पशुपालन एवं फुटकर व्यापार के लिए म.प्र. राज्य व्यवसायी विकास निगम द्वारा यह योजना 1976 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

अन्त्योदय स्वरोजगार योजना की प्रगति विश्लेषण तालिका**(देखे)**

ऑकड़ो के विश्लेषण के आधार पर योजना में स्वीकृति का प्रतिशत वर्ष 2005–2006 में ही शत्– प्रतिशत रहा है। 10 वर्षो में स्वीकृति का औसत 82.9 प्रतिशत रहा है जिसे शत्– प्रतिशत की स्थिति में लाया जाना अपेक्षित है, जिससे शत्– प्रतिशत हितग्राही संतुष्ट हो सके।

निष्कर्ष – शोध अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक सामाजिक उन्नयन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार में वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मार्गदर्शक – आर्थिक विकास योजनाएँ – म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल।
2. आदिवासी विकास की कारगर पहल – पत्रिका – आदिम जाति कल्याण संचालनालय, म.प्र., भोपाल।
3. स्वयं का रोजगार – शासन की रोजगारोन्मुखी योजनाएँ, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर।

अन्त्योदय स्वरोजगार योजना की प्रगति
विश्लेषण तालिका

स.क्र	वर्ष	ऋण स्वीकृति का लक्ष्य हितग्राहियों की संख्या	वास्तविक स्वीकृति हितग्राहियों की संख्या	प्रतिवर्ष लक्ष्य पर स्वीकृति का प्रतिशत
1	2000 – 01	8000	5201	65
2	2001 – 02	8000	5365	67
3	2002 – 03	8000	7964	99
4	2003 – 04	4925	3888	78
5	2004 – 05	11543	10448	90
6	2005 – 06	11260	11260	100
7	2006 – 07	10,000	9211	92
8	2007 – 08	12,000	8393	70
9	2008 – 09	10,000	8378	84
10	2009 – 10	11340	9573	84
	योग	95068	79681	

स्त्रोत – अन्त्याव्यवसायी जिला व्यवसाय विभाग, भोपाल से प्राप्त समंक।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

बड़वानी जिले में कपास विपणन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. विजय ग्रेवाल * रेखा पंवार **

प्रस्तावना – पुराने क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता के दिनो में कपास का विपणन बहुत सरल था। गाँव में ही चरखे की सहायता से कपास में से बिनौला अलग कर लिया जाता था। जिन किया हुआ कपास दुर-दुर तक, बरार से बंगाल तक भेजा जाता था। विदेशी माँग बढ़ने पर बंगाल व गुजरात का कपास बंदरगाहो को जाने लगा तथा बम्बई व खम्भात की खाड़ी इग्लैण्ड को निर्यात करने वाले प्रमुख केन्द्र बन गए, विदेशी माँग उत्पन्न होने से कुछ समस्याएँ उत्पन्न हुई जैसे थोक विपणन का विकास, कपास की जिनिग व प्रेसिंग में सुधार, और यातायात में वृद्धि कुछ ही दिनों में जिनिग फैक्ट्रियाँ और महत्वपूर्ण कपास विपणन रेल द्धारा जोड दिये गये और बम्बई में इनका अंतिम बाजार उत्पन्न हो गया। सन् 1854 में कपास के व्यापार में लगी बम्बई की युरोपियन फर्मो ने मिलकर बम्बई कपास विपणन की स्थापना की 1892 से 1917 के बीच विभिन्न स्वार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक व्यापारिक संघ स्थापित किए गए। इसी बीच भारतीय कपड़ा उघोग ने भी पर्याप्त प्रगति की और इन सबका परिणाम यह हुआ की भारत का अधिकांश कपास स्थानीय कपड़ा मिलों व हाथ करंघा के उपयोग में आ जाता। आधुनिक विपणन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कभी-कभी वस्तुओं के उत्पादन से पहले ही उनका विपणन कर दिया जाता है। और कभी विक्रय से पहले लम्बी अवधि तक भण्डारग्रह में रखना पढ़ता है, मिले आज जो कपड़ा बेचती है। उन्हें बहुत पहले तैयार कर दिया गया था तथा आज जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही है उन्हे कुछ माह बाद विक्रय के लिय उपलब्ध कराया जा सकेगा मिले का काम बंद ना हो और ये लगातार चलती रहे इसके लिए मिले कपास की अग्रिम खरीदी करती है और बहुत से व्यापारी मिलों को कपास बेचने के सौदे तब कर देते है जब वास्तव में कपास को चुनने का काम शुरू नहीं होता है। उत्पादन प्रक्रिया में समग्र तत्व के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान या हाजिर सौदों और भविष्य के अलावा फायदे के सौदो में अन्तर किया जाये इन सौदो में प्रमुख अन्तर करने और माल की सुपुदगी के बीच लगता है। तत्काल या केवल कुछ निश्चित दिनों के भीतर देनी पढ़ती है, जब सुपुर्दूगी लम्बी अवधि के बाद दी जाती है, तो समझो की अग्रिम या भावी में सौदे कहा जाता है।

भारत में किसान कपास को कपास के रूप में बेच देता है, बहुत कम किसान कपास को रूई के रूप में बेचते है। किसान अपने कपास को गाँव में ही या निकटवर्ती मण्डी में बेचता है। गाँव के प्राथमिक बाजार में संग्रहण का काम गाँव के छोटे व्यापारी करते है, कुछ क्षेत्रों में जिनिंग फैक्ट्रियो के एजेन्ट भी गाँव में जाते है, और कपास का क्रय करते है। भारत के अनेक ऐसे राज्य है, जिनमें कपास का गाँवो में ही बेचने की प्रथा का चलन है परन्तु अब धीरे-धीरे उसमें सुधार आया है और किसान कपास का विपणन मंड़ियों में करने लगे है परन्तु पहले 85 प्रतिशत कपास गाँव में ही बेच दिया जाता था।

बड़वानी जिले में कपास का विपणन – जिले में कपास का विपणन नियमित रूप से किया जाता है, जिले में विपणन के लिए कृषि उपज मण्डी है, जिसमें कपास का विपणन बड़ी मात्रा में किया जाता है जिले में कुल 6 उपज मड़िया है जो निम्न है।

1. बड़वानी
2. सेधवा
3. राजपुर
4. निवाली
5. पानसेमल
6. अंजड़

इन मंड़ियों में से सबसे ज्यादा कपास की आवाक सेंधवा व पानसेमल और अंजड़ मंडी में होती है। कृषि उपज मंडी में सितंबर से मार्च माह तक कपास का विपणन बड़ी मात्रा में किया जाता है। जिले में कपास के विपणन में कृषि मंडी को 3.35 करोड रू. की आय हुई है, जिले में पहली कपास का विपणन कम मात्रा में होता था। पर अब अधिक होने लगा है। जिससे कहा जा सकता है कि कपास का उत्पादन व विपणन की मात्रा में वृद्धि हुई है। जिले में कपास का विपणन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो और कृषक को उसकी उपज का पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हो तो वे कपास की पैदावार व रकबा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार कपास को मिले तक पहुँचाने के बीच के खर्च कम किए जाए तो रूई मिलो को सस्ते दामों पर मिल सकेगी इससे उपभोक्ता को तैयार कपड़ा भी सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेगा। अत: कृषक व उपभोक्ता के बीच की कड़ियों में जो अनावश्यक है। उन्हें घटाकर व जो खामिया है, उन्हें दूर करके कपास की विपणन व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इस वर्ष कपास का विपणन में कुछ मात्रा में वृद्धि मानी जा सकती है।

बड़वानी जिले में कपास विपणन में आए परिवर्तन – जिले में कपास का विपणन पहले गाँवो में ही कर दिया जाता है, परन्तु अब कपास का विपणन के लिए कपास को शहर या किसी निकटवर्ती मड़ियों में कपास का विपणन किया जाता है। वर्तमान में हाजिर सौदों और भविष्य के अलावा फायदे के सौदों में अन्तर किया जाए इन सौदों में प्रमुख अंतर उसे अवधि का होता है जो समझोते पर हस्ताक्षर करने और माल की सुपुर्दगी के बीच लगता है, तत्काल या हाजिर सौदो में माल की सुपुर्दुगी तत्काल या केवल कुछ निश्चित दोनों के भीतर देनी पढ़ती है, जब सुपुर्दुगी लम्बी अवधि के

* सहायक प्राध्यापक, वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

बाद दी जाती है, तो समझौते को अग्रिम या भावी सौदे कहा जाता है।

जिले में कपास की आवक की रफ्तार अब कम हो गई प्रतिदिन10 से15 वाहन की कृषि उपज मंड़ी पहुँच रहे है। स्थानीय क्षेत्रों में कपास आवक लगभग बंद हो गई है। महाराष्ट्र क्षेत्र से ही कपास के वाहन पहुँच रहे है इस वर्ष कपास का भाव पिछले वर्ष से थोड़ा बेहतर है जिससे कपास विपणन में कुछ मात्रा में वृद्धि मानी जा सकती है। इसके चलते इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कपास की आवक थोड़ी पिछड गई वर्ष 2015 में फरवरी माह तक लगभग 9 लाख 34 हजार 340 क्विंटल कपास की आवक हुई है। जिससे की विपणन में कमी हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख 70 हजार 340 क्विंटल कम है लेकिन भाव बेहतर रहने से मंडी की आय में बढोत्तरी हुई है। इस वर्ष मंडी को करीब 3 करोड 35 लाख रू. की आय हुई है, कपास का भाव 41 सौ 6 हजार रू. प्रति क्विंटल तक रहा है। कपास के विपणन में कपास की आवक के कारण ही कपास में वृद्धि हुई है।

बड़वानी जिले में कपास के विपणन में आने वाली समस्याए –

1. जिले में कपास की यह आवक लगभग डेढ़–दो माह तक जारी रहती है। इससे जहाँ कीमते गिर जाती है, वही यातायात की समस्या और भण्डारण की समस्याओं भी बड़ी हो जाती है।
2. जिले में 80 प्रतिशत किसानों के पास बैलगाड़ियाँ एवं कुछ के पास ट्रेक्टर ट्रालिया है। गाँव के बडे कृषक या गैर कृषक की ट्रैक्टर ट्राली में कई छोटे कृषक मिलकर अपना कपास भर लाते एवं इसके बदले किराया चुकाते है, यह भी विपणन में आने वाली एक समस्या है।
3. नोटबंदी के दोरान कपास की आवक जहाँ काफी कम हो गई,वही किसानो ने भी कैश की किल्लत के चलते कपास की बिक्री से थोड़ी दूरी बनाए रखी हालांकी नोटबंदी का असर समाप्त होते ही कपास की आवक सामान्य हो गई थी। जो कि विपणन में आने वाली एक समस्या थी।
4. कपास का विपणन के उद्देश्य से सहकारी समिति बनाकर समिति को प्राप्त पुरी कपास का श्रेणीयन करने के बाद से सहकारी समिति बनाई गई थी, पर उचित प्रबंधन न होने के कारण से समितियाँ ठीक प्रकार से संचालित न हो सकी।
5. कपास विपणन की यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसमें परिवाहन सुविधा का अभाव है, जो कि एक बुनियादी आवश्यकता है। जिले में परिवहन की समस्या कपास विपणन के लिए बाधक है।
6. जिले में कपास विपणन करते समय मूल्य में भी अभाव रहता है, क्योंकि 85 प्रतिशत किसान गाँवो से ही कपास का विपणन करने आता है।
7. जिले में आधारभूत संरचना की कमी तथा मंडियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। जिससे किसान को कपास के विपणन में उनकी उपज की उचित कीमत नहीं मिलती है।
8. कपास विपणन की एक समस्या यह भी है कि इसमें वायदा बाजार से अनियमितता होती है। क्योंकि कपास विपणन में वायदा कारोबार का आंशिक अंश है, इसलिए जरूरी है कि किसानो के इसके बारे में समुचित जानकारी दी जाए।

निष्कर्ष – बड़वानी जिले में कपास का विपणन बड़ी मात्रा में किया जाता है। क्योंकि पहले की विपणन से प्रक्रिया से अब की विपणन प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि पहले जिले में कपास का उत्पादन कम होता था पर अब पहले से बड़वानी जिले में कपास का उत्पादन अधिक होने लगा है। इससे विपणन प्रक्रिया में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। और पहले विपणन प्रक्रिया में अनेक कठिनाईया होती थी परन्तु अब विपणन व्यवस्था में पहले से विपणन प्रक्रिया में सुधार आया है। क्योंकि पहले कपास का विपणन गॉवो में ही कर दिया जाता था। परन्तु अब कपास का विपणन मण्डियो में किया जाता है, वे भी नियमित रूप से किया जाता है। जिससे की कपास की उत्पादनशीलता का पता लगाया जा सकता है। जिससे की जिले में कपास की विपणन में हुई वृद्धि का पता लगाया जा सकता है। जिससे कपास के विपणन में कपास की आवक में वृद्धि होती है। जिससे कपास के विपणन में कपास की आवक में वृद्धि होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वेब दुनिया।
2. भारतीय कपास निगम लिमिडेट।
3. कृषक जगत।
4. पत्रिका।
5. वाटर इंडिया।
6. म.प्र. कृषि।

****

रीवा में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं

डॉ. ज्ञानेन्द्र पाठक *

शोध सारांश – सेवा क्षेत्र में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है, जीडीपी में 6 प्रतिशत व कुलरोजगार में 8 प्रतिशत योगदान है। भारत में प्रतिवर्ष 5 मिलियन विदेशी पर्यटकों तथा 562 मिलियन घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। पर्यटक स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास कर ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते है। कैपिंग स्थलों का संचालन स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है। स्थानीय पकवान, चाय, मीट, दूध, मछली, अंडे आदि की आपूर्ति ग्रामवासी कर सकते है। गुढ़ के कष्टहरनाथ मंदिर का 2.22 करोड़ रूपये की लागत से जीर्णोद्धार कर नदी घाट को सुरम्य बनाते हुए 10 एकड़ के मंदिर परिसर को आकर्षक व सुंदर बनाया जाएगा। इसके साथ ही अति प्राचीन भैरो बाबा मंदिर का 56 लाख रूपये से तथा बूढ़ी माता मंदिर क्षेत्र का 1.21 करोड़ रूपये से जीर्णोद्धार किया जाएगा, यहां विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लग रहा है। कष्टहरनाथ मंदिर सहित सम्पूर्ण 10 एकड़ परिसर क्षेत्र को आकर्षक व सुंदर बनाया जाएगा ताकि पर्यटक व श्रद्धालु सुगमता से दर्शन प्राप्त कर सकें। ऑटो, टैक्सी की सुविधा गाइड के रूप में जंगलों, पहाड़ों, वनस्पतियों, जीव-जन्तुओं ऐतिहासिक व पौराणिक स्थलों की जानकारी तथा लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित कर सकते है। पर्यटक गरीबी दूर करने व रोजगार सृजन का सशक्त साधन है, इसमें पर्यावरण में सुधार होता है, कृषि क्षेत्र से शहरी पलायन भी रूकता है। दुनिया के 83 प्रतिशत विकासशील देशों की पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की मुख्य विधा रहा है।

प्रस्तावना – पर्यटन देश का सबसे बड़ा सेवा उद्योग क्षेत्र है। सकल रोजगार में पर्यटन उद्योग का हिस्सा 8.78 प्रतिशत है, जबकि जीडीपी में हिस्सेदारी 6.23 प्रतिशत है। लाभ का बड़ा हिस्सा विदेशी पर्यटकों से प्राप्त होता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन विदेशी पर्यटक आतें है जिससे 11 अरब डॉलर की कमाई होती है तथा 562 मिलियन घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। भारत में विकासशील चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र मोजूद है। रीवा पर्यटन अपने संग्रहालयों, किलों, झरनों और ऐतिहासिक गावों के लिए प्रसिद्ध है। 'मुमुन्दपुर' फेद शेर के लिए विश्व विख्यात है। यह चार भागों में विभाजित है, विंध्यपहाड़, निचला उत्तरी मैदान, कैमोर पहाड़ और रीवा पठार। रीवा के प्रमुख पर्यटन स्थल जहाँ पर्यटकों को अधिकाधिक समय तक रोका जा सकता है।

रीवा किला – रीवा किला दो नदियों के संगम पर स्थित है, राजघाट का भव्य कायाकल्प, सीढ़ियों का निर्माण, वॉटर सपोर्ट सुविधा, काटेज की सुविधा प्रदान कर रीवा किले के सानिध्य में पर्यटक अधिकाधिक रूकेगें। रीवा जिले में महामृत्यंजय मंदिर, भव्य गणेश मंदिर एवं अनेक अन्य मंदिर है। रीवा का बाघेला म्यूजियम भी अनोखा एवं महत्वपूर्ण है।

रीवा शहर में दर्शनीय स्थल – पचमढ़ा मंदिर, लक्ष्मण बाग मंदिर, गंगा वाटिका स्थित भव्य गौरी शंकर प्रतिमा, कोठी कम्पाउन्ड, पुरातत्व संग्रहालय आदि अनेक स्थल रीवा शहर में ही हैं जो दर्शनीय है। सुपाड़ी के खिलौने एवं अन्य कलाकृतियां, बांस से निर्मित, मिट्टी से निर्मित वस्तुएं।

आवास सुविधा – कई अच्छे आवासीय होटल जैसे- चन्द्रलोक, महाराजा, स्टार, वृंदावन, राजनिवास आदि सेवा में मौजूद है। रीवा के निकट स्थित

अन्य दर्शनिय स्थल – गोविंद गढ़ तालाब मंदिर एवं महल, सफेद शेर सफारी एवं जूं, बढदहा सोहागी छुहिया घाटी एवं विंध्य पर्वत माला, भैरव मंदिर गुढ, देउर कोठार, गढ़ कटरा, अल्ट्रा सौर ऊर्जा संयंत्र, शिव नगरी देवतालाब। मध्यप्रदेश का सबसे ऊँचा 'बहुती जल प्रपात', पूर्वा व चचाई जल प्रपात नवनिर्मित विशाल कुष्णा, राजकपूर ऑडिटोरियम।

पर्यटक सुविधा का विकास – जल प्रपातों पर सुरक्षा, पेय जल, खान-पान व शौचालय के इंतजाम नहीं है, देउर कोठार पहुँच मार्ग जर्जर है, योगिनीमाता के शैल चित्र और लुकेश्वर नाथ एवं अनेक ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का पहुँच मार्ग एवं पर्यटक सुविधा ओंक नितांत अभाव हैं। सिरमौर के आल्हा धारवाड़ी नौची धाम को पर्यटन के रूप में विकसित करने लाख की कार्य योजना है, ये मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित होगें। गोविंद गढ़ किले को है, हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करना है, जिसे लीज पर दे दिया गया है। क्योटी किले को भी हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिले के पर्यटन स्थलों के लिए बसों का संचालन किया जाएगा, अच्छी सड़क, पुरूष महिला प्रसाधन, जलप्रपात के पास रेलिंग जाली व सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए जाएं, रूकने ठहरने के लिए होटल, लॉज रेस्ट हाउस, कैंटीन आदि खोले जाएं। वॉटर फाल टूरिज्म सर्किट विकसित किए जाने की जरूरत है।

कार्य योजना – रीवा के आसपास 3 राष्ट्रीय पार्क- बाणसागर डैम, चित्रकूट व अन्य पुरातात्विक महत्व के प्रमाण वाले स्थल है। पर्यटक सुविधाओं की कमी स्वच्छता व सुंदरता में कमी, सुरक्षा में कमी मनोरंजक साधनों की कमी, प्रचार की कमी, बिजली पानी, खान-पान, आवास, सड़क सुविधा, यात्रा के शीघ्र आरक्षण का आभाव, प्रदूषण, भीड़भाड़ संकीर्णगली, गंदगी, सरकारी योजनाओं में भष्ट्राचार, हिंसा, अपहरण, ठगी व बलात्कार जैसी शर्मनाक घटनाएं छवि धूमिल करते है।

इको टूरिज्म की गतिविधियां जैसे ट्रैकिंग, साइकिलिंग, एंजिलिंग आदि संचालित करने की अपार संभावनाएं है। गुढ़ में भैरवनाथ मंदिर प्रांगण, जो पहाड़ी पर है, उसका सौंदर्यीकरण कर ध्यान केंन्द्र के रूप में विकसित किए

* अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय, केशवाही, शहडोल (म.प्र.) भारत

जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त सभी पर्यटन स्थलों पर पक्की सड़क, टाइल्स, प्रकाश व्यवस्था, घांस, पेड़, हरियाली, स्वच्छता, सुंदर दुकाने, जलपान स्थल होटल, लोक व्यंजन, पाक कला, लोक कला का विकास करना, प्रचार प्रसार करना, सुरक्षा के इंतजाम करना, यातायात के सस्ते व सुगम साधन, पर्यटक बस, टैक्सी का संचालन, रीवा हवाई पट्टी से नियमित उड़ान सेवा, रेलवे द्वारा प्रचार प्रसार व विज्ञापन करना, कुशल श्रम शक्ति को बढ़ाना आदि। रीवा में 5 बड़े जल प्रपात, सफेद शेर सफारी, अनेक प्रमुख मंदिर, अनेक पुरातात्विक व ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। इसलिए रीवा क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं छिपी हुई है, अतः इसके उचित रूपांतरण तथा सामाजिक व राजनैतिक आकांक्षाएं रीवा के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाईयों पर ले जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Second Generation Reforms For Indian Banks

Dr. Leena Sharma*

Introduction - The object of this paper is to summarize the main recommendations of the report of the working group on restructuring weak public sector bank (Known as Verma committee report) and to analyze the policy implication arising out of such restructuring. In tune with Basle norms and the report by the committee on Financial Systems and the report on Banking sector reforms, the working group has also suggested measures to revival of weak public sector banks. Instead of simply giving theoretical norms, the committee undertook the exercise of actually identifying weak banks and suggested measures to improve their working. Though many critical comments may be made both on the ideology under which it is working and the details proposed by it, but the suggested exercise is worth pursuing. The committee has made full use of experience of other countries which are more or less facing the same problem where public sector banks were nationalized or established with same ideological fervor.

The Dilemma- In the initial stages of economic development it was a common belief that the government intervention can expedite the financial intermediation at its best. The underlying belief was the fear of market failures. The underlying logic was that the interest rates should be kept lower than the market rate, that the funds must be diverted for social concerns and the financial concerns should be more for public service than for profit maximization. But the real shock came when these financial intermediaries could neither earn profit nor meet the ever-growing demands of government and public sector enterprises. Then the tables turned and it was advocated/ realized that the best way to advance financial intermediaries was to liberalize these. This process was adopted first in Latin American countries then in East Asian countries and now in almost every country. This echo would have gone unabated had not the experience of East Asian countries in 1997. It is interesting to note that the theoretical underpinning rests on Stiglitz and Weiss theory that it is possible to have "efficient credit rationing and optimal interest rates below the market clearing level even in the non intervened financial system because of the asymmetric information between lenders and borrowers". This theoretical justification for financial liberalization was challenged by the work of Villanueva and Mirakhor. Further work by Caprio, Hanson (1994) has given the impression that if exists substantial level of non-performing assets and there is macro economic instability then the fear is validated.

The reforms in Weak Public Sector Banks - The Verma committee report on weak public sector banks (Report of the working group on restructuring weak public sector banks) must be read in continuation with two Narsihmam committee reports and in the general air of liberalization and financial reforms. The verma committee has identified three specific banks namely Indian Bank, United Commercial Bank and United Bank of India. Following are the main features of the Verma Committee report.

(A) The Narsimham Committee report has defined a weak bank as one which have accumulated losses and net NPA exceed the net worth of a bank or the operating profits less income from recapitalization bonds are negative for three years. The Verma committee has added seven more parameters. These are:

(i) Capital adequacy ratio
(ii) Coverage ratio
(iii) Returns of assets
(iv) Net interest margin
(v) Ratio of operating profit to average working funds
(vi) Ratio of cost to income and
(vii) Ratio of staff cost to net interest income + all other income

(B) Amongst the causes of weakness of the banks there are three areas have been identified

(i) Operational failures relating to high level of NPA slow decision making process in matters of loan sanction and weak internal control poor risk management and low level of technology.
(ii) The human resource failure includes overstaffing and low productivity. The lower level of skill in specialized areas and low motivation are amongst others.
(iii) Under management related issues short tenures, frequent changes in top management and inadequate support from board of Directors is listed.

(C) As a future course of action the core principles laid down are manageable cost, least burden on exchequer, sharing of losses equitably and strong internal governance. It has also suggested an independent agency for restructuring.

(D) The committee has concluded that merger is not advantageous without proper preparation and closure would have negative externalities.

(E) The privatization was recommended as a policy choice,

* (Economics) Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

for it would remove the moral hazard, but in the present case it will mean prohibitive cost which no private entrepreneur will venture.

(F) According to committee the scope for narrow banking is limited because any diversion in customers will reduce income and also non-interest income is affected.

Measures To Strengthen Weak Banks - The Verma committee has suggested measures for operational and financial restructuring. This is after rejecting the three other options namely, merger, change in ownership and narrow banking. The three banks could not improve after heavy dose of recapitalization to the tune of 6740 crores of public money in last ten years. The committee has suggested four restructuring programs namely, operation financial, organizational and systematic restructuring. The details include:-

A. Operational - As suggested by Gilian Garcia in a document published by IMF the committee is of the opinion that the operational restructuring should include; basic changes in the mode of operation, induction of modern technology, resolution of the problem of high non performing assets and drastic reduction on the cost of operations. Thus it emphasizes on reducing costs and increasing incomes. The committee has specifically mentioned that the public sector banks are losing ground because foreign and private banks are adopting modern technology. Thus it has suggested a common networking and that too on the BOOT (Build Own Operate Transfer Model).

The banks in question are having NPA problem because of chronic loans, tied with BFR or loans to public sector units. Thus apart from inefficiency the national policy was equally responsible. For this purpose creation of Asset Reconstruction Fund (ARF) has been suggested. This should be a government owned company but managed by private sector.

Cost income ratio of these banks was in the vicinity of 141, 94, and 90 percent for the Indian Bank, UCO Bank and Union bank of India. This has reached a classic case of a firm in perfect competition where the only solution suggested is shut down. The remarkable point is that while other non-problem public sector banks have a staff expense ratio of 45% these banks have more than 75%. It has been estimated that if introducing VRS covering 25% staff reduces the present staff strength then the operating expenses can be reduced. The committee has put a radical suggestion that not only there should be a cap on the wage bill but also if theVRS does not lead to reduction in operating cost there ought to be across the board wage cuts.

B. Organizational - Another important areas is organizational restructuring. There is multiple level of decision making which should be made more cost effective. Then there is larger network of branches, which can be reduced and competition within weak or all public sector banks may be reduced.

For dynamic leadership the CMD shooed be appointed with longer term tenure and sufficient rewards. Also a line of succession should be developed. The board should include eminent professionals, industrialist and financial experts. While the government should be owner the exclusive right of management should be in the hands of board. Also there should be proper training and skill formation.

C. Financial - It has been estimated by the committee that the capital infusion in the three identified weak banks has so far aggregated Rs. 6740 Crores. In case of Indian bank some more money is required. It has been suggested that the financial restructuring shooed aim at making capital Asset Ratio one percent above the minimum required. For recapitalization bonds may be issued. But there should be a clear agreement between government, management and the workers. There should be a time bound program for achieving financial goals. The estimated restructuring program is Rs. 300 to 400 for Technology upgradation, Rs. 1100 to 1200 crores for VRS. Rs. 1000 crores for NPA buyout and Rs. 3000 crores for capital adequacy.

D. Systemic - For systemic restructuring the government should established Financial Restructuring Authority (FRA) to coordinate and monitor the progress of the program. But of all, perhaps the legal reforms are all the most important. Debt Recovery Tribunals must act effectively.

Lastly the report concluded, " A stage has reached when gradualism will not succeed and if resorted to may cause more harm than good. By adopting a pick and choose approach, not only a total effect expected from the package will be lost, but even the one odf the unintended effect of the reforms is that while non performing assets has been reduced. But in absence of debt recovery tribunals banks are forced to make compromises with willful defaulters. This window dressing though look technically correct is a slow poison and ultimately defeat the very purpose for which reforms have been pursued.

References :-

1. Report of the Working Group on Restructuring Weak public Sector Banks: Summary Verma Committee Report.
2. UrjitR Ptel, (2000) " Outlook for Indian Financial Sector", Economic and political weekly. Vol XXXV No. 45 November 4-10 2000.
3. Caprio,G. I.Atiyas and J. Hanson (1994). Financial reforms; Theory and Experience, Cambridge University Press.Chapter 3 and 12.
4. Hanson (1994); Sequencing of Capital account convertibility, in Financial reforms; Theory and Experience, Cambridge University Press.
5. Villanueva D and A Mirakhor (1990) Strategies for financial reforms. IMF Staff papers.
6. D N Ghosh, (1999) 'Verma committee report on weak public sector banks', Economic and Political weekly Vol XXXIV No 48 Nov 27-Dec.3 1999.

****

नियोजन काल में रोजगार एवं संचालित कार्यक्रमों की भूमिका

डॉ. हरदयाल अहिवार *

प्रस्तावना – भारत एक विकासशील राष्ट्र है, किन्तु यहां बेरोजगारी का स्वरूप विकसित देशों की तुलना में अलग है। आर्थिक उच्चावचनों के कारण भारत में 1929 की महान मंदी के बाद बेरोजगारी उत्पन्न हुई, इसके अलावा भारत में द्वितीय विश्व युद्ध, देश का विभाजन, शरणार्थियों का आगमन, युद्धकालीन संकट एवं बढ़ती जनसंख्या जैसी समस्याओं ने भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी को बढ़ाया है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप पश्चिमी देशों की तुलना में भिन्न है, क्योंकि यहाँ 72 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 28 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। यहां बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, जबकि पश्चिमी देशों में औद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए भले ही व्यवस्थित रोजगार नीति न हो परंतु बेरोजगारी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के तहत् या फिर विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों को संचालित कर बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की जाती रही है।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारों की जनसंख्या 33 लाख थी, रोजगार के बावजूद योजना के अंत तक बेरोजगारों की संख्या 70 लाख बनी रही, आज भारत में कुल जनसंख्या का 7 प्रतिशत भाग बेरोजगारी का शिकार है। इसका आशय है कि भारत वर्तमान में औसतन 08.48 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। देश में बेरोजगारी का मोटा अनुमान रोजगार कार्यालयों में नौकरी के लिए दर्ज लोगों की संख्या के आधार पर लगाया जा सकता है। 1956 में यह संख्या 7.6 लाख थी जो दिसम्बर 2002 में बढ़कर 419.96 लाख हो गई, अर्थात् 46 वर्षो में बेरोजगारी की मात्रा में 55 गुनी वृद्धि हुई। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी के आकार में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। जिसका प्रभाव अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। बढ़ती जनसंख्या न केवल आर्थिक समस्या उत्पन्न करती बल्कि आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इसीलिए एक अल्प विकसित/विकासशील देश की बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप मानी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस गति से आय में वृद्धि नहीं होती है। प्रतिव्यक्ति आय कम होने के कारण जनता का जीवन स्तर निम्न हो जाता है, उनकी कार्य कुशलता में कमी आ जाती है, जिससे जनोपयोगी संस्थायें जैसे – अस्पताल, रेल, परिवहन, संचार, विद्युत, जल, आवास, स्कूल, कॉलेज आदि क्षेत्र प्रभावित होने लगते है। परिणाम यह होता है कि इससे हमारे निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते है। जनसंख्या वृद्धि से न केवल विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होते है, बल्कि अर्थ व्यवस्था के समूचे क्षेत्र पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के जो अवसर जुटाए गए वह बढ़ती हुई जनसंख्या में समा गये।

भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए आयोजन के तहत् विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए –

1. संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगार – अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार में संगठित क्षेत्र का भाग केवल 8.34 प्रतिशत है। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 5.77 प्रतिशत है और निजी क्षेत्र द्वारा (1999-2000) में केवल 2.57 प्रतिशत रोजगार जुटाया गया। अत: संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व है, जो कि इसमें 70 प्रतिशत योगदान देता है। यह मुख्यत: खनन्, बिजली, गैस एवं जलपूर्ति एवं सामाजिक सेवाओं के रूप में है। ये तीनों मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र में मिलकर लगभग 60 प्रतिशत के समान है। रोजगार जनन का मुख्य क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है, जिसमें स्व-रोजगार और लघु व्यापार शामिल है, और इसके द्वारा अर्थ व्यवस्था के कुल रोजगार में 92 प्रतिशत योगदान किया जाता है। इसकी मुख्य रोजगार जनन क्रियाएं है –

(क) कृषि
(ख) व्यापार- रेस्टोरेन्ट, हॉटल एवं पर्यटन
(ग) शिक्षा एवं स्वास्थ्य
(घ) गैर फार्म क्षेत्र
(ड़) परिवहन निर्माण

इस प्रकार असंगठित क्षेत्र द्वारा कुल निर्माणक रोजगार का 80 प्रतिशत जुटाया गया और इसकी सापेक्ष रोजगार लोच संगठित क्षेत्र के 3.8 गुना से अधिक है। अत: बेरोजगारी को दूर करने में संगठित एवं असंगठित दोनों क्षत्रों का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है।

2. भावी रणनीति – विशेष दल द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि वर्ष 1999-2000 में असंगठित क्षेत्र की रोजगार लोच 0.213 थी। जबकि संगठित क्षेत्र में 0.066 थी, इससे स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र द्वारा संगठित क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। विशेष दल ने यह सिफारिश की भविष्य में रोजगार रणनीति के लिए श्रम प्रधान और पूंजी बचाव वाली तकनीकी का प्रयोग किया जाये। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के विकास पर विशेष बल देना होगा। क्योंकि इसकी प्रति इकाई उत्पादन पर श्रम गहन संगठित क्षेत्र की तुलना में 7 गुने से अधिक है। किन्तु असंगठित क्षेत्र को आत्म संतोष करने के लिए अधिक उत्पादक बनाना होगा। ताकि देशीय एवं अंन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना कर सके। इसके लिए प्रोग्रामों एवं नीतियों को भारत के आर्थिक सुधार और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के साथ युक्ति संगत बनाना होगा।

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) पं.शम्भूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

3. रोजगार जनन – 10वीं पंचवर्षीय योजना में श्रम शक्ति में सभी नव-प्रवेशकों को आगामी पांच वर्षो में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया तथा दशक के अंत तक बेरोजगारी को समाप्त करने का वचन लिया गया है। इसके लिए सकल देशी उत्पाद में औसत 8 प्रतिशत वृद्धि की दर प्राप्त करनी होगी। यदि 8 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर लिया जाता है, तो योजना के दौरान 300 लाख रोजगार कायम किए जा सकेगें। श्रम शक्ति में 350 लाख नव-प्रवेशकों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। अत: कुल मिलाकर 700 लाख लोगों को रोजगार की जरूरत होगी जबकि 8 प्रतिशत वृद्धि की दर पर 300 लोगों को ही रोजगार मिल पाएगा और 400 लाख व्यक्ति बेरोजगार पाए जाएगें।

दसवीं योजना की रोजगार आवश्यकता का अनुमान (लाखों में)

1.	श्रम शक्ति (मार्च 2002 पर)	3782.1
2.	उपलब्ध रोजगार	3433.6
3.	अविशिष्ट बेरोजगार	(1-2)348.5
4.	श्रम शक्ति में नव प्रवेशक	352.9
5.	कुल रोजगार की आवश्कता (3+4)	701.4

4. रोजगार परिदृश्य – 100 लाख रोजगार प्रतिवर्ष कायम करने सम्बन्धी विशेष ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर 10वीं योजना में अनुमान लगाया गया है कि (दैनिक स्थिति के आधार पर) 2001-02 में बेरोजगारों की संख्या 348.5 लाख थी। इसमें 10वीं योजना के दौरान श्रम शक्ति में वृद्धि के रूप में 352.9 लाख व्यक्तियों का अनुमान है। इस प्रकार 10वीं योजना के दौरान 701.4 लाख कुल रोजगारों (348.5 + 352.9 = 701.4) की आवश्यकता होगी। सकल देशी उत्पाद की 8 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 10वीं योजना के दौरान 296.7 लाख रोजगार सामान्य रूप से कायम हो पाएगी। जाहिर है कि अतिरिक्त श्रम शक्ति में वृद्धि (352.9) लाख के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराये जा सकेगें और इसके लिए 56.2 लाख रोजगार अवसरों की जरूरत होगी। इसके परिणाम स्वरूप कुल बेरोजगारों की संख्या 404.7 लाख हो जाएगी। अत: इसका उत्तर ऐसी विकास रणनीति में निहित है जैसे – श्रम प्रधान उत्पादन के पक्ष में तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। इसके लिए ऐसे श्रम प्रधान क्षेत्रों की सिफारिश की है, जिनमें नीति सम्बन्धी हस्तक्षेप की जरूरत होगी। ये क्षेत्र हैं – कृषि, खाद्य, परिसाधन, ग्रामफार्म, विभिन्न क्रियाए जिनमें खादी और ग्रामोद्योग शामिल है, लघु तथा मध्यम उद्यम और सेवा क्षेत्र जिनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सूचना, टेक्नालॉजी और संचार सम्मिलित है। इससे 193.2 लाख रोजगार कायम किए जा सकते है।

10वीं योजना के दौरान प्रोग्रामजनित अतिरिक्त रोजगार

क्र	विवरण	रोजगार के अवसर ( )
1.	कृषि तथा सम्बन्ध क्रियाए	35.5
2.	कृषि-वानिकी द्वारा देश को हरा-भरा बनाना	35.0
3.	बायोगैस पॉवर जनन के लिये ऊर्जा बनाना	20.1
4.	श्रम क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्योग	70.6
5.	शिक्षा तथा साक्षरता	17.0
6.	सूचना एवं संचार टेक्नालॉजी द्वारा रोजगार	7.0
7.	स्वाथ्य परिवार और बाल कल्याण सेवाए	8.0
	कुल योग	193.2

अत: कुल रोजगार जनन 490 लाख होगा, जिनमें 8 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 296.7 लाख और प्रोग्राम जनित रोजगार 193.2 लाख रोजगार कायम किये जायेंगे। इस प्रकार बेरोजगार की दर जो 2001-02 में 9.21 प्रतिशत थी, कम होकर 2006-07 तक 5.11 प्रतिशत रह जाएगी। 10वीं योजना में कुल रोजगार-जनन **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

प्रारंभ में तीन पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि के लिए सरकार ने कोई प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाए। द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में अनेक पूंजीगहन उपायों का विकास किया गया। परिणामस्वरूप तृतीय योजना के अंतर्गत बेरोजगारी समस्या ने विकराल रूप धारण करना प्रारम्भ कर दिया। अत: चतुर्थ व पंचम योजना में सरकार ने रोजगार वृद्धि हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अनेक रोजगार कार्यक्रम चलाए। परन्तु यह तरीके भी इन योजनाओं में उत्पन्न श्रम शक्ति को रोजगार दिलाने में असमर्थ रहे। छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी एवं सहकारी क्षेत्र में रोजगार अवसर सृजित करने के प्रयास की बात कही गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ग्राम विकास योजना, डेयरी विकास कार्यक्रम, मत्स्य व्यवसाय, खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम आदि के द्वारा स्व-रोजगार के अवसर जुटाने की बात कही गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में व्याप्त प्रचण्ड बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने अपना ध्यान उस ओर लगाया। अत: इस योजना में स्व रोजगार योजना पर विशेष बल दिया गया। 7वीं योजना अवधि में नवीन रोजगार के अवसरों के सृजनों का लक्ष्य 4 करोड़ 4 लाख व्यक्ति रखा गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 85 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना के दो वर्षो में 64 लाख तथा 56 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सका, जो कि लक्ष्य से कम था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 1997 में 75 लाख व्यक्ति खुली बेरोजगारी के शिकार/ग्रस्त थे, जिसका अर्थ 490 लाख अतिरिक्त व्यक्ति श्रम शक्ति में शामिल हो जाएगें। इस योजना में 565 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर कायम करने होगें, तथा इस योजना में 500 लाख नौकरियॉ कायम करने के लिए किए जाने की संभावना है।

5. 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) – जिसके विशिष्ट एवं परीक्षण योग्य लक्ष्य ये है कि – 2007 तक निर्धनता अनुपात को 5 प्रतिशत, और 2012 तक 15 प्रतिशत तक कम करना है। 10वीं योजना की अवधि के दौरान श्रम शक्ति में वृद्धि के लिए लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना तथा 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्यापक बनाना है, और 2001 से 2011 तक जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि को कम करके 16.2 प्रतिशत तक लाना है, ताकि साक्षरता वृद्धि 75 प्रतिशत पर पहुंच सके। इससे जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के मध्य संतुलन बना रहे, और आर्थिक विकास भी प्रभावित न हो।

2011-12 में शहरी क्षेत्रों में नियमित रोजगारों का प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक था (शहरी क्षेत्रों में 43 प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगार में थे जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 9 प्रतिशत नियमित रोजगार में थे)। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रमशक्ति में अनियत रोजगारों का प्रतिशत लगभग 35 था, जबकि शहरी क्षेत्रों में इनका प्रतिशत मात्र 15 प्रतिशत था।

6. सरकार द्वारा संचालित योजनाए –

- **राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम –** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्धनता एवं बेरोजगारी को कम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई सहायता में से 50 प्रतिशत भाग कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसान, सीमान्त

श्रमिकों को तथा 50 प्रतिशत भाग ग्रामीण निर्धनों को प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत् 17.750 लाख श्रम दिवसों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

- **स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवा वर्ग के प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राईसेम) –** इस योजना के तहत् वर्ष 1980–81 से लेकर 1997–98 तक इस योजना में 41,48,425 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 1998–99 में 1.7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना –** इस योजना के तहत् ऐसे गरीब परिवार जिनके पास भूमि नहीं है के एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो सके। वर्ष 1985–86 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा मुक्त हुए बन्धक मजदूरों के लिए जो आवास सुविधा की योजना इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बनायी गयी थी, उसका वर्ष 1986–87 में इन्दिरा आवास योजना कर दिया गया तथा उसके 124 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को स्व रोजगार के उपर्युक्त अवसर प्रदान करना है।
- **जवाहर रोजगार योजना –** इस योजना के तहत् सरकार ने वर्ष 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण विकास के लिए एक अधिक विस्तृत योजना बनायी। जिसका नाम जवाहर रोजगार योजना रखा गया।
- **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना –** इस योजना के तहत् 01 अप्रैल 1999 से एकीकृत ग्राम विकास योजना तथा इससे सम्बद्ध अन्य योजनायें जैसे – ट्राईसेम, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, दस लाख कुओं की योजना आदि को मिलाकर एक स्वरोजगार कार्यक्रम स्वर्ण जयन्ती योजना प्रारंभ की गई।
- **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना –** इस योजना की तहत् अन्य सह योजनायें निम्नलिखित है –

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना।
3. प्रधानमंत्री ग्रामोदय पेयजल योजना।

- **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना –** इस योजना के तहत् 01 दिसम्बर 1997 को नेहरू रोजगार योजना, निर्धनों के लिए शहरी मूल सेवाएं तथा प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी निवारण कार्यक्रम को मिलाकर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई।
- **प्रधानमंत्री की रोजगार योजना –** इस योजना के तहत् शिक्षित बेरोजगार नव युवकों के लिए प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 1993 को की थी। इस योजना के अंतर्गत आठवीं योजना की अवधि में सात लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके 10 लाख से अधिक ऐसे शहरी शिक्षित नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य था।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (गारंटी कार्यक्रम)–** इसके तहत् एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन कार्य की गारन्टी देने की व्यवस्था की गई। (NREGA) सितम्बर 2005 में पारित किया गया। इसे 02 फरवरी 2006 से लागू किया गया। सबसे पहले देश 200 पिछडे जिलों में कार्यान्वित किया गया। दूसरे चरण में 2007–08 में 130 जिलों में तथा 01 अप्रैल 2008, से बाकी बचे हुए 248 ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया, तथा 02 अक्टूबर 2009 से इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना कर दिया गया है। (NREGA) के अंतर्गत मजदूरी दर 100 रूपये प्रतिदिन रखी गई थी। परन्तु 2011 से मजदूरी दर के निर्धारण के कारण विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दरों में 17 से 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई।
- **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना –** अप्रैल 1999 में समन्वित ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम को कुछ अन्य संबंधित कार्यक्रमों को एक साथ मिलाकर नये स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। जिसका नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार रखा गया। इसका उद्देश्य स्वरोजगार में लगे लोगों को बैंक से ऋण व सामग्री की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, साथ ही इसका उद्देश्य आय सृजन की परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराना ताकि वे गरीबी रेख पार कर सकें। 11 सितम्बर 2011 तक 42.05 लाख स्व–सहायता ग्रुप (समूह) बनाए जा चुके थे, तथा 168.49 लाख स्वरोजगारी लोगों को 42,168 करोड़ रूपये की सहायता की जा चुकी थी। अब यह योजना (NRLM) के रूप में है। राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार तथा कौशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम बना कर गरीबी को घटाने (NRLM) को 'आजीविका मिशन' का नाम दिया गया है।
- **रोजगार आश्वासन योजना –** 02 अक्टूबर 1995 में 1772 पिछड़े विकास खण्डों में आरम्भ की गई थी। ये विकास खण्ड सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में थे। बाद में इस कार्यक्रम को 5448 ग्रामीण विकास खण्डों में पहुँचाया गया। सितम्बर 2001 से इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में मिलाकर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया।

निष्कर्ष एवं सुझाव – निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जब तक देश रोजगार प्रेरित रणनीति को नहीं अपनायेगा और उत्पादकता से अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर रोजगार की 3–4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निश्चित नहीं करता, तब तक पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना और अल्प रोजगार की मात्रा को कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यद्यपि आयोग के कार्य दल ने तो रोजगार बढ़ाने के लिए निगम क्षेत्र पर विशेष बल दिया है। आज उदारीकरण के कारण बार–बार श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र की ओर धकेला जाता है। इस प्रक्रिया को पलटना होगा ताकि उस संगठित क्षेत्र की अधिकाधिक इकाईयां उन्नत होकर संगठित क्षेत्र में शामिल हो सके। इसके लिए संगठित क्षेत्र को मजबूत करना होगा ताकि अधिक से अधिक रोजगार सृजित संगठित क्षेत्र हो सके। गरीबी निवारण कार्यक्रम पर अधिक व्यय करने की अपेक्षा ग्राम आधार संरचना अर्थात छोटी सिंचाई परियोजनाओं एवं वाटरशेड विकास से संबंधित परियोजनाओं पर बल देना होगा, इससे कृषि उत्पादकता उन्नत होगी और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होगें। विकास का ऐसा मॉडल उत्पाद वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि के बीच तालमेल बिठा सकता है। भारत को पहले सभी को रोजगार उपलब्ध कराना होगा और संक्राति से गुजर रहे समाज को रोजगार दिलाना होगा। विकास मॉडल के रूप में पी. सी. महालनोविस, लुईस, चेनरी के मॉडलों की सहायता से यदि बेराजगारी कम होती है तो उन पर भी अमल किया जा सकता है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए पंचायती राज की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण हो सकती है, क्योकि पंचायतों के माध्यम से ग्राम स्तर पर विभिन्न रोजगार सृजित कार्यक्रम बनाकर रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने के लिए वनोपज पर आधारित कार्यक्रम संचालित कर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। यदि उपर्युक्त योजनाओं को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया जाये और उन योजनाओं का लाभ बेरोजगारों को दिलाकर बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्रदत्त के.पी.एम.सुन्दरम् (संस्करण 2003)
2. भारत – 2004 – डॉ. शकुन्तला महावल गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा सम्पादित एवं संकलित।
3. यूनीफाईड अर्थव्यवस्था – डॉ. अनुपम गोयल।
4. जनांकीय – मुखर्जी।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ. मिश्रा एवं पुरी हिमालया पब्लिशियन।

10वीं योजना में कुल रोजगार–जनन

क्र.	विवरण	वर्ष 2001–02	वर्ष 2006–07	अंतर (लाख में)
1.	श्रम शक्ति	3782.1	4135.0	352.9
2.	रोजगार	3433.6	3923.5	488.9
3.	बेरोजगारों की संख्या	348.5	211.5	(–) 137.00
4.	बेरोजगारों का प्रतिशत	9.21	5.11	–

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

बीमाधारकों के सामाजिक विकास में सहायक - भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा योजनाएं

डॉ. सुनील कुमार तिवारी *

शोध सारांश - सारांश भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमाधारकों को उनकी आवष्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की बीमा योजना प्रदान करता है। इन योजनाओं को लेने से बीमा धारकों को न केवल जोखिम संरक्षण, अच्छा विनियोग तथा विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करता है। वरन् उनके सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने का भी प्रयास करता है। ये जीवन बीमा योजना बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा तथा विवाह आदि की व्यवस्था कर अपने आप व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में मदद करती है और बीमा अवधि में बीमाधारक की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार एवं आश्रितों को बीमाधन देकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से सामाजिक स्तर को बनाए रखने में सहायता करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया वाक्य 'जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी' पूर्णतया सत्य प्रतीत होता है क्योंकि यदि बीमाधारक जीवन बीमा योजना क्रय करता है, तो उसके जीवित रहने पर विनियोग का साधन एवं मृत्यु होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने में सहायक होती है।

प्रस्तावना - भारतीय जीवन बीमा 'बुरे दिनों का सहारा तथा बुढ़ापे की लाठी' माना जाता है क्योंकि यह मनुष्य को कई प्रकार की कठिनाईयों से मुक्त करता है। यह श्वासत सत्य है कि जो भी इस दुनिया में आया है, उसे जाना भी है अर्थात मृत्यु निश्चित है। किन्तु मृत्यु का समय अनिश्चित है। युवावस्था में मृत्यु होने पर उसके परिवार पर जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि व्यक्ति का जीवन उस पर निर्भर आश्रितों के लिए बड़ा मूल्यवान होता है। और यदि युवावस्था में मृत्यु न हो तो भी वृद्धावस्था में जब उसकी धन अर्जित करने की शक्ति क्षीण हो जाती एवं उसके उत्तरदायित्व बढ़ जाते है। तब उसे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। यद्यपि जीवन बीमा द्वारा व्यक्ति को पुन: जीवित तो नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार वालों को अनेक सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त होते है। जिससे उस व्यक्ति का परिवार सामान्य जीवन स्तर से जीवन यापन कर सकता है। 'यदि किसी व्यक्ति ने पर्याप्त रूप में जीवन बीमा लिया हुआ है, तब उसकी असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को उस व्यक्ति के जाने से दुख तो अवश्य होगा परन्तु अफसोस नहीं होगा।'

सामाजिक दृष्टि से जीवन बीमा का महत्व या लाभ -

(I) संकट काल में सहायक
(II) जीवन स्तर में वृद्धि
(III) आत्म-निर्भरता
(IV) बेरोजगारी की समस्या का निराकरण
(V) आधुनिक सभ्यता का
(VI) आर्थिक सुरक्षा

मेरे शोध-अध्ययन की परिकल्पना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा योजनाओं से बीमाधारकों का सामाजिक स्तर उन्नत होता है।

अध्ययन - क्षेत्र एवं अध्ययन अवधि - प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र जबलपुर मंडल है एवं अध्ययन अवधि 2000-2001 से 2011-2016 तक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारतीय जीवन बीमा निगम के जबलपुर मंडल के 10 जिलों की 22 शाखाओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया गया हैं। समंकों का संग्रहण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से किया गया है। इस हेतु जबलपुर मंडल के 580 उत्तरदाताओं को विभिन्न आधारों पर चुना गया। इसमें से 428 उत्तरदाताओं ने एक-एक, 69 उत्तरदाताओं ने दो-दो एवं शेष 83 उत्तरदाताओं ने तीन या उससे ज्यादा बीमा योजनाऐ क्रय की गई। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण विभिन्न आधारों में करते हुए उचित निष्कर्ष ज्ञात किए गए।

बीमाधारकों के द्वारा जीवन बीमा योजना लेने से उन पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन आधार पर विश्लेषण - भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमाधारकों को उनकी आवष्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की बीमा योजना प्रदान करता है। इन योजनाओं को लेने से बीमा धारकों को न केवल जोखिम संरक्षण, अच्छा विनियोग तथा विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करता है। वरन् उनके सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने का भी प्रयास करता है। ये जीवन बीमा योजना बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा तथा विवाह आदि की व्यवस्था कर अपने आप व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में मदद करती है और बीमा अवधि में बीमाधारक की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार एवं आश्रितों को बीमाधन देकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से सामाजिक स्तर को बनाए रखने में सहायता करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया वाक्य 'जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी' पूर्णतया सत्य प्रतीत होता है। क्योंकि यदि बीमाधारक जीवन बीमा योजना क्रय करता है, तो उसके जीवित रहने पर विनियोग का साधन एवं मृत्यु होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने में सहायक होती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना लेने से बीमाधारकों के जीवन पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों का अध्ययन निम्नांकित के आधार पर किया गया है।

(I) बच्चों की शिक्षा व विवाह में सहायक।
(II) स्वास्थ्य सुविधाओं में सहायक।

* सहायक प्राध्यापक, संत अलॉयसियस महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

(III) पेंशन सुविधाओं में सहायक।
(IV) जोखिम संरक्षण में सहायक।
(V) सामाजिक स्तर को बढ़ाने में सहायक।
(VI) भविष्य की योजना बनाने में सहायक।
(V) भविष्य की अनिश्चितता में सहायक।

उपरोक्त तथ्यों का अध्ययन करने हेतु विभिन्न जीवन बीमा योजनाओं को पूछे गए प्रश्नों पर उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया गया।

(I) भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाओं से बच्चों की शिक्षा व विवाह में सहायक होने का प्रभाव – अध्ययन से स्पष्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की बच्चों के जीवन पर की गई योजनाएँ बीमाधारकों पर अपना प्रभाव प्रगट करती है। 55.8% उत्तरदाता पूरी तरह से इन योजना से संतुष्टि हैं,37.7% संतुष्ट, 5.1% आंशिक रूप से संतुष्ट और केवल 1.4% उत्तरदाता असंतुष्ट है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बच्चों के जीवन पर ली गई बीमा योजनाएँ काफी हद तक उनकी शिक्षा एवं विवाह हेतु सहायक होती है।

(II) भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं में सहायक होने का अध्ययन – व्यक्ति को अपने जीवन पर स्वास्थ्य एक विशेष तौर पर प्रभावित करता है। क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। इस चिंता से निपटने हेतु व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना ली जाती है। प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर 45.1% उत्तरदाता योजना से पूर्ण सहमत, 22.6% सहमत, 19.4%आंशिक सहमत तथा 12.9% उत्तरदाता असहमत पाए गए। उपरोक्त के विश्लेषण के आधार पर कहा जाता है कि स्वास्थ्य जीवन बीमा योजनाओं में आंषिक सुधार की आवश्यकता है, जिससे बीमाधारकों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

(III) भारतीय जीवन बीमा योजनाओं से पेंशन सुविधाओं में सहायक होने का अध्ययन – व्यक्ति के जीवन में इस बात का डर हमेशा रहता है, कि अवकाश ग्रहण के पश्चात् उसके जीवन का क्या होगा ? क्योंकि उसकी नियमित आय समाप्त हो जाती है। और दायित्व अधिक हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखकर व्यक्ति भारतीय जीवन बीमा निगम की पेंशन योजना लेता है। जिससे उसकी भविष्य की चुनौतियों से मुक्ति मिल जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में ली गई योजनाओं से 52.9% पूर्ण सहमत, 35.3% सहमत, 11.8% आंशिक सहमत है। असहमत कोई भी उत्तरदाता नहीं है। अर्थात ये योजनाएँ व्यक्ति को पेंशन सम्बन्धी सुविधाएँ देने में सफल है।

(IV) भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न जीवन बीमा योजनाएँ जोखिम संरक्षण में सहायक होने का अध्ययन – व्यक्ति द्वारा जीवन बीमा योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अपने जीवन पर जोखिम संरक्षण प्राप्त करना है। क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परन्तु उसका समय अनिश्चित है। इसलिए असमय मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाईयों से गुजरना पड़ सकता है। इन कठिनाईयों से बचने के लिए ही व्यक्ति द्वारा जीवन बीमा योजना ली जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में जोखिम संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रश्नों के उत्तर में निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए 73% उत्तरदाता पूर्ण सहमत, 20.6% सहमत, 4.7% आंशिक सहमत तथा शेष 1.7% असहमत पाए गए।

(V) भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा योजना बीमाधारकों के सामाजिक स्तर को बढ़ाने में सहायक होने का अध्ययन – भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाधारकों को बीमा योजना देकर ना केवल जोखिम संरक्षण देती है वरन् बचत को प्रोत्साहन, आय में वृद्धि, आयकर में छूट, भविष्य की योजना बनाने में सहायक, निश्चित आय का साधन आदि प्रदान करती है। इस तरह भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा योजनाएं बीमाधारकों का सामाजिक स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है।निष्कर्ष के रूप में 65% उत्तरदाता पूर्ण सहमत, 23.1% सहमत, 8.8% आंशिक सहमत तथा 3.1% असहमत थे। सारांश में बीमाधारक बीमा योजनाओं से सामाजिक स्तर को बढ़ाने में सहायक होने से प्रभावित है।

(VI) भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमाधारकों की भविष्य की योजना बनाने में सहायक का अध्ययन – भारतीय जीवन बीमा योजना वैसे तो अक्षरतः सत्य है कि इससे भविष्य की योजना बनाई जाती है अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में 68% उत्तरदाता पूर्ण सहमत, 24% सहमत एवं 8: आंशिक सहमत थे।

(VII) भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमाधारकों की भविष्य की अनिश्चितता में सहायक का अध्ययन – व्यक्ति के जीवन पर भविष्य में अनिश्चितता रहती है। इस हेतु अनिश्चितता से निपटने के लिए योजना होनी चाहिए यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाधारक को प्रदान करता है। निष्कर्ष के रूप में 60% उत्तरदाता भविष्य की योजना के रूप में पूर्ण सहमत, 35% सहमत तथा 5% आंशिक सहमत पाये गये।

बीमाधारकों द्वारा ली गई विभिन्न योजनाओं पर उनकी उम्र एवं उन पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक प्रभावों का विचरण गुणांक के आधार पर विश्लेषण – **(सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)**

आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा योजनाएँ बीमाधारकों को सामाजिक प्रभाव डालने में सार्थक है। आंकड़ों के निष्कर्ष के रूप में सामाजिक प्रभावों के अपकिरण का मूल्य 22.4158% है। अतः बीमाधारकों के लिए बीमा योजनाओं से उनकी आयु के आधार पर आर्थिक प्रभाव सामाजिक प्रभावों की तुलना में अधिक स्थायित्व है। किसी भी बीमाधारक के लिए जीवन बीमा योजनाएँ सामाजिक प्रभाव डालती है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा योजनाओं से बीमाधारकों का सामाजिक स्तर उन्नत होता है। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर स्पष्ट होता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी विभिन्न बीमा योजनाओं के द्वारा बीमाधारकों को बचत करने, विनियोग करने, आय को बढ़ाने, आयकर में छूट पाने तथा अतिरिक्त आय प्राप्त करने जैसे आर्थिक प्रभावों में सहयोग करता है और साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य सुविधाएँ, पेंशन सुविधा, जोखिम संरक्षण, भविष्य की योजना बनाने, सामाजिक स्तर को बढ़ाने एवं भविष्य की अनिश्चितता में सहायक होकर बीमाधारक के सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने में भी मदद करता है। व्यक्ति के जीवन में 'जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी' वाक्य को पूरी तरह सार्थक जीवन बीमा निगम करता है। क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा अनुबंध होने के पश्चात पूरी तरह जोखिम संरक्षण तथा विनियोग के लाभ देने के लिए तत्पर रहती है।

आँकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि बीमाधारकों को जीवन बीमा योजनाएँ उनके सामाजिक स्तर को बनाए रखने एवं बढ़ाने में सहयोग करती है। आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है क्योंकि 75% से अधिक उत्तरदाता यह मानते है कि उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाने में योजनाओं का योगदान है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा योजनाएँ बीमाधारकों पर सामाजिक प्रभाव डालती है। और इनसे उनका सामाजिक स्तर परिपक्व होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विश्नोई डाँ0 राधाकृष्ण 'बीमा व्यवसाय के सिद्धांत' एस0बी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस 2010-11
2. नौलखा आर. एल - बीमा के तत्व, रमेश बुक डिपो, जयपुर 2005
3. विश्नोई डॉ. राधाकृष्ण, 'बीमा के सिद्धांत' एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस
4. Census - 2011, Madhya Pradesh.
5. http//www.licindia.com.
6. www.irdaindia.org.
7. जर्नल बीमा विनियामक और विकास, प्राधिकरण हैदराबाद - 2009-2012

बीमाधारको की आयु C.I.	X	dx=x-A A=37.5	$ds\ \frac{dx}{i}$ i=5	बीमाधारकों की संख्या f	fds	Fds²
20-25	22.5	-15	-3	31	-93	279
25-30	27.5	-10	-2	35	-70	140
30-35	32.5	-5	-1	122	-122	122
35-40	37.5	0	0	146	0	0
40-45	42.5	+5	+1	88	+88	88
45-50	47.5	+10	+2	77	+154	308
50-55	52.50	+15	+3	45	+135	405
55-60	57.50	+20	+4	36	+144	576
				N=580	∑ fds= -236	∑ Fds² =1918

$$\overline{X} = A + \frac{\Sigma fd_s}{N} \times i$$

$$\overline{X} = 37.5 + \frac{236}{580} \times 5$$

$$\overline{X} = 37.5 + 2.034$$

$$\overline{X} = 39.534$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fds^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fds}{N}\right)^2} \times i$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1918}{580} - \left(\frac{236}{580}\right)^2} \times 5$$

$$\sigma = \sqrt{3.3069 - 0.1656 \times 5}$$

$$\sigma = \sqrt{3.1413} \times 5$$

$$\sigma = 1.7724 \times 5$$

$$\sigma = 8.8619$$

$$C.V. = \frac{\sigma}{\overline{X}} \times 100$$

$$C.V. = \frac{8.8619}{39.534} \times 100$$

$$C.V. = 22.4158\ \%$$

****

Dharma Orientated Education And Cultural Crisis

Mahesh Kumar Rachiyata *

Introduction - 'Yastu Vijnanavan bhavati, Yuktena manasa sada', Tasyendriyani vas'yani, Sadas'va iva saratheh" "He, who is possessed of supreme knowledge by concentration of mind, must have his senses under control, like spirited steeds controlled by a charioteer". (Katha-Upanisad, III. 6) It is often said that education is the building up of the thinking elite of the nation, much of the nation's future depends on its system of education. This is true to some extent. But conversely the general outlook of society also has a strong bearing on education itself, so education can only be reformed when a corresponding change has already begun in society, or at least when the necessity for such a change is being felt. This is the case especially in a period of crisis, when the established order of things is crumbling, when the ancient ideals have lost their hold, and youth is desperately in need of a guiding light, an ideal that can sustain its enthusiasm and carry it through the strenuous tasks of life. At such a time, when a reassessment of the fundamental values is essential, the importance of education is many times greater. It may be decisive if the educational body is able to discern the evolutionary trend and perceive the ideal of the new age. We may, therefore, endeavour in this paper to look at the purpose of education, with the general conception of the aim of human life, prevalent during all times, and to analyze the present cultural crisis and the aims of education.

Within the sector of education, Dharma (Virtues) orientation will have to be an integral component of the emerging educational model. Indeed any kind of education worth the name liberates an individual from the bonds of ignorance. *"Sa Vidya ya vimuktaye"* has rightly been proclaimed by the Upanishads. The education must liberate the mind from dogmas and prepare it to face all the challenges of the present and future. The education must foster value-system in the individuals. The purpose of higher education should be to serve as the most powerful medium of social change and scientific discoveries and to awaken awareness to understand the world properly. The University and its role in national life was summed up by Jawahar Lal Nehru in the convocation address to the Allahabad University in 1947 : "A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas and for the search of truth. It stands for the onward march of the human race towards even higher objectives."

Purpose of education includes training of mind to achieve proper balance between the physical, psychic and spiritual aspects of life. When there is over-emphasis on the physical, the human qualities begin to decline and life becomes crude. In the psychic arena improper development leads to subtle exploitation and cultural domination of one group over the other without the spiritual side developing along with the physical and the psychic. Thus the world becomes tension-ridden and full of hypocrisy. People talk of peace and disarmament but war dominates their intentions. It is the task of education to understand and expose the duplicity and this should be the purpose of higher education, which is most powerful medium of social change. Here the question arises, what should be the aim of Universities in our country? A University should be the centre of liberal education. It is the duty of university education to produce the torch-bearer generation to conserve higher values, ethical ideals, national genius. It should produce the leaders of historical importance. It is supposed to elevate the man from the primitive to the sub-human, and from the sub-human to the 'human'. It is proved that there is nothing more powerful, more unifying than the common higher ideals in life and they have come from the education of 'Dharma'.

'Now the other question arises, what is 'Dharma'? All that 'Dharma' connotes requires to be explained. It is a comprehensive term and there is no word equivalent to it any other language. The word 'dharma' is derived from the root 'dhr', which means to sustain. It is the moral law, which sustains the world, human society and the individual. According to Manu, ingredients of 'dharma' are *dhriti* (satisfaction), *ksama* (patience), *dama* (self command or restraint), *asteyam* (non-stealing), *s'auca* (self purification, both external and internal), *indriyanigrah* (restraint of the organs of sense), *dhi* (intelligence or wisdom), *vidya* (knowledge of self-atmabodha), *satya* (truth), *akrodha* (non-anger). According to Manu, dharma is duty in an ethical sense and has sociological significance. In fact, we know the man by his dharma, we know any object by its dharma. For example, the dharma of fire is to burn, the sun is to shine and so on. Similarly, every man has his own dharma, which distinguishes him from the rest of his fellow-men.

*Asst. Professor (Political Science) Dr. B.R.A. Govt. College, Sriganganagar (Raj.) INDIA

Dharma cannot be translated as a bundle of taboos imposed on the individual by the group in which he is born. It is not mere folkways and more, it is the inborn nature of the individual and stage of his psycho-physical evolution. It is his duty to himself, and to the group, arising out of the intellectual perception of his place in the scale of life. To live in accord with this note of one's self is the swiftest path of progress. If this principle is ignored, education can only help to produce "articulate animals", who will be ready to prostitute their powers of intellect in exploitation of their ignorant fellowmen.

According to *Bhagavadgita*, non-violence in thought, word, and deed, truthfulness and geniality of speech, absence of anger even on provocation, renunciation of the idea of doership in action, tranquillity of mind, refraining from malicious gossip, kindness to all creatures, absence of attachment to the objects of senses, even during their contact with the senses, mildness, sense of shame in doing thing not sanctioned by the scriptures or usage, abstaining from idle pursuits, sublimity, forgiveness, fortitude, external and internal purity, absence of malice or anger, absence of the feeling of self-importance; are the qualities of learned men.

Indian national ideal was dharma, is dharma, and will be dharma. Virtue, righteousness, duty, sound relationship, religion, ethics, spirituality -all are contained in dharma. The harmonies functioning of the cosmos is based on it. Even according to the great Mauryan emperor As'oka, the 'Dharma', manifests itself in *akshati* (non-injury); *samyama* (restraint); *samacharanam* (equal treatment) and *mardavam* (mildness in respect of all creature, human beings as well as beasts and birds). The practical side of dharma is also emphasised in an abundance of good deeds (*bahu kayane*) and also freedom from sin (*apasinavam*). Practical dharma is 'code of duties' which is described as comprising the *daya* (kindness), *danam* (liberality), *satyam* (truthfulness), *s'aucam* (inner and outer purity), *mardavam* (gentleness), *sadhuta* (saintliness) and *apa-vyayata* and *apa-bhandata* (moderation in spending and saving). These essentials of moral conduct has been related to all phases of life. Following these practices man is able to make progress in life and develop character.

The concept of 'dharma' is all comprehensive and may be said to comprise precepts which aim at securing the material and spiritual substances and growth of the individual and society. Dharma is not static. The content of dharma often changed in the changing contexts of time, place and social environment. No one uniform set of dharma, can be applicable to all the ages.

An ideal student is dedicated to humanity. The cosmos is revealing itself as *Jana, Des'a, Dharma*; people, country and Dharma. Education is considered as a powerful instrument of change. Higher education has been called 'investment in man' as well as 'investment in future'. Therefore higher education must be imparted to only those young children who can really contribute something to their nation and society for all the times.

Religion is one, though its manifestations are many. Varieties of religions are like the various species of flowers. Some names and forms perish through the ages. There can be no substitute for the belief, that one is secure in one's religion.

Food to one need not necessarily be food to another. Let each be nourished with the food best suited to him. People all over the world have divergent food and different food habits, but nourishment and growth are common to all. This law has to be extended to the realm of religion. The existence of varieties in relations need not be deplored or discountenanced. Recognition of all of them is a sure means to create congenial mental climate. As an expert gardener provides ways and means to rear varieties of flower plants, the Indian educational atmosphere also nourishes in all shades of faith and beliefs. India has ever been the one country in the world, where all forms of religion meet and thrive. To a superficial observer, nature offers disharmony, one force working counter to another. But for this conflict, concord would not be impossible. For example there would be no game of football if there is not the contention of one team against another. Opposing forces are necessity in the working of nature. This fact applies most to the functioning of the mind. By the training of mind, man avails himself of intellectual conflicts and controversies. There are many tendencies, dispositions and outlooks of life as there are human beings. The path of one need not necessarily be the path of another. While strictly adhering to one's own path, permitting another to pursue his path, is tolerance concomitant with harmony of religions. Do not merely be satisfied with labelling oneself as belonging to this or that religion. Plants and trees are known by their flowers and fruits. Religions are known by the characters shaped by them. While theories of religions are found to vary but their practical aspects are more or less the same everywhere. The student should therefore be taught to set aside theorizing and take to practising it as ardently as possible. Bigotry and fanaticism are born of ignorance. They usurp and taint the mind of man under the mask of religion. Customs and manners among people may be opposed to one another, still their hearts beat in unison through life and death, when their commonly shared religious ideal are same. There is nothing more powerful, more unifying than the common higher ideals in life and they have come from religions. Society must allow for moral and psychological differences in human beings. Social progress is insured when social conflicts are eliminated.

Anyone ignorant of his own dharma and other great religions of India shall not be graduated by any of the Indian Universities. While holding fast to one's own religion, one should learn to love other religions because of one being rightly educated, because education is considered as a powerful instrument of change. It is the duty of the Indian genius to analyse the position and evolve a bold scheme for reorientation of educational pattern at the University

level, with a view to raising on army of neo-graduate stepped in hoary culture of the motherland and dedicate to make the environment of peace and harmony and to rise above the cultural crises.

And the 'Mother' also hints for the future education : 'then will begin a new education, which can be called 'supramental education', it will, by its all powerful action, work not only upon the consciousness of individual beings, but upon the very substance of which they are built and upon the environment in which they live. In brief, one can say that this education will result in a transformation of the nature itself, a transformation of the being in its entirety, a new ascent of the species above and beyond man towards superman, leading in the end to the appearance of the divine race upon earth'.

References :-

1. "Samvayo eva Sadhu", means synthesis or control is good, R.B. Pandey.
2. Bhagavadgita, 112-3, Gita press, Samvat 2025.
3. Kewal Motwani, Manu : A Study in Hindu Social Theory, Madras, 1934, p. 63.
4. Manusmriti, Op.cit., I, 81-86.
5. Rock edict XIII, Dr. R.B. Pandey, Historical and Literary Inscriptions. Chowkhamba Series, Varanasi, 1962.
6. 'Sreyan svadharmo vigunah', Bhagvada Gita, III-35.
7. Swami Chidbhavananda, The Indian National Education, Tirupparaitturai, 1964.
8. The Mother, On Education, 1952, reprinted in Sri Aurobindo and the Mother, On Education, III edition, 1966.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

नगरपालिका चुनाव 2018 - परिणाम व विश्लेषण (बड़वानी जिले के संदर्भ में)

डॉ. मीनाक्षी पँवार *

प्रस्तावना - नगरीय संस्थाओं को हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रशिक्षण शालाएँ माना जाता है। 1956 में मध्यप्रदेश का गठन पाँच क्षेत्रों अर्थात् महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल तथा सिरोंज सब डिवीजन से मिलकर हुआ। इन क्षेत्रों में से महाकौशल क्षेत्र में स्वायत्त शासन 1864 में जबलपुर नगरपालिका स्थापित करने के साथ प्रारंभ हुआ। सबसे पहला नगरपालिका अधिनियम (क्रमांक 15) 1867 लागू हुआ, जिसके अन्तर्गत 1867 में 14 नगरपालिकाएँ स्थापित की गई।

1867 में बने पहले नगरपालिका अधिनियम को निरस्त कर 1889 में एक नया नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया, जिसका स्थान म्युनिसिपल एक्ट 1903 ने लिया। इसके बाद सी.पी. एण्ड बराबर म्यूनिसिपल एक्ट 1922 लागू किया गया, जिसमें 1956 तक अनेक संशोधन किए गए। महाकौशल क्षेत्र में 1869 से 1956 के बीच लगभग 26 नगरपालिकाएँ स्थापित की गई। 1 जनवरी, 1956 को जब मध्यप्रदेश का उदय हुआ उस समय उक्त पाँच क्षेत्रों के विविध अधिनियम के अन्तर्गत निकाय संचालित होते थे। 1 फरवरी, 1961 से प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं पर म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 लागू हुआ। 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप नगरपालिका के अधिनियमों में संशोधन होने से नगरपालिका अधिनियम में नगरपालिकाओं के साथ-साथ अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ स्थापित करने का प्रावधान था। अब नये संशोधन के अनुरूप 74 वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अब निर्वाचन नामावलियाँ तैयार करने सहित नगरीय निकायों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण व संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया, जिसके अन्तर्गत नगरपालिकाओं के निर्वाचन का कार्य भी रखा गया।

वर्तमान समय में बड़वानी जिले की दो नगर पालिकाएँ सेंधवा व बड़वानी में सम्पन्न हुए नगरपालिका चुनाव से जिले की राजनीति का अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान राजनीति उसके अतीत से जुड़ी हुई है। बड़वानी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र बड़वानी, राजपुर, पानसेमल व सेंधवा है। 2009 के आम चुनाव में परिसीमन में फेरबदल कर बड़वानी जिले को खरगोन संसदीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। बड़वानी में कुल 417 ग्राम पंचायते, 7 जनपद पंचायते, 1 जिला पंचायत एवं 2 नगर पालिकाएँ शामिल है। इन सभी पदों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र - शोध पत्र तैयार करने के लिए बड़वानी जिले की दो नगरपालिकाओं (बड़वानी व सेंधवा) का चयन किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के अंतिम पश्चिमी भाग में स्थित है तथा जिला अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है।

अध्ययन का उद्देश्य - शोध पत्र का उद्देश्य बड़वानी जिले की दो नगर पालिकाओं के चुनाव 2018 के परिणामों का विश्लेषण करना तथा जिले की वर्तमान राजनीति का अध्ययन करना।

अध्ययन प्रविधि - शोध पत्र के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु द्वितीय समंकों का उपयोग किया गया, जिसका सारणीयन के माध्यम से निष्कर्षण किया गया।

चुनाव प्रक्रिया -परिणाम एवं विश्लेषण - बड़वानी नगरपालिका परिषद् के 24 वार्डो में से 2 वार्डो में निर्विरोध पार्षद चुने जाने की स्थिति के बाद 22 वार्डो से पार्षदों के लिए कुल 49 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे जिनमें 22 कांग्रेस से 22 भाजपा से और 5 निर्दलीय उम्मीद्वार पार्षद रहे। (तालिका क्र. 1 देखें)

नगरपालिका परिषद बड़वानी व सेंधवा में चुनाव 2018 की स्थिति : आंकड़ों की दृष्टि में -

1. **नगर पालिका परिषद् बड़वानी -**
- कुल वार्ड - 24
- मतदान केन्द्रों की संख्या - 49
- कुल मतदाता - 40123
- महिला मतदाता - 20047
- पुरूष मतदाता - 20074
- अन्य - 02

2 **नगर पालिका परिषद् सेंधवा -**
- कुल वार्ड - 24
- मतदान केन्द्रों की संख्या - 55
- कुल मतदाता - 43193
- महिला मतदाता - 21179
- पुरूष मतदाता - 22011
- अन्य - 03

नगरपालिका परिषद् बड़वानी - पार्षद उम्मीद्वारों की वार्डवार दलीय स्थिति

तालिका क्र. 01

वार्ड क्र.	भाजपा से	कांग्रेस से	निर्दलीय (अन्य)
01	मिथुन यादव	राजाराम यादव	-
02	मिता निगम	कल्पना नेगी	-
03	-	रेखा बनड़े	निर्विरोध
04	सचिन चौहान	रामकुमार सोलंकी	
05	अजय सवनेर	सुनील यादव	-

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

वार्ड क्र.	भाजपा से	कांग्रेस से	निर्दलीय (अन्य)
06	संगीता जैमन	शशीबाला सोनी	–
07	शिवकन्या जाट	संगीता शर्मा	–
08	शंकर बिलवाल	लक्ष्मण बामनिया	दिनेश कन्नौजे
09	मुकेश जायसवाल	प्रकाश भावसार	क्षितिज शर्मा
10	दयाराम पारगी	कैलाश जामसिंह	आकाश भुवानसिंह
11	सुकमा जायसवाल	सकुबाई शिमले	–
12	शाहीन बी	हसीना बी तिगाले	–
13	संजय गुप्ता	मलिक कुरैशी	–
14	निर्मला मायरिया	सेवन्ती कुमावत	–
15	महेन्द्र काकेश्वर	पवन मांगीलाल	सुरेश धनगर
16	अमृतलाल अग्रवाल	सचिन पुरोहित	–
17	जया शर्मा	अजीतकौर सलूजा	–
18	नन्दराम कुशवाह	–	(निर्विरोध)
19	मुनीरा सालीवाल	कुलसुम कापड़िया	–
20	मिनाक्षी मुकाती	निधि जायसवाल	संगीता यादव
21	अमीता राकेश	मंजुला मुकाती	–
22	रीना सांवले	गेन्दाली चौहान	–
23	आशा डाबर	मीनाबाई कैलाश	–
24	राकेश मकवाने	श्याम विरीया	–

बड़वानी जिले की 2 नगरपालिका में सेंधवा नगर पालिका एवं बड़वानी नगरपालिका का औसत मतदान क्रमश: 63.10 प्रतिशत व 70.50 प्रतिशत रहा। (तालिका क्र. 02 देखे)

मतदान प्रतिशत विवरण
(तालिका क्र. 02)

क्र.	जिला	नगर पालिका	महिला प्रतिशत	पुरूष प्रतिशत	औसत मतदान प्रतिशत
1.	बड़वानी	सेंधवा	62.10	64.70	63.10%
2.	बड़वानी	बड़वानी	69.60	71.50	70.50%

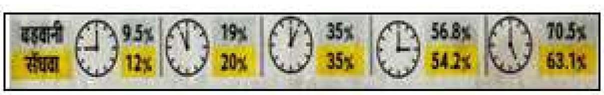

नगरपालिका परिषद् सेंधवा में 2012 में कुल 24 वार्ड सहित अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था, लेकिन 2018 में अध्यक्ष पद पर बसंती बाई यादव सहित 11 वार्डों में भाजपा उम्मीद्वारों के निर्विरोध होने के कारण 13 वार्डों में ही केवल पार्षद पद के लिए मतदान हुआ। 13 वार्डों में कुल 25 हजार 709 मतदाताओं में से 16 हजार 376 मतदाताओं ने ही मत का उपयोग किया, इनमें 8 हजार 532 पुरूष एवं 7 हजार 843 महिलाएँ व 1 अन्य ने अपने मत का उपयोग किया।

13 वार्डो के पार्षद पद के उम्मीद्वारों के लिए 32 मतदान केन्द्रों पर मतदान हुआ तथा 11 वार्डों में भाजपा उम्मीद्वार वार्ड क्र. 1 सरला मनीष, वार्ड 5 में मेघा एकड़ी, वार्ड 7 में अनिता धोमोने, वार्ड 8 में गोविन्द पाण्डे, वार्ड 10 में दिनेश सोनी, वार्ड 12 में विमला बाई, वार्ड 13 में कमल बाई, वार्ड 16 में सुनीता प्रकाश, वार्ड 19 में अशोक चौधरी, वार्ड 20 में दीपक शर्मा, वार्ड 21 में सुधीर गुले निर्विरोध निर्वाचित हुए। (तालिका क्र. 3 देंखे)

नगरपालिका परिषद् बड़वानी के कुल 24 वार्डों में से 22 वार्डों में पार्षदों के चुनाव सम्पन्न हुए, जिनमें से 11 वार्डों पर भाजपा ने जीत हासिल की तथ 13 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 2 वार्डों में पार्षदों की स्थिति निर्विरोध रही, जिनमें दोनों पार्टियों ने 1–1 सीट प्राप्त की। (तालिका क्र. 4 देंखे)

नगर पालिका परिषद् बड़वानी अध्यक्ष पद हेतु 3 प्रत्याशी उम्मीद्वार के रूप में थे, जिनमें भाजपा से प्रेमसिंह पटेल, कांग्रेस पार्टी से लक्ष्मणसिंह चौहान और समाजवादी पार्टी से राणा दुर्गेशसिंह शामिल थे। अध्यक्ष पद हेतु डाले गए 28 हजार 471 मतों में से कांग्रेस के लक्ष्मणसिंह चौहान को 15 हजार 206 मत, भाजपा के प्रेमसिंह पटेल को 12 हजार 542 मत व सपा के राणा दुर्गेश्श सिंह को 280 मत प्राप्त हुए। नोटा को भी 381 मत मिले है। नगरपालिका परिषद् सेंधवा अध्यक्ष पद हेतु भाजपा की बसंतीबाई यादव निर्विरोध रहीं। (तालिका क्र. 5 देंखे)

निष्कर्ष – निष्कर्षत: नगरपालिका चुनाव परिणाम में निर्वाचन स्थिति का विश्लेषण करने पर नगरपालिका बड़वानी जिले की दो नगर पालिकाओं में से एक नगर पालिका परिषद् बड़वानी में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा रहा वहीं दूसरी नगरपालिका परिषद् सेंधवा के अध्यक्ष पद पर भाजपा ने जीत हासिल की अर्थात दोनों पार्टियाँ अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन की स्थिति में बराबर रही, किन्तु पार्षदों की स्थिति में बड़वानी के 24 वार्डों में से 11 वार्डों में भाजपा की जीत हुई, तो 13 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा हुआ तथा सेंधवा के 24 में से 20 वार्डों पर भाजपा की जीत हुई तो 4 वार्डों पर कांग्रेस की बढ़त रही।

वार्डवार दलीय स्थिति – चुनाव परिणाम
(तालिका क्र. 6)

क्र.	जिला	नगर पालिका	कुल वार्ड	भाजपा	कांग्रेस	निर्दलीय
1.	बड़वानी	सेंधवा	24	20	04	00
2.	बड़वानी	बड़वानी	24	11	13	00

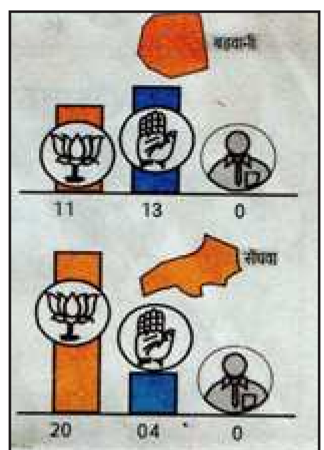

साभार–समाचार पत्र नई दुनिया

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव– मध्यप्रदेश शासन एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–2, 2010 पृष्ठ 167–168
2. समाचार पत्र – नई दुनिया, रेवा की पुकार।
3. इंटरनेट।

नगरपालिका परिषद् सेंधवा – चुनाव परिणाम (वार्डवार दलीय स्थिति) विवरण (तालिका क्र. 3)

वार्ड क्र.	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राज.दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	सरला मनीष	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
2	प्रिंस शर्मा	कांग्रेस	782	दिलीप	भाजपा	661
3	रूकय्या बी	कांग्रेस	772	बिल्किस	भाजपा	290
4	रेखा बाई	भाजपा	731	अंजली	बसपा	340
5	मेधा एकड़ी	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
6	लता चौधरी	भाजपा	1215	अरूणा	कांग्रेस	659
7	अनिता धोमोने	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
8	गोविन्द पाण्डे	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
9	इन्दुमती तिवारी	भाजपा	329	परमजीत	कांग्रेस	255
10	दिनेश सोनी	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
11	शबाना बी	कांग्रेस	980	जरीना	भाजपा	256
12	विमला बाई	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
13	कमल बाई	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
14	इल्मुद्दीन मंसूरी	कांग्रेस	896	मेहमूद	भाजपा	475
15	इमरान युसूफ	भाजपा	383	कयामुद्दीन	कांग्रेस	301
16	सुनीता प्रकाश	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
17	मनोज वर्मा	भाजपा	850	शिवकुमारी	कांग्रेस	404
18	रूबीना मंसूरी	भाजपा	717	रईसा	कांग्रेस	573
19	अशोक चौधरी	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
20	दीपक शर्मा	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
21	सुधीर गुले	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
22	सुनीता शर्मा	भाजपा	997	मेहरून	कांग्रेस	254
23	विष्णु भवरे	भाजपा	967	विमला	कांग्रेस	411
24	अ. शकील चंदीजा	भाजपा	668	इकबाल	कांग्रेस	540

नगरपालिका परिषद् बड़वानी – चुनाव परिणाम (वार्डवार दलीय स्थिति) विवरण (तालिका क्र. 4)

वार्ड क्र.	विजयी प्रत्याशी	विजयी प्रत्याशी का राज.दल	प्राप्त मत	निकटमत प्रतिद्वंदी	निकटतम प्रतिद्वंदी का राज. दल	प्राप्त मत
1	मिथुन यादव	भाजपा	816	राजाराम	कांग्रेस	648
2	मीता निगम	भाजपा	535	कल्पना	कांग्रेस	442
3	रेखा बनड़े	कांग्रेस	निर्विरोध	0	0	0
4	सचिन चौहान	भाजपा	512	रामकुमार	कांग्रेस	384
5	सुनील यादव	कांग्रेस	625	अजय	भाजपा	539
6	संगीता जैमन	भाजपा	604	शशीबाला	कांग्रेस	314
7	संगीता वर्मा	कांग्रेस	786	शिवकन्या	भाजपा	581
8	शंकर बिलवाल	भाजपा	843	लक्ष्मण	कांग्रेस	522
9	मुकेश जायसवाल	भाजपा	403	प्रकाश	कांग्रेस	284
10	कैलाश जामसिंह	कांग्रेस	945	दयाराम	भाजपा	900
11	सकुबाई	कांग्रेस	759	सुकमा	भाजपा	523
12	हसीना तिगाले	कांग्रेस	945	शाहीन	भाजपा	460
13	अ. मलिक कुरैशी	कांग्रेस	547	संजय	भाजपा	494
14	सेवंती कुमावत	कांग्रेस	507	निर्मला	भाजपा	364
15	पवन यादव	कांग्रेस	490	महेन्द्र	भाजपा	462
16	सचिन पुरोहित	कांग्रेस	541	अमृतलाल	भाजपा	362
17	अजित कौर सलूजा	कांग्रेस	771	जया	भाजपा	602
18	नंदराम कुशवाह	भाजपा	निर्विरोध	0	0	0
19	कुलसुम कापड़िया	कांग्रेस	646	मुनीरा	भाजपा	477
20	मीनाक्षी मुकाती	भाजपा	331	निधि	कांग्रेस	289
21	अमिता जोशी	भाजपा	443	मंजुला	कांग्रेस	380
22	रीना सांवले	भाजपा	838	गेंदाली	कांग्रेस	715
23	मीराबाई	कांग्रेस	460	आशा	भाजपा	400
24	राकेश मकवाने	भाजपा	553	श्याम	कांग्रेस	533

नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष पद– चुनाव परिणाम – विवरण
(तालिका क्र. 5)

क्र	जिला	नगर पालिका	पद	आरक्षण की स्थिति	विजित अभ्यर्थी का नाम	विजित अभ्यर्थी का राज. दल	निकटतम अभ्यर्थी का नाम	निकटतम अभ्यर्थी का राज. दल	मतों की गणना		निकटतम अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या	नोटा	निर्वाचन की स्थिति
									डाले गये मतों की संख्या	विजित अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या			
1	बड़वानी	सेंधवा	अध्यक्ष	अनारक्षित महिला	बसन्ती बाई	भारतीय जनता पार्टी	–	–	–	–	–	0	निर्विरोध
2	बड़वानी	बड़वानी	अध्यक्ष	अनुसूचित जनजाति	मुक्त लक्ष्मण सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	प्रेमसिंह पटेल	भारतीय जनता पार्टी	28471	15206	12542	381	सविरोध

स्त्रोत – इन्टरनेट जनवरी, 2018

****

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण माध्यम- स्व सहायता समूह (वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन)

डॉ. शकुन शुक्ला * मनीषा मिश्रा **

शोध सारांश – वैदिक काल से भारतीय इतिहास में प्रचलित प्रथाओं के अनुशासित अनुपालन के वाबजूद भी समाज में महिलाओं पर अन्याय अथवा अनाचार की घटनाएं यदा-कदा ही घटित होने का वर्णन मिलता है, वहीं आज शिक्षित एवं सभ्य समाज में अत्याचार, शोषण एवं उनके अपमान की घटनाओं की जानकारी समाचार पत्रों में प्रतिदिन पढ़ने को मिलती है, जहां एक ओर हम समाज में विकास एवं उन्नति के नये-नये आयाम छू रहें है। वहीं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने से सशक्तिकरण की गति इतनी धीमी है कि यह एक 'दूर की कौडी' प्रतीत होती है। इन सबके पीछे महिलाओं की साक्षरता दर एवं उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता का न होना एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में बंगलादेश जैसे छोटे से देश के डा. मेहमूद युनूस के शोध पत्र 'ग्रामीण बैंक' ने स्व सहायता समूह की अवधारणा प्रदान कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नया विकल्प प्रस्तुत किया। लगभग चार दशक से यह अवधारणा कार्य कर रही है, आवश्यकता है कि वर्तमान समय के अनुकूल, इसमें आवश्यक संशोधन कर इसे और प्रभावी बनाया जाए। प्रस्तुत शोध-पत्र ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्व सहायता समूह से जुडे पहलुओं पर विश्लेषणात्मक अध्ययन का एक प्रयास है।

शब्द कुंजी – सशक्तिकरण, स्व-सहायता, आत्मनिर्भरता, सजातीय, अवधारणा।

प्रस्तावना – ग्रंथ-पुराणों में भारत की प्राचीन परम्पराओं, सामाजिक व्यवस्थाओं के वर्णित विवरण के अनुसार 'महिला' को देवी स्वरूप माना जाता हैं और इसीलिए 'नारी-शक्ति' अर्थात कई 'देवी' स्वरूपों में उसे पूजा एवं सम्मान दिया जाता है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जो भी प्रयास हुए उनका प्रभाव शहरों में निवासरत महिलाओं पर हुआ, ग्रामीण महिलाओं की सदियों से चली आ रही भूमिका में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। विभिन्न सरकारों ने ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास हेतु कई कदम उठाए और साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने अपने-अपने स्तर से कई कोशिशें की अपितु उनके एकल प्रयासों को विभिन्न कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं पा सके।

वर्ष 1975 में बंग्लादेश के चटगांव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के फ्रोफेसर डॉ. मोहम्मद यूनुस के शोध-पत्र 'ग्रामीण बैंक' से 'स्व सहायता समूह' की अवधारणा प्रसिद्ध एवं प्रतिपादित हुई। 1976 इसे कानूनी मान्यता देते हुए एक बैंक के रूप में मान्यता दी। वर्ष 1975 में सार्वजनिक हुई इस अवधारणा ने थोड़े समय के अन्दर दुनिया के कई हिस्सों में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली के लिए एक सशक्त माध्यम का विकल्प प्रस्तुत किया। 1997 में वाशिंगटन में आयोजित विश्व माइक्रो क्रेडिट शिखर सम्मेलन में विकसित और विकासशील देश इस अवधारणा का उपयोग कर ग्रामीण लोगों की गरीबी दूर करने के लिए सहमत हुए और परिणामस्वरूप भारत सहित 53 देशों ने अपने यहां स्व सहायता समूह की स्थापना का संकल्पित प्रयास किया।

अध्ययन का उद्देश्य – भारत में इस अवधारणा को कई अन्य विशेषताओं को जोड़कर आत्मसात किया। इतनी अवधि पश्चात अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने से आवश्यकता है कि वर्तमान परिदृश्य में इसके समस्त पहलुओं पर विश्लेषणात्क अध्ययन कर वर्तमान आवश्यकता में इसे किस रूप में अपनाया जाना चाहिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस शोध पत्र में इस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है।

अध्ययन की परिकल्पना – प्रस्तुत शोधपत्र में स्व सहायता समूह जो कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के एक सशक्त विकल्प के रूप में कार्यान्वित है, अद्यतन स्थिति के अध्ययन एवं सार्वभौमिक विषय के कारकों एवं समाधान हेतु सह सम्बन्ध देखने की परिकल्पना ली गई है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन में विवरणात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है तथा जानकारी एवं तथ्य प्राथमिक अर्थात संवाद, अनुभव एवं द्वितीयक स्त्रोत- पुस्तको, पत्रिकाओं, रिसर्च जर्नल, रिपोर्ट एवं वेबसाइट से प्राप्त किये गये है।

भारत में स्व सहायता समूह – स्वयं की सहायता हेतु गठित समूह 'स्व सहायता समूह' का प्रारंभिक उद्देश्य समूह सदस्यों के मध्य पारस्परिक सहायता, एकजुटता और संयुक्त जवाबदारी के आधार पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक अनौपचारिक संगठन बनाना जिसे स्व सहायता समूह कहा गया। एक ही परिवेश अर्थात् सजातीय वर्ग की महिलाएं अपने जैसी महिलाओं को जोड़कर सामूहिक स्वेच्छा आधारित निर्णयों से समूह का गठन करती थीं। इन समूह में 10 से 20 महिला सदस्य होती थी, जो कि अपनी क्षमता अनुसार सामूहिक कोष को अपने बचत के अशंदान से एकत्र करती, तथा आपात आवश्यकता पर अपनी ही किसी सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर ऋण के रूप मे उपलब्ध कराती एवं उक्त ऋण पर ब्याज रूपी आय से सामूहिक कोष में बढ़ोतरी होती। समूह में बचत राशि सदस्य स्वेच्छा से अपनी क्षमतानुसार निश्चित करते थे। इन सब लेन देनो एवं समूह बैठकों की कार्यवाही विवरण रखे जाने की प्रक्रिया होती थी, इन प्रक्रियाओं में

* प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

अभ्यस्त एवं पारंगत होने पर समूह को बैंकों द्वारा आर्थिक लेन-देन हेतु कम ब्याज पर ऋण दिया जाता ताकि समूह इस कार्य को बेहतर ढंग से कर अपनी आय बढा सके।

समूह सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया में सदस्यों की सहभागिता से कोई अनुकूल आर्थिक उपार्जन की गतिविधि का चयन करवाया जाता था तथा समूह के बैक खातें में, जिसके संचालन हेतु कोई दो सदस्य संयुक्त रूप से संचालित करते थे। बैंक द्वारा गतिविधि के संचालन हेतु बिना प्रतिभूति अथवा जमानत राशि के आवश्यक राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी जाती। ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बदलाव से भारतीय रिजर्व बैंक ने 1996 में स्व सहायता समूह को अपनी प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया। इस कदम ने स्व सहायता समूह जो कि प्रारम्भिक एवं प्रायोगिक स्तर पर मात्र सेकड़ों की संख्या में थे लगभग 90 लाख से ऊपर हो गए हैं। यह एक अद्भुत अवधारणा थी, जिसने महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में चमत्कारी बदलाव कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किया, ऐसे हजारों उदाहरण है कि जब एकल असमर्थता के स्थान पर सामूहिक एकजुटता ने कई जटिल समस्याओं को आसानी से हल किया। शराब बंदी सहित अनेक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इन ग्रामीण महिलाओं की समूह के रूप में एकजुटता ने सैकड़ों गांवों की दशा एवं दिशा बदल दी। 1992 में स्व सहायता समूह कार्यक्रम को बैंको से जोड़ने के उद्देश्य से नाबार्ड ने प्रभावकारी पहल की।

वर्तमान परिदृश्य – ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को गरीबी, साक्षरता, स्वास्थ्य इत्यादि परेशानियों को समूह स्वरूप से दूर करने के उपाय किये गए। भारत में इस अवधारणा को तेजी से विकसित किया गया, ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाए गए उनमें बचत की आदत, आवश्यक अभिलेखों का संधारण, वित्तीय लेन-देन प्रक्रिया को समझना एवं निर्धारित समय पश्चात उनको किसी स्वरोजगार गतिविधि के चयन एवं वित्तीय सहायता से आजीविका स्तर को बेहतर करने सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया गया। वर्तमान परिदृश्य की स्थिति निम्न तालिका में देखतें है –

(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

उपरोक्त आंकड़ो को निम्न रेखाचित्र के माध्यम से देखतें है। **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास के लिए समुचित प्रयास किए जा रहें। 2016-17 में जहां 69,13,636 परिवारों में से कम से कम एक सदस्य को समूह से जोडने के प्रयास किए गए वहीं वर्ष 2017-18 में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी से यह संख्या 96,45,323 परिवारों तक बढ़ गयी। इसी प्रकार स्व सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश फंड में वितरित राशि को वर्ष वार देखें तो वर्ष में 2016-17 में राषि रूपये 1257 करोड़ और 2017-18 में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी से लगभग 1956 करोड़ हो गयी, जो कि एक उल्लेखनीय प्रगति है। भारत में किए जा रहे अभिनव प्रयासों में, ग्रामीण स्तर पर छोटी स्वरोजगार इकाईयों के माध्यम से लोगों की आजीविका स्तर को बेहतर किया जा सके। आजीविका के साथ-साथ सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी उनके लिए सहज-सुलभ बनाया जा सके। इन समूहो के उत्थान हेतु जिन प्रकारों अथवा तरीकों को उपयोग में लाया जा रहा हैं, उनमें से प्रमुख है –

1. क्लस्टर एप्रोच अर्थात संगठन दृष्टिकोण – प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समूहों का संगठन निर्मित कर चार या पांच ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करना जिस हेतु स्थानीय स्तर पर कच्चा माल, आवश्यक कौशल, उपलब्ध बाजार इत्यादि आसानी से सुलभ हो सके।

2. प्रोजेक्ट एप्रोच अर्थात परियोजना दृष्टिकोण – स्थानीय विभागों के अधिकारियों एवं वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के सहयोग से कोई ऐसी परियोजना में इन समूहों को आवश्यक वित्तीय सहायता देकर जोडना जिससे इन समूहों सदस्यों के परिवारो को आजीविका का साधन सुलभ हो सके एवं इनका जीवन बेहतर हो सके।

3. ग्रुप एप्रोच अर्थात समूह दृष्टिकोण – सभी परिवारों से किसी न किसी सदस्य को समूह से जोड़ा जाये विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को तथा प्रयास किए जावे कि प्रत्येक समूह में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो अर्थात महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत सुनिश्चित की जावे। साथ यह भी प्रयास किए जावे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिलाओं एवं दिव्यागों को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

वर्ष 2008 में योजना आयोग द्वारा कराये एक अध्ययन 'भारत में स्व सहायता समूह की सफलता एवं असफलता के संबंध में बाधाएं तथा अवसर' पर एक प्रतिवेदन तैयार किया गया। इस अध्ययन के उद्देश्यों में- समूह द्वारा गतिविधियों की वास्तविक चयन प्रक्रिया एवं उसमें आने वाली समस्या तथा चयन में अपनायी गयी रचनात्मक विधि यदि कोई हो तो, प्रत्येक गतिविधि से संबंधित जानकारी जैसे, प्रशिक्षण, उधार, तकनीक, आधारभूत संरचना, विपणन इत्यादि। इस अध्ययन दल ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों, वित्तीय संस्थाओं के संबंधित अधिकारियों एवं समूह सदस्यों से जानकारी प्राप्त की। अध्ययन के प्रतिवेदन से निम्न जानकारी सामने आयी –

1. समूहों में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी 40 प्रतिशत होनी चाहिए अपितु वास्तविक भागीदारी 59 प्रतिशत है।
2. कुल समूह सदस्यों की संख्या में 69 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, 21 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की तथा मात्र 8 सामान्य वर्ग की एवं केवल 2 प्रतिशत अल्पसंख्यकों की भागीदारी थी।
3. कुल समूह सदस्यों की संख्या में अधिकतर सदस्य पढे-लिखे पाए गए,जिसमें 65 प्रतिशत लोग पढ़ना और लिखना जानते थे, 8 प्रतिशत 10 वीं तक शिक्षा प्राप्त, 3 प्रतिशत लोगों ने कालेज स्तर तक शिक्षा ग्रहण की थी। पढ़े-लिखे कुल सदस्यों में महिला एवं पुरूष सदस्यों की संख्या लगभग आधी-आधी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त समूह सदस्यों में शामिल महिलाएं अधिकतर गृहकार्य में एवं कुछ महिलाएं फसली कृषि कार्य में संलग्न थीं। अधिकतर समूह सदस्य भूमिहर और मजदूरी ही उनकी आजीविका का आधार थी।

स्व सहायता समूह के सफल अभियान में बाधाएं – भारत में ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं के समग्र विकास हेतु सषक्त विकल्प स्व सहायता समूह अभियान में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पायी है, योजना आयोग द्वारा अभियान में आ रही बाधाओं एवं समस्याओं को जानने के उद्देश्य से कराये गये अध्ययन में निम्न तथ्य सामने आए –

1. समूह सदस्य चयन में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की अनदेखी हुई।
2. अधिकतर समूहों में परिपक्वता की कमी, प्रक्रियात्मक जानकारी का अभाव था, उनमें बचत एवं ऋण संबंधी व्यवहारों का अपेक्षित अनुभव नहीं था, साथ ही संगठनों में से किसी ने प्रेरक की भूमिका नहीं निभायी।
3. अधिकतर समूहों का निर्माण रिवाल्विंग फंड, अनुदान अथवा मात्र

ऋण प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से किया गया, जिसका ग्रेडिगं करते समय ध्यान नहीं रखा गया।

4. समूह गतिविधि चयन में स्वरोजगार इकाई की उपयुक्तता एवं लाभप्रदता की संभावना पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया।
5. समूह कार्यवाही, निर्णयो, प्रस्तावों, लेन-देन इत्यादि व्यवहारों एवं अन्य अभिलेखों का उचित संधारण नहीं किया गया।
6. समूह सदस्य अपनी आजीविका हेतु कृषि या अन्य मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, उनकी समूह व्यवहारात्मक सोच एवं उनको स्वरोजगार संचालन के अनुकूल तैयार करने के उद्देश्य से उनकी क्षमता वर्धन संबंधित प्रशिक्षण की कमी पायी गयी।
7. बैकों द्धारा अन्य कार्यो को प्राथमिकता देने एवं अच्छे समूहों को भी उचित मार्गदर्शन एवं सहायता न देने के भी अधिक संख्या में प्रकरण सामने आये।
8. समूह संचालन में सभी सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाते रहें जिससे समूह का सफल संचालन हो सके, ध्यान नहीं रखा गया। अधिकतर समूहों में गठन के समय चयनित अध्यक्ष एवं सचिव स्थायी रूप से पद पर काबिज रहें जिसके कारण अन्य सदस्यों की रूचि समूह गतिविधि में कम होती गयी।
9. शासकीय संबंधित विभाग एवं बैंकों के अधिकारियों ने अपनी भूमिका कई कारणों से ठीक ढंग से नहीं निभाई।
10. समूह गठन आर्थिक स्तर, शिक्षा, जाति, धर्म, उम्र इत्यादि का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे समूह सजातीय वर्ग का न होने से सफलता पूर्वक नहीं चल सके।

स्व सहायता समूह की सफलता हेतु सुझाव -

1. समूह गठन संबंधित सभी नियम एवं प्रक्रिया पारदर्शी एवं सरल हो। सभी सदस्यों को आधार से जोड़ पंजीकरण करना उचित होगा।
2. समूह के लाभ, समूह व्यवहार इत्यादि के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ संस्था से तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जावे, जिसमें केस स्टडी, समूह चर्चा, रोल प्ले एवं व्यावहारिक सामग्री को अधिक शामिल किया जावे।
3. समूह गठन में संलग्न विभागों के कर्मचारियों को इस अभियान के महत्व एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया की समझ हो तथा वह एक अच्छे प्रेरक की भूमिका निभा सके, इस उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जावे।
4. स्थानीय स्तर एवं ग्रामीण परिवेश में संभाव्य गतिविधियों की सूची विशेषज्ञों संस्थाओं द्धारा बैंक अधिकारियों को शामिल कर तैयार करनी चाहिए।
5. इस अभियान में प्रतिबद्ध एवं समर्पित एवं स्वप्रेरित कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए एवं इनकी जवाबदारी गुणात्मक हो न कि मात्रात्मक।
6. सफल संचालित समूहों की कहानियों का संकलन, उनके विडियों इत्यादि को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
7. सभी समूहों के लिए एक एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, ग्रामीण लोगों को तकनीक के उपयोग इत्यादि से जोड़ने के लिए समग्र प्रयास किया जाना चाहिए।

वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता है कि अवधारणा को नया स्वरूप प्रदान किया जाए। ग्रामीण महिलाओं को समूह अवधारणा से भली-भांति परिचित कराकर उससे जुड़ने के लिए प्रेरित एवं प्रत्येक गतिविधि एवं व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे वह कोई स्वरोजगार गतिविधि का चयन कर अपना एवं समूह के माध्यम से सम्पूर्ण समाज का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान कर सके। शायद तभी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्तमान सरकार कौशल विकास को एक अभियान के रूप में संचालित कर रही है, महिला जोकि सभी रूपों में पुरूषों की तुलना में कई विधाओं में प्राकृतिक रूप से कुशल एवं अच्छी प्रबंधक होती है यदि ग्रामीण महिलाओं को कौशल के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण भारत भी देश के समग्र विकास में बराबरी से योगदान दे सकेगा और स्थानीय कार्य अवसर के कारण ग्रामीण पलायन को भी रोका जा सकेगा।

निष्कर्ष - भारत जैसे देश जिसके संविधान में लोक कल्याणकारी समाज की अवधारणा विद्यमान है। अभी भी गरीबी विशेषकर ग्रामीण महिलाओं एवं परिवारो की, देश के समग्र विकास में सबसे बड़ी चुनौती हो। सभी समस्याओं के हल के सशक्त विकल्प रूप में विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सबसे कारगर उपाय स्व सहायता समूह की अवधारणा को आज लगभग 40 वर्ष हो रहें हैं। इसे राष्ट्रीय अभियान के रूप में आत्मसात कर ऐसे प्रतिबद्ध युवाओं का प्रेरित करना चाहिए जो आज भी ग्रामीण परिवेश में चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए स्वप्रेरित हो। आवश्यकता है कि स्व सहायता समूह की अवधारणा को और भी व्यापक स्तर पर प्रसारित कर समूहों का संघ स्वरूप में गठन हो तथा इसे सम्पूर्ण सहभागिता के आधार पर एक व्यावसायिक संस्था के रूप में संचालित किया जावे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित, अंक-3, जनवरी 2018, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
2. अ रिपोर्ट आन दि सक्सेस एण्ड फेलियर आफ एस.सी.जी. इन इण्डिया-इमपेडिमेण्टस एण्ड पेराडिग्म आफ सक्सेस, 2008, योजना आयोग की अधिकारिक वेबसाइट, दिनांक 5 जून 2018।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध एन.आर.एल.एम. योजनान्तर्गत उपलब्ध जानकारी एवं आंकड़े, दिनांक 5 जून 2018।
4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की वेबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी एवं आंकड़े, 5 जून 2018।
5. समाचार पत्र- दैनिक भास्कर भोपाल, दैनिक पत्रिका भोपाल।

वर्तमान स्थिति	2016-17	2017-18	2018-19
परिवारों को समूह से जोड़ा गया	6913636	9645323	473875
स्व सहायता समूह बनाए गए	5930768	34783	41394
ग्राम संगठनों को प्रायोजित किया गया	38911	53495	1823
सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों को विकसित किया गया	135774	25632	1476
रिवाल्विंग फंड प्रदत्त स्व सहायता समूह	282408	538882	13049
सामुदायिक निवेश फंड प्रदत्त स्व सहायता समूह	176824	25885	7402
स्व सहायता समूहों को वितरित रिवाल्विंग फंड राशि (रूपये में)	4021897405	7214490212	185393000
स्व सहायता समूहों केा सामुदायिक निवेश फंड निवेश की वितरित राशि रूपये में	8551109142	1234346148	0398472085

स्त्रोत – ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइट दिनांक 5 जून 2018 I

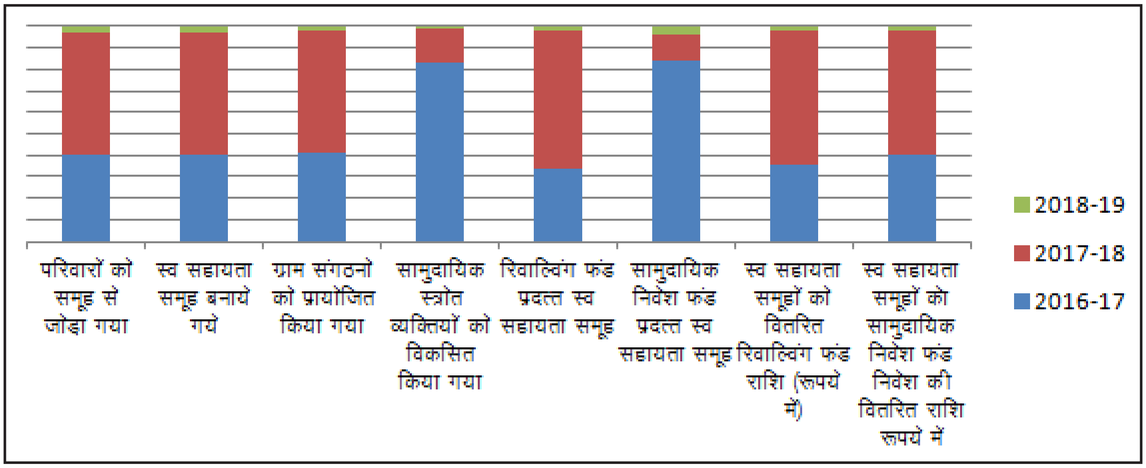

****

महिलाएं और राजनीति - एक भारतीय परिदृश्य

विक्रान्त पंवार *

शोध सारांश – 'किसी राष्ट्र को बदलने का सबसे तेज तरीका यह है कि उस राष्ट्र की महिलाओं का राजनीतिक विकास किया जाए' ।

महिलाऐं किसी भी व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र की वास्तविक शिल्पकार होती है। भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को वर्तमान स्तर तक पहुँचाने में महिलाओं का अतुलनीय योगदान है। प्राचीन भारत के समाज और राज्य में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था। समय के बहाव के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ और महिलाओं की उपस्थिति घर की चारदीवारी तक सीमित होकर रह गयी। इस स्थिति परिवर्तन के कारण भारतीय समाज और राजनीति पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और सर्वत्र अशिक्षा अन्धविश्वास, अत्याचार और कुरीतियों का बोलबाला हो गया। भारतीय इतिहास में इस युग को अन्धकार का काल कहा गया। यद्यपि इस अन्धकार काल में भी कुछ महिला शासक अपनी योग्यता और साहस के बल पर राज्य राजनीति की अविरल आकाश गंगा में ध्रुव तारे की भांति चमकती रही।

आधुनिक भारत के निर्माण का समय स्वतन्त्रता आन्दोलन से प्रारम्भ हुआ। यह भारत के पुनर्जागरण और पुनर्उदित होने का काल है। इस काल में भारतीय महिलाओं ने अपने ऊपर लादी गयी वर्जनाओं को लांघा और अधिकांश भौतिक, सामाजिक तथा वैचारिक बन्धनों को तोडकर भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो गयी। राजनीति में महिलाओं के इस सम्मिलन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई और वह प्रगति के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हुई।

शब्द कुंजी – शिल्पकार, अविरल, आकाश गंगा, पुनर्जागरण, सम्मिलन।

प्रस्तावना – किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। किसी भी समाज के लिए सभ्य समाज कहलाने का यह मापदण्ड है कि उस समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान ही सम्मान एवं महत्व दिया जाता हो। वैदिक काल के उपरान्त अधिकांश स्तरों पर महिलायें अपमानित, उपेक्षित एवं शोषित होती रही है। महिलाओं की यही स्थिति भारत के राजनीतिक पटल पर भी दृष्टिगोचर होती है। दीर्घकालीन उपेक्षा व शोषण के उपरान्त आधुनिक काल में महिलाओं ने भारत की राजनीतिक आजादी के समय अपने अदम्य साहस व विवेक का उपयोग करके आजादी की लड़ाई को एक नयी दिशा प्रदान की। भारतीय राजनैतिक आन्दोलन के समय से भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रवेश बढ़ने लगा और वर्तमान समय तक इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य है –

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं के योगदान का विश्लेषण।
2. वर्तमान भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति के स्तर की समीक्षा।
3. राजनीति में भागीदारी बढाने हेतु महिलाओं के लिए विशेष संवैधानिक उपलब्धों की समीक्षा।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोधपत्र में द्वितीयक संमको का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र में प्रयुक्त विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य व संमक विभिन्न पुस्तकों, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट एवं विभिन्न समाचार पत्रों से संकलित है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका – भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रास्थिति को कालखण्ड की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन कालीन भारतीय राजनीति, मध्यकालीन भारतीय राजनीति, आधुनिक भारतीय राजनीति।

1. प्राचीन भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रास्थिति – ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं को उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त था और राजनीतिक रूप से भी भारतीय महिलाएं सुदृढ़ अवस्था में थी। इस काल में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त था और प्रत्येक स्तर तथा संस्था में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वैदिक काल में गार्गी, मैत्री व विदुषी आदि महिलाओं ने शासन व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यह सत्य है कि कबीलाई संस्कृति के दौरान महिलाओं को कबीलों के निर्णयों में यथोचित स्थान प्राप्त नहीं था परन्तु राज्य के जन्म के साथ-साथ राजा के राजसिंहासन के समीप ही रानियों के बैठने की व्यवस्था भी राज्यसभा में की गयी। तत्समय राजा द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे, उनमें रानियों के विचारों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। यह रानियां अपने अपने समय में शासन सत्ता का केन्द्र बिन्दु रही है।

2. मध्यकालीन भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रास्थिति – मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान एक ऐसा नाम रहा है जो मुस्लिम शासन व्यवस्था के समय में भी राज्य अध्यक्ष बनने में सफल रही है और सन् 1236 से सन् 1240 तक शक्ति का केन्द्र बिन्दु रही है। रानी रूद्रमा द्वारा काक्तिया क्षेत्र पर सन् 1259 से सन् 1289 तक शासन किया गया। मार्कोपोलो ने भी रानी रूद्रमा को एक समता व न्याय प्रिय शासक बताया है। रानी दुर्गावती गोडवाना राज्य की सन् 1548 से सन् 1564 तक शासक रही और अकबर के विरूद्ध लड़ते हुए सन 1564 में इन्होनें वीरगति प्राप्त की। मध्यकालीन भारत में एक अन्य महिला चाँद बीबी का नाम भी उल्लेखनीय है, जो सन् 1580 से सन् 1590 तक बीजापुर एवं सन् 1596 से सन् 1599 तक

* सहायक विधि अधिकारी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ (उ.प्र.) भारत

अहमद नगर की राज्याधिकारी रही। इसी कड़ी में देवी अहिल्या बाई होल्कर का नाम भी उल्लेखनीय है, जो सन् 1766 से सन् 1795 तक अहमदनगर राज्य की शासक रही हैं। कित्तूर रानी चेनम्मा द्वारा भी कित्तूर रियासत पर सन् 1816 में शासन किया गया। इसके अतिरिक्त मुगल शासक जहांगीर की पत्नी नूरजहां एवं उसकी माता अस्मत बेगम भी मुगल काल के दौरान सन् 1611 से सन् 1627 की अवधि में राज्य व्यवस्था के निर्णय में महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भागीदारी रखती थी। महाराजा शिवाजी की माता जीजाबाई के द्वारा सन् 1674 से सन् 1680 तक मराठा साम्राज्य के निर्णयों में प्रभावकारी भूमिका निभाई गयी और शिवाजी द्वारा लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णय उनकी माता जीजाबाई के परामर्श के उपरान्त ही अन्तिम रूप से प्रभावी होते थे। भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय काल में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजी आधिपत्य से बचाने हेतु सन् 1858 के युद्ध में अपनी आहुति दे दी। इसी प्रकार रामगढ रियासत की रानी अवन्ती बाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद राजकाज संभाला और अंग्रेजो के विरूद्ध लड़ते हुए सन् 1857 में शहीद हो गयी।

3. आधुनिक भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रास्थिति – स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारत में महिलाओं की दशा में तीव्र गति से सुधार आया है। यद्यपि सुधार के प्रयास पुनर्जागरण काल के दौरान ही राजा राम मोहन राव एवं हरविलास सारदा जैसे समाजसेवी सुधारकों द्वारा प्रारम्भ कर दिए गए थे। राजा राममोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। श्री हरविलास सारदा के प्रयासो से 23 सितम्बर 1929 को शारदा एक्ट पारित किया गया और बाल विवाह प्रथा जैसी कुरीतियों पर कानूनी रूप से रोक लगाई गयी।

भारत में मुगल काल की समाप्ति के उपरान्त ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध भारत की स्वतन्त्रता हेतु हुए स्वाधीनता आन्दोलनों में भी महिलाओं द्वारा एक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है। इस श्रेणी में श्रीमती ऐनीबेसेंट जिनके द्वारा सन् 1907 से सन 1933 तक तत्कालीन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया गया और होम रूल लीग की स्थापना करके भारत की स्वतन्त्रता का प्रयास किया गया, का नाम मुख्य पायदान पर है।

सरोजनी नायडू जो एक कवियत्री एवं राजनीतिज्ञ थी, का भी तत्कालीन समय में अपना एक अलग स्थान था। श्रीमती नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय नेता थी एवं इनके द्वारा सन 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गये दाण्डी मार्च में भाग लिया गया। सन 1947 में सरोजनी नायडू को यूनाईटेड प्रोविन्स की राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सरोजिनी नायडू द्वारा तत्कालीन भारत के सबसे बडे प्रांत में राज्यपाल के पद पर आसीन रहते हुए अपनी योग्यता एवं नेतृत्व क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

इस क्रम में श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित का भी नाम एक महत्वपूर्ण पायदान पर रखा जाता है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित सन 1934 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड में चुनी गयी थी। सन 1936 में उनका चयन असेम्बली ऑफ यूनाईटेड प्रोविन्स में हुआ तथा भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त सितम्बर 1953 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित को संयुक्त राष्ट्र संघ के आठवे सत्र की अध्यक्ष चुना गया था। इस पद पर चयनित होने वाली वे प्रथम महिला एवं प्रथम एशियन थी।

राजकुमारी अमृत कौर का नाम भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान एक सक्रिय महिला राजनीतिज्ञ के रूप में सम्मानित रहा है। वे सन 1927 में आल इण्डिया वूमेन कान्फ्रेंस की सहसंस्थापक बनी थी और वर्ष 1933 में उनका चयन इस संस्था के अध्यक्ष पद के लिए हुआ था। श्रीमती कौर द्वारा सन 1930 में 240 मील लम्बे दाण्डी मार्च में भाग लिया गया था और इस कारण ब्रिटिश सरकार ने रूष्ट होकर उन्हें जेल भेज दिया। राजकुमारी अमृत कौर द्वारा सन 1945 में यूनेस्को की लन्दन कान्फ्रेंस एवं सन 1946 में पेरिस कान्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया गया। स्वतन्त्र भारत के प्रथम मंत्री मण्डल में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अमृत कौर को सन 1950 में विश्व स्वास्थ्य असेम्बली की अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्रीमती सुचेता कृपलानी एक स्वतन्त्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी जो कि स्वतन्त्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में वर्ष 1963 से सन 1967 तक अपनी सेवाए प्रदान की।

श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम भारतीय राजनीति में एक ध्रुव तारे की भांति लिया जाता है। सन 1966 से सन 1984 के मध्य श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय सत्ता के शीर्ष पद को सुशोभित किया है और समस्त विश्व के समक्ष भारतीय महिलाओं की योग्यता एवं विद्धता और दृढ़ता को सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की है। श्रीमती इंदिरा गांधी एक अत्यंत दक्ष प्रधानमंत्री के रूप में आज भी स्मरण की जाती है और भारतीय राजनीति में उनके निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर दृष्टांत के रूप में याद किया जाता है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल द्वारा भी भारतीय राजव्यवस्था के शीर्ष पद अर्थात राष्ट्रपति पद को वर्ष 2007 से 2012 तक सुशोभित किया गया। इस पद पर वे भारत की प्रथम महिला है।

उक्त कडी में श्रीमती सोनिया गांधी का नाम भी उल्लेखनीय है जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वर्ष 1998 से आसीन रहते हुए 19 वर्ष के रिकार्ड कालखण्ड में भारतीय राज व्यवस्था में नीति निर्धारक बिन्दु की भूमिका निभाई है।

इन श्रेष्ठ पदों को सुशोभित करते हुए भारतीय राजनीति का संचालन करने वाली इन महिलाओं के अतिरिक्त निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय राजनीति में भी भारतीय महिलाओं की भूमिका और योगदान निसंदेह सराहनीय रहा है।

भारतीय राज्यों में से कई ऐसे राज्य है, जिनमें मुख्य सत्ताधारी दल की अध्यक्ष अथवा मुख्य विपक्षी दल की अध्यक्ष महिलाएं है। भारत के अनेक राज्यों में महिलाओं ने लम्बे समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। वर्तमान समय में भी भारत के कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री पदासीन हैं और कई राज्यों में पदासीन रही हैं जिनके मुख्य उदाहरण निम्नवत् हैं –

1. भारत के दक्षिणवर्ती प्रान्त तमिलनाडु में सुश्री जे0 जयललिता एक सशक्त मुख्यमंत्री के साथ–साथ राजनीतिक दल अन्नाद्रमुक की एकछत्र अध्यक्ष लम्बे समय तक रही है। वर्ष 1991 से वर्ष 2016 के बीच सुश्री जे0 जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही । सुश्री जे0 जयललिता मुख्यमंत्री रहने के साथ–साथ दक्षिण भारतीय राजनीति का एक केन्द्र बिन्दु अपने जीवन के अन्तिम समय तक बनी रही।
2. भारत के बिहार प्रान्त में भी वर्ष 1997 से वर्ष 2005 के बीच श्रीमती राबडी देवी तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रही है।
3. उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती चार बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुकी है। सुश्री मायावती द्वारा वर्ष 1995, 1997, 2002 से 2003 एवं 2007 से 2012 तक 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाला गया है और आज भी सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति के केन्द्र बिन्दुओं में

से एक है।

4. श्रीमती शीला दीक्षित केन्द्रशासित प्रान्त दिल्ली में वर्ष 1998 से वर्ष 2013 तक लगभग 15 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री रही है।
5. श्रीमती आनन्दी बेन 22 मई 2014 से 04 अगस्त 2016 तक गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है और वर्तमान में 19 जनवरी 2018 से मध्यप्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन है।
6. वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रान्त राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया वर्ष 2013 से अब तक आसीन है। इससे पूर्व भी वे 2003 से 2008 की बीच इस पद पर कार्यरत रही है।
7. भारत के उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी प्रान्त जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सईद सन् 2016 से राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रही है।
8. भारत की प्रथम महिला आई0पी0एस0 अधिकारी किरण बेदी 22 मई 2016 से पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है।

उक्त उल्लेखनीय नामों के अतिरिक्त भारतीय राजनीति में 02 ओर महिलाए भी ऐसी है, जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, मीरा कुमार पाँच बार संसद सदस्य रही है तथा वर्ष 2009 से 2014 तक लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर रही है। वर्तमान समय में भी वर्ष 2014 से 16 वीं लोकसभा के स्पीकर पद पर सुमित्रा महाजन आसीन है। इन दोनों महिलाओं द्वारा भारत की राजनीति के शीर्ष सदन की कार्यवाहियों का संचालन बहुत ही प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक किया गया है।

महिलाओं के लिए विशेष संवैधानिक उपबन्ध - स्वतंत्र भारत में प्रथम दिन से ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिए निरंतर मांग उठती रही। भारतीय संविधान रचयिताओं द्वारा भारतीय समाज में नारी की स्थिति के उत्थान हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान किये गये जिनमें अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत सभी स्त्री एवं पुरूषों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन में सभी स्त्री पुरूषों को अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी भारतीय गणराज्य में सभी स्त्री-पुरूषों को समान रूप से प्रदान किया गया। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व समाहित है। इसी भाग के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गयी तथा अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिए प्रसूती सहायता के विशेष उपबन्ध किये गये है।

एक समय ऐसा था जब भारतीय राजनीति में राजकुमारियों रानियों और बडे राजनेताओं एवं उद्योगपतियों की पुत्रियों के लिए ही स्थान आरक्षित था। समाज का अत्यंत अल्प वर्ग सभी भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतीत होता था, परंतु 1960 के दशक के उपरान्त इस स्थिति में विप्लवकारी बदलाव देखने को आया। न केवल राजनीति अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और विधा में तथा कैरियर के प्रत्येक विकल्प में और उद्योगों के प्रत्येक प्रक्रम पर महिलाओं की प्रभावकारी उपस्थिति महसूस की जाने लगी। यद्यपि भारत में जीवन और कैरियर के सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं ने सफलता के नए आयाम प्राप्त किए है और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए है, परन्तु इन सब में भारतीय राजनीति में महिलाओं ने श्रेष्ठता और पद क्रम की उच्चतम ऊँचाईयों को छुआ है।

विश्व आर्थिक मंच 2016 के आंकडों के अनुसार 144 देशों में किए गये सर्वेक्षण के अनुसार राजनीति में महिलाओं की सहभागिता और योगदान के दृष्टिगत भारत का 09 वां स्थान है।

सारिणी 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

उक्त रैंक की प्राप्ति में 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण योगदान है। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए है। 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गयी है। इन दोनों संवैधानिक संशोधनों ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में क्रान्तिकारी बदलाव ला दिया है। भारतीय व्यवस्था में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, जहां पर राजनीति का प्रांरभ होता है। आज इस प्रारंभिक बिन्दु पर ही एक तिहाई से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रधान महिलाएं है। इन एक तिहाई ग्राम पंचायत की महिला प्रधानों में से अनेकों आज भी शिक्षा के प्रकाश से कोसों दूर है, परन्तु व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर वे अपने प्रधान पद के दायित्वों का साहस के साथ निर्वहन कर रही हैं। नगर पंचायतों में भी एक तिहाई से अधिक पंचायत अध्यक्ष के पदों पर महिलाएं नीतियाँ बना रही है और उन्हें क्रियान्वित कर रही है। जिला स्तरीय राजनीति में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के अनेक पद महिलाओं द्वारा सुशोभित किए जा रहे हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार दिसम्बर 2017 में पंचायत स्तर पर निर्वाचित महिलाओं की संख्या 13.72 लाख थी, जो कुल निर्वाचित सदस्य संख्या का 44.2 प्रतिशत है। प्रतिनिधित्व के साथ-साथ सामान्य निर्वाचनों में भी महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। वर्ष 2014 के सामान्य निर्वाचन में महिला मतों का प्रतिशत 65.63 % रहा, जबकि इस चुनाव में पुरूष मतों का प्रतिशत 67.09 था।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, त्रिपुरा, और उत्तराखण्ड राज्यों ने महिलाओं हेतु आरक्षित सीटो की संख्या 50 प्रतिशत तक बढा दी है, वही दूसरी ओर लोक सभा और विधान सभा में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं हेतु आरक्षित करने से सम्बन्धित 108वा संविधान संशोधन विधेयक अभी तक लोक सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है।

आज लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या 543 है परन्तु अनेक प्रयासो के बावजूद भी 543 सांसदों में मात्र 62 सांसद ही महिलाए है। इसी प्रकार राज्यसभा की 236 सदस्य संख्या में से महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 28 तक सीमित है। उक्त आंकडे यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भले ही कुछ करिश्माई व्यक्तित्व वाली महिलाओं ने राजनीति के शीर्ष बिन्दुओं को छू लिया हो परन्तु सामान्य स्तर पर राजनीति के दोनों सदनों में महिलाओं की स्थिति अपितु उपस्थिति में बदलाव और बढोतरी की नितान्त आवश्यकता है।

निष्कर्ष - उक्त विवेचन से यह स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल से ही भारतीय राजनीति में महिलाओं का दर्जा और योगदान उच्च स्तरीय रहा है। भले ही सामाजिक रूप से महिलाओं की स्थिति अपेक्षा अनुरूप सुदृढ न रही हो परन्तु उनकी राजनीतिक स्थिति अपेक्षाकृत रूप से मजबूत रही है। विभिन्न काल खण्डों में महिलाए राज्य अध्यक्ष रही है और उनके द्वारा प्रभावी ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन किया गया है। स्वामी विवेकानन्द का कथन था कि 'जिस राष्ट्र में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है वह राष्ट्र न तो वर्तमान न भविष्य में कभी महान बन सकता है।'

भारत के राजनैतिक पटल पर महिलाओं को सम्मान दिया गया है और

इस सम्मान में उत्तरोत्तर बढोत्तरी भी हो रही है। यह भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार का निश्चयात्मक सूचक है।

आज भारतीय राजनीति का कोई ऐसा शिखर नहीं है जहां भारतीय महिलाओं ने अपना झण्डा न गाड़ा हो। भारतीय राजनीति के आरम्भिक बिन्दु ग्राम प्रधान से लेकर उच्चतम शिखर राष्ट्रपति पद तक पर महिलाओं की विजय का शंखनाद हो चुका है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, आत्मविश्वास व सफलता की तीव्रगति को देखते हुए यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि निकट भविष्य में महिलाऐं राजनीति के मैदान में सफलता के नये आयाम प्राप्त करेंगी।

अंत में यह कहना समीचीन होगा कि 'जीवन की कला को साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुन्दर जीवन का आधार है।'

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. विश्व आर्थिक मंच – वैश्विक लिंग भेद रिपोर्ट 2016
2. आर0सी0 मजूमदार – द हिस्ट्री एण्ड कलचर आफ इण्डियन पीपुल।
3. सतीश चन्द्रा – मध्यकालीन भारत का इतिहास।
4. बिपन चन्द्रा – आधुनिक भारत का इतिहास।
5. विभिन्न समाचार पत्र एवं सम्मानित लेखकों के विचार।

Table 1 - Global Gender Gap Index - 2016 (Out of 144 Countries)

India				
Overall Index	Year 2006		Year 2016	
	Rank	Score	Rank	Score
Global Gender Gap Index	98	0.601	87	0.683
Economic Participation and Opportunity	110	0.397	136	0.408
Educational Attainment	102	0.819	113	0.950
Health and Survival	103	0.962	142	0.942
Political Empowerment	**20**	**0.227**	**9**	**0.433**
Rank out of	115	-	144	-

Source - Global Gender Gap Index, 2016 by World Economic Forum, 2016

****

पण्डित नेहरू के विचारों का विश्लेषण

डॉ. प्रीति शर्मा *

प्रस्तावना – पं. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेता है। उन्होंने समय-समय पर अपने लेखन भाषणों, उक्ति कथनों तथा संसद् में सम्प्रेषित वक्तव्यों, जनसभाओं, अन्तर्राष्ट्रीय समागमों तथा अन्यत्र भी व्यक्त किए गए उद्गारों में विकासशील लोकतन्त्रीय समाज की सम्भावनाओं का अपने राजनीतिक विचारों में बीजारोपण किया है। यद्यपि अनेक लेखकों, अन्य कथाकारों और पत्रकारों ने उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की चर्चा की है। उनके व्यक्तित्व के विविध आकर्षक रूपों, चर्चा में दल के सशक्त नेता, प्रभावशाली प्रधानमंत्री, प्रखर राजनीतिज्ञ और उदारवादी, जनतंत्रीय विचारक की भूमिका एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में भी उनका महत्तवपूर्ण योगदान है। वे ऐसे राजनेता थे जिन्हें सैद्धान्तिक विचारों से अधिक कर्म पर विश्वास था। वे समाज में पनपती बुराइयों को पराक्रमी योद्धा की भाँति उनका मूलोच्छेदन करो वे तत्पर रहते थे। राजनीतिक विचारों के परिवेश में उन्होंने अपनी गतिविधियों द्धारा असाधारण रूप से गौरवपूर्ण योगदान किया है। वैज्ञानिक विकास की ओर, नवीनता की खोज में नेहरू ने भारतीय राजनीति और सामाजिक चेतना में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्तमान भारतीय राजनीतिक चिन्तन में उन्होंने रुढ़िगत स्वप्नदर्शी और स्थूल आध्यात्मिक तत्त्वों को निकालकर फेंका है और उनसे ऐसे तत्त्वों को ग्रहण कर अपने चिन्तन में आत्मसात् कर लिया है जो कि व्यावहारिक है और उपयोगितामूलक तत्त्व है और उनकी स्वदेशी उपवयवों को बड़ी चतुराई के पश्चात् उदार मानवतावादी परम्पराओं के साथ तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत कर संयोजित कर दिया है।

नेहरू ने अपने विचारों को व्यक्त किया है कि 'कारगार में व्यक्ति मार्क्स के सिद्धान्त का प्रशंसक बन जाते हैं, जो सत्ता पर नियन्त्रण रखता है।' कारगार के प्रचारों के घेरे में नेहरू मानवता का इतिहास लिख रहे थे और ऐसा इतिहास रचने के लिए नेहरू का समाजवादी चिन्तन के अवलोकन की आवश्यकता थी और उनके लिए यह साधन मार्क्सवाद ने उपलब्ध करा दिया था। मार्क्सवादी चिन्तन के लिए उन्होंने कहा है कि 'यदि इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मानवीय जीवन और मानवीय इच्छाओं का उचित माध्यम है।' 'भारत की खोज' नामक पुस्तक में नेहरू ने स्वीकार किया है 'मार्क्स और लेनिन की रचनाओं ने हमारे मस्तिष्क पर शक्तिशाली प्रभाव डाला है।' इनकी रचनाओं में मुझे इतिहास और वर्तमान समस्याओं को नये सन्दर्भ में देखो में सहायता दी है। इतिहास की लम्बी शृंखला और सामाजिक विकास का नया अर्थ और सिलसिला देखने को मिला है और भविष्य के प्रति अनिश्चय का धुँधलापन कुछ साफ हो गया है।

नेहरू के समाजवादी चिन्ता का अन्तिम स्वप्न भारत की स्वतन्त्रता के बाद का है। जिसमें उन्होंने अपने विचारों को अमलीजामा पहनाया है। आर्थिक समस्याओं के प्रति इनके प्रयास मूलत: राजकाज सम्बन्धी है। बहुधा यह काम अल्पकालीन और धीरे-धीरे चलने वाले हैं। नेहरू के नेतृत्व में भारतीय कांग्रेस द्धारा समय-समय पर पारित ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिन्हें, यह संकेत मिलता है कि वैचारिक रूप से समाजवाद से जुड़े हुए थे। नेहरू के समाजवादी विचारों पर आधारित प्रमुख कार्यक्रम उल्लेखनीय है।

1. 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति को निर्धारित करते हुए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव किया था जिसमें उद्योग को तीन वर्गों में रखने का प्रावधान था। पहले वे उद्योग पे जिनका स्वामित्व और प्रबन्ध दोनों ही शासन के पास सुरक्षित था। दूसरे उद्योग वे थे जो शासन और व्यक्तिगत उद्योगपतियों के सहअस्तित्व में संचालित किए जाते थे। तीसरे वे उद्योग जिनका स्वामित्व और प्रबन्ध उद्योगपतियों के हाथ में था किन्तु एक सीमा तक शासन का उन पर नियन्त्रण था।
2. 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई और जुलाई 1951 में प्रथम पंचवर्षीय (1951-56) योजना की रूपरेखा प्रकाशित की गई। जिसका लक्ष्य सरकारी और निजी दोनों प्रकार के उद्योगों के विकास का था। इस योजना में यह संकेत किया गया था कि आर्थिक विकास की योजनाओं को भविष्य में भी नियोजित किया जाएगा। जिससे नियोजन का संचालन केन्द्रीय योजना आयोग द्धारा संचालित किया जाएगा।
3. 1955 में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने आजादी में अपने 60वे अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर समाजवादी समाज की रचना का संकल्प कर लिया था और सभी नीतियों के निर्धारण का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था घोषित किया गया।
4. देश की आर्थिक योजनाओं को बुनियादी और सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखकर तैयार किया जाए। आबादी में पारित प्रस्ताव, वास्तव में एक ऐसा छायादार छाता था, जिसकी छाया में नेहरू की सहिष्णुता और सम्भावित विरोध देशों को आश्रय मिला था। नेहरू अपने ध्येय के प्रति समर्पित होने के साथ-साथ लचीले भी थे। अत: इस प्रस्तावों के समाजवादी दर्शन को आसानी से उचित स्थान प्राप्त हुआ था।
5. 1986 में औद्योगिक नीति के दूसरे प्रस्ताव नेहरू के समाजवादी दर्शन को कुछ और आगे बढ़ा था जिसमें यह घोषणा की गई कि हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य समाजवादी समाज की संरचना है। देश में योजनाबद्ध शीघ्र विकास को दृष्टि में रखते हुए बुनियादी और जनहित में महत्तवपूर्ण उद्योगों को सरकार के नियन्त्रण में सार्वजनिक उद्योग वर्ग होना चाहिए। ऐसे अन्य उद्योग जो इस स्थिति में है जिन्हें शासन द्धारा नियन्त्रित

* (राजनीति विज्ञान) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

और संचालित होना अनिवार्य है। उन्हें भी पब्लिक सेक्टर में रखा जाए। इस प्रकार शासन ने बड़े व्यापक क्षेत्र के उद्योग के भविष्यफल विकास का उत्तारदायित्व स्वयं वहन करने का संकल्प किया था।

6. 1958 – 15 अगस्त सन् 1958 के इकोनॉमिक रिव्यू के अंक में नेहरू अपना एक 'दि बेसिक एब्राँच' शीर्षक से प्रकाशित किया था। इस लेख में नेहरू ने समाजवाद के तस्वीर की रेखाएँ उभारने की कोशिश की थी। इस केस में उन्होंने साम्यवाद में हिंसा को मनोवृत्ति की आलोचना की थी। नेहरू ने सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सहिष्णुता और शान्तिपूर्ण प्रयत्नों पर बल दिया था। उन्होंने लिखा था कि 'जनतन्त्र और समाजवाद साध्य के साधन मात्र हैं।' वास्तव में सामाजिक प्रगति को विकास के लिए समुचित अवसर देने में आधारित है।

सम्पूर्ण कथन नेहरू की समाजवाद के प्रति धारणा का संक्षिप्त सर्वेक्षण है। नेहरू अपने दृढ़ विश्वास और त्याग के कारण भारतीय समाजवादियों के शीर्ष नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। नेहरू ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए लिखा था कि देश के आर्थिक विकास पर आधारित समग्र योजना में मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और अधिक अवसरों की सम्भावना होनी चाहिए। हमें वर्गहीन समाज के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। यह मंजिल हमसे अभी कोसों दूर है, किन्तु हमारे प्रयास इस लक्ष्य तक पहुँचने के होने चाहिए।

वर्तमान भारतीय राजनैतिक चिन्तन के क्षेत्र में नेहरू का महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसमें मुख्य रूप से उन आरम्भिक प्रभावों की चर्चा मात्र है जिससे आकर्षित होकर नेहरू ने समाजवाद के प्रति निजी धारणा विकसित की है और उसे कतिपय दार्शनिक चिन्तनों के आधार पर अभिव्यक्त हैं।

जॉन गूंथर ने नेहरू के 'सज्जन समाजवादी अथवा समाजवादी सज्जन के नाम से सम्बोधित किया है। सज्जन समाजवादी सम्बोधन उनके लिए उचित नहीं जान पड़ता यह विशेष उसको अति विनम्र सिद्ध करता है। किन्तु नेहरू में समाजवादी विचारधारी के लिए आवेगपूर्ण उत्साह था।' भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन ने कहा है कि नेहरू आदर्शों के उपदेशक थे। वे अपनी महार और उदार भावनाओं के हाथों के खिलौने थे। कृष्णा नेहरू, हाठेसिंह ने नेहरू के बारे में लिखा है कि 'नेहरू कट्टरवादी साम्यवादी भी बन सकते थे किन्तु ऐसा न होने के कारण उनकी निर्भीक, स्पष्ट पार्टी अनुशासन की परवाह किया बिना आत्मा की आवाज मुखर की है।' सच्चाई की जिस बात को वे महसूस करते थे, वे बिना हिचक बोलने में चूकते नहीं।

यद्यपि नेहरू को सामाजिक और आर्थिक विकास की विचारधारा बहुत कुछ मार्क्स के 'दास केपिटल के अनुरूप थी।' फिर भी वे मार्क्स के चिन्तन को समयानुकूल नहीं मानते थे। वह स्वयं को प्रगतिशील मानते थे किन्तु उन्हें अतीत से काफी लगाव था। कुछ समस्याओं में खासतौर से समाजवाद और पूँजीवाद के विषय में उनकी स्पष्ट धारणा नहीं थी। डॉ. सम्पूर्णानन्द ने लिखा है कि 'कांग्रेस के लखनऊ (1936) में कांग्रेस के कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के अन्तर्गत समाजवादी पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी के प्रति नेहरू का दोस्ताना अन्दाज कभी नहीं रहा।'

वी.के.आर.पी. राव ने नेहरू के समाजवाद के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके समाजवाद में सिद्धान्तों और उसके क्रियान्वयन में विरोधाभास था। इसमें सन्देह की बहुत सी ग्रन्थियाँ थीं जिसका आभास नेहरू द्वारा सम्पादित विदेश नीति में मिलता है। मौलिक मानवतावादी भारतीय नेता एम.एन. राय ने 'नेहरू के समाजवाद को विशुद्ध भावुक विचार कहा है जिसे उन्होंने मध्यमवर्गीय संस्कृति को खण्डित करने के सन्दर्भ में रखा था।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नेहरू – एन आटोबायोग्राफी, लन्दन, 1939, पेज 266
2. नेहरू – दि डिस्कवरी इण्डिया, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी)।
3. नेहरू दी ऑटोबायोग्राफी, पृष्ठ क्रमांक 145
4. बनर्जी डब्ल्यू.सी., इन्ट्रोडक्शन टू आफ्टर नेहरू, इण्डियन पब्लिश बॉम्बे प्र.सं. 73 से 76
5. भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में नेहरू की भूमिका, शोध प्रबन्ध 1990, सोनवलकर अनिता।

****

The Discovery Of India As A Post Colonial Text

Dr. Mohini Chakranarayan* Shobha Sharma**

Abstract - The Discovery of India examines the experience of Jawarharlal Nehru in the processes of post colonization. It focuses mainly on the transitional period of the end of British rule in India and the making of new nation-state in India. Nehru was conscious to define the concept of India. As an anti colonial, anti imperial views, Nehru rejected British concept of India. Nehru's The Discovery of India has tried to dig out how India was capable of inventing itself for centuries before, during and after British presence which meant imagining the essential elements of Indian society and culture. Nehru's concern with modes of reasoning, thinking and evaluation Indian identity, towards colonial mentality. He has attempted to recover the lost glory of India.
Key Words - Post colonial, Traditional period, dig out, Essential element, Anti colonial, Anti imperial, Indian Society and Culture.

Introduction - In the historical context of Indian nationalist struggle in the late 19th and early 20th century, an Indian identity has probably been the most contested site for the national mapping of a nation. This was a particularly determining phase in Indian history that gave rise to the need to define the self. This required a serious rethinking and refiguring of the inclusion and exclusion of people and ideology within the ambit of the nation hither to familiar with categories of cohesiveness such as religion, caste, locality, region or occupation. The colonialist defining of our identity had wide spread implications in the acceptance and desirability of identity, roles, and its complex determinants were often challenging and confusing for a nascent nation grappling to come to terms in understanding the differences and plurality of identity. Drawing on the colonial tropes of discovering, rescuing and civilizing a land and its people the nationalist evocation of India while purporting to be anti colonial, continued to refurbish the same ideological and epistemological stance. A re-look at Jawaharlal Nehru's *The Discovery of India* would attempt to examine Nehru's concepts and terminology of post colonial theory.

Colonization is a process of invading and taking the sovereignty of one country the other one. The invaded country is called colony. The process of colonization implies settling or occupying the area. It leads to situation when one country is subordinated to other country imposing its own traditions, language and customs.

India is a postcolonial society that was under the British rule. It is well-know that Indian culture is absolutely different from European traditions. That is why there were not only political and religious conflicts but also cultural ones. In India on believed that British rule was more harmful than Islamic regime. However, at present time Indian people changed their minds radically. India is a Hindu nation but there is secularism there. The Indian people are nationalists and one can notice this nationalism in their religious belief.

Colonialism in India begun in the 10th century when the Islamic invasion took place and ended when the British rule was established. When Britain colonized India, it dealt with the already colonized lands but some areas were already free.

We would consider it our moral duty to lend all support to the ending of colonialism and imperialism so that people everywhere are free to mould their own destiny.
(https://www.brainyquote.com/topics/c010)

Colonialism hardly ever exploits the whole of country. It light the natural resources, which it extracts and exports to meet the needs of the mother country's industries, thereby allowing certain sectors of the colony to become relatively rich. But the rest of the colony follows its path of under development and poverty, or at all events sinks into it more deeply.

The phenomenon of post-colonialism begins with the historical context of colonialism and its consequences on the colonized. It is an intellectual direction that exists from the middle of the twentieth century. This term is originally used by historians after the Second World War as post colonial state. This discipline is mainly concerned with what happened when two cultures clash.

*Retd. Principal, Govt. S.S.N.M. Women's P.G. College, Narsinghpur (M.P.) INDIA
**Research Scholar, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA

(https://www.goodreads.com/Quotes/tag/post-colonial-theory)

Moreover it becomes a wide theory which includes multiple features related to both the colonizer and the colonized people. Post colonialism refers to all characteristics of a society or a culture from the beginning of the colonization to the present.

When Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of the free state of India wrote *The Discovery of India* (1946), he was neither the Prime Minister, nor was India a free nation. These distinctions were achieved in 1947, but not before a considerable political and ideological struggle to determine the national mapping of an Indian identity and an Indian nation on the minds of the people. *The Discovery of India* explains the concept of “India” as a modern nation state with enduring political and social entity has undergone several metamorphoses, with many identities lapping and overlapping each other. Looking back over the past 5000 years, the differing interpretations of the country and the divergent historiographical approaches, it is hard to discern the real India. With the rise and fall of empires and myriad cultures, the historical vision of India is at once confusing and easily misinterpreted. The objective of Nehru is to analyses the projection of a united national identity during the nationalist period in Indian history when the need to articulate a sense of oneness and united identity was most feet. *The Discovery of India* marks a typical crux in the history of India when the anxiety to discover a new India was most apparent. The crucial political and ideological transformation involving the colonial state and the Indian nationalists. In his book *The Discovery of India*, Nehru says that,

The objective for the country as a whole was the attainment, as far as far as possible of national self-sufficiency. International trade was certainly not excluded, but we were anxious to avoid being drawn into the whirlpool of economic imperialism. We neither wanted to be victims of an imperialist power not to develop such tendencies ourselves.
(The Discovery of India P-438)

The Discovery of India offers an analysis of the ramification of colonial discourse on the discovery and imagining of India as a territorially and ideologically defined entity. It still remains one of the most incisive insights into the socio-political and cultural processes that have welded together the frame of a nation. This book is a permanent marker of the critical discursive coordinates of western hegemony on post-colonial scholarship in India, and the extent to which it has influenced modern Indian social and cultural thought. Here we attempt to see how in trying to imagine and represent India, Nehru’s perception is affected by the ways in which the outside world has viewed and perceived India, and how this vision affects a community’s encounter with its past and its destiny. Nehru’s discovery of India is based on the colonial tropes of discovering, making, producing a new land and people. The panorama of Indian history and civilization that Nehru unfolds is based on the accounts of Greek and Chinese accounts such accounts, according to Nehru, corroborate the immortal testimony of India’s greatness in the past. Nehru acknowledges the obscurity and the humiliation of the present and directly blames the British rule for this,

Nearly all our major problems today have grown up during British rule and as a direct result of British policy; the princess; the minority problem; various vested interests, foreign and Indian; the lack of industry and the neglect of agriculture; the extreme backwardness in the social services; above all the tragic poverty of people.
(*The Discovery of India* P-333)

The impact of western culture on India was the impact of a dynamic society of a modern consciousness, on a static society wedded to medieval habits of thought which, however sophisticated and advanced in its own way, could not progress because of its inherent limitations.
(The Discovery of India P-315)

The Discovery of India has discussed Nehru’s attempt to counter the colonial ideology of vilifying the present state of India by paternalistically telling his people by making them think of an alternate perception of India. His quest in writing *The Discovery of India* has been to discover the real India. Nehru’s representation of the nation is based on the same colonial postulation which posited a clear disjunction between India’s past and present. The legitimating of colonization was based on the argument that the civilized India was only in some bygone mythical past. Colonialism was justified on the ground that the present was politically servile and morally degraded because of past dissensions; and colonial rule would enable present India to rise above its retrogressive, corrupt and fragmented state. But Nehru’s essence of Indian identity, while positing itself as anti-colonialist, ironically fits into the colonial epistemology that it set out to counter and challenge.

Nehru faces the dilemmas inherent to develop a national identity after decolonization; the ways in which writers articulate and celebrate that identity, often reclaimed from the colonizer, whilst maintaining connections with the colonial mother country. Nehru’s *The Discovery of India* seeks to share the same concern. His concern with modes of reasoning thinking and evaluation India identity comes as a reply to Britisher’s colonial mentality. His attempt to recover the lost glory of Indian civilization. He tries to invocate authentic radiation and a binary opposition between modernity and tradition that leads him to fuse them. To Nehru Indian culture and tradition is not invented by colonialism. It had been there before colonizer came. He thus provokes people into action. This was his anti-colonialism. This was central to his nationalism and communal

consciousness.

So *The Discovery of India* defines the concept of post colonialism. The book traces the history of British interactions with India from their beginnings through the establishment of British Raj. This book also examines the Britisher's point of view for modernizing India but failed as it had very strong and ancient traditions. Here we see the contradictions and mutual influence of two countries and Nehru's effort to return the lost power. Nehru too is in search of nationalist ideology. The Discovery of India looks into how Nehru gives value to the displaced identity, truth and authenticity. His purpose was to account for and to combat the residual effects of colonialism upon the cultures of the peoples who had been ruled and exploited by the Mother Country.

References :-

1. Goswami, Manu. *Producing India: From Colonial Economy to National Space*, Permanent Black, Delhi.
2. Khilnani, Sunil. *The Idea of India*. London: Hamish Hamilton, 1997.
3. Nehru, Jawaharlal. *The Discovery of India*. Calcutta: The Signet Press, 1946.
4. Embree, Ainslie T. *Imagining India: Essays on Indian History*. Delhi: The Oxford University press. 1989.
5. Hiddleston, Jane. *Understanding Post colonialism*, Stocksfied; Acumen, 2009.
6. Basham, Athur L. *A cultural History of India*. Oxford: Oxford University Press, 1975.
7. Biswamoy, Pati. *The Great Rebllion of 1857 in India Exploring Transgressions, Contests and Diversities*. London and New York: Routledge, 2010.
8. Brass, Paul R. *Politics of India since Independence*. Cambridge: Cambridge University Press. 1994.
9. Gupta, Amita. *Early Childhood Education*: *Postcolonial Theory and Teaching Practices in India*. Palgave: Macmillan, 2006.
10. Hiddleston, Jane. *Understanding Postcolonialism*. Stocksfield: Acumen, 2009.
11. Loomba, Ania. *Colonialism/Postcolonialism*. London and New York: Routledge, 1998.
12. Mukherjee, Upamanyu P. Postcolonial Environments: Nature, Culture and the Contemporary Indian Novel in English. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
13. Bettelheim, Charles. *India Independent*. New York: Monthly Review Press, 1968
14. Bloch, Esther, Keppens, Marianne and Hegde, Rajaram. *Rethinking Religion in India: the Colonial Construction of Hinduism*. London and New York: Routledge, 2010.
15. Bohemer, Elleke. *Colonial and Postcolonial Literature*: *Migrant Metaphors Second Edition*. Oxford and New York: Oxford University Press, 2005.
16. Chatterji, Joya. *The Spoils of Partition: Bengal and India*, 1947-1967. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
17. Clothey, Fred *W. Religion in India: a Historical Introduction* (London and New York: Routledge, 2006.
18. Daiya, Kavita. *Violent Belongings: Partition, Gender and National Culture in Postcolonial India*. Philadelphia: Temple University Press, 2008.
19. Deol, Harmik. *Religion and Nationalism in India*: the Case of the Punjab. London and New York: Routledge, 2000.
20. Ernst, Waltraud and Pati, Biswamoy. *India's Princely States: People, Princes and Colonialism*. London and New York: Routledge, 2007.

****

शहडोल जिले की प्रमुख धर्मशालाओं का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. मो. स्वालकीन खान *

प्रस्तावना – शहडोल मध्यप्रदेश एवं बघेल खण्ड का एक प्रमुख जिला है। यह मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। 1998-99 तक उमरिया एवं अनूपपुर जिला शहडोल जिले का ही भाग थे। उमरिया जिले का गठन 1998-99 में किया गया था एवम् शहडोल से अलग एक नये जिले के रूप में 15.8.2003 को अनूपपुर जिले का गठन किया गया था। इस प्रकार प्राचीन शहडोल जिले से वर्तमान में कुल तीन जिले अस्तित्व में हैं। शहडोल, बिलासपुर, कटनी रेल्वे जंक्शन पर स्थित है। 22.380 से 20.240 पूर्वी देशांतर 30.280 से 12.820 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देशांतर ई. 0082100 कि.मी. तक है, पूर्व से पश्चिम 141 कि.मी. उत्तर से दक्षिण तक है। इसके पूर्वी भाग का सीमांकन जिला अनूपपुर एवं पश्चिमी भाग का सीमांकन जिला उमरिया द्वारा निर्धारित होता है। उत्तरी पश्चिमी भाग बनास नदी द्वारा सीमांकित है एवं दक्षिणी भाग डिंडौरी जिले से सीमांकित है। इस जिले का क्षेत्रफल 5671 वर्ग कि.मी. तक फैला हुआ है।

शहडोल जिले के अतंर्गत सोहागपुर का इलाका, चंदिया का इलाका, खैरहा का इलाका शामिल था। एक अमेध दुर्ग 10 वीं 11 वीं शताब्दी का निर्मित बांधवगढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, इसी जिले का अंग था। जो वर्तमान समय में उमरिया जिले के अंतर्गत स्थित है। इसी प्रकार कलचुरी कालीन सोहागपुर की गढ़ी एवं खैरहा व चंदिया की गढ़ी भी इसी जिले का अंग थी।

सोहागपुर पुरानी विराट नगरी के रूप में भी जनमानस में अपनी अमिट छाप छोड़ता है। इस विराट नगरी को पाण्डवों की वनवास स्थली के रूप में यहाँ की जनता स्वीकार करती है, यहाँ स्थित एक विराटेश्वर मंदिर कलचुरी कालीन हैं, जो आज भी अपनी पुरातत्व कलाकृति का अद्‌भुत प्रमाण है।

श्री रामजानकी मंदिर (सरकारी धर्मशाला)– सोहागपुर में बघेल वंशीय राजाओं द्वारा निर्मित सरकारी धर्मशाला स्थित है, जो आज भी संचालित है। जिला मुख्यालय शहडोल से गढ़ी की ओर जाने वाली मार्ग में गढ़ी के आगे जिला मुख्यालय से लगभग 2 कि.मी. बांई ओर ये धर्मशाला स्थित है। इस धर्मशाला का निर्माण 19 वीं शताब्दी में महाराजा रघुराज सिंह (1855 से 1880 ई.) के राजत्व काल में सोहागपुर इलाकेदार के संरक्षण में किया गया था। जब महाराजा रघुराज सिंह सोहागपुर आए हुए थे, तब उन्हें सुबह-सुबह मंदिर की घंटे की आवाज सुनाई नहीं पड़ी और पूजा स्थल, की बात उनके समक्ष रखी गई, तब उन्होंने राम मंदिर एवम् धर्मशाला एक साथ निर्माण करवाया और उसका नाम सरकारी मंदिर रखा। आगे चलकर इस मंदिर एवं धर्मशाला को लोग रामजानकी मंदिर के नाम से पुकारने लगे क्योंकि इस मंदिर में भगवान राम एवं माता जानकी की प्रतिमा, स्थापित्य की गई।

ये धर्मशाला लगभग 100ग50 वर्गफिट का बना हुआ है, सामने पांच बड़े कमरे हैं जिनका आकार 20ग15 वर्गफिट का है वर्तमान में इन कमरों में स्कूल संचालित है। अंदर की ओर प्रवेश करके हम 100ग10 वर्गफिट के बराण्डे में पहुंचते हैं फिर अंदर एक बड़ा आंगन है। आंगन के दक्षिणी भाग से लगा हुआ उत्तरमुखी रामजानकी मंदिर का प्रांगण है एवम् आंगन के पश्चिमी भाग में धर्मशाला के कमरे बने हुए हैं, धर्मशाला में एक बड़ी गैलरी(परछी) पत्थरों के स्तम्भ जो गोलाकार हैं। पांच बड़े कमरे पत्थर की मोटी दीवार से बने हुए है, जहाँ आज भी गरीब, दीन-हीन लोग नि:शुल्क ठहरते हैं। पानी, बिजली एवं शौचालय व स्नानगृह से युक्त इस धर्मशाला में सक्षम व्यक्ति अपनी इच्छनुसार सेवा शुल्क देकर भी विश्राम करते हैं। इस मंदिर एवं धर्मशाला का निर्माण लगभग 150 वर्ष पूर्व का हैं, वर्तमान में भी इसका रख-रखाओं एवं साफ-सफाई प्रशंसनीय है। इसकी देख-रेख श्री नरेश कुमार शुक्ल जी द्वारा की जाती है। मंदिर की दीवार पूरी तरह पत्थरों से बनी हुई है दीवार लगभग दो फीट मोटी आकार में निर्मित हैं वर्तमान में इस भवन में श्री जानकी मंदिर धर्मशाला एवं पाठशाला तीनों ही संचालित है। यह सोहागपुर नगर की बहुत प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है।

स्वामी अभ्यानन्द धर्मशाला (पंचायती मंदिर) – शहडोल जिले में पुराने गांधी चौक से सब्जी मण्डी रोड पर लगभग 400 मीटर दूर मार्ग की बांई ओर स्वामी अभ्यानन्द जी द्वारा निर्मित एक पुरानी धर्मशाला आज भी स्थित है। जिसका निर्माण लगभग 1940 के आस-पास हुआ था। वर्तमान समय में इस धर्मशाला का संचालन स्वामी अभ्यानन्द ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। स्वामी कल्याणपुर के निवासी थे, बड़े ही दानवीर स्वामी जी ने जनता व दीन-हीन गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखकर उनके विश्राम हेतु इस धर्मशाला की स्थापना करवाया था। साथ ही यहाँ पूजा-आराधना का भी विशेष ध्यान रखते हुए राज-दरबार की भी स्थापना कराई गई थी, जिसे वर्तमान पंचायती मंदिर के नाम से जाना जाताहै। इस भवन का नाम अभय सत्यम भवन रखा गया था। वर्तमान समय में ट्रस्ट का संचालन पं. उमापति प्रसाद मिश्र की निगरानी में हो जो धुरवार निवासी हैं।

इस धर्मशाला में दो बड़े हाल 10ग20 वर्गफिट का निर्मित है एवम् 10ग40 वर्गफिट का मेहरावदार बराण्डा परछी बनी हुई हैं। स्तम्भ चौकोर हैं। छत में पत्थर की चीप लगी हुई है, सिल्ली लोहे के गाटर से युक्त है, दीवार अत्यधिक मोटे आकार की है, भवन अत्यधिक मजबूत हैं।

60ग40 वर्गफिट का आंगन है एवम् 40 फिट गहरा सकरा कुंआ बना हुआ है। धर्मशाला आज भी संचालित है, सेवा शुल्क के नाम पर जो राशि प्राप्त होती है, वह धर्मशाला एवम् मंदिर की बिजली, पानी साफ-सफाई के लिए उपयोग की जाती हैं। इस धर्मशाला की निगरानी एवं मंदिर में पूजा अराधना का उत्तरदायित्व पुजारी पं. लालमन तिवारी जी के ऊपर है, जिनकी

* (इतिहास) पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

उम्र 52 वर्ष की है।

जैन धर्मशाला शहडोल – शहडोल जिलें में स्थित जैन धर्मशाला पुराने गांधी चौक से सब्जी मंडी मार्ग पर लगभग 150 मीटर की दूरी पर दांयी ओर स्थित है, जिसमें प्रवेश मार्ग एक गलियारा है एवम् अंदर की ओर जाने पर 50ग10 वर्गफिट की बराण्डा 'एल' आकार में बना हुआ है एवम् 30ग20 वर्गफिट के दो बड़े हाल निर्मित है। दूसरी मंजिल की छत गिर चुकी है। जिसमें वर्तमान में टीने की चादर लगी हुई है। पहली मंजिल की छत चीप एवं लकड़ी की कड़ी से बनी हुई है, एवम् बराण्डे में टीनें की चद्दर लगी हुई है।

यद्यपि ये धर्मशाला जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। इसकी देखरेख एवं रखरखाव की प्रक्रिया दोषपूर्ण है, नायक जैनीलाल जैन द्वारा इस धर्मशाला का निर्माण अपने नाती स्व. धरम चन्द्र जैन के जन्म दिन के उपलक्ष्य में 1943 में करवाया गया था। श्री जैनीलाल जैन बड़े परोपकारी एवम् धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने जन–हितार्थ की भावना से प्रेरित होकर इस धर्मशाला की स्थापना करवायी थी, किंतु उनके निधन के पश्चात ये धर्मशाला भी धीरे–धीरे जीर्ण–शीर्ण एवं दयनीय दशा में पहुंच चुका है।

उनके द्वारा धर्मशाला की व्यवस्था एवम् रख–रखाव के उद्देश्य से कई दुकानों का निर्माण भी धर्मशाला के सामने कराया गया था, जो आज भी स्थित है।

वर्तमान समय में धर्मशाला यद्यपि संचालित हैं, एक कमरे में दो व्यक्ति रूक सकते हैं, जिनसे सेवा शुल्क के नाम पर 30 रू. प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है, यदि दो के अलावा कोई व्यक्ति उस कमरे में रूकना चाहता है, तो उसे पांच रू. 5/रू. अतिरिक्त प्रति व्यकित के हिसाब से सेवा शुल्क देना पड़ता है। यह राशि सेवा शुल्क के नाम पर ट्रस्ट में प्राप्त होती है उस राशि के बिजली, पानी, साफ–सफाई की सुविधा की व्यवस्था पर खर्च किया जाता है। वर्तमान समय में इस धर्मशाला का उत्तरदायित्व नायक जैनीलाल जैन एण्ड राम प्रसाद निगम ट्रस्ट के ऊपर है, साक्षात्कार में श्री सुनील कुमारजैन ने जानकारी दी की इस के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है और इस धर्मशाला को विधिवत रूप से पुन: प्रारंभ किया जाना है। यदि ऐसा संभव हो पाता है, तो इस पुराने धर्मशाला एवं ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के लिहाज से उचित होगा।

श्री भैयालाल हलवाई धर्मशाला – शहडोल जिला मुख्यालय का प्राचीन धर्मशाला श्री भैयालाल हलवाई धर्मशाला शहडोल रेल्वे स्टेशन से शहर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग में लगभग एक कि.मी. की दूरी पर परमट के पास बांई ओर स्थित हैं, जो पूर्व मुखी है।

श्री भैयालाल हलवाई धर्मशाला का निर्माण उनकी पुण्य स्मृति में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रामरती देवी हलवाई द्वारा विक्रम सम्वत 2010 में निर्मित करवाया था। ये इमारत दो मंजिल की है। प्रवेश मार्ग में लोहे की चैनल लगी हुई है, अंदर मध्य भाग में बराण्डा है एवं दोनों ओर 7 कमरे 10ग10 वर्गफिट के बने हुए है, इस धर्मशाला को बने हुए 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दूसरी मंजिल के मध्यभाग में खुला बराण्डा एवम् दोनों ओर 05 कमरे 10ग10 वर्गफिट आकार में बने हुए हैं। धर्मशाला के ऊपरी हिस्से में मेहराबनुमा सुंदर बराण्डा भी निर्मित है। सुरक्षा की दृष्टि से बालकनी में लोहे की जाली लगी हुई है। ईंट एवम् पत्थर की दीवार पर चीप की ढलाई एवं लकड़ी की कड़ी लगाकर छत का निर्माण किया गया था।

दोनों मंजिल मिलाकर 25 फिट की इमारत आज भी व्यवस्थित एवं मजबूत है। भवन फर्श, चीप एवं पत्थर का बना हुआ है। कमरों के अतिरिक्त रसोई, स्नानगृह एवं कुंआ एवम् एक मंदिर की भी व्यवस्था है।

इस धर्मशाला का पूरा भवन 40 फिट का सामना एवं 80 फिट की लम्बाई आकार में बना हुआ है। दीन–हीन गरीब मुसाफिर एवं छोटे व्यापारी व मध्यम वर्गीय परिवार के वे लोग जो महंगे होटलों में नहीं ठहर सकते यहाँ आकर विश्राम करते हैं। इस धर्मशाला में सुविधा शुल्क के नाम पर 50 रू. प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ रुकने वालों से लिया जाता है, साथ ही 2 रू. प्रतिदिन आलमीरा शुल्क भी लिया जाता हैं, बिजली, पानी, शौचालय एवं रसोई की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।

भवन की बनावट कलायुक्त है, मेहराब व स्तम्भ इस भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वर्तमान समय में श्री लक्ष्मण दास हलवाई पुत्र स्व. केदारनाथ हलवाई के देख–रेख एवम् उनके कब्जे में धर्मशाला है। यद्यपि यह धर्मशाला नि:शुल्क नहीं है, शुल्क देना पड़ता है बदले में सुविधाएँ दी जाती हैं, धर्मशाला की आय से ही श्री लक्ष्मणदास जी के परिवार का भी भरण पोषण पूरा होता है।

बाणगंगा स्थित धर्मशाला – सोहागपुर बाणगंगा मैदान में एक पुरानी धर्मशाला स्थित है जो लगभग 75 वर्ष पुरानी है, बांणगंगा मैदान, के निकट मंदिर से लगी हुई इस धर्मशाला तक पहुंचने के लिए, शहडोल जिला मुख्यालय से रीवा मुख्य मार्ग में लगभग 1 कि.मी. दूरी दांयी ओर 500 मीटर की दूरी पर बाईपास बाणगंगा मार्ग में ये धर्मशाला स्थित है।

धर्मशाला में साधु–महात्मा आदि जब दर्शन के लिए विराट मंदिर आते हैं, तब इसी धर्मशाला में विश्राम करते हैं, साथ ही दीन–हीन गरीब भिखारी आदि भी कभी–कभी इस धर्मशाला में शरण पाते हैं।

इस धर्मशाला की स्थापना 50ग20 वर्ग फिट के क्षेत्र में फैली हुई है। जिसमें 50ग10 आकार का बराण्डा मेहराबनुमा बना हुआ है एवम् 10ग10 वर्गफिट के 05 कमरे बने हुए हैं। भवन रेतीले पत्थरों से निर्मित किया गया है। स्तम्भ चौकोर मजबूत पत्थरों से बना हुआ है। कहीं–कहीं सीमेंट से छपाई का कार्य हुआ है, साथ ही फर्श में भी सीमेंट की ढलाई की गई है। धर्मशाला की छत पर जाने के लिए बगल से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।

धर्मशाला के बाहरी भाग में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बावली बनी हुई है, पेयजल की व्यवस्था हेतु नगरपालिका द्वारा नल कनेक्शन एवम् बोर की भी व्यवस्था है। छत में चीप एवम् लकड़ी की कड़ी के ऊपर की ढलाई की गई है।

वर्तमान समय में ये भवन अच्छी स्थिति में देखने को मिला। इस धर्मशाला की देखरेख बाबा अमरनाथ एवं पुजारी अभिशेष द्विवेदी जी करते हैं।

दुनिया धर्मशाला सोहागपुर – शहडोल जिले में सोहागपुर पाली रोड में दुनिया धर्मशाला स्थित है, जो जिला मुख्यालय शहडोल जय स्तम्भ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर शहडोल से कटनी की ओर जाने वाले मार्ग पर बांई ओर स्थित है। इस धर्मशाला की स्थापना लगभग 60 वर्ष पूर्व सम्वत 2021 विक्रम में हुई थी, इसका निर्माण स्व. श्री केदारनाथ गुप्ता जी के पिताजी श्री सूरजदीन, रामपियारे गुप्ता द्वारा गरीबों, दीन–हीन जनता को आश्रय देने के उद्देश्य से करायी गयी थी। ये धर्मशाला 35ग30 वर्गफिट के क्षेत्रफल बना हुआ है, जिसमें एक बड़ा बराण्डा बना हुआ है।

धर्मशाला में कभी–कभी गरीब बेसहारा भिखारी, लोग विश्राम करते हैं। रुकने का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, यद्यपि धर्मशाला बनी हुई है, पर यहाँ शुरु से न तो दरवाजा लगा है और न ही खिड़की लगी है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस धर्मशाला में न तो रसोई कक्ष है और न ही शौचालय की व्यवस्था है, मात्र लोगों के विश्राम

करने के उद्देश्य से इसको निर्मित कराया गया है, वर्तमान समय में धर्मशाला की रंग-रोगन चूने से श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री केदारनाथ गुप्ता द्वारा करवाया गया है। जो इस धर्मशाला के स्वामी हैं।

ब्यौहारी स्थित अग्रवाल धर्मशाला – ब्यौहारी स्थित अग्रवाल धर्मशाला शहडोल जिले का एक पुराना एवम् ऐतिहासिक धर्मशाला है। ब्यौहारी शहडोल रीवा मुख्य मार्ग पर शहडोल से85 कि.मी. की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है, ब्यौहारी शहडोल जिले की तहसील है, बस स्टैण्ड से 200 मीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग के दांई ओर पुलिस थाने के पास ही ये धर्मशाला स्थित है। इस धर्मशाला का निर्माण मोहनदास हरगोविंददास अग्रवाल जी के द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व महाराजा गुलाब सिंह के राजत्व काल में हुआ था। मोहनदास हर गोविन्ददास अग्रवाल जी, शेर छाप बीड़ी पत्ते के बड़े ठेकेदार थे एवं सतना इनका निवास स्थान था।

ब्यौहारी के आस-पास का जंगल बीड़ी पत्ते का ठेका इनके द्वारा लिया जाता था, इस कारण ब्यौहारी इनका आना जाना बना रहता था। इनके अधीनस्थ मजदूर व कर्मचारी, मुंशी व छोटे ठेकेदारों का जमघट यहाँ बना रहता था। इसी कारण उन्होंने अपने अधीनस्थ मजदूरों, कर्मचारियों एवं गरीब, दीन-दुखियों, मुसाफिरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस धर्मशाला की स्थापना करवाई थी।

इस धर्मशाला का निर्माण कार्य 150 फिट लम्बा एवम् 150 फिट चौडे क्षेत्रफल में किया गया था। ये ईमारत ईट एवम् पत्थरों से बनी हुई है, लगभग 35 कमरे एवं 4 बड़े हाल, आंगन, कुंआ, रसोईघर, शौचालय आदि की व्यवस्था इस धर्मशाला में निर्मित है। इसका प्रवेश मार्ग मेहराबनुमा गोलाकार अति सुंदर है, इसकी दीवार ईंट की बनी हुई है कहीं-कहीं पत्थरों की भी दीवार देखने को मिली छत में लकड़ी के सहारे पटाव का कार्य किया गया है।

ये भवन वर्तमान समय में अधिकांशत: जीर्ण-शीर्ण अवस्था में दिख रहा है। कुछ कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, कुछ कमरों की छत गिर चुकी हैं, खपरा एवं टीना लगाकर वहाँ लोग आज भी रहते हैं।

लगभग 15 परिवार के लोग इस धर्मशाला के अधिकांश भाग पर कब्जा कर अपने स्वामित्व में लिए हुए हैं। कुछ कमरों में अभी भी गरीब, बेसहारा व भिक्षावृत से जुड़े हुए लोगों को आश्रय मिलता है।

धर्मशाला के सामने भाग में धर्मशाला के तरफ से ही कई दुकानें बनवाई गई हैं। जिनसे प्राप्त आय का उपयोग धर्मशाला व्यय में होता है।

कुल मिलाकर इस बड़ी उपयोगी इमारत की देखभाल अच्छी तरह से न हो पाने के कारण ये खण्डित एवं पतनोन्मुख स्थिति में पहुंच चुकी है, फिर भी वर्तमान समय में ये धर्मशाला रात्रि विश्राम हेतु बेसहारों का सहारा बना हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. साक्षात्कार – नरेश कुमार, पुजारी मंदिर, (उम्र 41 वर्ष) सोहागपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2013
2. साक्षात्कार – पुजारी महाराज, पं. लालमन तिवारी, (उम्र 82 वर्ष), पंचायती मंदिर शहडोल, दिनांक:27 जनवरी 2013
3. साक्षात्कार– श्री सुनील कु. जैन 55 वर्ष, सुनील हैण्डलूम इतवारी मोहल्ला रोड शहडोल, दिनांक 10 फरवरी 2013
4. साक्षात्कार – श्री लक्ष्मणदास हलवाई, स्वामी भैयालाल धर्मशाला, मेन रोड (रेल्वे मार्ग) शहडोल। दिनांक 10 फरवरी 2013
5. साक्षात्कार – श्री कृपाल गुप्ता (उम्र 65 वर्ष), श्री बाबा अमरनाथ (उम्र 40 वर्ष)
   श्री अभिशेष द्विवेदी (उम्र 32 वर्ष), पुजारी बांण गंगा मंदिर सोहागपुर, दिनांक 24 फरवरी 2013
6. साक्षात्कार – बद्री प्रसाद गुप्ता (उम्र 50 वर्ष), सोहागपुर। दिनांक – 24 फरवरी 2013
7. साक्षात्कार – रामस्वरूप रजक (उम्र 50 वर्ष), संतोष कुमार श्रीवास्तव (उम्र 55 वर्ष), दिनांक – 25 फरवरी 2013

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

मनोरंजन एवं शिक्षण के पर्याय बने- बुन्देली लोक गीत

सुरेन्द्र प्रताम सिंह खरे *

प्रस्तावना – नित्य प्रति उठकर भोर से उरेन डालना, लीपना –पोतना, तुलसी को अर्ध्य देना बुन्देली नारियों का सहज धर्म हैं। कर्म के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाली बुन्देली बालाए यहॉ खेल – खेल में सुसंस्कारों से दीक्षित होती हैं, भरपूर मनोरंजन भी करती है। सुआटा, चपेटा टेसू एवं झिंझिया अदि में अपने भावी जीवन की तैयारी करती हैं। उसके साथ साथ आध्यात्मिकता का चारणामृत पान करना भी अपनी नैतिक साधना मानती है ।

इन बुन्देली लोकगीतों में समूचा समाज सन्निष्ट हो गया है। यही कारण हैं कि इनमें यहॉ का जीवन प्रतिविम्बित हो उठा हैं। इन लोक गीतों को बॉंसुरी की तान सुन ऐसा कौन है, जो इन पर सहज ही मुग्ध न हो उठे ।

बालक/बालिकाएं समाज के उगते हुए सूरज हैं, जिन्हें समाज नमन करता हैं और यह आकांक्षा रखता हैं। यही बालक बालिकाएँ आगे भविष्य में अपना चरित्र उज्जवल कर सफल समाज को दैदीप्तमान करेंगे । बुन्देलखण्ड की इस माटी पर बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास हेतु कुछ परम्रागत खेलों का प्रचलन काफी समय से चला रहा हैं, जिन्हें यहाँ के मानीषियों व समाज के हिंतैषियों द्वारा प्रारम्भ किया गया था इन खेलों के माध्यम से बालक–बालिकाओं में जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में ही जीवन की डगर के पड़ावों का प्रशि़क्षण सन्निहित हैं इन खेलों के द्वारा बालक–बालिकाएँ कला, संगीत, रीति रिवाज तथा सामाजिक परिपाटी का सर्वागीण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिससे उनके वास्तविक जीवन के कंटकाकीर्ण मार्ग पर पुष्पों का आच्छादन होता है। समाज में मृदुलता का व समरसता का भाव पल्लवित होता है एवं समाज तथा राष्ट्र समृद्धि के प्रगति पथ पर अग्रसारित होता है। यही खेल आज बुन्देली जन जीवन के महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। इन खेलों में अकती, सुआटा, चपेटा आदि का प्रमुख स्थान है।

अखती – अखती विशाखा नक्षत्र के नाम से जाने वाले वैशाख मास की तृतीया को पूरे देश में अक्षय तृतीया के नाम से सोल्लास से मनाया जाता है। परन्तु बुन्देलखण्ड में इस पर्व का विशेष महत्व है। यह मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य होता है वह अक्षय होता है। इसी दिन बुन्देली बालाएँ अपनी पुतरा पुतरियाँ (गुड्डे–गुड़ियां) बनाकर विधिवत् उनका पूजन करती हैं तथा इन पुतरा पुतरियों के माध्यम से वह सब कुछ सीखती हैं, जिसके सहारे भविष्य के क्रिया कलापों को निष्ठापूर्वक अमली जामा पहनाया जाना है। इस खेल पर्व पर यहाँ की स्त्रियाँ ठिठोली करती हुई गाती हैं–

'अखती खेलन कैसे जॉंऊ री, वर तरै मेले लिवौआ,
मोरे राजाजू आए, राजा संग डोली में जाऊँगी।।'

सुआटा – यह लम्बी अवधि तक चलने वाला एक ऐसा विधान है, जो क्रीड़ा सदृश्य खेला जाता है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अत: खेल–खेल में ईश्वरत्व का ज्ञान एवं सामाजिक दायित्व के निर्वहन की शिक्षा देता है, यह खेल। इस खेल की रीति के विषय में कहा गया है –

'पूजा है विध तीन की सुनो सुजन चित चाह,
कॉये डारना एक पुन, बरा बरी को ब्याह।।'

इस खेल के पॉंच चरण हैं, जिनमें मामुलिया प्रथम चरण है।

(अ) मामुलिया– इस खेल में बालिकाएं विशेष रूचि लेती हैं। एक बेर अथवा बबूल की झॉंड़ी को लेकर उसे विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाती हैं, यही मामुलिया कहलाती है। इस के सजाते समय बालिका गाती हैं –

'मामुलिया के आए लिवौआ, ठुमक चली मोरी मामुलिया'

यह मामुलिया का खेल वास्तव में अत्यन्त शिक्षाप्रद खेल है। बेर अथवा बबूल की कटीली डाल समाज की विषताओं का प्रतीक है और उन पर पुष्पों का आच्छादन विषमताओं को समताओं में परिणित कर हर्षोन्मुख होने का संकेत देती है। इस खेल का मनोविज्ञान ही यही है कि इन बालिकाओं पर समाज का दायित्व होगा तब समाज की विषम तथा झंझावत परिस्थितियों को अपने प्रेम, स्नेह, माधुर्य तथा चतुरता से ये कैसे निदान करती हैं तथा परिवार व समाज में कैसा सुन्दर उत्साही हर्षोन्मुख वातावरण तैयार करती हैं। आज की विश्व प्रसिद्ध काटों पर पुष्पों की जापानी सज्जा 'इकाबाना' शायद इसी 'मामुलिया' से उधार लिया गया परिष्कृत स्वरूप है।

(ब) सुआटा– इस सुआटा खेल का यह मुख्य पात्र है। इसके विषय में यहाँ के जनमानस में यह कथानक प्रचलित है कि प्राचीन काल में सुआटा नामक एक दैत्य था जो कि वन में बिहार करती हुई बालिकाओं को छेड़ता था तथा उन्हें अपने पूजन हेतु बाध्य करता था। इस सुआटा दैत्य से छुटकारा पाने के लिए मॉं गौरी का पूजन किया जाता है। इसी बीच टेसू नामक एक वीर का उदय होता है जो कि सुआटा की पुत्री झिझियॉं से अपना ब्याह रचाने का उपक्रम करता है और सुआटा का अन्त हो जाता है। इस सुटाटा खेल में बालिकाएँ एक दीवार पर सुआटा का चित्र अंकित करती हैं तथा नौ दिन तक प्रात: एवं सन्ध्या काल गीत गाकर उसका पूजन करती हैं। प्रथम दिवस पर प्रात: काल का गीत –

'पीपरियॉं झक झालरी नारे सुवाटा,
माथे लिखो राजा वीर पाटो लिखो सासो ननदिया
घाम लगे कुम्हलायें।'

द्वितीय दिवस का प्रात: कालीन गीत –

'चंदारे उजियारों करियो, मोरे विरन को ब्याही लाल,
नदिया रे तुम गहरी बैयो, मोरे देवर को ब्याहु लाल।'

तृतीय दिवस का प्रात: कालीन गीता –

'डारन डारन मोरियो रे, झरकोला जी तरें बसत लुहार रे
ने मन लोहो गडिये रे, पैर सास हमारी रे ।।'

*शोधार्थी (इतिहास) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

चतुर्थ दिवस का प्रात: कालीन गीत –

'मई गया के गवर्ड बो, भूरी भैंस विकाय नारे सुवाटा,
लेलो फलाने भैसा, भैसिया, तुम्हारी दुलैया रूखों खाए ना रेसुवाटा।'

पाँचवें दिन सुआटा पूजन के समय बालिकाएँ गाती हैं –

'उठौ उठौ गोहुअन की रास, हमसे तुमसे का थैरास।
थेंरा है थैराई से, पिपरे लघाये से ।।'

छठवें दिन बराबरी का ब्याह रचाया जाता है जिसमें बालिकाएँ गाती हैं –

'हम आय मरे, हम नाय मरे, जंगाली पिछौरा,
फार मरे पाँव पनैया टोर मरे हाथ कौ सार ।।'

सातवें दिवस पर बालिकाएँ यह गीत गा कर पूजन करती हैं –

'हिमाचलन की कुवरे लडायती नारे सुवाटा,
छटे को गौर बेटी दायी हो नो दिना नारे सुवाटा ।।'

इस दिन उपवास करके बालिकाएँ भात कूँ कौरी बनाती हैं और गाती हैं –

'मोटी गोर को पेट पिरानो भा सकूँ।
घाँटू ने घर छेर भरो।'

झिंझियाँ – आठवें दिन संध्या के समय कुम्हार के घर से एक मटका मँगाकर उसमें दिया रखकर घर–घर जाती है। इसे झिझियाँ कहा जाता है। यह इस खेल का बहुत ही आध्यात्मिक भाग है। इस खेल में मिट्टी की मटकी इस पंचतत्वी शरीर का द्योतक हैं और उसके अन्दर जलता दिया 'आत्मा का प्रतीक है। इस मटकी रूपी शरीर के माध्यम से आत्मा को शैतानी हवाओं से झंझावतों से तथा काम, क्रोध व लोभी प्रवृत्तियों के शिकंजों से बचाते हुए परमेश्वर में लीन होने की शिक्षा देती है। इस झिझियाँ को बालिकाएँ घर–घर ले जाती हैं तथा इसके माध्यम से परम प्रभु की सत्ता का परिचय देती हैं तथा लोकाचार में गाती फिरती है –

'पूछत पूछत आए हैं नारे सुआआ, कौन नागिल की पौर,
काहे की तोरी आगडे, काहे के नजर किवार' ।

(द) टेसु– फिर इस खेल में टेसू का प्रवेश होता है। इसे बालक खेलते हैं इसमें तीन बाँस की खपचियों पर आधारित एक वीरोचित वेश में पुरूष आकृति बनाई जाती है जिसे लेकर बालक घूमते हैं और गाते हैं –

'टेसू आए बानवीर हाथ लिए सोने का तीर' ।

यह टेसू बुन्देलखण्ड में लोक देवता के रूप में पूजित है। इसे वभ्रुवाहन का स्वरूप मानते हैं। यह विघ्न विनाशक है।

(य) टेसू–झिझियाँ विवाह – इस खेल का यह अन्तिम चरण होता है। जो शरद पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होता है। इस चरण में टेसू झिझियों का ब्याह रचाया जाता है जो कि अपूर्ण रहता है तथा कामना की जाती है कि हमारे बच्चों के विवाह संस्कार में जो भी विघ्न बाधाएँ आनी हो वो अभी आ जाए और टेसू महाराज तथा झिझियाँ उन सभी बाधाओं से हमारे बच्चों की रक्षा करे। टेसू झिझिया विवाह के अवसर पर यह गीत अत्यन्त मधुर लगता है–

'हरीरी चिंरैया, तोरे पियरे रे पंख,
से उड जाए बबूरा तोरी डारा।'

(3) चपेटा – यह खेल सभी उम्र की स्त्रियों तथा बालिकाओं द्वारा मुख्यत: श्रावण–भाद्र मास में खेला जाता है तथा जब भी घर से स्त्रियों बालिकाओं को छुट्टी मिलती है वे इसे खेलती हैं। इस खेल में पत्थर की पाँच अथवा सात गोटियाँ लेकर उछाल–उछाल कर चूम–चूम कर फिर पृथ्वी फेंक कर इसे खेला जाता है। पत्थर की गोटियाँ पुरूषों का प्रतीक है। इस खेल से बालिकाएँ यह शिक्षा ग्रहण करती हैं कि समाज में वे पुरूषों के माध्यम से कैसे समाज को अबाध गति देते हुए प्रगति पक्ष पर उन्मुख कर सके। इसके लिए उन्हें पुरूषों के साथ कब कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए। शायद यही इस खेल का मनोविज्ञान हैं। इस खेल के विषय में डॉ0 जडिया की ये पंक्तियाँ अत्यन्त सुन्दर है –

'श्रंग विरंगे चपल चपेटा, मेंहदी छूछू जावे।
कैसेऊ ब्योम बिहार करें पर लौट लपक आजावें।
इनकी लरम कलइयाँ कवहूँ लचक लूम लेती है।
पटक भूमि पै देती, कवहूँ चटक चूम लेती है।।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल, महावीर (स) – लोक संस्कृति: आयाम एवं प्ररिप्रेक्ष्य, शंकर प्रकाशन दुर्ग, म0प्र0 –1987, पृ. 202
2. डॉ0 कुंवर पाल सिंह – लोकसाहित्य की अपराजेय भावना, अग्रवाल महावीर : वही : से उद्धत, पृ. 208
3. गुप्त प्रो. नर्मदा प्रसाद – बुंदेली लोक साहित्य, परम्परा और इतिहास, म0प्र0 आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल 2001, पृ. 40
4. वही– पृ. 134
5. नागर, डॉ0 लाकेन्द्र सिंह : ईसुरी का फाग साहित्य, आदिवासी लोककला अकादमी, म0प्र0 संस्कृति भोपाल, 2004, पृ. 352
6. डॉ0 परशुराम शुक्ल– बुन्देलखण्ड का साहित्य, कला एवं संस्कृति– आराधना पब्लिकेशन कानपुर 2017 पृ. 120
7. मित्र राम चरण हयारण 'बुन्देलखण्ड की संस्कृति और साहित्य दिल्ली 1969 पृ0 251
8. डॉ0 किरण शर्मा– बुन्देलखण्ड की साहित्य सर्जना आराधना पब्लिकेशन कानपुर 2017 पृं. 89
9. डॉ0 मधु श्रीवास्तव– बुन्देलखण्ड की लोक चित्रकला प्रथम संस्करण मार्च, 2002
10. अवस्थी हरिविष्णु– बुन्देलखण्ड– प्रकृति और पुरूष– प्रो0 प्रेमनारायण रूसिया अभिनन्दन ग्रन्थ टीकमगढ़ पृ0 365

****

कामकाजी महिलऐ - सुरक्षा संबंधी प्रावधान

डॉ. कुन्ती वराठे *

प्रस्तावना - वैश्वीकरण के आधुनिक युग में महिलाएँ सशक्त रुप में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। पूरी परंपरावादी सोच से हटकर वे आधुनिकता की ओर कदम बढ़ा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, प्रशासन,समाज सेवा, संचार कृषि, तकनीकी एवं प्रबंधन आदि सभी क्षेत्रों में कार्यशील है। लम्बे अर्से तक यातना और शोषण की शिकार रही किंतु वर्तमान ढाँचे में परिवर्तन का प्रभाव महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में हो रहे रुपान्तरण के रुप में स्पष्ट परिलक्षित होता हैं। वर्तमान समय में महिलाए पारिवारिक भूमिका के साथ-साथ बाह्य जगत की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाओं से सम्बद्ध हो रही हैं। महिलाओं की सुद्दढ़ एवं समृद्ध स्थिति मजबूत समाज की घोतक होती हैं। मनुस्मृति में कहा गया है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता'। यह सूत्र पौराणिक काल से मान्य रहा हैं। किसी भी समाज की खुशहाली का आधार उस समाज की महिलाओं के स्तर तथा उन्हें प्राप्त सम्मान से आँका जा सकता हैं। प्राचीनकाल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। वैदिक युग महिला सम्मान व सशक्तिकरण का स्वर्ण युग था। गार्गी, मैत्रेमी, घोषा, अपाला एवं लोपा मुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का समाज मैं गौरवशाली इतिहास रहा है। मध्ययुग आते-आते महिलाओं की स्थिति समाज में भयावह हो गयी थी। असुरक्षा के चलते कुरीतियों का जन्म हुआ। महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए समाज सुधारकों ने सामाजिक एवं विधिक दोनों ही स्तरों पर प्रयास किया महात्मा गांधी ने 'हिन्द स्वराज' में लिखा है-'जब तक आधी मानवता की ऑखों में आंसू है, मानवता पूर्ण नहीं कही जा सकती हैं। इसी के साथ स्वतंत्रता व समानता पर आधारित लोकतांत्रिक मूल्यों की बयार ने महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर विश्व पटल पर स्थापित कर दिया और महिलाएँ घर बाहर कार्य करने लगी।

भारतीय संविधान में स्थिति सुधारने हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए। इसके अंतर्गत कानून, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों में महिलाओं की उन्नति प्रमुख लक्ष्य रहा है। आज की महिला योग्यता के मापदण्ड पर विकास कर रही हैं और हर क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित की हैं। चूंकि परिवर्तनशील समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति विरोधाभाषी दशाओं से गुजर रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति प्रत्येक स्थर पर आज भी महिलाए संघर्षरत है। आज भी जीवन के अनेक पहलुओं में स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं।आज उस नारी के सशक्तिकरण पर इतना व्यग्र इसलिए है क्योंकि समाज में बहुअयामी विकास की परिकल्पना में चाहे वो सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक प्रतिनिधित्व की बात हो या महिला के अंदरुनी विकास की हर तरफ शून्यता ही नजर आती है। नारी को उपभोग की वस्तु मानने वाले इस समाज ने पश्चिम की विसंगति को मानो आत्मसात कर लिया हो। अत्याचार, दुराचार तथा मिथ्या पुरुषार्थ के दबाब में तड़पना नारी समाज की नियति ही बन गई है।

महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार एवं अपराध से निपटने के लिए जटिल कानूनी प्रक्रिया भी एक बाधा हैं, जिससे महिलाओं को समुचित न्याय मिल नहीं पाता हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखकर कुछ विशेष प्रावधान भी है। जैसे-राष्ट्रीय महिला आयोग

- स्थानीय स्वायन्त संस्थाओं में महिला आरक्षण
- बालिका कल्याण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
- महिला सशक्तिकरण नीति

राष्ट्रीय महिला आयोग भारत का संविधिक निकाय है, जो कि महिलाओं संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के उपबंधों के अनुसार जनवरी 1992 में स्थापित किया गया। आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओंके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना है नौकरियों में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व एवं श्रम में महिलाओं के शोषण जैसे मुद्दे समाहित है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 एक वैधानिक नियम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा करना हैं यह अधिनियम लोकसभा एवं विधानसभा में पारित है पश्चात् 9 दिसम्बर 2013 को लागू किया गया

यह अधिनियम अनुचछेद 14 व 15 से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिलाओं को सुंरक्षित वातावरण एवं उनकी गरिमा का अधिकार दिया गया हैं साथ ही अनुच्छेद 21 मे जीवन जीने का अधिकार तथा कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। इसी संदर्भ में भारत ने सार्वभौमिक मानव अधिकार के अन्तर्गत उल्लेखित कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा तथा गरिमा के साथ का करने का संरक्षण प्रदान करने का अधिकार को 1993 में मान्यता दी एवं इसके सभी रुपों के उन्मूलन को स्वीकारा इस अधिनियम की मुख्य बातें -

अधिनियम यौन उत्पीडन को परिभाषित करता हैं। जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रदर्शित सभी अवांछित यौन व्यवहार के अंतर्गत आते हैं जैसे-शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना।

- महिला से अश्लील इशारे करना
- किसी महिला पर सेक्स संबंधी फब्तियाँ कसना
- महिला से यौन-संबंधो की मांग करना
- महिला को बेवजह स्पर्श करना
- महिला को अश्लील चित्र, साहित्य आदि दिखाना

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय कला महाविद्यालय, बम्हनी बंजर, जिला-मण्डला (म.प्र.) भारत

- महिला को अष्लील फिल्म देखने के लिये मजबूर करना
- महिला के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक या मौखिक यौन कृत्य करना।

भारतीय संविधान में महिला एवं पुरुषों को एक समान अधिकार दिए है तथा सभी प्रकार के होने वाले अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करने को लोग तत्पर रहते है। महिलाओं को व्यवसायिक परिसरों, स्कूलों कॉलेजों, उद्योग धंधों एवं कार्यलयों में भी यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है वहीं खेतों में काम करने वाली महिलाएं, ईंट भट्टों एवं शहरों में मजदूरी करने वाली श्रमिक महिलाओं के भी यौन उत्पीडन का शिकार होना पड़ता है। इसे चुपचाप सहन करना उनकी मजबूरी बन जाती हैं। यौन उत्पीड़न की घटनाएं सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में होती हैं साथ ही मजदूर वर्ग की महिलाएँ भी यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। यौन उत्पीड़न में श्रमिक महिलाएँ है, जो दो वक्त की रोजी रोटी तलाश में भटकती है। अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकती क्योकि अपने परिवार का भरण पोषण लिए उन्हें अपने मालिकों पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसी महिलाओं में जागरुकता जाना बहुत जरुरी हैं। श्रम बाजार में महिलाओं पर यह अत्याचार अथिक होता हैं। यौन उत्पीड़न सभी क्षेत्रों की महिलाओं को किसी न किसी रुप में प्रभावित करता हैं, चाहे किसी भी उम्र या वर्ग की हो राष्ट्रीय महिला आयोग के एक सर्वेक्षण के मुताबिक कामकाजी महिलाएँ स्वीकार करती है कि उनके साथ शारीरिक रुप से छेड़छाड़ होती है।

हमारा संविधान महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा देने की बात करता है। किन्तु महिला उत्पीड़न और शोषण की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। कानून का सही पालन न होने के कारण आरोपी आसानी से बच जाता हैं और अपराध करने की प्रवृति बढ़ती जाती है। हमारे देश में महिलाओं के लिए नैतिक रुप से वृहद और व्यापक कानून बनाये गये है लेकिन इन कानूनो का व्यवहारिक स्वरुप प्रभावी नहीं है। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है तथा इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। समुचित और प्रभावी कानून न होने के कारण महिलाएँ न्याय पाने में खुद को असहाय पाती है। समय की आवश्यकता है कि महिला कानूनों की समीक्षा कर उसमें ऐसे बदलाव किए जाए जिसमें कि महिलाएँ अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की शिकायत खुलकर कर सकें।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण रोकने हेतु कानून – सार्वजनिक एवं निजी कार्य स्थलों पर कामकाजी महिलाओं की यौन शोषण से रक्षा करने हेतु लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षित अधिनियम अप्रैल 2013 में कानून का रुप रखने ले सका। इस कानून के अंर्तगत कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखने हेतु कई प्रावधान किए गए है। वर्ष 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष के रुप घोषित किया गया है किंतु महिलाओं की असुरक्षा संबंधित घटनाएँ सामने आयी है। नियोक्ताओं/नियोजकों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करें जिससे ऐसी घटनाएँ न हों।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान इकतालिसवां संस्करण 200 सेन्ट्रल ला ऐजेन्सी 3 डी/1 मोतीलाल नेहरु रोड इलाहाबाद।
2. डॉ.विरेन्द्र सिंह यादव आज का भारत वैचारिक समकालीन विमर्श, ओमेगा प्रकाशन दिल्ली 2013
3. शीला मिश्रा महिलाओं की राजनैतिक क्रियाशीलता एवं विविध राजनीतिक दल उप्पल पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली 1998
4. डॉ.प्रभा भारतीय समाज में नारी क्लासिक पब्लिशिंग हाउस जयपुर 1996
5. अंजली वर्मा भारत में कार्यशील महिला ओमेगा प्रथम संस्करण 2009 पब्लिकेशन नई दिल्ली।
6. एम.एन.सिंह आधुनिक समाज शास्त्रीय निबंध 2006 विवेक प्रकाशन 7 यू.ए. जवाहर नगर दिल्ली।
7. योजना पत्रिका जून 2012
8. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मार्च 2011

****

महाजनपद काल में मध्यप्रदेश में राजतंत्र का विकास

जितेन्द्र महोबिया *

शोध सारांश – छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कोई एक सार्वभौम सत्ता नहीं थी, जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रख सके। संपूर्ण राष्ट्र अनेक जनपदों में विभक्त था। किसी एक पुरूष से उत्पन्न विभिन्न कुटुम्बों के समुदाय को 'जन' कहते थे और इस प्रकार सभी आर्य अनके जनों में विभक्त थे। प्रारंभ में इन जनों का अपना निश्चित स्थायी निवास नहीं था पर कालांतर में अनेक स्थायी राज्य स्थापित हुए ये स्थायी राज्य ही जनपद कहलाए। प्रत्येक जनपद में बहुत से ग्राम और नगर होते थे। धीरे-धीरे ये सभी राज्य (जनपद) आपस में मिलने लगे और इस प्रकार अनेक जनपदों के मिलने से शरत में महाजनपदों का उदय हुआ। प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यप्रदेश में स्थित महाजनपद तथा उनकी राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी – महाजनपद।

प्रस्तावना – छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कोई एक सार्वभौम सत्ता नहीं थी, जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रख सके। संपूर्ण राष्ट्र अनेक जनपदों में विभक्त था। किसी एक पुरूष से उत्पन्न विभिन्न कुटुम्बों के समुदाय को 'जन' कहते थे और इस प्रकार सभी आर्य अनके जनों में विभक्त थे। प्रारंभ में इन जनों का अपना निश्चित स्थायी निवास नहीं था पर कालांतर में अनेक स्थायी राज्य स्थापित हुए ये स्थायी राज्य ही जनपद कहलाए। प्रत्येक जनपद में बहुत से ग्राम और नगर होते थे। धीरे-धीरे ये सभी राज्य (जनपद) आपस में मिलने लगे और इस प्रकार अनेक जनपदों के मिलने से भरत में महाजनपदों का उदय हुआ।[1]

छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था। सीमा विस्तार की भावना एवं पारस्परिक युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए तथा महाजनपद कहलाने लगे। अंगुतर निकाय में महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है[2], जो इस प्रकार है- अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्जि, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरू, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवन्ति, गांधार तथा कंबोज। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किंतु इसमें गांधार के स्थान पर शिवि (पंजाब या राजपूताना) तथा कम्बोज के स्थान पर दर्शाण (मध्यभारत) का उल्लेख है।3 जैन ग्रंथ भगवतीसुत्ता में भी कुछ परिवर्तनों के साथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इसमें बंग तथा मलय को महाजनपदों में शामिल किया गया है।[4]

इन महाजनपदों में कोशल, वत्स, अवन्ति और मगध बुद्ध काल के चार सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन चुके थे और उनमें सार्वभौम सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। इसके परिणाम स्वरूप जनपदों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही थी और इन चार राज्यों का विस्तार बढ़ता जा रहा था। इन सोलह महाजनपदों में दो महाजनपद अवन्ति और चेदि प्राचीन मध्यप्रदेश के महाजनपद थे।[5]

अवन्ति जनपद – बुद्धकाल में अवन्ति जनपद शक्ति और विस्तार की दृष्टि से भारत का प्रबलतम् और विशालतम् जनपद था। सर्वप्रथम ऋग्वेद की एक ऋचा में अवन्ति शब्द का उल्लेख मिलता है[6], जिसके आधार एक विद्धान इस नगर के नामकरण की संयोजना करते है। ब्राम्हण और आरण्यकों में भी यह नाम आता है किंतु राज्य अथवा स्थान के नाम की दृष्टि से अवन्ति का प्रथम उल्लेख पाणिनी की अष्टाध्यायी के सूत्र स्त्रियामवन्ति कुरूभ्यश्च में हुआ है।[7] इसे अवन्तिका अवन्तिपुरी, अवन्ति नगरी अथवा अविन्तिकापुर आदि नामों से भी अभीहित किया जाता रहा।[8]

पौराणिक संदर्भो में माहिष्मती के यदुवंशी हैह्य शाखा के शासक कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अवन्ति ने अवन्ती राज्य की स्थापना की थी।[9] अवन्ति देश दो भागों में विभक्त था, एक उत्तरी भाग जिसे उत्तरी अवन्ति कहा जाता था, जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी। दूसरा दक्षिणी भाग जिसे अवन्ति दक्षिणापथ कहा गया है। अवन्ति दक्षिणापथ की राजधानी माहिष्मती नामक नगरी थी।[10] भौगोलिक दृष्टि से अवन्ति राज्य का विस्तार नर्मदा नदी की घाटी में मान्धाता नगर से लेकर महेश्वर तक फैला हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग सातवीं शताब्दी में अपनी यात्रा विवरण में उज्जयिनी (उ-शे-येन्-ना) के नगर विस्तार का उल्लेख किया है। उसने इस नगर का विस्तार तीस ली (लगभग 5 मील) बताया है और कहा है कि उस समय यह एक धनी बस्ती वाली नगरी थी। उसने संपूर्ण उज्जयिनी प्रदेश का विस्तार 6000 ली (लगभग एक हजार मील) बताया है।[11]

ईसा पूर्व छठी शताब्दी के भारतीय इतिहास में अवन्ति महाजनपद का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी। वीतिहोत्र वंश का शासक रिपुन्जय यहाँ का शासक था। उसके अमात्य पुणिक ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया। रक्त रंजित होने से वह स्वयं गद्दी पर नहीं बैठ सकता था, संभवत: इसी कारण पुलिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को बाल्यावस्था होने के बावजूद भी अवन्ति की राजगद्दी पर बैठा दिया।

इस राज्य के गौरव की स्थापना करने वाला प्रद्योत था। इसलिए इसके नाम से यह वंश प्रद्योत वंश कहलाया।[12] तिब्बत की अनुश्रति में वह अनन्तनेमि का पुत्र बताया गया है और उसका जन्म उसी दिन माना गया है जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था।[13] प्रद्योत एक शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी शासक था। उसने एक विशाल सेना एकत्र कर अवंति राज्य

* शोधार्थी, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

का विस्तार किया। उसने सिंधु-सौवीर नरेश उद्रारण, कौशांबी नरेश शतानीक, सुंसुमारगिरि के राजा अंगारक, कांम्पिल्यपुर के राजा दुर्मुख इत्यादि शासकों से युद्ध किया।[14] उसने तक्षशिला नरेश पुस्करसारिन पर आक्रमण किया, परंतु वह परास्त हुआ।[15]

राजा प्रद्योत के मगध नरेश बिंबिसार से मित्रतापूर्ण संबंध थे।[16] एक बार जब प्रद्योत को पाण्डुरोग हो गया तब राजा बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर उसका रोग ठीक करवाया।[17] कौशांबी नरेश उदयन से प्रद्योत के संबंध शत्रुतापूर्ण थे। वत्स अवंति में संघर्ष होता रहता था। अवंति नरेश प्रद्योत ने उदयन को छल से बंदी बना लिया था, किंतु उदयन ने उसकी पुत्री वासदत्ता से गंधर्व विवाह कर उसे अपने राज्य ले आया।[18] जिसके विषय में पुराणों, हर्षवर्धन के नाटकों प्रियदर्शिका तथा रत्नावली, भास कृत स्वप्नवासवदत्ता एवं प्रतिज्ञायौगंधरायण, कालिदास कृत मेघदूत, सोमदेव कृत कथसरित्सागर इत्यादि में उल्लेख मिलता है।

पुराणों के अनुसार प्रद्योत ने 23 वर्ष तक अवन्ति में राज्य किया।[19] राजा प्रद्योत के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र गोपालक ने उज्जयिनी के राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृति का था। पिता की मृत्युपरांत वह बौद्ध भिक्षु बन गया।[20] अतएव प्रद्योत का एकमात्र पुत्र पालक ही राज्य का उत्तराधिकारी बना। किंतु वह एक योग्य प्रशासक सिद्ध न हो सका। पालक के निरंकुश शासन और अत्याचारों से त्रस्त प्रजा ने गोपालक के पुत्र आर्यक के नेतृत्व में क्रांति कर दी थी। पालक द्वारा आर्यक के विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया गया किंतु असफल रहा तथा इस प्रयास वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ।[21] आर्यक एक योग्य शासक था, उसके काल में प्रजा सुखी व संतुष्ट थी। पुराणों के अनुसार आर्यक ने 21 वर्ष शासन किया। नंदिवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था, उसके बाद मगध नरेश शिशुनाग ने अवंति पर अधिकार कर लिया।[22]

चेदि जनपद – महात्मा बुद्ध के समय में उत्तर भारत का अधिकांश भाग जिन सोलह महाजनपदों में विभक्त था, चेदि उनमें से एक था। इसकी राजधानी सोत्थिवती या शक्तिमती थी, जो शुक्तिमती (केन) नदी के तट पर थी।[23] यह महाभारत की शुक्तिमती से निश्चय ही अभिन्न है। इस शुक्तिमती को मध्यप्रदेश में स्थित माना जाता है। सुत्तनिपात की अट्ठकथा में कहा गया है कि चेति जनपद में चेति या चेतिय नाम धारण करने वाले राजाओं ने शासन किया था।[24] साहित्यिक साक्ष्य में चेदि देश का प्रारंभिक इतिहास ऋग्वैदिक काल91 से प्राप्त होता है जिसके एक दानस्तुति सुत्त में चैद्य (चेदि का राजा) कशु द्वारा ब्रम्हातिथि नामक ऋषि को सौ ऊँट और एक हजार गायें दान देने का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में चेदि देश का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में चेदि की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की जाती है। शिशुपाल चेदि का राजा था जिसका वध श्रीकृष्ण द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसका पुत्र धृष्टकेतु चेदि देश का राजा बना।[25]

इस देश का राजा सुबाहु, राजा नल का समसामयिक था और दमन्ती ने यहां सुखपूर्वक निवास किया था। पांडव नकुल की पत्नी रेणुमती चेदि देश की राजकुमारी थी। महाभारत युद्ध में येदि नरेश, धृष्टकेतु ने पांडवों का साथ दिया था। धृष्टकेतु की मृत्यु पश्चात् उसका अनुज शरभ राजा हुआ। शरभ के बाद में चेदि देश के राजाओं की वंशावली ज्ञात नहीं है। पुराणों से भी स्पष्ट होता है कि विदर्भ के पौत्र और केशिक के पुत्र चिदि ने यमुना के दक्षिण में चैद्य वंश की स्थापना की।[26] भौगालिक दृष्टि से चेदि जनपद की सीमाएं कालानुसार बदलती रही है फिर भी ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि चेदि जनपद वत्स के दक्षिण में, यमुना नदी के पास, उसकी दक्षिण दिशा में स्थित प्रदेश था। इसके पूर्व में काशी जनपद, दक्षिण में विंध्यपर्वत, पश्चिम में अवन्ति और उत्तर पश्चिम में मत्स्य और सूरसेन जनपद थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, के.सी., भारत का इतिहास एवं संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद, 1991, पृ. 109
2. सुत्तपिटके अंगुत्तारनिकायपालि, स्वामी द्धारिकादास शास्त्री, वाराणसी, पृ. 213
3. अहिरवार, रामकुमार; महाजनपद युग, शर्मा राजकुमार(संपा.), मध्यप्रदेश का इतिहास, खण्ड-1, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2014, पृ. 182
4. वही
5. शर्मा, राजकुमार; वही; पृ. 12-13
6. ऋग्वेद, 7.46.02
7. पाणिनी; अष्टाध्यायी, 4.1.176, 4.2.82.
8. अहिरवार, रामकुमार; वही, पृ. 182
9. अहिरवार, रामकुमार; उज्जयिनी की सांस्कृतिक परम्परा, दिल्ली, 2005, पृ. 20
10. उपाध्याय,भरत सिंह; बुद्धकालीन षरतीय ष्गोल, प्रयाग, 1991, पृ. 229
11. ह्वेनसांग की षरत यात्रा, अनुवादक-ठाकुर प्रसाद वर्मा, जयपुर, 2006, पृ.379
12. अहिरवार, रामकुमार; महाजनपद युग, पृ. 187
13. लॉ, विमला चरण; उज्जयिनी इन एंशियंट इंडिया, ग्वालियर, 1949,पृ. 14
14. अहिरवार, रामकुमार; वही, पृ. 188-189
15. जैन, कैलाश चन्द्र; मालवा थ्रू दी एजेस, दिल्ली, 1972, पृ. 101
16. आर,डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ. 28
17. ओमप्रकाश; प्राचीन षरत का इतिहास, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1975, पृ. 96
18. वर्मा, राजेन्द्र तथा शंभूदयाल गुरू; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, उज्जैऩ, पृ. 17
19. वायुपुराण, अ. 33.311, वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बंबई, 1931
20. वृहत्कथामंजरी, 18.31.70, निर्णय सागर प्रेस, बंबई, 1931
21. अहिरवार, रामकुमार; वही,पृ. 192-193
22. श्रीवास्तव, के.सी., वही, पृ. 114
23. ओमप्रकाश; वही, पृ. 94
24. अहिरवार, रामकुमार; वही,पृ. 184
25. वही
26. पार्टिजर, एफ. ई.; एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, दिल्ली, 1962, पृ. 272

****

A Sociological Study Of Income Patterns, Daily Basis Wasteful Expenditure, Education And Job Level, Income And Education Level And Income And Job Level In A Slum Area Of Bhopal City (Mydhapredash)

Farooq Ahmad Ganiee *

Abstract - The purpose of this research article is to highlight the income patterns, daily basis wasteful expenditure, education and job level, income and education level and income and job level of slum poor people of a slum area of Bhopal city, namely Vishwakarma Nagar Slum area located opposite Habibjangh railway station of Bhopal city. The base of this research article is primary sources of data which was collected by researcher from 300 respondents through a well framed interview schedule and observations. Firstly purpose sampling method was used to choose the study area from various slum areas of Bhopal city then lottery sampling was followed to collect the data from respondents. This research article can make us aware about different aspects of life of slum people.The people who was seen living in study area slum were found living life in abject poverty with low income, having low level of education, working as daily wage based jobs (works) in informal sectors with unfair employment and wages.
Key Words - Income, pattern, wasteful, job, slum, observations, aware, education, abject, wages, unfair, informal.

Introduction - Income pattern -

Income Level of respondents and households -

Income level of the Respondent - The below following table represents that the rates of income wage are very low among the respondents. As they were mostly found involved in self-employed, low paid jobs in informal sectors of work and they are unable to earn more despite their efforts. The below data table indicates that 14.33% of respondents having a very low level of income 3000-4000 Rs per month,64% having 4000-5000 Rs per month, 20% having5000-6000 and 1.66% having 6000 or above per month. From the data it appears that the majority 64% of respondents earn between 4000-5000 Rs per month and the Monthly average income ratio of respondent is 4590.

Monthly income respondents

Income	Frequency	Percentage
3000-4000	43	14.33%
4000-5000	192	64%
5000-6000	60	20%
6000 & above	5	1.66%
Total	300	100%

Household monthly income level of respondents - In order to arrive at the total monthly income of a household, we have taken in to account the number of wage earners in the family and the amount they earn and contribute to the family income. Besides the head of the family, the wage earners were wives, unmarried sons and daughters. The wives do not earn anything during the period of their maternity in occupation in the unorganized sector where there is no such thing as maternity leave or any kind of other leave. The daughters are married off early, and the duration of their earnings is therefore much less than that of their mothers. The sons when married set up a separate household of their own. In this way there is no continuity spread over long time stretch of time in the total monthly income of a family. The below table represents the total household income of respondents in percentile and the average ratio of monthly household income is 4963.

Household monthly income of Respondents

Income	Households	Percentage
3000	40	13.33%
4000	116	38.66%
5000	74	24.66%
6000	16	5.33%
7000	18	6%
8000	17	5.66%
9000	13	4.33%
10000	6	2%
Total	300	100%

(Graph see in the last page)

Daily basis wastefull expenditure on things like liqure, bedi smoking , chewing pan and pan masala and gutka - The description represents daily base expenditure on such things which are counted in daily wastefull expenditure. Such things are like alchol drinking, bedi smoking , chewing tabacoo or gutka. The decripition on daily basis expenditure on these things insinuates that how daily waste full expenditure considerably reduced the total family income. one third that means 33% of the urban poor(slum) respondents in low paid jobs/work were found are addicted of many bad things such as liquor, bedi smoking, chewing tabacoo or gutka for which they need some money per day

* ResearchScholar (Sociology) Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

like for alcohol one needs 60 Rs per day which comes to 1800 Rs per month. And for somking bedi, one need to expenditue of 5 to 10 Rs per day, inclusive of a match box and this works out to an additional expenditure of Rs 50 per month, both these habites cost an average Rs of 350 above per month. This means reducation in the monthly income of the family at expenses of food clothes and other necessities. From the discription it appears that these bad habites are enough to push one in to the problem of poverty and these things also cause bad effects on health.

Age and Education level of the respondents - The below table represent respondents age and education level and reveals that illiteracy among urban poor is very high.

Respondent's age and education level (See in the last page)

Education and job level of the respondents - Fallowing table represents occupation and education level of respondents and point out with many lacking skills and qualifications, unskilled labour dominates employment opportunities for the urban poor.

Respondent's education and job level (See in the last page)

Income and Education level of the respondents - The table represents education and income level of respondents and indicates that the higher the education levels the level of income observes better. When we check the correlation of the data from below table through Pearson's coefficient method .The value of Gama is -0.2636476. Although technically a negative correlation, the relation between variables is also found weak.

Respondent's income and education level (See in the last page)

Income and job level of the respondents The following table represents income and job level of respondents and discloses that the unskilled labour can be seen with low level of income and high level of income can be seen with skilled labour and with informal sector.

Respondent's income and job level (See in the last page)

Conclusion - The data above or collected primary data regarding income and other aspects of slum people in study area, indicated that the people who living in the study slum area are having low income when comparing monthly average income ratio of respondent and average ratio of monthly household income to national incomes of per individual and per household income ratios, having low level of education, unfair employment and wage system and so forth. This was also seen the People who are surviving in the slum area living their life in poverty because of economic instability, illiteracy, lack of skills and lacking basic facilities of life and facing other issues. The problems and issues which was observed and seen regarding income, education, occupation and wages can be enhanced if government and other sections of society come forward genuinely without any hesitations and help them (slum poor people) in better way and make progress of society humanely.

References :-

1. Bose, A. (1994), 'India's Urban Population, 1991 Census Data, States, Districts, Cities and Tmms,' (Assisted by S. Shanbhogue and M. S. Bist). Wheeler Publishing House, New Delhi.
2. Cheema, G.S. (1989), 'Reaching the Urban Poor: Project Implementation in Developing Countries', West View Press, London.
3. Dandekar, V. M. and N. Rath, (1971), 'Poverty In India',Indian School of Political Economy, Bombay.
4. Desouza,A. (1975), 'The Challenge, Of Urban Poverty in the Indian City', New Age Printing Press, Delhi.
5. Gupta, A.K. (1993), 'Slums In New Industrial Towns: A Study of Madhya Pradesh', Manas Publications, New Delhi.

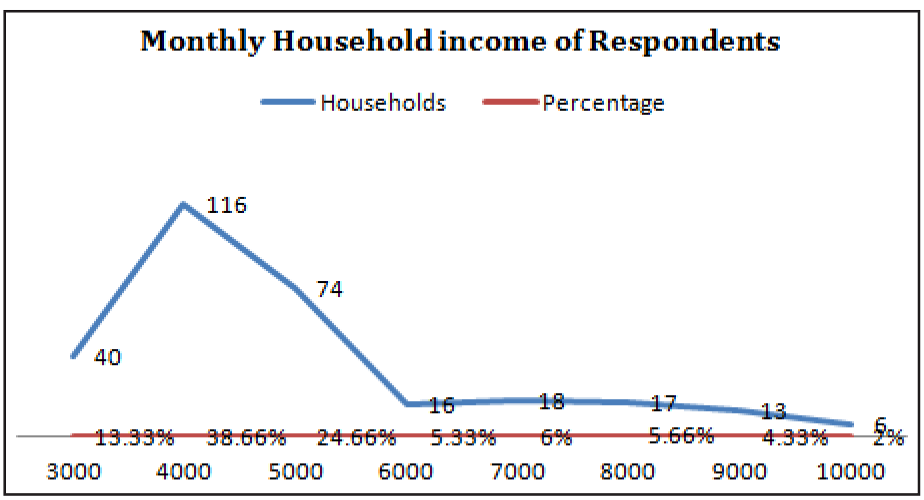

Respondent's age and education level

Age	Education level					Total
	No school	I-v	vi-ix	Ha. Sc	Bachelors and above	
20-25	3	1	3	2	0	9
25-35	28	12	44	15	0	99
35-45	40	15	44	19	2	120
45-55	26	9	14	8	1	58
55-65	10	2	0	2	0	14
Total	107	39	105	46	3	300

Respondent's education and job level

Education Level	Job													Total
	Un skilled Labour	Dri ver	Tail or	Carpe nter	Mason/ plum ber	Pain ter	Ma id	Small shop	Tea ven der	Vege table / fruit vender	Appren ticeship work (infor mal	Govt./ semi govt. job	Small Pvt job	
No school	65	1	3	5	9	6	9	3	-	3	2	1	-	107
i-v	15	2	2	2	5	4	4	-	-	1	2	-	2	39
vi-ix	40	2	7	3	17	9	2	5	4	2	9	2	3	105
Ha. Sc	4	-	2	2	9	5	-	4	2	1	12	2	3	46
Bachelors and above	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
Total	124	6	14	12	40	24	15	12	6	7	27	5	8	300

Respondent's income and education level

Income	Education Level					Total
	No school	i-v	iv-ix	Ha. Sc	Bachelor & above	
3000-4000	23	5	12	3	-	43
4000-5000	65	22	78	27	-	192
5000-6000	17	11	15	15	2	60
6000 & Above	2	1	-	1	1	5
Total	107	39	105	46	3	300

Respondent's income and job level

Income	Job													Total
	Un skilled Labour	Dri ver	Tail or	Carpe nter	Mason/ plum ber	Pain ter	Ma id	Small shop	Tea ven der	Vege table / fruit vender	Appren ticeship work (infor mal	Govt./ semi govt. job	Small Pvt job	
3000-4000	33	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	43
4000-5000	19	1	6	6	20	21	6	4	3	5	23	3	6	192
5000-6000	-	3	8	9	20	2	-	7	3	2	4	1	1	60
6000 & above	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5
Total	124	6	14	12	40	24	15	12	6	7	27	5	8	300

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Women Empowerment - Perspectives And Challenges

Dr. Deepti Puranik*

Introduction - Empowerment of women in our present society, has become a significant topic of discussion in regards to the increasing and improving social, political, economical, educational and legal strength of the women, to ensure equal right to women and to make them confident enough to claim their right . Empowerment also means equal status to women . Population of women is around 50% of the total population of the world. They have every right to be treated equally with man in every spheres of life and society.

The Government of India declared 2001 as the year of women empowerment. "Women's empowerment is the process by which unequal power relation is transformed and women achieve greater quality with men". This can only be ensured when women are not deprived of the fundamental, social, economic and political rights. Not denying the fact that in the recent years the Indian women have made remarkable progress but still the life of every average Indian women is a great battle against discrimination right from their birth, marriage to motherhood etc. It is because of the social structure of the society which gives a definition to their all-round development. Thus, the economic and political empowerment of women is necessary to solve the problem.

On papers women and man both are given equal right but the ground reality is that in India females are considered as liabilities whereas males are considered as an asset for the family. [1]. "In India the uneducated and rural section of the women is seen as an economic burden. since there is no record of their familial and domestic contribution, their contributions to the productivity are mostly invisible. India women were contributing nearly 36% of total employment in agriculture and related activities, nearly 19% in the service sector, and nearly 12.5% in the industry sector as per 2006".[2.]

Social Women Empowerment - A critical aspect of social empowerment of women is the promotion of gender equality. Gender equality implies a society in which and man enjoy the same opportunities, Outcomes, rights and obligation in all spheres of life.

In India some important reason behind preferring males is as under ;

1. iqUuke =k;rs bfr iq=% A son has a number of ritual duties in Hindu society, ritual duties for enabling parents to get mukti or salvation, offering sradha i.e. that satisfies the soul of dead forefathers.
2. Sons are believed to add wealth and property while daughters are considered a financial burden because the tradition of dowry.

Therefore sex determination test become a big business in India after their introduction in 1970's . Bilboards stating "Invest Rs. (rupees) 500 now save Rs. 50,000/- later" were designed to encourage prospective parents to abort female fetuses and save on future dowry. [3.]

Abortion first become legal in India with the passage of medical termination of pregnancy Act in 1971. [4] This was an act to provide for the termination of certain pregnancies by Registered Medical practitioners and for matters connected therewith or incidental there to. In response to this the Indian government introduced the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994. The act provides for the prohibition of sex selection before or after conception, and for regulation of prenatal diagnostic techniques of the purposes of detecting genetic abnormalities or metabolic disorders or chromosomal abnormalities or certain congenital malformation or sex-linked disorders and for the prevention of their misuse for sex determination leading to female forticide; and, for matters connected therewith or incidental thereto".[5]Therefore child sex ratio in India has dropped to 914 females as against 1000 males according census 2011. Government has to be vigilant for ensuring that there is no discrimination against the girl child and her rights are protected.

Political Women Empowerment - Means the existence of a Political system favouring the participation in and control by the women of the political decision making process and in governance. Empowerment is a process that gives a person freedom in decision making. According to Keller " Empowerment is a process whereby women become able to organize themselves to increase their own, self reliance to assert their independent right to make choices and to control resources which will assists in challenges and eliminating their own subordination.

During freedom struggle Indian women actively participated in rallies and stood out of speakers volunteers

*Guest Faculty, Govt. College, Pichhore, Distt. Shivpuri (M.P.) INDIA

like sarojini Naidu (1879-1949), Mridula Sarabhai (1911-1974),, vijay laxmi pandit (1900-1990) Women can bring society to betterment. Don't you remember Smt. Indira Gandhi. Mother Terasa, Laxmi Bai (Jhansi), Savitri Bai Phula . They have worked for manking and their work is yet appreciated by the people.

Economic Women Empowerment - Economic empowerment defines in simple terms, economic empowerment conbines the concept of empowerment and economic advancement and help women succeed and advance in market place. This includes increasing skills and access to productive recources improving the enabling and institutional enviornments and assisting women in their ability and act upon decisions in order to benefit from economic growth and development.

It implies a better quality of material life though sustainable livelihoods owned and managed by women. It means reducing their financial dependence on their mail counterparts by making them a significant part of the human resorce.

Educational Women Empowerment - Education is a powerful tool of social transformation. Hence, education for women has to be paid special attention. Greater acess for women to education must be ensured in the educational system. Gender sensitivity must be developed. A Watch has to be kept on dropout rate of girl and corrective measures should be taken to check the drop out rates. since its independence where education is concerned the gap between women and man is revere while 82.14% of adult man are educated only 65.46% of adult women are known to be literate in India as per census of India 2011.

Women Legal Empowerment
(Laws Relating To Women)

1. Constiution Of India - Major land mark steps taken for women empowerment. Provision made under the constitution of India such as right to equality under Artical 14 of the Indian constitution guarantees to all Indian women equality before law, equal pay for equal work. The important articals of constitution of India relating to women empowerment are as under -

The following Articles in the constitution speak for women, her rights, her equality and privileges.

Article14 - The State shall not deny to any person equality 68 before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Article15 -

(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(2) (2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.

Article 16 - Equality of opportunity in matter of public employment-

Article 19 - All citizens shall have the right to practice of any profession or to carry on any occupation, trade or business

Article 23 - Prohibition of traffic in human beings and forced Labour

Article 39 - The State shall, in particular, direct its policy towards securing -

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;

(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;

Article 44 - Uniform civil code for the citizens

Article 51 A (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

Article 243 D (2) Not less than one-third of the total number of 69 seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.'70

Article243(Q)(T)

Constitution of Municipalities - There shall be constituted in every state -

(a) Nagar Panchayat - Rural Aera
(b) Municipal Council- smaller urban area
(c) Municipal Corporation - Larger unban area

under art 243 (T) (3) states that - Not less than one third (including the number of seats reserved for women belonging to s.c. & s.t.) of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality

(d) That there is equal pay for equal work for both men and women.

Crime Against Women

2 Indian Penal code

(A) Sec 304 (B) Dowry death -(1)

(B) Sec 354- Assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty.
Sec 354 (A) Assault or use criminal force to women with intent to disrobe her

(C) Sec 361 Kidnapping from lawful guardianship - whoever takes or entices any minor xxx under 18 year of age if a female xxx without the consent of such guardian of such minor is said xxx Kidnap such minor or person form the lawful guardian ship

(D) Sec 362- Abduction

(E) Sec 363- (A) Kidnapping or maiming a minor for purpose of begging

(F) Sec 364- Kidnapping or abducting in order to murder

(G) Sec 364 (A) - Kidnapping for ransom.
(H) Sec 366 - Kidnapping, abducting or inducing women to compel her marriage etc.
(I) Sec 372 - Selling minor for purposes of Prostitution etc.
(J) Sec 375- Rape

Offence relating to marriage -

(K) Sec 493- Cohobition caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage
(L) Sec 494- Marrying again during lifetime of husband or wife
(M) Sec 495- Same offence with concealment of former marriage from person with whom subsequent marriage is contracted -
(N) Sec 496- Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage -
(O) Sec 497 Adultery -
(P) Sec498 Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married women.
(Q) Sec 498-(A) Husband or relative of husband of a women subjecting her to cruelty -

Acts - Series of legal reforms and Acts have been passed to raise the status of women. They are:

- Indian penal code
- Hindu and Widows Remarriage Act, 1856
- Child Marriage Restraint Act, 1929
- Hindu Women's Right to Property Act, 1937
- Hindu Women's Right of Separate Residence and Maintenance Act, 1946
- Special marriage Act 1954
- Hindu Marriage Act, 1955
- Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956
- Hindu Minority and Guardianship Act, 1956
- Dowry Prohibition Act, 1961
- Maternity Benefit Act, 1961
- Equal Remuneration Act, 1976
- Family Courts Act, 1984
- The Independent Representation of Women's Act, 1986
- Immoral Traffic (Prevention) Act, 1986
- Juvenile Justice Act, 1986
- The Indecent Representation of women (Prohibition) Act 1986
- Abolition of Sati Act, 1987
- 73rd and 74th Amendment Act, 1993
- The Act on Women's Commission, 1993
- Pre-natal Diagnostic Act, 1994
- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
- The Prohibition of Child Marriage Act- 2006
- Maintenance and welfare of parents and senior citizens Act 2007
- Protection of children From sexual offence Act 2012
- The sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and redressal) Act 2013

References :-

1. Anil Kumar Thakur &Dalip Kumar Thakur, Gender empowerment and development, Deep and Deep Publications Pvt. Ltd. 2008
2. Women empowerment in India part 1, Mittal Publication
3. The Practice of Sex Selective Abortion in India, by Ritu Patal
4. Dr. Mamta Mishra& S.K. Badhva - Femi Juris 2015 Wadhbha Publishing Co. Gwalior
5. Women enterpuroship in Madhya pradesh (Research)

****

Enlighten A Way For Acquiescence Of Women - Challenging Task

Dr. Paras Ram Teli* Dr. Jyoti Bharadwaj**

Abstract - India has a glorious and rich tradition towards empowerment of women. Since ancient time, Sita, Gargi, Matrai were examples of empowered women. For empowerment of women most important step is to provide them their basic rights.

Women empowerment is a process by which women gain greater control over material and intellectual resources and challenge the ideology of patriarchy and the gender based discrimination against them in all institutions and structures of society. But in the present condition our tradition and patriarchal society itself press the area of women empowerment.

Key Words - Resources, Organizations, Violence, Dignity and Health.

Introduction - The year 2001 has been declared as the year for empowerment of women. All organizations, governmental as well as non-governmental are focusing their attention on ensuring that women are given due recognition as human beings and their basic needs including decision making, self respect, dignity, health care nutrition and educational facilities are not denied to them and they can live without the fear of violence against their persona that is in legal parlance. Their right relating to life, liberty, equity and dignity as guarantee by the Indian constitution or embodied in international conventions are ensured.

It is sad to note that even today women have to seek their husband's permission to go out of the house. Women are bound by these traditions and cannot do anything and go anywhere by their own choice. The liberty by which women get empowerment and authority in decision making is deprived from them. They are always dependent on men for their needs i.e. before marriage on father and after marriage on husband.

The women feel powerless and helpless in society because our society is patriarchal. In our society women can't do anything without permission of her family. In Indian family only the men can decide and take decisions. Whenever women do something in her favour and try to protest patriarchal society the men used Sam, Dam, Dand and Bhed for her exploitation. Behind this their logic is that Vedic Shastra, Puran Shastra must permit for it. But if studied deeply these Shastras also reflect male domination. The reason may be that they were written by males. Their mentality is that if women become powerful, male would be powerless. That's why even after entering in the 21st Century women has not yet received the dignity which she deserves. Today women are not lagging behind in any walk of the life. They are capable enough to manage both outside and household work. But the need today is of providing them with self esteem, self confidence and self-work.

Women constitute half of our population. When such a large share of population will be deprived of their rights and powers success and development cannot be assured.

Women are not allowed to take decisions about their education, marriage, career etc.1They are powerless in areas like politics, economics and wealth. Male supremacy, gender inequality, lack of education and awareness are reasons behind this.

Any strategy which aims to deal with the empowerment of women is based on an understanding of ability to overcome the causes of the lack of power which lie behind it.

Women empowerment is the key word in the decision making development projects, self-respect, education, dignity and progressive thinking. It seems the right chain, the ruling class can offer in the hand of the powerless women. Inequalities are deep rooted in the socio-economic and political structure of Indian society and hierarchies are taking newer forms in every sphere of social reality. The key reforms to overcome women's problems are educational provisions, employment, economic independence, decision making power, political power and equality. Women should be given the maximum representation in the governing bodies of the democratic structure. Their participation in decision making process of policies and its implementation should be encouraged.

Women empowerment does not mean preparing competitors of men in the form of women. Empowerment of women is not gender specific, its gender natural.

Empowerment is a coin of the power which has two

***Asst. Professor, VBRI, Udaipur (Raj.) INDIA**
****Asst. Professor, JRN Rajasthan Vidhyapeeth University, Udaipur (Raj.) INDIA**

faces one man and other women. Our traditional and patriarchal society is making an unbalanced condition by giving more power and authority to men. So the imbalanced conditions make women powerless and helpless. To gain success and development in real terms both faces of the coin, that is men and women should be treated equally.

Women empowerment would certainly change the attitude of not only women but also the whole society. So women empowerment and the social change are correlated processes.

Women empowerment in India is a challenging task as to acknowledge the fact that gender based discrimination is a deep rooted social malice practiced in India in many forms since thousands of years. The malice is not going to go away in a few years or by attempting to work at it through half-hearted attempts. Formulating laws and policies just remain on the paper and the ground situation on the other hand just remains the same in many instances. Addressing the malice of gender discrimination and women empowerment in India is long drawn battle against powerful structural forces of the society which are against women's growth and development. The fact is accepted that things are not going to change overnight but because of this action cannot be stopped. At this juncture the most important step is to initiate ground level actions however small it might seem. The ground level actions should be focused towards changing the social attitude and practices prevalent in the society which are highly biased against women. This can be initiated by working with the women at the root level and focusing on increasing women's access and control over resources and increasing their control over decision making. Further working on the aspect of enhanced mobility and social interaction of women in the society would positively influence all round development and empowerment of women in India, but women are facing so many threads and challenges in India. Present paper analyzes women problems and threads how they overcome their problems.

Problems of Women -

1. Child Marriage - Marriage in early age exploits women not only socially but physically and economically as well. They continue to live as dependent section of family lacking awareness and decision making power. This early marriage restricts her chances at education, endanger her health and cut shorts her personal growth and development.

2. Low sex ratio - Birth of male child is considered as Boon and birth of female child is taken as Bane. Due to this cases of female infanticides are increasing day by day. Prenatal sex determination followed by abortion is most common cause of low sex ratio at birth in India. Women already having one or more female children are more at risk of foeticide and infanticide.

3. Low literacy rate - Female education is not considered an important issue in India as female are not considered fit for better education. They are considered good for household work and raising children. Stepping out of house to learn to read and write for self-development is not accepted by Indian society easily. All these reasons lead to low literacy rate & in turn leads to stagnant women growth.

4. Discrimination against women - Be it any field women are always considered lesser than men. Men always want women to the dependent on them. They are not easily allowed to go out and work to earn for themselves. For every work they are considered inferior to men and are suppressed be it education, health, work or decision making.

5. Dowry systems - Dowry system puts great financial stress on the bride's family. It has been one of the reasons for resorting to sex selection in favor of sons, which has distorted the sex ratio and has increased female feticide. Dowry system is an insult to our society, culture and education. Brides are tortured and forced to bring more and more from their parent's house. If they fail, they are subjected to violence, torture and finally killed.

6. Low economic participation - Women still lag far behind men in gender empowerment and economic participation. Women are not allowed to work fully as men. This restricts their chances of earning money and participating in economic development of country. Due to the financial dependence and instability, women are generally vulnerable to domestic violence.

7. Male dominated society - In every field of life women are dominated by male. They are not allowed to take decisions about their children, household, and sometime even themselves. This is one of the very deep rooted hindrances that is not allowing women to take lead and that's why women are always lagging behind. Even if Indian families allow women to work outside as earning member of family but they cannot consider them as the head of family and that position is always held by men.

Suggestion for women empowerment -

1. Changes in the value system are needed. The masses should be educated to perceive that girls and boys are one and the same. This can happen only if traditional values are replaced by progressive ones.
2. Women are ignoring of the legislation, which have been enacted to provide them specific right. They should be made aware of these rights. Most of the men in rural areas also are not aware of legal rights that have been granted to women. They also seem to have negative attitude towards some of acts such as dowry prohibition, divorce, child marriage and medicinal termination of pregnancy. Unless basic attitude of both men & women are changed through education until then law cannot be enforced effectively.
3. Rural men still consider women subservient to men. They have also disapproved granting of equality to women. Deliberate & planned efforts are necessary to accelerate the process of social changes.
4. Popularization of scientific and technological knowledge and skill in offer to enable their further development, by mass media, through changes in school programmes and through all participatory and

community development activities. (Especially in agriculture but also in other areas eg. household activities, health education, housing etc.).

5. An increase of the level of scientific technological self reliance by developing national scientific and technological potentials. And making women aware about new technologies as and when they come so that they can take full advantage of them.
6. Changes in the traditional attitudes towards women by enabling them to fully participate in scientific and technological development by stimulating their development in various forms of education and training.
7. Establishment of linkages between the existing traditional technologies and know- how and the new technologies. The involvement of women in the strengthening of these links could provide a firm basis for self-reliance and ensure as certain continuity in the development of authentic and original approaches. This initiates modernization and develope participating research as well as relating scientific and technological development to the specific needs of the country.
8. Establishment and strengthening of cooperation among developing countries in the areas of information of scientific and technological knowledge and devices for transfer of technology and exchange of experience on application of science and technology level development joint research etc.
9. Democratization of the structures and control of the communication media could contribute to the representation and participation of women in the media at the decision making levels.
10. More number of women should be involved in media training programmes.
11. Communication and advertising policies involving participation of women could be developed.
12. Media contract could be empowered through coordinated efforts for increased interaction between non-governmental organizations in formulating guidelines for monitoring programmes.
13. Listeners, viewer, consumer groups, action groups and non-governmental organizations could be affectively utilized to create an awareness of women's issues and to introduce common strategies for the promotion of more positive approaches to women's issue.
14. Various international seminars, conferences and experts group meetings, which have already covered a wide ranges of issue connected with women and the communication media indicate the need for further deep studies, research, and training for women in communication technology.
15. Introduction of effective health surveillance systems at the national links of health indicators for target setting and formulation of national priorities and plans of action, and of appropriate systems for accessing strengths and weakness of national health programmes.
16. Linking of health policies and progammes with economic development and those facilities which can directly reduce women's drudgery and work burden and improve their health situation i.e. provision of adequate housing, water supply, sanitation, health regulations at the work place and health protection of women particularly those working in the informal sector of the economy who are not covered by social protection policies.
17. Integration of maternal and child health care with family planning service and accelerated development of national capacities through development of health institutions and infrastructures and increase of the number of health experts and particularly health workers.
18. Involvement of women's organizations in primary health care activities and their representation on national and local health councils.
19. Promotion of health education and indigenous systems of health care.
20. Provision of the necessary infrastructure resource and support for planning and execution of the government policies in this regard.
21. Promotion of various transformations in view of the long objectives of advancement of the role of women in development.
22. Further research and training of all those involved and concerned in promoting the status of women, information gathering systems should be promoted in order to provide essential inputs for government policies and actions.

References :-

1. Ajit Kumar Sinha, Deep & Deep Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 2008.
2. Asia Praveen 2008,"Emplowerment of Women", Competition Success, P.P. 11-12.
3. Aggarwal,K.(1988)" status and role Middle class Educated Earning women in the Indian family" in Dak,
4. Jyothi. K.S. Gracy. C.P. and Suryaprakash (1999):" Empowerment and decision-making by women an Economic study in Karnataka" Abstract of paper in Indian journal of agricultural Economices, vol.54(3) conference Number July-Sept.
5. Sharma M. NCW : Twenty years of empowering women' Yojana 2012, p.p. 9-12.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

रूड़की (हरिद्वार) में विश्वकर्मा वंशी परिवारों में शिक्षा, व्यवसाय तथा सामाजिक परिवर्तन: एक अध्ययन

डॉ. अलका रानी *

शोध सारांश - विकास के लिए शिक्षा के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। मानव सभ्यता के अभ्युदय से आज तक शिक्षा ने निरन्तर अपने विकास की प्रक्रिया को जारी रखा है। इसके सहारे मानव में विविधता को नये आयाम मिले हैं व सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान अक्षुण्य रही है। ज्ञान सम्पन्न समाज की स्थापना के प्रयासों के फलीभूत होने के परिणामस्वरूप जो समाज विकसित हुआ है, उसमें कम ज्ञान रखने वाले बाहुबल/धनबल से सम्पन्न लोग ज्ञान-शक्ति का दोहन एवं शोषण कर रहे हैं। आर्थिक मूल्यों को, मूल्य-श्रेणीक्रम में वरीयता प्राप्त हुई है तथा अन्य मूल्य गौंण हो गए हैं हांलाकि शिक्षा द्धारा हम उन संवेदनशील पहलुओं को प्रत्यक्षीकरण द्धारा परिष्कृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय संसजकता, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक व नैतिक मूल्यों, धर्म-निरपेक्षता, समानता, अहिंसा, शांति, समाजवाद, प्रजातांत्रिकता आदि को पोषित करती है। विश्वकर्मा धीमान् जाति के व्यक्तियों में शिक्षा के क्षेत्रे में जो प्रगति हुई है, वह भी किसी दृष्टि से कम नहीं आंकी जा सकती है। इस प्रगति ने विश्वकर्मा धीमान् जाति के लोगों को न केवल अनेक व्यवसाय प्रदान किये हैं, वरन् समाज के शीर्ष पदों पर भी आसीन हुए हैं। इस शोध-पत्र में रूड़की (हरिद्धार) में विश्वकर्मा वंशी परिवारों में शिक्षा, व्यवसाय तथा सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना - शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इसके द्धारा ही इच्छा शक्ति की धरा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा ऐसा परिवर्तन लाती है, जिससे वह निरन्तर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है।[1] अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में मानने के बारे में विचार व्यक्त किए हैं।

अहमद[2] ने तो यहाँ तक कहा है कि औपचारिक शिक्षा लोगों की अभिरूचियों और मूल्यों में ज्ञान के परिवर्तन के माध्यम से वैचारिक परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। फिर भी, समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाने में इसका प्रभाव सीमित ही है। ऐसी शिक्षा में विद्यमान प्रचलनों तथा कार्यविधियों एवं यथास्थिति में रुचि रखने वाले स्वार्थी लोगों के बीच सम्बन्धों के कारण हैं।

चिटनिस[3] ने भी विकास के साधन के रुप में शिक्षा की अनियमित कार्य प्रणाली की ओर ध्यान केन्द्रित किया है। देसाई[4] ने सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनका विचार है कि स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा को वांछित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने सामाजिक गतिशीलता और समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा की नीतियों तथा वित्त कोष आवंटन की नीतियों की समुचित आलोचना की है।

गोरे[5] ने शिक्षा की विधियों और विषय-वस्तु में, उस वातावरण और प्रसंग में जिनमें उसका संचालन हो रहा है और शिक्षकों तथा प्रशासकों की उन आस्थाओं और प्रतिब्धताओं में, जो वांछित विकास को प्राप्त करने में शिक्षा की प्रभाविता के लिए, शिक्षा के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है, परिवर्तन लाने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है।

शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का विकास करती है और सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके व्यवहार एवं विचार में समाज के लिए हितकर परिवर्तन लाती है।

वर्ग-निर्माण के आधार के रूप में सम्पत्ति और आय को सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। धन का संचय हम अपने व्यवसाय के आधार पर करते हैं। व्यवसाय के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन-स्तर और विकास के अवसरों में वृद्धि करने की भी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। मार्क्स[6] का तो यहाँ तक विचार है कि 'व्यक्तिगत सम्पत्ति की धारणा' के कारण ही वर्गो का निर्माण एवं उनकी संख्या में वृद्धि होती गई है। सामाजिक स्तरीकरण के आर्थिक आधार के कारण ही हम व्यवसाय को भी रख सकते हैं।

नि:संदेह विगत् साठ-सत्तर वर्षो का इतिहास सामाजिक परिवर्तन का इतिहास रहा है, जिससे विश्वकर्मा धीमान् जाति के लोगों में भी व्यावसायिक परिवर्तन स्वाभाविक हैं। इन परिवर्तनों के कारणों और परिणामों को वैज्ञानिक आधार पर समझना अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। इतना ही नहीं विश्वकर्मा धीमान् जाति के व्यक्तियों में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह भी किसी दृष्टि से कम नहीं आंकी जा सकती है। इस प्रगति ने विश्वकर्मा धीमान् जाति के लोगों को न केवल अनेक व्यवसाय प्रदान किये हैं, वरन् समाज के शीर्ष पदों पर भी आसीन हुए हैं।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध-पत्र हेतु एक मानक प्रश्नावली का निमार्ण किया गया और उस पर रूड़की क्षेत्र के विश्वकर्मा धीमान् जाति के लोगों से संबद्ध विभिन्न प्रश्नों पर विचार एकत्रित किए गए। तत्पश्चात एकत्रित आंकडों को सारणीबद्ध करके विश्वकर्मा धीमान् जाति के लोगों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए गए।

1. विश्वकर्मा धीमान् जाति के लोगों की दो पीढ़ियों में आया शैक्षिक परिवर्तन - शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जो व्यक्ति के जीवन स्तर का

*सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र) स्वामी विवेकानन्द कालेज ऑफ एजुकेशन, रूड़ की (हरिद्वार) भारत

विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है और सामाजिक जीवन के अवसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का न केवल कारण वरन् परिणाम दोनों ही है। यह व्यक्ति को उसके दायित्वों की चेतना कराते हुए उसके व्यवहार एवं विचार में समाज के लिए हितकर परिवर्तन करती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कारण हो सकती है तथा यह सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित भी करती है।

सारणी संख्या-1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा परिवारों धीमान् के वर्तमान 225 उत्तरदाताओं में से 12 (5.33%) अशिक्षित, 12 (5.33%) प्राईमरी, 52 (23.11%) जूनियर हाईस्कूल, 67 (29.77%) हाईस्कूल, 38 (16.88%) इण्टरमीडिएट, 31 (13.77%) स्नातक एवं 13 (5.77%) स्नातकोत्तर व अन्य व्यवसायिक कोर्स की शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं जबकि इन्हीं 225 उत्तरदाताओं के पूर्व पीढ़ी के 191 (84.88%) अशिक्षित एवं 26 (11.56%) प्राईमरी स्तर तथा 8 (3.56%) जूनियर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा ग्रहण किये हुए थे।

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान पीढ़ी के विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर विशेष रूप से बढ़ा है। अशिक्षितों का प्रतिशत गिर गया है और सामान्य शिक्षा जो प्राइमरी तक की है, उसका प्रतिशत भी पूर्व पीढ़ी की तुलना में गिरा है। इसका एक तात्पर्य तो यह है कि आधुनिक समय में प्राइमरी शिक्षा एक तरह, अशिक्षित होने के बराबर ही है। फिर भी प्राथमिक शिक्षा किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रारम्भ किये जाने की स्थिति को प्रकट करती है और अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं, जहाँ प्रारम्भिक/प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षा प्रयोग न बढ़ाई जा सकी है। यहां हम जिन स्थितियों को विशेष रूप में पाते हैं। वे यह हैं कि धीमानों की नई पीढ़ी में शिक्षा का ग्राफ प्राइमरी (5.33%) से लेकर हाईस्कूल (29.78%) तक निरन्तर चढ़ा है और फिर क्रमशः गिरता हुआ उच्च शिक्षा बिन्दु स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक कोर्स (5.77%) पर आकर रूक गया है।

शिक्षा का ग्राफ (चित्र 1) इस ओर संकेत करता है कि हाईस्कूल के पश्चात् उच्च शिक्षा की ओर नई धीमान् पीढ़ी अधिक नहीं बढ़ रही है। हाईस्कूल तक तीव्रता से शिक्षा का बढ़ना यद्यपि इस बात का संकेत है कि शिक्षा के महत्व को समझा गया है। यदि हम परम्परागत व्यवसाय बढ़ईगिरी को देखते हैं, तो पाते हैं कि 28% नई धीमान् पीढ़ी अभी भी परम्परागत व्यवसाय से जुड़ी है। इसकी विवेचना इस रूप में भी जा सकती है कि नई धीमान् पीढ़ी ने कुछ सीमा तक अपना बढ़ईगिरी का परम्परागत व्यवसाय नहीं छोड़ा है परन्तु शिक्षा को आगे बढ़ाया है। साथ ही वे यह समझते हैं कि इस परम्परागत बढ़ईगिरी के व्यवसाय के लिए हाईस्कूल/इण्टर तक की शिक्षा भी काफी है। उच्च शिक्षित धीमान् युवकों को परम्परागत बढ़ईगिरी का पेशा करते नहीं पाया गया। वे व्यवसायिक रूप में फर्नीचर सप्लायर और फर्नीचर शोरूम के मालिक भी नहीं पाए गए।

चित्र 1 - शिक्षा का ग्राफ (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

2. शिक्षा में समानता - शिक्षा में समानता के आधर पर ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यक्तियों में स्त्री-पुरूष के मध्य शिक्षा में समानता है या नहीं। इसी भावना के द्वारा हम सभी व्यक्तियों का विकास कर सकते हैं। शिक्षा ही वह साधन है, जिसके द्वारा लैंगिक भेदभाव मिटाया सकता है।

सारणी संख्या-2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी संख्या 2 से यह स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 12 (5.33%) अशिक्षित उत्तरदाताओं में से स्त्री-पुरूष शिक्षा में समानता की भावना के विषय में 01 (2.44 %) उत्तरदाता का मत है कि कुछ समानता है, तथा 11 (52.38%) का मत है कि समानता बिल्कुल नहीं है। 64 (28.44%) निम्न शिक्षित उत्तरदाताओं में से 16 (9.82%) मानते हैं कि समानता है, 38 (92.68%) मानते हैं कि कुछ समानता है तथा 10 (47.62%) का मानना है कि बिल्कुल नहीं है। 105 (46.67%) मध्यम शिक्षित परिवारों में से 103 (63.19%) का मत है कि स्त्री-पुरूष को शिक्षा में समानता है, जबकि केवल 02 (4.88%) का मत है कि कुछ समानता है। 44 (19.56%) उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं में सभी 44 (26.99%) का मत है कि स्त्री-पुरूष शिक्षा में समानता है।

अतः स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के अधिकतर उत्तरदाताओं का मत है कि स्त्री पुरूष की शिक्षा में समानता है।

3. शिक्षा में लैंगिक-अनुपात - सामाजिक परिवर्तनशील वातावरण में शिक्षा में लैंगिक अनुपात भी सामाजिक परिवर्तन का एक निर्धारक है। चूंकि समानता के वातावरण में ही वैश्वीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन के कारक पनपते हैं। लैंगिक-अनुपात के द्वारा ही शिक्षा में सही सहभागिता को हम माप सकते हैं।

सारणी संख्या-3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी संख्या 3 से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 12 (5.33%) अशिक्षित उत्तरदाताओं में से 06 (15.0%) स्त्री एवं 06 (3.24%) पुरूष हैं। 64 (28.44%) निम्न स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 13 (32.5%) स्त्री व 51 (27.56%) पुरूष हैं। 105 (46.67%) मध्यम शिक्षित उत्तरदाताओं में से 11 (27.5%) स्त्री व 94 (50.81%) पुरूष हैं। जबकि 44 (19.56%) उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं में से 10 (25.0%) स्त्री व 34 (18.37%) पुरूष हैं।

अतः स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं का शिक्षा में पुरूषों का लैंगिक अनुपात महिलाओं की अपेक्षा अधिक है।

4. शिक्षा तथा पारिवारिक संरचना - परिवार के सदस्यों की शिक्षा के द्वारा भी हम सामाजिक परिवर्तन को देख सकते हैं। चूंकि पारिवारिक संरचना तथा शिक्षा में पारस्परिक सम्बन्ध है इसलिए शिक्षानुसार परिवार एकाकी है या संयुक्त यह भी सामाजिक परिवर्तन का आधार है।

सारणी संख्या-4

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं की पारिवारिक संरचना

शिक्षा/	पारिवारिक	संयुक्त	एकाकी	योग	
	संरचना	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	12	63.	1600	00	12
निम्न	05	26.31	59	28.64	64
मध्यम	02	10.53	103	50.00	105
उच्च	00	00	44	21.36	44
योग	19	8.44	206	91.56	225

सारणी संख्या 4 सारणी से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 12 (63.16%) अशिक्षित, 05 (26.31%) निम्न शिक्षित, 02 (10.53%) मध्यम शिक्षित उत्तरदाता संयुक्त परिवारों में रहते हैं जबकि 59 (28.64%) निम्न शिक्षित 103 (50.00%) मध्यम शिक्षित व 44 (21.36%) उच्च शिक्षित एकाकी परिवारों में रहते हैं।

अतः स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों में जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में परिवारों की संरचना संयुक्त से एकाकी में परिवर्तित

हो रही है।

5. पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श के पक्ष-विपक्ष के संदर्भ में - पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की सहमति से परिवार की सुदृढ़ता निश्चित होती है। इसी कारण यह एक महत्वपूर्ण चर है जिसे विश्वकर्मा धीमान् परिवारों को निम्नलिखित सारणी 7 में देखा गया है-

सारणी संख्या-5 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी संख्या 5 से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण उत्तरदाताओं 225 में से 209 पुरुष उत्तरदाता अपनी पत्नियों एवं घर की अन्य महिलाओं से परामर्श के पक्ष में हैं जिसमें से 02 (0.96%) अशिक्षित, 58 (27.75%) निम्न शिक्षित, 105 (50.24%) मध्यम रूप में शिक्षित तथा 44 (21.05%) उच्च शिक्षित हैं।

225 में से 16 (7.11%) उत्तरदाता महिलाओं से परामर्श के पक्ष में नहीं है। जिसमें से 10 (62.5%) अशिक्षित एवं 06 (37.5%) निम्न स्तरीय शिक्षा से सम्बन्धित हैं।

विश्वकर्मा परिवारों के अशिक्षित एवं सामान्य शिक्षित शत-प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श के पक्ष में है इन उत्तरदाताओं की कुल संख्या 2+58=60 (33.8%) है। यह एक भिन्न सामाजिक तथ्य को प्रकट करता है, जब हम इसे तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो वह इस रूप में कि शिक्षित एवं उच्च शिक्षित की तुलना में यह स्थिति एकदम विपरीत है। यह इस निष्कर्ष को रेखांकित करता है कि जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही किसी निर्णय लेने के सम्बन्ध में श्रीमान् पति अपनी पत्नियों से परामर्श लेना बन्द कर देते हैं। इसके दो कारण दिखाई पड़ते हैं प्रथम, तो यह कि शिक्षित व्यक्ति यह सोचते हैं कि उनका निर्णय सही है और इसे वे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं, इसलिए पत्नियों से परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपने और पारिवारिक मामलों में कोई निर्णय लेने में पूर्ण समर्थ हैं। दूसरा कारण यह दिखाई देता है कि अधिाकांशतः उनकी पत्नियां अशिक्षित या कम शिक्षित हैं इस कारण वे उनसे कोई परामर्श लेना उचित नहीं समझते हैं या यह समझते हैं कि वे कोई उचित परामर्श देने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिये पत्नियों से किसी तरह का परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है।

6. पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श की सीमा - परामर्श की सीमा में महिलाओं की भागेदारी आधुनिकता का दर्पण प्रदर्शित करती है। इसीलिए विश्वकर्मा धीमान् परिवारों में पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भागेदारी को आगे की सारणी में देखा गया है-

सारणी संख्या-6 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी से स्पष्ट है कि पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श की सीमा को सम्पूर्ण योग 225 में से 132 (58.67%) उत्तरदाता अधिकांशतः, 75 (33.33%) पूरी तरह से तथा 18 (8.0%) आंशिक रूप तक सहमति रखते हैं।

पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श लेने में 64 (28.44%) निम्न-स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 03 (4.0%) पूरी तरह से सहमति रखते हैं, 55 (41.67%) अधिकांशतः तथा 06 (33.33%) आंशिक रूप से सहमति रखते हैं। 105 (46.67%) मध्यम स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 38 (50.67%) पूरी तरह से एवं 67 (50.76%) अधिकांशतः रूप से सहमति रखते हैं। जबकि 44 (19.56%) उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं में से 34 (45.33%) पूरी तरह से तथा 10 (7.57%) उत्तरदाता अधिकांशतः रूप से सहमति रखते हैं।

अतः स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवार के अधिकतर उत्तरदाता पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श में अधिकांशतः रूचि रखते हैं।

सामाजिक जीवन के प्रतिमानों में परिवर्तन - प्रत्येक समाज के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि वह अपने अस्तित्व को बनाए रखे। इसीलिए तो वह परम्पराओं, रीति-रिवाजों, त्यौहारों, शिक्षा, कानून आदि अनेकानेक साधनों व उपायों के द्वारा यह प्रयत्न करता रहता है कि उनकी निरंतरता बनी रहे। शिक्षा के द्वारा ही हमारे दैनिक जीवन में कई परिवर्तन आए हैं। स्वतंत्रता के उपरान्त हमारी सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं को चलाया गया है। शिक्षा के माध्यम से हमारे सामाजिक जीवन के प्रतिमानों में और हमारे कार्य करने के तरीकों में अनेकानेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं के माध्यम से निम्न प्रकार विश्लेषित किया गया है-

विश्वकर्मा धीमान् उत्तरदाताओं की दृष्टि से धीमान् जाति की प्रस्थिति - प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति को सर्वोपरि तथा महत्वपूर्ण मानता है। इसी कारण जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने समाज में व्यक्ति अपनी जाति की प्रस्थिति को किस प्रकार मापता है, यह एक महत्वपूर्ण चर है। निम्न सारणी में विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं द्वारा अपनी जातीय प्रस्थिति को प्रदर्शित किया गया है-

सारणी संख्या-7(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी संख्या 7 से यह स्पष्ट होता है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के निम्न स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में अपनी जाति की प्रस्थिति को 18 (15.25%) उच्च, 21 (52.50%) मध्यम व 25 (37.31%) सामान्य मानते हैं। इसी प्रकार मध्यम स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में अपनी जाति की प्रस्थिति को 64 (54.24%) उच्च, 09 (22.50%) मध्यम व 32 (47.76%) सामान्य मानते हैं। उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं में अपनी जाति की प्रस्थिति को 36 (30.51%) उच्च व 08 (20.0%) मध्यम स्तरीय मानते हैं।

अतः स्पष्ट है विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के ज्यादातर उत्तरदाता अपनी जाति की प्रस्थिति को उच्च मानते हैं।

शिक्षा तथा अन्य जातियों से सामाजिक सम्बन्ध - भारतीय समाज के बारे में जैसी कि मान्यता है कि वह बंद और स्थिर है वैसी स्थिति नहीं देखी जाती है अर्थात् भारतीय समाज इस प्रकृति का कभी नहीं रहा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक समेकित उपागम का निरूपण करते हुए सिंह[7] के विचार में सांस्कृतिक संरचना तथा सामाजिक संरचना के दोनों ही स्तरों पर परिवर्तन वाह्यजनित तथा अन्तरजनित कारकों के कारण हुए हैं। वस्तुतः भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता तथा क्रमिक संरचनात्मक रूपान्तरण की प्रक्रियाएं भिन्न-भिन्न गति से कार्यशील रही हैं।

इसी कारण विश्वकर्मा धीमान् जाति के परिवारों में भी शिक्षा के साथ सामाजिक सम्बन्धों में बदलाव आया है। विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के अन्य जातियों से सम्बन्ध को आगे की सारणी में प्रदर्शित किया गया है-

सारणी संख्या-8 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 12 (5.33%) अशिक्षित उत्तरदाताओं में से सभी 12 (27.91%) उत्तरदाताओं के सम्बन्ध निम्नजातियों से हैं। 64 (28.44%) निम्न स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 33 (44.0%) के समकक्ष जातियों से व 31 (72.09%) के निम्न जातियों से सम्बन्ध है। 105 (46.67%) मध्यम स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 69 (64.49%) के सम्बन्ध उच्च जातियों से व 36 (48.0%) के

समकक्ष जातियों से हैं। 44 (19.56%) उच्च स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 38 (35.51%) के सम्बन्ध उच्च जातियों से तथा 06 (8.0%) के समकक्ष जातियों से सम्बन्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि अधिकांशतः मध्यम व उच्च उत्तरदाताओं के सम्बन्ध उच्च जातियों से हैं।

शिक्षा तथा स्त्रियों के प्रति व्यवहार – शिक्षा के द्वारा ही हम लैंगिक भेदभाव को मिटा सकते हैं, तथा समाज में स्त्रियों को समानता का दर्जा दिला सकते हैं। स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने स्त्रियों की स्थिति को सुदृढ़ किया है। जिस समाज में महिलाओं को महत्व दिया जाता है वह उतना ही विकास की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं का महिलाओं के प्रति व्यवहार भी देखा गया है। इस व्यवहार को निम्न सारणी में दिखाया गया है।

सारणी संख्या-9 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी से यह स्पष्ट होता है कि विश्वकर्मा परिवारों के 12 (5.33%) अशिक्षित उत्तरदाताओं में से सभी 12 (35.29%) उत्तरदाता स्त्रियों के साथ निम्नस्तरीय व्यवहार करते हैं। 64 (28.44%) निम्न स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 42 (32.08%) महिलाओं के प्रति समान व्यवहार तथा 22 (64.71%) निम्न स्तरीय व्यवहार करते हैं। 105 (46.67%) मध्यम स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 21 (35.0%) महिलाओं के प्रति सम्मानजनक एवं 84 (64.12%) समान व्यवहार करते हैं। 44 (19.56%) उच्च स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से 39 (65.0%) महिलाओं के प्रति सम्मानजनक एवं उच्च स्तरीय तथा 05 (3.80%) उत्तरदाता समान व्यवहार करते हैं।

अतः स्पष्ट होता है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के अधिकतर उत्तरदाता महिलाओं के प्रति समान व्यवहार करते हैं।

महिलाओं का घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में – परिवार में महिलाओं की भूमिका के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि परिवार कितना सुदृढ़ है? चूंकि महिलाओं का ज्यादा समय परिवार के सानिध्य में ही व्यतीत होता है, इसीलिए उनके द्वारा ही परिवार को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है। पर इसके लिए पारिवारिक स्वतंत्राता भी आवश्यक है। इसी कारण यह भी एक महत्वपूर्ण चर है, जिसको निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है–

सारणी संख्या-10 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी से यह स्पष्ट होता है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 12 (5.33%) अशिक्षित उत्तरदाताओं में से 02 (0.93%) महिलाओं के घर से बाहर जाने की स्वतंत्राता के पक्ष में जबकि 10 (100%) विपक्ष में मत रखते हैं। इसके अतिरिक्त 64 (28.44%) निम्न स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से सभी 64 (29.77%), 105 (46.67%) मध्यम स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से सभी 105 (48.84%) उत्तरदाता तथा 44 (19.56%) उच्च स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से सभी 44 (20.46%) उत्तरदाता महिलाओं के घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता के पक्ष में मत देते हैं।

अतः स्पष्ट है कि 95.55% विश्वकर्मा धीमान् परिवार के उत्तरदाता महिलाओं के घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता के पक्ष में मत रखते हैं।

शिक्षा तथा अस्पृश्यता या भेदभाव की भावना – यद्यपि भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबन्धित कर दिया है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी पाई जाती है। गाँवों में अधिकांश लोग आज भी अपने जातिगत व्यवसाय करते हैं। यह हमें बहुत कम ही देखने को मिलेगा कि उच्च जाति का हिन्दू ऐसा व्यवसाय करे जिससे उसकी प्रस्थिति नीची हो। शिक्षा के माध्यम से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है।

शिक्षा के द्वारा ही भारतीय समाज में छुआछूत की भावना काफी हद तक समाप्त हो गयी है। इसके बावजूद अभी भी समाज में कहीं न कहीं हीनता की भावना पायी जाती है। इसी कारण यह चर भी सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक वातावरण के बदलाव में अह्म भूमिका अदा करता है। भेदभाव की भावना को यहां भी अध्ययन के एक चर के रूप में शामिल किया गया है।

सारणी संख्या-11 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 12 (5.33%) अशिक्षित उत्तरदाताओं में से उच्च जातियों द्वारा भेदभाव की भावना के सम्बन्ध में 11 (100%) उत्तरदाता कहते हैं कि भेदभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि 01 (0.47%) उत्तरदाता कहता है कि यह कम हुआ है। जबकि 64 (28.44%) निम्न-स्तरीय शिक्षित उत्तरदाताओं में से सभी 64 (29.91%) उत्तरदाता, मध्यम स्तरीय शिक्षित 105 (46.67%) उत्तरदाताओं में से सभी 105 (49.06%) उत्तरदाता तथा उच्च-स्तरीय शिक्षित 44 (19.56%) उत्तरदाताओं में से सभी 44 (20.56%) उत्तरदाताओं का मत है कि यह भेदभाव कम हुआ है। अतः स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के अधिकांशत सभी उत्तरदाताओं का यह मत है कि उच्च जातियों द्वारा भेदभाव कम हुआ है जबकि किसी भी उत्तरदाता ने यह मत नहीं दिया कि भेदभाव बढ़ा है।

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के व्यवसाय में परिवर्तन – सम्पूर्ण भारतीय समाज की सामाजिक, संरचना में परिवर्तन आए हैं। आजादी के बाद भारत सरकार ने जो औद्योगिक नीति बनायी उसका लक्ष्य तेज औद्योगीकरण के द्वारा देश का आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास से देश की प्रत्येक जाति का विकास हुआ है। इस अध्ययन में विश्वकर्मा धीमान् जाति के परिवारों के व्यवसाय में परिवर्तन का अध्ययन किया गया है।

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों में दो पीढ़ियों में हुआ व्यावसायिक परिवर्तन – दो पीढ़ियों में हुए विश्वकर्मा धीमान् जाति के व्यवसाय में परिवर्तन को निम्नांकित सारणी में दिखाया गया है–

सारणी संख्या-12 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी से स्पष्ट है कि वर्तमान पीढ़ी के 77 (34.22%) उत्तरदाता व्यवसाय, 25 (11.11%) प्राइवेट नौकरी तथा 60 (26.67%) सरकारी नौकरी करते हैं। जबकि इन उत्तरदाताओं की पिछली पीढ़ी के सदस्य इनमें से किसी भी व्यवसाय से सम्बन्ध नहीं रखते हैं।

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के पिछली पीढ़ी के 108 (48.0%) उत्तरदाता परिवार कृषि, 14 (06.22%) मजदूरी और 103 (45.7%) परम्परागत कार्य करते थे। जबकि वर्तमान पीढ़ी के 225 (100%) उत्तरदाताओं में से 63 (28.0%) उत्तरदाता ही परम्परागत कार्य करते हैं।

अतः स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के अध्कितर उत्तरदाताओं ने अपने व्यवसाय परिवर्तित कर लिए हैं।

शिक्षा एवं व्यवसाय – शिक्षा तथा व्यवसाय में सहसम्बन्ध है क्योंकि शिक्षा के आधर पर व्यवसाय को परिवर्तित किया जा सकता है। इसी कारण विश्वकर्मा धीमान् जाति के लोगों में शिक्षा के आधाार पर व्यवसाय में परिवर्तन को देखा गया है।

सारणी संख्या-13 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा; धीमान् परिवारों के परम्परागत

कार्य करने वाले 63 (28.0%) उत्तरदाताओं में से 12 (100%) अशिक्षित, 33 (51.56%) निम्न शिक्षित, 18 (17.14%) मध्यम शिक्षित हैं। सरकारी नौकरी करने वाले 60 (26.67%) उत्तरदाताओं में से 32 (30.48%) मध्यम व 28 (63.64%) उच्च शिक्षित हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले 25 (11.11%) उत्तरदाताओं में से 09 (08.27%)मध्यम व 16 (36.36%) उच्च शिक्षित हैं अन्य व्यवसाय करने वाले 77 (34.22%) उत्तरदाताओं में से 31 (48.44%) निम्न स्तरीय शिक्षित व 46 (43.80%) मध्यम शिक्षित है। अतः स्पष्ट है कि धीमान् विश्वकर्मा परिवारों के विभिन्न व्यवसायों को करने वाले उत्तरदाताओं में अधिकांशतः मध्यम स्तरीय शिक्षित है।

3. परम्परात व्यवसाय व सामाजिक प्रतिष्ठा में सम्बन्ध – जातिगत व्यवसाय की प्रतिष्ठा भी एक महत्वपूर्ण चर है। इसी के द्धारा समाज में जाति की प्रस्थिति निर्धारित होती है। यही देखने के लिए विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं में उनके व्यवसाय की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखा गया है।

सारणी संख्या-14 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी संख्या 14 से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवार के 62 (28.0%) उत्तरदाताओं में से सभी 63 (56.76%) परम्परागत व्यवसाय को सामाजिक प्रतिष्ठा से सम्बन्धित मानते हैं। 60 (26.67%) सरकारी नौकरी करने वाले उत्तरदाताओं में से 13 (11.71%) परम्परागत व्यवसाय को सामाजिक प्रतिष्ठा से सम्बन्धित मानते हैं, जबकि 47 (41.23%) इसे नहीं मानते। 25 (11.11%) प्राईवेट नौकरी करने वाले उत्तरदाताओं में से 13 (11.71%) परम्परागत व्यवसाय व सामाजिक प्रतिष्ठा के पक्ष में मत देते हैं तथा 12 (10.53%) विपक्ष में मत रखते हैं। इसी तरह व्यवसाय करने वाले 77 (34.22%) उत्तरदाताओं में से 22 (19.82%) पक्ष में और 55 (48.24%) विपक्ष में मत रखते हैं।

अतः स्पष्ट है कि विश्वकर्मा धीमान् परिवार के 225 उत्तरदाताओं में से 111 (49.33%) उत्तरदाता परम्परागत व्यवसाय को सामाजिक प्रतिष्ठा से सम्बन्धित मानते हैं, जबकि 114 (50.67%) उत्तरदाता परम्परागत व्यवसाय को सामाजिक प्रतिष्ठा से सम्बन्धित नहीं मानते हैं।

शिक्षा वृद्धि के साथ-साथ धीमान् परिवारों में व्यवसायिक परिवर्तन भी हुए हैं। इसका संदर्भ विशेष रूप से धीमान् परिवारों की पिछली पीढ़ी एवं वर्तमान पीढ़ी के व्यवसायों से लिया जा रहा है। शोध में यह जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि परम्परागत व्यवसाय से हटकर दूसरे व्यवसायों की ओर मुड़ने की नई धीमान् पीढ़ी की अभिरूचि कहाँ तक शिक्षा से जुड़ी है। क्या यह शिक्षा का ही प्रभाव है या अन्य कारक भी किसी तरह इसको प्रभावित कर रहे हैं। 225 उत्तरदाताओं में से 63 (28%) धीमान् उत्तरदाता अभी तक अपने परम्परागत बढ़ई पेशे से जुड़े हैं। इनमें कोई भी उच्च शिक्षित नहीं है।

सारणी-15

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों में शिक्षा, व्यवसाय एवं परम्परागत कार्य

शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	12	19
प्राईमरी एवं जू.हा.स्कूल	33	52
हाईस्कूल एवं इन्टर	18	29
स्नातक एवं स्नातकोत्तर	00	00
योग	63	100

प्रतिदर्श 63 = 100%। विश्लेषण के लिये हम इन 63 उत्तरदाताओं को जो परम्परागत बढ़ईगिरी के कार्य से जुड़े हैं = 100% मानकर अध्ययन करते हैं। इनमें 12 (19%) अशिक्षित, 33 (52%) प्राईमरी एवं जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित और 18 (29%) हाईस्कूल एवं इन्टर हैं। कोई भी स्नातक या स्नातकोत्तर बढ़ई का पेशा नहीं कर रहा है और न इससे जुड़े अन्य व्यवसायों को व्यवसाई के रूप में संभाल रहा है, जैसे- फर्नीचर का शोरूम या व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज या संस्थानों में फर्नीचर सप्लाई करना, बड़ी कोठियों में लकड़ी के काम के ठेके, इमारती लकड़ी एवं तख्तों की बिक्री इत्यादि। इस तरह निम्न एवं माध्यमिक स्तर तक शिक्षित प्राईमरी से इन्टर 33+18= 51 (81%) ही किसी तरह पूर्वजों के बढ़ईगिरी के पेशे को कर रहे हैं।

4. वर्तमान धीमान् पीढ़ी एवं व्यवसायिक गतिशीलता – व्यवसायिक गतिशीलता से तात्पर्य एक व्यवसायिक समूह से व्यक्तियों का दूसरे व्यवसायिक समूह में पलायन है। यहां हम पाते हैं (सारणी 3) कि धीमान् परिवारों में से बड़ी संख्या में नई पीढ़ी के उत्तरदाता बढ़ईगिरी के पेशे को छोड़कर नौकरियों एवं अन्य व्यवसायों में जा रहे हैं। इस तरह यह पलायन नौकरपेशा समूह एवं व्यवसायी समूह की ओर हुआ है। पिछली विश्वकर्मा धीमान् पीढ़ी जहाँ बढ़ईगिरी के परम्परागत कार्य (48.78%) के साथ कृषि एवं मजदूरी (6.22%) से जुड़ी थी वहाँ हम पाते हैं कि कृषि एवं मजदूरी में वर्तमान पीढ़ी का प्रतिशत शून्य है। केवल परम्परागत बढ़ईगिरी का कार्य ऐसा है, जिसे पिछली पीढ़ी के 103 (48.78%) और नई पीढ़ी के 63 (28.0%) उत्तरदाता कर रहे हैं। पिछली पीढ़ी की तुलना में वर्तमान पीढ़ी में इसका प्रतिशत घटा है। इसकी तुलना में हम पाते हैं कि जहां पिछली पीढ़ी में सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी तथा व्यवसाय करने वालों की संख्या शून्य थी, वहीं वर्तमान पीढ़ी में सरकारी नौकरी में 60 (26.67%) प्राइवेट नौकरी में 25 (11.11%) एवं अन्य व्यवसायों में 77 (34.22%) उत्तरदाता चले गये हैं। केवल 63 (28.0%) ही अपना परम्परागत बढ़ईगिरी का व्यवसाय कर रहे हैं।

यह एक तीव्र व्यवसायिक गतिशीलता को प्रकट करता है, जिसमें लगभग एक सम्पूर्ण जाति ही अपने परम्परागत पेशे से पलायन कर रही है। यह लगभग पिछले 25 वर्ष के अन्तराल में ही हुआ है। सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में एक अच्छे वेतन का आकर्षण है तथा किसी व्यवसाय के करने में भी आर्थिक लाभ की संभावनाएं अधिक रहती हैं।

अनेक परम्परागत व्यवसायों में यह देखने को मिलता है कि उस व्यवसाय के आधुनिकीकरण होने एवं आर्थिक रूप से लाभदायक होने पर अनेक ऐसे व्यक्ति उस पेशे में पुन: लौट आते हैं, जिनके परिवार यह परम्परागत पेशा कई पीढ़ियों पूर्व छोड़ चुके थे या वह व्यक्ति प्रारम्भ से ही उस पेशे से नहीं जुड़ा था। कभी-कभी कोई काम न मिलने एवं बेकारी की स्थिति आने पर भी बहुत से व्यक्ति अपने पूर्वजों के पेशे में लौट आते हैं। कृषि के क्षेत्र में ऐसा बहुत देखने को मिलता है। नाई के पेश में यह देखने में आया है, क्योंकि जजमानी की जगह इसका स्थान नकद मजदूरी/सेवा ने ले लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों से जुड़ा बढ़ई अपने जजमानों की सेवा करता था परन्तु अब कृषि का भी यंत्रीकरण हो गया है और बढ़ई की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। बेकारी भी बढ़ी है, परन्तु ऐसा कोई उत्तरदाता या उसका परिवार नहीं मिला जो एक बार बढ़ईगिरी के पेशे को छोड़ने के पश्चात् पुन:उसमें लौटा हो।

बढ़ई के पेशे से नौकरियों की ओर गतिशीलता बढ़ने का मुख्य कारण शिक्षा तो है ही वरन् सरकार की आरक्षण नीतियों ने भी इसमें नौकरियों के अवसर प्रदान किये हैं। वर्तमान पीढ़ी के (60 ;26.67%) उत्तरदाता सरकारी नौकरियों में हैं, जो उन्हें आरक्षण के आधार पर मिली हैं। धीमान् अन्य

पिछड़ी जातियों (OBC) में सम्मिलित हैं। वर्तमान पीढ़ी के ही 25 (11.11%) प्राईवेट नौकरी कर रहे हैं। अधिकतम झुकाव अपना व्यवसाय करने की ओर दिखाई दे रहा है, जिसे 77 (34.22%) कर रहे हैं। परन्तु इन व्यवसायों में बढ़ईगीरी का व्यवसाय नहीं है।

निष्कर्ष – विभिन्न बिन्दुओं पर निष्कर्ष निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

9. **विश्वकर्मा धीमान् परिवारों में शैक्षिक परिवर्तन से सम्बन्धित –**

- विश्कर्मा धीमान् परिवारों के 225 उत्तरदाताओं में वर्तमान पीढ़ी में 05 प्रतिशत अशिक्षित हैं, 95 प्रतिशत शिक्षित है, जबकि पूर्व पीढ़ी में 85 प्रतिशत अशिक्षित व केवल 15 प्रतिशत ही प्राईमरी स्तर तक शिक्षित थे।
- विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि स्त्री–पुरूष शिक्षा में समानता होनी चाहिए।
- विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं का शिक्षा में लैंगिक अनुपात, पुरूषों का 82 प्रतिशत और 18 प्रतिशत महिलाओं का है।
- विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 91 प्रतिशत शिक्षित उत्तरदाता एकाकी परिवारों में रहते हैं तथा 09 प्रतिशत अशिक्षित उत्तरदाता संयुक्त परिवारों में रहते हैं।
- विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 93 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श के पक्ष में है।
- विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के 58 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श लेते हैं।

9. **सामाजिक जीवन के प्रतिमानों में परिवर्तन –**

- विश्वकर्मा धीमान् जाति के अधिकांश उत्तरदाता 52.44 प्रतिशत अपनी जाति की प्रस्थिति को उच्च मानते हैं।
- अधिकांश मध्यम तथा उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं के सम्बन्ध उच्च जातियों से हैं।
- विश्वकर्मा धीमान् जाति के अधिकांश उत्तरदाता महिलाओं को पुरूषों के समान मानते हैं।
- अधिकांश 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिलाओं के घर से बाहर जाने के लिए सहमति प्रदान की है।
- हीनभावना के लिए अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि वह कम हुआ है।

9. **विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के व्यवसाय में परिवर्तन –**

- विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के लोगों ने पिछली पीढ़ी के व्यवसाय को छोड़कर नये व्यवसायों की ओर गमन किया है।
- विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं में परम्परागत व्यवसाय को करने वाले उत्तरदाताओं में अधिकांश मध्यम स्तरीय शिक्षित हैं।
- अधिकांश उत्तरदाता (50.67%) परम्परागत व्यवसाय को प्रतिष्ठित नहीं मानते हैं।

उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर हम कह सकते है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास ने पिछड़ी जाति के लोगों में विशेषत: नगरीय क्षेत्रों में विश्वकर्मा धीमान् जाति को उच्चोन्मुख सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान किए हैं। ये लोग अब उद्योग–धंधों, व्यवसायों तथा अन्य तरह की सेवाओं में प्रविष्ट हो गए हैं और इस प्रकार काफी हद तक उन्होंने अपनी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रस्थिति सुधार ली है। इन लोगों ने आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण की है जो सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने में इनकी सहायता करती है। विश्वकर्मा धीमान् जाति के कुछ परिवार अपने पारम्परिक कार्य को आगे बढ़ाकर उद्यमी कार्य करने की सीमा तक गये हैं और उन्होंने धीरे–धीरे उच्च जातियों की सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश कर लिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. कार्वे, इरावती, 1955 –किनशिप ओर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।
2. अहमद के. सम्पादक), 1983 – मार्डनाइजेशन एण्ड सोशल चेंज अमंग मुस्लिम इंडिया, मनोहर प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. चिटनिस, सुमा, 1981 – ए लांग वे टू गो, एलाइड पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली।
4. देसाई, ए. आर. (सम्पादक), 1987–रूरल सोशियालॉजी इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बम्बई।
5. गोरे, एम.एस., देसाई, आई.पी. एण्ड चिटनिस, एस. (सम्पादक), 1975 – पेपर इन द सोशियालॉजी आफ एजूकेशन इन इण्डिया, एन.सी.ई.आर.टी, न्यू दिल्ली।
6. कार्ल मार्क्स, 1958 – कैपिटल–ए क्रिटिकल एनालाईसिस ऑफ कैपिटिलिस्ट प्रोडेक्टशन, भाग–1, भाग–2, फारन लेंग्वेजेस पब्लिशिंग हाउस, मास्को।
7. सिंह, योगेन्द्र, 1971 – मॉर्डनाईजेशन आफ इण्डियन ट्रेडिशन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

सारणी संख्या-1

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों में दो पीढ़ियों में शैक्षिक परिवर्तन

शिक्षा	पूर्व पीढी		वर्तमान पीढ़ी		परिवर्तन	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	191	84.88	12	05.33	– 179	79.55
प्राईमरी	26	11.56	12	05.33	– 14	06.22
जूनि.हाई.	08	03.56	52	23.11	+ 44	19.55
हाईस्कूल	00	–	67	29.77	+ 67	29.78
इण्टरमीडिएट	00	–	38	16.88	+ 38	16.88
स्नातक	00	–	31	13.77	+ 31	13.77
स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक कोर्स	00	–	13	05.77	+ 13	05.77
योग	225	100.00	225	100.00		

चित्र 1 – शिक्षा का ग्राफ

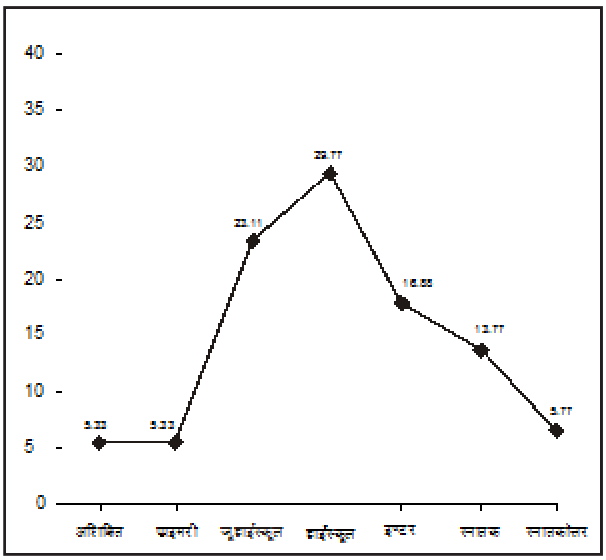

सारणी संख्या-2

विश्वकर्मा परिवारों के उत्तरदाताओं में स्त्री-पुरूष शिक्षा में समानता की भावना

शिक्षा	समानता		कुछ समानता		बिल्कुल नहीं		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	00	00	01	2.44	11	52.38	12	5.33
निम्न	16	9.82	38	92.68	10	47.62	64	28.44
मध्यम	103	63.19	02	4.88	00	–	105	46.67
उच्च	44	26.99	00	00	00	–	44	19.56
योग	163	72.44	41	18.22	21	9.33	225	100.0

सारणी संख्या-3

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं का शिक्षा में लैंगिक-अनुपात

शिक्षा	स्त्री		पुरुष		एकाकी योग एवं प्रतिशत
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
अशिक्षित	06	15.0	06	3.24	12 (5.33%)
निम्न	13	32.5	51	27.56	64 (28.44%)
मध्यम	11	27.5	94	50.81	105 (46.67%)
उच्च	10	25.0	34	18.37	44 (19.56%)
योग	40	17.78	185	82.22	225 (100.00%)

सारणी संख्या-5

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के पुरुष उत्तरदाताओं का पत्नियों से परामर्श करने की प्रवृत्ति

शिक्षा	परामर्श हाँ		परामर्श नहीं		एकाकी योग एवं प्रतिशत
	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत	
अशिक्षित	02	00.96	10	62.5	12 (5.33%)
निम्न	58	27.75	06	37.5	64 (28.44%)
मध्यम	105	50.24	00	00	105 (46.67%)
उच्च	44	21.05	00	00	44 (19.56%)
योग	209	92.88	16	7.11	225 (100%)

सारणी संख्या-6

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों में पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं से परामर्श की सीमा

शिक्षा एवं परामर्श	पूरी तरह		अधिकांशत:		आंशिक		एकाकी योग एवं प्रतिशत
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
अशिक्षित	00	00	00	00	12	66.67	12 (15.33%)
निम्न	03	04.0	55	41.67	06	33.33	64 (28.44%)
मध्यम	38	50.67	67	50.76	00	00	105 (46.6%)
उच्च	34	45.33	10	7.57	00	00	44 (19.5%)
संयुक्त योग एवं प्रतिशत	75	33.33	132	58.67	18	08.00	225 (100%)

सारणी संख्या-7

विश्वकर्मा धीमान् उत्तरदाताओं की दृष्टि में धीमान् जाति की प्रस्थिति

शिक्षा/जाति की स्थिति	उच्च		मध्यम		सामान्य		योग
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
अशिक्षित	00	00	02	05.00	10	14.93	12
निम्न	18	15.25	21	52.50	25	37.31	64
मध्यम	64	54.24	09	22.50	32	47.76	105
उच्च	36	30.51	08	20.00	00	00	44
योग	118	52.44	40	17.78	67	29.78	225

सारणी संख्या-8

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों के उत्तरदाताओं का अन्य जातियों से सम्बन्ध

शिक्षा / अन्य जातीय सम्बन्ध	केवल ऊँची जातियों से		समकक्ष जातियों से		निम्न जातियों से		योग
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
अशिक्षित	00	00	00	00	12	27.91	12
निम्न	00	00	33	44.0	31	72.09	64
मध्यम	69	64.49	36	48.0	00	00	105
उच्च	38	35.51	06	8.00	00	00	44
योग	107	47.56	75	33.33	43	19.11	225

सारणी संख्या-9

विश्वकर्मा धीमान् उत्तरदाताओं का महिलाओं के प्रति व्यवहार

शिक्षा/ स्त्रियों के प्रति व्यवहार	सम्मानजनक एवं उच्च स्तरीय		समान		निम्न		योग
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
अशिक्षित	00	00	00	00	12	35.29	12
निम्न	00	00	42	32.08	22	64.71	64
मध्यम	21	35.00	84	64.12	00	00	105
उच्च	39	65.00	05	03.80	00	00	44
योग	60	26.67	131	58.22	34	15.11	225

सारणी संख्या-10

विश्वकर्मा धीमान् उत्तरदाताओं का महिलाओं का घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता का सम्बन्ध

शिक्षा/ महिला की स्वतंत्राता सम्बन्धी	हाँ		नहीं		योग एवं प्रतिशत
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
अशिक्षित	02	0.93	10	100.00	12 (5.33%)
निम्न	64	29.77	00	00	64 (28.44%)
मध्यम	105	48.84	00	00	105 (46.67%)
उच्च	44	20.46	00	00	44 (19.56%)
योग	215	95.56	10	4.44	225 (100%)

सारणी संख्या-11

उच्च जातियों द्वारा भेदभाव की भावना

शिक्षा/ हीन भावना	बढ़ी है		कम हुआ है		कोई परितर्वन नहीं है		योग
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
अशिक्षित	00	00	01	0.47	11	100.00	12
निम्न	00	00	64	29.91	00	00	64
मध्यम	00	00	105	49.06	00	00	105
उच्च	00	00	44	20.56	00	00	44
योग	00	00	214	95.11	11	04.89	225

सारणी संख्या-12

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों की दो पीढ़ी के अंतराल में व्यवसायों में आने वाले परिवर्तन

व्यवसाय/पीढ़ी	पिछली पीढ़ी		वर्तमान पीढ़ी		योग
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
कृषि	108	48.0	00	00	-108
मजदूरी	14	6.22	00	00	-14
परम्परागत कार्य बढ़ईगिरी	103	45.78	63	28.0	-40
सरकारी नौकरी	00	00	60	26.67	+60
प्राइवेट नौकरी	00	00	25	11.11	+25
अन्य व्यवसाय	00	00	77	34.22	+77
योग	225	100.0	225	100.0	

सारणी संख्या-13

विश्वकर्मा धीमान् परिवारों में शिक्षा तथा व्यवसाय में सम्बन्ध

व्यवसाय/ शिक्षा	अशिक्षित		निम्न		मध्य		उच्च		योग
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
परम्परागत कार्य	12	100	33	51.56	18	17.14	00	00	63
सरकारी नौकरी	00	00	00	00	32	30.48	28	63.64	60
प्राइवेट नौकरी	00	00	00	00	09	8.57	16	36.36	25
अन्य व्यवसाय	00	00	31	48.44	46	43.80	00	00	77
योग	12	5.33	64	28.44	105	46.67	44	19.55	225

सारणी संख्या-14

परम्परागत व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा से सम्बन्ध प्रदर्शित करने वाली सारणी

व्यवसाय/सामाजिक	हाँ		नहीं		योग
प्रतिष्ठा	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
परम्परागत कार्य	63	56.76	00	00	63
सरकारी नौकरी	13	11.71	47	41.23	60
प्राइवेट नौकरी	13	11.71	12	10.53	25
अन्य व्यवसाय	22	19.82	55	48.24	77
योग	111	49.33	114	50.67	225

****

आयु वर्ग के अनुसार बैगा जनजाति में साक्षरता का स्वरूप शहडोल जिले के संदर्भ में

डॉ. लता सिंह *

प्रस्तावना – किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या आयु वर्ग की दृष्टि से विभिन्न समूहों में वर्गीकृत होती है। जनसंख्या का कुछ भाग बालक तो कुछ युवा, कुछ प्रौढ़ एवं कुछ वृद्ध होते है। सामान्य रूप से 0.5 वर्ष की आयु तक शिशु की श्रेणी में आते हैं। इसलिए साक्षरता की गणना में 05 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही भारतीय जनगणना विभाग ने समाहित किया है। 05 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु बालक, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक युवा, 40 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रौढ़ एवं इससे अधिक उम्र के लोग वृद्ध जनसंख्या के अन्तर्गत आते है। आयु वर्ग के अनुसार साक्षरता संबंधी आंकड़े विश्वसनीय ढंग से उपलब्ध न होने के कारण इसके विश्लेषण में कुल साक्षर संख्या एवं अधिकतम आयु एवं प्रतिदर्शी ग्रामों में साक्षरता के स्वरूप के विश्लेषण को आधार मान्य करते हुए किया गया। सामान्यत: 12 वीं तक की संख्या को 20 वर्ष तक की आयु वर्ग में सम्मिलित करते हुए समग्र जिले में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या को घटाकर प्रतिदर्शी ग्रामों से सह-संबंधित करते हुए वर्ग के अनुसार जनजातियों में साक्षरता के स्वरूप का विश्लषण किया गया है।

शहडोल जिले में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल13935 व्यक्ति साक्षर हैं।

सारणी क्रमांक – 1 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत छात्र संख्या एवं कुल साक्षर संख्या के विश्लेषण पर आधारित (प्रावधिक) 2001 उपर्युक्त सारणी क्रमांक 1 के अनुसार शहडोल जिले में निवास करने वाली बैगा जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता का 05 वर्ष से 18 वर्ष की आयु समूह में 54.09 प्रतिशत पाया जाता है। द्वितीय क्रम से 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु समूह में 31.17 प्रतिशत है। जबकि तृतीय क्रम पर 25 वर्ष से अधिक की आयु समूह का है। इस संवर्ग में साक्षर बैगा जनजाति 14.4 है। साक्षरता के उक्त स्वरूप से स्पष्ट होता है कि आयु बढ़ाने के साथ साक्षरता का प्रतिशत का घटता जाता है।

निष्कर्षत: उच्च आयु वर्ग की ओर जाते हैं, बैगा जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत घटता जाता है। उपर्युक्त हास के प्रमुख 1981 के बाद बैगा जनजातियों में शिक्षा के प्रति अभिरूचियों का जागृत होना एवं केन्द्र व राज्य सरकार की जनजातियों के प्रचार-प्रसार की नितियॉ प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही हैं। यदि समग्र जिलों में निवास करने वाली बैगा जनजाति के आयु वर्ग की साक्षरता पर ध्यान दिया जाए, तो स्पष्टत: आंशिक दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि 18 वर्ष के आयु संवर्ग में साक्षरता का प्रतिशत सभी विकासखण्डों में बहुत अधिक हैं, किन्तु विकासखण्डों में सोहागपुर में इस आयु वर्ग में साक्षरता का 50.57 प्रतिशत सबसे अधिक तथा बुढ़ार विकासखण्ड में 58.38 प्रतिशत है, जबकि 25 वर्ष से 40 वर्ष आयु संवर्ग में सबसे अधिक सोहागपुर में 15.8 प्रतिशत फिर ब्यौहारी तहसील प्रतिशत तथा न्यूनतम जैतपुर तहसील में 14.00 प्रतिशत है। संस्कृति प्रभाव, धरातलीय एवं शिक्षा विकास का आधारभूत संरचनाओं पर आवागमन, नगरीकरण, औद्योगिकरण जैसे तत्वों के स्तर में विषमता का प्रमुख कारण है।

पदानुक्रम के अनुसार साक्षरता – साक्षरता का सामान्य भाव ऐसी शिक्षा से है, जिसके द्धारा व्यक्ति लिखना, पढ़ना एवं समझने की क्षमता प्राप्त कर सके। पदानुक्रम की दृष्टि से साक्षरता को विभिन्न वर्गो (कक्षा) में वर्गीकृत किया गया है यथा पहली कक्षा से 12 वीं कक्षा एवं इससे आगे।

भारतीय संविधान में सर्वशिक्षा के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के 02 पदानुक्रम हैं। म.प्र.शासन ने भी उपर्युक्तानुसार पदानुक्रम की अवधारणा को स्वीकृत करते हुए साक्षरता के पदानुक्रम को विभिन्न वर्गो में स्वीकृत किया है, जो निम्नानुसार (सारणी क्रमांक 2)

सारणी क्रमांक – 2**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

हाईस्कुल स्तर तक साक्षरता का स्वरूप – साक्षरता पदानुक्रम की दृष्टि से यह प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर से उच्च पद प्राप्त है। अध्ययन क्षेत्र में कुल साक्षर व्याक्तियों के 6.60 प्रतिशत भाग हैं। किन्तु क्षेत्रीय विषमताए इस संवर्ग में भी दृष्टिगोचर होती हैं। गोहपारू विकासखण्ड की कुल जनजातीय साक्षरता का 9.03 प्रतिशत भाग हाई स्कुल संवर्ग में है, जो अन्य विकासखण्डों की तुलना में सबसे अधिक है। इस संवर्ग का न्यूनतम प्रतिशत ब्यौहारी विकासखण्ड में 5.27 प्रतिशत है। अन्य विकासखण्डों में अपने क्षेत्र के साक्षर जनसंख्या का 8.3 प्रतिशत जैतपुर, 6.14 प्रतिशत जयसिंहनगर एवं 7.6 प्रतिशत गोहपारू विकासखण्ड में पाया जाता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का स्वरूप – उ.मा.स्तर तक साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या 222 है, जो कुल जनजातीय साक्षर व्यक्तियों का 1.69 प्रतिशत भाग है। सोहागपुर विकासखण्ड में सर्वाधिक 2.8 प्रतिशत जनजातीय साक्षर व्यक्ति हैं, जो अन्य सभी विकासखण्डों की तुलना में सबसे अधिक है। उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बैगा जनजाति की साक्षरता का न्यूनतम भाग, 0.88 प्रतिशत ब्यौहारी विकासखण्ड में पाया जाता है।

स्नात एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षा का स्वरूप – पदानुक्रम की दृष्टि से सर्वोच्च पद प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर साक्षर बैगा जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 80 हैं, जो समग्र बैगा साक्षर व्यक्तियों के 0.58 प्रतिशत भाग है। सोहागपुर में 749 बैगा जनजातिय व्यक्ति इस पदानुक्रमीय संवर्ग में हैं। यह भाग अध्ययन् क्षेत्र में समग्र विकासखण्डों में सबसे अधिक है। न्यूनतम बुढ़ार विकासखण्ड में 0.03 प्रतिशत भाग स्नातक एवं स्नातकोत्तर साक्षर व्यक्तियों का मिलता है।

* पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

अन्य – उपर्युक्त के अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग आदि तकनीकी उपाधिकारी साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या 39 है, जो समग्र बैगा जनजाति साक्षरता का 0.14 प्रतिशत है। इस संवर्ग की अधिकतम संख्या 749 व्यक्ति (4.19 प्रतिशत) सोहागपुर एवं न्यूनतम ब्यौहारी विकासखण्ड में 1.15 प्रतिशत पाई जाती है।

निष्कर्ष रूप में अध्ययन् क्षेत्र में उच्च पदानुक्रम की ओर जाने पर साक्षर व्यक्तियों में ह्रास एवं क्षेत्रीय भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। भिन्नता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक कारकों के अतिरिक्त सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक पर संस्कृति प्रभाव एवं साक्षर व्यक्तियों में प्रवास की प्रवृत्ति मुख्य रूप से उत्तरदायी तत्व हैं।

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 3 के अनुसार शहडोल जिले में निवास करने वाली बैगा जनजाति के साक्षर व्यक्तियों की संख्या 13935 है। उक्त साक्षर व्यक्तियों में पदानुक्रम के अनुसार साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर 66.12 प्रतिशत हैं, जो अन्य कक्षा एवं वर्गो की तुलना में सबसे अधिक है। द्वितीय चक्र पर 24.85 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक साक्षर व्यक्तियों का होना मिलता है। तृतीय क्रम में 6.60 प्रतिशत हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने वाले साक्षर व्यक्ति हैं, जबकि 1.69 प्रतिशत भाग उ.मा. परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 571 है, जो कुल साक्षर बैगा जनसंख्या का 0.58 प्रतिशत भाग है। आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की साक्षरता वाले व्यक्तियों की जिले में उपलब्ध संख्या 39 है, जो कुल बैगा जनजाति साक्षरता संख्या का मात्र 0.14 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार निम्न पदानुक्रम से उच्च पदानुक्रम की ओर जाने पर बैगा जनसंख्या के साक्षरता का पिरामिड सॅकरा होता जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में स्थित सभी पॉचों विकासखण्डों में संवर्गवार बैगा जनजाति की साक्षरता में अन्तर दृष्टिगोचर होता है, जैसा कि निम्नांकित सारणी क्रमांक 3 से स्पष्ट होता है –

सारणी क्रमांक 3 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

सारणी क्रमांक 4 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन् क्षेत्र में संवर्गानुसार साक्षरता का क्षेत्रीय वितरण एक दृष्टिगोचर नहीं होता है। सम्पूर्ण जिले में प्राथमिक स्तर तक साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत 66.12 प्रतिशत हैं, जबकि विकासखण्ड में कुल साक्षर व्यक्तियों के 71.86 प्रतिशत भाग प्राथमिक स्तर तक की साक्षरता का पाया जाना है। यह अध्ययन क्षेत्र में स्थित सभी पॉचवीं स्तर तक की साक्षरता का अपने विकासखण्ड की कुल व्यक्तियों से 56.26 प्रतिशत भाग ब्यौहारी विकासखण्ड में पाया जाता है।

सारणी क्रमांक 4 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

माध्यमिक स्तर तक साक्षरता का स्वरूप – माध्यमिक स्तर (कक्षा 8 उत्तीर्ण) तक साक्षरता अध्ययन क्षेत्र के द्वितीय वरीयता क्रम पर है। शहडोल जिले में इस स्तर पर साक्षर व्यक्ति हैं जो कुल जनजातीय साक्षर व्यक्तियों का 24.85 प्रतिशत भाग है। प्राथमिक स्तर के साक्षर व्यक्तियों की स्तर के साक्षर व्यक्तियों के क्षेत्रीय वितरण में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। सारणी क्रमांक 4 के अनुसार शहडोल पॉचों विकासखण्डों में से ब्यौहारी विकासखण्ड में कुल साक्षर व्यक्तियों का 34.54 प्रतिशत भाग प्राथमिक स्तर तक तो अन्य सभी विकासखण्डों की तुलना में सबसे अधिक है। द्वितीय वरीयता सोहागपुर विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर पर व्यक्तियों का कुल साक्षर व्यक्तियों से 26.93 प्रतिशत भाग है। माध्यमिक स्तर तक 20.57 प्रतिशत भाग गोहपारू में पाया जाता हैं। अन्य विकासखण्डों में अपने क्षेत्र के कुल जानजातीय साक्षर व्यक्तियों से 21.10 प्रतिशत बुढ़ार जयसिंहनगर विकासखण्डों में मिलता है।

उ.मा.वि. तक बैगा साक्षरता के स्वरूप की प्रवृत्ति – 07–08 के ऑकड़ों के अनुसार उक्त दोनों संवर्गो में बैगा जनजातियों के छात्रों की संख्या क्रमशः 919 एवं 222 छात्र अपने संवर्ग में क्रमशः 6.60 प्रतिशत एवं 1.69 प्रतिशत भाग है। विकासखण्डवार वितरण की दृष्टि से हाईस्कूल में सोहागपुर विकासखण्ड में सबसे अधिक (सारणी क्रमांक 4) एवं गोहपारू में 5.61 प्रतिशत सबसे कम छात्र संख्या मा.वि. में कुल बैगा जनजातीय छात्र संख्या का सबसे अधिक 1.78 प्रतिशत भाग जयसिंहनगर विकासखण्ड में प्रतिशत भाग सोहागपुर विकासखण्ड में पाया जाता है।

महाविद्यालयीन एवं तकनीकी शिक्षा के छात्रों का क्षेत्रीय वितरण स्वरूप–महाविद्यालय एवं तकनीकी संवर्ग में बैगा जनजातीयों के छात्रों की कुल संख्या 80 एवं 39 है, जो अपने संवर्ग के कुल 0.58 एवं 0.14 प्रतिशत भाग है। महाविद्यालयीन बैगा जनजातियों का सर्वोच्च 0.73 प्रतिशत सोहागपुर विकासखण्ड में 38 प्रतिशत भाग ब्यौहारी विकासखण्ड में पाया जाता है, निष्कर्षतः महाविद्यालयीन एवं तकनीकी विद्यालयों में बैगा वेशी छात्रों की दृष्टि से सोहागपुर विकासखण्ड अग्रणी है, जिसके प्रमुख कारण निम्नानुसार है –

सोहागपुर विकासखण्ड जिला मुख्यालय होने के कारण सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों का केन्द्र है। विशिष्ट शिक्षा संस्थान सिर्फ इसी विकासखण्ड में हैं, अध्ययन् की अन्यत्र सुविधा न होने के कारण अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को प्रवेश लेना पड़ता है।

संस्थानों के अतिरिक्त जिला स्तर के सभी कार्यालय इस विकासखण्ड में स्थित हैं, फलतः लोग अपनी सुविधा की दृष्टि से सोहागपुर विकासखण्ड में स्थित विद्यालयों में प्रवेश लेते है। भवन के दृष्टि से इस विकासखण्ड का अन्य विकासखण्डों की तुलना में अधिक विकास हुआ है। सुविधाएं तथा पुस्तकालय, खेल का मैदान, मनोरंजन की सुविधाएं, कोचिंग सेन्टर इस केन्द्र में अवस्थित हैं जो अन्य में अनुपलब्ध है। शिक्षा का प्रभाव जनजातीय छात्रों के आकर्षण का केन्द्र है।

उपर्युक्त प्रभावी कारणों के कारण सोहागपुर विकासखण्ड में बैगा जनजातियों के छात्रों का अन्य विकासखण्डों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. खुद का शोध प्रबन्ध 'शहडोल जिले के बैगा जनजाति के शिक्षा विकास पर शासकीय योजनाओं के प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन' लता सिंह।

शहडोल जिले में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल13935 व्यक्ति साक्षर हैं।

सारणी क्रमांक – 1

आयु वर्ग के अनुसार बैगा जनजाति में साक्षरता का स्वरूप 2001 (प्रावधिक) प्रतिशत में

क्र.	विवरण	05 से 18 वर्ष (कुल से प्रतिशत)	18 से 25 वर्ष (कुल से प्रतिशत)	25 से (कुल से प्रतिशत)
1.	सोहागपुर	50.57	33.63	15.8
2.	बुढ़ार	58.38	27.62	14.00
3.	जयसिंहनगर	55.51	30.59	14.10
4.	गोहपारू	51.51	32.35	14.78
5.	ब्यौहारी	52.13	32.87	15.00
6.	शहडोल	54.09	31.17	14.7

सारणी क्रमांक – 2

शहडोल जिले में पदानुक्रमवार बैगा जनजाति साक्षरता – 2001

क्र.	पदानुक्रम वर्ग	छात्र संख्या	अनुसूचित जनजाति साक्षरता से प्रतिशत
1.	प्राथमिक	9213	66.12
2.	माध्यमिक	3462	24.85
3.	हाईस्कूल	919	6.60
4.	उ.मा.	222	1.69
5.	स्नातक एवं अधिक	80	0.58
6.	अन्य	39	0.14
	योग	13935	100.00

सारणी क्रमांक 3

बैगा जनजाति में कक्षावार साक्षरता (पदानुक्रम व्यवस्था) का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप –2001

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक		माध्यमिक		हाईस्कूल		उच्चतर माध्यमिक		स्नातक एवं स्नातकोत्तर		अन्य		योग
		सं.	प्रति	सं.	प्रति	सं.	प्रति	सं.	प्रति	सं.	प्रति	सं.	प्रति	
1.	सोहागपुर	2121	62.29	917	26.93	280	8.22	50	1.47	25	0.73	12	0.35	3405
2.	बुढार	2050	70.67	612	21.10	168	5.79	45	1.55	18	0.62	8	0.28	2901
3.	गोहपारू	1810	71.46	512	20.57	142	5.61	40	1.58	12	0.47	8	0.32	2533
4.	जयसिंहनगर	1911	69.52	601	21.86	165	6.00	49	1.78	16	0.58	7	0.25	2749
5.	ब्यौहारी	1321	56.26	811	34.54	164	6.98	38	1.62	19	0.38	5	0.21	2348

स्त्रोत – आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश)

सारणी क्रमांक 4

साक्षरता का क्षेत्रीय विवरण प्रतिरूप – 2001

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक		माध्यमिक		हाईस्कूल		उच्चतर माध्यमिक		स्नातक एवं स्नातकोत्तर		अन्य		योग
		सं.	प्रति	सं.	प्रति	सं.	प्रति	सं.	प्रति	सं.	प्रति	सं.	प्रति	
1.	सोहागपुर	515	7.6	3963	58.42	1681	24.79	189	2.8	01	2.17	287	4.15	6782
2.	बुढ़ार	61	8.3	456	63.02	188	25.49	14	1.78	01	0.03	9	1.33	738
3.	गोहपारू	363	9.03	2095	62.11	1381	34.37	98	2.45	–	–	85	2.13	4022
4.	जयसिंहनगर	77	6.14	751	59.25	399	31.49	17	1.37	01	0.30	18	1.44	1268
5.	ब्यौहारी	59	5.27	775	68.95	262	23.34	10	0.88	10	0.39	13	1.15	1125

स्त्रोत – जिला सांख्किी पुस्तिका जिला–शहडोल 2001

****

जनजातीय सामाजिक - आर्थिक व्यवस्था पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव

प्रो. ईश्वर सिंह सस्त्या * डॉ. मनोज वानखेड़े **

प्रस्तावना – आधुनिक युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक हैं यदि यह कहा जाए कि पिछले वर्षो में समाज में जो परिवर्तन हुए हैं। उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिश्योक्ति नहीं हैं, विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति ने कई अविष्कारों को जन्म दिया हैं। इन अविष्कारों से यंत्रीकरण में वृद्धि हुई हैं तथा यंत्रीकरण के फलस्वरूप उत्पादन की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। जैसे ही उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होता हैं, यह परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन हैं। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, परिवहन एवं संचार इन्टरनेट, मोबाईल, व्हाटसॉप, फेसबुक, ईमेल के नवीन साधनों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करती हैं। हमारे जीवन की पद्धतियाँ, विचार धाराएँ और हमारी सामाजिक संस्थाएँ मशीनीकरण प्रक्रिया से अत्याधिक प्रभावित हैं। आधुनिक सभ्यताएँ प्रौद्योगिकी आधार के अभाव में विकसित नहीं होती। यद्यपि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास ने मानव जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया हैं, फिर भी इसमें विज्ञान संस्कृति का वह भाग भी हैं, जो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को प्रदर्शित करता हैं, साथ ही बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न करता हैं, जैसे इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसने उत्पादन की प्रक्रिया को बहुत तीव्रता प्रदान की परंतु साथ ही इसने स्त्री और पुरूष विशेषकर पुरूष को कई घंटों तक घर से बाहर रहने को विवश कर कई ऐसी समस्याएँ पैदा की जिसकी जानकारी पहले से नहीं थी। इसी तरह परमाणु शक्ति के विकास में मनुष्य के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के साथ ही नकारात्मक रूप से भी बहुत प्रभावित किया, आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मानव के जीवन में जहाँ सकारात्मक परिवर्तन हुआ हैं वहीं नकारात्मक रूप से भी बहुत प्रभावित किया। इसने कई लाभों के साथ-साथ सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया वस्तुत: प्रौद्योगिकी परिवर्तन के साथ दुरगामी सामाजिक परिवर्तन होते है। धार जिले की जनजाति भील एवं भिलाला की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव को निम्न क्षेत्र में देखा जा सकता हैं-

पारिवारिक जीवन में परिवर्तन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने धार जिले की जनजातियों के परम्परागत विवाह के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सूत्रपात किया हैं। जनजातियों में पहले वधुमूल्य नहीं लिया जाता था किन्तु मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रचलन के साथ वधू मूल्य लिया जाने लगा प्रारंभ में वधूमूल्य बहुत कम था किन्तु आधुनिक समय में वधूमूल्य भिल में एक लाख से अधिक मनावर, धरमपुरी, कुक्षी, गंधवानी, डही सरदारपुर, बदनावर तहसीलों में अधिक लिया जाने लगा हैं तथा इन्हीं तहसीलों के कुछ गाँव में भिलाला जनजातियों ने वधूमूल्य 500 से 5,000 तथा 35,000तक एवं झाबुआ और धार जिलें के पटलिया जनजातियों ने 1 रूपये या वधू मूल्य नहीं लिए जाने का निर्णय लिया हैं, पहले जनजातियों में परम्परागत विवाह में गाँव के पटेल एवं पुजारा द्वारा विवाह सम्पन्न किया जाता था किन्तु वर्तमान समय में अधिकांश जनजातियाँ मे विवाह के समय ब्राम्हाण द्वारा विवाह मुर्हत एवं विवाह कराने में ब्राम्हाण का सहयोग लेने लगे हैं। जनजाति के व्यक्ति पहले अपनी ही जनजाति में विवाह करते थे, किन्तु उपजनजाति में विवाह नहीं करते थे, किन्तु इस प्रकार के प्रतिबंधों में शिथिलता आई हैं, पहले विवाह विच्छेद की दर अधिक थी, किन्तु वर्तमान समय में विवाह-विच्छेद में कमी आई हैं, पहले विवाह-विच्छेद से संबंधी मामले पंचायत में ही रखे जाते थे किन्तु वर्तमान समय में जनजाति के स्त्री-पुरूष विवाह विच्छेद से संबंधित विवादों में पुलिस एवं न्यायालय की शरण में जाने लगे हैं, विज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकी ने जनजातियों में व्यक्तिवादिता को बढ़ाया हैं और सामूहिकता के महत्व को कम किया हैं। अब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ के दृष्टिकोण को अधिक महत्व देने लगे हैं साथ ही लोग ग्रामों में अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर नगरों में रोजगार की तलाश में आकर बसने लगे हैं। वहीं ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्र में आज संयुक्त परिवार के स्थान पर एकांकी परिवार (नाभिक परिवार) में परिवर्तित हो रहे हैं,पहले परिवार में मुखिया का परिवार पर पूर्ण नियंत्रण था किन्तु वर्तमान समय में पुरूष एवं स्त्री का भी परिवार में अनेक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया हैं, जनजातियों में पहले वृद्ध होने पर स्त्री को विशेष सम्मान दिया जाता था, किन्तु वर्तमान समय में परिवार के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया हैं तथा पत्नी को भी परिवार से संबंधित सम्पत्ति खरीदने,मकान निर्माण ,बच्चों की शिक्षा देने, बच्चों के विवाह संबंध में निर्णय प्राथमिकता दी जाने लगी हैं तथा परिवार को छोटा रखने संबंधी विचारों में परिवर्तन आया हैं। परिवार नियोजन की नवीन प्रविधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों में परिवार के छोटे आकार को प्रोत्साहित किया हैं एवं प्रौद्योगिक के प्रभाव के कारण आधुनिक समय में सरकार द्वारा पारित अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलु हिंसा अधिनियम, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, समान कार्य समान वेतन अधिनियम आदि की जानकारी रखने लगे है एवं इसका समय एवं परिस्थिति के अनुसार उपयोग करने लगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने स्त्रियों के कार्य को हलका किया हैं। अब वे परम्परागत चूल्हे के स्थान पर गैस चूल्हा, बायोगैस, प्रेशर कूकर, बिजली और अनेक श्रम-बचत उपकरणों को काम में लेकर अपने समय को बचाने लगी हैं। स्त्री-शिक्षा, और रोजगार के अवसर भी बढ़े है। अब वे कृषि, फैक्ट्ररियों, उद्योग, दफ्तरों, स्कूलो और विभिन्न व्यवसायों में पुरूषों के समान काम करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला - धार (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

होने लगी हैं।

सामाजिक जीवन में परिवर्तन – विज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकी ने धार जिले की जनजातियों के परम्परागत मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों आदि को परिवर्तित कर उसे जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य किया हैं। अब व्यक्ति सामुदायिक जीवन के बजाय व्यक्तिवादी जीवन में अधिक रूचि लेने लगा हैं, जनजाति के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाई स्थापित होने एवं जनजाति क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने, अधिकांश स्थानों पर ब्लॉक एवं तहसील का दर्ज प्राप्त होने से तथा जनजाति क्षेत्रों के नगर में परिवर्तित होने से जनजातियों के व्यक्तियों पर नगरीय जीवन शैली का प्रभाव पड़ा हैं एवं जनजातियों के कृषि भूमि के उपविभाजन एवं उपखण्डन के कारण रोजगार की तलाश में नगरों में बसने लगे हैं किन्तु आवास की कमी के कारण व्यक्तियों को अपने स्त्री–बच्चों को गाँव में ही छोड़कर नगरों में प्रवास के लिए प्रोत्साहित किया हैं किन्तु नगरों मे मकान का किराया अधिक होने के कारण गंदी बस्तियों में अकेले रहने को विवश होना पड़ता हैं। यह स्थिति कई बार जनजातियों में यौन–अनैतिकता को बढ़ावा देने में योग देती हैं। ऐसे लोगों में मद्यपान, वेश्यावृत्ति और जुआखोरी की आदत भी पनप जाती हैं। विज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकी ने जनजाति व्यवस्था पर आधारित परम्परागत जीवन शैली को परिवर्तित कर आधुनिक जीवन शैली की ओर बढ़ाने के लिये प्रेरित किया हैं।

सामाजिक संबंधों में परिवर्तन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप धार जिले की जनजातियों के सामाजिक संबंधों का रूप काफी कुछ बदल गया हैं पहले जनजाति के व्यक्ति प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदारी को बहुत अधिक महत्व देते थे तथा गाँव में निवासरत् सभी व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध थे तथा गाँव में किसी प्रकार की विपत्ति आने पर सम्पूर्ण गाँव के व्यक्ति उस समस्या का निराकरण करते थे किन्तु अब इस प्रकार के दृष्टिकोण मे परिवर्तन तथा प्राथमिक नातेदारी को ही महत्व दिया जाता हैं एवं विवाह से संबंधित सास, ससुर और साले को महत्व दिया जाता हैं, द्वितीयक एवं तृतीयक नातेदारी के व्यक्तियों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता हैं तथा पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों की दृष्टि में बहुत कुछ परिवर्तन आये हैं और संबंधों में जटिलता बढ़ी हैं। पहले जनजाति का व्यक्ति प्रमुखतः अपने परिवार के वयस्कों, कुछ रिश्तेदारों ओर ग्रामीण समुदाय के कुछ अन्य लोगों से ही संबंधित था, परन्तु अब व्यक्ति के संबंधों का काफी विस्तार हुआ हैं। अब उसे शिक्षा के लिए स्कूल पर, आजीविका के लिए किसी कारखानें, दफ्तर या व्यापारिक संस्थान पर निर्भर रहना पडता हैं। अपने मनोरंजन के पराम्पंरागत वद्य यंत्रों के स्थान पर रेडियो , टेलीविजन, सिनेमा, मोबाईल, इन्टरनेट का प्रयोग किया जाने लगा हैं।

सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने धार जिले की जनजातियों की स्थानीय और सामाजिक दोनों ही प्रकार की गतिशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। स्थानीय गतिशीलता का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना हैं। सामाजिक–गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति प्राप्त कर लेना हैं, एक समूह या वर्ग से दूसरे समूह या वर्ग में पहुँच जाना हैं। वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कारण आवागमन और संचार के साधनों का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ हैं। जनजाति के व्यक्ति में भी सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न हुई है। वे अपने स्थान एवं कृषि को छोड़कर जहाँ आय प्राप्ति एवं जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए अधिक अवसर हैं वहाँ आसानी से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं,। ये लोग अधिकांश इन्दौर, देवास, भोपाल, गुजरात, राजस्थान जाने लगे हैं, जिससे इनमें सामाजिक गतिशीलता बढ़ी हैं। वहीं अपने कृषि व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय भी करने लगे है एवं कृषि कार्य को छोडकर मिस्त्री, होटल, ढाबा, किराना दुकान, मोटर रिवाईडिंग, इलेक्ट्रीशियन, कटलरी व्यवसाय, पान की दुकान आदि में रोजगार प्राप्त करने लगे हैं वहीं शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक एवं विभिन्न विभागों में शासकीय नौकरी करने लगे हैं जनजातियों में विभिन्न स्थानों, समूहों, वर्गों, व्यवसायों आदि के संबंध में जानकारी रखने लगे है तथा जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न वर्गो और जाति, धर्म से संबंधित संस्कृतियों से परिचित होने लगे हैं तथा पुराने समय में विवाह संबंध 5 से 20 किलोमीटर के दायरे में निश्चित होते थे किन्तु अब विवाह में 5 से 20 किलोमीटर के स्थान पर अधिक दूरी पर विवाह संबंध होने लगे हैं।

समाज पर आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव एवं परिवर्तन – आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कारण धार जिले की जनजाति समाज की आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र हुई हैं। इसका प्रभाव ग्रामीण जनजातियों के आर्थिक क्षेत्र और जीवन पर भी पड़ता हैं। पहले जनजाति के व्यक्ति परम्परागत अनाज, मक्का, ज्वार, कपास, मुंगफली, उड़द, मुंग, चवले की फसल लेते थे एवं मठ से रबी की सिंचाई करते थे किन्तु रबी का सिंचित क्षेत्र नहीं के बराबर था, अधिकांशतः खरीफ की फसल ही लेते थे किन्तु वर्तमान समय में जनजाति क्षेत्रों में मानडेम, ओंकारेश्वर, जोबट परियोजना, मनासा परियोजना के कारण तथा शासन द्वारा इन क्षेत्रों में तालाब एवं योजनाओं के माध्यम से कुएँ के कारण जनजाति व्यक्ति खरीफ एवं रबी की फसल लेने लगे हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई की नहरें, एवं बांध निर्माण के कारण व्यापारिक फसल लेने लगे हैं तथा समय–समय पर शासन द्वारा संचालित कृषि से संबंधित योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर अधिक उपज वाली फसल लेने लगे हैं तथा हल, बखर के स्थान पर ट्रेक्टर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, रोग–प्रतिरोधक बीजों का प्रयोग, उर्वरक, कीटनाशक, परिष्कृत उपकरण, फसल चक्र, मिश्रित, एवं विकसित कृषि रासायनिक दवाईयाँ का प्रयोग करने लगे हैं। जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई हैं तथा जनजाति क्षेत्रों में सरकारी एवं सहकारी बैंकों की स्थापना के कारण जनजाति के व्यक्ति पहले महाजन, सहूकार से विभिन्न कारणों से ऋण लेते थे, जिसकी ब्याज दर अधिक रहती थी तथा हमेशा ऋण की समस्याँ से ग्रसित रहते थे किन्तु वर्तमान समय में सरकारी, सहकारी बैंकों एवं स्वसहायता समूह तथा एन.जी.ओं के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण मिलने लगा हैं तथा बैंकों द्वारा जनजाति के शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति को भी जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर ऋण प्राप्त करते हैं, जिससे इनके जीवन की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हैं तथा जनजातियों के परम्परागत कच्चे एवं अर्द्ध पक्के, मिश्रित मकान के साथ आर.सी.सी. के मकान भी देखने को मिलते हैं वहीं जनजाति के व्यक्ति के पास स्वयं का दो पहिया वाहन एवं चार पहिये वाहन भी स्वयं के नाम से अर्जित कर लिए गए हैं एवं जनजाति के व्यक्ति कृषि व्यवसाय के अलावा सुतार, मोबाईल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर ऑपरेटर, पैट्रोल पंप, किराना दूकान, गैस एजेंसी, फूटकर सब्जी व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय, कारीगर, भवन निर्माण से संबंधित ठेके लेने लगे हैं। जिससे इन जनजातियों का आर्थिक जीवन स्तर उन्नत हुआ हैं, वहीं आर्थिक जीवन स्तर में उन्नति के साथ अवगुण के रूप में मद्यपान के सेवन में वृद्धि हुई हैं एवं आपसी विवादों में वृद्धि हुई हैं तथा जनजाति के व्यक्ति अपनी परम्परागत पंचायत में विभिन्न विवादों को

निपटाने के लिए परम्परागत पंचायत के स्थान पर पुलिस एवं न्यायालय की शरण लेने लगे हैं।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन – विज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकी ने धार जिले की जनजातियों के ज्ञान–विज्ञान, विश्वास, तर्क और विवेक के महत्व को बढ़ाकर जनजातियों के धर्म को कमजोर करने में योग दिया हैं। वहीं शासन द्वारा जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण के लिये निश्चित जनजाति केन्द्रों की स्थापना की गई हैं, जिससे इन जनजातियों की उत्पत्ति, कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प से संबंधित संस्कृति के संरक्षण का प्रयास प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया गया हैं। आज का जनजाति व्यक्ति धार्मिक उत्सवों, मैलों, त्यौहारों को अधिक महत्व नहीं देता हैं। आज जनजातियों में परम्परागत एवं प्राकृतिक धर्म के स्थान पर हिन्दू धर्म एवं ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा हैं एवं धर्म में उदारवादी और मानवतावादी पक्ष पर अधिक जोर दिया जाने लगा हैं। अब जनजाति व्यक्ति धार्मिक कर्मकाण्डों में उतना विश्वास नहीं करता जितना पहले करता था। विज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकी ने जनजातियों के व्यक्तियों का विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ सम्पर्क में आने का अवसर दिया हैं। जनजाति के व्यक्ति पहले अपनी संस्कृति से संबंधित जीवन शैली में जीवन यापन करते थे किन्तु प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण अपने परम्परागत वस्त्रों के स्थान पर स्त्री द्वारा लुगड़े के स्थान पर साड़ी का प्रयोग, शिक्षित कन्याएँ सलवार कुर्ती, जिन्स, टॉप, लेगी का प्रयोग करने लगे हैं एवं परम्परागत चाँदी के आभूषण के साथ सोने के आभूषण के प्रचलन में वृद्धि हुई हैं तथा जनजातियों की महिलाओं का पर्दाप्रथा में भी कमी आई हैं एवं पुरूष द्वारा धोती और साफा के स्थान पर पेन्ट–शर्ट एवं बीना साफा के प्रचलन में वृद्धि हुई हैं। पहले जनजाति के व्यक्तियों में बीमार होने पर बड़वे से ईलाज करवाते थे किन्तु वर्तमान समय में बढ़वे के स्थान पर डॉक्टर या चिकित्सालय में ईलाज कराने लगे हैं तथा जनजाति में गुदवाना का सामाजिक एवं संस्कृति महत्व था, किन्तु अब इस प्रकार के विचारों में परिवर्तन आया हैं तथा अधिकांश स्त्री–पुरूष गुदवानों को विशेष महत्व नहीं देते हैं। जनजातियों में पहले मद्यपान, विवाह, नुक्ता विभिन्न त्यौहार एवं अन्य उत्सव के समय सीमित मात्रा में किया जाता हैं किन्तु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कारण शराब सेवन की मात्रा में वृद्धि हुई हैं, वही जनजातियों के परम्परागत नृत्य, उत्सव, बाजे के स्थान पर आधुनिक नृत्य, डी.जे. का प्रयोग बढ़ा जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं।

उपसंहार – वास्तव में आज का युग विज्ञान का युग हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान का एक प्रमुख दायित्व मनुष्य की सुख–सुविधाओं को बढ़ाना हैं। उसके जीवन को उन्नत करना हैं। मेरा मानना यह हैं कि किसी भी वस्तु का लाभदायक पक्ष ही नहीं होता अपितु हानिप्रद पक्ष भी होता हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में भी यह बात सच हैं। जहाँ एक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विकास एवं प्रगति के ऊँचे कीर्तिमान बनाए हैं। वहीं दूसरी और नागासाकी और हिरोशीमा, भोपाल गैस त्रासदी, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण अवनयन, ओजोन छिंद्र और भी ऐसी अनेक समस्याओं को जन्म दिया हैं। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी की इन्टरनेट, मोबाईल, से मानव के जीवन में गतिशीलता आई हैं तथा सामाजिक संबंधों का क्षेत्र विस्तृत हुआ हैं। वहीं तनाव व शिथिलता भी उत्पन्न हुई हैं, इसी तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने धार जिले की जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर जहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। वहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जिसका स्पष्ट प्रभाव जनजातियों के पारिवारिक, समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में देखा जा सकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. साईंस टेक्नालॉजी एण्ड सोसाईटी आई.एस.बी.एन. 81–902565–6–4, 201
2. डॉ. शर्मा सी.एल., भील समाज कला एवं संस्कृति, प्रकाशन मालती प्रकाशन जयपुर सस्कर 1998,
3. डॉ.पाटील अशोक डी. – भील जनजीवन और संस्कृति म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी
4. डॉ.एम.एल. वर्मा (निकुंज) भीलों की सामाजिक व्यवस्था, राधा पब्लिकेशन्स।
5. भारतीय समाज, श्याम चरण दूबे।
6. समाजशास्त्र, प्रो.एम.एल.गुप्ता, डॉ.डी.डी. शर्मा।
7. नईदुनिया।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

पातालकोट की भारिया जनजाति की महिलाओं पर पड़ने वाले जनसंचार के प्रभावों का एक सामाजशास्त्रीय अध्ययन

सृष्टि जोन * डॉ. अर्चना गौर**

प्रस्तावना – भारिया जनजाति, मध्यप्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जिसे शासन द्वारा छिन्दवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है तथा इसके विकास के लिए भारिया विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है। पातालकोट एक दुर्गम स्थान है, जो चारों ओर से ऊँचे पहाड़ों से ढका हुआ है। पूर्व के वर्षो तक यहाँ जनसंचार एवं यातायात के साधनों की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन शासन के लगातार प्रयास से यहाँ संचार एवं यातायात के साधनों का काफी विकास हो गया है। जनसंचार के माध्यमों में यहाँ डाक सुविधा, टेलीविजन, रेडियो, मोबाईल फोन तथा समाचार पत्रों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। जनसंचार माध्यमों के प्रयोग से इस समाज में इनके स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। समाज का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक ढाँचा, आधुनिक जनसंचार साधनों से प्रभावित हुआ है। वर्तमान परिवेष में संचार शब्द को कई अर्थो और संदर्भों में उपयोग किया जाता है जब किसी भी रूप में भावों का आदान-प्रदान हो, संवाद हो, चर्चा हो, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, संचार के दायरे में आता है। आज जनसंचार का दायरा बढ़ता जा रहा है, जो दूरस्थ जनजाति क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है। जनसंचार का केन्द्र और लक्ष्य जन अर्थात् 'लोक है या इसे सीधे शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि जनसंचार का लक्ष्य और केन्द्र समाज है। यह न केवल आधुनिक समाज को ही केन्द्र में रखता है, बल्कि आदिम एवं जनजाति समाज भी इसका लक्ष्य या केन्द्र है। जनजाति समाजों में भी आधुनिक जनसंचार माध्यमों के प्रति अभिरूचि में वृद्धि हुई है। जनसंचार के माध्यमों के प्रयोग से जनजाति समाज में नगरीय तथा आधुनिक जीवन शैली का प्रसार हुआ है, परिणामस्वरूप इसके कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक प्रभाव हुए है। मेरे अध्ययन के मुख्य उद्देश्य है –

1. भारिया जनजाति पर जनसंचार के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।
2. भारिया जनजाति पर जनसंचार के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।
3. भारिया जनजाति पर जनसंचार के संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।

- **भारिया जनजाति पर जनसंचार के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव –** भारिया जनजाति सामाजिक व्यवस्था रही है, जो नातेदारी पर आधारित होती थी। इस समाज के सदस्य परिवार, वंश, गोत्र, के रूप में साथ-साथ निवास करते थे। ये लोग पारस्परिकता के आधार पर अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इस प्रकार इस जनजाति की अपनी सामाजिक व्यवस्था रही है। आधुनिक जनसंचार साधनों के प्रभाव से ये लोग काम, नौकरी तथा रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे भारिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो रही है तथा आधुनिक व्यवस्था स्थापित हो रही है।
- **भारिया जनजाति पर जनसंचार के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव –** भारिया जनजातिय समाज, पूर्व में नातेदारी व्यवस्था पर आधारित था, जनसंचार माध्यमों के प्रभाव से अब यह समाज नगरों के संपर्क में आ गया है। शहरों में नौकरी करने वाले परिवार अब स्थायी तौर पर बाहर ही रहने लगे है, जिससे इनके पड़ोस में रहने वाले गैर आदिवासी परिवारों से सामाजिक संबंध विकसित होने लगे हैं।
- **भारिया जनजाति पर जनसंचार के संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव –** भारिया जनजाति समाज अपनी विशेष संस्कृति के कारण ही जाना जाता है। इस समाज के विशिष्ट रीति-रिवाज, परंपरा, प्रथाएँ, विश्वास, नृत्य, गीत, संगीत तथा कला रही है। इन्हीं कारणों से ये गैर-आदिवासियों से अलग हैं। जनजातिय समाज अब आधुनिक जनसंचार साधनों के माध्यम से टेलीविजन, रेडियो एवं मोबाईल फोन का उपयोग करने लगे हैं, जिससे अब इस समाज में परम्परागत नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, लोक कथा, कहावतें, मुहावरे आदि का महत्व कम होता जा रहा है।
- **भारिया जनजाति पर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव –** पूर्व में भारिया जनजाति समाज की अर्थव्यवस्था खाद्य संकलन, शिकार, कृषि तथा हस्तकला वस्तु निर्माण पर निर्भर थी, लेकिन आधुनिक जनसंचार साधनों के प्रभाव से लोगों में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के प्रति आकर्षण बढ़ा है, परिणामस्वरूप भारिया जनजाति की अर्थव्यवस्था नौकरी तथा मजदूरी पर आधारित होती जा रही है। शिक्षित युवा वर्ग बाहर जाकर नौकरी करना चाहता है, जनजातीय कृषकों के पास सीमित सिंचाई क्षमता होने के कारण वे सरकारी कार्यो में मजदूरी करने पर जोर देते है।
- **भारिया जनजाति पर शिक्षा के क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव –** आधुनिक संचार साधनों के प्रभाव से जनजाति समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। भारिया जनजाति समाज के लोग भी आधुनिक शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए हैं। जनजातिय लोगों को अनुभव हो रहा है कि यदि उनके बच्चे आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो आगे चलकर उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा का महत्व बढ़ा है। शासकीय छात्रावास एवं आश्रमों में पूर्व के

*शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
**सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, नरेला, भोपाल (म.प्र.) भारत

वर्षो की तुलना में भारिया समाज के छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- **भारिया जनजाति पर वस्त्र एवं आभूषणों पर पड़ने वाले प्रभाव –** भारिया जनजाति समाज आधुनिक जनसंचार साधनों के प्रभाव से नगरों के संपर्क में आ गया है, नगरों के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप इस जनजाति के लोगों के परंपरागत रूप से उपयोग में लाए जाने वाले वस्त्रों एवं आभूषणों पर आधुनिक वस्त्रों एवं आभूषणों का अधिक प्रभाव पड़ा है। अब ये लोग मिलों में तैयार किए गए आधुनिक वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे है। जनजाति वर्ग की महिलाएं अब सोना, चांदी एवं अन्य धातु से बने आभूषणों का प्रयोग भी करने लगी है। अतः कहा जा सकता है कि जनसंचार साधनों के प्रभाव से भारिया जनजाति समाज में आधुनिक शैली के वस्त्रों एवं आभूषणों का प्रचलन बढ़ा है।
- **भारिया जनजाति पर आवास एवं घरेलू उपकरणों पर पड़ने वाले प्रभाव –** भारिया जनजाति समाज के आवास एवं अनेक दैनिक उपयोग के उपकरण भी जनसंचार साधनों के उपयोग से प्रभावित हुए हैं। पूर्व में इस जनजाति के आवास कच्चे होते थे तथा बाँस, लकड़ी तथा घासपूस से बनाए जाते थे। सभी मकान एक ही शैली के होते थे। लेकिन अब जनसंचार माध्यमों के प्रभाव से आधुनिक शैली के मकान बनाने लगे है। शासकीय योजनाओं के प्रभाव से कुछ परिवारों के पक्के आवास तथा शौचालय का निर्माण हो गया है। आधुनिक ढंग के पक्के आवासों के प्रति भी लोग आकर्षित हुए है। घरेलू दैनिक उपकरणों की उपयोग की स्थिति में भी काफी परिवर्तन हुए है। भारिया आवासों में आधुनिक बर्तन एवं फर्नीचर देखे जा सकते हैं।
- **भारिया जनजाति पर खेल साम्रगी पर पड़ने वाले प्रभाव –** भारिया जनजाति समाज में जनसंचार के प्रभाव से आधुनिक खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। परिणामस्वरूप परंपरागत रूप से प्रचलित खेल सामग्री का स्थान आधुनिक खेल सामग्री ले रही है। स्कूल एवं टेलीविजन के प्रभाव से जनजाति समाज के लोगों में क्रिकेट, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, टेनिस तथा शतरंज के खेल का प्रचलन बढ़ा है। शालाओं में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भी भारिया समाज के बच्चे प्रतिभागी बनने लगे हैं।
- **भारिया जनजाति के धार्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव –** जनसंचार माध्यमों के प्रभाव से जनजाति समाज के धार्मिक विश्वास एवं अनुष्ठानों में परिवर्तन हुए है। भारिया समाज पहले प्रकृति पूजक था एवं आधुनिक तकनीक के प्रयोग से डरता था, लेकिन अब यहाँ हिन्दू धर्म के देवी–देवताओं पर आस्था रखते है। आधुनिक जनसंचार के प्रभाव से इस जनजाति में फैली धार्मिक कुरीतियाँ कम हुई है। इनमें बाल विवाह, भूत–प्रेत तथा जादू–टोने का प्रचलन कम हुआ है। पर्व एवं त्यौहारों को भी आधुनिक ढंग से मनाया जाने लगा है।
- **भारिया जनजाति के राजनीति जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव –** आधुनिक जनसंचार माध्यमों का प्रभाव भारिया जनजाति के परंपरागत राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा है। यहाँ समाज अपनी राजनीतिक समस्याओं का हल अपनी जनजाति पंचायत के माध्यम से करते थे। इस जनजाति पंचायत में जनजाति प्रधान, ग्राम प्रधान, वृद्धजन, पंच तथा आम लोग शामिल होते थे। आधुनिक जनसंचार माध्यमों के प्रभाव से भारिया समाज भी आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं में रूचि लेने लगे हैं। पंचायत राज संस्थाओं के लागू होने से जनजाति महिलाओं की भी राजनीति में भूमिका बढ़ी है। अतः कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों के प्रभाव से भारिया जनजाति की राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता में वृद्धि हुई है।
- **भारिया जनजाति पर जनजाति प्रवास से पड़ने वाले प्रभाव –** जनसंचार माध्यमों के प्रभाव से जनजाति प्रवास में वृद्धि हुई है। जनजाति अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप ये बाहरी मजदूरी पर निर्भर हो गए है। रोजगार एवं मजदूरी की खोज में जनजाति के लोग पातालकोट क्षेत्र से बाहर प्रवास कर रहे है।
- **भारिया जनजाति पर ऋणग्रस्तता पर पड़ने वाले प्रभाव –** जनसंचार साधनों के प्रभाव से भारिया जनजाति के लोगों में ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। पूर्व में ये लोग ऋण लेने से डरते थे, लेकिन अब ये साहूकारों एवं बैंकों से ऋण लेने लगे हैं। परिवार में बीमारी एवं सामाजिक कार्यक्रमों में होने वाले आकस्मिक व्ययों के लिये ऋण लेने का चलन बढ़ा है। आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के कारण इस समुदाय में व्यय की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी हुई है।

निष्कर्ष – भारिया एक आदिम जनजाति है, जो अपने दुर्गम निवास क्षेत्र 'पातालकोट' में निवास करती है। हाल ही के कुछ वर्षो पूर्व यह जनजाति आधुनिक समाज के संपर्क में आयी है। इस क्षेत्र में आधुनिक जनसंचार माध्यमों की पहुंच सुलभ हो गयी है, जो कि इस समुदाय को काफी प्रभावित कर रहे हैं। इन जनसंचार माध्यमों के प्रभाव इस समुदाय की समाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन परिवर्तित हो रहा है। एक ओर जहाँ इनमें शिक्षा स्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर नौकरी के लिए इनका इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है। इनकी आर्थिक उन्नति हो रही है तो ये लोग अपनी भाषा तथा संस्कृति को छोड़ते जा रहे है। पंचायत राज व्यवस्था आ जाने से इनकी जनजातीय पंचायत कमजोर हो गयी है। एक ओर जहाँ इनमें आधुनिक जीवन शैली का समावेश हुआ है, वही इनमें ऋणग्रस्ता बढ़ी है। अतः कहा जा सकता है कि भारिया जनजाति समाज पर आधुनिक जनसंचार माध्यमों के सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक प्रभाव हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. उपाध्याय, विजयशंकर तथा गया पाण्डेय (2002), 'जनजातीय विकास' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
2. दुबे एस.सी. (1982), 'मानव और संस्कृति' राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
3. तिवारी, षिवकुमार एवं श्रीमकल शर्मा (2009), 'मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
4. शर्मा, ब्रम्हदेव (1999), 'आदिवासी विकास एक सैद्धांतिक विवेचना' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
5. हसनैन, नदीम (2000), 'जनजातीय भारत' जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

आजीवन सजायाफ्ताओं के परिवारों के सामाजिक समस्या का अध्ययन - अलीराजपुर जिले के विशेष के संदर्भ

डॉ. सुधीर सक्सेना * नर्मदा भिंडे **

प्रस्तावना - मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसके द्धारा किया गया प्रत्येक कार्य सामाजिक कार्य कहलाता है, और समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना सामाजिक घटना कहलाती है चूँकि परिर्वतन प्राकृतिक का नियम है, समय के साथ-साथ समाज की बदला है।

समाज में होने वाली सामाजिक घटनाओं का भी रूप परिवर्तित हुआ है। सामाजिक जीवन-यापन का चक्र परिवर्तित होता है ऐसे बदलते सामाजिक स्वरूप में व्यक्तित्व सम्बन्धित प्रवृतियाँ भी बदलती नजर आती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्मण का प्रथम तत्व परिवार है जहाँ बच्चों जन्म पालन-पोषण सामाजिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व विकास होता है।

बच्चों के सामाजिक विकास की प्रक्रिया में परिवार अनिवार्य एव महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। परिवार उच्च आदर्श स्वास्थय एव मानसिकता वाले व्यक्तित्व का विकास करते है। दूसरी तरफ परिवार में पाए जाने वाले अस्वस्थ पारिवारिक सम्बन्ध माता-पिता के झगड़े अनैतिकता, तलाक, मत्यु ,विघटन ,पारिवारिक संरचना को प्रभावित करते हैं।

शोध समस्या का चयन - किसी भी प्रकार की शोध समस्या पर शोध कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक या अनेक प्रक्रियाएँ अपनायी जाती है।

अपराध एक गम्भीर समस्या नहीं है परन्तु सामाजिक दृष्टि से यह समस्या एक चिन्तनशील मानी सकती है। इसके साथ ही अध्ययन में अपराधियों के परिवारों की सामाजिक समस्याओं के सन्दर्भ में एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा जो किसी न किसी रूप में योजनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शोध अध्ययन के उद्देश्य -

1. आजीवन सजायाफ्ताओं के परिवारों की सामाजिक समस्या का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना -

1. आजीवन सजायाफ्ताओं के परिवारों की सामाजिक समस्या निर्मित हो रही है

शोध पद्धति - प्रस्तुत शोध कार्य पुरा करने के लिए प्राथमिक समंको का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत विषय में अलिराजपुर जिले के 25 आजीवन सजायाफ्ताओं के परिवारों से सम्पर्क कर साक्षात्कार, अवलोकन, व प्रश्नावली के माध्यम से समस्याओं का अध्ययन कर समंको का सकंलन किया गया।

सरणी क्रमांक 1

सजायाफ्ता परिवारों को समाज के लोगों द्धारा घृणा की दृष्टि से देखे जाने की समस्या-

क्र.	स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	170	85
2	नहीं	30	15
	योग	200	100

प्रस्तुत शोध अध्ययन में पाया की सर्वाधिक अपराधी परिवारों को समाज में हमेशा घृणा व ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें समाज में कोई सामाजिक कार्यक्रम व विवाह जैसे- सामाजिक गतिविधियों में नहीं बुलाते हैं। समाज के लोगों के मन मे एक धारणा बना लेते हैं, अपराधी व्यक्ति का परिवार भी अपराध करता हैं इसलिए समाज के लोग अपराधी के परिवार वालों से भी डरने लगते है। 15 प्रतिशत अपराधी परिवारों में कोई व्यक्ति जान-बुझकर नहीं करता है। ये तो किसी परिस्थिति वशं अपराध कर देते हैं। ऐसे परिवारो को समाज में लोग बुलाते है

सारणी क्र 2

आजीवन सजायाफ्ता के परिवारों की सामाजिक समस्या की स्थिति

क्र.	स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अनैतिक व्यवहार	23	35.38
2	दहेज प्रथा	22	33.85
3	समाज में बुलाना	15	23.08
4	अन्य	5	07.08
	योग	65	100

उपरोक्त तालिका क्रमांक दो से स्पष्ट है 23 (35.38) प्रतिशत अपराधी परिवारो में अनैतिक व्यवहार है 22 (33.85) परिवारों में दहेज प्रथा के लिए प्रताणित करते हैं और 15 (23.08) प्रतिशत परिवारों को समाज के लोग नहीं बुलाते हैं व 5 (07.08) प्रतिशत परिवार कुछ अन्य समस्याओं से ग्रसित रहते हैं

स्पष्ट है कि अधिकांश अपराधी के परिवारों से समाज के लोग अनैतिक व्यवहार करते हैं। उन परिवारों के प्रति नकारात्मक सोच रखते है। यही कारण से व्यक्ति फिर से अपराधी कार्य में लिप्त होने लगता है।

निष्कर्ष - उपयुक्त शोध के पश्चात् शोधकर्ता ने अन्तत: अध्ययन में पाया गया है कि आखिर वह कौन सी मन: स्थिति है, जो मानव अपनी क्षमता को ताक में रखकर असामाजिक कृत्य कर बैठता है और उन्हें आजीवन कारावास जैसी सजाएँ मिल जाती हैं और पुरी जिंदगी जेल में काटना पड़ता हैं जिस कारण से उनके परिवार के अन्य सदस्यों के सामने अनेक समस्याएँ आती हैं। जैसे-पारिवारिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याएँ इन समस्याओं के कारण परिवार विघटित हो जाता है और व्यक्ति फिर से अपराध जैसे कार्य

* सहायक प्राध्यापक श्री अटल बिहारी वाजपयी कॉलेज, इन्दौर (म. प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) इन्दौर क्रिश्चियन कॉलेज, इन्दौर (म. प्र.) भारत

करने लगता हैं।

सुझाव –

1. ग्रामीण समाज में शिक्षा का प्रसार किया जाए एवं यह शिक्षा उनेक व्यवहारिक जीवन से सम्बन्धित हो एवं कौशल विकास एवं बाजार का विकास किया जाए।
2. अपराधी व्यक्ति की प्रकृति बदलना एवं उनको सांस्कृतिक परिवेश में लाकर नैतिक मुल्यों में वृद्धि कर अनेक परिवारों को सुधार कर अपने समाज को सभ्य सशिक्षित स्वरूप दे सके व उनकी उन्नति में सहयोग देकर परिवार को विघटन से बचाए।
3. समाज में उन परिस्थितियों से होने वाले अपराधों के प्रकारों का अध्ययन कर उन सामाजिक परम्पराओं को कम या खत्म किया जा सकता हैं जो व्यक्ति को अपराध के लिए अग्रसर करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ – महाजन व महाजन।
2. अपराधशास्त्र – डॉ.डी.एस. बघेल।
3. सामाजिक समस्याएँ – राम आहुजा।
4. भारतीय सामाजिक समस्याए, मुखर्जी।

****

Land Use And Cropping Pattern In Bhiwani District

Vinod Kumar *

Abstract - Agriculture plays a very important role in the economic development of the country where 70 percent of the population is directly or indirectly depends on agriculture geographical studies particularly relevant to agricultural geography. The growth of population leads to change in land use and cropping pattern. This paper an attempt is made to analysis the changes in land use and cropping pattern of Bhiwani district. In the last two decades (2005-06 and 2014-15) the scenario of land use and cropping pattern in the district were drastic change because of population growth. In 2005-06 out of the total agriculture area 57.27 percent of agriculture land was under food crops, but in 2014-15 the food crops cultivated area were decrease to 48.63 percent and area under non-food crops in 2005-06 is 42.73 percent and it increase up to 51.37 percent in 2014-15, because agriculture trend change towards the food crops to cash crops. The cropping pattern of the district has changed towards commercialization due to increase in irrigation facilities, transport, communication, market facilities etc. The diversified nature of land use pattern and cropping pattern of the Bhiwani district has decreased the cropping intensity of the land.
Key Words - Agriculture, Land use, Cropping pattern, Crop intensity.

Introduction - Agriculture plays a very important role in the economic development of the country where 70% of population is directly or indirectly depends on agriculture for their survival. Land is the important natural resource, which support evolution and development of all types of life on land. Land use especially affected by natural and human factors. So, the uses of land have been increasing as the science and technology increase. The developing countries need improve the exploitation of land resource to achieve the maximum output crop and the productive capacity of the land. Land use and cropping pattern is an important aspect of geographical studies particularly relevant to agricultural geography. Given the fixed amount of land available on the earth and the simultaneous increases in population and the pressure on land has been increasing tremendously that's why the leads to change in land use and cropping pattern during 10 years. In this paper an attempt is made to analyses the change in the land use and cropping pattern during last two decades 2005-06 and 2014-15 in Bhiwani district.

Objective - This paper aims to evaluate changing land use, agriculture cropping pattern and crop intensity and to examine land use change in Bhiwani district during the 2005-06 and 2014-15.

Database and methodology- The secondary data have been collected from socio-economic abstract of Bhiwani district for 2005-06 and 2014-15 to analyses the land use and cropping pattern. Simple statistical techniques (percentage and average) are used to analyses the changing trend in cropping pattern and crop intensity.

$$\text{Crop intensity} = \frac{\text{Gross cropped area}}{\text{Net sown area}} \times 100$$

Study area - The study is conducted in Bhiwani district Haryana. Located between 28^0-19' to 29^0-15' North latitudes and 75^0-28' to 76^0-28' East longitudes. The area is bounded in the North by Hisar district in the East by Rohtak District, in the south by Mohindergarh of Haryana and Jhunjhunu district of Rajasthan and in the west by Churu district of Rajasthan.

Figure : 1. Location map of study area (See in the last page)

Land utilization pattern- According to 2005-06 the district as a whole had 84.72 percent of its area under cultivation, but scenario was changed in 2014-15, in the study area about 85.82 percent of the area under cultivation. In this decade the agriculture area that is net sown area was increased to 1.10 percent because decrease fallow 5.23 percent to 2.59 percent and total non-cultivable land excluding follow land increase to 0.00 to 0.78 percent. It has been noticed that the increased in the irrigation leads to increase the area sown more than once i.e. 85.44 percent in 2005-06 to 84.78 in 2014-15. The total area under forest in the study area is 0.57 percent 2005-06 and decreased to 0.44 percent 2014-15.

Table -1- **(See in the last page)**

Changing pattern of agricultural land use - In order to study the changes in agricultural land use pattern in Bhiwani district compared the land use data of 2005-06 and 2014-15(table-1). Area put for non-agriculture use, Barren &

***Asst. Professor (Geography) Govt. College, Loharu, Bhiwani (Haryana) INDIA**

uncultivable land, Net sown area, Total non-cultivable land excluding follow land all these showed increasing trend. Some categories showed decreasing trend in Forest (0.13 percent), fallow land (2.63 percent), Area more than once (0.66) area are decreased. The total net sown area had increased to (1.10 percent) (2005-06 & 2014-15) in 10 year period.

Cropping Pattern - The major crops in Bhiwani can be divided into three categories. Food grains (Ric, Wheat, Bajra, Maize, Jowar, Barley), Cash crops (Cottan, Sugarcane and oilseeds), and horticulture crops such as fruits and vegetables. Total agriculture area of the district about 386167 hectares (48.63 percent) of agriculture area is devoted to food crops and remaining 407964 (51.37 percent) of land is under non-food crops.

Changes in Cropping pattern - Over a decade increase in net sown area was affected on changing cropping pattern in Bhiwani district. The proportion of area under food crops, decline 57.27 & 48.63 percent. While the area under non-food increased from 42.73 & 51.37 percent. However, actual area under food crops has net decreased by (8.65) percent and non-food crops in the district have increased by 8.65 percent. It indicates that, the growth in area under total food crops could not keep pace with the growth of gross cropped area (+0.44). The total area under cereals decreased 45.68 to 42.56 percent and the total pluses decreased 11.14 to 5.30 percent from 2005-06 & 2014-15.

Table no. 2 - Cropping pattern in Bhiwani district (See in the next page)

Chart- 1 (See in the next page)

Intensity of Cropping - Intensity of cropping depends upon water supply climate, soil, favorable climate, growing population facilities that hinder the cropping intensity, but where the irrigation facilities are more the cropping intensity is high. The net sown area has decreased from 85.44 to 84.78 percent in 2005-06 to 2014-15.

Conclusion and Recommendations - The increase population, the pressure on land to cause diversified nature of land use pattern and cropping pattern of the Bhiwani district has decreased the cropping intensity of the land. The cropping pattern of the district has changed towards commercialization due to increase in irrigation facilities, transport, communication, market facilities etc. In present scenario the study region needs to adaptation of forestation, changing in the cropping pattern, rural communications, development of farmers and labourers. Hence, to promote agriculture development and restore the ecological balance in the district.

References :-

1. Jainndra Kumar (1986) " Land Use Analysis-A Case Study of Nalanda District Bihar. Inter- India Publication, New Delhi.
2. Vinod Kumar " Land use and Cropping Pattern in Jaisalmer District. *International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR) Volume 5, Issue 4, April 2016.*
3. R.P. Singh (1967) "Concept of Landuse", Patna University Journal, Vol.22, pg.52-62.
4. R.V. Hajare " Land use and Cropping pattern", Online International Interdisciplinary Research Journal, (ISSN 2249-9598), Vol-IV, Jan 2014.
5. Majjid Hussain (1999) "Systematic Agricultural Geography", Rawat Publication, New Delhi.
6. Socio –Economic Review and Statistical Abstract of Bhiwani District, (2005-06).
7. Socio –Economic Review and Statistical Abstract of Bhiwani District, (2014-15).

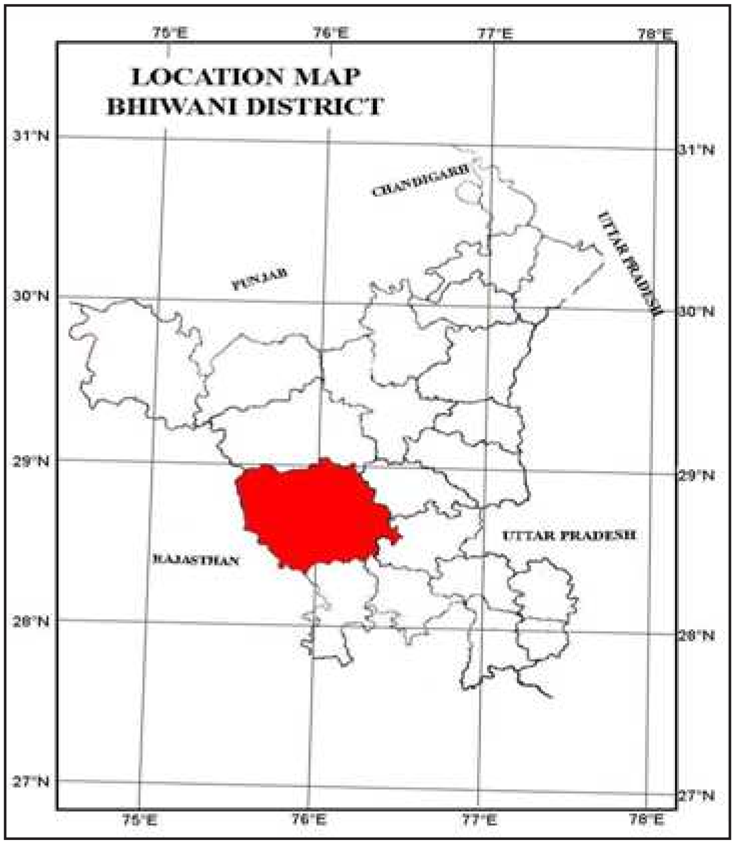

Table -1 - Land utilization pattern in Bhiwani district. (Note - area in hectares)

Land Utilization pattern	2005-06		2014-15		Percentage (increase /Decrease)
	Area	Percent	Area	Percent	
Total Geographical area	465504	100	465504	100	0
Total reported area for the land utilization	465504	100	465504	100	0
Forest	2648	0.57	2037	0.44	-0.13
Not available for cultivation 1) Area put for Non-agricultural use	23730 5.10	27379	5.88	0.78	
2) Barren & uncultivable land	20425 4.39	20905	4.49	0.10	
Total Non-cultivable land excluding follow land	0	0.00	3615	0.78	0.78
Fallow land	24333	5.23	12074	2.59	-2.63
Net sown area	394368	54.72	399494	85.82	1.10
Area sown more than once	397731	85.44	394637	84.78	-0.66
Gross cropped area	792099	170.16	794131	170.60	0.44

Source - Socio - Economic abstract of Bhiwani district,(2005-06 & 2014-15).

Table No. 2 - Cropping pattern in Bhiwani district.

	2005-06		2014-15		Percentage difference (increase/decrease)
	Cropped area (in hectares)	Percentage to gross cropped area	Cropped area (in hectares)	Percentage to gross cropped area	
Rice	12526	1.58	21055	2.65	1.07
Jowar	3155	0.40	2294	0.29	-0.11
Bajra	222539	28.09	83699	10.54	-17.56
Maize	74	0.01	29	0.00	-0.01
Wheat	118627	14.98	219570	27.65	12.67
Barley	4900	0.62	11335	1.43	0.81
Total cereals	361821	45.68	337982	42.56	-3.12
Total pulses	88260	11.14	42065	5.30	-5.85
Total food grains	450081	56.82	380047	47.86	-8.96
Total food crops	453656	57.27	386167	48.63	-8-65
Total oilseeds	180655	22.81	132603	16.70	-6.11
Sugarcane	1668	0.21	2192	0.28	0.07
cotton	60491	7.64	96341	12.13	4.49
Total Fruits & vegetables	629	0.08	2815	0.35	0.28
Total Non-food	338443	42.73	407964	51.37	8.65
	792099	100.00	794131	100	

Source : Socio-Economic abstract of Bhiwani district,(2005-06 & 2014-15).

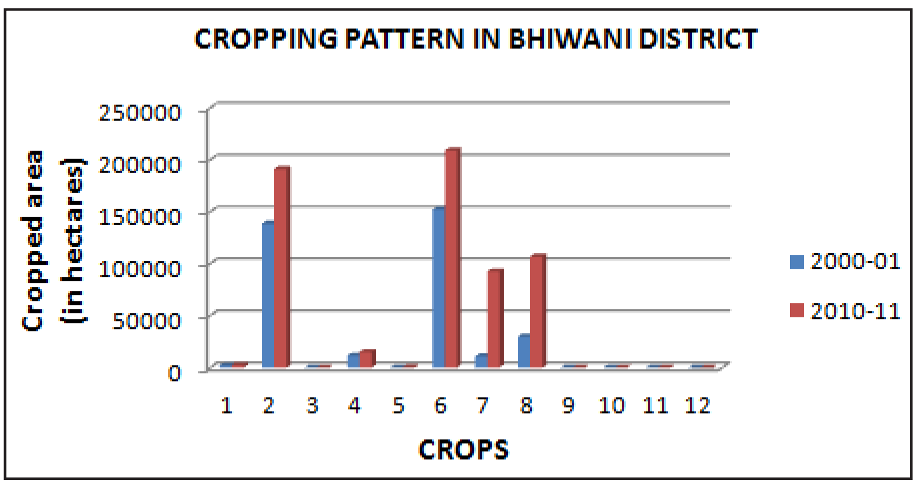

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

सागर जिले में कृषि नवाचार अधिग्रहण का भूमि उपयोग प्रतिरूप पर प्रभाव

भावना पटेल *

प्रस्तावना – भूमि उपयोग प्रतिरूप किसी भी क्षेत्र में भूमि का विभिन्न कार्यों में उपयोग को प्रदर्शित करता है, विस्तृत क्षेत्र में भूमि किस प्रयोजन हेतु प्रयोग की जा रही है। भूमि उपयोग को प्राकृतिक व मानवीय कारक दोनों ही प्रभावित करते है तथा वह परिवर्तनशील भी है। भूमि उपयोग के अन्तर्गत कृषि भूमि के अन्तर्गत एक बहुत बड़ा भाग आता है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जनसंख्या की खाद्य पूर्ति तथा अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आधुनिक कृषि नवाचार में उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक व जैविक खाद के सिंचाई साधनों में वृद्धि, आधुनिक कृषि यन्त्रों के उपयोग से कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ शस्य प्रतिरूप तथा भूमि उपयोग प्रतिरूप में भी परिवर्तन आया है।

अध्ययन क्षेत्र – सागर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर-मध्य भाग में स्थित है। यह 23°10' और 24°27' उत्तर अक्षांश और 78°14' और 79°21' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस प्रकार वास्तव में यह देश के मध्य भाग में स्थित है। इस जिले के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है।

इस जिले का कुल क्षेत्रफल 10239 वर्ग किलोमीटर है और इसका आकार स्थल रूप में एक त्रिभुज की तरह है जिसका शीर्ष बिन्दु दक्षिण में है और आधार उत्तर में। जिले का अधिकतम विस्तार दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर है और वह लगभग 105 मील (168.79 किलोमीटर) है, जबकि त्रिभुज के आधार की लंबाई 75 मील (120.70 किलोमीटर) है।

अध्ययन का उद्देश्य – इस शोध पत्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सागर जिले में 1990-91 से 2013-14 की अवधि में कृषिगत नवाचारों के अधिग्रहण के फलस्वरूप भूमि उपयोग के क्षेत्रीय प्रतिरूप में आए परिवर्तन को जानना है। इस शोध पत्र के अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं-

1. इस अवधि में आधुनिक कृषि नवाचारों के उपयोग में आए परिवर्तन को जानना।
2. जिले में वर्तमान भूमि उपयोग प्रतिरूप को जानना।
3. 1990-91 से 2013-14 की अवधि में सागर जिले में निरा बोया क्षेत्र एवं द्वि-फसलीय क्षेत्र में आए परिवर्तन को जानना।
4. कृषिगत नवाचारों के फलस्वरूप भूमि उपयोग में आए परिवर्तन को जानना।

विधि तन्त्र – प्रस्तुत शोध पत्र हेतु द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन जिला सांख्यिकीय पुस्तिका सागर, सागर गजेटियर से किया गया है। इस शोध पत्र हेतु सागर जिले के 1990-91 से 2013-14 तक के आँकड़ों का उपयोग किया गया है, ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। आँकड़ों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रण तकनीक का उपयोग किया गया है।

सागर जिले में कृषि नवाचार – कृषि नवाचार का आशय है, कृषि में परम्परागत साधनों के स्थान पर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना। आधुनिक कृषि तकनीक अर्थात् उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशकों को उपयोग करना। उन्नत सिंचाई सुविधाओं तथा आधुनिक कृषि यन्त्रों का उपयोग करके कृषि हेतु अनुपयुक्त क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाकर कृषि क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। सागर जिले में 1990-91 से 2013-14 में कृषि नवाचारों के उपयोग को इस शोध पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

उन्नत कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र एवं मात्रा – उन्नत कृषि के अन्तर्गत उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि को सम्मिलित किया जाता है। विगत कुछ वर्षों में जिले में उन्नत तकनीकों के उपयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसे निम्न तालिका 1 द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

तालिका 1

सागर जिला - उन्नत कृषि के अंतर्गत क्षेत्र एवं मात्रा 2013-14

आधुनिक निवेश	क्षेत्र (हे.)	मात्रा (मीट्रिक टन)
उन्नत बीज	33200	1489
रासायनिक खाद	-	42110
पौध संरक्षण	50800	206
बीजोपचार	55260	139
तरल दवा (ली.में)	-	35700

स्त्रोत - जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, सागर, 2015-26

सागर जिले में 2015-16 में उन्नत बीजों के अंतर्गत 33200 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें 1489 मैट्रिक टन उन्नत बीजों का उपयोग किया गया है। सागर जिले में 42110 मीट्रिक टन रासायनिक खादों का उपयोग किया गया। पौध संरक्षण के अंतर्गत 50800 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें 206 मीट्रिक टन रासायनिक खादों का उपयोग किया गया। 55260 हेक्टेयर भूमि पर बीजोपचार किया गया जिसमें बीजोपचार की मात्रा 139 मी. टन है। अध्ययन क्षेत्र में 35700 ली. तरल दवा का उपयोग किया गया।

सिंचाई – आधुनिक कृषि नवाचारों में सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सिंचाई पर ही अन्य सभी तत्व निर्भर करते हैं। सिंचाई कृषि विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सिंचाई द्वारा बंजर व पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। जिले में सिंचाई सुविधाओं व सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होने से जिले में बंजर भूमि व पड़ती भूमि में कमी आने से कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई है। जिले के सिंचित क्षेत्र में आए परिवर्तन को तालिका क्र.2 में प्रदर्शित किया जा रहा है।

* शोधार्थी (भूगोल) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

तालिका 2

सागर जिला - सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन 1990-91 से 2013-14

सन	कुल सिंचित क्षेत्र (हेक्ट.)	प्रतिशत
1991-91	74943	13.35
2000-01	161051	24.75
2010-11	241056	32.74
2013-14	334129	41.67

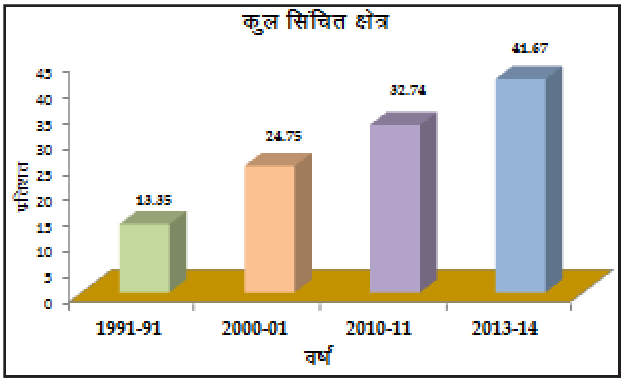

आरेख - क्र. 1 सागर जिला : सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन 1990-91 से 2013-14

उपरोक्त तालिकानुसार 1990-91 में सागर जिले में सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत 74943 हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2000-01 में 161051 हेक्टेयर, 2010-11 में 241056 हेक्टेयर तथा 2013-14 में 334129 हेक्टेयर हो गया, इस अवधि में सिंचित क्षेत्र में 345.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। मशीनीकरण जिले में आधुनिक कृषि नवाचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधुनिक कृषि यन्त्र है। जिले की कृषि में ट्रेक्टर, विद्युत पम्प, डीजल पम्प, हार्वेस्टर जैसे कृषि यन्त्रों का उपयोग बढ़ा है। आधुनिक कृषि यन्त्रों के उपयोग से कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्रों को उपजाऊ तथा समतल बनाकर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। विगत 33 वर्षों में जिले में आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा परम्परागत कृषि उपकरणों के उपयोग में कमी आ रही है। जिले में कृषि यंत्रों की उपलब्धता को तालिका क्र.3 में दिखाया गया है।

तालिका 3 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिकानुसार जिले में कृषि यन्त्रों की उपलब्धता में काफी परिवर्तन आया है। पुराने कृषि यन्त्र जैसे बैलगाड़ी, लकड़ी हल आदि की संख्या में कमी आई है तथा आधुनिक कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर, विद्युत पम्प तथा डीजल पम्पों की संख्या में वृद्धि हुई हैं। 1990-91 से 2013-14 की अवधि में बैलगाड़ी की संख्या में 66.54 प्रतिशत तथा हलों की संख्या में 53.51 प्रतिशत की कमी आयी है। इसी अवधि में डीजल पम्पों की संख्या में 109.36 प्रतिशत, विद्युत पम्पों की संख्या में 416.86 प्रतिशत तथा ट्रेक्टरों की संख्या में 280.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका सीधा प्रभाव कृषि विकास पर पड़ा है।

आधुनिक कृषि नवाचारों का भूमि उपयोग प्रतिरूप पर प्रभाव - आधुनिक कृषि नवाचारों का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि विकास के रूप में दिखाई देता है। इससे उत्पादन व उपजदर में वृद्धि होती है। कृषिगत नवाचार से कृषि विकास के साथ-साथ भूमि उपयोग प्रतिरूप भी प्रभावित हुआ है। जिले में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए परिवर्तन को तालिका 4. द्वारा समझा जा सकता है।

तालिका 4 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिकानुसार 1990-91 से 2013-14 की अवधि में वन क्षेत्र में 6.79 प्रतिशत की कमी आई है, 1990-91 में वन क्षेत्र के अन्तर्गत 291.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र था, जो 2013-14 में घटकर 271.7 हजार हेक्टेयर हो गया। वन क्षेत्र में कमी का प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति तथा कृषि भूमि विस्तार है।

निराबोया क्षेत्र 1990-91 में 518.4 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में 540.7 हजार हेक्टेयर हो गया, इस अवधि में निरा बोया क्षेत्र में 4.30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है। इसी तरह द्विफसलीय क्षेत्र भी 1990-91 में 42.9 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में 261.1 हजार हेक्टेयर हो गया है, इस क्षेत्र में 508.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथ कुल फसल क्षेत्र में 42.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना तथा आधुनिक कृषिगत निवेशों के कारण बंजर व पड़ती भूमि का उपजाऊ बनना है।

इसी अवधि में अन्य अकृष्य भूमि तथा कृषि योग्य भूमि में क्रमश: 14.90 प्रतिशत तथा 49.10 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अन्तर्गत जो अनुपजाऊ भूमि थी, उसको आधुनिक कृषि यन्त्रों व सिंचाई साधनों के उपयोग से उर्वर बनाया जा सका है।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध पत्र में सागर जिले में कृषि नवाचार अधिग्रहण का भूमि उपयोग पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाने से क्षेत्रीय भूमि उपयोग में काफी परिवर्तन देखा गया। जिले में वन क्षेत्र में कमी आई, इसका मुख्य कारण जनसंख्या की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति तथा कृषि भूमि का विस्तार होना हैं।

कृषि में सिंचाई सुविधाओं के विकास से 1990-91 से 2013-14 की अवधि में निराबोया क्षेत्र में 4.30 प्रतिशत था द्वि-फसलीय क्षेत्र में 508.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। इसी प्रकार आधुनिक कृषि यन्त्रों के बढ़ते उपयोग से बेकार पड़ी अनुपजाऊ भूमि को समतल कर व जोतकर कृषि योग्य बनाया जा सका फलस्वरूप अन्य अकृष्य भूमि में 14.90 प्रतिशत कमी आई है। इसी अवधि में अधिक रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग के बढ़ने से पड़ती भूमि में 15.38 प्रतिशत की वृद्धि भी देखी गयी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गजेटियर (1970) - भारतीय गजेटियर, सागर (म.प्र.)
2. गर्ग, दीपाली (2009) - सामाजिक आर्थिक नियामक एवं कृषि विकास - सागर जिले (म.प्र.) का अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
3. गर्ग, वैशाली (2007) - सागर जिले में सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं कृषि पर प्रभाव, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर।
4. पटेल, भावना (2009) - कृषि पर हरित क्रांति का प्रभाव - सागर जिले (म.प्र.) का अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
5. शर्मा, श्रीकमल (2005) - कृषि भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल (म.प्र.)
6. Bhargava, Archana (1985) - Resources planing for

Economic Development of Sagar Division, Unpublished Ph.D. Thesis of Dr. H.S. Gour University, Sagar (M.P.)

7. Jain, C.K. (1992) : Adoption Modern form Technology in Madhya Pradesh in Mohammed N. (ed.) New Dimensions in Agricultural Geography, Concept Publishing Company New Delhi, Vol.6, pp.163-184.
8. Jain, C.K. (2007) : Increasing Pressure of Population and Change in Landuse in Madhya Pradesh, Geographical Review of India.
9. Mohammad, N.A. (1978) : Agricultural Landuse in India, Inter India Publications, Delhi.
10. Vishwakarma, D.D. (2003) : Adoption of Agricultural Development Measures, Northern Book Center, New Delhi.

तालिका 3

सागर जिला – कृषि यंत्रों की उपलब्धता 1990–91 से 2013–14

कृषि यंत्र	1990–91	2000–01	2010–11	2013–14	परिवर्तन वृद्धि
बैलगाड़ी	61148	38320	36557	20461	–66.54
हल	108086	95557	84593	50248	–53.51
डीजल पम्प	12597	14894	25315	26373	+109.36
विद्युत पम्प	12259	37680	50550	63362	+416.86
ट्रेक्टर्स	4059	9158	13551	15445	+280.51

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, सागर।

तालिका 4

सागर जिला – भूमि उपयोग में परिवर्तन 1990–91–2013–14

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

भूमि उपयोग	1990–91		2000–01		2010–11		2013–14		प्रतिशत वृद्धि
	क्षेत्र.	प्रति.	क्षेत्र.	प्रति.	क्षेत्र.	प्रति.	क्षेत्र.	प्रति.	
वन क्षेत्र	291.5	28.52	295.6	28.91	272.2	26.62	271.7	26.57	–6.79
कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	63.6	6.22	158.6	15.50	65.8	6.43	81.9	8.01	+28.77
अन्य अकृष्य भूमि	107.4	10.51	–	–	114.4	11.19	91.4	8.94	–14.90
कृषि योग्य भूमि	16.7	1.63	15.6	1.52	10.1	0.98	8.5	0.53	–49.10
पड़ती भूमि	24.7	2.42	30.7	3.01	22.8	2.23	28.5	2.79	+15.32
निरा बोया क्षेत्र	518.4	50.70	522.1	51.06	537.4	52.55	540.7	52.87	+4.30
द्वि फसलीय क्षेत्र	42.9	7.64	128.5	19.75	198.8	19.44	261.1	25.53	+508.62
कुल फसल क्षेत्र	561.3	54.89	650.7	63.62	736.3	71.99	801.8	78.40	42.85
कुल भौगोलिक क्षेत्र	1022.5	100.0	1022.7	100.0	1022.7	100.0	1022.7	100.0	

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, सागर।

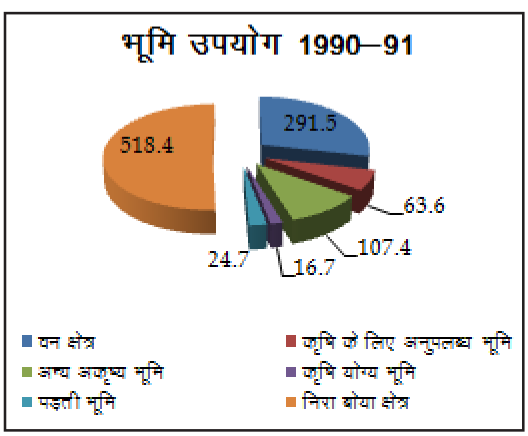

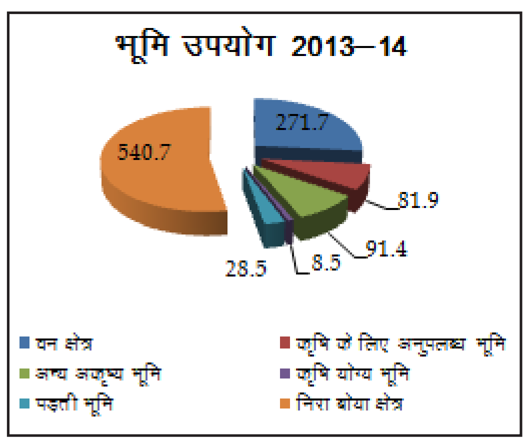

****

बालाघाट जिला कृषि विकास में यंत्रीकरण व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एवं उसका कृषि उत्पादकता पर प्रभाव - एक भौगोलिक अध्ययन

श्वेता हिरकने *

प्रस्तावना – आधुनिक युग में गहन खेती होने के कारण विभिन्न जैविक उर्वरकों फसलों को आवश्यक पोषक तत्व पाने में समर्थ नहीं होती। पौधों में 17 ऐसे भोज्य तत्व है। जिन्हें पौधे मिट्टी से प्राप्त करते है। जैविक उर्वरक इन तत्वों को विशेष कर नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश को पूर्णतया प्रदान करने में समर्थ नहीं है। जैविक खादे प्रति वर्ष की फसल के कारण भूमि से ह्रास होने वाले उर्वरक तत्वों को पूरा नहीं कर पाती है, दूसरी और पशुओं की खादें अथवा अनय जैविक उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश का अनुकूलतम मिश्रण नहीं होता है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर इन तत्वों की कमी को पूरा किया जाए अर्थात भूमि की उर्वरता तभी कायम रह सकती है। जबकि ह्रास होने वाले सभी तत्वों की पूर्ति की जाए।

'कृषि फसलों के उत्पादन या उपज में होने वाली वृद्धि को कृषि विकास कहा जाता है। कृषि विकास में फसलों की उपज या उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाईयाँ, सिंचाई, की व्यवस्था पशु शक्ति एवं उत्पादन के नवीनतम तकनीक की उपलब्धता में प्रयोग निर्भर है। जिससे वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।'

कृषि उत्पादकता का अर्थ – कृषि उत्पादकता का अर्थ प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति उत्पादन-मूल्य का मुद्रा में प्रदर्शित करने से होता है। पहला उत्पादकता का मापक भौतिक इकाई से है, जो भूमि उत्पादकता कहलाती है। दूसरा मौद्रिक इकाई में जो भूमि उत्पादकता कहलाती है। दूसरा मौद्रिक इकाई में जो श्रम उत्पादकता होती है। और तीसरी प्रति पूंजी इकाई की लागत पर उत्पादन, पूँजी उत्पादकता को बनता है। पहले मापक से विभिन्न फसलों की उत्पादकता की तुलना एक क्षेत्र में नहीं की जा सकती है। बल्कि यह मापक विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता की तुलना के लिए उपयुक्त है। जबकि दूसरा मापक विभिन्न फसलों या अन्य इसमें सभी उत्पादन मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर लिखे जाते है। कृषि उत्पादकता तथा भूमि उर्वरकता दोनों शब्द बिल्कुल ही भिन्न है। भूमि उर्वरकता से अर्थ किसी विशेष भूमि में उत्पादक तत्वों के होने से होता है कि ये तत्व उक्त भूमि में कितनी मात्रा में है। जिससे भूमि के उर्वरा शक्ति का पता चलता है।

अध्ययन क्षेत्र – भौगोलिक दृष्टि से बालाघाट जिला सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला से घिरा समुद्र सतह से 330 मीटर से अधिक ऊँचाई पर बसा है, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाऐं उत्तर-पूर्व की ओर अधिक ऊँची है। जो पश्चिम दिशा की ओर कम होती जाती है। जिले का कुल क्षेत्रफल 9245 वर्ग किलोमीटर है। बालाघाट जिला मध्यप्रदेश राज्य के दक्षिण भाग में $21^{0}19'$ से $22^{0}24'$ उत्तरी अक्षांश तथा $79^{0}39'$ से $81^{0}03'$ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।

मानचित्र क्रमांक 1
भारत में बालाघाट की स्थिति

बालाघाट जिला कृषि प्रधान जिला है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य भी है। बालाघाट जिले का एक-चौथाई से अधिक भू-भाग पहाड़ी एवं वनों से अच्छादित है तथा विषम धरातल वाला जिला है। जिले में भूमि का कुल क्षेत्रफल 9245 वर्ग किलोमीटर है व शुद्ध सिंचित क्षेत्र 123460 वर्ग हेक्टेयर है तथा जिसका कुल सिंचित क्षेत्र 145061

अध्ययन के उद्देश्य –

1. जिले में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग में क्षेत्रीय विषमता का अवलोकन करना।
2. जिले के कृषि विकास में रासायनिक उर्वरक उपभोग का अनुमान लगाना।
3. जिले में उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि को आकलन करना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्त्रोतों एवं द्वितीयक आकड़ों का सकंलन किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतों के अंतर्गत साक्षात्कार एवं अवलोकन प्राविधियों का प्रयोग किया गया है।

समंक-संलकन – समंको के संकलन हेतु वार्षिक प्रविवेदन, पत्र-पत्रिकाएँ, शासकीय कार्यालयों के प्रतिवेदन एवं जिला सांख्यिकीय कार्यालय व भू-अधिक्षक जिला कार्यालय के प्रतिवेदन आदि का प्रयोग किया गया है।

जिले में उर्वरकों के प्रयोग एवं उत्पादकता में वृद्धि – कृषि विकास में यंत्रीकरण (कृषि तकनीकि) का तात्पर्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाले तत्वों से है। जिससे भूमि की उर्वराशक्ति बढ़े एवं फसल का उत्पादन प्रभावित हो। कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत उन सभी आधुनिक एवं पुरातन तत्वों को समाहित

***शोधार्थी (भूगोल) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत**

किया जाता है। जिससे किसान को फसल उत्पादन में होने वाली असामयिक क्षति को रोका जा सके। इसके अंतर्गत उपयुक्त बीजों का विकास, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली विधियाँ, पौध संरक्षण विधियों, बीजोपचार विधियाँ इत्यादि सम्मिलित है। इन तकनीकियों एवं विधियों के कारण उपलब्ध परिस्थितिकिय के अनुरूप फसलों एवं पशुओं की नस्लों का विकास किया गया है। जो कदाचित पहले प्राकृतिक बाँधाओं के कारण कृषि के लिए लाभप्रद नहीं समझे जाते थे।

जिले की कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था में है। विषम धरातल वाले क्षेत्रों में आज भी प्राचीन विधियों (यंत्रों) का प्रयोग कृषि में किया जा रहा हैं जिसमें बैलों से जुताई, हंसियाँ, कुल्हाड़ी, फावड़ा, खुरपी, गोबर खाद तथा पशुधन आगतों का प्रयोग किया जाता है। जिससे कि कृषि विकास में उत्पादकता का स्वरूप निम्न स्तर का है।

तालिका क्रमांक-1**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट होता है कि जिले में कृषक रासायनिक उर्वरकों के ही साथ गोबर की खाद का भी प्रयोग बहुतायत से करते है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ। कि 42.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को बताया, जबकि 44.02 प्रतिशत उत्तरदाता ही जैविक तथा केचुआँ खाद के उपयोग में अपनी सहमती व्यक्त की। सर्वाधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग वरासिवनी एवं लालबर्रा विकासखण्डों के किसान करते प्राप्त हुए, दोनों ही विकासखण्डों में क्रमश: 68.33 एवं 60.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया, जबकि गोबर की खाद का उपयोग परसवाड़ा, बैहर एवं बिरसा विकासखण्डों में किया जाता है। इन विकासखण्डों में क्रमश: 69.10 64.68 एवं 58.33 प्रतिशत उत्तरदाता गोबर की खाद का उपयोग कर रहे है।

तालिका क्रमांक-2 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट होता हैं कि जिले में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गई है-

1. वर्ष 1980-81 में जिले में 2211.63 टन रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया, जो वर्ष 1990-81 में बढ़कर 5906.56 टन हो गया। इस प्रकार विगत 10 वर्षो में उर्वरको के प्रयोग में 167.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में 101828 हेक्टेयर भूमि पर उर्वरकों का प्रयोग किया गया। जिसका क्षेत्रफल बढ़कर वर्ष 1990-91 में 208388 हेक्टेयर भूमि हो गया। इस प्रकार विगत 10 वर्षो में 104.64 प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में 2.17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जिले में किया जा रहा था। जो वर्ष 1990-91 में बढ़कर 2.83 हो गया। इस प्रकार विगत 10 वर्षो में 30.41 प्रतिशत किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बढ़ा।
2. वर्ष 1990-91 में जिले में लगभग 5906.56 टन विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया गया। जिसकी मात्रा बढ़कर वर्ष 2001 में 10067.75 टन हो गयी। इस प्रकार विगत 10 वर्षो में रासायनिक खादों के उपयोग में 70.45 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई। वर्ष 1990-91 में 208388 हेक्टेयर भूमि पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। जबकि वर्ष 2000-01 में 267852 हेक्टयर भूमि पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार वर्ष 1991-2001 के मध्य 1185.40 प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। वर्ष 1990-91 में 2.83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जिले में किया जा रहा था, जिसकी मात्रा बढ़कर वर्ष 2001 में 70.45 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर हो गयी।

समस्याऍं - प्रस्तुत शोध पत्रक की निम्नलिखित समस्याएँ है:-

1. कृषकों में शिक्षा का अभाव
2. दोषपूर्ण भू-स्वामित्व व्यवस्था
3. कृषकों का भाग्यवादी एवं अप्रगतिशील दृष्टिकोण
4. खाद एवं उर्वरकों का समय पर प्राप्त न होना
5. आधुनिक कृषि यंत्रों एवं उपकरणो का अभाव
6. जिले में यातायात एवं संचार सुविधाओं का अभाव

सुझाव - कृषि की उत्पादकता को एक अपेक्षित स्तर तक बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने की सम्भावनाएं बड़ी सीमा तक समाप्त हो चुकी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल यही उपाय रह गया है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाया जाए कृषक को रासायनिक उर्वरकों का उपभोग करते समय सर्वप्रथम मृदा की जांच करना आवश्यक है मृदा (मिट्टी) में जिस पोषक तत्व की कमी पाई जाए उस पोषक तत्व का इस्तेमाल कृषक करें जो कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष - बालाघाट जिला कृषि प्रधान जिला होने के साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल्य जिला भी है। जो कि परम्परागत कृषि तकनीकियों एवं विधियों को अपनाये हुए है। वारासिवनी, लालबर्रा, कटंगी एवं लांजी विकासखण्डो में कृषि उन्न्त अवस्था में प्राप्त होती है। अधिक उन्नत एवं अधिक उत्पादकता होने का कारण किसानो द्धारा गोबर खाद, कम्पोस्ट खाद, जैविक खाद, के प्रयोग के साथ ही साथ यूरिया, पोटाश, नाईट्रोजन, फासफोरस आदि मिश्रित अनेको रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाना है। वही दूसरी ओर बैंहर, बिरसा एवं परसवाड़ा विकाखण्डों में उत्पादकता का स्तर निम्न पाया जाता है। निम्न उत्पादकता का कारण विषम धरातल होने के साथ ही साथ कृषकों का जागरूक न होना तथा शिक्षा का निम्न स्तर मुख्य है जो कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम मात्रा में करते है।

संदर्भ ग्रथं सूची :-

1. श्रीवास्तव, डॉ. दया शंकर (1993) - कृषि के परिवर्तनशील प्रतिरूपों का भौगोलिक अध्ययन, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
2. उमाहिया कृष्ण कुमार (1993) - कृषि विकास की समस्याएँ, मित्तल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
3. त्रिपाठी डॉ. बद्री विशाल (2008) - भारतीय कृषि (समस्याएँ, विकास एवं संभावनाये) किताब महल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
4. सिंह डॉ. राजपाल (2014) - 'कृषि अर्थशास्त्र' भारती भण्डार, सुशील कॉम्पलैक्स, वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ।
5. बालाघाट जिला सांख्यिकीय कार्यालय, बालाघाट।

तालिका क्रमांक-1

बालाघाट जिला उर्वरकों के प्रयोग संबंधी उत्तरदाताओं का अभिमत

क्रं.	विकास खण्ड का नाम	सर्वेक्षित गॉव की संख्या	सर्वेक्षित परिवारों में उत्तरदाताओं की संख्या	रासायनिक उर्वरक		जैविक उर्वरक		गोबर खाद		अन्य बाद	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	कटंगी	8	560	211	37.68	88	15.72	210	37.50	51	9.10
2.	वारासिवनी	8	640	388	60.62	37	5.78	198	30.94	17	2.66
3.	खैरलांजी	6	480	226	47.08	44	9.16	165	34.37	45	9.47
4.	लालबर्रा	6	420	287	68.33	22	5.23	972	3.09	14	3.35
5.	बालाघाट	8	560	286	51.07	74	13.21	166	29.64	34	7.08
6.	किरनपुर	6	480	195	40.62	26	5.42	221	46.04	38	7.92
7.	लांजी	6	420	188	44.76	27	6.42	186	44.28	19	4.54
8.	बैहर	8	640	165	25.78	31	4.84	414	64.68	30	4.70
9.	परसवाड़ा	8	560	132	23.57	26	4.64	387	69.10	15	2.69
10.	बिरसा	6	360	112	31.11	21	5.83	210	58.33	17	4.73
11.	बालाघाट	70	5120	2190	42.77	396	7.73	2254	44.02	28	05.48

स्त्रोत- ग्रामीण सर्वेक्षण पर आधारित

तालिका क्रमांक-2

बालाघाट जिला उर्वरकों का प्रयोग

(वर्ष 1980-2011)

क्रं.	विकास खण्ड का नाम	1980-81		1990-91		2001-02		2010-11	
		क्षेत्रफल (हे.में.)	मात्रा (टन में)	क्षेत्रफल (हे.में.)	मात्रा (टन में)	क्षेत्रफल (हे.में.)	मात्रा (टन में)	क्षेत्रफल (हे.में.)	मात्रा (टन में)
1.	कटंगी	17302	226.35	29906	692.77	29113	721.55	38627	8640.61
2.	वारासिवनी	16475	632.66	30330	1745.12	29861	1621.10	38856	9512.36
3.	खैरलांजी	17421	222.44	27489	525.28	25316	1358.27	41997	8316.32
4.	लालबर्रा	19527	612.32	34533	1579.26	33146	1432.42	43009	8320.16
5.	बालाघाट	12424	237.35	24486	649.73	28727	916.58	42402	9360.32
6.	किरनपुर	13558	227.25	30934	552.66	31503	1036.35	46741	8364.16
7.	लांजी	875	26.55	15395	89.24	31346	2093.74	44553	8328.23
8.	बैहर	1216	13.26	4071	38.30	15039	5257.99	32434	2815.40
9.	परसवाड़ा	1375	6.21	6891	18.95	19543	221.80	33444	2844.11
10.	बिरसा	1655	7.24	4350	15.25	24258	407.95	32763	2844.11
11.	बालाघाट	101828	2211.63	208388	5906.56	267852	10067.75	394826	69345.78

स्त्रोत :- उप संचालक कृषि कार्यालय बालाघाट

****

'छत्तीसगढ़ी दान-लीला' की व्याख्या व समालोचना

डॉ. रमेश टण्डन*

प्रस्तावना - पं0 सुन्दर लाल शर्मा विरचित 'छत्तीसगढ़ी दान लीला' को छत्तीसगढ़ी का प्रथम खण्ड काव्य कहा जाता है। श्रृंगार रस से ओत-प्रोत इस काव्य में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। कवि सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना शीष झुकाते हुए प्रणाम करता है, फिर उनकी प्रियतमा राधा के माध्यम से श्रीकृष्ण चरित्र का गुणगान करता है।

'राधा गोठ' में कवि ने लिखा है कि, 'जा दिन ले..................किरिया तोर', जिसके अनुसार, राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी! तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि जब से राजा नन्द के सुपुत्र श्रीकृष्ण को मैंने गली में खड़े देखा है, तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।

सवैया- 'सुन आज........................बताइस ओ' में राधा आगे कहती है कि हे सखी! मैं आज अपने घर के दरवाजे पर जब खड़ी थी, तभी माता यशोदा का पुत्र श्रीकृष्ण आया, मुझे देखकर हंसा ओर भौंह को तिरछा करके मुझे चिढ़ाया। लज्जा त्याग कर उसने मुझे दौड़कर गले लगाया फिर दौड़ कर दूर भाग गया। इस तरह, गायों के झुण्ड को हांकने वाले ग्वाल बालों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण आज फिर ठेंगा दिखाते हुए मुझसे दूर भाग गया।

'खरिखा में लरिका..................................परतेंव तोरेच पांय' के अनुसार, गायों के झुण्ड को ले जाने वाले लड़कों (ग्वालों) के साथ राजा नन्द के पुत्र को जब से मैंने देखा है, तब से, जिस तरह चरखा का चक्र घूमता है, उसी तरह मेरा मन घूम रहा है, विचलित हो रहा है। हे सखी! कुछ भी उपाय करके मुझे स्याम (श्रीकृष्ण) से मिला दो, इसके लिए मैं रात-दिन आपके पैर धो-धोकर प्रणाम करूँगी।

'जबले सपना..........................मेर लुकाऔ नहीं' में राधा कहती है, जबसे मैंने उन्हें (श्रीकृष्ण को) सपना में देखा है, तब से मेरी आँखों से नींद चली गई है, चैन उड़ गया है। जवानी की आग से मैं झुलस रही हूँ, दिन-रात दुख सहते हुए परेशान हो गई हूँ। हे सखी! क्या उपाय करूँ ? गहरे पानी में डूबकर मर जाऊँ ? मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। विरह का कष्ट गोदना की तरह कष्टदायक हो गया है। जब से श्रीकृष्ण ने अपने सिर में मयूर पंख को धारण किया है, गले में जंगली फूलों की माला को पहना है, हाथ में दुपट्टा, शरीर में पीला वस्त्र धारण किया है, उसकी सुन्दरता देखते ही बनती है। इस सुन्दर वेश-भूषा में मैंने जब से उन्हें चलते हुए देखा है, बगीचे की तरफ जाते हुए निहारा है, तब से, हे सखी! मैं बावली हो गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं अचेत-सी हो गई हूँ। खाना भी नहीं सुहाता मुझे। हे सखी! मैं तुझे बढ़ा कर नहीं बता रही हूँ, ये सभी सच है, किसी भी बात को में तुमसे नहीं छिपा रही हूँ।

'नन्द गौटिया.........................कइसे निभाहौं गोई।।' यहाँ पर राधा कहती है, राजा नन्द के बेटा को जब से मेरी आँखों ने देखा है, तब से मैं उसे थोड़े-से समय के लिए भी नहीं भूली हूँ, मेरी आँखों के सामने वे हमेशा दिखते हुए प्रतीत होते हैं। जब मैं कान लगाकर ध्यान से सुनती हूँ, तब मुझे उनकी घुँघरू की आवाज सुनाई देती है। मैं मन-ही-मन डर जाती हूँ कि कहीं हरि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे मन को तो चुरा ही लिया है, लगता है, उन्होंने मुझ पर मोहिनी डाल दिया है। हे सखी! कब क्या हो जाएगा मुझे, कौन जाने ? इस जवानी को कैसे सम्भालूँ ?

'देखे बिन..................................मथुरा जी के घाट'।। राधा कहती है, अब तो नन्दलाल को देखे बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। जाति-समाज के बंधन के भय को त्याग कर मोहन के पास जाना ही है। सखियों ! आज वृन्दाबन के रास्ते पर चलें और मथुरा के घाट पर दही बेचें।

'जतका दूध दही.........................गोंदा खोंचे गजरा डारें'।। राधा सहित सभी गोपियों ने दूध, दही व मलाई को अलग-अलग पात्रों में सुविधानुसार एकत्रित किया, टोकरी के बीच सुरक्षित रख सभी निकल पड़े। सभी की उम्र लगभग वैसे ही समान थी, जैसे धान मिसाई के समय उपयोग किए जाने वाले बैलों की उम्र समान रहती है। उन गोपियों में कोई लम्बी, कोई छोटे कद की, कोई पुतली (खिलौने) की तरह चौड़ी, परन्तु सभी की उम्र लगभग पन्द्रह, सोलह व बीस के आसपास, सभी आँखों में काजल लगाए, दुपट्टा डाले, बालों को अच्छे से कंघी कर बांधे हुए, पैरों में लाल रंगाए, मुँह में पान दबाए, माथे पर टिकुली लगाए, बाल को बड़ा व टेढ़ा रूप में बांधकर जिसमें गेंदा व गजरा लगा है, वृन्दाबन के रास्ते जा रहे हैं।

'पहिरे रंग रंग.........................छुटुवा कोनो पटाही।।' गोपियों का सौन्दर्य वर्णन करते कवि आगे कहते हैं, सभी ग्वाल बालाएँ किस्म-किस्म के आभूषण पहने हुए हैं, उनका कोई भी अंग बिना आभूषण का नहीं है। दोनों पैरों में किसी ने पायल, तो किसी ने तोड़ा पहन रखा है। किसी ने गठिया, तो किसी ने चूड़ा पहना है। कुछ गोपियाँ घुँघरू पहनी हैं, जिसे छन-छन बजाते चली जा रही हैं। सभी की कलाइयों से चूड़ियों की खनकती आवाज आ रही है। उनके हाथों में कंगन भी शोभायमान हो रहा है। बहुंटा और पछेला भी उन्होंने धारण किया है। अपनी पसंद के अनुसार सभी ने आभूषण पहना है। किसी ने बिल्लौरी चूड़ी, तो किसी ने रतनपुर की पीले रंग की बिंदिया, कोई छुच्छा, कोई पीले रंग की पटली, हरे रंग की घूपाही, तो कोई छुटुवा कोई पटाही धारण किए हैं।

'करधन कंवरपटा......................मोती हीरा लाल'।। राधा सहित सभी ग्वालिन कमर में करधन पहनकर हाथियों की तरह मदमस्त चाल में चली जा रहीं हैं, इस स्थिति में उनके द्वारा धारण किए गए हीरा, मोती आदि जवाहरात उनके शरीर से लटकते हुए दिखाई दे रहें है।

'पँड़री पँड़री..........................केरा असन देखाय'।। राधा और सभी

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) भारत

गोपियों के गौर वर्ण शरीर सबको घायल कर देने वाला है। स्याम (श्रीकृष्ण) से मिलने की खुशी में सभी हर्षित और उमंग से भरपूर हैं। दूध, दही व मलाई से पात्रों को भरकर अपने मोहल्ले से बाहर निकलती हैं। कवि उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस समय उनके खुले हुए जांघ केला की तरह दिखाई दे रही हैं।

'साम्हू में सूंटी.................................पांछू पाहो जायेय।। राधा व सभी गोपियाँ वृन्दाबन पहुँच जाती हैं, तब सामने श्रीकृष्ण लकड़ी की छड़ी लेकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। आगे हरि श्रीकृष्ण, पीछे गोपियाँ हैं।

'तुमला आज जान......................भोगचन्द बन आयेव।। राधा व गोपियों से मिलने पर श्रीकृष्ण कहते हैं, आज मैं आप लोगों को तभी जाने दूंगा, जब मुझे सभी दिन का दूध, दही व मलाई मिल जाएगी। रोज प्रात: मैं मथुरा आता था, रात होने पर ही वापस जाता था। कुलीन परिवार में जन्म लेकर भी मुझे चोरों की तरह काम करना पड़ता था। श्रीकृष्ण की बातों को सुनकर सभी गोपियाँ रूठ जाती हैं और कहती हैं– हे स्याम ! कब से आप अच्छे हो गए, चोरी करते आपकी उम्र बीत गई, ऐ मोहन ! चोरी में ही छोटे से बड़े हुए, और आज ऐसा कह रहे हो, हम पर चोरी का ईल्जाम लगाते हो। चोर तो आप हो, आपके सभी संगी–साथी चोर हैं, आपके गुरू भी चोर हैं। इसके अतिरिक्त कल रोते हो, आज भुला देते हो और अभी– अभी भोगचन्द बनकर खाने के लिए आ गए हो।

'उटका पंची.........................जाहौ झकमार।।' गोपियाँ कहती हैं, जिस तरह उड़ता पक्षी एक जगह को झटककर (छोड़कर) दूसरी जगह पर उड़कर चली जाती है और पहली जगह रिक्त (बेकार) हो जाती है, उसी तरह हम भी यहाँ से झटककर चले गए तो हे कृष्ण! आप भी झक मार के रह जाओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा

'बधवा हांथी लादे.................. स्यामजगात जवानी।।' गोपियों की बात सुनकर श्रीकृष्ण ने कहा, बाघ भर, हाथी भर माल लाद के लाते हो और खाली ठेंगा दिखाते हो। किश्म– किश्म के माल रखे हो और कहते हो कि कुछ नहीं है। तुम्हीं लोग बताओ कि ऐसे में कैसे बनेगा, थोड़ा माल रखे होते तो कोई बात नहीं। मोती, केला, कंवल लाद के लाए हो, सोने का हण्डा गड़ा के रखे हो, समुद्र भी पास है। कबूतर, तोता व पंड़की भी है, कुंदरू व अनार भी है। सूरज, चंदा भी है, सभी ने सर्प भी पाल रखा है। इन सभी को आज मुझे दे जाना। श्री कृष्ण की ऐसी बातों को गोपियाँ व राधा सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और एक सखी दूसरी बड़ी सखी से कहती है कि ऐ जेठानी! देखिए तो कोई ऐसे कहता है क्या ? स्याम हम जवान गोपियों से ऐसे कहकर मांग रहा है।

'पहिरव ओढ़व.........................गोकुल के बसवार।।' गोपियाँ अपनी भड़ास निकालती हुई कहती हैं कि जो अच्छा पहनता, ओढ़ता है, वह भी हमसे भिड़ जा रहा है; हे सखी! गोकुल में बसने वाले ऐसे लोग, काश जल जाते।

'बधवा बन के.........................बिगर सब जांहै।।' गोपियाँ कहती हैं, ऐ सखियाँ ! श्रीकृष्ण कहते हैं कि हमारे पास बाघ है, आप ही बताओ, भला कोई बाघ को पकड़कर– बांधकर रख सकता है ? क्या–क्या बोलकर हमें डराता है। अब हाथी को हम कहाँ छिपा सकते हैं ? सोने का हण्डा हमें कहाँ से मिला ? कोई समुद्र को ला सकता है क्या ? और ले भी आए तो उसे रखे कहाँ ? स्वर्ग के चाँद–सूरज को कोई यहाँ कैसे रख सकता है ? कुंदरू व अनार कहाँ उगा है ? कबूतर, तोता कहाँ उड़ गए ? मोती, केला, कंवल कहाँ हैं ? कुछ भी तो नहीं है। श्रीकृष्ण क्या–क्या बोलता है ? हमें धनुष– बाण बताता है। विषधर सर्प को हमने कहाँ पहुँचा दिया ? और हम उसे कैसे लाए ? हे कृष्ण ! हमें ले जाकर इन सब के बारे में बताओ कि ये सब कहाँ गए ? वरना बात बिगड़ जाएगी।

'सुनत बात मुसकाइन........................बताहौं सुनत लजाहौ।।' इन सब बातों को सुनकर मोहन श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हम झूठ नहीं बोलते। केला आपकी जांघें हैं। आपके नैन, मोती के समान हैं। कोई भी अंग तुलना के लिए शेष नहीं बचे। कंवल के बराबर हाथ दिखाई देते हैं। सोने की हण्डी की तरह आपकी लजाती हुई छाती है। पेट समुद्र है, गला कबूतर के समान, ओष्ठ कुंदरू है तो दांत अनार हैं। सूरज– चाँद मुँह के भीतर, तिरछे भौं कमठा की तरह। मेरे संगी– साथी इस बात के गवाह हैं कि आपकी आँखें चंचल मछली की तरह हैं। तोते के समान नाक, बाल की चोंटी सर्प की तरह पीछे लटकी है। अभी दो अंगों का वर्णन शेष है, जिसे खुलकर बताऊँगा तो सुनकर आपको लज्जा आएगी।

समालोचना –

1. भगवान श्रीकृष्ण के प्रति चारित्रिक आस्था – भगवान श्रीकृष्ण की चरित्र गाथा को व्यक्त करने के पहले कवि ने उसे पूरे संसार का स्वामी बताते हुए अपना सिर उसके चरणों में झुकाता है और कहता है, 'जगदिस्वर के पाँव में, आपन मूड़ नवाय। सिरीं कृष्ण भगवान के, कहिहौं चरित सुनाय।।'

2. राधा का अपनी सखी के प्रति कथन – राधा अपने मन की बात को अक्सर अपनी सखी के साथ साझा करती हुई कहती है, 'जा दिन ले नन्द लाल ला, ठाढ़े देखेंव खोर। कांही नही सुहावै, गोई ! किरिया तोर।।'

3. राधा व गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति कथन – राधा और गोपियाँ, श्रीकृष्ण के बिना नहीं रह पाती हैं। उससे मिलने की इच्छा तीव्र हो जाती है। एक दिन पात्र में दूध, दही व मलाई भरकर श्रीकृष्ण के मिलने वृन्दाबन जाती हैं, तब श्रीकृष्ण उन्हें खरी–खोटी सुनाते हैं और बहुत सारे माल रखे हो, कहते हैं। इसी के जवाब में गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति कथन का उजागर होता है– 'कइसे–कइसे के गोठियाथैं, हमला कमठा तीर बताथैं, बिखहर सांप कहां पहुंचायेन, तेला हम कइसे के लायेन, झरा झरती लेय बताहै, नहि तो बात बिगर सब जाहै।

4. श्रीकृष्ण का राधा व गोपियों के प्रति कथन – श्रीकृष्ण से जब राधा और गोपियाँ मिलने जाती हैं, तब श्रीकृष्ण समस्त दूध–दही–मलाई आदि को छोड़ जाने के लिए कहते हैं– 'तुमला आज जान तब देहौं, जब सबदिन के सेती लेहौं। आगे कहते हैं कि तुम लोगों के पास मोती, सोना, कबूतर, कंदरू, सूरज, चंदा, सांप आदि हैं जिसे मुझे दे दो– 'कुंदरू दरमी धनुवा लायेव, सूरज चंदा धलो लदायेव, साँप घलाय सबौ पोषै हौ, सबो जगात आज मोर देहौ। अंत में गोपियों के समस्त अंगों की तुलना केला, सोना की हण्डी, कुंदरू, सांप, मछली आदि से करते हैं।

5. राधा के सपने में श्रीकृष्ण का आना – राधा सपने में श्रीकृष्ण को निहारती है। बेचैन हो जाती है, हमेशा स्याम ही नजर आते हैं। 'जबले सपना में निहारंव ओ, तबले मिलकी नई मांख ओ।'

'नन्द गौंटिया के बेटवा हर ओ, मोर आइस आँखिन के तर ओ, तब ले चिटको नइ भूलत हों, मोर आँखिच आँखी में झूलत है।'

6. अत्यन्त प्रेम की अभिव्यंजना – 'कोनो जतन लगाय के, देते स्याम मिलाये, धोकर–धोकर के रात दिन, परतेव तोरेच पांय।।' में प्रिय से मिलने की अधीरता परिलक्षित होती है। 'देखे बिन नन्दलाल के, अब तो नइ रहि जाय, जात सगा डर छाँड़ के, धरिहौं मोहन पांय।' में प्रेम की अभिव्यंजना की गई है।

7. मोहिनी का वर्णन– जादू, टोना, मोहिनी का भी वर्णन कवि ने अपनी कृति में किया है। 'मन मोर चोराय सु लेइस है, मोहिनी कुछू थोप धौं देहस है।' में श्रीकृष्ण के द्वारा राधा पर जादू किए जाने का वर्णन कवि करता है।

8. **वियोग की पराकाष्ठा –** कवि लिखते हैं कि श्रीकृष्ण के बिना राधा व गोपियाँ बिल्कुल भी रह नहीं पा रहीं हैं। राधा अपनी सखी से कहती है कि 'मैं गोई! अब कौन उपाय करौ, के कहूँ दहरा बिच बूड़ मरौ, मोला कोनो उपाय नई सूझत है, ये गोई गोदना अस गूदत है।' इन पंक्तियों में वियोग जन्य दर्द की पराकाष्ठा अभिव्यक्त हो रही है।

9. **गोपियों की आभूषणप्रियता –** गोपियाँ जब श्रीकृष्ण से मिलने जाती हैं तो वे अपने सभी अंगों में आभूषण धारण करती हैं। कोई भी अंग सूना नहीं रहता। 'पहिरे रंग रंग के गहना, ठलहा कोनो अंग रहे ना। से स्पष्ट है कि गोपियों का हर अंग विभिन्न किस्म के आभूषणों से सुसज्जित था।

10. **गोपियों का शारीरिक वर्णन एवं उपमानता –** कवि के अनुसार, गोपियों का जवाब देते हुए श्रीकृष्ण मन्द–मन्द मुस्कुराते होते हुए उनके अंगों की तुलना इस प्रकार करते हैं– 'केरा जांघ नरूख है मोती, कहौ बांचिहौ कोनो कोती, कंवल बरोबर हाथ देखाथै, छाती हंडुला सोन लजाथै, बोड़री समुंद हवै पंड़की गर, कुंदरू ओंठ दांत दरमी घर।' राधा व गोपियों के विभिन्न अंगो की उपमा केला, सोने की हाण्डी, समुद्र, कुंदरू, सूरज, चाँद, तोता, सर्प आदि से की गई है।

11. **नारी स्वभाव का वर्णन –** आभूषण प्रियता, रूठना, सपने में पिया–मिलन, मोहिनी जैसे अस्तित्वहीन क्रियाओं पर विश्वास करना, वाद–विवाद करना आदि नारी सुलभ गुणों का कवि ने अपने खण्ड काव्य 'छत्तीसगढ़ी दान–लीला में स्थान दिया है। 'रौताइन सब सुनत रिसाइन, कब ले स्याम साव बन आइन। में नारियों के रूठने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। 'मन मोर चोराय सु लेइस है, मोहिनी कुछू थोप धौं देहस है। में मोहिनी जैसी क्रिया पर महिलाओं की विश्वसनियता उजागर होती है।

12. **आंशिक अश्लीलता –** कवि पं0 सुन्दर लाल शर्मा के इस काव्य में कहीं –कहीं पर अश्लीलता परिलक्षित होती है जो आलोचना का विषय बन सकती है। स्याम मिलन की खुशी में जब गोपियाँ वृन्दाबन की तरफ जाती हैं तब इनके पहनावे का वर्णन कवि कुछ इस तरह करते हैं– 'भरिन काछोरा सबो झन, बस्ती बाहिर आय। उघरे – उघरे जाँघ हर, केरा असन देखाय।। अंत में श्रीकृष्ण जब गोपियों के अंगो की तुलना विभिन्न जड़– चेतन वस्तुओं या प्राणियों/पादपों से करते हैं तब उन्होंने गोपियों की छाती की भी तुलना कर डाली– 'छाती हंडुला सोन लजाथै। लज्जाजनक अंगों की तुलना की बात करते हुए भले ही कवि ने तुलना नहीं की, अपितु ऐसा करते हुए काव्य में अश्लीलता का प्रवेश करा ही दिया– 'अम्भो दू ठन बांचे पाहौ। फोर बताहौं सुनत लजाहौ।।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन, संपादक – प्रो0 रामनारायण शुक्ल, प्रकाशक– छत्तीसगढ़ी साहित्य परिसद, बिलासपुर (छ.ग.)।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

यशपाल के उपन्यासों में बौद्धकालीन सांस्कृतिक नारी

डॉ. पंकज बोहरा *

प्रस्तावना – साहित्यकार समाज की वह धूरी है, जो अपनी कलम के द्वारा समाज को दिश निर्देशित करता है और इसी प्रयोजन से वह साहित्य की अनेक विधाओं का सहारा भी लेता है। जीवन की सहजता, विविधता एवं एक विशिष्ट समग्रता को अभिव्यक्त करने के लिए साहित्यिक रूप है। उपन्यास, उपन्यास जीवन का चित्र है तथा जीवन के सबसे अधिक रूप दिखाई देते है। नारी पात्रों में जैसे प्रेमिका, पत्नी, विधवा, माता, पुत्री, बहिन, सहेली, दासी, रखैल आदि।

उपन्यास में जिस काल और समाज का चित्रण किया जाता है उसके आचार विचार, रीति नीति आदि का उपन्यासकार को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐतिहासिक उपन्यास में तो यह तत्व बड़े महत्व का रहता है। लेखक अपने इतिहास संबंधी ज्ञान और कल्पना शक्ति के आधार पर तत्कालीन देश और काल का चित्रण करता है। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गो का विभिन्न विचारधाराओं का समाज के आचार विचार, रीति नीति आदि का यथातथा अध्ययन कर उसका निरूपण करता है। जिससे उसकी रचना तदयुगीन समाज का वास्तविक चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इतिहास मात्र राजा महाराजाओं द्वारा किए गए युद्धों, विशेष कार्यो और मृतकों की कारगुजारियों का संकलन मात्र नहीं होता वह केवल तारीखों और घटनाओं की सूची नहीं पेश करता बल्कि किसी न किसी रूप में अतीत के मानव का प्रतिबिम्ब और अपनी समस्या त्रुटियों के बावजुद मानव के सम्पूर्ण विकास की अन्तप्रेरणा का अजस्त्र स्त्रोत भी प्रवाहित करता है। इसके अतिरिक्त इतिहास का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह उन चिरन्तन नियमों को हमारे सम्मुख लाता है, जिसके कारण कोई भी क्रान्ति होती है क्योंकि किसी भी देश और काल में क्रान्ति होने के कुछ कारण अवश्य होते है क्रान्ति कभी आकस्मिक नहीं होती बल्कि एक सुव्यवस्थित भूमिका पर पहले अवस्थित होती है। जिन व्यक्तियों की विशेष प्रकृति इतिहास की ओर होती हैं वे युग-युग के मानव की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और जब वे इस ज्ञान युक्त दृष्टि से वर्तमान की किसी अवस्था व्यवस्था पर विचार करते है तो वे उस व्यवस्था के उद्‌भव विकास ह्यस तथा उसकी अच्छाइयों, बुराइयों की ओर देखने में समर्थ हो जाते हैं। फिर वे अपनी प्रतिक्रिया द्वारा मानव समाज को उसके हित साधन की ओर प्रवृत्त करते है। इतिहास के ज्ञान से प्राप्त यह दिव्य दृष्टि किसी भी समर्थ रचनाकार के लिए नितान्त आवश्यक है।

'दिव्या' और 'अमिता' यशपाल के ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें उन्होंने बौद्धकालीन समाज की संस्कृति, आचार विचार, सामाजिक राजनीतिक स्थिति और प्रयुक्त विचारधारा तथा दर्शन दिखाने का प्रयास किया है।

'दिव्या' हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रृंखला में एक विशिष्ट नाम है। वास्तव में यह एक काल्पनिक उपन्यास है, जिसमें लेखक ने बौद्धकालीन परिवेश लिया है। किसी भी प्रकार की कोई इतिहास की घटना नहीं है। बौद्धकालीन परिवेश में भी यह वह समय है, जब ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। बौद्ध धर्म अपने पतन और ब्राह्मण धर्म पुनर्विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा था।

वस्तुत: दिव्या ऐतिहासिक बौद्धकालीन परिवेश में नारी के स्वतंत्र अस्तित्व और स्त्री पुरूष संबंधों की व्याख्या करता है यद्यपि इसमें व्यक्ति स्वातंत्रय, वर्ग संघर्षद्ध जीवन मरण और कला संबंधी भावों को भी अभिव्यक्ति दी गई है। उन्होंने नर-नारी के स्वतंत्र और परस्पर आश्रित संबंधों की वकालत की है।

बौद्धकालीन युग में भी पूंजीवादी व्यवस्था का रूप विद्यमान था। अभिजात वर्ग निम्न वर्ग के लोगों किसान, मजदूरों, दास-दासियों से अत्याचारपूर्ण व्यवहार करता था। विलासी जीवन का मुख्य अंग अधिक से अधिक रमणियों का भोग करना था। यह बात और थी कि राजमहलों आदि में कुलीन नारियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। दिव्या के प्रारंभिक जीवन गाथा को पढ़ते समय सहज ही इस बात का आभास हो जाता है 'धर्मस्थ के पुत्र-पौत्रों से समृद्ध और सम्पन्न कुल में कन्या का जन्म उल्लास का कारण हुआ। उस कन्या के उज्जवल भविष्य के विश्वास से उसे दिव्या पुकारा गया।'

धर्मस्थ के प्रासाद में ज्ञान, तर्क, कला और सुंसस्कृत वातावरण में पोषित होकर दिव्या देदीप्यमान होती गई। दिव्या ज्ञान, कला और संस्कृति में उसी प्रकार भिजी हुई थी जैसे कमल जल से भीगा न रहने पर भी उसमें जल समाया रहता है। वह नृत्य और संगीत में विशेष पारंगत थी। तत्कालीन श्रेष्ठ कुलीन युवतियाँ संगीत और नृत्य में रूचि रखती थीं और इन कलाओं की अधिष्ठात्री भी होती थी। नगर की राजनर्तकी के रूप में नारी को वैभव के साथ-साथ सम्मान भी प्राप्त होता था।

कला का आदर किया जाता था - 'कला की अधिष्ठात्री, नगरश्री, राजनर्तकी देवी मल्लिका सभास्थल में पधार रही है। जनसागर इस घोषणा के झंझावात से तरंगित हो उठा।....... दीप-दंडधारी अश्वारोहियों के पीछे रथ चले आ रहे थे और रथों के पीछे फिर दीपदंड धारी अश्वारोही। ...... सब और से का की देवी नगर श्री देवी मल्लिका का जयघोष होने लगा। ...... मण्डप में प्रवेश कर नर्तकी ने विशिष्ट पुरूषों का आदर ग्रहण किया और गणपति के समीप आसन पर बैठ गयी। देवी के पीछे छ: रथों पर उनकी विशिष्ट शिष्याएँ कला की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयी थी।'

प्रथानुसार 'सरस्वती पुत्री' का सम्मान पाने वाली युवती की पुष्पों से

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) महालक्ष्मी गर्ल्स कॉलेज,जोधपुर (राज.) भारत

आच्छादित शिविका अभिजात वंश के युवक अपने कंधो पर युवती के गृहद्धार तक ले जाकर सम्मान देते थे।

दिव्या श्रेष्ठी पुत्र पृथुसेन की ओर आकर्षिक होती है। युद्ध संग्राम में जाते समय वह पृथुसेन को साहस और सांत्वना देने के लिए आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हो जाती है। पर उसका दुर्भाग्य, परम्परागत सामाजिक नियति या पुरूष का छल प्रपंच अपना सब कुछ खोकर दिव्या विकट वास्तव में परिचित होती है। उसका गर्भ उसकी चिंता और कलंक का कारण बन जाता है जो बौद्धकालीन स्थिति से ही बिन ब्याही माँ की दयनीय और कलंकित स्थिति को उजागर करता है। आज भी हमारे समाज में यह स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी बात पर कटाक्ष करते हुए यशपाल अपने एक निबंध पूंजीवाद की भोग्य महिला और समाजवाद की आत्मनिर्भर नारी में लिखते हैं '– 'सुनिये, वैज्ञानिक बोले माँ बनने का हमारे समाज में कोई सम्मान नहीं है। नारी का स्वतंत्रता से और अपनी इच्छा से माँ बन जाना ही सबसे बड़ा अपराध है। नारी का आदर अपने पति की पत्नी बनने और अपने पति के लिए संतान जनने में ही है।' युद्ध जीत कर आने के पश्चात् हर संभव प्रयास के बाद भी वह पृथुसेन ने नहीं मिल पाती पृथुसेन द्धार वंचना पाकर दिव्या की करूण कहानी शुरू होती है।

दासत्व की हीनता से मुक्ति के लिये श्रेष्ठी पिता अपने पुत्र पृथुसेन का विवाह गणपति की पौत्री सीरों से करना चाहता है और पृथुसेन को इस हेतु तैयार करने के लिए वह जो नारी संबंधित उद्धार प्रकट करता है। वह भी बौद्धकालीन समाज से चली हा रही नारी की दुर्दमनीय अवस्था का घोतक है वे फिर बोले ''पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियाँ प्राप्त कर सकता है। परन्तु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते पुत्र, संसार में बल ही प्रधान है, धनबल और जनबल।'

माताल वृक की दृष्टता से बचकर दिव्या नारी जीवन की वस्तुस्थिति को उजागर करती है। नारी को समाज में कहाँ और कब भय नहीं है। रूद्रधीर, पृथुसेन, मारिश, माताल वृक सबके लिए नारी एक समान है। सबके लिए नारी केवल भोग्या मात्रा थी। उसके लिए शरण कहाँ? सब उसे भोगना चाहते है। वह तात और महापितृव्य से भी भयभीत थी और जब उसने स्वेच्छा से पृथुसेन की आत्मसमर्पण किया तो उसका क्या परिणाम हुवा। वह क्या कर सकती है, कुछ भी उसके बस में नहीं है।

जब दास व्यवसायी श्रेष्ठी प्रतुल दिव्या को मद्र की सीमा से बाहर ले जाने लगता है, तब दिव्या एक चीत्कार कर दास व्यवसायी के पाश से मुक्त हो सकती है पर वह विचार करती है 'परन्तु फिर वह कहाँ जाएगी? उसके लिए स्वतंत्रता कहाँ हैं? उसकी सम्भावित सन्तान के लिए शरण और स्थान कहाँ हैं? जिसके लिये जीवित रहने का अवसर नहीं उसके लिए स्वतंत्रता कहाँ?' कितनी विडम्बना है, स्त्री को इस स्थिति तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आराम से बैठकर महलों का सुख भोगता है और समाज के सारे लांछन, कलंक अकेली नारी के हिस्से आते है। यह स्थिति आज की नारियों की ही नहीं, सदियों से चली आ रही भारतीय नारियों की है। कल्पना करती हुई दिव्या के मन में अचानक विचार आता है 'वंचक पृथुसेन और दास व्यवसायी प्रतुल में क्या अन्तर? आशंका से शरीर के रोम सिहर उठे जैसे नदी तीर की सिकता उसके दाँतों तले आ गई हो।' सत्य ही है, एक उसकी भावनाओं का विक्रेता है और दूसरा उसके शरीर का।

दासी के रूप में उसकी स्थिति पशु से भी बदत्तर हो जाती है। 'खासकर नारियों की स्थिति ज्यादा दयनीय थी। दासी के रूप में स्त्रियों की स्थिति परतंत्रता की इस हद तक पहुँच गई थी कि उन्हें अपने स्वामी की अनुमति के बिना मरने का भी अधिकार नहीं था। वे स्वामी के परिवार की सेवा के लिए शरीर धारण किए रहने के लिए आजीवन अभिशप्त थी।'

याज्ञित पुरोहित चक्रधर अपनी बीमार पत्नी की विवशता के कारण अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराने के लिए भूधर से दासी दारा के रूप में दिव्या और उसके पुत्र शाकुल का क्रय करता है। यहाँ उसकी स्थिति ठीक उस गाय के समान हो जाती है जिसके दूध पर उसके बछड़े का नहीं बल्कि उसके मालिक का अधिकार होता है।

दिव्या अन्याय की भावना और प्रतिहिंसा अनुभव करती है। क्षोभ की स्थिति में उठने वाले उसके विचार नारी की शोषित स्थिति का उदाहरण देते है– 'पृथुसेन की संतान होने से शाकुल के लिए सभी कुछ प्राप्त होता और उसकी अपनी संतान होने से शाकुल के लिए कुछ प्राप्त नहीं, जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं। वह जैसे पात्र से छलक गई बूँद की भाँति है जो केवल सुख कर समाप्त हो जाने के लिए ही है।'

दिव्या में अपने वर्तमान की अनुगुंज अत्यन्त स्पष्ट है और इसी में उसकी सार्थकता भी है। नारी मानव समाज का आधा अंश है परंतु दुर्भाग्यवश उसकी स्थिति बौद्ध युग में ही नहीं आज भी उलझन पूर्ण बनी हुई है। नारी की ऐसी विकट स्थिति का कच्चा चिट्टा खोलने का प्रयास दिव्या है। नर और नारी दोनों के जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण कर्म है परंतु द्धिजविधान के अनुसार नारी के लिए अपने जीवन साथी का चुनाव तो दूर वह माता–पिता द्धारा पंसद किए गए वर घर के संबंध में भी अपनी सम्मति देने के लिये स्वतंत्र नहीं। ऐसा करने पर समाज में निर्लज्ज, कुलटा, बेशर्म न जाने क्या क्या बन जाती है। यशपाल ऐसी अन्याय पूर्ण व्यवस्था को उजागर कर दिव्या को क्रांति के लिए प्रस्तुत कर उसके संघर्ष द्धारा ऐसी खोखली परम्परा को तोड़ना चाहते है।

दिव्या मारिश के निवेदन को यह कहकर ठुकरा देती है 'आर्य, यह भी सत्य है, परन्तु में त्रस्त हूँ। प्रश्रय के मूल्य पर जीवन की सार्थकता नहीं चलती जीवन की विफलता में भी मुझे वेश्या की आत्मनिर्भरता स्वीकार्य है। आर्य, यही मेरा निश्चय है।'

यही द्धिज समाज जो अपनी जातिगत श्रेष्ठता का अभिमान अपनी रूढ़िगत मान्यताओं के कारण दिव्या को यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार है फिर अपना दंभ नहीं छोड़ता। दिव्या बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर झूकाकर मौन स्वीकृति दे देती है।

दिव्या जान चुकी है कि वर्णाश्रम और बौद्ध धर्म की व्यवस्थाओं में नारी का कोई महत्व नहीं वह उनकी दृष्टि में केवल भोग्य मात्र है और वह पुरूष की भोग्या बन कर नहीं रह सकती। वह बहुत तर्क वितर्क के बाद मारिश से प्रभावित होती है क्योंकि वह उससे आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है और संतति की परम्परा के रूप में मानव की अमरता भी इसलिए दिव्या उसे समर्पित हो जाती है।

दिव्या के रूप में एक पीड़ित और संघर्षशील नारी का चित्र यशपाल ने खींचा है। दिव्या की पूरी संघर्ष कहानी के ये लघु अंकन हमें बताते है कि किस तरह बौद्धकालीन स्थिति में भी नारी पुरूष के वर्चस्व से शोषित होकर उसकी वासना और इच्छा पूर्ति का साधन बनती रही है। भले ही संदर्भ और काल बदल चूके हो पर आज की स्थिति से यदि बौद्धकालीन स्थिति में नारी की दिशा का अवलोकन करे तो कुछ खास अन्तर नहीं मालूम पड़ता। आज भी नारी को पुरूष अपनी प्रगति, झूठे खरीदे गए सम्मान और सम्पति विस्तार

के लिए स्तेमाल कर रहा है, वह उसका शोषण करता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि बौद्धकालीन समाज में वैश्या स्वतंत्र नारी थी। वह नगर में प्रतिष्ठित और वैभवशाली होती थी। उसकी कला का जनसमुदाय द्वारा आदर किया जाता था और समय समय पर उसकी कला के प्रदर्शन के लिए नगर में कला उत्सव का आयोजन किया जाता था। वैश्या के रूप में नारी के जीवन की अपूर्णता और अकेलेपन को भी यशपाल ने रत्नप्रभा और मल्लिका की जीवन कहानी में रेखांकित किया है। दिव्या नारी के दासी रूप को निभाती है। यशपाल ने यहाँ दारा के माध्यम से दास दासियों में जीवन की त्रासदी को भी उभारा है। उस पर होने वाले अमानवीय अत्याचार को बताया है। नारी के प्रति बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण के संकेत भी मिलते है। धर्मस्थ नारी के लिये, जो समाज में दासी का अभिशप्त जीवन बिताती थी उसकी मुक्ति के लिये उनके पास कोई समाधान नहीं था। उसे संघ में शरण नहीं दी जा सकती थी जबकि पुरूषों को बौद्ध धर्म में दीक्षा के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था।

महापंडित धर्मस्थ देवी शर्मा की प्रपौत्री दिव्या, दासी के रूप में दारा, रत्नप्रभा की शिष्या अंशुमाला, और कला अधिष्ठात्री मल्लिका की उत्ताराधिकारिणी की आकांक्षी दिव्या के रूप में हमें तत्कालीन समाज की विभिन्न नारियों के दर्शन होते है। वही विलासी, गर्विता, उच्छृंखल कामी सीरो जैसे नारी का वर्णन भी यशपाल करते है जो परम्परागत पत्नी के समान पति के किसी भी अपमान को सहने के लिये तैयार नहीं –'सीरो ने रोकर पृथुसेन के अन्याय का विरोध किया..... मैं तुम्हारी क्रीत दासी नही हूँ। तुम मेरे आश्रित हो मैं तुम्हारी आश्रित नही हूँ। मैं तुम्हारे पिजंरे में बन्द सारिका भी नही हूँ। .... मैं द्विज कुल की पत्नी दासी नहीं हूँ। मेरी धमनियों में यवन विजेता का रक्त है।'

इस प्रकार यशपाल ऐतिहासिक उपन्यास दिव्या नारी के आत्मनिर्भर रूप के समर्थक है। वे दिव्या जैसी सगर्वा नारी को परतंत्र जीवन का त्याग करते हुए दिखाते है। वह पराश्रित या भोग्य न बनकर आत्मनिर्भर बनने का संकल्प करती है। सामंती युग में नारी केवल भोग्या मात्र थी उपन्यास के निष्कर्ष द्वारा वे यही सिद्ध करना चाहते है कि नारी का अस्तित्व उसके भोग्य रूप में नहीं बल्कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी है।

बौद्धकालीन संस्कृति में नारी की स्थिति को उजागर करते हुए सोचने के लिये बाध्य करने वाले यशपाल और उनकी कृति दिव्या के बारे में भीष्मसाहनी जैसे विद्वान साहित्यकार द्वारा कहा गया यह वक्तव्य कितना सार्थक और सटीक है ''मैंने उन्हीं दिनों वृंदावनलाल वर्मा के 'विराटा की पदमिनी', 'गढ कुण्डार', 'मृगनयनी' आदि पढ़े थे। राहुल जी के जय योद्येय आदि भी। यशपालजी की इतिहास दृष्टि दोनों से भिन्न थी। न तो इसमें भारतीय समाज का गौरवनगान करने की प्रवृत्ति थी, न ही समाजी रिश्तों को बौद्धिक स्तर पर आँकने की प्रवृत्ति । बौद्धकालीन समाज में नारी की क्या स्थिति रही होगी, इसका सजीव, पैना गहरे में उद्वेलित करने और सोचने पर बाध्य करने वाला चित्रण था। सबसे पहले वह एक सफल उपन्यास था। उसे इतिहास की बैसाखियों पर खड़ा होने की जरूरत नहीं थी। दूसरे आज की दृष्टि से प्रभावित वह अतीत को यथार्थ के धरातल पर लाकर देखने–परखने की कोशिश थी और तीसरे उसमें उस काल के वातावरण का गहरा रंग था। उसमें वह गुण था जिसके बिना अतीत के बारे में लिखा उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास नहीं बन पाता। दिव्या का भाग्य जिन सामाजिक शक्तियों से जूझता है, मठों का पाखंड नारी के प्रति बौद्ध संस्थाओं की तंग नजरी, परम्पराएँ आदि यह सामाजिक दृष्टि उतनी ही आज भी है जितनी उस समय के लिये संगत रही होगी।'

इस प्रकार यशपाल बौद्धकालीन सामाजिक स्थिति में दिव्या तथा अन्य नारी पात्रों के माध्यम से ऐसा मार्मिक चित्रण करते है कि सहज ही आधुनिक कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की ये पक्तियाँ याद आ जाती है।

अबला तेरी यही कहानी।
आँचल में दूध आँखों में पानी।।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. यशपाल का व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व, मणिमय प्रकाशन ।
2. दिव्या – यशपाल लोक भारती प्रकाशन ।
3. यशपाल रचनावली – लोकभारती प्रकाशन ।

****

अनाामिका के कथा साहित्य में चित्रित समस्याएँ

डॉ. वन्दना अग्निहोत्री * आशा शरण **

शोध सारांश - आधुनिक युग में समाज और जीवन में बहुत जटिलताएँ आ गई हैं। इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई सामाजिक समस्याएँ हैं। व्यक्ति कई मानसिक त्रासदियों से गुजर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप विधटित संबंध, निराशा और मजबूरी, अकेलापन, बुढापे की समस्या, आर्थिक समस्याएँ, शोषण की समस्याएँ और अनमेल विवाह आदि समस्याएँ व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला करने लगी हैं। आधुनिक काल में लेखिकाओं ने ऐसी समस्याओं को अपने कथा साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया है। हिन्दी कथा लेखिका अनामिका ने साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने अपने कथा साहित्य के माध्यम से अनेक समस्याओं को उद्धाटित किया है।

प्रस्तावना - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। समाज में रहते हुए वह अनेक समस्याओं का सामना करता है। अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप समस्याएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। साहित्यकार इन समस्याओं को अपने कथा साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता है और साथ ही उनका समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अनामिका एक कुशल रचनाकार की तरह इन समस्याओं से पाठकों को अवगत कराती हैं। जिसमें वे सफल भी रहीं।

उपयोगिता-इस शोध पत्र के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी।

वर्तमान समय में संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। एकाकी परिवारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन समय के साथ ये भी विघटित दिखाई दे रहे हैं। पति-पत्नी अपने 'ईगो' की संतुष्टि में लगे रहते हैं। जिससे परिवार विघटित होने लगता है। 'अवांतर कथा' उपन्यास में नन्ना और उसके पति दीनानाथ के बीच 'प्रोफेशनल ईगो' है।

दीनानाथ जज है और नन्ना डॉक्टर है। दीनानाथ का सारा समय खाली जाता है। जबकि नन्ना के क्लिनिक में मरीजों की भीड लगी रहती है। ये सब देखकर दीनानाथ का गुस्सा नन्ना पर फूट पडता है। 'कैसा निकम्मा बच्चा तैयार हो रहा है अलहदा। माँ को चण्डाल-चौकडी जमाने से फुर्सत हो तब न, एक भी आदत जो करीने की पडी होती। सुबह से जो चिल्ल शुरू होती है- रात तक नहीं थमती। घर में पढने-लिखने का माहौल ही नहीं रहा। .... यह चाय है? ये कपडे धुले हैं? यही रिजल्ट लाए हैं साहबजादे? तुम डॉक्टरनियों के ही तो मजे हैं- प्रतिभा शून्य व्यक्ति भी कैनवासिंग से तुरंत लाइम-लाइट में आ जाए।.........................सुबह का बना खाना शाम तक निगलना पडता है यह घर है भला।.........................जिन मरियल मरीजों के दम पर इतना उछलती हो, तुम्हे अमर नहीं कर देंगे इतिहास में। मिडिऑकर हो, मिडिऑकर ही रहोगी।............पैसे तो पान की दुकानवाला भी उगा लेता है।'[1] अनामिका ने यहाँ पर नारी के दोहरे व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। जहाँ वह कामकाजी नारी की भूमिका निभाती है। वहीं दूसरी तरफ पति से अपमानित होने के बावजूद परिवार के दायित्वों का निर्वाह करती है।

दीक्षा का विवाह जहानाबाद के एम.एल.ए. से होता है। वह देखने में जितना सुन्दर है, उसका व्यवहार उसके विपरीत है। दीक्षा अपने पति के व्यवहार से तंग आकर नन्ना के क्लिनिक में रहने लगती है। तरू को जब सतीश के बारे में पता चलता है, तो वह सोचती है,' ऐसी बोली बोलने वाले से कोई व्याह कैसे कर सकता है भला? प्यार करते समय भी नाक से ऐल्शेसन की साँस आती होगी। रे बाबा धन्य है दीक्षा, जो इतने दिन झेल गई और अभी भी लाख तनावों के बावजूद विवाह-विच्छेद तो नहीं ही किया, सिर्फ अलग ही तो रह रही थी।'[2] पति से प्रेम न मिलने के कारण दीक्षा अलग रहने के लिए मजबूर है। जिससे उसका परिवार बिखरता नजर आता है।

अनामिका ने बिन माँ-बाप की बेटी की समस्या को कहानी के माध्यम से उजागर किया है। गीताली अपने दादाजी और परिवारवालों के साथ रहती है। लेकिन उसकी स्थिति किसी नौकरानी से कम नहीं है। वह सभी की सेवा में लगी रहती है। उस पर किसी को दया नहीं आती। 'दोपहर की धूप आँगन के गुलाबों तक पहुँची, तब तक गीताली ने सारे काम निबटा लिए। दाल पिस चुकी, बडे भाई साहब के सन्दर्भ-ग्रंथों पर जिल्द चढ गयी, मँझली चाची के तानपुरे का खोल सिल चुका, छोटी दी की ओढनी पर इस्त्री हो गयी। उसने चारों आँखें दौडायी।'3 परिवार के सभी सदस्य गीताली की स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसकी मँझली चाची उसे कोलकाता इसलिए ले जाना चाहती है कि उसके बेटे-बहू की सेवा गीताली करे।

'छिपकली, विद्यार्थी और जियो-फिजिक्स का वह प्रश्न' कहानी में गरीबी के कारण विद्यार्थी के परिवार की हालत बहुत ही दयनीय है। वह होनहार छात्र होने के बावजूद आर्थिक अभाव के कारण विदेश में पढने का अवसर भी गवाँ बैठता है। क्योंकि उसकी घर की स्थिति उसके बढते हुए कदम को रोक लेती है। उसके पिता दमे के मरीज होने के कारण कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हैं। 'बच्चे पाँच हैं, एक तो हमारा विद्यार्थी ही, जो छात्रवृत्ति पर अपना गुजारा करता हुआ शहर में पढ़ता है और ट्यूशन से मिले पच्चीस-पचास भेजता भी है। दूसरी-तीसरी जुडवाँ लडकियाँ हैं, जिनकी पीठें आपस में जुडी हैं और बोल नहीं पाती। दिन भर घर के किसी अंधेरे कोने में बिछी पुआल पर लुढकी सोती रहती है। कैसी विडम्बना है कि इन चिर-संगिनियों

* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

ने न एक-दूसरे की सूरत देखी है, न बात की है आपस में। घर के बाहर शायद ही कभी निकलती हैं व्यर्थ का तमाशा बन जाता। ....'[4] इस कहानी में परिवार का हर सदस्य आर्थिक समस्याओं से जूझता है। विद्यार्थी जैसे होनहार छात्र भी घर की परिस्थितियों के लिए अपने सपनों से समझौता करता हुआ एक साधारण स्कूल मास्टर बन जाता है।

विवाह के लिए लडकी का प्रर्दशन हमारे समाज की विडम्बना है। हर लडकी को प्रदर्शन तब तक करना पडता है, जब तक कि उसका विवाह न हो जाए। 'अवांतर कथा' उपन्यास में तरू की शादी के लिए उसके पिता बहुत परेशान होते हैं। तरू को देखने के लिए कोई न कोई लडके वाले आते रहते हैं। यहाँ तक कि शादी के लिए विज्ञापन भी दे दिया जाता है। विज्ञापन देखकर जब भावी पति उसे देखने पहुँचता है तो उसे अपने चेहरे पर लीपा-पोती करना पडता है। 'आने के पहले उसकी बुआ ने जबर्दस्ती उसकी इतनी लीपा-पोती कर डाली थी कि वह लडकी कम, बच्चों की ड्राइंग कॉपी का अंतिम पन्ना ज्यादा लग रही थी- टुहटुह रंगीन।'[5] परन्तु जैसे ही एक दर्शनार्थी जाता है, उसी समय दूसरा दर्शनार्थी भावी पति के रूप में आ जाता है। पर तरू की बुआ को यह डर रहता था कि कहीं तरू सीढियों पर पसरकर मस्ती से पैर हिलाती खोमचे वाले के गोल-गप्पे न गपागप खाने लगे।

विवाह को भारतीय संस्कृति में संस्कार के रूप में स्वीकार करके किया गया है। नारी जीवन से संबंधित अनेक समस्याएँ विवाह के उपरांत दिखाई देती हैं। जिसके फलस्वरूप विवाह बंधन को आज की नारी नकारने लगी है। 'मन कृष्ण, मन अर्जुन' उपन्यास में शिखा विवाह की अनिवार्यता नहीं स्वीकारती, अपितु स्वावलंबी होकर अपनी शर्तो के अनुसार जीवन जीना चाहती है। उसका मानना है कि बिना जीवन साथी के भी एक लडकी सुरक्षित जीवन गुजार सकती है। शिखा को स्वयं पर भरोसा है। वह स्वयं मानती है कि अगर नारी स्वावलंबी हो तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उसे विवाह को लेकर दूसरे की टिप्पणियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बारे में वह अपने विचार स्पष्ट व्यक्त करती है,'जिन औरतों को कोटर की छाया में ही सुख मिलता हो वे करें शादी। जिनके पास अपनी विशिष्ट प्रतिभा है, आर्थिक स्वावलंबन है, मन बांधे रहने को तरह-तरह के उदात्त काम हैं .... वे अकेली भी रही तो कौन क्या बिगाड लेगा।'[6]

समाज में वेश्या का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं है। उसे समाज का एक उपेक्षित अंग समझा जाता है। समाज के द्धारा उसके साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार किया जाता है कि उसके लिए वही दोषी है। समाज में आज भी कई लडकियाँ हैं जिनका जन्म वेश्या की कोख से हुआ है। लेकिन समाज में कई ऐसी स्त्रियाँ हैं जिन्हें पसंद न होने पर भी वेश्यावृत्ति करनी पडती है। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में वेश्याओं की जिंदगी को दूर से देखने की प्रथा चल रही थी। लेकिन समकालीन महिला रचनाकारों ने स्त्री के इस रूप को साहित्य का विषय बनाने का प्रयास किया है। हमेशा समाज के अंधेरे कोने में बंद रहने के लिए अभिशप्त इन लोगों की जीवन कथा को पाठकों के सामने लाने में साहित्यकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। 'तिनका तिनके पास' उपन्यास की स्त्री पात्र शीरीन कहती है,'चाँद का सा सम्मोहन सागरमना इन औरतों के तन-मन में भी होता है। इसलिए सारी दुनिया उनमें अपना सुकून ढूँढती है और फिर धीरे से उँगली भी उठा देती है...................... देखो उसका कलंका।'[7]

वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है, जहाँ पर व्यक्ति सहारे की अपेक्षा करता है। लेकिन सहारे के अभाव में उन्हें कठिनाइयों और बेबसी का सामना करना पडता है। 'तिनका तिनके पास' उपन्यास में लेखिका ने मोनकिया बुआ के माध्यम से एक वृद्ध माँ की व्यथा को व्यक्त किया है। एक वृद्धा अपनी पुत्री और पुत्र की परवरिश कर उन्हें योग्य बनाती है। लेकिन माँ जब बीमार होती है तो पुत्र अपने पुत्र-धर्म का निर्वाह नहीं करता है जबकि पुत्री अपनी माँ का साथ निभाती है। वह बीमार माँ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाती है, तभी एक हादसे में माँ और पुत्री दोनों की मृत्यु हो जाती है। मोनकिया बुआ ऐसे पुरूषों को कोसती हुई कहती है,'कितने बेटे बाप-महतारी को अस्पताल लाते हैं। बॉस और बीबी को सलाम दागने से फुर्सत पाएँ तब तो.............. ये तो नाकारा बेटियाँ ही हैं, जिनके दम से बुढापा पार घाट लग जाता है।'[8]

अनामिका ने अपने कथा साहित्य में अनेक समस्याओं का चित्रण किया है। इनमें से एक प्रमुख समस्या नारी शोषण है। सदियों से किसी न किसी कारण को एक मुद्दा बनाकर उसका शोषण होता रहा है। चाहे वह पति या ससुराल द्धारा हो या समाज द्धारा। लेखिका ने शीरीन की माँ के रूप में एक ऐसी नारी का चित्रण किया है जो शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीडित होते हुए भी चुप रहने के लिए विवश है। शीरीन के पिता पत्नी को अमानवीय तरीके से प्रताडित करते हैं। अंसारी साहब गुस्से में इतना विकराल रूप धारण करते हैं कि बच्चे भी घर से बाहर निकलने में ही समझदारी समझते हैं। शीरीन के शब्दों में,' अब इसका कोई क्या करे कि रह-रहकर उनमें विस्फोट हुआ करते थे। उफ, भयंकरवाले और उन्हें झेलना अम्मी के ही वश में था। हम तो भाग लेते थे।'[9]

विवाह के संबंध में परिवार के मुखिया के निर्णय के कारण अनमेल विवाह की समस्या आती है। 'दस द्धारे की पिंजरा' उपन्यास में शाजिया का विवाह पिता के जिद के कारण उसकी उम्र से तिगुने व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। लेखिका के शब्दों में,'उसके लाख विरोध के बावजूद उसकी शादी उसकी दादी के किसी रिश्तेदार से तय हो गई है जो उम्र से उससे तिगुना है।'[10] शाजिया की इस स्थिति को देखकर रमाबाई दु:खी हो जाती है और शाजिया का गाया हुआ एक गीत उसके जेहन में गूँजता है,'सूरज ने मुझे कुछ नहीं सिखाया और चाँद ने मेरे साथ नीचता दिखायी, सारी रात हम भटकते हैं। अपने ख्यालों की बिखरी हुई भाग्य रेखाओं के साथ।'[11]

अनामिका ने उपन्यास 'अवांतर कथा' में अकेलेपन की त्रासदी को उभारा है। जिसका कोई न हो तो वह अकेला होता ही है। परन्तु जिसका भरा-पूरा परिवार हो उसके लिए अकेलेपन का दंश सहना बडा कठिन होता है। डॉ. दास का भरा-पूरा परिवार रहता है। लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं रहती है कि कुछ पल उनके साथ भी बिताए। छात्र भी तभी आते हैं, जब उन्हें प्रोफेसर दास से कोई आवश्यकता होती है। उनके बेटे भी अपनी असफलता का सारा दोष अपने पिता को ही देते हैं। जिनकी उन्होंने मदद की थी। हद तब हो जाती है जब कुछ छात्र उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके हाथ में भीख का कटोरा थमा देते हैं। इससे वे इतना दु:खी होते है कि अपने आप को एक कमरे में सीमित करते हुए कैद कर लेते हैं। लेखिका के शब्दों में,'अक्सर उनसे बातचीत करने वाला कोई मिलता ही नहीं था और वे बस किताबों से घिरे अपने कमरे में चुपचाप बैठे कुछ न कुछ लिखते रहते थे।'[12]

निष्कर्ष – निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अनामिका ने कथा साहित्य के माध्यम से अपने आस-पास घटित अनेक समस्याओं को व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। विशेषकर नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं को व्यक्त करने में सफल रहीं और अनेक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अवांतर कथा – अनामिका पृ.25

2. वही, पृ.13
3. प्रतिनायक कहानी संग्रह पृ.41
4. वही, पृ.59,60
5. अवांतर कथा–अनामिका, पृ.37
6. मन कृष्ण, मन अर्जुन–अनामिका, पृ. 70
7. तिनका तिनके पास–अनामिका, पृ. 93
8. वही, पृ.29
9. वही, पृ.14
10. दस द्वारे का पींजरा–अनामिका, पृ.84
11. अवांतर कथा–अनामिका, पृ.49

****

चन्द्रकान्त देवताले की कविताओं में यथार्थ चित्रण

उमेश कुमार चरपे * डॉ. खेमराज मगरदे **

प्रस्तावना – चन्द्रकान्त देवताले आज के वक्त के सबसे वरिष्ठ कवियों में से है। लगातार साठ पैसठ के दशक से लेखन कार्य में सक्रिय है। दर्जन भर काव्य संग्रह के साथ अपनी अलग पहचान रखने वाले कवि है। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकडबग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, रोषनी के मैदान की तरफ, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बैंच, उसके सपने, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, पत्थर फेंक रहा हूँ, खुद पर निगरानी का वक्त, जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा जैसे कविता संग्रहों के साथ उन्होंने मराठी के वरिष्ठ कवि दिलीप चित्रे की कविताओं का 'पिसाटी का बुर्ज' नाम से अनुवाद किया। तथा मुक्तिबोध पर एक समीक्षात्मक किताब 'मुक्तिबोध –कविता और जीवन विवेक' लिखी है।

चन्द्रकान्त देवताले की कविताएँ 'व्यापक सहानुभूति और जीवन – विषयक सूक्ष्म निरीक्षण से उत्पन्न जीवन मूल्यों का सशक्त संकेत ही नहीं करती, पाठक का गहरे स्तर पर उद्वेलित भी करती हैं, अपराध–बोध जगाती हैं, आत्मान्वेषण के लिए बाध्य करती है और देश में विषमता की विष वेला के बढते रूपों से साक्षात्कृत कराती है।'[1]

गुंडों और नोटों की ताक़त से हतप्रभ लोग
खामोश खड़े हैं
मैं भी खामोश खड़ा हूँ और काँप रहा हूँ
और ताप राह हूँ और बचा रहा हूँ ठिठुरने से
अपनी आत्मा को
शायद यहीं है इस वक्त का
सबसे ज़रूरी काम'[2]

'चन्द्रकांत देवताले की सोच को अधिक विस्तार में और अधिक गहराई में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं –'अपने नर्क में शुरू करें इस वक्त' में। असल में देवताले जैसे कवि को किसी गुट में स्वीकार करना मुष्किल है क्योंकि अपनी गहन आस्थाओं के सामने देवताले के लिए किसी भी गुट या वर्ग की बड़बोली उद्देश्यवादिता पसंद नहीं है। कवि देवताले जानते हैं कि छद्म और ढोंग किसी विषिष्ट पक्ष की बपौती नहीं होती। देवताले की तेज कवि–आंख की एक्स–रे किरण लीलती छद्म को बेधती है–

'कविता केवल मुँह को दिखाती है
पर मुँह से
सिर्फ थोड़ा–सा होता है
खुलासा तो
हाथों में क्या है देखने ही से हो सकता है।'[3]

'ऐसा नहीं कि रिष्तों में एकरस आत्मीयता ही है। बीच–बीच में ऐसे भी क्षण आते हैं जो एक दूसरे को मुश्किल में डाल देते हैं, दुख और यातना देते हैं, असमंजस पैदा करत हैं, बीच की दूरी का प्रदीर्घ बना देते हैं। 'निष्फल हुई कोशिश मेरी' (रोशनी के मैदान की तरफ) ऐसी ही एक असमंजस को व्यक्त करने वाली कविता है–

'जब तुम देखती हो मुझे
मुझे नहीं लगता मै हूं
तुम कुरसी के टूटे पाए को देखती हो ज्यादह
और मुझे कहीं धुंध में चुपके से छोड़ आती हो।'[4]

चन्द्रकान्त देवताले एक चिन्तक की तरह पैनी दृष्टि रखने वाले कवि है। समाज के अन्दर फैली असंगतियों हिंसा, कुंठा पर उनकी भाषा में अद्भूत धार पैदा होती है। उनकी कविता में स्वप्न, अमूर्त प्रतीक, फैन्टासी का उपयोग देखने को मिलता है। 'देवताले का महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य यह है कि वे भाव की सीधी अभिव्यक्ति या भाव का उच्चारण बहुत कम करते हैं। उनके शरीर प्रकटीकरण का या कार्य व्यापार का या हरकतों का उपयोग प्राय: करते है। परिणामत: कविता मांसल ढंग से विकसित होकर प्रभावशाली बनती है। यह ठोस कृतिप्रवण भाषा किसी भी कवि की महत् भाषिक सर्जनात्मक क्षमता का परिणाम होती है।'[5]

'चन्द्रकान्त देवताले की कविताएँ उसकी रचना–प्रक्रिया को ही मूर्त्त करती कविताएँ हैं, खा़सकर इस अर्थ में कि इन्हें पढ़ते हुए हम उसका वह चेहरा रू–ब–रू देखते हैं, जो आमतौर पर नज़र नहीं आता। उसकी अन्दरूनी बेचैनी के सन्दर्भो की विविधता ही नहीं बल्कि उसकी रचनाकालीन मनोदषा की तीव्रता या मन्दता की पहचान कराती, उसकी इन कविताओं मे, उसकी दु:ख की कई रंगतें हैं, पारिवारिक स्मृतियों के बीच कहीं उसका अकेलापन है, धीरे–धीरे मन को लगातार मथती, उम्मीद या नाउम्मीदी की भाषा है, तो कहीं बार–बार अन्तर्जीवन से, बाहर के कठिन संघर्ष की ओर उन्मुख होती एक बेचैन पुकार सी आवा़ज, जो उसकी सारी लिखित में असम्भव निरन्तरता के साथ, हमेषा ही सक्रिय रही है, लेकिन खूबी यही है कि हर कहीं उसकी भाषा में एक निष्कपट और दो टूक 'कनफैशन' है मसलन एक कविता में अपनी पस्ती और थकान को लिखते हुए वह कहते है–

शायद मै उस अँधेरे की तरह हूँ
जिसे छिपाने के लिए
मैं ही जला रहा हूं अपनी हँसी की मोमबत्ती
नाउम्मीदी की भविष्यवाणी में
मिले तो मिले मेरी कोई ख़बर
मैं खुद तो अपने बारे में कुछ कह नहीं पा रहा'[6]

'बाई दरद लेय कविता में एक सताई हुई स्त्री है। उसके साथ बलात्कार हुआ है। वह प्रेगनेंट है और बच्चा नहीं रहा है। वह अस्पताल में पड़ी है। ऐसा लगता है कि उसके साथ जो हादसा हुआ है, उसे वह याद कर रही है और उससे त्रस्त है, आतंकित है। ऐसा हालत में जो नर्स उसे साथ होती है। कवि कहता है कि बाई दरद ले, इस बच्चे को आने दे, जब यह बच्चा आएगा, तो तेरे सीने में भी दूध उतरेगा। धरती कितना दर्द लेती है, तब धरती से गेहूँ पैदा

*शोधार्थी (हिन्दी) ज.हा. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल) (म.प्र.) भारत
**शोध निर्देशक, ज.हा. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

होता है, फसलें उगती हैं।'[7]

'याद मत कर अपने दु:खों को
आने को बेचैन हैं धरती पर जीव
आकाश पाताल में भी अटक नहीं सकता
इतना हैं औरत जात का दुख
धरती का सारा पानी भी
धो नहीं सकता
इतने हैं आँसुओं के सूखे धब्बे।'[8]

समाज की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। आज भी भारत के कुछ गाँव ऐसे है, जहाँ स्त्री घर की चार दीवारी से मुक्त नहीं हो पाई है। धर्म, आडम्बर ने पुरूष की मानसिकता को गुलाम बना रखा है और अपनी वहीं मानसिकता स्त्री पर लादना चाहता है। समाज का एक वर्ग तो ऐसा भी है जो, स्त्री को परदे में कैद करके रखना चाहता है और धर्म का मुलम्मा चढ़ाकर ढाँकना चाहता है। परन्तु वह पुरूष भूल जाता है कि स्त्री अनंत पृथ्वी को समेटे हुए है, वहीं अपने स्तनों से दूध पिला रही है शताब्दियों से –

'एक औरत अनन्त पृथ्वी को
अपने स्तनों में समेटे
दूध के झरने बहा रही है,
एक औरत अपने सिर पर
घास का गठ्ठर रखे
कब से धरती को
नापती ही जा रही है,'[9]

तरक्की के साथ ही स्त्री पर हिंसा, बलात्कार, एसिड अटैक बढ़ते जा रहे है और हम छाती ठोकते नहीं थकते। ऊपर टाई, नीचे जनेऊ जैसे हम जी रहे है। कपड़े बदलने से सोच में परिवर्तन नहीं आता, आज भी लड़के, लड़कियों को कमजोर समझते है और मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। घर गृहस्थी तक ही सीमित रखना चाहते है। पुरूष कमा कर लाता है और स्त्री को घर सम्हालना होता है। उसे घर की सर्वोसर्वा कहकर समझा दिया जाता है। ताकि घर में कैद होकर रहे। वहीं जब हम दूसरी ओर देखते है, तो स्त्री दुहरी जिम्मेदारियों के बोझ से लदी नजर आती है, बड़े–बड़े महानगरों जैसे मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई आदि में पूरे परिवार का खर्च अपने कंधो पर उठा रही है। वहीं कुछ ग्लैमर की चकाचौध में स्त्री होने की हदों को लांघ रही, वहीं दूसरी ओर परम्परा के बोझ से उभर नहीं पाई है। समाज के अन्दर बड़ी विडम्बना है और समय विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहा है ....

'चन्द्रकान्त देवताले की कविता उपभोग और उन्माद की सभ्यता के बेरोक प्रसार, राजनैतिक संस्कृति में लगातार जारी गिराव, शोषण, दमन और अन्याय को पालने पोसने वाली बाजारू रफ़्तार के विरूद्ध, खालिस देशी सन्दर्भो के धधकते अनुभवों में वाग्मिता और बेबाकी से विन्यस्त , पक्षधरता का एक मार्मिक और अविस्मरणीय दस्तावेज है। व्यापक लोकजीवन के संघर्ष के बीचो बीच रहकर हासिल की गई यह पक्षधरता सूचनात्मक जानकारियों और खिलन्दड़े कौशल या चतुराई से अलग, दिलोजान से इस संघर्ष में शामिल एक ऐसे आत्मसजग मध्यवर्गीय भारतीय व्यक्ति की कविता है, जो लोकानुभव की अन्तर्दृष्टि से ही अपनी पक्षधरता और संघर्ष की दिशाएँ खोजता रहा है।'[10]

'समूचे भारतीय मध्यवर्ग में जड़ जमाए इस दुचित्तेपन को झकझोरती उसकी कविता का मुखर आक्रोश, जो हमेशा से ही उस करूणार्द्र विवेक, विचार और संवेदना का ही स्वर है, जिसे हम कविता कहते हैं। अपनी कविता की पुकार पर ही वह 'नींद की खपरैलों पर धमाचौकड़ी मचाते क़बरबिज्जुओं' और भविष्य के रास्तों पर तैनात लकड़बग्घों' को पहचानता है। 'भूल ग़लती के तहख़ाने से निकलन की लगातार कोषिष में तनी हुई तलवार से आँख मिलाते हुए' याद करता है अपने विश्वव्यापी कुनबे को। और दूर–दूर तक लहराते हरे–भरे घास के मैदानों की तरफ़ देखते हुए महसूस करता है कि 'हरे घोड़ों की तरह फुदकते सारे–के–सारे गाँव के बच्चें' उसके साथ हैं। शायद अपनी हर कविता में वह यही कहना चाहता है कि–

न समझ में आने वाली चीजें थीं हरकत में
पर समझ गया था
धरती को बाँझ बनाने की साज़िशों को सूँघ
जो कह रही थी रँभाती गायें
पर बछड़ों का विकल हेरना, पुकारना उनकी आँखों का
जीवन–मरण का प्रश्न बन गया है मेरे लिए'[11]

'देवताले के पास एक अचूक संवेदना –दृष्टि है, जो अपने भूगोल के सारे ऊबड़–खाबड़पन को समेटती और उसे भेदती हुई अपने समय के मूल उत्सों तक जाती है। उनकी इधर की कविताओं से एक तथ्य और भी सामने आया है कि कवि की संवदेना धीरे–धीरे गहनतर होती हुई एक सक्रिय करूणा में अपनी परिणति पा रही है।'[12] चन्द्रकान्त देवताले के शब्दों में –इस बुल्डोज़र वक्त में भ्रष्टाचार, फरेब और तरह–तरह के माफिया संस्थानों के चलते मनुष्य, मनुष्यता और विचारों को जिस तरह से पहले खंख फिर महिमामंडित किया जा रहा है उसे हम कविता की आंखों से ही देख–दिखा सकते हैं। हमारी विश्वसनीय संस्थाएं राख और भूसे में तब्दील की जा रही हैं, सांस्कृतिक उद्योग करिश्में दिखा रहे हैं। ऐसे में सुभाषितों और नकली चमकते प्रतीकों के बदले प्रतिरोध की आवाज़ ही तो साथ देगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. चंद्रकांत बांदिवडेकर – चंद्रकान्त देवताले की कविता – कविता–स्वभाव, वाणी प्रकाशन पृ. 39
2. चन्द्रकान्त देवताले – 'आग हर चींज में बतायी गयी थी' पृ 87)
3. चन्द्रकान्त बादिवडेकर –चन्द्रकान्त देवताले की कविता, कविता–स्वभाव– वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ.29।)
4. चन्द्रकान्त बादिवडेकर – चंद्रकान्त देवताले की कविता – कविता स्वभाव, वाणी प्रकाशन पृ. 45)
5. चन्द्रकान्त बादिवडेकर – चंद्रकांत देवतांले की कविता: कविता स्वभाव, वाणी प्रकाशन पृ.86)
6. चन्द्रकांत देवताले – पत्थर फेंक रहा हूँ, (धरती को बाँध बनाने की साजिशों विरूद्ध–प्रभात त्रिपाठी) वाणी प्रकाशन दिल्ली पृ.175)
7. मेरे साक्षात्कार – चन्द्रकान्त देवताले –(विषय खुद़ मेरे पास आते है)– नीलकमल और विमलेश त्रिपाठी की बातचीत किताबघर प्रकाशन नयी दिल्ली, पृ 182)
8. चन्द्रकान्त देवताले – उजाड़ में संग्रहालय – पृ. 84)
9. चन्द्रकान्त देवताले– प्रतिनिधि कविताएँ,राजकमल पेपरबैक्स पृ0 43
10. चन्द्रकान्त देतवताले–प्रतिनिधि कविताएँ, पुस्तक भूमिका–प्रभात त्रिपाठी ,राजकमल प्रकाशन पेपर बैक्स 2013, पृ 12
11. चन्द्रकान्त देवताले–पत्थर फेंक रहा हूँ–(धरती को बाँझ बनाने की साज़िशों के विरूद्ध– प्रभात त्रिपाठी) वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली, पृ 170
12. चन्द्रकांत देवताले– भूखण्ड तप रहा है –पुस्तक भूमिका (केदारनाथ सिंह)

डॉ. श्यामसुन्दर दुबे के साहित्य में गद्यात्मक लालित्य

डॉ. आशाराम रहड़वे *

प्रस्तावना – गद्यात्मक लालित्य – डॉ. श्यामसुंदर दुबे के रचनाकर्म पर दृष्टिपात करें तो अब तक उनकी अनगिनत रचनाएं प्रतिष्ठित साहित्यिक प्रकाशनों से प्रकाशित हो चुकी है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में इनकी कृतियां प्रकाशित हुई हैं। गद्य विधा में 'कालमृगया' डॉ. दुबे की ललित निबंध परक कृतियों में से एक है। 'कालमृगया' में संकलित निबंधों में सांस्कृतिक चिन्तन की असाधता आधुनिकता के समान्तर प्राप्त होती है। अपनी रचनात्मकता में ये निबंध ऋतुओं के भीतर की हलचल को व्यक्ति चेतना से संपृक्त कर अनुभव की व्यापकता और गहनता को आत्मीयता के स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। समकालीन संघर्षशील जीवन के ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर निबंधकार इन निबंधों में तलाशता है। इन निबंधों की मूल्यक्ता मानवीय नियति से जुड़ी है। ग्रामीण जीवन की सहज अस्मिता इन निबंधों में प्राप्त होती है।

निबंध के विषय में – इनके सभी निबंधों में लेखक की विवेक सम्पन्न दृष्टि एवं आत्मानंदी वृत्ति परिलक्षित होती है। 'बसंत बोध और काल विदूषक' निबंध सम्पूर्ण अस्मिता को याद करते हुए आज के समय पर चढ़ते पाश्चात्य रंग को बखूबी प्रस्तुत करता है। बसंत ऋतु के सम्पूर्ण सौंदर्य का उद्घाटन इस निबंध में मिलता है। प्रकृति को इसमें अलग ही रूप में देखा गया है। कभी वह रंग बिरंगी छींट का लम्बा घूंघट निकाले ग्राम वधू सी दिखती है, तो कभी मिनी स्कर्ट पहने शरारती शोख शहरी छोकरी के समान मांसल पिंडलियों का प्रदर्शन करती है।

'ग्रीष्म आकाश और विषपायी शिव' में ग्रीष्म की तपन के बाद जीवन की अनेक समस्याओं से जूझकर भी व्यक्ति निराश नहीं होते। यह एक प्रेरक निबंध है। 'सूर्य संदर्भ और आलोचक' निबंध में सूर्य देवता के महत्व एवं उसकी प्राचीनता का वर्णन मिलता है।

डॉ. श्यामसुंदर दुबे का लेखन कार्य काव्य से प्रारम्भ हुआ। गद्य लेखन की ओर दुबे जी को अग्रसर करने वाले दमोह के दिनकर सोनवलकर जी थे, उन्होंने ही इन्हें गद्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि कविता के साथ-साथ गद्य लेखन भी आवश्यक है। गद्य का लेखन करते-करते ही इन्होंने एम.ए. हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी समय हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ. विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निबंधों ने डॉ. दुबे पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उन्होंने भी ललित निबंध लिखना आरंभ किया।

डॉ. दुबे द्वारा लिखित निबंध उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका 'कल्पना' में प्रकाशित हुए। इन्होंने अपने ललित निबंधों में अपने गाँव की लोकचेतना, प्रकृति सौंदर्य, वहाँ के वातावरण, घर, मिट्टी, पहाड़, वन सभी का सुंदर चित्रण किया, उनका मानना है कि केवल ललित निबंध ही वह विद्या है, जिसमें वह अपने इन अनुभवों को व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह ललित निबंध उनकी रचनात्मकता का आधार बना, उनकी विधाओं ने अपना अलग वैशिष्ट्य पाया। ललित निबंध एक ऐसी विधा है, जिसमें विचारों और भावनाओं का अद्भुत धूप-छांव, विन्यास, भाषिक कौशल में व्यक्त होता है। इसलिए ललित निबंध मानसिक संतोष देने वाला भी होता है। डॉ. दुबे कहते हैं कि – 'ललित निबंध, कविता, कथ्य, समीक्षा तथा नाटक का कोलॉज होता है। इसमें अपने ग्रामीण परिवेश वहाँ की संस्कृति, संस्कार, वेदपुराण कथा तथा वहाँ के परिवार के बहुस्तरीय लोक संदर्भों को लिखने में अधिक सुविधा होती है।'

डॉ. दुबे जी ने अपनी सभी विधाओं में ऋतुओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया और उनके प्रारंभिक निबंध भी ऋतु केन्द्रित ही होते हैं। इनमें ऋतुओं के वर्णन के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक आशयों का भी वर्णन है। डॉ. दुबे के निबंधों में जो ऋतु वर्णन प्राप्त होता है, वह अन्यत्र दुर्लभ ही है। इनमें अनेक लोक जीवन, लोकरंगों का भी अनुभव किया जा सकता है। 'कालमृगया' निबंध संग्रह में विविध विषयों पर लिखे गए ललित निबंध संग्रहित हैं। उन्होंने लिखा है – 'प्रकृति की अनेक विधि मुद्राए मुझे न केवल आकर्षित करती रही, बल्कि अपने अंतर्वर्ती लीला-लोक में भी समेटती रही है। मेरे समक्ष मेरा गाँव था – जहाँ नंगे, जर्जर, मेहनतकश, आस्थाशील लोग थे, खेत थे, जंगल थे, पशु-पक्षी और नदी-निर्झर थे। संस्कारों में कर्मकाण्ड था और रामचरितमानस तथा श्रीमद्भागवत के प्रसंग थे। पिता की सजग, किन्तु ज्योतिहीन वृद्ध होती आँखें थी। इन सबने मिलकर कविता दी, प्रकृति और आत्मविषाद की धूप-छाँव में उजास बिखरती कविता। यही कविता कब निबंध बन गई, मुझे स्मरण नहीं है। हाँ इतना जरूर याद आ रहा है कि उस समय हिन्दी साहित्य में कुबेरनाथ राय के निबंधों की बहुत चर्चा थी। उनकी भाषा ने मुझे बहुत आकर्षित किया था।'

'कालमृगया' में लोक जीवन परम्परा के मूल्य मानकों का अनुभव मिलता है। डॉ. दुबे के निबंधों को सबसे ज्यादा शक्ति सामान्य जन ने ही दी है, जो कि डॉ. विद्यानिवास मिश्र की लोक चेतना से भी काफी प्रभावित है। उनके निबंध संकलन 'विषाद बाँसुरी की टेर' में भी लोक चेतना, लोक जीवन के रंगों के ही चित्रण की बहुलता मिलती है। 'कोई खिड़की इसी दीवार से' दुबे जी का ललित निबंध संकलन है। उनके इस निबंध में शास्त्र और लोक की समरसता में अपनी जगह बनाती आधुनिक वैश्विक चेतना में भारतीय सनातन की खोज की गई है।

निबंध 'जल को मुक्त करोय में निबंधकार ने पानी के अमूल्य होने की बात बताई है, क्योंकि जल ही जीवन है, लेखन ने जीवन के इन्द्रधनुष को पानी के कतरे-कतरे में उगते देखा था। वही मोती में आब बनकर उसकी

* मु.पो. खापा खतेड़ा, तहसील - आमला, जिला - बैतूल (म.प्र.) भारत

शोभा और मूल्यवत्ता बढ़ता है। आदमी में यही तेजस्वी स्वाभिमान, उर्वर पौरुष और करुणा की आद्रता बनकर उद्दीप्त होता है। आटे में यही सर बनता है, स्वाद बनता है, रोटी बनकर भूख की आग को बुझाता है। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने वाष्प की एक बूंदनुमा आकृति देखी और उनके चेहरे चमक उठे। पानी जीवन की निशानी है। पानी जीवन का पर्याय है। पानी से ही जीवन जाग्रत होता है।'

डॉ. श्यामसुंदर दुबे जी अपनी ललित निबंध विधा के प्रति अति गंभीर और सजग है। इनके निबंधों के दो केन्द्र रहे है – 'प्रकृति और मनुष्य वह अपने निबंधों में अधिकतर ग्रामीण परिवेश में क्रियाशील मनुष्य के साथ प्रकृति की साझेदारी को रेखांकित करते रहे हैं। 'कोई खिड़की इसी दीवार से' शीर्षक निबंध महत्वपूर्ण है। लेखक ने इसे संग्रह का शीर्षक बनाया है। यह निबंध कठिनाईयों भरी जिन्दगी के लिए आशा की प्रेरणा देने वाला है। सड़क पर दौड़ते 'ईहामृग' निबंध में बंद के दौरान शान्त पड़ी सड़क को लेकर लेखक ने विभिन्न विधि कल्पनाओं द्वारा ललित निबंध की सफल सृष्टि की है। लेखक की भाषा में कविता जैसा लालित्य है – 'कभी गुलमोहर की लाली में हंसती–खिलखिलाती हुई, कभी हर सिंगार के छोटे–छोटे फूलों से चौक पूरती हुई और कभी नीम की पकी निंबोलियों की पियरी ओढ़े सकुचाती एवं शरमाती हुई और कभी धारासार वर्षा में आपाद मस्तक भीगती, निचुड़ती हुई।'

इनके निबंधों में मानव व प्रकृति के साथ ही महिलाओं पर हुए अत्याचारों तथा उसके शोषण का वर्णन भी किया गया है। उन्होंने करारे व्यंग्यों द्वारा नारी शोषण का विरोध भी किया है। उनका निबंध 'विषाद बाँसुरी की टेर' तो धार्मिकता, सामाजिक, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसमें राधा–कृष्ण के प्रेमभाव समर्पण कर चित्रण, फागुन माह में होली के त्यौहार का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें रिश्तों की सीमा–रेखाएँ भाग ही है, केवल हिलन–मिलन का रिश्ता शेष रह जाता है –

'धूम मची गली–गली गैलन होरी को हल्ला
फूटो आज, फागुन को नशीलो भिनसारो है।
भले लागे रंगे–चंगे गोरिया के अंग–तंग,
देखो गली गैलन हुड़दंगन दबारो है।
काले–काले, लाल–पीले पोत के रंग,
अच्छे–खासे खेत को बिजूका कर डारो है।
भंग की तरंगन में सूझ न परत है बिन्ना,
मेरो घरवारों है कि तेरो घरवारों है।'

इस प्रकार इनके निबंधों में बुन्देलखण्ड के संस्कार साकार हो उठे हैं। ग्राम्य जीवन की स्वच्छंदता में शहरों का घुसपैठियापन लेखन को सहन नहीं है। ऊबी और जड़ सभ्यता के बजबजाते नाले गाँव की लोकगंगा में घुसकर उसे विषाक्त बनाते जा रहे हैं। निबंधों की विचाराभिव्यक्ति लेखक की खीझ को व्यक्त करते है, तो उनमें आधुनिकता की खीझ भी है।

डॉ. श्यामसुंदर दुबे जी के निबंधों में गहन वैचारिकता तीव्र भावुकता और विश्लेषणात्मक बुद्धि का परिचय देते हुए विभिन्न पहलुओं पर संवेदनाएं व्यक्त की है। विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों और उत्सवों, आत्मीय रिश्तों के मध्य उपजे हुए विभिन्न प्रश्नों से लेखक का मन कहीं क्षुब्ध दिखता है, तो कहीं आशा से परिपूर्ण दिखता है। इन निबंधों में लेखक की मान्यता है कि मनुष्य के भीतर प्रेम की ऊष्मा समाप्त हो रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हो चुका है। उसने रिश्तों की आत्मीयता और प्राकृतिक संसाधनों पर जिस निर्ममता से प्रहार किया है, उससे मनुष्यता की संभावनाएं मटियामेट हो गई है। लेखक की दृष्टि में यह समय वस्तुतः भौतिक उन्नति, किन्तु आत्मिक अवनति का काल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. श्यामसुन्दर दुबे की सर्जना का लोक–पक्ष – डॉ. प्रियंका राय – ग्रंथ निकेतन, शाहदरा, दिल्ली।
2. डॉ. श्यामसुन्दर दुबे की रचना दृष्टि – डॉ. अम्बिकाप्रसाद पांडे, दीप प्रकाशन, नेहरु पार्क, शाहदरा रोड, दिल्ली।
3. डॉ. श्यामसुन्दर दुबे की रचना दृष्टि – डॉ. गोपाल भूरिया, विजय बुक्स, सुभाष पार्क, दिल्ली।
4. माननीय प्रतिबद्धता – ऋतु त्रिवेदी, आयुष पब्लिक हाउस, दिल्ली।
5. लोक साहित्य – डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, साहित्य भवन, इलाहाबाद।

****

आज के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता

डॉ. मंजू तिवारी * रामबाबू मेहर **

प्रस्तावना – कबीर मूलत: अध्यात्म पुरूष थे। दूसरे शब्दों में वह प्रकृति-पुरूष थे। आत्मा के गायक थे। तत्व-चिंतक थे। वैदिक ऋषियों की भाँति मूलगामी और मूल्यागामी दृष्टि के संत थे। वेदकालीन तत्वचिंतन की परंपरा को मध्य युग में पुन: उपलब्ध करने वाले दु:साहसी सत्यवादी मसीहा थे। सृष्टि में व्याप्त परम-आत्मा को पहचान कर स्वयं भी निर्भय हो गए और विश्व को निर्भयता का अपूर्व संदेश दिया। वह ऐसे आत्मवेत्ता थे, जिसने आत्मसाक्षात्कार कर आत्मचेतना का गुरूमंत्री दिया। वह जीवन अनुभूति थे, जाग्रत संवेदना-पुंज, इसलिए वह आत्म साक्ष्य प्राप्त कर आत्म अनुभव की राह चले। यही उनका मूल मार्ग है।

साहित्यिकता – स्व. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' द्वारा संपादित एवं संकलित 'कबीर वचनावली' ग्रंथ में कबीर ने साधकों 'शब्द' अर्थात ब्रम्हा चहचाह्ने को कहा है:

शब्द को खोजो, शब्द को जानो।
शब्द से शब्द को पहचानो।।
शब्द ही आकाश, शब्द ही पाताल।
शब्द ही सार है, शब्द ही संसार।।
शब्द ही वचन में, शब्द ही श्रवण में।
शब्द ही मूर्ति और शब्द ही रूप।।
शब्द ही है वेद और शब्द ही ध्वनि।
शब्द ही शास्त्र है नाना रूप से गया गया।।
शब्द ही दृश्य है, शब्द ही अदृश्य।
शब्द ही सारा ब्राम्हाण्ड रचता।।
कबीर कहता है कि शब्द को परखों।
शब्द ही ईश्वर है भाई।।

कबीर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी है, जो कुछ कहा है वह उनका ब्रम्हा विचार है-

यह जिन जानहु गीत है, यह निज ब्रम्हा, विचार।
केवल कहि समझाइया आतम-साधन सार रे।।

कबीर ही नहीं अन्य प्रमुख भक्ति काव्य के रचयिता ने भी अपने को कवि नहीं कहा या माना। तुलती पंडित होते हुए भी अपने को कवित-विवेक से शून्य घोषित करते हैं, जायसी अपने को पंडितो का पिछलग्गा मानते हैं। कविता करना उनका लक्ष्य था ही नहीं। उनका लक्ष्य भगवत भक्ति था और उस सिलसिले में उन्होंने जो कुछ कहा या लिखा, यदि उसमें कविता है, तो जैसा कि आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कहना है, वह घलुए' में मिली वस्तु है। 'घलुए' में मिल जाने के नाते ही वह हमारे लिए कम महत्वपूर्ण और कम मूल्यवान नहीं है, उल्टे जैसा कि सच है, सारे संतों और भक्तों की तथा सबकी, सब न सही, जितना और जहाँ तक उनमें कविता है, वह बड़ी कविता है, मूल्यवान कविता हैं, कविता के ऊँचे से ऊँचे मानदण्डों में कविता है- आगे के समयों के महाकवियों के लिए आदर्श भी और चुनौती भी।

संदेह, सूर और तुलसी मीरा या रसखान के बारे में या अधिक व्यापक धरातल पर बात करें तो संदेह सगुण भक्तों के बारे में उनको भक्तिजनित उद्गारों के बारे में नहीं उठाया गया कि उनमें कविता है या नहीं या कितनी कविता है। संदेह किया गया है, निगुर्ण संतों की बानी के कविता होने पर, या कम से कम उत्कृष्ट कविता होने पर और जब संदेह आचायर्च शुक्ल जैसे काव्य-मर्मज्ञ करें, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम संतो के कथनों में गहराई से उतरें और जाँचे कि वस्तुत: उनमें कितनी कविता है और कैसी कविता है चूँकि संप्रति हमार विवेच्य कबीर है और शुक्ल जी ने कबीर की बानियों के कविता होने पर सन्देह ही नहीं किया अपने कथन के पक्ष में ठोस तर्क भी दिए हैं, एतएव शुक्ल जी के तर्को के बरक्स हम कबीर की इन बानियों को देखेंगे, ताकि हम आश्वस्त होकर कह सके कि कबीर की रचना में कितनी कविताई है और कितना कुछ, जिसे शुक्ल जी ने या तो सांप्रदायिक शिक्षा कहा है या फिर रहस्यवाद के दायरे में आने के नाते कविता का विषय ही नहीं माना, जेनूइन और प्रामाणिक कविता की बात तो दूर। दिलचस्प तथ्य यह है कि शुक्ल जी के कबीर-विवेचन के विपरीत हर स्तर परख कर चाहे वह कबीर का रहस्यवाद हो, उलटबाँसियां हो, उनकी योगपरक उक्तियाँ हों, कबीर का दृढ़ता के साथ पक्ष लेने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कविताई के सवाल पर भी आचार्य शुक्ल से उनकी सारी काव्य-मर्मज्ञता के बावजूद असहमत हैं और कबीर-बानी को न केवल कविता, वरन् उत्तम कविता कहते हैं।

संस्कृत काव्य – शास्त्रियों और पश्चिम के सौन्दर्य-शास्त्रियों में यह भी लम्बी बहस का विषय है कि रहस्यवादी कविता का क्या उन्हीं मानदण्डों से मूल्यांकन करना चाहिए, जिनसे शुद्ध कविता का किया जाता है? अंशत: यह वही पुराना भेद-उदात्त और सुन्दरता के बीच है। भारतीय काव्यशास्त्र पर लिखने वाले सर्वसंग्राहक समीक्षकों ने उसे ब्रम्हानंद सहोदर कहा। दूसरी और हिन्दी में कुछ रूढ़िवादी और दकियानूसी आलोचक आज भी हैं, जो कबीर को कवि ही नहीं मानते, बल्कि उन्हें उन संतों और भक्तों की कोटि में गिनते हैं, जिन्होंने कुछ ऊबड-खाबड़ पद्य-रचना की है। ऐसे समीक्षक काव्य में रीती, शैली आदि की चमक या परिपूर्णता पर कुछ अधिक बल देते हैं, परन्तु यदि एक महाकवि का एक लक्षण उसका विलक्षण या विशिष्ट व्यक्तित्व भी है तो कबीर नि:संदेह ऐस कवि हैं। कबीर कभी-कभी अस्पष्ट

* प्राध्यापक एवं विभागध्यक्ष (हिन्दी) शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (हिन्दी) शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, यद्यपि वे उतने अस्पष्ट नहीं होते जितने कि कुछ आधुनिकतावादियों के होते हैं। अंग्रेजी कवि विलियम ब्लेक या जर्मन कवि रेनर मारिया रिल्के की तरह कबीर में भी ऐसे अनेक स्थल हैं, जो सुन्ने में बहुत सरल लगते हैं, परन्तु उनमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा रहता है। सच तो यह है कि कबीर निरे कवि नहीं थे। उससे अधिक बहुत कुछ थे। वे एक ही समय दो आयामों में जीते थे। उनके लिए ईश्वर चेतना और कविता दो विश्लेषण की जाने वाली अलग-अलग मानसिक स्थितियाँ नहीं थी। जर्मन रहस्यवादी मेईस्टर एखार्ट ने ठीक ही कहा था 'मनुष्य को परम में एक होना चाहिए। अपने में और उस परम तत्व में एकता खोजनी चाहिए। जिसका अर्थ ईश्वर और केवल ईश्वर ही के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद उसे लौट आना चाहिए और उसकी चेतना भी होनी चाहिए।

प्रतीक पद्धति – अमरकोष में प्रतीक का शाब्दिक अर्थ संकेत, अवयव तथा चिन्ह दिया गया है। वस्तुत: प्रतीक द्वारा किसी वस्तु के समान रूप वस्तु का वर्णन किया जाता है। यह रूप विचार, अनुभव देखने पर सुनने पर मस्तिक की कल्पना तथा परिकल्पना द्वारा शब्दों में प्रकट किया जा सकता है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने प्रतीक अथवा संकेत को समझाते हुए उल्लेख किया है कि, 'प्रतीक से अभिप्राय किसी वस्तु की ओर इंगित करने वाला न तो संकेत मात्र है और न उसका स्मरण दिलाने वाला कोई मित्र या प्रतिरूप ही है। यह उसका एक जीता जागता एवं पूर्णत: क्रियाशील प्रतिनिधि है, जिस कारण इसे प्रयोग में लाने वाले को इसके ब्याज से उसके उपयुक्त सभी प्रकार के भावों को सरलतापूर्वक व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल जाया करता है। आचार्य जी का इस कथन प्रतीक को पूर्णत: स्पष्ट नहीं करता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल प्रतीक को स्पष्ट कर प्रतीक योजना को सरल शब्दों में समझाते हुए लिखते हैं, प्रतीकों का व्यवहार हमारे यहाँ के काव्य में बहुत कुछ अलंकार प्रणाली के भीतर ही हुआ है पर उसका मतलब यह नहीं कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि के उमान और प्रतीक एक वस्तु है प्रतीक का आधार सादृश्य या साधर्म्य नहीं, बल्कि भावना जाग्रत करने की निहित शक्ति है, पर अलंकार में उमान का आधार सदृश्य ही माना जाता है। अत: सब उपमान प्रतीक नहीं होते। प्रतीकों का उपयोग काव्य में अनेक प्रकार से किया गया है। डॉ. प्रीताम्बर दत्त बडथ्वाल का कथन है कि 'भाषा भी अपने आप में प्रतीक ही है। प्रतीक के प्रयोजनों में सन्त कबीर ने अपनी रचनाओं में भावना को स्पष्टत: मूर्त रूप देने तथा आश्चर्य एवं विस्मय प्रकट करते हुए किया है। कबीर ने उलटवाँसियाँ में प्रतीकों को प्रयुक्त कर समाज में विस्मय जाग्रत कर धर्म के प्रति रूचि उत्पन्न की है। कबीर की उलटवाँसियों में विरोधाभास कराने वाली प्रतीक योजना है। नाथपंथी साहित्य में पारिभाषिक शब्दों के आधार पर कई प्रतीकों को प्रयुक्त किया गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रतीकों का प्रभाव दो प्रकार से दर्शाया है। प्रथम भावों को जाग्रत करने वाले तथा द्वितीय विचारों को जाग्रत करने वाले। कबीर द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों का वर्गीकरण विद्वानों ने कई प्रकार से किया है। श्री गोविन्द त्रिगुणायत ने माननीवय सम्बन्धों के अतिरिक्त कबीर के सांकेतिक पारिभाषिक संख्यामूलक तथा रूपकात्मक प्रतीकों की चर्चा कबीर का अभिव्यंजना कौशल आलेख में की है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर के दाम्पत्य वात्सल्य, दास्य तथा सांख्य भाव के प्रतीकों का वर्णन कबीर साहित्य की परख में किया है। कबीर साहब द्वारा प्रतीकों में साधना प्रणाली तथा संख्यावाचक शब्दों को प्रयुक्त किया गया है। कबीर ने रूपक, अन्योक्ति आदि के माध्यम से भावनायुक्त प्रतीकों की रचना की है। इन सबसे महत्वपूर्ण कबीर की उलटवाँसियाँ हैं, जो विरोध मूलक प्रतीकों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। कबीर द्वारा प्रयुक्त प्रतीक योजना में आध्यात्मिक, साधनात्मक तथा भावपरक प्रतीकों के अतिरिक्त दैनिक जीवन तथा तत्संबंधी अनुभवों को व्यक्त करने के लिए भी प्रतीकात्मक पारिभाषिक शब्दों को प्रयुक्त किया गया है। परम्परागत शब्दों को नवीन अर्थ के रूप में प्रयुक्त करने से कबीर की प्रतीक शैली हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में एक महत्वपूर्ण विधा बन गई है। वेद, उपनिषद तथा पुराणकालीन प्रतीक परम्पराओं के साथ नाथ तथा सिद्धों की प्रतीक योजना को कबीर ने उनके काल के वातावरण एवं प्रचलित परम्पराओं पर आघात करने को दृष्टि से उल्टवाँसियाँ में अत्यन्त युक्तियुक्तकरण से प्रयुक्त किया है। सन्त कबीर द्वारा साधनात्मक, आध्यात्मिक तथा भावनायुक्त प्रतीकों के अतिरिक्त तत्कालीन समाज से सम्बन्धित, प्रकृति से संम्बन्धित प्रतीक शब्दों को भी अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। कबीर की प्रतीक योजना उनके रहस्यवाद में भी विन्यस्त हुई है। कबीर की भावपूर्ण अभिव्यंजना में प्रतीकों का प्रयोग साहित्य की लगभग सभी शाखाओं में किया गया है। कबीर की प्रतीक योजना साम्यमूलक तथा विरोधामूलक रूपों में निर्मित है।

साम्यमूलक प्रतीक प्रणाली के अन्तर्गत संख्यामूलक साधनामूलक रूपक तथा अन्योक्ति का प्रयोग कबीर ने कई प्रकार से कर उनकी रचनाओं को साशक्त माध्यम प्रदान किया है।

सांख्यमूलक प्रतीक – कबीर द्वारा सिद्ध तथा नाथ सम्प्रदाय के योगियों द्वारा संख्यावाची शब्दों को अपने प्रतीकों में उपयुक्त करने की परम्परा का निर्वाह हुआ है। कबीर की प्रतीक योजना में कई संख्यावाचक शब्दों को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। यथा-पंच चोर, पंचनारि, एकै कुवां, सात समुंद छप्पन कोटि, तैंतीस करोड, चौरासी लाख, पंच पहरवा, नव दरवाजे, पंच कुटुम्ब सातों विरहीं आदि। इन शब्दों को संयुक्त कर कबीर ने देवताओं, योनियों, विधाओं तथा विभिन्न कलाओं की संख्याओं को प्रतीकों में युक्त किया है। देवताओं के लिए तैंतीस करोड़ तथा योनियों के लिए चौरासी लाख संख्याओं का उल्लेक कर कबीर ने प्रतीक के रूप रचना की है:

तैतीस करोडी है खेल खांनां, चौरासी लख फिरै दिवांनां।
निसि अंधियारी कारनै, चौरासी लाख चंद।।

इसी प्रकार कबीर जी ने संख्यावाची प्रतीक चौंसठ तथा चौदह की संख्या को क्रमश: कलाओं एवं विधाओं के लिए प्रयुक्त किया है। उन्होंने मानव शरीर को एक कुआ तथा इन्द्रियों को पांच पनिहारी में प्रयुक्त कर संख्यामूलक प्रतीक की रचना की है: एकै कुवा पांच पनिहारी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पूरा कबीर, सं बलदेव वंशी – प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली 2005
2. उत्तर भारत के निर्गण पंथ साहित्य का इतिहास – डॉ. विष्णुदत्त राकेश साहित्य भवन प्रा.लि. 1975
3. कबीर और रामान्द, डॉ, धर्मवीर – वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2000
4. मध्यकालीन हिन्दी संत विचार और साधना – डॉ. केशरी प्रसाद चौरसिया, हिन्दुस्तानी एकडेमी, 1965

****

अमृता प्रीतम की रचनाओं में नारी चरित्र की गरिमा

डॉ. कोयल विश्वास *

प्रस्तावना – कालजयी रचना वह है, जिस पाठकवृंद हमेशा याद रखें। कुछ रचनाएँ ऐसी होती है। जिन्हें पढ़कर मानव मन में भावनाओं की लकीर खींच जाती है। भाषा की परिपाटी से भी अधिक भावनाओं की गहराई ने साहित्य को अमरत्व प्रदान किया है। लेखिका अमृता प्रीतम उन हिन्दी साहित्यकारों में से है, जिनकी रचनाओं में मानवीय मन की सूक्ष्म तरंगों एवं भावनाओं को महसूस किया जा सकता है। एक स्त्री होने के कारण उन्होंने स्त्री सशक्तिकाण पर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया है। उनकी कहानी–'उधड़ी हुई कहानियाँ' इन्हीं मूल्यों पर टिकी हुई है।

आधुनिक युग स्त्री मुक्ति, स्त्री शिक्षा तथा नारी सबलीकरण की ओर उन्मुख है। स्त्री विमर्श में भी अधिकतर उन स्त्रियों को समानाधिकार देने पर जोर दिया जाता है, जो समाज के दायरे में पड़ती है। परंतु देहात के गांवों तथा जनजाति समुदायों के औरतों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अलग प्रकार का ही संघर्ष लेखिका ने इस कहानी में चित्रित किया है। यहाँ केवल स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष को भी अशिक्षा, अंधविश्वास एवं पुरानी परम्पराओं को तोड़कर ही एक नया जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

कहानी कुछ इस प्रकार है – केतकी और लेखिका कुछ ही समय में एक दूसरे से काफी घुलमिल गयी थी। केतकी की मुस्कुराहट और उसकी वृद्धावस्था में भी भोलेपन ने लेखिका को उसको प्रति सम्मोहित किया था। केतकी अपने पति कार्तिक के साथ एक सुखद जीवन बिताती हुई दिखाई देती है। परंतु इस सुख को पाने के पीछे उसने और कार्तिक ने जिन संकटों का सामना किया था, वह केवल स्मृतिपट पर कहानी सी बनकर रह गई थी। केतकी अपने पति को 'बिरंग चिट्ठी' कहती है, जिसका दार्शनिक अर्थ भी निकाला जा सकता है। जब किसी के नाम कोई चिट्ठी भेजता है, तो उसमें मोहर लगता है। बिना मोहर के चिट्ठी को दुगुने मोल देकर लिया जाता है। केतकी को भी कार्तिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, दुगुना मोल देना पड़ा। कार्तिक की पहली पत्नी रोपी और केतकी सहेली थी। जब रोपी के जुड़वे लड़के हुए तब उस गांव की समझदार माने जाने वाली 'गुनिया' ने रोपी को दोषी ठहराया। उसने बेकसूर रोपी पर आरोप लगाया कि उसके दो पुरुषों के साथ संबंध थे, जिसके कारण उसके दो लड़के हुए। चकमक टोला में सबको पता था कि रोपी निर्दोश है परंतु अंधिविश्वास के कारण किसी ने इसका विरोध नहीं किया। दुर्भाग्यवश रोपी के दोनों बच्चे चुंदरु–मुंदरु की मौत हो गई। रोपी ने भी आत्महत्या कर ली और कार्तिक अपने परिवार को उजड़ते देख गुनिया की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। केतकी ने इस भीषण परिस्थिति में कपिल धारा को साक्षी मानते हुए कार्तिक को अपना पति बना लिया और उसे उस जनजाति से दूर ले जाकर एक सुखी जीवन दिया। उसे यकीन था कि उसके हिम्मत की नींव पर बसने वाली जिन्दगी सुखमय होगा। इस रिश्ते को बड़े बूढ़ों ने भले ही स्वीकृति न दिया हो लेकिन यह केतकी का अपना संघर्ष था और वह अपना जीवन अपने असूलों से जीना चाहती थी।

केतकी अशिक्षित होते हुए भी अपने समाज के अंधविश्वास एवं परम्परागत रुढ़ियों के आगे अकेले खड़े होने का साहस किया। लेखिका का उद्देश्य इस बिंदु पर आकर सफल होते हुए दिखाई देता है। क्रांति एक ही इंसान से शुरु होता है, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है ?

केतकी और कार्तिक की एक बेटी हुई जिसका नाम रोपी रखा गया। रोपी के दो लड़के हुए जिनका नाम केतकी ने चुंदरु और मुंदरु रखा। कार्तिक की उजड़ी हुई जिन्दगी फिर से बस गयी। एक स्त्री का बुद्धिबल पुरुष के जीवन को सँवारती है।

निष्कर्ष – लेखिका अमृता प्रीतम की रचनाएँ वास्तविकता से दूर नहीं जाती है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए विचारों में नवीनता लाना आवश्यक है। इस कहानी को समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो केतकी परिवर्तन का अंकुर है। चकमक टोला जैसे न जाने कितनी ऐसी जनजाति के लोग अंधविश्वास में अपना पूरा जीवन बिता देते है। अशिक्षा को अपनी मजबूरी बनाकर वे अपनी स्थिति से समझौता कर लेते है। लेखिका ने केतकी के माध्यम से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर संकेत किया है – केतकी का कार्तिक के प्रति सच्चा प्रेम और जीवन को अलग ढंग से जीने की तीव्र लालसा।

इसलिये कहानी केतकी की वृद्धावस्था से प्रांरभ होती है। अपने जीवनसाथी के साथ जीवन के हर दिन को भरपूर जीती हुई केतकी समाज के लिये एक उदाहरण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।
2. अमृता प्रीतम, मेरी प्रिय कहानियाँ, पृ.स.–110

* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) मांउट कार्मेल कॉलेज, स्वायत्त, बैंगलूरु (कर्नाटक) भारत

Poetic Literature - An Effective Medium For Language Learning

Arpana Shrivastava*

Introduction - Language and literature is an invaluable international peer reviewed journal that covers the latest research in stylistics defined as the study of style in literary and non literary language. It provides a thorough understanding of the historical range of English literature and the development of the language. It considers the use of English in context, and the themes, principles and significance of literary works in their contexts. The study of literature and language opens up the world of human expression and communication from the language of poetry to that of social media. It gives us an opportunity to explore the relationship between literature, language and society.

Indian literature refers to the literature produced on the Indian subcontinent until 1947 and in the republic of India, thereafter Sanskrit literature begins with the oral literature of the Rig-Veda, a collection sacred hymns dating to the period 1500-1200 BC. The Sanskrit epics Ramayana and Mahabharata appeared towards the end of the first millennium BCE. Its early history began with the works of Michael Madhusudan Dutt followed by R.K. Narayan, Mulk Raj Anand and Raja Rao who contributed to Indian fiction in the 1930s. It is also associated with the works of members of the Indian Diaspora such as V.S. Naipaul, Kiran Desai, Jhumpa Lahiri, Kovid Gupta, Salaman Rushdie. The Ancient Indian Literature consists of the four Vedas and the Upanishads. The four Vedas provides information regarding the development of early and the later Aryan civilization. The difference in the language, philosophy and the region that was occupied by the Aryans in the Rig Vedic time and of the days of the Atharva Veda must have taken a few hundred years, if not a thousand years.

English literature is valued by employers who recognize that graduates are very well equipped for a range of career paths requiring good communication, clear presentation of arguments and ideas and the ability to understand and evaluate complex information. After graduation, students can go into teaching, publishing, journalism, advertising as well as a wide range of other graduate-level jobs.

English Literature modules us to learn and analyse, criticize various forms of writing, from narrative fiction to modern drama. The history of Indo–Anglian Poetry begins with Henry Derozio. His Poetry is derivative in the sense that the influence of the British Romantic Poetry is obvious and palpable.

In today's day and age having solid English skills is a must, it's becoming the language of the world and all of us. Communication skills explains the basic principle of communication so that you can create an open and honest communications environment in any situation. Each person's communication style is a unique combination of their own innate skills and those learned both formally and through experience. What makes some people better than others at communication is their ability to adapt their style to suit the message, environment and exchange.

If a language learner is asked what they think the goal of a language course is, they would probably answer that it is to teach the grammar and vocabulary of that language. However, if they are asked what their goal is as language learners, they would most probably answer that it is to be able to communicate in that language. Fortunately, the focus of second language teaching has moved from purely teaching grammar and vocabulary, to providing the skills for effective communication. In linguistics terminology, a language course should not only have "linguistic competence" as its goal but 'Communicative competence" in general structural competency. The inclusion of structural competency training in pre-health under graduate programs may offer significant benefits to future health care professionals. The skills that students exhibited represent proficiencies increasingly emphasized by the educational bodies.

One of the major issues in our day is lack of communication. In today's society, we all talk excessively. We want our voices, our words to be the truest, the strongest. We do not consider that there are other voices and we must make room for them. A true communication requires reaching a common ground in conversation and proceed from there. Through literature of course, we must constantly improve our empathy skills to establish a true communication. Reading a lot of poetry and novels, allows us to identify with different characters.

Poetry, the term derives from a variant of the Greek term, poiesis. It is a form of literature that uses aesthetic and rhythmic qualities of language. It is a literary work in which the expression of feelings and ideas is given intensity by the use of distinctive style and rhythm. It is a form of

*Lecturer (English) Govt. N.M.V., Hoshangabad (M.P.) INDIA

literature that uses aesthetic and and rhythmic qualities of language-such as symbolism and evoke meanings in addition to, or in place of the prosaic ostensible meaning. Poetic literature consists largely of oral or literary works in which language is used in a manner used in poetic structures, help to emphasise and define a rhythmic pattern. Poem is an arrangement of words written or spoken traditionally a rhythmical composition, sometimes rhymed expressing experiences, ideas or emotions in a style more concentrated, imaginative and powerful than that of ordinary speech or prose some poems are in meter some in free verse.

Poetry is literature in meter form. It is a form of written word that has pattern and rhythm and rhyme. It can be serious or it can be fun. Basic poetry is in verse form, called stanza, made up of meters created by feet .There can be more than one stanza to a poem and then for effect throw in a chorus and a refrain these stanzas can have a rhythm and it can be blank verse also.

Teaching English through poetry - Poetry offers wonderful opportunities for reading writing, speaking and listening practice. Poetry also gives students a chance to expand vocabulary knowledge, to play with language and to work with different rhythms and rhyme patterns. Getting students to think about poems, they are familiar with, can help make the transition into English language poetry smoother working with poetry from different countries and languages is also an excellent opportunity to encourage students to share their cultural heritage with the class. Depending on the English level of the students, there are a variety of ways to start bringing poetry in the classroom.

Give students a chance to illustrate poems - Have students work in pairs to discuss and illustrate a short poem. This will encourage them to think about meaning and then express their interpretation in their illustrations with the class, so that everyone has a chance to think about the different meanings that their classmates discovered.

Talk about different between stories and poems - Provide students with a copy of a short story they have already read and a short poem. Have students share those differences with the class, we can use poetry with predictable language patterns, phrases, rhymes, so that they are easier for students to read.

Read a variety of poems out loud - Reading a poem out loud brings it to life. Students will begin to understand and notice different rhythms and feelings represented as understand how the language creates an image or mood.

Discuss the vocabulary used in different poems - Offer a Wonderful opportunity to teach new vocabulary related to a topic or idea as well as a chance to think about language.

Basic rules of the language - Developing a solid foundation in English grammar will not only help them create their own sentences correctly but will also make it easier to improve their communication skills in both spoken and written English.

Basic English Grammar Lessons :-

- Singular and Plural Nouns
- Possessive Nouns
- Pronouns
- Action verbs
- Adjectives
- Adverbs
- Tense
- Gerunds
- Infinitives
- Active and Passive
- Articles
- Prepositions
- Conjunctions
- Interjections

The Basic English language instruction program was created to meet the need for English teachers in primary schools. Every month a test is given to evaluate the progress of English literacy among primary school children and results have shown vast improvement in their written and spoken abilities. Currently there are 167 Global Peace Volunteers and counting who are actively engaged in the English teaching program. There are hundreds of grammar rules but the basic ones refer to sentence structure and parts of speech. Let's look at the way, sentences are put together and the words that form them.

i. Don't be afraid to make mistakes. Be confident. People can only correct your mistakes when they hear you make them.
ii. Surround yourself in English. Put yourself in an all English speaking environment where you can learn passively. The best way to learn is through speaking.
iii. Practice every day make yourself study plan. Decide how much time a week you are going to spend studying and stick to it, establish a routine.
iv. Practice the 4 core skills: reading writing, speaking and listening. They all need to be worked on, for them to improve.
v. Do a lesson at least once a day.
vi. Find a comfortable, peaceful place for quiet study. You need somewhere where you can focus 100%.
vii. Think about your strong and weak points. Write down which areas you want to improve and work on improving them of course, don't ignore your learn BBC learning English.
viii. Make use of the internet. It's full of resources to help you learn : BBC learning English.
x. Keep yourself motivated by looking back at the textbooks and CDs you used in the past. You'll be surprised at how easy they seem to you now?
xi. Use an English dictionary as it will help you to keep thinking in English and not translating.
xii. Record your voice and listen to your pronunciation and intonation it will help you to identify your problem areas.
xiii keep an eye on your punctuation as it can totally change what you are trying to say.

Conclusion - One of the things I like most about using poetry in the classroom is that I can usually create lots of opportunities for personalization. This means that the students have plenty to say, and the communication is geruine because they are talking about their own experiences or hypotheses. They are engaged and motivated which helps to make the lesson and the language

memorable.

There are resource books of ideas and activities for using poems in the English language classroom. They contain useful bibliographies of poetry and anthologies too. Thus playful approach to language introduce each grammar concept from parts of speech to sentence construction and agreement. Lessons include an engaging modeled writing activity, provide helpful ways to explain grammar concepts to students, and support student understanding with hands on extension activities that appeal to all types of learners.

Not only is it possible to teach beginners only through English, but it can also be one of the most rewarding levels to teach. There are some tips for teaching English to beginners firmly on the path to increasing proficiency. Keep instructions clear and simple, let them listen first, Drill, repeat drill, repeat drill….. This helps to ensure that your intonation is natural and that you get element speech right. Finally enjoy this level. Although in many ways it is the hardest level to teach, it can also be one of the most satisfying.

From the point of view of undergraduates a positive change in attitude towards the English language is also required. We need quantity and quality in terms of English teachers. I hope, the present generation of teachers in our schools and enlightened university lecturer will be able to convince the undergraduates especially in the arts stream that a good knowledge of English language is absolutely essential.

References :-

1. https ;//m.indiamart.com>spokenenglish..
2. Cambridge International dictionary of English.
3. Webster's Encyclopedia Unabridged Dictionary of English Language.
4. Power of The Real English Course-2 Printed at Drishti Offset.
5. Language and Literature, Journal 'The Poetics and Linguistics Association' Volume 26 November 2017
6. Hymes, Dell H (1966) " Two Types of Linguistics relativity: In Bright, w Sociolinguistics. The Hague : Mouton.
7. Literature in the language Classroom Collie and Slater Cup 1987.
8. Literature Duff and Maley OUP 1990.
9. Mack,N(2005) Teaching Grammar with Play full poems: Engaging Lessons with model poems by Favourite Poets New York, N Y Scholastic.
10. https://en.m.wikipedia.org>wiki>poetry.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Thorough Study On Different Teaching Methods In English

Dr. Satkala*

Abstract - In any field of work, we have to work with a proper plan, method or any strategy. In the same way in English language is also taught to use some methods or strategies. Whatever strategies that is used by teachers to enable student learning or pass knowledge and information to their students is called the teaching methods.

Introduction - In this era of Science and Technology, there are so many teaching methods. Here, my purpose to write this paper, to see what the best methods are for students learning and what will be the result implemented by these methods.

(A) Grammar-translation Method - Learning is largely by translation to and from the target language. Grammar rules are to be memorized and long lists of vocabulary learned by heart. There is little or no emphasis placed on developing oral ability. It is a classical method that was used in Greek and Latin teaching.

Aims - 1. Enable students to read and translate.

2. It is for students' general Intellectual development.

Results/Scope - It is limited only to classroom. It has no practical use because students can't communicate in English. It focused only reading and writing at the place of speaking and listening. There is the little scope of this method.

(B) The Direct Method - In this method entire teaching is in the target language. The learner is not allowed to use his or her mother tongue. Grammar rules are avoided and there is emphasis on good pronunciation. The purpose of my paper to see what the aims of this method are and what will be the result after its implementation.

Aims - 1. Direct method aims to build a direct relation between experience and language, word and idea, thought and expression

2. This method enables students to learn how to communicate in the target language

3. This method is based on the assumption that the learner should experience the new language in the same way as he/she experienced his/her mother tongue.

Results/Scope - Activity-oriented classroom created a lively atmosphere in the classroom. Classes are usually developed around a picture, which depicts a situation of life in the country where the language is spoken. Conversations between the teachers and the learners develop in the Target Language. Thus the classroom is always filled with the speech sounds of the Foreign Language.

(C) The Bilingual Method - This method was developed by **Dr. C. J .Dodson**. He says, **'a different attitude is necessary toward the place and function of the mother tongue in the process of learning a second language'.** It was proved that the mother tongue, when used as a meaning conveyor, facilitates rather than hinders the imitation responses of the learners. At the initial stages, the teacher uses the mother tongue for asking questions and in giving explanations and instructions. But, in the later stages, the use of the mother tongue is reduced gradually, and the teacher uses only the target language.

Aims - 1. Focused on more practice and active contact with the foreign language

1. Enable students to acquisition of correct language habits.

Results/Scopes - Later, this method was not accepted as it opens the 'floodgates' of the mother tongue which results in the excessive use of it in English language classes; this, in turn, considerably reduces whatever little exposure there is to English.

(D) Audio-lingual Method - It is based on behaviorist theory. Here students are taught through reinforcement theory. This method doesn't focus on vocabulary, but the direct use of Grammar. The theory behind this method is that learning a language means acquiring habits. There is much practice of dialogues of every situation. New language is first heard and extensively drilled before being seen in its written form. Richard & Rodgers says that (1986) "It is an English language teaching theory in which we teach our target language through training"

Aim - 1. Enable students to communicate.

2. Enable to learn by seeing and practice.

Results/Scope - Language skill is learnt better if the learning items are presented in oral form before they are presented in written form. Good habits are formed by giving correct responses rather than by making mistakes. By

*H.O.D. (English) Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Jhujhunu (Raj.) INDIA

memorizing dialogues and performing pattern drill the chances of producing mistakes are minimized. Language is verbal behavior that is the automatic production and comprehension of utterances.

(E) The structural approach - This method sees language as a complex of grammatical rules which are to be learned one at a time in a set order. When the old methods and approaches were not found entirely satisfactory, an innovative approach to the teaching of English was searched out by the educationists at the University of London. The structural approach that is known as aural-oral approach has taken two distinct forms - the vocabulary approach and oral approach.

Aims - 1.students activity centered approach.

2. Enable to teach sentence patterns through language drills.

1. It focused on **'what to teach'**.

Result/Scope - Oral work is the central point of this approach. **F.G. French** said: - "**Oral work is the basis and all the rest are built on it."** Through this students make able to direct connection between the English words or phrases and the object, action or idea.

(F) Communicative language teaching (CLT) - The focus of this method is to enable the learner to communicate effectively and appropriately in the various situations she would be likely to find herself in. The content of CLT courses are functions such as inviting, suggesting, complaining or notions such as the expression of time, quantity, location.

Aims - 1. It was taught by practicing basic structures in meaningful situation-based activities.

2. It is acquired through com-munication that it is not merely a question of activating an existing but inert knowledge of the language.

3. Enable students to develop the language system it-self.

Results/Scopes - There is another fundamental dimension of language that was inadequately addressed in current approaches to language teaching at that time - the functional and communicative potential of language. They saw the need to focus in language teaching on communicative proficiency rather than on mere mastery of structures.

(G) Content-Based Instruction (CBI) - Content- based instruction explains to an approach to second language teaching in which teaching is organized around the context or information that students acquire, rather than around a linguistic or other type of syllabus**.**

Aims - 1. It is for academic, vocational, social or recreational purposes.

3. It focused on the shape and ultimately meaning of the text.

Results/Scope - Thus, language teachers may be insufficiently grounded to teach subject matter in which they have not been trained. As CBI is based on a set of broad principles that can be applied in many different ways and is widely used as the basis for many different kinds of successful language programmers, one can expect to see CBI continues as one of the leading curricular approaches in language teaching.

(H) Computer Assisted Language Learning (CALL) -In this age of information technology, there is hardly any sphere of human activity that has been left untouched by computers. Computers have revolutionized data storage and retrieval and have added a new dimension to educational technology. Computer lessons address all the skill areas-listening, speaking, reading and writing. It also makes distance learning possible as well as convenient.

Aims - 1. Enable students in LSRW skills.

2. Enable students' acquisition of language by new technologies.

Results/Scopes - The language laboratories can set up with equipment that provides individual learners with a headset. It can control presentation. It can combine visual and graphic information with text it can highlight features using color and movement. It provides immediate feedback. And this can be used for error correction. It can also help in error-analysis. It can be very useful for students as well as teachers also.

(I) The Silent Way - This is so called because the aim of the teacher is to say as little as possible in order that the learner can be in control of what he wants to say. No use is made of the mother tongue. The Silent Way is a discovery learning approach. The teacher is largely silent, giving more time for the students to understand the language. Students are responsible for their own learning and are encouraged to express themselves; beginners talk about what they see, more advanced students talk about their lives and what they think. The role of the teacher is not to model the language but to correct mistakes by giving sensitive feedback.

Vocabulary is the Backbone of English Learning - Most of the teaching methods avoid or give no importance to vocabulary. But without a good vocabulary we can't communicate in any language. For a good communicator as well as a good listener the foremost thing is vocabulary.

Conclusion - While our teaching method utilizes resources such as grammar texts and other material to learn basic grammar, we feel that enacting real-life scenarios is the most effective way to teach and reinforce English grammar. The basic principles and procedures of widely practiced methods for teaching a second language are described. Real life communication came into existence from the notion of language as a social process. It then became recognized approach for language teaching.

The researcher agrees with **Mitchell and Myles,** "**that there can be no best method which is relevant at all times and in all circumstances with all types of learners."**

In keeping with today's learners the teachers use diverse language teaching methods. The main purpose of any classroom teaching in English is to improve the communicative abilities of the learners. To improve the communicative abilities, the classroom teaching has to be

necessarily skill oriented. English language is widely used for communication purposes and so competence in language skills has become necessary to improve the communicative abilities specially listening, speaking, reading and writing (LSRW).

References :-

1. Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching New York: Cambridge University Press, 2001) 12
2. Wilga M. Rivers, Teaching Foreign Language Skills Chicago and London: The University of Chicago Press, 1968) 21
3. Scott, D.H. Language Teaching in the New Education. London: University of London Press, 1946. Print.
4. Anthony, E. M. (1963). “Approach, Method, and Technique” ELT Journal XVII (2): 63 67. doi:10.1093/elt/XVII.2.63.

****

Competition Law In India - Need To Go Slow And Steady

Aprajita Bhargava*

Abstract - The globalized and liberalized Indian economy is witnessing cut-throat competition. To provide institutional support to healthy and fair competition, there is a requirement of better regulatory and adjudicatory mechanism. To this effect, India has enacted the new competition law which shall replace the earlier law. This is a shift from curbing monopolies to encouraging competition. The design of the new law carves out a very important role for the Competition Commission of India (CCI). The task has been divided in three phases. This article sets out to explain the intricate relationship of competition law and judiciary in India by examining the experience CCI had so far. The article then goes on to examine the role of lawyers. The article then considers the time frame for the implementation of the three phases and provides realistic suggestions to have a successful setting of competition regime in India.
Key Words - Competition Advocacy, Competition Commission, India, Judiciary, Lawyers, MRTP Act

Introduction - In the pursuit of globalization, India has responded by opening up its economy, removing controls and resorting to liberalization. The natural corollary of this is that the Indian market should be geared to face competition from within the country, and outside (Viswanathan, 2003). To take care of the needs of the trading, industry and business associations, the Central Government decided to enact a law on competition. Finance Minister, Chidambaram (2003) highlighted the need to have a strong legal system and said —A world class legal system is absolutely essential to support an economy that aims to be world class. India needs to take a hard look at its commercial laws and the system of dispensing justice in commercial matters." With this zeal the Government went ahead and enacted the Competition Act, 2002.

The Earlier Law And The Need For Change - The Monopolies and Restrictive Trade Practices came into force on June 1, 1970 as the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969. The Statement of Objects and Reasons mentioned that the Act was to provide that the operation of the economic system did not result in the concentration of economic power to the common detriment, for the control of monopolies, for the prohibition of monopolistic and restrictive trade practices and for matters connected therewith and incidental thereto (MRTP Act, 1969).

Since 1970, the Act had been amended several times to suit to the changing circumstances. However, in late 1990s, it was felt that the MRTP Act had become obsolete in certain respects in the light of international economic developments relating more particularly to competition laws and there was a need to shift focus from curbing monopolies to promoting competition. The Raghavan Committee discussed the issues and concluded that the MRTP Act was beyond repair and could not serve the purpose of the new competitive environment. A new law (Indian Competition Act) may be enacted, the MRTP Act may be repealed and the MRTP Commission wound up. The provisions relating to unfair trade practices (UTP) need not figure in the Indian Competition Act as they were covered by the Consumer Protection Act, 1986. The pending cases in the MRTP Commission may be transferred to the concerned Consumer Courts under the Consumer Protection Act, 1986. The pending MTP (Monopolies and Restrictive Practices) and RTP (Restrictive Trade Practices) cases in the MRTP Commission may be taken up for adjudication by the Competition Commission of India (CCI) from the stages they were in (Raghavan, 2000).

The Competition Act, 2002 (the Act) received assent of the President of India on January 13, 2003 and was published in the Gazette of India dated January 14, 2003.

The Indian Experience So Far - Indian experience with the competition regime so far has vindicated it. The setting up of the competition regime in India has so far proved to be a much more difficult task than envisaged. There are a number of reasons which may be equally true in any developing economy. Besides all those reasons, India is facing the unique challenge from Judiciary

When on October 14, 2003, the Central Government appointed Mr. Dipak Chatterji as Chairperson of the CCI for a period of five years from the date on which he entered upon his office, or till he attained the age of sixty-seven years, whichever is earlier, no one knew that even after one and a half years, the CCI would not have a chairperson (Gazette, 2003). A petition was filed in the Supreme Court challenging the appointment of Chatterji as the chairperson. The grounds of challenge, inter alia, being that Chatterji a

*Research Scholar, D.A.V.V., Indore (M.P.) INDIA

senior bureaucrat cannot sit in judgment over retired High Court and Supreme Court judges. The Supreme Court admitted the petition and issued notice to the Central Government to file its reply. The Central Government argued that the CCI was more of a regulatory body that requires expertise in the field and such expertise cannot be supplied by members of judiciary. It was also contended that the CCI was an expert body and it is not as if India was the first country which appointed such a Commission presided over by persons qualified in the relevant disciplines other than judges or judicial officers. This argument did not find favour with the judiciary. It is important to note that the Constitution of India provides for independence of judiciary. Due to this independence and wide powers under Articles 226 and 32 of the Constitution of India, the High Courts and the Supreme Court respectively are able to exhibit such judicial activism which is unheard of in other countries. The Supreme Court took a firm stand of not accepting the Central Government's argument.

In January, the Central Government assured the Supreme Court that amendments would be made in the Competition Act to enable the Chairperson and the members to be selected by a Committee presided over by the Chief Justice of India or his nominee. The Supreme Court on January 20, 2005 disposed off the petition in view of the submission made by the Central Government (Supreme Court, 2005).

Challenges And The Task Ahead - For the last more than a year, the CCI has been working without the Chairperson. There has been some arrangement by the Central Government in the form of personnel on deputation and some activities to give a semblance of a working commission. However, due to uncertain future of the CCI, earlier because of the petition pending in the Supreme Court and later due to the expected amendment in the Competition Act, the existing CCI has not been able to do what was envisaged. There have been half-hearted efforts to spread competition advocacy. This is a challenging task to merge the issues of business, law and economics and present a curriculum which is acceptable to all. Many of the above activities are currently being undertaken. There is a need to have personnel solely for the work of CCI so that the system may get the benefit of their experience.

According to the time schedule, the second phase of adjudication œ should start anytime. But it does not appear to happen in the near future. One of the most important aspects of the adjudication process would be that the judicial and executive members work in tandem. It is easier said than done. The Supreme Court (2005) has said that there may be two bodies œ one with expertise that is advisory and regulatory and the other adjudicatory. There may be an appellate body to sit in appeal over the orders of the lower adjudicatory body. And, the jurisdiction of the Supreme Court under Article 136 shall always remain unquestioned. Setting up adjudicatory bodies requires capital as well as revenue expenditure. Except the Supreme Court and the High Courts, whose expenditure is charged on the Consolidated Fund of India, all other judicial bodies depend upon the government œ central or state. Recently, the Central Government refused to allocate funds for the 1,734 Fast Track Courts, established a couple of years back. The Supreme Court had to intervene and give a direction to the Central Government to grant funds to these courts. Still the future of these courts hangs in the balance (Times Of India, 2005).

It has been envisaged that in the third year, the CCI will commence regulation of certain combinations. This is just wishful thinking. Merger control requires very complex assessments and risks of mistaken decisions are high, specially when such assessments are made by insufficiently experienced competition authorities. There is a serious dearth of trained professionals in this field.

Awareness - To set up a competition regime, it is essential that awareness is spread and limited resources are used in the most effective manner. For this, the agenda has to be truly realistic. First of all, adequate time should be allocated for the first phase of activities œ competition advocacy. One year is too short a period for this. It may be enough for developed countries, but for India, a lot more time, may be two to three years, or even more, is required. During this time period there should be a concerted effort from the CCI, the government, bar associations, business communities and the educational institutions. The most important is the inclusion of competition curriculum in the business, law and economic schools. It is a process which shall take about two to three years time and the desirable results can only be obtained when the students are well prepared to take the challenge of putting into practice what they learnt in the class room.

Role Of Lawyers - Lawyers are not the most likable section of the society and it is known that the lawyers' association is a very strong and powerful body. It has tremendous clout and also has a strong say in the policy formulation of the government. Due to this reason, entry of foreign law firms in India is fought tooth and nail by the bar associations across India. In such a scenario, it would be detrimental for the society to start the adjudication process in the CCI without creating awareness about it.

Conclusion - As planned now, the adjudication process starts just after one year œ the entire business community and the lawyers are not ready for the new law. Going for the adjudication stage prematurely would lead to such matters going to the lawyers who have not been trained for the new competition regime. As the new regime requires a totally different mindset and attitude œ more towards internationalism and resolution of disputes with a not-so-strict-legal perspective œ the lawyer, who has been till now trained with the traditional tools, would not be fit to serve the purpose. The competition regime must be brought slowly and cautiously. Agreed, too much circumspection leads to inaction. But, justice hurried is justice buried. Not to go with the Shakespearean doctrine of killing all the

lawyers, but training them before making the CCI to function is the sine qua non. Half baked lawyers will wreck havoc. There is no need to rush into the competition regime without full preparation. Until and unless awareness is made adequately, the CCI should not jump to the second phase. If it rushes into the second and then to the third phase without satisfactorily completing the first phase, it would be a classic case of fools rush in where angels fear to tread. Make haste slowly.

References :-

1. CCI website (2005), - Brief Note On The Provisions Of The Competition Act, 2002 And The Jurisdiction, Powers And Duties Of The Competition Commission Of India", http://www.competition-commission-india.nic.in/
2. Choubey, Akash and Mishra, Saurabh (2004), - Competition Law: Glancing Back, Looking Ahead", Practical Lawyer Web Journal 17, Available at http://www.ebc- india.com/lawyer/articles/733.htm
3. World Bank (2004), Working Paper No. 35, Competition Law and Regional Economic Integration: An Analysis of the Southern Mediterranean Countries.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Environmental Jurisprudence In India

Anita Parmar *

Abstract - The principal objective of this paper is to demonstrate the importance of Environmental Jurisprudence in India. This paper includes role of law makers and various legislations related to Environment Protection in India. It also talks about the influence of International Law on the domestic legal regime to deal with the problem of environment protection. It further provides an idea about judicial approach with special references to Public Interest Litigation and cases decided by Hon'ble Supreme Court of India
Keywords - Environment Jurisprudence Environment Protection, Domestic and International Legislations, Judiciary.

Introduction - "...Nature provides a free lunch, but only if we control our appetites..."1

Industrialisation and a growing consumer economy have led to the creation of huge megapolises with their problems and a growing consumer economy have led to creation of huge megapolises with their problems of indisposed garbage and uncontrolled sewage. The non-biodegradable plastic bag we openly dump, to the fumes generated by our luxurious cars all are unswerving invitation to our most dreadful nightmare. One can observe this destruction in every field. The rapid melting of ice caps, polluted water bodies, epidemics arising due to that unfit water and air nothing but a 'wake up' call. A final call, if we do not adhere to the principles what is taught to us by the nature, we would face the most antagonistic face of nature; something which would be synonymous to destruction.[1]

In the Constitution of India it is clearly stated that it is the duty of the state to 'protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country'. It imposes a duty on every citizen to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wildlife.[2]

Under the lights of the Rio-de Janeiro (late 1970s) earth summit and the ideas of International bodies such as UN, The World Commission on Environment and development India is igniting its potential best. Following are the main objectives laid down by the ministry of environment:

Conservation and survey of flora, fauna, forests and wildlife

Prevention and control of pollution.

Afforestration & regenerationof degraded areas. Protection of environment, all within the frame work of legislations.[3]

Legislators - In India is concerned, the Ministry of Environment and Forests is the nodal agency at the Central level for environmental programmes, apart from policy formulation.[4]

An urgent need for introducing a comprehensive legislation for providing protection to wild animals and birds felt by the central government[5]

Wild Life(Protection Act), 1972 - This is Act is basically for the protection of animals, plants and birds which live in forests. Hunting of wild animals is permitted only when such animals become dangerous to the human beings or it becomes diseased beyond recovery.[6]

The Indian Forest Act, 1927

The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 - Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974 is the first ace thrown by the Indian government. This act has clauses which also provides for Criminal liabilities.[7]

Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - The objective of the Act was to provide prevention, control and abatement of air pollution. This Act basically aimed at the industrial pollution and automobile pollution.

Environment (Protection) Act, 1986 - This is an umbrella legislation, that has a broad spectrum indeed. It covers from Radio- Active Substances disposal to use of plastic bags[8]

The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 - According to this act the State Government shall categorize industrial, commercial, and residential or silence zones and implement noise standards

A Tool For Improvement - In India it was J PN Bhagwati and J Iyer through their landmark judgments made a clear path to proceed on the road of PIL.

The glory of delivering several admirable landmark verdicts goes to the Supreme court of India. It was Mr. M.C Mehta[9]

Andhra Pradesh Polluting Industries Case:. The Supreme Court directed that an amount of 20 million should be paid to the farmers who had lost their crops and cattle due to air and water pollution. The authorities are directed

*Assistant Professor (Law) Indore Institute of law, Indore (M.P.) INDIA

monitor setting up of set up pollution control devices by the polluting industries[10]

Delhi Ridge Case - To save the Delhi ridge from destruction an order from the Supreme Court was obtained directing NCT of Delhi to declare it as 'Reserved Forest'.[11]

Gamma Chamber Case - Against the hazardous radiation a PIL was filed in the Apex Court. The Court's timely intervention saved the students and teachers of Jawaharlal Nehru University (JNU) from the radiation of Gamma Chamber, New Delhi.[1212]

W.P. 4677/1985

Ganges Pollution Case - The Supreme Court of India reacting to the public interest litigations has passed several judgments and a number of Orders against polluting industries numbering more than fifty thousand in the Ganga basin. As a result of these directions millions of people have been saved from the effects of air and water pollution in Ganga basin covering 8 states in India.[13]

Kamal Nath's Case - The Supreme Court of India had directed the removal of all sorts of encroachment spending the money from their own pocket.[14]

Taj Trapezium Case - The Supreme Court of India delivered a historic Judgment in December 1996. The apex Court gave various directions including banning the use of coal and directing the industries to switch over to Compressed Natural Gas (CNG).[15]

In addition to this, every Friday a courtroom is set aside to adjudicate the cases of MC Mehta. He has succeeded in getting 40 land mark judgments sole handedly from the Supreme Court which it self is a record.[16]

Influence Of International Law On The Domestic Legal Regime -

Polluter Pays Principle - The Polluter Pays Principle was first adopted at international level in the 1972 OECD Council Recommendation on Guiding Principles concerning the International Aspects of Environmental Policies.

This principle was also adverted to in Indian Council for Enviro-legal Action vs. Union of India.[17]

Absolute liability is one tort [18]where fault need not be established. It is no-fault liability. In the Oleum Gas Leak case (M.C. Mehta v. Union of India) [19],

Precautionary Principle and Principle of New Burden of Proof

The Supreme Court of India, in the case of Vellore Citizens' Welfare Forum v.Union of India[20] referred to the precautionary principle and declared it to be part of the customary law in our country.

In the Vellore Case[21]".

In A.P. Pollution Control Board case24: it was explained that the 'precautionary principle'

Sustainable Development - Justice P.N. Bhagawati once made a insightful observation: 'We need judges who are alive to the socio-economic realities of Indian life' This statement explains the gradual shift in the judicial approach while dealing with the issues of sustainable development.[22]

"...Remediation of the damaged environment is part of the process of 'Sustainable Development' and as such polluter is liable to pay the cost to the individual sufferers as well as the cost of reversing the damaged ecology..." [23]

Public Trust Doctrine - The 'public trust' doctrine was referred to by the Supreme Court in M.C. Mehta v. Kamal Nath[24] The doctrine extends to natural resources such as rivers, forests, sea shores, air etc., The State is holding the natural resources as a trustee and cannot commit breach of trust[25]

Nicola Tilche, In What Ways Is The Emphasis On Public Participation A Positive Development In Environmental Law? An Analysis Of The Aarhus Convention And Its Impact On EU Environmental Law And Policy. Environmental Law & Practice Review, Volume 1, 2011

Relevant Case Analysis -

Narmada Bachao V. Union of India Air 2000 SC 3751 - In May 1985 the loan was sanctioned, and in 1987 the Ministry of Environment and Forest accorded Environmental Clearance subject to certain conditions.[26]

The Supreme Court observed that the SSP by generating clean eco-friendly hydropower will save the air pollution which would otherwise take place by thermal general power of similar capacity.[27]

M.C. Mehta (Badkhal And Sujratkund Lakes Matter) VS. Union Of India - On the basis of the two reports before it the Court concluded that the mining activities were harming the environment and must be stopped and 51A (g) of the Constitution of India give a clear mandate to the state to protect and improve the environment. including forests, lakes, rivers and wildlife.

Recommendations - In view of the involvement of complex scientific and specialized issues relating to environment, there is a need to have separate 'Environment Courts'[28]manned only by the persons having judicial or legal experience and assisted by persons having scientific qualification and experience in the field of environment. Also what we need is a speedy justice when it comes to trials related to the environment.

Conclusion - In India, the judiciary has interpreted Art 21 to give an expanded meaning of including the right to a clean, safe and healthy environment. the right to a clean, safe and healthy environment, class actions have been entertained by the Supreme Court under Art 32 of the Constitution as being part of public interest litigation actions. The High Courts, also being granted this jurisdiction under art 226 have intervened by passing writs, orders and directions in appropriate cases, thereby giving birth to an incomparable environmental jurisprudence in the form of the constitutional right to healthy environment.

References :-

1. Basu Durga Das, Shorter Constitution of India, Thirteenth Edition, 2003, Wadhwa and Company, Nagpur.
2. Basu Palok, Law relating to Protection of Human Rights, First Edition 2004, Modern Law Publications.
3. Belsare D.K., Introduction to Biodiversity, First Edition

2007, A P M Publishing Corporation.
4. Bhat P. Ishwara, Fundamental Rights, 2004 Edition, Eastern Law House.
5. Chaudhari & Chaturvedi, The Law of Fundamental Rights, Third Edition 1985, The Law Book Co.(P) Ltd.
6. De D.J., The Constitution of India, 2002, Asia Law House
7. Dicey A.V, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Tenth Edition 2003, Universal Publishing Co. Pvt. Ltd.
8. Diwan and Rosercranz, Environmental Law and Policy in India, Oxford University Press.
9. Diwan Paras & Diwan Peeyush, Human Rights and Law, 1996 Edition, Deep & Deep Publications.

Law Dictionaries/ Lexicons

10. Aiyer, Ramanatha P., Advanced Law Lexicon, Third Edition, 2005, Wadhwa, Nagpur.
11. Garner Bryan A., Black's Law Dictionary, Seventh Edition 2002.
12. Oppe A.S., Wharton's Law Lexicon, Fourteenth Edition 2003.
13. Sethi R.P., Supreme Court on Words and Phrases, 2004, Ashoka Law House.
14. Venkatramaiya, Law Lexicon, Second Edition 2005, Law Publishers (India) Pvt Ltd.

(Footnotes)

2. Basu Palok, Law relating to Protection of Human Rights, pp. 27-28, First Edition 2004, Modern Law Publications.
3. Article 48 of the Indian Constitution, Refer to Directive principle of state policy and Fundamental Duties Portrait of the Current Status Qua
4. Pylee, M.V. (999). India 's constitution. New Delhi: S. Chand and Company. ISBN 81-219-1907-X..
5. Pylee, M.V. (1999). India's Constitution. New Delhi: S. Chand and Company. ISBN 81-219-1907-X.
6. Ibid Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, pg. A-3
7. Ibid
9. 1997 Magsaysay Award Winner for Public Service
10. (1996) 6 SCC 26
11. (1996) 8 SCC 462
13. AIR 1987 SC 1086
14. W.P. 182/1996 Decided on 15th March 2002
15. AIR 1997 SC 734
16. Refer to www.goldmanprize.org, last visited on 01.12.2011
17. 1996(3) SCC 212.
18. Ranchhodas, R., Thakore, D. K., & Singh, J. G. (2010). Liability for wrongs commited by others (26th edition ed.). Gurgaon, Gurgaon, India: Lexis Nexis Butterworths Wadhwa Nagar.
19. AIR 1987 SC 1086
20. 1996(5) SCC 647
21. Supra fn 25
22. 1999 (2) SCC 718 (at p 734)
23. Ibid
24. 1997 (1) SCC 388
26. Sinha, Savita; Das, Supta; Rashmi, Neeraja (2005). Social Science - Part II. New Delhi: National Council of Educational Research and Training, India. ISBN 81-7450-351-X
31. Ibid
32. Law, Judiciary and Environmental Governance Need of Separate Environment Courts In India,Pooja Shastri,Rashmi Bela,GNLU

****

Arbitration - Settlement Of Dispute Outside The Court

Deeksha Dubey *

Introduction - Arbitration is a procedure in which a dispute is submitted, by agreement of the parties to one or more arbitrators who make a binding decision on the dispute in choosing arbitration. The parties opt for a private dispute resolution procedure instead of going to court.

Its principal characteristics are –

1. Arbitration is a consensual
2. The parties choose Arbitration
3. Arbitrators is neutral
4. Arbitration is a confidential procedure
5. The decision of the arbitral tribunal is final and easy to enforce.

Definition – Settlement of a dispute (whether of fact, Law or procedure) between parties to a contact by a neutral third party (The arbitrators) without resorting to court action arbitration is usually voluntary but some times it is required by law. If both sides agree to be based by the arbitrators decision (the award) it becomes a binding arbitration. The next procedure to be followed (if not included in the contract under dispute) is governed usually by country's arbitration laws or by the arbitration rules prescribed by the international chamber of commerce (ICC)

The arbitration process consists of

1. The parties agree to binding arbitration.
2. They select a mutually acceptable arbitrator and agree to split the fees equally or have the losing party bear the costs.
3. Deciding on which issues to arbitrate agreeing on which facts are not in dispute.
4. Crafting an agreement on how evidence will be handled live testimony or by deposition transcripts, exhibits and submission of documentary evidence such as medical records and reports, employment and school records without the need for formal foundation requirements or reports or testimony submitted with notarized affidavits and under penalty of partying.
5. Any other conditions such as length of time to present a case or presentation of the uses.

An arbitrators finding or verdict is binding and generally not subject to appeal under the aggrieved party can demonstrate under bias fraud corruption or partially on the part of the arbitrator.

How does Arbitration work – Arbitration agreements require that parsons who signed them resolve any disputes by binding arbitration, rather than in court before a judge and/or Jury. Binding arbitration involves the submission of a dispute to a neutral party who hears the case and makes a decision

Type of Arbitration and their importance –

There are two types of Arbitration.

1. Voluntary arbitration 2. Compulsory arbitration

1. **Voluntary Arbitration -** is a binding adversarial dispute resolution in which the disputing parties one or more arbitrators to hear their dispute and to render a final decision or award after an expedited hearing.
2. **Compulsory Arbitration –** is one where the parties are required to accept arbitration without any willingness on their part. When one of the parties to an industrial dispute feels aggrieved by an act of the other, it may apply to the appropriate government to refer the dispute to adjudication machinery such reference of a dispute is known as compulsory or involuntary reference.

Importance of Arbitration – Arbitration is widely used to resolve disputes in both the private and public sector. Arbitration is generally considered a more efficient process than litigation because it is quicker less expensive and provides greater flexibility of process and procedure.

How does an Arbitration work – The third party an arbitrator, hears evidence brought by both sides and makes a decision sometimes that decision is binding on the parties. Arbitration is often confused with mediation, which is an informal process of bringing in a third party who goes between the disputing parties to help them settle a dispute.

Is Arbitration cheaper than court – Most parties in arbitrations will also hire lawyers to help then through the processing adding to their costs. Still resolving a case through arbitrations is usually for less costly than proceeding though litigation because the process is quicker and generally less complicated than a court proceeding.

Important elements as Arbitration Agreements – A well drafting arbitrations agreement provider a road map for administering the Arbitration and helps narrow expectation as you resolve a disputer. To weigh the considerations of each clouse against own specific circus stances to arrive at an agreement that is suited for particular matter.

*L.L.B. (X Semester) Global Jindal Law University, Sonipat (Hariyana) INDIA

1. Choose the right Arbitration mechanism
2. Selecting and administrative body
3. individual arbiter selection
4. Framing the scope of dispute for Arbitration
5. Choosing the seat and location of hearing
6. Choice of Law
7. Confidentiality and trade secrets
8. Scope of Discovery
9. Allocation of fees
10. Limitation as claims and Damages.

Procedure – Arbitration judicial authority before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party so applies not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration the application shall not be entertained unless it is accompanied by the original arbitration agreement or a duly certified copy there of The parties shall be given sufficient advance notice any hearing and of any meeting of the arbitral tribunal for the purposes of inspection of document, goods or other property. All statements documents or other information supplied to, or applications made to the arbitral tribunal by one party shall be communicated to the other party, and any expect report or evidentiary document on which the arbitral tribunal may rely in making its decision shall be communicated to the parties. The arbitral tribunal may use mediation, conciliation or other procedures at any time during arbitral proceeding to encourage settlement.

An arbitration is a reference to the decision of one or more person, either with or without an umpire of a particular matter in difference between the parties, If the parties agree to arbitration then provision of the Arbitration and conciliation Act, 1996, will apply and said Act comes into play only after the stage of reference up to the award

Arbitral Awards – Although arbitration awards are characteristically an award of damages against a party, in many jurisdictions tribunal have a range of remedies that can farm a part of the award these may include.

1. Payment of sum of money (conventional damages)
2. The making of a “declaration” as to any matter to be determined in proceedings
3. In some jurisdictions, the tribunal may have the same power as a court to –

- Order a party to do or refrain from doing something.
- To order specific performance of a contract.
- To order the rectification, setting aside or cancellation of a deed or other document
- In other Jurisdictions, had ever unless the parties have expressly granted the arbitrators the right to decide such matters. The tribunal powers may be limited to deciding whether a party is entitled to damages. It may not have the legal authority to order injunctive relief, issue a declaration or rectify a contract such powers being reserved to the exclusive jurisdiction of the courts.

References :-

1. Born, Gary (2009) International Commercial Arbitration Kluwer.
2. David, R (1985) Arbitration in international Trade.
3. Varady, Tibor, Barcelo, John J, Von Mehron, Arthur Taylor (2006) international Commercial Arbitration 3rd Ed.
4. PWC (2008) International Arbitration: Corporate Attitudes and Practices.
5. Salem Advocate Bar Association V. union of India, AIR 2005 SC 3353(2005) 6 SCC 344: JT 2005.
6. Collius V. Collius, 28 LJ Ch 186.
7. Blacks Law Dictionary, 7th Edn. P-284
8. Salem Advocate Bar Association V. Union of India, AIR 2005 SC 3353: (2005) 6 SCC. 344: JT 2005
9. Blacks Law Dictionary, 7th Edn. P-998

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Educational Messages In Bhagvad Gita

Prof. N.N.G. Mathur* Khel Shankar Vyas**

Abstract - The purpose to the study the educational messages of Gita is to implement the educational approaches of the Gita in present scenario. The Gita is not only a holy book but also "Gagar me Sagar" It tells about virtual knowledge and true Friendship .It specially stresses on the importance of the soul. It literally means "The Lord Song". The Lord says that the body is perishable and the soul is not perishable. The objectives of the education according to Bhagvad Gita is the development of virtual knowledge, modification of personality adjustment in individual and social aims, internal consciousness, intellectual ability and establishment importance of duties in life. The concept of the teacher in the Gita is that he must be most balanced. The curriculum should be based on knowledge, Art, Science, Engineering, body and soul. The methods of teaching should be according to the need of the pupils. Stress should be laid on learning by doing. The moral of the Bhagvad Gita entails upon the discipline of the performance of one's duty without attachment to the results in sattvic way. Thus Gita rightly strikes at the roof of the problem.
Key Words - Virtual, stress, perishable, concept, soul, moral, discipline, strikes, problem.

Introduction - "It is better to perform one's own duties imperfectly than to master the duties of another by fulfilling the obligations he is born with, a person never comes to grief" The Geeta is set in a narrative frame work of a dialogue between Pandava Prince Arjuna and his guide and Charioteer Lord Krishna. The Bhagvad Geeta presents synthesis of the Concept of Dharma, theistic bhakti, the yogic ideals of moksha through jhana,bhakti karma and Raja yoga and samkhya philosophy. The Bhagvad Gita's call for selfless action inspired many leaders of the Indian independence movement including Bal Gangadhar Tilak and Mahatma Gandhi. The Bhagvad Geeta Literally means "The Lords Song". The Philosophical course of Lord Krishna to peruade the reluctant Arjuna to fight.The Central teaching Of the Geeta can be beautifully summarized in this sentence of Annie Besant" It is meant to lift the aspirant From the lower levels of renuncion. Where objects are renunciation to the loftier height,desires are dead and where the yogi dwells in the calm and ceaseless contemplation. While his body and mind are actively employed in discharging the duties that fall to his lot in life. Shri Arindo in his Assage on the Gitas has righty threw hight on the moral and spiritual aspects of the Gita. It stresses on the workship. Shri Vinoda Bhave in Geeta Pravachan many times granted the behavioural values of the Geeta in respect to the present scenario. In all the surveys of Buch M.B. it is found out that education researches had found out the comparison of the values of both the periods before & after the Geeta.

Objectives -

1. To study educational aims described in the Gita Philosophy.
2. To study teaching methods, curriculum,pupil-teacher relationship,discipline & moral values depicted in the Gita philosophy.
3. To study spiritual and educational ideology of the Gita.
4. To analysis educational system & its utility.

Relation between Bhagvad Gita and Education - Shri Krishna Bhagwan says, "the real meaning of education is receiving of Virtual Knowledge" but question arises "What is virtual knowledge "? Whenever we see or we feel the university in diversity and God exists everywhere "True knowledge is that which teacher us to see God in each soul" The lord says that King of all such knowledge the assence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and differents kinds of Philosophies. The Bhagvad Geeta specially stresses on the importance of the soul. The Lord says that the body is perishable and the soul is not perishable, that is a confidential part of knowledge simply knowing that the spirit soul is different from this body is finished or one is liberated from the body. It is always active. If it is eternal than it is eternally active. Its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge.The Geeta is one of the best epics of the world because everything is decribed in detail. The Geeta is not influenced with any religion cast or a special person but it is made for mankind in general It tells about all the people, their duties and results all together.

Objectives of Education according to Bhagvad Gita and Its Importance in Present

- Development of Virtual knowledge

*Dean, Pacific College of Teacher's Education, Udaipur (Raj.) INDIA
**Research Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

- Development and modification of Personality
- Adjustment in individual and social aims
- Development of internal consciousness
- Development of intellectual and reasoning ability
- Establishment importance of duties in life

In order to formulate the principles of education, the divine teacher Lord Krishna has not imparted his wisdom to his student as mere dictation like others. The Gita answer the "Why" of such education. The human child in the world is not a tabula rasa or an empty being. He inherits the certain tendencies, instincts, propensities of Character, mental dispositions etc. from his past life. Parents gives to child only his body but his physical apparatus and soul's doing are his own, this explains individual differences. The Bhagvad gita reconciles metaphysics and physics, nivritti and pravrtti, physical entity and hereditary and environment of men and gives the principles of education clearly Indicating that education is spiritual – social necessity. It is a value and its edifice cannot be built on sand.

The concept of the teacher in the Gita is that he must be most balanced. The true teacher not only teaches truth but also demonstrates it In short, the teacher is vigilant enough to keep the soul and body of his student as well as his own together. The student according to the Geeta is not disciple but a Learner. But the first and the last characteristic, of an ideal student is to surrender before the teacher accepting his ignorance of the subjects he wants to know. Genuineness, humanity, obedience faith in his teacher is the essential characteristics of a good learner.

Curriculum on the Basis of Bhagvad Gita -

- Two Type of Gyan (knowledge)
- Physical (Art, Science, Engineering etc)
- Spiritual (knowledge of body and soul)

Methods of Teaching -

- Conversational methods
- Question answer methods
- Demonstration methods
- Contemporary methods (Rational analysis with proper analysis)
- Learning by doing

Discipline - The moral of Bhagvad Geeta entails upon the discipline of the life and Performance of one's duty without attachment to the results in sattvic way. Gita rightly strikes at the roof of the problem.

Conclusion - In this age of intellectual Capital we are busy acquiring the latest skills and expertise in the belief that it Guarantees success. But success comes only when we put all the knowledge to us. The Geeta introduces us to our inner personality. The intellect, which reasons and discriminates the mind. That is centre of emotions and impulses. So we should go ahead and connect with Geeta embark on a Journey to transform our life from one of mediocrity to that of excellence. Through my paper, I want to try educational aims , moral , ethics & value are explained in Geeta which are so very meaning full in present time scenario.

The Geeta tells us how to play friendly ,how to talk and how to behave politely with our fellow beings. The relationship between teacher parents is the best examples in Geeta. Its educational impact plays a greater role how a days.

References :-

1. Arvindo (1950) Assage on the Geetas – Newyork Arrindo library
2. Menagment part in Bhagvad Geeta – swagatikar nand 2016
3. Bhave Vinod (1960) Geeta Pravachan – Rajghat Akhil Bharat Sant seva - co publication
4. Dr KK (1990) Bhagvad Geeta & environment – new koshal book depot
5. Gupta G.N.B (1957) Geeta - Bombey Phonix Publication
6. Buch ,M.B. (1974) Second Survey of Research & Education NCERT volume-1
7. Buch ,M.B (1978-83)Third Survey of Research in education NCERT Volume-1
8. Bhagvad Gita Sukh Prabandhan 2016 , Arun koshth & Sangeeta s – 2016

****

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण के कारणों का अध्ययन

प्रीति सिंह * पुष्पा यादव **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में सतत् एवं व्यापक मूंल्याकन योजना के निरस्तीकरण के कारणो का अध्ययन किया गया है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन को इंगित करती है, जिसमें विद्यार्थी विकास के सभी पक्ष आ जाते है। प्रस्तुत अध्ययन में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के प्रति अभिभावक, शिक्षकों एवं विर्द्याथियों के दृष्टिकोण को समझने एवं निरस्तीकरण के कारणो को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इस हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्राप्त आंकड़ो के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना से शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक शतप्रतिशत संतुष्ट नही है।

प्रस्तावना – मूल्यांकन वह योजना है, जो यह सपष्ट करती है कि वांछित उद्धेश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों के व्यवहार में गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार की वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारण भी निहित रहता है। मूल्यांकन के प्रमुख अंग शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम क्रियाएँ तथा व्यवहार परिवर्तन होते है।विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र पक्षों के मूल्यांकन के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के सम्प्रत्यय का विकास किया है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन की वह विद्या है, जो विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों यथा संज्ञानात्मक, कार्यात्मक और भावात्मक के साथ जीवन कौशल से जुड़े जीवन मूल्यों का आकलन पूरे सत्र निर्बाध गति से करके उसे श्रेणी के रूप में व्यक्त करती हैं। वर्तमान समय में केन्द्र सरकार द्धारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना की जगह समग्र मूल्यांकन को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण के कारणों का अध्ययन करना है।चयनित समस्या के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. माध्यमिक स्तर पर अभिभावकों के दृष्टिकोण से सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण के कारण का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के दृष्टिकोण से सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण के कारण का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण के कारण का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न – अध्ययन हेतु शोध प्रष्न निम्नानुसार है

RQ_1 – क्या शिक्षकों के दृष्टिकोण में अतिरिक्त पाठ्येत्तर क्रियाओं का प्रभाव सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण का कारण है ?

RQ_2– क्या विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में ग्रेडिंग सिस्टम सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण का कारण है ?

RQ_3 – क्या अभिभावकों के दृष्टिकोण मे पर्याप्त विद्यालय व्यवस्था का अभाव सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण का कारण है?

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

परिसीमाएँ –

1. प्रस्तुत अध्ययन रायपुर शहर स्थित सी.बी.एस.ई. विद्यालयों तक सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन सी.बी.एस.ई. विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों तक सीमित है।
3. प्रस्तुत अध्ययन सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण के कारणों तक सीमित है।

न्यादर्श – प्रस्तुत शोध में न्यादर्श हेतु रायपुर शहर के सी.बी.एस.ई. विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ,उनके अभिभावक एवं कार्यरत शिक्षकों का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्धारा किया गया है।

उपकरण – प्रस्तुत अध्ययन में स्वर्निर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया गया है। कुल प्रष्नों की संख्या तीस है जिसमें प्रत्येक वर्ग में सें दस प्रश्न पूछे गए है।

सांख्यिकीय विश्लेषण – प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिशत विधि का प्रयोग विष्लेह्णात्मक अध्ययन के लिए किया गया है।

प्रदत्तो का विश्लेषण एवं व्याख्या –

RQ_1 – क्या शिक्षकों के दृष्टिकोण में अतिरिक्त पाठ्येत्तर क्रियाओं का प्रभाव सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण का कारण है ?

सम्पूर्ण उत्तरदाताओं में 70% शिक्षक सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में अतिरेक शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना कार्यभार में अधिकता मानते हैं एवं 30% नहीं मानते हैं। द्धूसरे प्रश्न में 85% शिक्षकों का मत है कि छात्रों का शैक्षणिक रिकार्ड तैयार करने में अधिक समय एवं श्रम की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग उन्हें शिक्षित करने में कर सकते है। तीसरे प्रश्न में 95% शिक्षक गण परीक्षा में फेल न करने के नियम से सहमत नहीं है, ।चौथे प्रश्न में 65% शिक्षक गण मानते है कि कोर्स का रिवीजन न होने से छात्र अगली कक्षा में नए पाठ्यक्रम से अपने को संबंधित नहीं कर पाता है। पाँचवे प्रश्न में 80% शिक्षक का मत है कि सतत् एवं व्यापक

*सहायक प्राध्यापिका, अध्यापक शिक्षा संस्थान पं.रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** एम. एड. प्रशिक्षार्थी , अध्यापक शिक्षा संस्थान पं.रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

मूल्यांकन योजना में शिक्षण कार्य के लिए तकनीकी युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग होना चाहिए ।छठवें प्रश्न में 95% शिक्षक का मत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में अधिक छात्र संख्या वाली कक्षा का मूल्यांकन करने में समस्या होती है, सातवें प्रश्न में 35% शिक्षक ग्रेडिंग सिस्टम से सहमत है, 65% सहमत नहीं हैं। आठवें प्रश्न में 85 प्रतिशत शिक्षको का मत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में समय – समय पर शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था होना चाहिए। नौवें प्रश्न में 100% शिक्षक महसूस करते हैं कि परीक्षा की अधिकता होने से छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहें हैं न कि सीखने के लिए ।दसवें प्रश्न में 85% शिक्षकगण का मानना है कि बच्चे में जो विशेष योग्यता है उसकी क्षमता को ही विकसित किया जाना चाहिए, न कि सभी प्रकार की योग्यता को जबकि 15% शिक्षक सहमत नहीं है।

RQ_2– क्या विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में ग्रेडिंग सिस्टम सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण का कारण है ?

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण उत्तरदाताओं में से पहले प्रश्न में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना को 85% विद्यार्थी उपयुक्त मानते हैं। दूसरे प्रश्न में 85% विद्यार्थी सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के पाठ्यक्रम में अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों में उपस्थित होने की अनिवार्यता को उपयुक्त मानते है। तीसरे प्रश्न में 65% विद्यार्थी ग्रेडिग सिस्टम में वास्तविक प्रतिशत ज्ञात नहीं हो पाने से असंतुष्ट है। चौथे प्रश्न में 90% विद्यार्थी सहमत है कि कक्षा में जो प्रोजेक्ट कार्य मिलता था, उसे वे बिना पालक की सहायता से स्वयं से करते है। पॉचवे प्रश्न में 75% विद्यार्थी का मत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना से योग्यता एवं सृजनात्मकता का विकास हुआ है । छठवें प्रश्न में 80% विद्यार्थी सहमत है कि सततू एवं व्यापक मूल्यांकन योजना से उनमें शिक्षा के प्रति रूचि का विकास हुआ है। सातवें प्रश्न में 65% विद्यार्थी का मत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में शिक्षण कम व परीक्षा की अधिकता होती है। आठवें प्रश्न में 50% विद्यार्थी का मत है कि कक्षा में प्रथम, द्धितीय एवं तृतीय स्थान की स्थिति ज्ञात न होने पर वे निरूत्साहित होते हैं। नौवें प्रश्न में 75% विद्यार्थी सहमत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में पाठ्यक्रम का रिवीजन होता है। दसवें प्रश्न में 65% विद्यार्थी सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में पुन: परीक्षा होना उपयुक्त मानते है ।

RQ_3 – क्या अभिभावकों के दृष्टिकोण में पर्याप्त विद्यालय व्यवस्था का अभाव सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के निरस्तीकरण का कारण है?

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण उत्तरदाताओं में से पहले प्रश्न मे 85% अभिभावक सहमत है कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए विद्यालय में पर्याप्त सुविधा है। दूसरे प्रश्न में 80% अभिभावक मानते हैं कि विद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थियों द्धारा किए गये कार्य की सूचना प्रदान करते है। तीसरे प्रश्न में 30% अभिभावक का मत है कि ग्रेडिंग सिस्टम से उनके बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च हुई हैं, जबकि 70% अभिभावक ऐसा नहीं मानते है। चौथे प्रश्न में 55% अभिभावक छात्रों की उपलब्धि को दर्शाने के लिए ग्रेड का उपयोग से असहमत हैं। पाँचवे प्रश्न में 70% अभिभावक सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना से संतुष्ट है, 30% अभिभावक संतुष्ट नहीं है। छठवें प्रश्न में 75% अभिभावक सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में परीक्षा की अधिकता से संतुष्ट है, 25%अभिभावक परीक्षा की अधिकता से संतुष्ट नहीं है। सातवें प्रश्न में बार – बार परीक्षा होने से 35% अभिभावक अपने बच्चों के परीक्षा में प्रदर्शन के प्रति चिंतित रहते थे। आठवें प्रश्न में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में 45% अभिभावक छात्रों को फेल न करने के नियम को उपयुक्त मानते है जबकि 55% अभिभावक सहमत नहीं है। नौवें प्रश्न में 80% अभिभावकों के अनुसार सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना कम छात्र संख्या वाली कक्षा के लिए उपयुक्त है जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी पर उपयुक्त ध्यान दिया जाता है। दसवें प्रश्न में 65% अभिभावक सहमत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना से उनके बालक/बालिका का विकास सामाजिक, नैतिक, शारीरिक संवेगात्मक सभी प्रकार से हुआ हैं, जबकि 35% अभिभावक सहमत नहीं है।

निष्कर्ष–

1. 95 % शिक्षकों का मानना है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में परीक्षा में फेल न करने का नियम सही नहीं है।
2. 65 % शिक्षकों का मत है कि कोर्स का रिवीजन न होने से छात्र अगली कक्षा में नए पाठ्यक्रम से अपने को संबंधित नहीं कर पाते हैं।
3. 65 % शिक्षक सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में ग्रेडिंग सिस्टम से सहमत नहीं है।
4. 95 % शिक्षक का मत है कि अधिक छात्र संख्या वाली कक्षा में उन्हें मूल्यांकन करने में समस्या होती है।
5. 85 % शिक्षकों का कहना है कि शैक्षिणिक रिकार्ड तैयार करने में अधिक समय व श्रम लगता है, जिसका उपयोग वह शिक्षण कार्य में कर सकते थे।
6. 100 % शिक्षक का मत है, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्र सिर्फ नम्बर प्राप्त करने के दृष्टिकोण से पढ़ रहे है।
7. 65 % विद्यार्थियों का मत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में ग्रेडिंग सिस्टम सें उन्हें अपने वास्तविक प्रतिशत ज्ञात नहीं हो पाता है।
8. 65 % विद्यार्थियों का मानना है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में शिक्षण कम परीक्षा अधिक होती है।
9. 50 % विद्यार्थियों का मत है कि कक्षा में प्रथम, द्धितीय, तृतीय स्थान ज्ञात न होने से निरूत्साहित हो जाते हैं।
10. 70 % अभिभावकों का मत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना से उनके बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई प्रगति नहीं हुई है।
11. 65 % अभिभावकों का कथन है कि वे परीक्षा में अपने बच्चों के प्रदर्शन के प्रति चिंतित रहते है
12. 80 % अभिभावकों का मत है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना केवल कम छात्र संख्या वाली कक्षा के लिए ही उपयुक्त है।

सुझाव –

1. अभिभावकों को अपने बच्चों के विकास के प्रति सजग रहना होगा एवं समय – समय पर विद्यालय जाकर उनकी शैक्षिक प्रगति के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए।
2. सभी स्कूलों के भौतिक संसाधनों को मजबूत करना चाहिए ताकि विद्यार्थी विद्यालय में ही समस्त प्रोजेक्ट कार्य को पूरा कर सके एवं शिक्षक विद्यार्थी के वास्तविक रूझान को ज्ञात कर उसके व्यक्तित्व विकास में सहयोग प्रदान कर सके।
3. मूल्यांकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छात्रों को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट कार्य में बदलाव करना चाहिए।
4. विद्यार्थी व अभिभावकों को मूल्यांकन क्रियाओं के सम्पादन के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों से अवगत कराया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भटनागर ए.बी., 'मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन', आर. लाल बुकडिपो, मेरठ,2010
2. भटनागर मीनाक्षी, 'शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन मेरठ',आर. लाल बुक डिपो, मेरठ,2002, पृष्ठ संख्या 115 – 118
3. चक्रवर्ती, ज्योति एवं अन्य, 'सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन निर्देशिका',: एन.सी.ई.आर.टी.,रायपुर, 2011
4. कपिल एच.के., 'अनुसंधान विधियाँ',एच.पी.भार्गव बुक हाउस, भार्गव भवन 4/230 कचहरी घाट, आगरा ,2004,पृ.क्र. 510/74
5. मदान, पूनम,' पाठ्यक्रम विकास एवं आंकलन', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा 2016, पृ.क्र.275–280
6. http://www.answers.com/tompic/schollgradingsystems
7. www.cbse.nic.in
8. http://grading.icbse.com/cbsegradingsystem.
9. http://www.indiaeduction.net/cbse/organisation.aspx.
10. www.shodhganga.inflibnet.net.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April Special 2018, Vol. II

Takht-E-Akbari (Unrevealed Heritage)

Dr. Rupali Razdan*

Abstract - History plays a vital role in our day to day life. If a person wants to know about a particular country or a place, he or she should go through its history. As history is the study of the past events, present can never be understood in isolation from the past. Literature, art, old buildings, monuments etc. are the best examples from which one could know about the cultures of origin as well as cultures with which we might be less familiar of any particular area, thereby increasing cross- cultural awareness and understanding. Through these it becomes easier to know about our past and make aware our next generation about our rich history and culture. The purpose of this paper is to throw a light on that untold architecture of Mughal Period, which is left untouched by many art historians and critics and at present is in neglected situation but having a great historic value as it is a place where coronation ceremony of Shehanshah-e-Hindustan Mohammad Jlal-udin-Akbar was done.
Key Words - Mughal Architecture, Akbar's Throne, Architectural Importance.

Introduction - Mughal Architecture has a special place in the heart of Indian Heritage. It is a kind of Indo-Islamic architecture developed by the Mughals in the 16th, 17th and 18th centuries in northern and Central India.[1] Under the patronage of the Mughal emperors, Persian, Indian, Turkic and various provincial styles were fused to produce works of unusual quality and refinement. During the early years of the Mughal Dynasty, country was too unsettled to produce any work of distinction, but gradually a form of the building art including large bulbous domes, slender minarets, Massine halls, large vaulted gateways and delicate ornamentation which in course of time developed into one of the most important architectural style in India. Examples of the styles can be found in India, Afghanistan, Bangladesh and Pakistan.[2] Several factors were there for this development of architectural art which was maintained over a period of more than two centuries; among those were the wealth and power of the empire itself, settled conditions in most parts of the country. But undoubtedly the main factor was that the Aesthetic nature of the Mughal rulers themselves and love for visual arts.

Historical Background - Mughal Architecture developed under five rulers of the Mughal dynasty; the Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and Shah Jahan. Although the Mughal style of Architecture did not take concrete form until the reign of Akbar in the second half of the 16th century, the germinal principles of the movement were unquestionably provided by the two predecessors of this empire, first by Babur the founder of dynasty, and later by his son Humayun. Babur was the first who took with himself artists from Persia.[3] After that Humayun resolved to take India two Persian masters, Mir Sayyid Ali and Khwaza Abdu Samad from the court of Shah Tahmasp who became the nucleus of the new mughal school of Indian painting around 1554-1555 after seeking refuge in the Persian Courts and reconquered India as in 1540 Sher-Shah, an Afghan rebel from Bihar, forced Humayun to flee to Persia into a 15 years exile.[4] Thus Persian art took place on Mughal Architecture too. Actually, the style of Mughal architecture was flourished in two main phases, an earlier phase in which buildings were made of red sandstone during the reign of Akbar, and a later phase in which buildings were made in white marble under emperor Shah Jahan.[5] Moreover, many such buildings including tombs etc were erected during Mughal period instead of five mughal emperors. These were erected by the courtiers or close relatives of the mughal emperors. Among them one of the most important building called by the name- "Takht-e-Akbari" (Throne of Akbar), the place where Mughal Emperor Akbar was crowned and began his rule across India is one of the several important heritage sites.

Location Of The Throne - Throne is located in Kalanaur, close to Indo-Pak border areas of Gurdaspur district in Punjab which lies in state of Utter neglect.

History Of Throne - It is said that when Humayun died on 29th Jan, 1556 as a result of a fall from the roof of the royal observatory, Akbar ascended the throne at Kalanaur (in the Bari Doab vide Ain-i-Akbari, Vol II, Page 319; now it is in the Gurdaspur District) in Feb. 14, 1556 with the approval of the officers under Bairam Khan. At the time of coronation Akbar was 13 years and few months old. He was then staying at Kalanaur with his tutor Bairam Khan.[6] who could

*H.O.D. (Fine Arts) Lyallpur Khalsa College for Women, Jalandhar (Punjab) INDIA

sense the fallout of keeping the throne vacant for long and thus made arrangements for Akbar's coronation by building a masonry platform in a garden. The platform on which the ceremony of Installation took place is neglected and destroyed for the sake of the bricks and the cultivator drives his plough since the time of British rule as said by Mohammad Latif.[7] It is said by the local residents of this place that earlier the platform was surrounded by a water spring and flowers bloomed in the garden nearby. But that glory is the thing of past. Today, fields, are all around the Throne and a cattle shed, with a tube-well running considered as a private property. Nearby is a mosque that was built to commemorate Akbar's coronation is now in debris and is being used to store chaff.[8] **(See in the next page)**

Architectural Importance - As it is said before that Babur and Humayun were central Asians of mixed culture, followed the Timurid architectural patterns of Central Asia, favoring octagonal ground-plan pavilions and gardens, geometrically designed to highlight the schematized plans of buildings. The architects from Timurid and Safavid (Persian) traditions joined local Indian architects by using sandstone, schist slabs and marble mixed with Hindu elements.[9]

Similarly, the Throne of Akbar at Kalanaur is made of red sandstone, small two stepped but impressive with a small fountain pond built in the centre. Facing the pond is a big masonry throne and the central platform has small waterfalls on the four sides of throne, exhibiting a typical example of Mughal architecture. The ornamentation done on one of the part of fountain (Jharna) having an impact of Persian and Indian design. The four corners of the throne has geometrical pattern as a border with cutted pieces of red sandstone in rectangles and triangles. The same border can be seen on the two stepped Throne also. The Throne was erected in a very short time as a need of the hour having a historical value as it is a place where coronation of Shehan-Shah-e-Hindustan was done. It has its own importance historically as well as artistically.

Conclusion - Knowing the importance of the Throne (Takht-e-Akbari) historically as well as artistically it's preservation and conservation is required. Though it comes under (ASI) Archeological survey of India but only a board erected there by them is not enough. Steps should be taken from the government's side too to begin restoration and preservations as according to the law, it is the government's responsibility to take such steps for the protection of the antiquity. Number of books have been written by the historians and bollywood movies have been produced on Akbar e.g Mughal-e-Azam, Jodha-Akbar has earned a lot of money on his name but, the Throne of Akbar where one of the most historic day of his life was celebrated is ignored till the date. With respect to culture, old monuments are the reflection of our history it keeps our integrity as a people and it transmits the knowledge and skills from one generation to the next. So around the Throne gardens, flora and fauna, fountains etc should be added for the beautification of the place and it should be converted into a tourist spot as Architectural monuments attract tourists, specially people who like to experience the spirit of the city, which is seen through architecture. And more-over when people came to know that in Punjab, the coronation of Mughal emperor Akbar was done, the curiosity comes into their mind as to visit that place and so, as when I visited personally that place my enthusiasm comes to end seeing the two-step throne in utter negligence. Therefore, by maintaining the place, will not only preserve the historic throne, but will definitely create more jobs for the locals and help in improving the economic prosperity of the city. Preservation of it will cultivate pride of our heritage and it's past will make us unique in the world as Egypt is known for the Pyramids and Rome for Colosseum.

References:-

1. Brown, Percy, "Indian Architecture (Islamic Period)", Treasure House of Books, Bombay, 1951. Chap. XV, XVII, XVIII, XIX, XX.
2. Sastri, B. Annapurna, "Mughal Architecture", Indian Architecture Indiapicks.com. Retrieved 2014-10-11.
3. Brown, Percy, "Indian Architecture (Islamic Period)", Pg. 96
4. • Bussagli, Mario, "5000 years of the Art of India", India Book House, Bombay. Pg. 312.
   • Craven, Roy. C., "Indian Art", Thames & Hudson, London, 1978, Pg. 198.
5. Brown, Percy, "Indian Architecture (Islamic Period)", Pg. 95
6. Latif, Syad Mohammad, "History of the Punjab (from the remotest Antiquity to the present time)", Eurasia Publishing House (Pvt.) Ltd., New Delhi, 1964, Chapter XIII Pg. 135.
7. Akbar, Mohammad, "The Punjab under the Mughals", Idarah-I Adabiyat-I, Delhi-6, 1974, Pg. 25.
8. Visited on 18th March 2018
9. • Bussagli, Mario, "5000 years of the Art of India", P.281-282
   • Hambly, Gavin, "Cities of Mughal India", Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1977, Pg. 54.

Protected Monument
Takht-i-Akbari, Kalanaur
District : Gurdaspur (Punjab)
Notification No.11908
Date : 15.04.1920

****

कथक नृत्य में सूर साहित्य की प्रासंगिकता 'सहित्स्य भावः साहित्यम्'

योगिता मण्डलिक *

प्रस्तावना – साहित्य वह विद्या है, जिसमें सहित का भाव हो।

विचारशील मनुष्य की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। एक साहित्यकार भाषा के माध्यम से अपनी आन्तरिक अनुभूति को अभिव्यक्त करता है, जिसमें आनन्द निर्माण करने की क्षमता होती है।

गद्य, पद्य व काव्य साहित्य के ही प्रकार है, जिसमें साहित्यकार शब्द अथवा भाषा को छन्द अलंकार आदि से सजा-सवाँरकर रंजकता की सृष्टि करता है।

नृत्य सहृदय की ख़ुशी को अभिव्यक्त करने की स्वाभाविक क्रिया है, जिसमें साहित्य के प्रयोग से भाव सम्प्रेषण की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। नृत्यकला में कलाकार सूरताल में निबद्ध काव्यगत शब्दों को अंगभंगिमाओं एवं भावमुद्रा आदि के द्वारा प्रस्तुत कर रस की सृष्टि करता है।

शास्त्रीयता की दृष्टि से नृत्य वही है, जिसमें गीत के शब्द हो, अंगों का सुन्दर संचालन, भावमुद्रा हो एवं पैर ताल-लय का निर्वहन करते हो वही सम्पूर्ण नृत्य है।

काव्य में प्रयुक्त शब्द व उनके अर्थ की सौन्दर्यपूर्ण रचनात्मकता पर ही नृत्य की भावाभिव्यक्ति की सुन्दरता निर्भर करती है।

आचार्यो ने कहा है –

नृत्यगीताभिनयं भावतालयुतं भवेत।
आस्येनालम्बयेद् गीत हस्तनार्थ प्रदर्शयेत्।।

एक ओर गीत, नृत्य की अनिवार्यता है, वहीं दूसरी ओर नृत्य, काव्य का प्रेरणा स्त्रोत है। काव्य में निहित शब्द, छन्द, अलंकार, कवि कल्पना आदि रस सृष्टि के लिए समर्थ होते हैं परन्तु जब काव्य में निहित भावों को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, तो रसानन्द द्विगुणित हो जाता है।

नृत्य में भाव प्रदर्शन हेतु अच्छे साहित्य की आवश्यकता हमेशा से रही है। भक्तिकालीन कवियों के भक्तिमय काव्य में प्रभुलीला का वर्णन प्राप्त होता है। उनके भक्तिमय साहित्य में नवधा भक्ति में से एक लीलानुकरण का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। नृत्य में भी अभिनय प्रदर्शन हेतु प्रभुलीला जैसे विषय अत्यन्त लोकप्रिय रहे है। प्रभुलीला जैसे विषयों पर भावाभिव्यक्ति जन साधारण को भी आकर्षित करती है। जितना अच्छा साहित्य नृत्य में अभिनय हेतु उपलब्ध होगा भावों की अभिव्यक्ति भी उतनी ही निखरेगी और दर्शकों को भी उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होगा। जैसा साहित्य होगा वैसी ही नृत्य की भावाभिव्यक्ति होगी या ऐसा कहा जा सकता है कि साहित्य के अनुरूप नृत्य में उसके भावों की प्रस्तुति होती है।

कथक नृत्य में नायक के रूप में श्रीकृष्ण एवं नायिका के रूप में राधा व गोपियों का चित्रण किया जाता है अर्थात् कथक नृत्य में नायक-नायिका के संयोग व वियोग श्रृंगार के प्रदर्शन का मुख्य आधार राधा-कृष्ण गोपी लीलाएँ ही है। इसलिए कथक का एक अन्य नाम नटवरी भी है।

भक्तिकालीन सूरदास वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने असंख्य पदों की रचना की जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र को उकेरा है। सूर साहित्य में कृष्ण लीला सम्बन्धी पद बहुतायत से प्राप्त होते है। उनके पदों में से अधिकांश पदों पर भावप्रदर्शन कथक नृत्य में प्रसंगानुकूल किया जा सकता है।

शास्त्रीय नृत्यों में नायिका भेद को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है। कथक इसका अपवाद है। इस सन्दर्भ में सूर साहित्य को देखे तो नायिका की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित पदों की रचना सूरदास ने बहुत ही सुन्दर तरीके से की है। नायिका की हर एक अवस्था का सूरदास ने बहुत ही सुन्दर व मनोरम वर्णन किया है। उनके अनेक ऐसे पद है, जिनमें विरहणी नायिका मिलती है। जैसे –

(1) अब बरषा को आगम आयौ।
ऐसे निठुर भए नंदनंदन, संदेसौ न पठायौ।।
(2) निसि दिन बरसत नैन हमारे।
सदा रहति बरषा रितु हम पर, जब तै स्याम सिधारे।।
(3) बिछुरे स्याम बहुत दुख पायौ।
दिन दिन पीर होति गाढ़ी, पल-पल बरष बिहायौ।।

आदि ऐसे पद हैं जिनमें नायिका के विरह का बखुबी चित्रण सूरदास ने किया है। कुछ पद ऐसे भी है जिनमें नायिका अपने प्रियतम का इंतजार कर रही है और नायक नहीं आ रहे ऐसी विप्रलब्धा नायिका के बहुत से पद सूर साहित्य में प्राप्त होता है।

इसी प्रकार संयोग श्रृंगार में स्वाधीन पतिका नायिका के दर्शन होते है। उदाहरण के लिए –

(4) स्याम भए राधा बस ऐसै।
चातक स्वाति, चकोर चंद ज्यौ चक्रवाक रवि जैसे।।
(5) स्याम भए वृषभानुसुता बस, और नहीं कहुँ भावे।।

कहीं देखे तो खण्डिता नायिका, जिसका मान खण्डित हुआ हो प्रियतम के शरीर पर परस्त्री के रतिचिन्ह देख दुखित नायिका का मार्मिक वर्णन सूर के पदों में मिलता है। इसके अतिरिक्त कलहान्तरिता, अभिसारिका, वासक सज्जा आदि नायिकाओं की दशाओं का वर्णन सूर काव्य में निहित है। जिन्हें कथक नृत्य में नायिका की अवस्था प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।

बहुत से पद ऐसे भी है, जिनमें कृष्ण की बाललीला एवं उनकी शिकायत

* शोधार्थी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

करती गोपियों का सूर ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। जिन्हें कथक नृत्यकार अपने अंगभाव से आसानी से दिखा सकते है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न गीति प्रकारों – कजरी, भजन, झूला, होरी आदि पर आधारित अनेकों पद सूर साहित्य में प्राप्त होते है।

भाषा की दृष्टि से भी सूर साहित्य बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य है। सूरदास की रचनाओं में हमें ब्रजभाषा का परिष्कृत व साहित्यिक रूप मिलता है। सरलता, सरसता, प्रसंगानुकूलता, भावानुकूलता जैसी विशेषताएँ सूर की काव्यभाषा में दिखायी देती है। जो जन साधारण के लिए आसानी से ग्राह्य होती है। ऐसा काव्य नृत्य प्रदर्शनकर्ता के लिए भी भाव को प्रदर्शित करने में सहायक होता है और दर्शकों के लिए भी भावों को समझने में आसानी होती है।

इस प्रकार हम देखते है कि कथक नृत्य में भावाभिव्यक्ति हेतु सूर साहित्य बहुत ही उत्कृष्ट व समृद्ध साहित्य है। सूर साहित्य में अनेकों ऐसे पद हैं, जिन्हें कथक नृत्य में भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त करके अभिनय पक्ष को और अधिक सशक्त व आनन्ददायी बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पृ. 1276 पद 3918 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी।
2. पृ. 1262 पद 3855 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी।
3. पृ. 1254 पद 3826 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी।
4. पृ. 953 पद 2756 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी।
5. पृ. 926 पद 2638 सूरसागर द्वितीय खण्ड ना.प्र.स. काशी।
   कथक दर्पण – पं. तिरथराम आजाद।

****

मदन मोहन मालवीय जी के मूल्य सम्बन्धी विचार

डॉ. महेश कुमार मुछाल *

प्रस्तावना – मालवीय जी शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण पर बल देते थे। उनका यह मानना था कि प्रत्येक धर्म भी चरित्र निर्माण पर ही विशेष बल देता है। इसलिए मालवीय जी ने शिक्षा व धर्म शिक्षा को अविभाज्य अंग मानकर व्यक्ति का चरित्र निर्माण की वकालत करते हैं। प्रत्येक देशवासी का चरित्र सबल होना चाहिए तभी राष्ट्र सबल होगा। चरित्र केवल व्यक्तिगत हित का नहीं अपितु वह राष्ट्र कि वह शक्ति है जो प्रगति एवं गौरव का भी निर्धारण होनी आवश्यक है वे मानते थे कि शिक्षण संस्थाओं के द्वारा ही अच्छे चरित्र का निर्माण संभव है एक आदर्श चरित्र को प्रत्येक देशवासी में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक शिक्षण संस्थान सभी धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन को कराने की बात पर विशेष बल दिया।

चरित्र निर्माण में धर्म आचरण की प्रमुखता – मूल्यों के विकास एवं चरित्र निर्माण में धर्म आचरण को भी उन्होंने उपयोगी माना। इसके बिना स्वस्थ शरीर एवं विनयी संयमी अनुशासित एवं आत्मा द्वारा ही इसे पाया जा सकता है। शरीर को सफल बनाने हेतु पोष्टिक भोजन व्यायाम योग, संयम, सात्विक विचार, सदाचार से मन तथा सत्संग, श्रद्धा और प्रार्थना से आत्मा को सफल बना कर ही एक विद्यार्थी सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपना सार्थक योगदान दे सकता है। विद्यार्थियों से भारतीय शिक्षा भारतीय भाषा में भगवत गीता ज्ञान तथा अपने देश की भक्ति की अपेक्षा रखते थें।

मूल्यों पर आधारित गुरु शिष्य गुरु शिष्य संबंध – आदर्श प्राचीन मूल्यों पर आधारित गुरु शिष्य संबंध भारतीय सभ्यता संस्कृति के पतन से चिंतित थे। इसलिए समाज में समरसता एवं आनंद के प्रसार हेतु धर्म को ठीक से समझ कर उसे आचरण में लाया जाना चाहिए तभी व्यक्ति का परिवार, समाज और समाज द्वारा राष्ट्र का संपूर्ण का विकास संभव होगा। इसलिए गुरूकुल प्रणाली को अपनाये जाने पर बल दिया है विद्यार्थियों को राष्ट्र सेवा और जन सेवा की शिक्षा के साथ-साथ मूल्य शिक्षा गुरु के सानिध्य में रहने से प्राप्त होती थी। मूल्य कभी सिखाएं नहीं जाते अपितु ग्रहण किए जाते हैं। गुरु के आचरण से विद्यार्थी समयबध्दता कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों को सीखता है। जैसे गुरु प्रात: काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य संध्या करते थे। योग और यज्ञ आदि करते हैं। यह नियमित निर्धारित समय पर किया जाता है तो विद्यार्थी के जीवन पर समय पर करने वाले अर्थात समयबध्यता संबंधी मूल्य विकसित होता है एवं कार्य करने से कर्तव्यनिष्ठा आदि गुण भी विकसित होते हौं यहा मूल्य से आशय होता है कि कौन सी वस्तु को ग्रहण करें या ग्राह है और हौ यह कौन सी वस्तु हेय छोडने योग्य है। इस प्रकार जिसे ग्रहण करना है।वह मूल्य होता है इस प्रकार के समय बता और कर्तव्यनिष्ठा का निश्चित समय पर किया जाना उनके लिए मूल्य है। जबकि यही मूल्य विद्यार्थी के लिए आदर्श हो जाते हैं क्योंकि विद्यार्थी इन मुल्यों को आदर्श मानकर वैसा ही बनने का जीवन में प्रेरणा लेता है और अनुसरण करता है इस प्रकार विद्यार्थियों को माता-पिता आचार्य अतिथि एवं अपने से ज्ञान व आयु में बड़े व्यक्तियों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की उच्च भावना रखने संबंधी शिक्षा प्राप्त होती हैं। यह मूल्य प्राप्त होते हैं एवं सादा जीवन एवं उनका आदर्श होता है। उन आदर्शो को विद्यार्थी अनुसरण करके एवं ज्ञान व शक्ति जगमगाते सूर्य की तरह होते थें जो गुरुकुल के विद्यार्थी थे इन आदर्शो के सांचे में ढले में विद्यार्थी जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थें। तो वहां सुख और सौभाग्य से उपस्थित हो जाते थे।

प्राचीन अस्मिता की रक्षा में मूल्य – देश की अस्मिता इतिहास द्वारा अपनी निजी अस्मिता को बनाए रखने के लिए प्राचीन मूल्यो, परंपराओं,रीतिरिवाजो का विशेष महत्व होता है। अपने देश का इतिहास लेखन देशवासियों की अपेक्षा विदेशियों के द्वारा किया जाना मालवीय जी को सदैव पीडा देता था। उनका मानना था कि विद्यार्थियों को भारतीय भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। देश की भाषा को सकेंगे और उसके को सदैव प्राथमिकता देते थें।

स्वदेशी के मूल्य – मदन मोहन मालवीय जी स्वदेशी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी की वकालत करते थे वे चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम हिंदी हो, साथ ही अंग्रेजी भाषा को भी शिक्षा प्रणाली से हटाना नहीं चाहते थे क्योंकि वह विज्ञान व तकनीकी विषयों में अंग्रेजी भाषा के महत्व को समझते थे इसलिए हिंदी भाषा के रूप में अपनी निजता को सुरक्षित रखकर नहीं ज्ञान को आत्मसात करने की प्रबल पक्षधर थे।

मूल्यों के प्रति अधिक विश्वास – महामना कि मूल्यों के प्रति अपनी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं सत्य निष्ठा एवं प्रतिभा का परिचय राष्ट्रीय महासभा के मंचन 1886 में उन्होंने दिया उस समय के प्रसिध्द राजा राम पाल सिंह को दैनिक हिंदुस्तान अखबार संपादक की खोज थी उन्होंने मालवीय जी से हिंदुस्तान के संपादन का अनुरोध किया। जिससे जिससे देश की सेवा होगी मालवीय जी ने पत्रकारिता के द्वारा देश की भक्ति की उन्होंने अखबार का संपादन कार्य स्वीकार कर लिया शर्त यह थी कि नशे के समय उनसे कोई ना बोले अथवा उन्हें पास में ना बुलाए और ना ही उनसे कोई बात करें राजा साहब से बात करके उन्होने 1887 से हिंदुस्तान अखबार का संपादन उन्होंने प्रारंभ किया। लेखनी से पत्र गौरवान्वित हो गया। लोगों में संपादकीय लेखों को पढ़ने में हौड सी लगी रहती थी। एक दिन राजा साहब ने मालवीय जी को अपने पास बुलाया संयोग से वे उस समय कुछ प्याला पी चुके थे।उसी समय मालवीय जी ने हिंदुस्तान के संपादन कार्य से विरत हो गए उन्होंने वहां से कार्य करना छोड़ दिया इस आधार पर कह सकते हैं कि वे अपने मूल्यों पर अडिग रहने वाले इस महापुरुष ने उस समय बहुत बड़ी रकम 200 महीने की नौकरी छोड़ दी। राजा साहब को अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ तथा उन्होंने कहा कि जाओ वकालत पढ़ो जितने दिन

* एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

पढ़ोगे पढ़ाई सारा व्यय मै दूंगा।

शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक मूल्य – मालवीय जी ने भी शिक्षा का उद्देश्य धर्म की प्राप्ति बताया है यह उद्देश्य आदर्शवादी दार्शनिकों के समान जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होगा वह संकीर्णता से दूर व्यापक सोच वाला होगा क्योंकि प्रत्येक में वह ईश्वर की अनुभूति करता है इसलिए व्यवहार में क्षमा प्रेम दया करुणा सहयोग प्रेम पूर्वक सेवा समाज उत्थान के लिए प्रयत्नशील होगा साथ ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होगा उसकी दृष्टि में राष्ट्र देव है इसलिए राष्ट्र निवासियों में भी सेवा की भावना उनके जीवन का सर्वोपरि अंग होगा मालवीय जी ने सनातन धर्म को सभी धर्मों का मूल माना है हिंदू वैदिक, जैन बौद्ध एवं सनातन धर्म के ही अभिन्न अंग हैं। प्राचीन समय में जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था प्रणाली को हिंदू समाज की दुर्बलता मानते थे। वह इस प्रणाली को बुरा मानते थे जैसे कि वैसे कुल में जन्म लेने वालों आवेश तथा क्षेत्र कुल में जन्म लेने वाला शुद्ध मालवीय जी ने इसका विरोध किया तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की इस प्रकार कह सकते हैं कि मालवीय जी ने जाति वर्ण वर्ग के आधार पर भेदभाव के विरोधी एवं समानता के अधिकार के प्रबल समर्थक थे।

सांस्कृतिक मूल्य – मालवीय जी प्राचीनतम धार्मिक शिक्षा के आधार पर भारतीय संस्कृति सभ्यता और वैभव को जीवन शक्ति प्रदान करना चाहते थे। संस्कृति के अंतर्गत सभी जातियों के अस्तित्व विषयक अमूर्त विशेषताओं की समग्र रूप से अभिव्यक्ति होती है। इसमें लोगों की जीवन पद्धति उत्पादन नैतिक मान्यताएं मत विश्वास आदि समाप्त होते हैं। यह सभी धर्म के आधार पर संचालित होते हैं तो व्यक्तित्व का विकास होता है और यह तभी संभव है। जहां पर जीवन अंखियों में व्यक्ति का स्वास्थ्य आचार विचार व्यवहार व्यायाम आदि सम्मिलित होते हैं। जो व्यक्ति में मूल्य तथा आदर्श का निर्माण कर चरित्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण के साथ प्रभावी व्यक्तित्व में सहायक होते हैं। आत्मसात किए गए मूल्य ही जीवन के आधार बनते हैं। मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु को अपने से पूर्व में यह निर्णय करता है कि वह उसे अपना त्याग दें। जब विचार भवन में निर्णायक से आता है तो वह मूल्य कहलाता है इस पर निर्णय ले लिया जाता है और जीवन में कर लिया जाता है तो बनता है निर्माण की प्रक्रिया में अन्य सभी धर्मों को भी मालवीय जी ने समान आदर का भाव प्रकट किया है। सभी धर्मों के मूल में सेवा भाव को ही ग्रहण करते हुए उन्होंने उन्होंने समाज के उत्थान के लिए लगातार सेवा को धर्म का अंग माना है धर्म मानवता और समाज की उन्नति के लिए अति आवश्यक हैं।

धर्म ही मूल्यों का आधार – वह हिंदू हिंदुत्व पर आधारित देशभक्ति को शिक्षा का उद्देश्य बनाना चाहते थे। धर्म के अर्थ की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म वह है जिसमें प्राणी को प्राणी के साथ में प्रेम हो वह दूसरे प्राणी के दुख को अपना दुख समझ कर दूसरों के सुख में अपना समझकर सहानुभूति का की भावना रखता हूं परस्पर सहयोग की भावना रखता हो। इस प्रकार देश में व्याप्त अज्ञानता को दूर करने में प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह निरक्षरता को दूर करने में भागीदारभागीदार बने वह देश देश व सभ्यता के दायित्वों को समझे देश व समाज की उन्नति के लिए सहयोग करें। वह सच्चे धर्मावलंबी की तरह प्रतिबद्ध होकर समाज में कार्य करें उसे अच्छे कार्य के प्रति ऐसी अपेक्षा नहीं होती और ना ही वह स्वार्थ की इच्छा रखता है। वह दूसरे की अपेक्षा दूसरे के सुख दुख को अपना समझकर उस में सहभागी होता है। महा मना जी के अनुसार एक आदर्श मानव समाज एवं जीवन के निर्माण के लिए सभी मूल्य एवं गुणों के संबंध में ही धर्म है व्यक्ति के जीवन में धर्म के 10 लक्षण सम्मिलित होते हैं तभी समाज व राष्ट्र का विकास संभव होता है।

1. धैर्य 2. क्षमा और सहिष्णुता 3. मन पर नियंत्रण
4. चोरी ना करना 5. मन वचन और कर्म से शुद्ध रहना
6. इंद्रिय निग्रह 7. शास्त्रों का ज्ञान 8. आत्मा का ज्ञान
9. सत्य भाषण 10. क्रोध नहीं करना।

धर्म राष्ट्रोन्नति में सहायक – मानवीय जी धर्म को केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन ही ना मानकर उसे राष्ट्र उन्नति में भी सहायक मानते थे।सनातन धर्म व हिन्दू संस्कृति की रक्षा और संवर्धन में मालवीयजी का योगदान अनन्य है। जनबल तथा मनोबल में नित्यशरू क्षयशील हिन्दू जाति को विनाश से बचाने के लिये उन्होंने हिन्दू संगठन का शक्तिशाली आन्दोलन चलाया और स्वयं अनुदार सहधर्मियों के तीव्र प्रतिवाद झेलते हुए भी कलकत्ता, काशी, प्रयाग और नासिक में दलित वर्ग को धर्मोपदेश और मन्त्रदीक्षा दी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रनेता मालवीयजी के लिए पं0 जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, अपने नेतृत्वकाल में हिन्दू महासभा को राजनीतिक प्रतिक्रियावादिता से मुक्त रखा और अनेक बार धर्मो के सहअस्तित्व में अपनी आस्था को अभिव्यक्त किया। उच्च शिक्षा के प्रति उनका स्वप्न त्यागी विद्या प्राप्त विद्धान तक ऑनेस्ट तेजस्वी ओजस्वी विद्यार्थी और दोनों का ही सात्विक जीवन इस पर बल देते थे। प्रयाग के भारती भवन पुस्तकालय, मैकडोनेल यूनिवर्सिटी हिन्दू छात्रालय और मिण्टो पार्क के जन्मदाता, बाढ़, भूकम्प, सांप्रदायिक दंगों व मार्शल ला से त्रस्त दुरूखियों के आँसू पोंछने वाले मालवीयजी को ऋषिकुल हरिद्वार, गोरक्षा और आयुर्वेद सम्मेलन तथा सेवा समिति, ब्वॉय स्काउट तथा अन्य कई संस्थाओं को स्थापित अथवा प्रोत्साहित करने का श्रेय प्राप्त हुआ, किन्तु उनका अक्षय कीर्ति स्तम्भ तो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ही है जिसमें उनकी विशाल बुद्धि, संकल्प, देशप्रेम, क्रियाशक्ति तथा तप और त्याग साक्षात् मूर्तिमान हैं। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में हिन्दू समाज और संसार के हित के लिये भारत की प्राचीन सभ्यता और महत्ता की रक्षा, संस्कृत विद्या के विकास एवं पाश्चात्य विज्ञान के साथ भारत की विविध विद्याओं और कलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी। उसके विशाल तथा भव्य भवनों एवं विश्वनाथ मन्दिर में भारतीय स्थापत्य कला के अलंकरण भी मालवीय जी के आदर्श के ही प्रतिफल हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मदन मोहन मालवीय प्रोफाइल webdunia-com A
2. मालवीय जी का जीवन परिचय, मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, बी एच यू वाराणसी बीएचयू डॉट एसी डॉट इन।
3. मदन मोहन मालवीय और पत्रकारिता blogspot-com A
4. चतुर्वेदी श्री जयप्रकाश, हिंदी के भगीरथ मदन मोहन मालवीय, विकी बुक।
5. मालवीय जी के शैक्षिक विचार, स्टूडियो प्रेस थीम फॉर वर्डप्रेस, mmsraj.com की कलम से।
6. रंजन अभिशेक, सदैव प्रासंगिक रहेंगे राष्ट्रवाद पर मदन मोहन मालवीय के विचार, नेशनलिस्ट ऑनलाइन।
7. शिक्षा पर महा मना की सोच hindustan-com
8. भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी, anhitmejari.com
9. मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अतुल लाइव hindustan-com
10. भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के विचार हिंदी लाइब्रेरी इंडिया।

Green synthesis of Platinum nanoparticles from *Moringa oleifera* Lam. and its antimicrobial efficacy

Dheeraj Kumar* Kumud Kant Awasthi**

Abstract - Integration of nanoscience in medicine leads to the development of biomedical products that helps the society in a faster and safer manner.In the present studies platinum nanoparticles were synthesized by green synthesis route using aqueous extracts of *Moringa oleifera* and characterization was done through UV, SEM, TEM, FT-IR and XRD.The synthesized nanoparticle were spherical in shape with an average size of 20 nm. Various bioactive compounds present in aqueous extract of this plant were responsible for bio reduction of nanoparticles. In antimicrobial activity, It was observed that against E*. col*i maximum zone was at 80µg/ml (IZ-18mm). Against *B. subtilis* no activity was observed at initial concentration, however nanoparticles showed zone at 60 and 80µg/ml respectively (IZ-10 and 12 mm). Further against *P. aeruginosa* nanoparticles showed activity at all dilutions*. S. aureus* was found to be resistant as no activity was observed except at 60µg/ml. Further when we tested these nanoparticles against different fungal strains it was observed that against *F. oxysporium* sample showed activity at all concentration, however maximum zone was observed at 60µg/ml (IZ-14mm). Against *P. funicolusum* it was observed that activity was low as compared to other strains. It was observed that *C. albicans* was found to be resistant at all concentrations except 80µg/ml where some activity was observed (IZ- 12mm. Further it was observed that against *T. reesei* nanoparticles had best activity at all concentrations. Maximum activity was observed at 80µg/ml (IZ- 18mm) .Result showed the biosynthesis of platinum nanoparticles using aqueous extract of *Moringa oleifera* is a clean, inexpensive and safe method that is free from toxic substance and consequently does not have any side effects.
Keywords- Green synthesis; SEM; TEM; *Moringa oleifera* ; Antimicrobial activity.

Introduction - Nanotechnology isdescribed as portentsat nanometre scale which is generally stated in range of 1-100 nm . It manipulates various substances at the atomic, molecular along with macromolecular levelto innovate substances atnanometre scale, andsystems that have unique features and functions . The eco- friendly approach by green route of synthesis of nanoparticles is easy, efficient, in comparison to chemically synthesised or through use of microbes. Plant extracts could be an alternative to conventional chemical routes for the synthesis of metallic nanomaterials in a clean, nontoxic and ecologically sound manner (Rai *et al.,* 2008). The key advantages of this route of synthesis of nanoparticles from plant extracts is that they possess significant phytochemicals which can contribute in the reduction of platinum ions and be synthesizing faster than microbes. These phytochemicals include ketones, aldehydes, amides, terpenoves, flavones, which are directly related to the reduction of ion and the formation of platinum nanoparticles. Platinum nanoparticles (PtNPs) have attracted scientific communities for their significant therapeutic applications (Dreaden et al., 2012; Allen & Cullis, 2004). They possess exclusive optical features that can be optimized by modifying their sizes and shapes. They possess a localized surface Plasmon resonance, lead to a idiosyncratic absorption band in the UV/Vis area, which is not displayed by the heavy groups (Perelshtein *et al.,* 2008).

Moringa oleifera Lam is categorized in Moringaceae family having 14 species among which *M. oleifera* is most commonly found. In India conventionally this plant is known by the name ***'Sahanjana***". Its pods and leaves have rich source of biomolecules like it contain 2.5 and 6.7 g protein/ 100 g, respectively. The plant is also recommended in folk remedies for conjunctivitis, high blood pressure, abdominal, boils, cold, discomfort, tumors, relapsing fever, hysteria and skin diseases, etc. It also bears certain bioactivity, viz., anti-inflammatory, anti-asthmatic, antioxidant and hepatoprotective, antitumor etc. *Moringa oleifera* is consumed in asian diet since many decades as raw food source.

Recently existence andbanquet of antimicrobial resistance is a serious issue in both developing and developed nations and which can leads to global crisis (Xia, 2008). A stratagem for the repression of resistance needs to be innovated, executed and evaluated which should be focused on improving rational use of antimicrobials and

*Department of Basic and Applied Sciences, Vivekananda Global University, Jaipur (Raj.) INDIA
** Department of Basic and Applied Sciences, Vivekananda Global University, Jaipur (Raj.) INDIA

reducing prospects for spread of resistant organisms (Sumathi and Thomas., 2017). It has been reported that, the metallic nanoparticles are meticulously being explored and broadly explored as potential antimicrobials. The antimicrobial potency of the nanoparticles is known to be a function of the surface area in communication with the microorganisms. Therefore, the search for new antimicrobial drugs from nanoparticles derived from natural sources has increased as ansubstitute to commercial drugs. Considering the importance of nanoparticle metal synthesis especially platinum using different plants, the aim of this study was green synthesis of platinum nanoparticles using aqueous extract of *M. oleifera* and investigation of its antimicrobial activity.

Materials and Methods

Biological reduction of Platinum nanoparticles by Green synthesis route: Initially Platinum hexachloride (PtCl6) was purchased from Sigma Aldrich and they were reduced biologically using the fresh leaves of ***Moringa oleifera***. 0.3gm leaves were weighed and were grinded properly in the mortar and pestle for 15 to 20 minutes in distilled water. Now these grinded laves were taken in the vials (3-4) and it was centrifuged at 4ºC, 1000rpm for 5 minutes. Further supernatant was collected in fresh vial. 0.01gm, Platinum sulphide was taken in 100ml autoclaved distilled water in a washed and clean conical flask, which was then kept on magnetic stirrer. Supernatant collected in the vial was added to the flask containing the Platinum nanoparticle. The mixture was kept overnight and the alteration in the color of the solution was observed. The change in the color of the solution is the indicator of reduction of synthesized Platinum sulphide.

Antimicrobial activity: Antimicrobial activity of the synthesised nanoparticles was investigated by agar well diffusion method (Malarkodi et al., 2013) and activity index was calculated as :

$$\text{ACTIVITY INDEX} = \frac{\text{Zone of inhibition of sample}}{\text{Zone of inhibition of standard}}$$

Statistical analysis

The statistical error of mean was calculated by the following formula:-

$$S.E. = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Where

σ = standard deviation

n = number of observations

The test of significance (t-test) was calculated by the following formula

$$t = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{(SEM_1)^2 + (SEM_2)^2}}$$

Where,

m_1 = mean of one set of values.

m_2 = mean of second set of values.

SEM_1 = standard error of the first set of values.

SEM_2 = standard error of the second set of values.

The probability 'p' for obtaining 't' value of at least as great as the calculated one for a given number for the degree of freedom was found in the Fisher's table.

The p - values were signified according to the following conventions.

$P<0.05$ = difference was almost significant.

$P<0.01$ = difference was significant.

$P<0.001$ = difference was highly significant.

RESULTS and DISCUSSION

Biologically synthesized platinum nanoparticles : In the present research for the green synthesis of Platinum nanoparticles leaves extract of *Moringa oleifera* was used as it is enriched with lot of phytochemicals using recommended protocols. When we added the extracts from leaves to solution of Platinum oxide it was observed that the color of the reaction concoction was gradually changed from light yellow to dark brown, thus showing the synthesis of nanoparticles (**Fig.1**).

UV: UV-visible spectroscopy is known globally and one of the most commonly recommended techniques for structural elucidation of nanoparticles. The absorption spectrum revealed that a surface plasmon absorption band at **400** nm, representing the incidence of an array of spherical shaped nanoparticles **(Fig. 2)**

SEM and TEM : In the present research morphology and the topography of synthesized nanoparticles was determined by SEM and TEM. SEM appearance showed that the platinum nanoparticles were mostly spherical in shape but showed some aggregation and clustering. TEM image which revealed that synthesized nanoparticles were spherical in shape and well distributed, with an average size of 20 nm. The present results from TEM image were in accordance with the SEM image.**(Fig. 3 and 4)**

FT-IR : FTIR spectroscopy was employed to determine the possible biomolecules and functional groups involved in reduction, capping and efficient stabilization of newly synthesized nanoparticles (**Fig. 5**) . From this technique we observed about the engaged bioactive compounds and functional moieties which are responsible for reduction, coating and prominent sustainability of novel designed nanoparticles **.** The sharp and pointed absorption spectra at 3357, 2500, 2225 , and 1000 cm^{-1} were detected. The major peaks at 3357 corresponds to O-H stretches showing presence of alcoholic groups. Peaks at 2500 and 2225 reveals presence of strong C-H stretching showing alkanes as functional groups while peaks at 1000 showing presence of CO-O-CO stretching thus showing presence of anyhydride group.

XRD : X-ray diffraction (XRD) studies were carried out to confirm the synthesis of Platinum nanoparticles and characterize crystallinity and the phase pattern of the nanoparticles. It was observed that 2θ (in degrees) were in the range of 25to 69.5°C (**Fig. 6**). These were compared with the JCPDS, Cu file no. 04-0836. The said 2θ values of

peaks were in accordance with the standard of JCPDS.The XRD study confirms that the resultant particles were nanoparticles. Furthermore, it also confirms that the synthesized nanoparticles was free of impurities as no other characteristics XRD peaks were observed. The mean grain crystalline size of green synthesized Platinum was calculated using the Debye–Scherrer formula

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos\theta}$$

where *D* is the average crystalline diameter size (Å), *K* is a constant (0.9), λ is the wavelength of the X-ray used (*k* = 1.54 Å), 'β' is the angular line width at the half maximum of diffraction (radians) and 'θ' is the Bragg's angle (degrees)

Antimicrobial activity: In the present research it was observed that platinum nanoparticles synthesized from green synthesis method showed prominent antimicrobial activity at different dose level ranging from 20µg/ml to 80µg/ml on clinically important microbes. It was observed that against E*. col*i maximum zone was at 80µg/ml (IZ-18mm). Against *B. subtilis* no activity was observed at initial concentration, however nanoparticles showed zone at 60 and 80µg/ml respectively (IZ-10 and 12 mm). Further against *P. aeruginosa* nanoparticles showed activity at all dilutions*. S. aureus* was found to be resistant as no activity was observed except at 60µg/ml (IZ- 16mm) (**Table 1 and Fig. 7**).

Further when we tested these nanoparticles against different fungal strains it was observed that against *F. oxysporium* sample showed activity at all concentration, however maximum zone was observed at 60µg/ml (IZ-14mm). Against *P. funicolusum* it was observed that activity was low as compared to other strains. It was observed that *C. albicans* was found to be resistant at all concentrations except 80µg/ml where some activity was observed (IZ- 12mm. Further it was observed that against *T. reesei* nanoparticles had best activity at all concentrations. Maximum activity was observed at 80µg/ml (IZ- 18mm) (**Table 2 and Fig. 8**)

The application of nanotechnology is garnering an increasing amount of attention within the food sector. This can be attributed to an improved knowledge of the possible benefits that may be derived through the utilization of this technology. This is happening as a direct result of a growing understanding of the possible benefits that may be acquired through the utilization of this technology (Vadlapudi & Kaladhar, 2014). The awareness of these potential benefits has been expanding in recent years. The knowledgeable person believes that within the next few years, nanotechnology will play a role that is increasingly crucial in the manufacture of one-of-a-kind food products. This opinion was expressed by the individual who was informed. This forecast was made by the person who was aware of everything.

This study provides a condensed explanation of how NMs can be utilized in plant research. It focuses in particular on the absorption, mobilization, and biological ramifications of the interactions between NMs and plants that are considered to be the most essential. There may be new ways to improve plant defense, growth, and development, as well as crop output, through the use of polymeric soft NMs (NMs). All of this is done in the interest of enhancing plant defenses and/or promoting plant growth and development, with the ultimate goal of raising harvest yields (Mendieta & Nestor, 2012). In order to bring the qualities, measurements, and varieties of nanomaterials that are currently in use in the real world into conformity with the standards that have been outlined in the paragraphs that came before this one, it is necessary to improve the quality of the nanomaterials themselves as well as the measures and types that are used to create them. In this fast emerging area of research, it clears the path for brand new prospects that are unprecedented in the scale of their potential impact (Malarkodi & Manoharan, 2013).

References:-

1. Rai, M., Yadav, A., and Gade. A., "Current trends in phytosynthesis of metal nanoparticles", *Critical Review in Biotechnology.* 2008; 28(4), 277
2. Allen, T. M., and Cullis, P. R., "Drug delivery systems: entering the mainstream", Science. 2004; 303, 1818
3. Perelshtein, I., Applerot, G., Perkas, N., Guibert, G., Mikhailov, S., and Gedanken, A., "Sonochemical coating of silver nanoparticles on textile fabrics [nylon, polyester and cotton] and their antibacterial activity", *Nanotechnology.* 2008; 19, 245705
4. Xia, Y., "Nanomaterials at work in biomedical research"*. Nature Materials,* 2008;7(10),758
5. Vadlapudi. V., and Kaladhar D. K. G., "Review: Green Synthesis of Silver and Gold Nanoparticles", *Middle-East Journal of Scientific Research.* 2014; 19(6), 834
6. Mendieta, V. S., and Nestor, A. R. V., "Green Synthesis of Noble Metal (Au, Ag, Pt) Nanoparticles, Assisted by Plant-Extracts Noble Metal", *Chemistry*. 2012; 978
7. Malarkodi, E., and Manoharan, A., "Study on antibacterial activity of *Parthenium hysterophorus* L.", Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 2013; 5(1), 134
8. Sumathi S, Thomas A. Eco-friendly and antibacterial finishes of organic fabrics using herbal composite microencapsules. Int J Pharm Bio Sci2017 ; 8(3): 310-321.
9. Malarkodi C, Annadurai G. A novel biological approach on extracellular synthesis and characterization of semiconductor zinc sulfide nanoparticles. Appl Nanosci2013 ; 3 : 389–95
10. Dreaden, E.C.; Alkilany, A.M.; Huang, X.; Murphy, C.J.; El-Sayed, M.A. The golden age: Gold nanoparticles for biomedicine. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 2740–2779

Table. 1: Antibacterial activity of Platinum Nanoparticle prepared by green synthesis route from *M. oleifera*

Concentration (in µg/ml)	***E.coli***	***Bacillus subtilis***	***Pseudomonas aeruginosa***	***Staphylococcus aureus***
20	IZ- 14AI- 0.58	IZ- NilAI-	IZ-12AI-0.46	IZ- NilAI-
40	IZ- 16AI-0.66	IZ- NilAI-	IZ-14AI-0.53	IZ-NilAI-
60	IZ-16AI-0.66	IZ-10AI-0.35	IZ-14AI-0.53	IZ-NilAI-
80	IZ-18AI- 0.75	IZ-12AI-0.42	IZ-16AI-0.61	IZ-16AI-0.72
Standard (Ciprofloxacin)	IZ -24	IZ -28	IZ -26	IZ -22

Table. 2: Antifungal activity of of Platinum Nanoparticle prepared by green synthesis route from *M. oleifera*

Concentration (in µg/ml)	*Fusarium oxysporum*	*Penicillum funiculosum*	*Candida albicans*	*Trichoderma reesei*
20	IZ-8 AI-0.4	IZ-6 AI-0.25	IZ- Nil AI-	IZ- 14 AI-0.5
40	IZ-10 AI-0.5	IZ-8 AI-0.33	IZ- Nil AI-	IZ-16 AI-0.57
60	IZ-10 AI-0.5	IZ-8 AI-0.33	IZ-Nil AI-	IZ-16 AI-0.57
80	IZ-14 AI-0.7	IZ-10 AI-0.41	IZ- 12 AI-0.38	IZ-18 AI-0.64
Standard (Ketokenazole)	IZ -20	Z -24	IZ-26	IZ -28

Ketokenazole (as Standard at 1mg/ml), IZ- Inhibition Zone (in mm) , AI- Activity index

Fig. 1: showing in change of color which indicates formation of nanoparticles

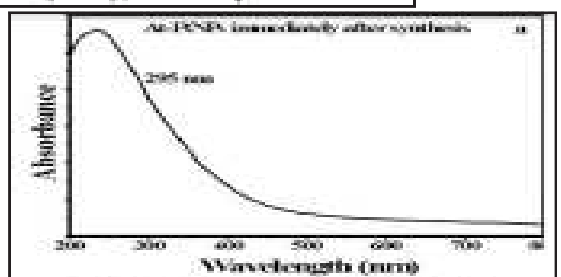

Fig. 2 UV Spectra of Biologically Synthesized Platinum nanoparticles

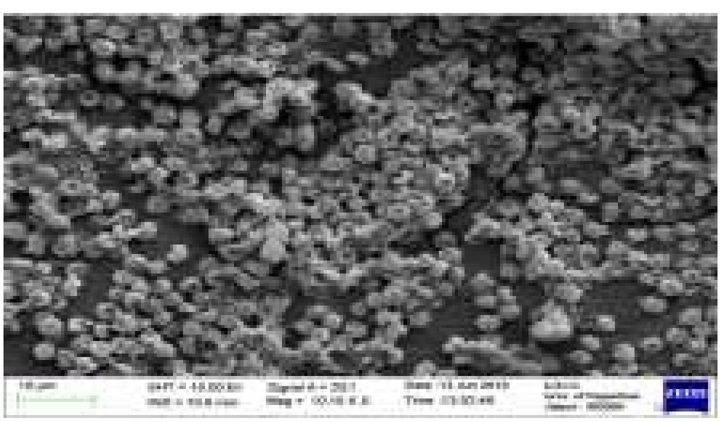

Fig. 3: SEM showing spherical shape of Nanoparticles

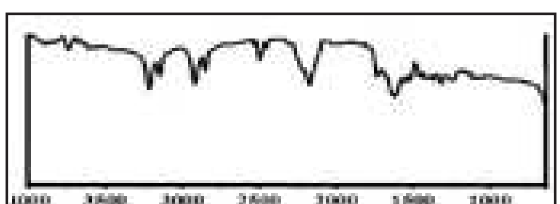

Fig. 5 FT-IR of Biologically Synthesized nanoparticles

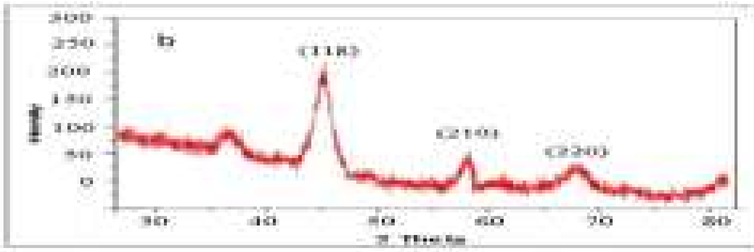

Fig. 6 XRD of Biologically Synthesized nanoparticles

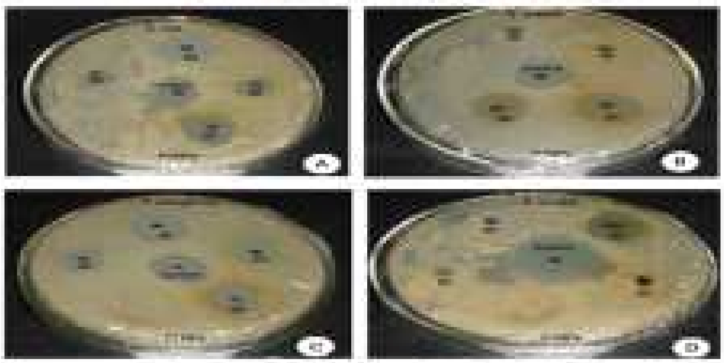

Fig. 7 Antibacterial Activity of Platinum Nanoparticles

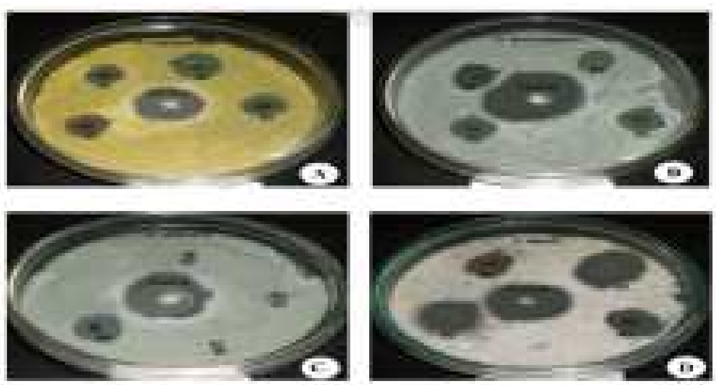

Fig. 8 Antifungal activity of Platinum Nanoparticles

****

Importance of Phycoremediation in Waste Water Treatment in Present Perspective

Dr. Premlata Vikal*

Abstract - Most of the algae have good capacity to sorb metals, and there is considerable potential for using them to treat wastewaters.Phycoremediation is a green technology because of its vast environmental benefits, and in the past decade, there has been a steady rise in the number of phycoremediation plants throughout the world. Adsorption capacity depends on concentration of metal and biomass in solution, pH, temperature, cations, anions and metabolic stage of the organism. The success in the widespread use of this technology will rely on joint efforts by entrepreneurs, academicians and policymakers. Considering the replacement of existing secondary treatment systems with more environment-friendly and profitable phycoremediation technology or at least integrating into the conventional systems, wherever feasible, is of paramount importance.The present study aimed to investigate the effectiveness of removal of heavy metals from wastewaters.

Keywords- Phycoremediation, heavy metal, wastewater, environment, green technology.

Introduction - Water plays a vital role in all aspects of life. With increasing population, industrialization and urbanization, environment distressed extensively and demand for wastewater treatment is currently a worldwide priority. It has led to many environmental challenges including global warming, fossil fuel based energy depletion, and water contamination. People's need has increased which turned into greed, appealing mankind for non-specific, hazardous accomplishments to carry which has resulted in the environmental crises.Along with air and soil pollution, water pollution has also become a serious problem now-a-days.Many surface and water bodies are affected due to eutrophication, wastewater discharge from industries, agricultural run-off, etc. Algae play a vital role in ecosystem.Most of the algae have good capacity to sorb metals, and there is considerable potential for using them to treat wastewaters. Metal sorption process involves binding on the cell surface and to intracellular ligands. Adsorbed metal is some times greater than intracellular metal. Algae can effectively remove metals from wastewaters. Dead cells of algae canalso adsorb metal. Various pretreatments enhance the metal sorption capacity of algae. Thus, phycoremediation is very effective in phycoremediation is very effective for the treatment of various types of wastewaters such as domestic sewage, agricultural waste substrates and industrial effluents.

Algae are one of the most diverse groups of living organism that are distributed in all across the oceans, rivers, ponds and lakes. Algae play an important role in maintaining aquatic ecosystem and form the base of food chain or food web.Phycoremediation can be defined as the use of microalgae or macroalgae for sequestration of carbon dioxide or for the removal of toxic and non-toxic substances from solid, liquid or gaseous wastes, where the organisms do so by metabolic uptake, accumulation or biotransformation processes.

The efficiency of phycoremediation using microalgae for removing nutrients and heavy metals from wastewaters has been proved. However, the differences in the composition of wastewaters as well as microalgae species play an important role in the efficient of this process. Therefore, the present study aimed to investigate the effectiveness of removal of heavy metals from waste water. CaCl2 pretreatment is the most suitable and economic method for activation of algal biomass. Carboxyl group is most important for metal binding.Cyanobacteria has great potential for removing metals from wastewaters. An immobilized or granulated biomass-filled column can be used for several sorption/desorption cycles with unaltered or slightly decreased metal removal. Langmuir and Freundlich models, commonly used for fitting sorption data, cannot precisely describe metal sorption since they ignore the effect of pH, biomass concentration, etc. In commercial application of algal technology for metal removal from wastewaters, emphasis should be given to: (i) selection of strains with high metal sorption capacity, (ii) adequate understanding of sorption mechanisms, (iii) development of low-cost methods for cell immobilization, (iv) development of better models for predicting metal sorption, (v) genetic manipulation of algae for increased number of surface groups or over expression of metal binding proteins, and (vi) economic feasibility.

It is considered as a method of bioremediation systems, but of late, it is being referred to as phycoremediation. The term phycoremediation refers to the remediation of contaminant by using algae. However, the use of algae in

*Assistant Professor (Botany) S.R.K. Govternment College, Rajsamand (Raj.) INDIA

the remediation of wastewater has been in vogue for nearly 50 years, with one of the first descriptions of this application being reported by Oswald, considered one of the pioneers in biological treatment of wastewaters. Since then, various studies have shown phycoremediation potentials of numerous algal species for different types of wastewater possessing varying nutrient, pathogen and organic loads (Gupta et al. 2016, Shriwastav et al. 2014).

Advances in molecular biology of the microalgae in the recent decades, accompanied by developments in metabolomics, genomics, transcriptomics and proteomics as well as in bioinformatics, are providing powerful toolkits which can be applied to the development of new and improved algal strains, products and processes.Recently many new research areas have opened the way for algal research and current understanding of algal physiology and biotechnology is increasing.

Role of Algae in Waste Management agro-industrial wastewater, livestock wastewater, piggery wastewater, foodprocessing effluents as well as other industrial wastes (Abdel-Raouf et al. 2012; Cai et al. 2013; Gupta et al. 2016). Several studies have demonstrated excellent wastewater treatment potentials by various microalgal species (Ogbonna et al. 2000; Kim et al. 2013; Gupta et al. 2016; Rawat et al. 2016; Ghosh 2018). In India, the success story of commercialization of phycoremediation technology began with the implementation of the world's full-scale phycoremediation plant at SNAP Alginate Pvt. Ltd., India, by Sivasubramanian et al. (2009).

Although microalgae-based wastewater treatment has lots of advantages, certain constraints plague the smooth transition to the field scale that include construction of ponds, hassles in operations, harvesting/separation of biomass, strain selection, biological contamination, culture inoculum size, grazing protozoans, land requirements, light requirements particularly during winters in temperate zones, temperature variations and rainfall/snowfall. However, these challenges can be overcome in the future decades by carrying out research in the above specific problems or by developing tailor-made technologies.

Benefits of Phycoremediation: Microalgae are naturally occurring living organisms and thusphycoremediation is a naturally occurring phenomenon. Microalgae used in phycoremediation are already preset in nature and are at work consuming unwanted materials. We come into contact with them on a daily basis with no ill effects. After phycoremediation is completed, the environment is virtually restored to its pristine condition. Wastewater treatment through microalgae is cost –efficient, renewable and helps in carbon sequestration. Microalgae based wastewater treatment reduces BOD, Inhibits coliforms, remediates contaminants, heavy metals and nutrients. Microalgal biomass produces high value products like animal feed, green manure, biofuels, etc. Recently, phycoremediation technology has attracted much attention worldwide owing to its multifaceted benefits for example oxygenation of environment, helps in CO2 sequestration – a solution for the threat of global warming, possible co-production of biofuels and biofertilizers, sustainable and eco-friendly from an ecological perspective, and commercial benefits derived from the biomass and other extracted biochemical.

Future Prospects of Phycoremediation: Environmental sustainability, benefits of carbon credits and creation of wealth from waste are some of the advantages that make phycoremediation technology is a promising one for the future. On the other hand, with the ever-increasing prices and finite nature of fossil fuels, there is an urgent need for sustainable generation of biomass at a very cheaper cost. Therefore, the integrated approach of waste remediation and generation of biomass is being considered by many biofuel industries. Such innovations will help overcome biomass constraints, thereby providing greater commercial gains. Likewise, suitable policy amendments by the government pertaining to environment management and industrial waste management will certainly facilitate implementation of such eco-friendly technologies without any difficulty. For example, providing technical as well as financial support, subsidies, tax benefits, etc. will certainly encourage both the start-up and well-established industries to implement phycoremediation technology and derive multiple benefits.

A significant number of studies on the use of both microalgae and macroalgae have been conducted. The benefits of algal systems include the fact that they are based on natural purification cycles which naturally exist in the ecosystem. Phycoremediation technologies have a variety of positive attributes, re-useable wastewater and beneficial algal biomass as the feedstock for important byproducts such as food, animal feed, compost, biodiesel and the ability for environmental carbon mitigation.

References:-

1. Ghosh, A. (2018). *The great derangement: Climate change and the unthinkable*. Penguin UK.Abdel- Abdel-Raouf, N., Al-Homaidan, A. A., &Ibraheem, I. (2012). Microalgae and wastewater treatment. *Saudi journal of biological sciences*, *19*(3), 257-275.Cai et al. 2013
2. Gupta, D. K., Palma, J. M., &Corpas, F. J. (Eds.). (2016). *Redox state as a central regulator of plant-cell stress responses* (p. 386). Germany: Springer International Publishing.John (2000)
3. Kim, S. M., Hsu, A., Lee, Y. H., Dresselhaus, M., Palacios, T., Kim, K. K., & Kong, J. (2013).The effect of copper pre-cleaning on graphene synthesis. *Nanotechnology*, *24*(36), 365602.Rawat et al. 2016
4. Sivasubramanian, A., Sircar, A., Chaudhury, S., & Gray, J. J. (2009).Toward high resolution homology modeling of antibody Fv regions and application to antibody–antigen docking. *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics*, *74*(2), 497-514.Ogbonna et al. 2000
5. Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. *The journal of machine learning research*, *15*(1), 1929-1958.

A Study on Financial Planning Decisions under ULIP

Dr. Syed Saleem Aquil*

Abstract - A well-developed and growing insurance sector is essential for economic growth. It provides long-term infrastructure development funding and strengthens individuals' risk-taking capacity.

The present research paper evaluates customers' awareness of financial planning through ULIP. To accurately assess the hypotheses, this research analyses whether customers are interested in investing their money in ULIP or not

1. If yes, what are the customers' needs and plans?
2. If no, then what is the reason behind it?

Also, this research paper aims to study the awareness of ULIP and financial planning through this scheme among the customers of a specific region and to mention the overall importance of insurance and financial planning.

Keywords: ULIP, Investments, Funds, Risk, Returns.

Introduction: This analysis is a beacon of hope, shedding light on customers' awareness of financial planning. The results of this research paper will empower customers to make informed decisions, leading to a brighter financial future.

Customers' primary investment objective is safeguarding their funds while ensuring a reasonable return. However, a significant portion of India's population needs more investment literacy, leading to a fear of potential financial losses due to a lack of understanding of investment risks.

This research aims to study customers' awareness of safe investments. Decision-making regarding financial investments takes time and effort. Getting more profit with safety is possible only when investments are made after studying the possibility of financial planning with experience.

ULIP is an insurance plan with high risks and high returns. Therefore, the customer needs to know where the money has been invested and whether the risk is high or low. Investment houses are responsible for informing customers about the intensity of the risk involved, as investors have different risk-taking abilities.Investing in insurance is not solely about achieving favourable outcomes but also about fostering growth and reaping other benefits.

A ULIP, or Unit Linked Insurance Plan, is a life insurance policy that combines protection with investment opportunities. ULIP plans offer various investment options, including Equity Funds, Debt Funds, Money Market Funds (Liquid Funds), and Balanced Funds, each with its own risk and return profile.

Investors are ready to take the risk of investing money by imagining a secure future. Due to a lack of education and accurate investment information, investors want the right advice.

What is insurance?

In law and economics, insurance is a form of risk management used primarily to protect against accidental loss. Insurance is the equitable transfer of the risk of loss from one party to another in exchange for a premium. The insurer is the company that sells insurance. The insurance rate is a factor used to determine the amount to be charged for a certain amount of insurance coverage, which is called the premium. Risk management, evaluating and controlling risk, has developed as a separate field of study and practice. The Act of insuring property, life, person, etc., system or business against loss or damage by fire, accident, death, disability or similar specified contingencies, investing money with a view to payment in proportion to the risk involved in the hope that the loss will be protected in future.

Definition : Insurance is a contract between two parties under which one party agrees to bear the risk of the other party in return for a consideration known as a premium and promises to pay a certain sum to compensate the other party on the occurrence of an uncertain event (death) or after the expiry of a particular period in case of life insurance or on the occurrence of an uncertain event in case of general insurance.

The party bearing the risk is known as the 'insurer' or 'assurer', and the party whose risk is covered is known as the 'insured' or 'assured.

Concept of Insurance / How Insurance Works: The concept behind insurance is that people facing similar risks come together and contribute to creating a pool of funds. If a person suffers a loss due to such risk, he is compensated from the same pool of funds. A group of people sharing common risks contributes to the pool's investment amount, and insurance companies collect this invested amount in the form of a premium.

* Asst. Professor, Kalyan P.G. College, Bhilai (C.G.) INDIA

Examples (see in last page)

Why should one take insurance?

Taking insurance to protect the client and the family of the client from potential losses caused by risks and perils is essential. Insurance provides financial compensation for losses caused by any unforeseen event. Taking life insurance gives one peace of mind, and one does not have to worry about the financial consequences in case of untimely death.

Some insurance contracts are also made compulsory by law. For example, the Motor Vehicles Act 1988 provides that a person driving a vehicle in a public place must have a valid insurance policy covering "Act" risks. Another example of compulsory insurance relates to the Environmental Protection Act, which requires a person using or carrying hazardous substances (as defined in the Act) to have a valid Public Liability (Act) policy.

Who provides insurance?

Before liberalisation in India, insurance protection was provided through public-sector insurance companies, namely the Life Insurance Corporation of India (LIC) and four subsidiaries of the General Insurance Corporation of India (GIC).With the passing of the IRDA Bill, the insurance sector has been opened up for private companies to carry out insurance business. Information on the list of insurance companies operating in India can be easily obtained.

What is the process of obtaining insurance?

The most straightforward process of obtaining insurance is as follows:

1. Insurance companies are approached directly or through insurance agents or intermediaries of the respective companies.
2. Information is filled in a proposal form, giving full details.
3. Copies of the date of birth certificate and other relevant documents are submitted.

Insurance contracts are based on good faith, i.e. the details submitted by the proposer are accepted in good faith, which forms the basis of the contract.

What are the other options for insurance?

The insurance option is to provide self-insurance, i.e. the individual has to create a fund to meet the risk requirements. Specified trusts have also tried to provide insurance through a self-insurance scheme. However, these are rare. The Department of Posts provides insurance coverage to all working people. Many financial instruments advocate savings and provide returns at fixed intervals in the future, such as provident funds and pension plans. However, none of these provide life insurance coverage.

What are the other benefits of taking insurance?

1. Tax relief: Under Section 88 of the Income Tax Act, a part of the premium paid for life insurance policies is deducted from the tax liability. Similarly, the exemption is available for health insurance policy premiums.

A. The amount paid as a claim, including a bonus under a life insurance policy, is exempt from income tax payment. However, annuities received under specific pension plans are taxable.

2. Encourages savings: An insurance plan encourages savings among individuals. It inculcates the habit of saving, unlike other savings instruments wherein the amount saved can be readily withdrawn.

3. By effecting a valid assignment, the beneficiaries of the insurance claim amount are protected from creditors' claims.

4. For a policy taken under the MWP Act 1874 (Married Women's Property Act), a trust is created for the wife and children as beneficiaries. (2)

5. Life insurance policies are accepted as security for loans. They can also be surrendered to meet unforeseen emergencies.

6. Based on the concept of sharing losses, society benefits.

Conclusion

ULIP- Systematic Insurance cum Investment Plan: If a customer purchases an insurance policy from an insurance company once a year, it is likely that such a customer would be aware of Unit Linked Insurance Plans (ULIP). In the current investment market, ULIPs are being sold as wonder products.ULIPs are market-linked insurance plans. The difference between them and other insurance plans is how the premium money is invested.

Transparency: ULIPs offer customers a transparent option to plan for the needs of customers at different stages of their lives through market-linked investments compared to traditional investment plans.

Insurance cover and savings: The objective of ULIPs is to provide life insurance along with savings at market-linked returns. In this way, ULIPs can be called two-in-one plans, giving the individual the dual benefit of life insurance and savings. This differs from comparable instruments like mutual funds, which do not provide life cover.

Multiple investment options:

ULIPs offer diversification as compared to traditional life insurance plans. Hence, the individual has multiple choices. ULIPs generally fall into three broad types:

1. Aggressive ULIPs (invest 80%-100% in equities, the rest in debt)
2. Balanced ULIPs (invest around 40%-60% in equities)
3. Conservative ULIPs (invest up to 20% in equities)

Although ULIP options are generally designed similarly, the exact debt/equity allocation may vary across insurance companies. A ULIP policyholder has the option to invest in a variety of funds depending on their risk profile. If someone does not wish to invest in equities, they can choose debt or balanced funds.

Flexibility: Individuals can switch between the ULIP variants mentioned above to take advantage of investment opportunities in the equity and debt markets. Some insurance companies allow a certain number of accessible switches. This is an important feature that allows the savvy individual/investor to benefit from the uncertainties of the stock/debt market. For example, when the stock market

was on the verge of 7,000 points (Sensex), the savvy investor could move his assets from an aggressive ULIP to a less risky conservative ULIP.

Switching also helps individuals on another front. As one approaches retirement, one can shift from aggressive to balanced or conservative ULIP, reflecting the change in their risk-taking ability.

It works like a SIP: Rupee cost-averaging is another critical benefit associated with ULIPs. The mutual fund industry is increasingly promoting Systematic Investment Plans (SIPs). With SIPs, individuals invest their money regularly at monthly/quarterly intervals, and investors do not have to worry about the timing of investments in the stock markets. These are not just benefits limited to mutual funds. The annual premium in ULIPs also works on the rupee cost-averaging principle. An added benefit of ULIPs is that individuals can also invest a lump sum amount in ULIPs, either to take advantage of opportunities in the stock markets or if they have an investible surplus in a particular year that the investor wants to set aside for the future.

Suggestions: ULIP, a unique insurance plan, not only helps investors achieve their long-term objectives but also provides financial security to their families. The premium paid under ULIP is split into two parts: one for life compensation and the other for investment in funds of the investor's choice, making it a versatile investment option. An investor can evaluate the risk of choosing equity, debt or both options. Therefore, ULIP is considered an ideal source of investment, useful for protecting the family in the long term. Investing in ULIP offers several benefits that make it a smart financial move: 1. Freedom in selection of individual life cover: The applicant can avail a minimum life cover equal to 10 times the annual premium paid, although the protection cover may vary under different plans. 2. Freedom in choosing the type of investment: An investor can choose between investing in funds or equity or both funds and equity. 3. Liquidity: Under ULIP plans, a planner can opt for partial withdrawal, under which a part of the planned amount of the policy taken can be withdrawn. 4. Goal-based planning: ULIP plans are designed in such a way that the policy of ULIP can be decided keeping in mind the goal of earning money in the future. In this, savings can be made under the retirement planning of the planner or planning for the education of children. 5. Tax benefits: Under the Income Tax Act 1961, the investor can save tax by investing in ULIP plans. Under this, tax can be saved in three stages. Step 1- Entry benefit Tax benefits are given on the annual premium paid under section 80C. Step 2 Exclusive switching benefit: The investor can convert debt into completely tax-free equity. In step 3, tax-free maturity benefits can also be obtained under section 10 sub-section (10D). Tips to maximize ULIP benefits: 1. Start investing at an early age 2. Make regular withdrawals 3. Review your portfolio regularly 4. Avail tax benefits 5. Make use of different fund options.

Main Considering Points for a Safe Investment.

Charges: It is essential to understand all the charges levied on the product. A complete fee structure includes initial charges, fixed administrative charges, fund management charges, mortality charges, and spreads in the first year and during the policy's term.

Fund Options and Management: Understand the various fund options available to the customer and the fund management philosophy and objectives. Check the fund's track record and then observe its performance in comparison to the benchmark. Who manages the fund, and what experience do they have? Are there adequate controls? All these factors are worth considering.

Features: Most ULIPs have features, such as allowing one to top up or switch between funds, increase or decrease the protection level, or take premium holidays. One should carefully review the terms and conditions and charges associated with each. For example, is there a minimum amount that must be switched? Are there any charges associated with it? Do customers have to go through medical underwriting if they want to increase the sum assured?

Company: Lastly, buying insurance with a brand you can trust is essential as a reliable entity that honours customer commitments and provides service according to requirements.

First and foremost, investors need to understand that ULIP is a bundled product of the investment and insurance proceeds of the investors. Since privatization in 2000 and the introduction of ULIPs as a life insurance product category, the overall insurance penetration in the country has grown from around 2% to 4%. Today, more than 70 per cent of the new business premium for life insurance companies comes from ULIPs.

References:-

1. Principles and Practice of Banking and Insurance- O. P. Agarwal, Himalaya. Publishing House, Delhi.
2. Insurance- Principles and Practice- M. N. Mishra- S. Chand & Co. New Delhi.
3. Theory and Practice of Insurance- Mohd. Arif Khan, Education at Book House.
4. Life Insurance Corporation of India- M. N. Misra Vol.I, II & III, Raj Books. Jaipur.
5. General Insurance : S.Balachandran by Insurance Institute of India
6. NITL Funds are now available on Hysab Kytab - ZeeWish. https://zeewish.pk/nitl-funds-are-now-available-on-hysab-kytab/
7. Knowledge Center - SKI Capital. https://www.skicapital.net/knowledge-center

Some examples to understand how insurance actually works:

Example 1	**Example 2**
SUPPOSE· 1.Houses in a village = 1000 2.Value of 1 House = Rs. 40,000/- 3.Houses burning in a yr = 5 4.Total annual loss due to fire = Rs. 2,00,000/- 5.Contribution of each house owner = Rs. 300/-	**SUPPOSE**· 1.Number of Persons = 5000 2.Age and Physical condition = 50 years & Healthy 3.Number of persons dying in a yr = 50 4.Economic value of loss suffered by family of each dying person = Rs. 1,00,000/- 5.Total annual loss due to deaths = Rs. 50,00,000/- 6.Contribution per person = Rs. 1,200/-
Underlying Assumption All 1000 house owners are exposed to a common risk, i.e. fire	**Underlying Assumption** All 5000 persons are exposed to common risk, i.e. death
Procedure All owners contribute Rs. 300/- each as premium to the pool of funds ↓ Total value of the fund = Rs. 3,00,000 (i.e. 1000 houses * Rs. 300) ↓ 5 houses get burnt during the year ↓ Insurance company pays Rs. 40,000/- out of the pool to all 5 house owners whose house got burnt	**Procedure** Everybody contributes Rs. 1200/- each as premium to the pool of funds ↓ Total value of the fund = Rs. 60,00,000 (i.e. 5000 persons * Rs. 1,200) ↓ 50 persons die in a year on an average ↓ Insurance company pays Rs. 1,00,000/- out of the pool to the family members of all 50 persons dying in a year
Effect Of Insurance Risk of 5 house owners is spread over 1000 house owners in the village, thus reducing the burden on any one of the owners.	**Effect Of Insurance** Risk of 50 persons is spread over 5000 people, thus reducing the burden on any one person.

****